आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022

खण्ड-1

अर्थ एवं संख्या निदेशालय

नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड

आर्थिक सर्वेक्षण

उत्तराखण्ड

वर्ष 2021–22

खण्ड–1

अर्थ एवं संख्या निदेशालय
(नियोजन विभाग)
उत्तराखण्ड सरकार
100/6, गैलाडिया रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड) 248001
दूरभाष/फैक्स: 0135–2712604
ई-मेल: dirdesuk@gmail.com
dir-des-uk@nic.in
वेबसाइट- www.des.uk.gov.in

डॉ0 सुखबीर सिंह संधु
अर्थशास्त्र
मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन
मेहताब सुभाष चन्द्र बोस भवन,
सचिवालय, 4 सुभाष रोड,
देहरादून (उत्तराखण्ड)

प्राक्कथन

उत्तराखण्ड आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021–22 भाग–1 में राज्य की सम्पदाओं, अर्थव्यवस्था, राज्य शासन की नीतियों/उपलब्धियों/योजनाओं एवं भावी चुनौतियों की विवेचना करने का प्रयास किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021–22 भाग–1 में राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विभागों द्वारा किये गये बहुआयामी विकास कार्यों की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। कोविड–19 महामारी के प्रभाव से उत्पन्न दूसरे वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण लिखा गया है। कोविड–19 की महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था के साथ–साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी तीव्र संकुचन है परन्तु धीरे–धीरे केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों से अर्थव्यवस्था निरन्तर सुधार की ओर प्रगति पर है। आलोच्य वित्तीय वर्ष 2021–22 के प्रारम्भ में कोविड–19 महामारी के आघात से उत्तराँचल को बचाने के लिए तीव्र गति से बढ़ते नये वैश्वीकरण के युग अभियान ने दोनों एवं उसके साथ आर्थिक गतिविधियों में तीव्रता व अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में राष्ट्रीय एवं राज्य अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए विगत वर्ष से शुरू किये गये निरन्तर प्रयासों को सकारात्मक दिशा प्रदान की है। जिससे फलस्वरूप राज्य में अर्थव्यवस्था आर्थिक आत्मनिर्भरता से परिपूर्ण दिखाई दे रही है।

आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021–22 भाग–1 में वित्तीय वर्ष 2021–22 की मध्य मार्च, 2022 तक की विभिन्न विभागों की सामान्य उपलब्धियों, नवाचारों तथा उपलब्धियों का उल्लेख करने का प्रयास किया गया है। यह प्रयास अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के सहयोग से सम्भव सिद्ध किया गया है जो कि सराहनीय है।

आशा है कि प्रस्तुत प्रकाशन राज्य की सामाजार्थिक स्थिति एवं विकासात्मक गतिविधियों का आकलन करने में अपने उद्देश्य में सफल होगा। यहां प्रकाशन नीति निर्धारकों, योजना निर्माताओं, शोधिकारियों एवं शोधकर्ताओं के लिये उपयोगी सिद्ध होगा। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021–22 भाग–1 को और अधिक उपयोगी एवं सार्थक बनाने हेतु प्राप्त सुझावों का स्वागत है।

(डॉ0 सुखबीर सिंह संधु)
मुख्य सचिव

डॉ० रजीव कुमार सिन्हा
कार्यपालअधिकारी
सचिव

निर्वाचन विभाग
उत्तराखण्ड शासन
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन,
सर्वेयाजग्रंथ, 4 सुभाष रोड,
देहरादून (उत्तराखण्ड)

प्रस्तावना एवं आभार

उत्तराखण्ड राज्य का प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष - 21 वर्ष 2021 -22 को आर्थ एवं सांख्य निदेशालय द्वारा तैयार किया गया है। विगत वर्षों की भाँति आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा सांख्यन में खंड की आवश्यकता के संबंधित विभिन्न आंकड़े जुटाएँ, गत वर्षों की उपलब्धियों के साथ-साथ आगे वर्ष में अर्थिक, सामाजिक क्षेत्र की प्राथमिकताओं एवं सांख्यिकी रूप से विश्लेषण किये जाने का प्रयास किया गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण का उद्देश्य राज्य के समग्र आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं का आकलन करना तथा राज्य की प्रगति एवं समृद्धि हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों की प्रगति एवं दिशा ज्ञात करना है। प्रगति का मूल्यांकन मात्र विकास से मापन विकास का संकेत नहीं, एक ओर मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर इंगित करता है, वहीं दूसरी ओर यह भविष्य में समाज की प्रगति की ओर ले जाने में सहायता करता है। मानव संसाधनों का उचित प्रोत्साहन करना तथा उसके विकास के लिये प्रभावशाली कदम उठाना राज्य की प्राथमिकता है।

कोविड-19 महामारी की आपदा ने अर्थव्यवस्था को काफी दुष्प्रभावित किया है परन्तु केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अथक प्रयासों से धीरे-धीरे विकास कार्यों को गति प्रदान की गयी, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में कोविड-19 की महामारी से पूर्व की स्थिति में आने लगी है। लोक एवं निजी क्षेत्र द्वारा सहयोग मेडिकी में किये गये उत्तम निवेशों, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति सजगता, जनभेदभाव, उत्तराखण्ड एवं केंद्र सरकारों द्वारा अत्यधुनिक सूचना व संचार तंत्र अटोमेशन तकनीकों के उपयोग के कारण ही कोविड-19 की तीसरी लहर का जनजीवन एवं आर्थिकी पर प्रभाव न्यून रहा है। सरकारी द्वारा किसानों, श्रमिकों, दैनिकी वालों, छोटे विक्रेताओं, औटोचालकों, मंचकारों को आर्थिक सहायता तथा विभिन्न योजनाएं संचालित की हैं वहीं सम्पन्न सहायता व्यवसायी से भी आर्थव्यवस्था में अतिरिक्त लाभ सुनिश्चित हुई है। पहाड़ी राज्यों द्वारा अवस्थापना संरचना जलप्रदाय योजना, आवश्यनिर्माण मरम्मत, उत्तराखण्ड पेयजल, जलापूर्ति, ग्रामीणों विकास समान सिंचाई तीसरी योजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा योजना को सुचारु हेतु विभिन्न योजनाओं को अनुमोदित व लागू किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में व्यवसाय एवं गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ-साथ अवस्थापना संरचना के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत आदुष्कान योजना लागू कर गरीब से गरीब परिवारों को ₹ 5 लाख तक की दुर्घटना सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गयी है तथा राज्य में स्थित कोविड-19 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल-टैबलेट का प्रोत्साहन तथा छात्र-छात्राओं को अतिरिक्त शिक्षा प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गई जिससे कोविड-19 महामारी में स्कूलों के बंद-खुलने में आई कठिनाइयों को कम करने का प्रयास किया गया है। अवस्थापना संरचना को मजबूत करने के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा सुदृढ़ अवस्थापना हेतु ऑलवेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन जैसी

पेंशनधारकों को शीघ्र गति से पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं राज्य सरकार द्वारा किसानों, महिलाओं के लिए कृषक भवन, मछुआरा, पशुपालन जैसे विभागाधीन सेवाओं को सशक्त देने तथा विभाग सुविधाएँ प्रदान करने हेतु प्रत्येक प्रमंडल की स्थापना की गई है, जिससे संबंधित विभागधीन सेवाओं के लाभ लाभार्थियों / हितधारकों के जीवन स्तर में वृद्धि हो सकेगी। साथ ही पर्यटन की गतिविधियों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसके अन्तर्गत सहायिक पर्यटन के साथ-साथ इको-टूरिज्म एवं होमस्टे जैसी योजनाओं पर विशेष बल दिया जा रहा है। यही नहीं अपितु उपाई योजनाओं में वृद्धि हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास तथा नए स्थलों को उपाई योजनाओं से जोड़ने के प्रयास भी किये जा रहे हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण के निर्माण में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा विभागीय अधिकारियों के समन्वय से उपलब्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गयी है। आर्थिक सर्वेक्षण के सम्पादित आलेखों के परिवेक्षण, परिष्कृतन, परिमार्जन एवं सम्पादन हेतु निदेशक श्री सुशील कुमार की अध्यक्षता एवं डॉ० नरेश कुमार एवं अपर निदेशक के पर्यवेक्षण में गठित बोर्ड टीम के सदस्यों– डॉ० दिनेश चन्द्र बहादुरी, उप निदेशक, श्री हरदेव कुमार, अर्थ एवं सांख्यिकीविद् तथा अपर सांख्यिकीय अधिकारी– श्री गोपाल पुरस्, श्री संदीप पासवान, श्री विनोद कुमार एवं श्री विनोद शर्मा तथा अध्ययन लेखन हेतु बोर्ड सदस्यों से अतिरिक्त संयुक्त निदेशक, श्री जीवन रामचन्द्र लाल एवं निदेशक– तुषी सिन्हा, श्रीमती नीलांजली शर्मा, श्री मनीष रंजन, डॉ० इंदल पंत सिन्हा, श्री अमित पुरोहित, श्रीमती रश्मि दयाल एवं अर्थ एवं सांख्यिकीविद्– श्री निर्मल कुमार साह, श्री ललित आर्य, श्री शशिकांत गौतम जोशी, श्री छोटन कुमार, श्रीमती आरती जोशी, श्री राजेश कुमार, सांख्य अधिकारी श्री महेश चन्द्र बमोला, श्री जितेन्द्र कनवीनर तथा सहायता हेतु अपर वाणिज्यिक अधिकारी– श्री अतुल आनन्द, श्री लोकेश प्रताप सिंह, श्री सुरेश कुमार गोयल, श्री राजेन्द्र सिंह रावत, श्री अशोक कुमार, श्रीमती शालू भटनागर, श्रीमती गायत्री, श्री अशोक कुमार, श्री कुलदर कुमार, सुश्री पीनम बोगरा, श्रीमती सरिता साहनी, श्री सुरत गोदियाल, श्री सुन्दर सिंह लोधा, एवं श्रीमती किरण शर्मा का विशेष उल्लेखनीय अवदान रहा है जिन्होंने अपने एवं अन्य कार्यों में व्यवधान देने हेतु श्री दीपक सिंह गुलाई तथा अन्य समस्त अपर उपाई कमिश्नरों एवं पैक्सध्यापकीय कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

इसके अतिरिक्त समस्त विभागों के योजनाध्यक्षों तथा विभागीय अधिकारियों का विशेष से सम्बन्धित आवश्यक तथ्य, सूचनाएँ, आँकड़े तथा विवरण उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव तथा प्रभारी सचिवों का उनके सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ। अन्त में अर्थ एवं संख्या निदेशालय की ओर से श्री गुलशन सिंह खनी, कम्प्यूटर मुख्तारी जी और प्रेमलता, एवं सीट टाइप एवं अन्य सुधार सचिव जो आर्थिक सर्वेक्षण को बनाने में योगदान प्रदान करने हेतु हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

(डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव

आर्थिक सर्वेक्षण
वर्ष 2021–22
विषय सूची

क्रम संख्या	अध्याय विवरण	पृष्ठ संख्या
	राज्य सर्वेक्षण	i-xiv
1	उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन	01–18
2	राज्य आय एवं लोक वित्त	19–26
3	वैकिंग एवं संस्थागत वित्त	27–40
4	कृषिउद्यान	41–53
5	उत्तराखण्ड में बहुआयामी निर्धनता एवं स्वतः विकास लक्ष्य	54–65
6	श्रम संसाधन	66–69
7	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	70–76
8	कृषि, सिंचाई एवं उद्यान	77–104
9	वानिकी	105–112
10	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	113–124
11	खनन एवं पर्यावरण	125–136
12	ऊर्जा संसाधन एवं प्रबन्धन	137–165
13	उद्योग एवं खनन	166–188
14	श्रम–रोजगार एवं सोशल सिक्योरिटी	189–195
15	विद्युत	196–207
16	परिवहन एवं संचार	208–227
17	पर्यटन एवं सांस्कृतिक उद्गमस्थल	228–239
18	शिक्षा	240–276
19	स्वास्थ्य	277–296
20	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	297–307
21	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	308–327
22	शहरी विकास एवं आवास	328–337
23	समाज कल्याण	338–349
24	खेल एवं युवा कल्याण	350–359
25	सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी	360–385
26	राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन	386–391
	एनेक्सचर	392–405

शब्द संक्षेप (Abbreviations)

AAI-	Airports Authority of India
ABC	Animal Birth Control
AE-	Actual Estimates
ADB-	Asian Development Bank
AIC-	Artificial Insemination Centres
AICTE-	All India Council for Technical Education
AIDS	Acquired Immune Deficiency Syndrome
AIF-	Agri Infrastructure Fund
AIIB-	Asian Infrastructure Investment Bank
AIIMS-	All India Institute of Medical Sciences
ALS-	Advance Life Support
AMRUT-	Atal Mission for Rejuvenation And Urban Transformation
AMR-	Automatic Meter Reading
ANC-	Ante Natal Care
ANM-	Auxiliary Nurse Midwifery
AMI-	Agricultural Marketing Infrastructure
ANC-	Absolute Neutrophil Count
APEDA	Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority
APMC	Agricultural Produce Marketing Committee
APO-	Annual Plan of Action
APY-	Atal Pension Yojana
ARC	Advance Release Calendar
ART-	Anti-Retroviral Therapy
ASCAD-	Assistance To State for Control Of Animal Diseases
ASER-	Annual Status of Education Report
ASHA-	Accredited Social Health Activist
ATBC-	Aggregate Technical and Commercial
ATF-	Aviation Turbine Fuel
ATM-	Automated Teller Machine
AYUSH-	Ayurvedic, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy
BADP-	Border Area Development Programme
B to C-	Business to Customer
BAI-	Bharatiya Agro Industries Foundation
BBBP-	Beti Bachao Beti Padhao
BBPS-	Bharat Bill Payment System
BCAP/IP-	Bio-Diversity Conservation and Rural Livelihood Improvement Plan
BCC-	Basic Computer Course
BE-	Budget Estimates
BHMCT-	Bachelor of Hotel Management and Catering Technology
BIS-	Bureau of Indian Standards
BLC	Beneficiary Led Construction

BLS	Basic Life Support
BPL	Below Poverty Line
BPO	Business Process Outsourcing
BRAP	Business Reforms Action Plan
BRO	Border Roads Organization
BRTF	Border Roads Task Force
BSNL	Bharat Sanchar Nigam Limited
BSUP	Basic Service for Urban Poor
BVS	Block vaccine store
CAD	Computer-aided Design
CAF	Common Application Form
CAGR	Compound Annual Growth Rate
CALC	Computer aided Learning Centre
CAMPA	Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority
CAP	Centre for Aromatic Plants
CAS	Common Application Software
CBAC	Context Based Access Control
CBE	Community Based Events
CBOs	Community Based Organisations
CBS	Core Banking System
CCMP	Cyber Crisis Management Technology
CCPs	Cold chain Points
CCTNS	Crime and Criminal Tracking Network & System
CCTV	Closed Circuit Television
CD RATIO	Credit Deposit Ratio
CDTP	Community Development through Polytechnics
CEA	Central Electricity Authority
CENTB	Center of Excellence in Mountain Biology
CGHS	Central Government Health Scheme
CGSSD	Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt
CGST	Centre Goods & Services Tax
CHCs	Community Health Centres
CII	Critical Information Infrastructure
CIPET	Central Institute of Plastics Engineering & Technology
CISF	Central Industrial Security Force
CISO	Chief Information Security Officer
CITIIS	City Investment to Innovative Integrated and Sustain
CLR	Commissionerate of Land Reforms
CMERI	Central Mechanical Engineering Research Institute
CMO	Chief Medical Officer
CMP	Comprehensive Mobility Plan
COVID	Corona Virus Disease
CPCB	Central Pollution Control Board

CPI-	Consumer Price Index
CSCs	Common Service Centres
CSIR	Council of Scientific & Industrial Research
CSO-	Central Statistics Office
CSP-	City Sanitation Plan
CSR-	Corporate Social Responsibility
CWC-	Central Water Commission
CWSN-	Children With Special Needs
DARC	Drone Application and Research Centre
DAY-NULM-	Deendayal Antodaya Yojana - National Rural Livelihood Mission
DBT-	Direct Benefit Transfer
DCCC	Dedicated Covid Care Centre
DCH-	Dedicated Covid Hospital
DCHC-	Dedicated Covid Health Centre
DCUs-	Departmental Commercial Undertakings
DDRC-	District Disability Rehabilitation Centre
DDUGJY-	Dean Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana
DEA-	Department of Economic Affair
DEDS-	Dairy Entrepreneurship Development Scheme
DES-	Directorate of Economics & Statistics
DGCA-	Directorate General of Civil Aviation
DGCIS-	Directorate of General of Commercial Intelligence and Statistics
DGFT-	Director General of Foreign Trade
DGPS	Differential Global Positioning System
DIC-	District Industries Center
DIDF-	Dairy Infrastructure Development Fund
DIET-	District Institute of Education & Training
DLRMP-	Digital India Land Record Modernisation Programme
DIPP-	Department of Industrial Policy and Promotion
DMRC	Delhi Metro Rail Corporation
DMS-	Distribution Management System
DMS-	Document Management System
DNA-	Direct Productive Activities
DPR	Detailed Project Report
DPS	District Project Societies
DQAS-	Daily Quick Audit System
DRI-	Differential Rate of Interest
DRIP-	Dam Rehabilitation Improvement Program
DSI-	Dynamic Systems Initiative
DST-	Department of Science & Technology
DSUCP-	Development of Smart Urban Cluster Project
DTH-	Direct To Home
DVS-	District Vaccine Store

DVS-	Dynamic Vapor Sorption
DWSM-	District Water and Sanitation Mission
EBB-	Educationally Backward Blocks
ECHS-	Ex-servicemen Contributory Health Scheme
EIA-	Environmental Impact Assessment
ECLGS-	Emergency Credit Line Guarantee Scheme
EEPC-	Engineering Export Promotion Council of India
EMI-	Equated Monthly Instalment
E-NAM-	E-National Agriculture Market
EODB-	Ease Of Doing Business Score
EPI-	Export Preparedness Index
E-POS-	Electronic Point of Sale
ERP-	Enterprise Resource Planning
ESI-	Employees State Insurance
ETS-	Electronic Total Station
eVIN-	Electronic Vaccine Intelligence Network
EV-	Electric Vehicles
EWS-	Economically Weaker Section
FC-	Fitness Certificate
FCI-	Food Corporation of India
FDR-	Fixed Deposit Receipt
FHTC-	Functional Household Tap Connection
FIDF-	Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund
FIEO-	Federation of Indian Export Organisation
FLCs-	Financial Literacy Centres
FMD-	Foot and Mouth Disease
FMS-	Facility Management Service
FPF-	Food Processing Fund
FPO-	Food Process Order
FPS-	Fair Price Shop
FRBM-	Fiscal Responsibility and Budget Management Act
FRP-	Fibre-Reinforced Plastic
FRTU-	Feeder Remote Terminal Unit
FSA-	Food Security Allowance
FSO-	Foundation for Sustainable Development
FSI-	Forest Survey of India
FSSAI-	Food and Safety Standards Authority of India
G to C-	Government to Citizen
GBPS-	Gigabits per second
GCF-	Green Climate Fund
GDI-	Gender Development Index
GDP-	Gross Domestic Product
GER-	Gross Enrolment Ratio

GFCF-	Gross Fixed Capital Formation
GIS-	Geographic Information System
GIS-	Gas Insulated Switchgear
GIHM-	Government Institute of Hotel Management
GLOF-	Glacial Lake Outburst Flood
GMVN-	Garhwal Mandal Vikas Nigam
GOI-	Government of India
GPDP-	Gram Panchayat Development Plan
GPS-	Global Positioning System
GSDP-	Gross State Domestic Product
GST-	Goods & Services Tax
GSVA-	Gross State Value Added
GVA-	Gross Value Added
GVO-	Gross Value Output
H-	Hectare
HARC-	Himalayan Action Research Centre
HCI-	Hyper Convergent Infrastructure
HDI-	Human Development Index
HDPE-	High Density Polyethylene
HDR-	Human Development Report
HIV-	Human Immunodeficiency Virus
HLDSC-	High Level Data Standard Committee
HMIS-	Health Management Information System
HOPE-	Helping Out People Everywhere
HP-	Horse Power
HPSEB-	Himachal Pradesh State Electricity Bill
HPPCL-	Himachal Pradesh Power Corporation Limited
HT-	High Tension
HTLS-	High Temperature Low Sag
HUF-	Hindu Undivided Family
HVDS-	High Voltage Distribution System
IAS-	Indian Administrative Services
ICAP-	Integrated Cluster Action Plan
ICDP-	Integrated Co-operative Development Programme
ICDS-	Integrated Child Development Scheme
ICT-	Information and Communications Technology
ICU-	Intensive Care Unit
IDA-	International Development Association
IEC-	Information, Education and Communication
IFAD-	International Fund for Agriculture Development
IFSR-	Indian Forest Survey Report
IGNOU-	Indira Gandhi National Open University
IGST-	Integrated Goods & Services Tax

IHM-	Institute of Hotel Management
IIFM	Indian Institute of Forest Management
ILSP-	Integrated Livelihood Support Project
ILR-	Ice Line Refrigerators
IMA-	Integrated Modal Agriculture
IMD-	Indian Meteorological Department
IMR-	Infant Mortality Rate
IMS-	Integrated Management Information System
INDC-	Intended Nationally Determined Contributions
ISBT-	Inter-State Bus Terminus
ISRO-	Indian Space Research Organisation
IT-	Information Technology
IIT-	Indian Institute of Technology
ITDA-	Information Technology Development Agency
IPCC-	International Panel on Climate Change
IPD-	In-Patient Departments
IPDS-	Integrated Power Development Scheme
IPHS-	Indian Public Health Standards
IPR-	Intellectual Property Rights
IRCTC-	Indian Railways Catering and Tourism Corporation
IRC-	Indian Roads Congress
IRS-	Incident Response System
ISAM-	Integrated Scheme for Agricultural Marketing
ISFR-	India State of Forest Report
ISM-	Indian School of Mines
ISO-	International Standards Organisation
IVDP-	Integrated Village Development Project
IWMP-	Integrated Watershed Management Programme
JEE-	Joint Entrance Examination
JICA-	Japan International Cooperation Agency
JJM-	Jal Jeevan Mission
JLG-	Joint Liability Group
JNNURM-	Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission
KCC-	Kisan Credit Card
KGBV	Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya
KMS-	Knowledge Management System
KVIVN-	Kamaan Mandal Vikas Nigam
KPIs-	Key Performance Indicators
KRC-	Key Resource Centre
KSY-	Kishori Shakti Yojana
kV-	Kilo Volt
KVIC-	Khadi and Village Industries Commission
LAN-	Local Area Network

LAP-	Local Area Plan
LBW	Low Birth Weight
LED-	Light Emitting Diode
LFPR-	Labor Force Participation Rate
LGD-	Local Government Directory
LIG-	Low Income Group
LPCD-	Liters Per Capita Daily
LT-	Low Tension
MAP-	Medicinal Aromatic Plants
MBA-	Master of Business Administration
MBBS-	Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery
MBPS	Megabits Per Second
MCP Card-	Mother & Child Protection Card
MDF-	Moderately Dense Forest
MDM-	Mid day Meal
MDT-	Multi Drug Therapy
MGNREGA-	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
MIF-	Micro Irrigation Fund
MIG-	Middle Income Group
MIS-	Management Information System
MLD-	Millions of Liters per Day
MLHP-	Mid Level Health Providers
MM-	Millimeter
MMR	Maternal Mortality Rate
MMS-	Miracle Mineral Solution
MNRE-	Ministry of New and Renewable Energy
MoRD-	Ministry of Rural Development
MOSPI-	Ministry of Statistics & Programme Implementation
MoU-	Memorandum of Understanding
MPCE-	Monthly Per Capita Expenditure
MPI-	Multidimensional Poverty Index
MPLS-	Multiprotocol label switching
MSBY-	Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana
MSC-	Multi Service Center
MSE	Micro Small Enterprises
MSME-	Micro Small & Medium Enterprises
MSP-	Minimum Support Price
MSW-	Municipal Solid Waste
MTR-	Mass Transit Railway
MU-	Mega Unit
MVA-	Mega Volt Ampere
MV Tax-	Motor Vehicle Tax
MW-	Mega Watt

NAAC-	National Assessment and Accreditation Council
NABCONS-	National Consultancy Services
NABH-	National Accreditation Board for Hospital
NABL-	National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories
NACO-	National AIDS Control Organisation
NAD-	National Asset Directory
NAMP-	National Air Quality Monitoring Programme
NAPDDR-	National Action Plan for Drug Demand Reduction
NAPSOC-	National Action Plan for Welfare of Senior Citizens
NAS-	National Assessment Survey
NCDC-	National Cooperative Development Corporation
NCDs-	Non-Communicable Diseases
NCERT-	National Council of Educational Research and Training
NCF-	National Curriculum Framework
NCIIPC-	National Critical Information Infrastructure Protection Centre
NCVT-	National Council of Vocational Training
NDMA-	National Disaster Management Authority
NDP-	Net Domestic Product
NDSI-	Normalised Difference Snow Index
NERS-	National Emergency Response System
NHAI-	National Highway Authority of India
NHM-	National Health Mission
NEET-	National Eligibility cum Entrance Test
NEFT-	National Electronic Fund Transfer
NEGP-	National e-Governance Plan
NFHS-	National Family Health Survey
NFSA-	National Food Security Act
NFSM-	National Food Security Mission
NHA-	National Health Authority
NHIDCL-	National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited
NHM-	National Health Mission
NIC-	National Informatics Centre
NIDA-	NABARD Infrastructure Development Assistance
NIE	National Implementing Entity
NIELIT	National Institute of Electronics and Information Technology
NIFT-	National Institute of Fashion Technology
NIH-	National Institute of Hydrology
NII-	National Information Infrastructure
NIMHANS-	National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences
NIOS-	National Institute of Open Schooling
NIP-	National Infrastructure Pipeline
NIRD-	National Institute of Rural Development
NIT-	National Institutes of Technology

NITI-	National Institution for Transforming India
NITRA-	Northern India Textile Research Association
NKN-	National College Network
NMAET-	National Mission on Agricultural Extension & Technology
NMET-	National Mineral Exploration Trust
NMHP-	National Mental Health Programme
NMHS-	National Mission on Himalayan Studies
NMOOP-	National Mission on Oilseeds and Oil Palm
NMR-	Neo Natal Mortality Rate
NMSA-	National Mission for Sustainable Agriculture
NOFN-	National Optical Fiber Network
NOHP-	National Oral Health Programme
NPA-	Non Performing Assets
NPCB-	National Programme for Control Blindness
NPCC-	National Project Construction Corporation
NPCDCS-	National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease and Stroke
NPEGEL-	National Programme for Education of Girls at Elementary Level
NPHCE-	National Programme for Health Care of the Elderly
NPP-	National Panchayat Portal
NPPCD-	National Programme for Prevention and Control of Deafness
NPS-	National Pension Scheme
NPV-	Net Present Value
NQM-	National Quality Monitors
NRDWP-	National Rural Drinking Water Programme
NRLM-	National Rural Livelihood Mission
NSS-	National Service Scheme
NSRMP-	National Seismic Risk Management Project
NSQF-	National Skills Qualifications Framework
NSSO-	National Sample Survey Office
NTEP-	National Type Evaluation Programme
NTFP-	Non-Timber Forest Products
NTPC-	National Thermal Power Corporation
NTRO-	National Technical Research Organization
NUHM-	National Urban Health Mission
NULM-	National Urban Livelihood Mission
NWMP-	National Water Quality Monitoring Programme
ODF-	Open Defecation Free
OF-	Open Forest
OFC-	Optical Fiber Cable
OMMAS-	Online Management Monitoring and Accounting System
OPD-	Out Patient Department
OPGW-	Optical Ground Wire

OPS-	Other Priority Sector
OTS-	One Time Settlement
PACCS-	Primary Agricultural Cooperative Credit Society
PACS-	Primary Agricultural Credit Societies
PAN-	Permanent Account Number
PCO-	Public Call Office
PCS-	Provincial Civil Services
PDF-	Portable Document Format
PE-	Provisional Estimates
PEQ-	Post Entry Quarantine
PESA-	Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act
PFC-	Power Finance Corporation
PFMS-	Public Financial Management System
PGCIL-	Power Grid Corporation of India Limited
PGS-	Participatory Guarantee System
PHC-	Primary Health Centres
PhD-	Doctor of Philosophy
PIC-	Patent Information Centre
PIU-	Project Implementation Unit
PKVY-	Paramparagat Krishi Vikas Yojana
PLFS-	Periodic Labor Force Survey
PMA-	Project Management Agency
PMAGY-	Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana
PMEGP-	Prime Minister's Employment Generation Programme
PMFBY-	Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
PMFME-	Pradhan Mantri Formalization of Micro food processing Enterprises
PMGDISHA-	Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan
PMGSY-	Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana
PMJAY-	Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna
PMJDY-	Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana
PMJJBY-	Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
PM-KMY-	Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojna
PMKSY-	Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana
PMKUSUM-	Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthan Mahaabhiyaan
PMKVY-	Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana
PMMVY-	Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana
PMMY-	Pradhan Mantri Mudra Yojana
PMSBY-	Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
PM-SYM-	Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan
PMU-	Project Management Unit
PNB-	Punjab National Bank
PODF-	Producers Organization Development Fund
POP-	Point Of Presence

PPU-	Prearranged Payment Deposit
PPP-	Public Private Partnership
PRASAD-	Pilgrimage Rejuvenation And Spiritual Augmentation Drive
PRD-	Pramiya Rakshak Dal
PRT-	Personal Rapid Transit
PSB-	Public Sector Banks
PTCUL-	Power Transmission Corporation Limited of Uttarakhand
PURNA-	Providing Ultra Rich Nutrition to Adolescent Girls
PVC-	Poly Vinyl Chloride
PWD-	Person With Disability
RAD-	Rapid Application Development
RAFTAR	Remunerative Approaches for Agriculture and Allied sector Rejuvenation
RAP-	Rural Authorized Person
RAPDRP-	Restructured Accelerated Power Development and Reforms Programme
RAS-	Recirculation Aquaculture System
RBF-	River Bank Filtration
RBSK-	Rashtriya Bal Swasthya Karyakram
RC-	Registration Certificate
RCH-	Reproductive and Child Health
RE-	Retained Fishmeal
RET-	Rare Endangered Threats
RERA-	Real Estate Regulatory Act
RFA-	Recorded Forest Area
RFID-	Radio Frequency Identification Data
RIDF-	Rural Infrastructure Development Fund
RKVY-	Rashtriya Krishi Vikas Yojana
RMSA-	Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan
RMU-	Ring Main Unit
ROB-	Railway Over Bridge
ROR-	Records of Rights
ROT-	Receive Only Terminal
RPL-	Recognition of Prior Learning
RRB-	Regional Rural Banks
RSETI	Rural Self Employment Training Institutes
RT DAS	Real Time Data Acquisition System
RTE-	Right To Education
RTGS-	Real Time Gross Settlement
RTI-	Research Triangle Institute
RTO-	Regional Transport Office
RUSA-	Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan
RUTF-	Ready to Use Therapeutic Food
RVs-	Recreational Vehicles
RVS-	Regional Vaccine Store

RVS-	Rapid Visual Screening
SAC-	Space Application Center
SAPCC-	State Action Plan on Climate Change
SBA-	Still Birth Awardees
SC-	Scheduled Castes
SCADA-	Supervisory Control And Data Acquisition
SCERT-	State Council of Educational Research & Training
SCSP-	Special Component Sub Plan
SCVT-	State Council of Vocational Training
SDGs-	Sustainable Development Goals
SDI-	Strategic Defense Initiative
SDMIS-	School District Management Information System
SDRF-	State Disaster Response Fund
SECC-	Socio Economic Cast Census
SECI-	Solar Energy Corporation of India
SFS-	State Food Scheme
SGFI-	School Games Federation of India
SGHS-	State Government Health Scheme
SGST-	State Goods & Services Tax
SJVNL-	Satluj Jal Vidyut Nigam Limited
SHC-	Soil Health Card
SHG-	Self Help Group
SIDCUL-	State Industrial Development Corporation of Uttarakhand
SIEMAT-	State Institute of Educational Management & Training
SIT-	Satellite Interactive Terminal
SLBC-	State Level Bankers Committee
SMA-	Special Member Account
SMAE-	Sub Mission on Agriculture Extension
SMAM-	Sub Mission on Agriculture Mechanization
SMPP-	Sub Mission on Plant Protection
SMSP-	Sub Mission for Seed and Planting
SNF-	Solids Non Fat
SNUSP-	Support to National Urban Sanitation Policy
SOC-	Social Overhead Capital
SOP-	Standard Operations Procedures
SPCB-	State Pollution Control Board
SPMRM-	Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission
SPS-	Specialist Pharmacy System
SQM-	State Quality Monitors
SRB-	Sex Ratio at Birth
SRLM-	State Rural Livelihood Mission
SRS-	Sample Registration System
SSA-	Sarv Shiksha Abhiyan

SSDG-	State Service Delivery Gateway
SSIs-	Small Scale Industries
ST-	Scheduled Tribes
STIs-	Sexually Transmitted Infections
STP-	Sewerage Treatment Plant
STPI-	Software Technology Parks of India
STSAO-	Short Term Seasonal Agriculture Operation
SVEP-	Startup Village Entrepreneurship Programme
SVS-	State vaccine store
SWAN-	State Wide Area Networks
SWIS-	Swasp and Wool Improvement Scheme
SWSM-	State Water and Sanitation Mission
TAC-	Technical Assistance Center
TB-	Tuberculosis
TEQIP-	Technical Education Quality Improvement Programme
TERI-	Tata Energy Research Institute
TFR-	Total Fertility Rate
THDC-	Tehri Hydro Development Corporation
TMP-	Training Management Portal
ToR-	Term of Reference
TPS-	Town Planning Scheme
TRC-	Technical Resource Centre
TSP-	Tribal Sub Plan
U5MR-	Under Five Mortality Rate
UA-URIP-	Uttaranchal Urban Reform Incentive Programme
UAV-	Unmanned Aerial Vehicle
UBRI-	Uttarakhand Biotechnology Research Institute
UBSE-	Uttarakhand Board of School Education
UCADA-	Uttarakhand Civil Aviation Development Authority
UCB-	Uttarakhand Council for Biotechnology
UCOST-	Uttarakhand Council of Science & Technology
UDID-	Unique Disability ID
UDISE-	Unified District Information System for Education
UDRP-	Uttarakhand Disaster Recovery Project
UDWDP-	Uttarakhand Decentralised Watershed Development Project
UGCIS-	Uttarakhand Geo Special Constituency Information System
UHND-	Urban Health and Nutrition Day
UIDAI-	Unique Identification Authority of India
UJS-	Uttarakhand Jal Sansthan
UJVNL-	Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited
UKAVP-	Uttarakhand Awas and Vikas Parishad
UKHDR-	Uttarakhand Human Development Report
UKHSDP-	Uttarakhand Health System Development Programme

UKPFMS-	Uttarakhand Public Financial Management System
UKSDI-	Uttarakhand Special Data Infrastructure
UKSDM-	Uttarakhand Skill Development Mission
UKSSSC-	Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission
ULDB-	Uttarakhand Livestock Development Board
UMANG-	Unified Mobile Application for New age Governance
UMTC-	Urban Mass Transit Company
UNDP-	United Nation Development Programme
UPCL-	Uttarakhand Power Corporation Limited
UPHC-	Urban Primary Health Centre
UPNRM-	Umbrella Programme for Natural Resources Management
UPSIDC-	Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation
UREDA-	Uttarakhand Renewable Energy Development Agency
URI-	Urban Reform Incentive Programme
URMIS-	Uttarakhand River Morphological Information System
URRDA-	Uttarakhand Rural Roads Development Agency
USAC-	Uttarakhand Space Application Centre
USAAPA-	Uttarakhand Social Audit Accountability and Transparency Agency
USDMA-	Uttarakhand State Disaster Management Authority
USERC-	Uttarakhand Science Education and Research Centre
USRLM-	Uttarakhand State Rural livelihood Mission
USWAN-	Uttarakhand State Wide Area Network
USWDB-	Uttarakhand Sheep and Wool Development Board
UTDB-	Uttarakhand Tourism Development Board
UTGST-	Union Territory Goods and Service Tax
UTITSL-	UTI Infrastructure Technology and Service Limited
VAT-	Value Added Tax
VDF-	Very Dense Forest
VHSNC-	Village Health, Sanitation and Nutrition Committee
VLTD-	Vehicle Location Tracking Device
VRA-	Vulnerability and Risk Analysis
VWSM-	Village Water and Sanitation Mission
WASH-	Wash Sanitation and Hygiene
WLL-	Wireless Local Loop
WPI-	Wholesale Price Index

अध्याय–1
उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन
Overview of the Economy of Uttarakhand

1. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

1.1 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2020–21 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार –7.3 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई है जबकि वर्ष 2021–22 में विकास दर 9.2 प्रतिशत रहने की सम्भावना है।

1.2 वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वर्ष 2020–21 में ₹ 197.46 लाख करोड़ तथा वर्ष 2021–22 में अनुमानतः ₹ 222.10 लाख करोड़ आंका गया है। स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2011–12) पर GDP वर्ष 2020–21 में ₹ 135.13 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2021–22 में अनुमानतः ₹ 147.54 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।

1.3 वर्ष 2021–22 के दौरान मुख्य संकलन में वृद्धि मुख्यतः खनन एवं उत्खनन क्षेत्र (14.2 प्रतिशत), विनिर्माण क्षेत्र (12.5 प्रतिशत), व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार सेवाएं (11.6 प्रतिशत), सार्वजनिक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं (10.7 प्रतिशत) वित्तीय, रियल एस्टेट एवं पेशेवर सेवाएं (10.7 प्रतिशत), बिजली, गैस, पानी और अन्य उपयोगी सेवाएं (6.5 प्रतिशत) तथा रियल एस्टेट एवं पेशेवर सेवाएं (4.0 प्रतिशत) तथा कृषि, वन व मत्स्य क्षेत्र में (3.6 प्रतिशत) में अनुमानित है।

1.4 संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2021–22 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 21.31 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 25.08 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 53.61 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

1.5 प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020–21 में ₹ 1,28,629 थी, जो वर्ष 2021–22 में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 1,50,326 होने का अनुमान है।

उत्तराखण्ड की आर्थिक स्थिति

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था कृषि, बागवानी, पशुपालन, वन, खनन, विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, होटल, व रेस्टोरेंट तथा अन्य सेवा क्षेत्रों पर निर्भर है। इन सेवाओं के उत्पादन में उतार–चढ़ाव की व्यापक अर्थव्यवस्था पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण के साथ पर्यटन, तीर्थाटन, योगा उद्योगीकरण एवं अन्य उद्यमों के न केवल इतिहासी महत्व में वृद्धि हुई अपितु राज्य की अर्थव्यवस्था में व्यापक रोजगार देखने के लिए है जिस कारण प्रदेश एक सशक्त अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है।

2. राज्य कार्य एवं लोक वित्त

2.1 **राज्य की विकास दर** में वर्ष 2020–21 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार – 4.42 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई जबकि वर्ष 2021–22 में इसमें 6.13 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है।

2.2 वर्ष 2020–21 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार **प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद** ₹ 2,34,660 करोड़ आंकलित किया गया है जिसकी तुलना में वर्ष 2021–22 में यह ₹ 2,55,632 करोड़ रहने का अनुमान है।

2.3 **स्थिर भावों (2011–12) पर सकल घरेलू उत्पाद (अनन्तिम)** वर्ष 2020–21 में ₹ 1,76,912 करोड़ आंका गया जो वर्ष 2021–22 में बढ़कर ₹ 1,88,682 करोड़ अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

2.4 वर्ष 2021–22 में **राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर** का विश्लेषण करने पर निर्माण (11.61 प्रतिशत), रजिस्ट्रेशन, मण्डारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं (11.60 प्रतिशत), व्यापार सम्बन्धी, व्यापार तथा वित्तीय एवं व्यावसायिक सेवायें (10.00 प्रतिशत), अन्य क्षेत्र (10.13 प्रतिशत) तथा खनन, होटल एवं अन्य उद्योग (9.63 प्रतिशत) में अच्छी वृद्धि दर आंकी गई है जबकि सिंचित क्षेत्र (4.26 प्रतिशत) तथा बिजली, गैस, पानी और अन्य उपयोगी सेवाओं (2.38 प्रतिशत) में निम्न वृद्धि दर आंकी गई है।

2.5 राज्य की अर्थव्यवस्था एवं संरचनात्मक रूपांतरण वर्ष 2021–22 में आर्थिक अनुमानों के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 12.11 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 44.87 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 43.02 प्रतिशत रहा है।

2.6 वर्ष 2020–21 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय (अनुमानित) ₹ 1,62,848 आंकी गई, जबकि वर्ष 2021–22 में यह ₹ 1,86,252 अनुमानित है।

2.7 वर्ष 2021–22 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल वसूल योग्य ऋण ₹ 44,151 करोड़ है जो कि वर्ष 2020–21 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार ₹ 37,011 करोड़ से 19.29 प्रतिशत अधिक है।

2.8 केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2021–22 (बजट अनुमान) में ₹ 7440.68 करोड़ आंका गया है।

3. बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थागत ढांचा

3.1 राज्य में कुल 2,382 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है जिसमें से 489 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों, 22.07 अर्द्धशहरी क्षेत्रों तथा 20.64 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। इनमें से 1188 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 547 शाखाएं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में तथा 665 शहरी क्षेत्र में स्थित हैं।

3.2 जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में प्रति शाखा औसत जनसंख्या 4,217 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 11,271 है। 31 मार्च 2022 तक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कुल 1388 शाखाओं का नेटवर्क है। एस.बी.आई. की सबसे ज्यादा 441, पी. एन.बी. की 287 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 134 शाखाएं हैं। निजी क्षेत्रों के बैंकों का 408 शाखाओं का नेटवर्क है। शेष शाखाएं अन्य बैंकों से सम्बन्धित हैं।

3.3 जिलेवार बैंक शाखाओं से प्रभार के संदर्भ में पेरमबदूर जिले में सबसे अधिक 275 बैंक शाखाएं तथा अरियालूर में सबसे कम 66 बैंक शाखाएं हैं। वित्तीय बैंकों द्वारा 31 मार्च, 2022 तक 2625 ए.टी.एम. स्थापित किए गए हैं।

3.4 शाखा के आधार पर जनपद तेंकासी, तूतुकुडि एवं तिरुनेलवेली में सबसे अधिक बैंकिंग आच्छादित हुआ है, तथा चेन्नई, कांचीपुरम, कड्डालूर एवं रामनाथपुरम में सबसे कम बैंकिंग आच्छादित हुआ है। साथ ही अन्य-जिला अनुसूचित सबसे अधिक जनपद डिण्डीगुल तथा, करूर, तथा तिरुवूर में है। सबसे कम अन्य-जिला अनुसूचित तंजावूर, रामनाथ एवं पेरंबलूर में है।

3.5 प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अन्तर्गत बैंकों द्वारा इस योजना के आरम्भ (28.08.2014) से लेकर 31 मार्च, 2022 तक 30,39,442 खाते खोले गये हैं, जिसमें से 22,86,147 (75.21%) खाता धारकों को रूपे (Rupay) डेबिट कार्ड दिये गये हैं तथा 20,88,242 (78.07%) खातों को आधार संख्या से जोड़ा गया है।

3.6 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 01.04.2021 से 31.03.2022 तक 22,62,442 खातों को नामांकित किया गया है। प्रधान मन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत 01.04.2021 से 31.03.2022 तक 5,30,149 खातों को नामांकित किया गया है।

3.7 प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अन्तर्गत बैंकों द्वारा तमिलनाडु में 31 मार्च 2022 तक 2,03,787 नए खुले खातों में 2398.83 करोड़ का ऋण संवितरित किये गये हैं।

3.8 किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 तक बैंकों द्वारा सहकार की सुविधाओं से लाभान्वित किसानों को कुल 3,54,022 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं, जिसमें से इस वित्तीय वर्ष में 77,029 नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं।

4. समाधान

4.1 वर्ष 1913– दिनांक 09 नवम्बर, 2021 को राज्य के अधिकांश भाग में पहला एवं दूसरा एवं 2020–2021 में प्रथम वर्ष लगभग 233 मिलीमी था, जो कि वर्ष 2021–22 तक लगभग 56 कुल लगभग ₹ 12,873.86 करोड़ है 4,808.04 करोड़ अतिरिक्त अनुमानित सहित) दी गया है।

4.2 राज्य का वित्तीय वर्ष 2020–21 में रिट्रोस्पेक्टिव प्रोडक्शन एवं मैनुफेक्चरिंग तथा इनके साथ ही साथ वर्ष को खोलते हुए कुल ₹ 9,349.78 करोड़

है 4,811.87 करोड़ प्रतिदिन व लोन सब्सक्राइब सहित) का राजस्व अर्जित किया गया है, जबकि इसके समेकित वित्तीय वर्ष 2021-22 में (सिंक्रोनिज्ड लॉकडाउन एवं नैचुरल गैस टच्या रेवाड़ा पर प्रभाव कर लें जोड़ते हुये) कुल ₹ 0.862.44 करोड़ है 4,808.04 करोड़ प्रतिदिन व लोन प्रतिदिन सब्सक्राइब सहित) का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि गत वर्ष से लगभग लगभग 16 प्रतिशत अधिक है।

4.3 राज्य कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीएसटी0 की परिधि से बाहर रखे गये पेट्रोलियम (पेट्रोल, डीजल, ऐ0टी0एफ0 एवं नैचुरल गैस टच्या रेवाड़ा) पर कुल ₹ 1,288.04 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है, जबकि इसके समेकित वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सब्सक्राइब पर कुल ₹ 2,221.42 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि गत वर्ष के लगभग लगभग 24.38 प्रतिशत अधिक है।

4.4 वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य कर विभाग द्वारा जीएसटी0 व वैट (Non GST) में लगभग ₹ 5,200 करोड़ तथा ₹ 2,150 करोड़, इस प्रकार कुल ₹ 7,350 करोड़ (प्रतिदिन व लोन सब्सक्रीब को जोड़ते हुये) राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया था। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीएसटी0 व वैट में लगभग ₹ 5,572.40 करोड़ तथा ₹ 2,202.33 करोड़, इस प्रकार कुल ₹ 8,785.81 करोड़ का राजस्व राज्य को प्राप्त हुआ है, जो गत वर्ष 2020-21 में प्राप्त राजस्व ₹ 6,324.12 से 30.70 प्रतिशत अधिक है।

4.5 वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य कर विभाग द्वारा कुल ₹ 13,887.01 करोड़ का जर (CGST+IGST+ SGST+CESS) संग्रह किया गया जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की इसी अवधि में किये गये जर (CGST + IGST + SGST + CESS) संग्रह ₹ 12,338.77 करोड़ से 11 प्रतिशत अधिक है।

4.6 वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगाया एवं निष्पादन विभाग को प्राप्त आय (क्रेडिनाल से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर) ₹ 1167.04 करोड़ थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त आय ₹ 1467.69 करोड़ रही, जो कि गत वर्ष की तुलना में 24.40 प्रतिशत अधिक है।

4.7 आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में दौरान विदेशि मदिरा लगभग ₹ 3,461.37 करोड़ के सापेक्ष ₹ 3,017.34 करोड़ का राजस्व संग्रह किया गया, जबकि वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्य ₹ 3,202.00 करोड़ के सापेक्ष ₹ 3,260.35 करोड़ का संग्रह किया गया। लक्ष्यानुसार निर्धारण प्राप्त संग्रह किये जाने वाला राजस्व हरियाणा राज्य को प्राप्त राजस्व का 18 से 19 प्रतिशत के लगभग रहता है।

5. पारदर्शकता में बहुआयामी निर्णयता एवं सतत विकास लक्ष्य

5.1 बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त लगभग पीसियों के पहले क्रम में उत्तराखण्ड कुल 15 वें स्थान पर रहा। राज्य में 17.72 प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी निर्धन है। 28.66 प्रतिशत ग्रेड जनसंख्या पैरिटी के साथ असमानता जनसंख्या से सर्वाधिक निर्धनता है तथा यह दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। जनपदों में सर्वाधिक ग्रेड में समाविष्ट निर्धनता उत्तरकाशी में 29.09 प्रतिशत तथा सर्वाधिक ग्रेड में सर्वाधिक निर्धनता चम्पावत जनपद में 26.00 प्रतिशत रही।

5.2 पहाड़ी जिलों तहों की प्रगति गणना हेतु एसडीजीआई डैशबोर्ड विकसित है। एसडीजीआई0 डैशबोर्ड के अन्तर्गत जनपदवार 125 सर्वसंकेतों के आधार पर जनपदवार इंडेक्स तैयार किया गया।

5.3 राज्य द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति की गई है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा जारी एसडीजीआई की रैंकिंग के अनुसार राज्य की वर्ष 2018 में 11 वें रैंक थी, जो वर्ष 2019 में चौथी हो गयी तथा वर्ष 2020 में पाँचवीं रैंक हो गयी।

6. माल संव्यवहार

6.1 उत्तराखण्ड राज्य में GTI (लदुका) तैयार करने हेतु वर्ष 2017-18 को आधार वर्ष निर्धारित करने हेतु 8 लदुकों को मद निर्धारण करने के लिए item basket तैयार कर ली गयी है। इसके लिये राज्य की कुल 74 व्यापारिक बाजारों (36 ग्रामीण एवं 40 नगरीय) से लगभग 500 दुकानों के भाव एकत्रित किये गये।

6.2 GPI (लदुका) तैयार करने हेतु सभी लदुकों को 9 उप लदुकों (Sub-groups) में वर्गीकृत करते हुये

भारित (Weighted) किया गया है, जहां इसे सेवा प्रदाता [कुल भार 45.06%]; कर, लेखांकन और कराधान [कुल भार 2.38%]; कपड़े और जूते [कुल भार 6.53%]; आवास [कुल भार 10.07%]; ईंधन और प्रकाश [कुल भार 6.84%] तथा अन्य वस्तुएं [कुल भार 28.52%]। सूचकांक निर्माण में खाद्य एवं गैर खाद्यों तथा भार संशोधित होने से संबंधित इनके मार्गों में परिवर्तन मुद्रास्फीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

6.3 राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2021 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) के आधार जनवरी 2021 में मुद्रास्फीति की दर (+) 4.06 प्रतिशत थी जो दिसम्बर 2021 माह में अधिकतम रूप 5.66 प्रतिशत पर अनुमानित रही। इसके साथ राज्य ने वर्ष 2021 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह फरवरी 2021 में मुद्रास्फीति की दर (-) 5.67 प्रतिशत के साथ तय की, जो माह दिसम्बर में 5.83 प्रतिशत पर अनुमानित रही।

7. खाद्य, आर्थिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

7.1 इकोसिस्टम्स ऑफ़ गवर्नेंस के अन्तर्गत राज्य के 9232 गांवों में इनकी को सीएससी (Common Service Centre) के माध्यम से सिटिजन इनेबलेटर के रूप में ऑपरेट किया गया है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण सिलेण्डरों को गैसएजेन्सी के माध्यम से निःशुल्क सैनेटरी, पिंटर, तथा आधारभूत डिजिटल उपलब्ध कराये गये हैं। इसका संचालन भी इनकी के माध्यम से ऑफलाईन/ऑनलाईन प्रोजेक्शन किया जा रहा है।

7.2 राज्य के समस्त अन्तर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों एवं राज्य खाद्य योजना के लगभग 24000001 राशन कार्डों को सार्वजनिक वितरणप्रणाली नामों पुर्ण प्रणाली राशन कार्ड तथा पूर्णित को आधार से लिंक किया गया है। सभी राशन कार्ड ऑनलाईन आधार आथेन्टिकेशन के उपरान्त ही बनाये जा रहे हैं।

7.3 सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत वेब पोर्टल से राज्य के सभी 181 आधारिक गोदामों तक खाद्यान्न, इनपेक्ट उपभोक्ता, दूध पदार्थ, सिलेंडर व राशन सिलेण्डरों का वितरण ऑनलाईन किया जा रहा है।

7.4 खाद्य भोजन तन संरक्षण कराई जोधपुर राज्य में माह फरवरी, 2020 से लागू की गयी है, जिसके माध्यमसे खाद्यसंरक्षा तथा देश के अन्य राज्यों से जुड़ा गया है। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्डधारकों को एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक जनपद से दूसरे जनपद में किसी भी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दी गयी है।

7.5 मुख्यमंत्री दाल प्रोत्साहित योजना के अन्तर्गत राज्य में जनवरी, 2020 तक राज्य खाद्य योजना के लगभग 24000001 राशन कार्डधारकों को चनेसाईज़ दाल का 01 किलोग्राम दाल मासी लाभ प्रतिमाह उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना से उपभोक्ताओं को पहाड़ी से दाल तथा प्रोटीनयुक्त खाद्य से पोषण की प्राप्त हो रहा है।

7.6 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 'V' 2021-22 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत NFSA के अन्तर्गत अन्तर्योजना एवं अन्तर्गत परिवार राशनकार्ड धारकों को खाद्य दिये जाने के उद्देश्य से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के अतिरिक्त माह दिसम्बर, 2021 से मार्च, 2022 तक प्रति यूनिट प्रति माह निःशुल्क 05 किग्रा खाद्यान्न (दो सिलेक्ट चावल/05 किग्रा गेहूँ) उपलब्ध कराया गया। जिसके अन्तर्गत कुल 800000.440 मैट्रिक टाइल तथा 742586.800 मैट्रिक गेहूँ का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों को किया गया।

8 कृषि, पशुधन एवं उद्यान

8.1 माहन सरकार द्वारा किसानों को आय सम्बन्धी सहायता दिये जाने हेतु हर-प्रतिमाह सहायता के रूप दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 से 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान)' योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत राज्य किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रति वर्ष ₹ 6000 (तीनों ₹ 2,000 माह) की धनराशि ₹ 2000 (तीन ही हजार रुपये) की तीन समान किस्तों में प्रदान की जा रही है।

8.2 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में माह मार्च 2022 तक 99011 कृषकों का बीमा किया गया। वर्ष 2021 में 21468.56 हे. क्षेत्रफल

से अनुमोदित 143.36 करोड़ का बैंक लिंक्ड लक्ष्य है।

8.3 राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की सूचना के अनुसार माह मार्च, 2022 तक 50855 विशाल डेबिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किए गए।

8.4 मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत पूर्व स्वास्थ्य में सुधार हेतु प्रदेश के समस्त नागरिकों को घोषों की निःशुल्क जाँच करते हुये उनके नियमित मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। योजना के प्रथम चरण (वर्ष 2013-2016 से 2016-17) में 7,55,610 कुल लाभान्वित कार्ड वितरित किये गये हैं। योजना के द्वितीय चरण (वर्ष 2017-18 एवं 2018-19) में 8,82,707 कुल लाभार्थी कार्ड वितरित किये गये हैं।

8.5 राज्य में पुरानी जो सड़कों को बढ़ावा देने एवं मुख्य जनपदों इनसे जोड़ने हुई नाम तक दिल्ली/ राजधानियों का बनाना नजदीक होगा है। राज्य गठन के समय मात्र 150 कि0 मी सुधरी की सड़कें होती थी, जो वर्तमान में लगभग 1606.31 कि0 मी गयी हैं।

8.6 राज्य में शोध उत्पादन क्षमता पर पहलम द्वारा फसले एवं वनस्पतियों से व्यवसायिक लाभ के लिये मौलिकाल विकास एवं कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री वरदान के अन्तर्गत व्यक्तिगत कौशलकर्मों को प्रशिक्षणोपरान्त पूंजी हेतु मौलिकारों को प्रशासन हेतु ऋणों में लाभों हेतु सब्सिडाइज्ड की जा रही है।

8.7 माह सरकार के दिशा निर्देशन में प्रदेश में पुर्नगठित संसद ग्रामीण कलस्टर योजना (संजय खरीफ (मक्का-आलू, अदरक, हल्दर, विभे एवं हॉकीन) एवं रबी पैकज (गेंहू, आलू, चलता, सरसों, मौसमी, अलसी, सौंफी, आलू, उत्पादन एवं मार्ग) हेतु संचालित है। वर्तमान सन्दर्भ के अन्तर्गत में अब तक कुल 210824 कृषकों द्वारा आवेदन कराकर का दीप सराहा गया है एवं ₹ 3504.11 लाख का क्लेम 201202 कृषकों को उपलब्ध कराया गया।

8.8 माह सरकार के 80 प्रतिशत ग्रामीण सरपोर्ट से संचालित इस योजनान्तर्गत जिलाई की समुचित व्यवस्था करते हुए पौधों की आवश्यकतानुसार खरीद व वन पोषक सभी को वंचित करना में सुनिश्चित कराने हेतु उद्यानाश्रम में कृषि औद्यानिक एवं वनस्पति कृषकों को हिंद इरीगेशन व सिंगापुरन इरीगेशन विभिन्न कुल स्थापना पर आवश्यकता को उपलब्ध कराया जाता है।

8.9 पशुपालन कृषि विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देने हेतु जिला के अन्तर्गत 1241 बकरियों का चयन कर वितरणपत्र प्रदान किया गया है, जिसमें लगभग 24,821 दैव संरक्षित एवं 57584 कृषकों का चयन किया गया है।

8.10 राज्य में ₹ 100-100 करोड़ की लागत से राजधानी कुल एवं हवेल राजों उपलब्ध हरिद्वार में स्थापित दे तथा दुग्ध विभाग गया कुल पर्वत, नहुआखेड़ा, बाजीकुल, आम्रसेंडसर में स्थापित किया गया है।

8.11 वित्तीय-18 से दौरान राज्य में पहाड़ आये हजारों एवं उत्तराखण्ड राज्य में पूर्व से स्थापित्यों से जुड़े कृषकों एवं कम लागत में उत्पादन एवं आय हेतु राज्य सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना' संचालित करते हुए वर्ष 2021-22 में ₹ 1703.01 लाख का प्रावधान किया गया है।

8.12 राज्य के माह मार्च तक कुल 577 कैटेजकर्ता में उपेक्षित 210 के सभा में प्रतिनिधित्व कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त माह कारखाने से वैधिक माह की दरें दोहों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे वैधिक माह तैयार की जा रही है।

9. सहकारिता

9.1 सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु अनुदान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 50 प्रतिशत कार्यक्रम आयोजित कर 1500 प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाना लक्षित किया गया।

9.2 उपरोक्त परियोजना एवं कार्य सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में 5731 सीड एवं उर्वरक वितरण किया गया। वर्ष 2021-22 में योजना के संचालन हेतु प्रस्तुपित ₹ 125.00 लाख के सापेक्ष रबी अभियान धनराशि लाख की गयी लाख कुल 116514.617 क्विंटल रबाणन उत्पादन का वितरण किया गया।

9.3 दीनदयाल उपाध्याय विपणन कल्याण योजना के अन्तर्गत कृषि उत्पाद में कमी तथा गोदामों को

[illegible] पर से सहकार से जुड़ने किसी जाने के उद्देश्य से प्रदेश के जिलों, ब्लॉक एवं बी.पी.एल. कुटुम्बों में अनुमानतः को ₹ 1.00 लाख तक एवं सभी खाताधारक समूहों को ₹ 5.00 लाख तक की व्यापक सहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

9.4 राज्य पोषित सहकारी विकास परियोजना (एस.सी.डी.पी.) द्वारा जिला परिषदों के अन्तर्गत "सहकार से समृद्धि एवं 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य हेतु राज्य के सर्वांगीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों के हो रहे पलायन, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन एवं युवकों के जीवन स्तर में सुधार जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के माध्यम से "राज्य उत्तरांचल सहकारी विकास परियोजना" क्रियान्वित की जा रही है।

10 पशुधन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य

10.1 उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 14 लाख परिवार ग्रामीण क्षेत्र में रहते है जिनमें से अधिकांश का मुख्य भरण-पोषण कृषि एवं पशुपालन है। उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 44.22 लाख पशु एवं 30.18 लाख कुक्कुट पक्षियों (वर्ष 2019 की पशुगणना के अनुसार) की विविधता एवं संख्या सुलभ, उन्नत जनन की सुविधा उपलब्ध कराने, पेय विकास के जिलों का पुनर्गठीकरण, कुक्कुट विकास एवं खरा विकास जैसे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर राज्य में दुग्ध, अण्डा, मांस एवं ऊन उत्पादन में वृद्धि कर बर्फीला व ठंडा की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है।

10.2 राज्य में 10000 से अधिक गैर/अवनी ग्रामवासी, जिनमें 6500 से अधिक महिला पशुपालक है को "ग्रामीण सहकारी समिति (PAIS) के रूप में संगठित करते हुए बकरी पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ग्रामीण सहकारी समिति के उद्देश्यों के साथ Contractual Farming and Buy Back अनुबन्ध पर बकरियों क्रय कर गैर पर्वतीयजनों को उच्च गुणवत्ता का मांस, HIMI Himalayan Goat Meat– BAKRAW उपलब्ध कराया जा रहा है।

10.3 भारत सरकार के सहयोग से पलायन आयोग, उत्तराखण्ड, आजीविका एवं विदेशी से इनोवेटिव ग्रामीण विकास योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ब्लाक के 02 विकासखण्डों में 200–200 कृषकों को 200–200 एक माह आयु के कुक्कुट चूजे प्रदान कर लाभान्वित किया जा रहा है।

10.4 बजट में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने वाले के उद्देश्य से योजनान्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को 5.00 प्रतिशत ब्याज/अनुदान देते हुये कृषकों की सुरक्षार्थ का दूध देने वाले समिति सदस्यों को ₹ 1.00 प्रति लीटर तथा 7.50 से 7.00 प्रतिशत ब्याज/अनुदान की सुविधा का दूध देने वाले समिति सदस्यों को ₹ 3.00 प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करायी जाती है।

11. वन तथा पर्यावरण

11.1 इसी दृष्टिगत संवेदनशील क्षेत्रों की ऐसी व्यावहारिक योजना है जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदाय की सम्पन्नशील सहभागिता पर आधारित हो एवं उनके हितों की रक्षा करती हो। प्रदेश में 26 राष्ट्रीय उद्यान, 07 वन्य जीव विहार तथा 06 संरक्षण आरक्षित है। इसके अतिरिक्त राज्य क्षेत्रों में 14 इको टूरिज्म परियोजना चिन्हित है।

11.2 उत्तराखण्ड वन उत्पादन उन्नयन परियोजना (उत्कर्ष परियोजना) के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 से वर्तमान पहाड़ोन्मुखी योजना उत्तराखण्ड वन उत्पादन उन्नयन परियोजना (उत्कर्ष परियोजना) प्रारम्भ की गयी। परियोजना की कुल लागत ₹ 807 करोड़ है तथा परियोजना 08 वर्ष में 250 वन पंचायतों में कार्य करेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत Eco-restoration हेतु 37500 है० (50 है० प्रति वन पंचायत) क्षेत्र लिया गया है। इस प्रोजेक्ट के संचालन हेतु 'प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट इकाई (देहरादून) स्थापित की जा चुकी है।

11.3 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड राज्य उन्नतबीजों से खेती की सुरक्षा योजना वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ की गयी "मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड राज्य उन्नतबीजों से खेती सुरक्षा योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के अन्त–नवम्बर प्रावधान ₹ 200.00 लाख के सापेक्ष माह नवंबर, 2022 तक ₹ 150.00 लाख का व्यय किया गया है।

11.4 पुनरुद्धार (मिशन) उच्च पर्वतीय क्षेत्र में "ट्रेक-लाइन" एवम "लो-लाइन" के बीच में पाये जाने वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में घटे की वृष्टि से व उच्च "मेडिसिनल" मूल्य की महत्वपूर्ण अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं।

11.5 प्रोजेक्ट एलीफेन्ट योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 90 :0 (नब्बे:दस अनुपात) के अनुपात में वित्तीयी सहयोग दिया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के लाभ–व्यवहार पत्रकान में 889.00 लाख का आय–व्यय प्रावधान किया गया है जिसमें फरवरी माह मार्च, 2022 तक ₹ 250. 00 लाख का व्यय किया गया है।

11.6 राज्य के भारत जानवरों वेहराहून, हरिद्वार, नैनीताल तथा उधमसिंह नगर में वन्यु पुनर्वास केन्द्र स्थापित हैं। जहाँ पर गैरकानूनी रूप से पीहरण्ड 10, पैंगोलिन 2.5, तेन्दुआ आई ऑफ्लाइज तथा नाईट्रेक्स आक्टाईड के पूर्व निर्धारित पात्रकों के व्यक्ति द्वैनिक आहार का वन्यु की सुरक्षात्मक का सहन किया जाता है।

12. जल संरक्षण एवं प्रबन्धन

12.1 ग्रामीण पेयजल : भारत सरकार द्वारा संचालित आई एम आई एस वेबसाइट के अनुसार राज्य में दिनांक 01.04.2021 को कुल 16756 बस्तियां हैं, जिसमें पेयजल से 10,468 बस्तियां आंशिक रूपेण (Partially Covered), 19,288 बस्तियां पूर्णत: रक्षित (Fully Covered), तथा 33 बस्तियां जल सुरक्षित अन्तर्गत हैं।

12.2 भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "हर घर जल मिशन" में "हर घर नल से जल" के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक सम्पन्न ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल संयोजन FHTCs (Functional Household Tap Connections) उपलब्ध कराना लक्षित है। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित आधार पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजापित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जाना है।

12.3 IMIS (Integrated Management Information System) पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिनांक 31.03.2021 तक 6,49,421 परिवारों को घरेलू क्रियाशील नल संयोजन (FHTCs) उपलब्ध कराये जा चुके थे। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिनांक 31.03.2022 तक 2,80,786 FHTCs दिए जा चुके है। इस प्रकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं को कुल 9,29,209 FHTCs (91.27%) प्रदान किए जा चुके हैं तथा 5,87,000 परिवारों को FHTCs से संबंधित पेयजल उपलब्ध कराना शेष है।

12.4 शहरी स्थानीय निकाय–वर्ष के अन्तर्गत (94 नगरीय क्षेत्र) : उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा 15 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है, जबकि 7 योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य कार्यादेश तथा संविदा के अन्तर्गत है। उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा 15 योजनाओं में कुल लक्ष्य का 63 योजना पूर्ण कर ली गई है तथा मार्च 2022 तक 2348 व्यक्तियों घरेलू नल संयोजन प्रदान किए जा चुके है।

12.5 नगर पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक शहरी क्षेत्र में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (lpcd Per Capita Daily- LPCD) है। उत्तराखण्ड में कुल 133 नगरीय निकाय है, जिनमें से 86 नगर निगम, 42 नगर पालिका परिषद एवं 54 नगर पंचायतें है। इनमें से 76 नगरों में आपूर्ति 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (lpcd Per Capita Daily- LPCD) से कम है, जिसके प्रमुख कारण के प्रथमिकता के आधार पर उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा 38 नगरों हेतु बहुत महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के अन्तर्गत ₹ 1800.00 करोड़ लागत की परियोजनाएं प्रस्तावित है।

12.6 भारत सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा नदी की मुख्य धारा पर स्थित 15 नगरों ऋषिकेश, हरिद्वार, कनखल, श्रीनगर, देवप्रयाग, मुनि की रेती, नरेन्द्रनगर, चौरीखाल, पौड़ी, गुलाबराय, डालनवाला, कण्डीखाल, गोपेश्वर–चमोली, जोशीमठ, उत्तरकाशी एवं ऋषिकेश में गंगा नदी की सफाई एवं अपशिष्ट की रोकथाम हेतु परियोजना ₹ 913.71 करोड़ की 22 योजनाओं में से 20 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके है। इन 22 योजनाओं के अन्तर्गत 131.07

एम्फ्लाइवीए (मैक्सिमम लीवर इंटेंसिटी लिन्ड) क्षमता के 2,500 मेगावाट डीजलीकृत ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के सापेक्ष 123.17 एम्फ्लाइवीए क्षमता के 31 कॉरिडोर ट्रांसमिशन प्लान का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

12.7 नेशनलाईन कंपैरेटर आउट के एवजान की कार्यरत परिसंपत्ति ऐसे थे जो कि नेशनलाईन सप्लिमेंट से रिटेनिंग कानूनों से सम्मिलित नहीं हो पाये थे। ऐसे परिवार जो पूर्व हुई परिसंपत्ति (LoB), कंपनी की परिवार लायलवर्षीय = राज्य (NeLB), अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धि से करार 4.5 हुए परिसरों को एवज-दरम्यान पर स्वच्छ पावर मिशन (SAMEER) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 तक वित्तपोषण सुविधा से आच्छादित किया गया।

12.8 पंजाबि राज्य के अन्तर्गत राज्य भारी उद्योग इकाई सहायक कंपनियों के किसानों आवश्यक राजस्व मंडल के कुल 97 जनपदों की 132 ग्राम पंचायतों (जो नई ग्राम पंचायतों सहित कुल 134) में से 80 ग्राम पंचायतों भारतमालिका में आने से कारण खुला किए जाने के अलावा अवशेष 134 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष कुल 124 ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण किया गया है, 02 ग्राम पंचायतों में कार्य गतिमान है।

12.9 राज्य ने एर्थिंग अनुमतियों के अनुसार सत्तासमाकंद राज्य का कुल शुद्ध बीज पंजा संवेदक लक्ष्यण 8.65 लाख है। है, जिसमें सिंचाई सिंचाय से अतिरिक्त संवेदक 3.22 लाख है। है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सिंचाय वर्ष कुल ₹ 1760.791 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह 4 मार्च 2022 तक निकाय को कुल ₹ 1375.40 लाख का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

12.10 सिंचाई सुविधाओं से सिंचाय के क्रम में नवीकृत निर्माण एवं नवीकरण निर्माण की योजनाओं विकास प्रणालियों से सिंचाई किये जाने हेतु जनपद देहरादून, रुपनगरी एवं जनपद पंजाबी में विकासित कॉन्टिन्ट Lift Scheme में सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने (लागत ₹ 22.75 करोड़) हेतु निर्माण कार्य किया जा रहा है।

12.11 लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत माह मार्च, 2022 तक 21 सौलर लिफ्ट योजना, 46 सोलर-डीजिल पम्पसेट, 21839 विद्युतीय सिंचाई पूल, 41095 सिंचाई हौज, 1433 ट्यूबवेल, 36005 पैरिफ पम्पसेट, 842 पुलवर्तीय पम्पसेट, 731 पावर/गहरी बोरिंग, 41 छोटे गेटेड विवर एवं 619 मल्टीपल यूनिट का निर्माण कर 5,48,938 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

12.12 ग्राम पंचायत के अन्तर्गत पावना निलम्बित लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य में पावर्ड द्वारा RUDP-XXV, RUDP-XXVI एवं RUDP-XXVII के अन्तर्गत तक ₹ 3885.53 लाख की लागत की 82 योजनायें स्वीकृत हुई हैं। जिसमें अन्तर्गत सोलर एम्बर्स, पोटो पैक डैम, सूक्ष्म सिंचाई एवंसी, सिंचाई कूप एवं क्षतिग्रस्त लघु सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोद्धार / सुदृढ़ीकरण / पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

12.13 भारत सरकार के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी एवं के अन्तर्गत वर्ष 2021 में वर्ष 2021-22 हेतु ₹ 34634.33 लाख लागत की 422 लघु सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त योजनाओं से 8024 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन प्रस्तावित है।

12.14 विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड रिसोर्सीज़ सस्टेनेबल डिवेलप्मेन्ट प्रोजेक्ट (उरस्डप) के अन्तर्गत परियोजना का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के चयनित मुक्त उत्पादन क्षेत्रों में वनीय राजुपाय की सहायताओं के जलवायु भेद्यताओं के अनुकूलन क्षमताओं को बढ़ाना तथा वानकी कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करना है। 7 वर्षीय 56 परियोजना दिनांक 15 जुलाई, 2012 से प्रभावी प्रारंभ जनवरी, 2022 में पूर्ण हो गई है। परियोजना की कुल लागत 156 मिलियन यू एस डॉलर (लगभग ₹ 1170 करोड़) है, जिसमें विश्व बैंक ऋ लोन 100.2 मिलियन यू एस डॉलर, राज्यांश 40.2 मिलियन यू एस डॉलर तथा लाभार्थी अंश 6.0 मिलियन यू एस डॉलर है।

13. उद्योग एवं खनन

13.1 प्रदेश में मार्च, 2022 तक कुल एम.एस.एम.ई. पंजीकृत इकाई की संख्या 73661 है, जिनमें

में 15554.84 करोड़ रुपए तथा कुटीर निवेश तथा 382451 रोजगारों को रोजगार मिला हुआ है।

13.2 मौजूदा वित्तीय वर्ष एवं आगामी वर्षों के लिए प्रस्तावित औद्योगिक विकास के लक्ष्यों के संबंध में वर्ष 2020-21 में ₹ 15896 करोड़ का निवेश हुआ है। सम्पूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में निवेश की दृष्टि से वर्ष 2020-21 में राज्य का स्थान 18 वीं स्थान आया हुआ।

13.3 राज्य सरकार द्वारा खुला, लचीला एवं सरल उद्योग क्षेत्र में पूर्वी निवेश को बढ़ावा देने, संतोषित क्षेत्र में उत्पादित के प्रोत्साहन को बेहतर, स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों के सृजन, आत्मनिर्भरता सुनिश्चित के लिए "खुला, लचीला एवं सरल उद्योग नीति-2018" लागू की गई है। यह नीति 31 मार्च, 2023 तक लागू रहेगी।

13.4 विभिन्न जिलों में निवेश संबंधित योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यमियों को उद्योग संबंधी जानकारियों के सरल एवं निष्पादन से लिये बनाया गया है। और सुदृढ़ बिजनेस आर्केस्ट्रेशन के अंतर्गत कार्य हेतु सिंगल विंडो लाई है जिस पर सभी द्वारा अनुमोदन दृष्टिगोचर किया जाता है। सभी द्वारा दिये जाने वाले अनुमोदन के आधार पर भारत सरकार द्वारा राज्यों की रैंकिंग की जाती है। कार्यवर्ष में अंतरिम काल की रैंकिंग में 10 में सम्मिलित रही है।

13.5 अलवर औद्योगिक एरिया का संवर्धित सेवों में सुदृढ़ एवं लघु विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगों के एकल उपयोग हेतु 'प्लॉट रेलवर पॉलिसी' लागू की गई है। माह अक्तूबर, 2020 तक विभिन्न विभागों से 112 प्लॉट रेलवर स्वीकृत किये गये हैं।

13.6 भारत सरकार के खुला, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों में वर्ष 2019 से हैंडी के माध्यम से 6868 परियोजनाओं, जिसमें ₹ 152.58 करोड़ का व्यक्तिगत भरी प्रोत्साहित किया गया है। इन परियोजनाओं के माध्यम से 64388 का रोजगार सृजन हुआ है।

13.7 एक जनपद दो उत्पाद (ओडीटीपी) के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जनपद में दो उत्पादों का विपणन जनपद में उपलब्ध संसाधनों, जैसे बच्चन मांग, उत्पाद की उपलब्धता, विपणन, ब्रांडिंग एवं पुराकर्मों की उपलब्धता एवं कौशल सम्बन्धित चुनिंदा उत्पादों की पहचान करते हुए किया गया है।

13.8 पारम्परिक उद्योगों एवं हस्तशिल्प क्षेत्रों के अधिनियम 04 क्षेत्रीय कार्यालय उन्नाव क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर उन्नाव (उन्नाव), बाराबंकी, उदयपुर में स्थापित किये गये हैं। इन क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिनियम 20 उपकरण केन्द्रों के माध्यम से धन बढ़ाई एवं लाह बुनाई का कार्य उपलब्ध किया जाता है।

13.9 खान खनिजों पोखरा के अन्तर्गत अवैध खनन / अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु आधुनिक Surveillance तकनीक जैसे ड्रोन कैमरा खनन क्षेत्रों एवं संवेदनशील स्थलों पर स्थापित किये जाने के प्रावधानों के सुनिश्चित मैनुअल परिवहन प्रपत्र के स्थान पर E-Rawana प्रणाली लागू कर दी गई है।

13.10 खनन से राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों को वर्ष 2020-21 में खनिजों से कुल ₹ 500.24 करोड़ का राजस्व तथा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 375.00 करोड़ का राजस्व अर्जित करते हुये खनन लेसर / लवणता में कई खनन / खनन लेसर्स सृजित करते गये।

14. श्रम–रोजगार एवं कौशल विकास

14.1 जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में से 33.43 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या है जो इंगित करती है कि 66 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या आश्रयदायक श्रेणी में है। कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि करने आर्थिक विकास हेतु महत्वपूर्ण है।

14.2 असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों एवं गृहआश्रय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) नाम एक नूतन पेंशन योजना, जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिक एवं नियोजकों / कार्यकर्ताओं से कार्यरत श्रमिकों को एकीकृत किया जा रहा है।

14.3 मोबाइल पिंक स्कॉड की अवधारणा लघु आपराधिकों तथा क्षुद्रत आपराधिकों को उनकी दृढ़ावस्था में आपराधिक दुष्कृत्य प्रदान किये जाने हेतु पैरोल योजना आरम्भ की गई है। ये समाज जानकारी जिलों की वार्षिक दर्ज औसत से 1.50 प्रतिशत से कम हो योजना से आच्छादित किये जाते हैं।

14.4 पर्यटन में सम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र में कामगारों को पेंशनभोगी का लाभ प्रदान किए जाने हेतु पेंशनभोगी सेवा योजना एवं असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों की 18 वर्ष आयु से 35 वर्ष तक के नागरिकों का पंजीकरण कराकर पेंशन का लाभदान किया जा रहा है।

14.5 वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020 के अंतर्गत के संबंधित रोजगार, सेवा तथा प्रशिक्षण प्रदान कर चुका बेरोजगारी से प्रशिक्षण को कम करने हेतु सेवायोजन कार्यालय स्थापित है जिसकी पंजिका पंजिका (Live Register) में कुल 83000 बेरोजगार अभ्यर्थी पंजीकृत है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 55 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। इन मेलों के माध्यम से 1931 युवाओं को रोजगार/प्रशिक्षार्थ/स्वरोजगार हेतु चयन किया गया।

14.6 उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन (Uttarakhand Skill Development Mission) के अन्तर्गत युवाओं की स्वावलम्बी बनाने हेतु स्वरोजगार के अवसर सृजित कर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन (UKSDM) के अन्तर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

14.7 राज्य ग्रामीण युवास्वरोजगार एवं कौशल विकास योजना के अन्तर्गत मार्च 2021 तक 32,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर प्रमाणित किये जाने का लक्ष्य के सापेक्ष अतिरिक्त 17818 अभ्यर्थियों को डिजिटल अभिलेख में प्रशिक्षण प्रदान कर प्रमाणित किया जा चुका है, तथा जिसमें से 8308 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं।

15. बिजुत

15.1 प्रदेश के 36 शहरी कस्बों में एकीकृत बिजली विकास योजना के तहत वितरित किया गया है। केन्द्र प्रायोजित विभागों द्वारा ₹ 193.88 करोड़ की डी.पी.आर. स्वीकृत की गयी।

15.2 ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशवंती सहज बिजली हर घर योजना 'सौभाग्य' का उत्तराखण्ड राज्य में शुभारम्भ वर्ष-2018 में किया गया। योजना के मैनिफेस्ट वर्ष वर्ष 2019 में पूर्ण किये जा चुके है। योजनान्तर्गत राज्य की समस्त इच्छुक एवं छूटे घरों/परिवारों को विद्युत संयोजन निर्गत कर विद्युतीकृत किया गया।

15.3 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) के अन्तर्गत ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा योजना हेतु ₹ 842.00 करोड़ स्वीकृत किये गये है। योजना के अन्तर्गत ग्रामीण में कुल मिलाकर 8469 नग डीजी/पावर के सोलर हाइब्रिड डीजी/पावर एवं विद्युतीकरण/पुनर्विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

15.4 राज्य योजना के अंतर्गत, पुराना जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण, पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं का जीर्णोधार किया जाता है। पावर द्वारा जिन योजन सामान्यतः लघु जल विद्युत की परियोजनाओं से क्षेत्र में किया जा रहा है। राज्य योजना में लगभग 120 मेगावाट उत्तराखण्ड 1000 मेगावाट, मध्यम परियोजना (300 मेगावाट) पर जलविद्युत के द्वारा निर्माण एवं उन्हें तथा अनुरक्षण का कार्य किया जा रहा है।

15.5 प्रदेश में युवाओं, लघु एवं सीमान्त कृषकों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने के दृष्टिगत समाजिक 'मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना' में अलग्नी सौर भूमि/भूमि हीन एवं लगभग 25 मिलीवाट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना की जा सकती है।

15.6 भारत सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए बिजुत संयोग हेतु सौभाग्य नाम दीन योजना पूरी की, एवं, तो मंत्रालय से संबंधित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत गरीब परिवारों को कि.ए. क्षमता तक का संयोग स्थापित कर सकते है।

16. पर्यटन एवं संस्कृति

16.1 उत्तराखण्ड में सीमा निर्माण विभाग ने 31 मार्च 2021 तक 38451.41 किमी॰ लम्बाई वाले चौड़ा सड़कों (ऐसियों) और मोटा लगभग ₹ 3388.16 रिमी॰ की सम्मिलित है), का निर्माण कर लिया है। इस प्रकार सरकार सड़कों के निर्माण को आवश्यक प्राथमिकता दे रही है।

16.2 प्रदेश में वर्तमान में 2464 किमी॰ लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसमें राष्ट्रीय विकास योजना तथा आर्थिक सम्मिलित हैं, इनमें से अधिक निर्माण विभाग के अधीन 2134 किमी॰ राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनमें सुधार के कार्य इस वर्ष भी जारी रहे। वर्ष 2022 तक ₹ 3335.32 करोड़ का भार किया गया।

16.3 केंद्र पहाड़ योजना के अन्तर्गत ग्रेड ने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सिंहद्वार वेलर्स जनरेशन पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात हेतु 400.01 की॰ के निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा किया गया है। पंजाबगढ़ीत प्रदेश में रेलवे कार्रिडर पर 400.01 की॰ का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

16.4 ग्रामीण जनसंख्या को बाह्यमण्डी पक्की सड़कों से जोड़ने हेतु वर्ष 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) संचालित की जा रही है। योजना के तहत जनसंख्या क्रम से मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक और अन्यत्र एवं अनुसूचित क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी की बस्तियों को सड़कमार्ग से जोड़ा जा रहा है। राज्य में योजना प्रारम्भ से मार्च, 2022 तक कुल ₹ 7587.21 करोड़ व्यय करते हुए कुल 18532.75 किमी॰ की सड़क के 1866 कार्य पूर्ण किये गये।

16.5 वृहत गढ़वाल के समस्त राज्य में ब्रॉडगेज पर्वतीकृत रहेगी की संख्या 3,83,210 थी जो पिछले 20 वर्षों में निरन्तर बढ़ती हुई वर्ष, 2022 तक बढ़कर 3310238 हो गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 184016 वाहन पंजीकृत हुए।

16.6 भारत सरकार द्वारा निर्भया फण्ड के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा को दृष्टि से कनेक्टेड बस को व्यापक, कंट्रोल्ड रेस्पोन्सिंग एवं जन्म लगने हेतु लगभग ₹ 9.36 करोड़ की राशि पंजीकृत की गयी है जबकि राज्य सरकार स्तर से इस हेतु ₹ 1.04 करोड़ की व्यवस्था प्रदान की गयी है।

16.7 राज्य में टाइगर में ट्रैकर्स (Vehicle Location Tracking Device & Panic button) स्थापित करने हेतु 18 कम्पनियों को अधिकृत किया गया है। अभी तक लगभग 16709 वाहनों में ट्रैकर्स डिवाईस की व्यवस्था की गयी है।

16.8 राज्य राजमार्ग सुरक्षा परियोजना द्वारा सड़क एवं इंजीनियरिंग में MoRTH के सहयोग से आपातकालीन नियंत्रण प्रेडिएन्स सेल के निर्माण का निर्णय लिया गया है। ₹ 50.55 करोड़ की प्रौद्योगिकी प्रदान की गयी है तथा प्रथम चरण के रूप में ₹ 2.00 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। राष्ट्रीयराजमार्ग पुनः की मेन्टेनेन्स एजेन्सी तथा वृद्धि उत्पादन विभाग कोई को के वेंडरों संस्था सम्मिलित किया गया है।

16.9 पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखण्ड में रेलवे का विकास अत्यधिकृत रूप हुआ है। राज्य में कुल लगभग 344.81 किमी॰ की आमाप्ति रेल लाइनें हैं। प्रदेश में रेलवे यातायात को बढ़ाने हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार दोनों प्रयासरत हैं जिसमें ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, 27.45 किमी॰ लम्बाई की देवप्रयाग-सतली रेलवे लाईन तथा पालकम रेलवे परियोजना का कार्य परिमान है।

17. पर्यटन एवं सांस्कृतिक उद्धारण

17.1 प्रदेश से सड़कों विशेषियों को पर्यटन केन्द्रों से आवेदनकर उपलब्ध कराने जाने की दृष्टि से पहाड़ों से 'एक जनपद शिल्प पहाड़ी पर्यटन स्वरोजगार योजना' तथा 'एक पर्यटक अवधारणा होमस्टे अनुदान योजना' संचालित की जा रही है।

17.2 उत्तराखण्ड राज्य की 'एक जनपद शिल्प पहाड़ी पर्यटन स्वरोजगार योजना' आवेदन सहज में सुविधा की योजना के अन्तर्गत राज्यभर में महत्वपूर्ण योजना सिद्ध हो रही है। इस योजना में पंजीकरण सह के लिये राजस्वग्रामों की पहचानित की पर्वतीय क्षेत्रों में 33% अधिकतम ₹ 10.00 लाख से बढ़ाकर ₹ 33.00 लाख तथा मैदानी क्षेत्रों में 25% अधिकतम ₹ 10.00 लाख से बढ़ाकर ₹ 25.00 लाख किया गया है। उद्यन

मद में इलेक्ट्रिक/जलजनी वाहन हेतु दी गई सब्सिडी का 66% अर्थात लगभग ₹ 20.03 लाख की राशि है।

17.3 ग्रीन एवं नवीकरण की पुरानी एवं स्वीकृतकार्य से जोड़ने एवं मुख्य रूप से खाड़ी से ही नई पहल को देखने में एक प्रमुख रोजगारपरक योजना साबित हो रही है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में 1260 होमस्टे पंजीकृत किये गये वर्ष 2020–21 में 880 एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में मार्च, 2022 तक 850 तक होमस्टे पंजीकृत किये गए।

17.4 केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों हेतु पहाड़ जलन तैयार कर 'भू केदारनाथ उत्थान पैरिटेबल ट्रस्ट' की स्थापना की गयी है। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों के अन्तर्गत रीकंस्ट्रक्शन एवं अन्य मद में मास्टर प्लान के अनुसार लगभग ₹ 300.00 करोड़ से ऊपर के कार्य पूर्ण किये जा चुके है जबकि लगभग 170.22 करोड़ के कार्य प्रगति पर्वतीय हैं अथवा पर्यवेक्षण में।

17.5 10 सितम्बर 19 नवीन पौलीवेरक डेस्टीनेशन के अन्तर्गत जनपदों में पर्यटन नवीन डेस्टीनेशन को विकसित करने के लिये एक योजना अंतर्गत की गई है।

17.6 पर्यटन क्षेत्रक की विभिन्न योजनाओं को पैरेमैरीड मोड में (लोक–निजी–साझेदारिता) संचालित करने की कार्यवाही गतिमान है। 'मुक्तेश्वर टेंपी' रोपवे माह अप्रैल, 2022 से संचालित हो गया है।

17.7 पर्यटन के विकास हेतु 'निजी क्षेत्र की सहभागिता महत्वपूर्ण है। इसमें जहां एक ओर बड़ी योजनाओं में निजी सहभागिता से पूंजी निवेश होता है वहीं छोटेल होमस्टे में रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं। पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होमस्टे में अधिकतम 30 बेड की रीजनैबिलिटी कॉस्ट में विकसित किये जाने हेतु निजी निवेशक का चयन किया गया है। पूर्वोत्तरी रोपवे एवं होमस्टाय संचित रोपवे के लिये भी निजी निवेशकों का चयन किया गया है।

18. शिक्षा

18.1 प्रदेश में 14103 राजकीय विद्यालय हैं, जिनमें 441452 शिक्षकों कार्यरत हैं तथा 21854 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि निजी/अनुदेय विद्यालय 4013 हैं, जिनमें 53446 शिक्षकों कार्यरत हैं तथा 21462 शिक्षक कार्यरत हैं। राज्य में प्राथमिक शिक्षा का स्तर सर्वेक्षण अनुसार 99.11 है।

18.2 राज्य में 1405 हाईस्कूल इण्टर कॉलेज, 229 महाविद्यालय प्रवक्ता इण्टर कालेज, 812 राजकीय हाईस्कूल, 61 महाविद्यालय प्रवक्ता हाईस्कूल तथा 1083 माध्यमिक प्रवक्ता कार्यरत शिक्षालय, इस प्रकार कुल 3601 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। राज्य में कुल 1205073 छात्र नामांकित हैं, जिसमें से प्रवक्ता प्रवक्ता राजकीय व महाविद्यालय प्रवक्ता विद्यालयों में तथा 653366 निजी/अनुदेय विद्यालयों में नामांकित हैं। राज्य के 2718 माध्यमिक विद्यालयों में 30389 शिक्षक कार्यरत हैं। प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में माध्यम गणनांक अनुपात (GER) 97.87 तथा कुल प्रवेश दर 9.30 है, माध्यमिक शिक्षा में ड्रॉपआउट दर 0.89 है।

18.3 वस्तुतः पौड़ी जनित आकांक्षी प्रावधानों की संख्या से अनुपूर्वित आदि, अनुपूर्वित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग एवं पैरामेडिकल जैसियों की जानकारी हेतु शिक्षा व्यवस्था के लिए 48 पैरामेडिकलीकृत संचालित हैं। पैरामेडिकलीकृत में छात्रों को निःशुल्क भोजन, छात्रवास एवं शिक्षा व्यवस्था की गयी है।

18.4 राज्य में माध्यमिक स्तर पर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को व्यावसायिक/ तकनीकी प्रशिक्षण से जोड़ने तथा उनके विद्यालयों में उपलब्ध को सुनिश्चित किये जाने हेतु 233 विद्यालयों में 08 ट्रेड (कृषि, आटोमोटिव, ब्यूटी एण्ड वेलनेस, फर्नीचर, इलैक्ट्रानिक एण्ड हार्डवेयर, रिटेल, आईटी, एम्बर) प्रारम्भ किये गये हैं।

18.5 वर्ष 2021–22 में 14231 छात्रों के सापेक्ष आईटीआई तक 12000 छात्रों को ₹ 12000/– (प्रति छात्र) डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से छात्रवृत्ति उनके खातों में ऐतिहासिक की गयी है।

18.6 खोखन में राज्य में 123 राजकीय महाविद्यालय स्थापित हैं जिनमें से अधिकांश महाविद्यालय पिछड़े एवं जनजाती क्षेत्रों में संकलित हो गई हैं कक्ष ही प्रयोग में 28 अन्तरास्वीय स्तरांकार प्राप्त महाविद्यालय भी संचालित हैं। उक्त शिक्षा सेक्टर के अन्तर्गत 06 राज्य विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। राजकीय महाविद्यालयों में कुल शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कार्मिकों के 4877 पद सृजित हैं, जिनके सापेक्ष कुल 2330 नियमित शिक्षक एवं शिक्षणेतर स्टाफ़ की तैनाती की गयी है।

18.7 उच्च शिक्षा विभागाधीन राजकीय महाविद्यालयों में नियमित रूप से एकीकृत छात्र/छात्राओं को टैबलेट प्रदान करने की प्रक्रिया परिचालन है।

18.8 खोखन में राज्य में कुल 21 राजकीय पालीटेक्निक संस्थानों में से हर के पास राज्य के सरकारी पोल्ट हैं। डीई 14 संस्थानों में से 08 निजाये से संचालन में तथा 10 निजुक्त सरकार में संचालित हो रहे हैं।

18.9 खोखन में प्राकृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 10 अंशकालीक सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय, 14 अंशकालीक अनुदानप्राप्त प्राच्य/पंचमहा प्राच्य संस्कृत विद्यालय/ महाविद्यालय, 06 राजकीय संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय, 01 भारत सरकार द्वारा अनुदानित संस्कृत महाविद्यालय तथा 01 प्रायोगिक शिक्षा मिशन द्वारा अनुमोदित प्राथमिक शिक्षण संस्थान सह कुल 87 शिक्षालय संचालित है।

18.10 उत्तराखण्ड राज्य में संस्कृत शिक्षा की परीक्षाओं की गुणिका, शैक्षिक गुणवत्ता, प्रगति मूल्यांकन की पारदर्शता तथा मान्यता/समकक्षता प्रदान किए जाने एवं परीक्षाओं का आयोजन किए जाने हेतु उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् की स्थापना हुई है।

19 स्वास्थ्य

19.1 भारत सरकार के निदेश–नेटीएनुसार सर्वेक्षण में 12 से 14 वर्ष आयु के इनसर पात्रार्थियों का कोविड–19 वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके द्वारा दिनांक 09 मई 2022 तक 1,97,87,804 टिकाकरण डोज लगायी जा चुकी है। जिसमें राज्य के 15 वर्ष से अधिक के पात्र लाभार्थियों में 79.6% प्रतिशत प्रथम डोज एवं 71.2% प्रतिशत द्वितीय डोज सम्मिलित है एवं 12 से 14 वर्ष के पात्र लाभार्थियों में 71.2% प्रतिशत प्रथम डोज एवं 36.2% प्रतिशत द्वितीय डोज सम्मिलित है।

19.2 राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु खोखन में चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सा अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत संचालित 2850 चिकित्सा अधिकारियों के पदों के सापेक्ष वर्तमान में 2220 चिकित्सक विभिन्न अस्पतालों में तनातित हैं।

19.3 उत्तराखण्ड में अनुभवी चिकित्सकों एवं नर्सी एजियों की नियुक्ति करने उपलब्ध कराने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया तथा इस सुविधा के लिए राज्य के प्रत्येक जनपद स्तर पर एक प्रोप स्थापित कर दिये गये हैं। इस योजना को सरल बनाने के लिए सभी स्तर पर ऑन ई-रजा ऑन प्रक्रियाओं को जोड़ दिये गये हैं। यह राज्य सरकार की विजन 2030 के अन्तर्गत सबसे से पूर्व प्रारम्भ की गयी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

19.4 खोखन में राज्य के अन्तर्गत कुल 12018 आशा कार्यकर्ती कार्यरत हैं। आशा सहित स्वास्थ्य में आशा कार्यकर्ताओं के जरिये से एकीकृतात्मक सुरक्षितता हेतु 108 आशा कियोस्टिटेशी, 101 आशा ब्लेडिनेटर व 13 जिला कम्प्यूनिटी मोबिलाइजर का प्रयास किया गया है।

19.5 उत्तराखण्ड राज्य के समस्त नागरिकों को डीमरी के ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती होने पर प्रतिवर्ष अधिक से अधिक 2.00 लाख रु० का निःशुल्क चिकित्सा आच्छार (भर्ती होने की दशा में) उपलब्ध कराया जा रहा है।

19.6 19 लाख परिवारों में से, जिनमें 69 लाख सदस्य राजकीय सेवक/पेंशनर को सम्मिलित हैं, को छोड़कर कुल 18.26 लाख परिवारों (जिन से कम एक सदस्यों के 42.06 लाख सोनल कार्ड बनाये जा चुके हैं।

19.7 राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनकी आश्रित परिवारों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा लाभ प्रदान करने हेतु दिनांक 10 नवम्बर 2023 से EGHS योजना लागू करवाए जाने का कार्य प्रगतिरत है। अब तक 4.30 लाख राजकीय कार्मिक/पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों द्वारा योजना लाभ लिया गया है।

19.8 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के प्रयास से कुल 28 होलोपैथिक चिकित्सालय स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें 21 होमियोपैथिक चिकित्सालय प्रत्येक एवं आयुर्वेदिक इकाईयां 14 सीएचसी स्तर व 7 डीएचक्यू चिकित्सालय बहुआयामिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संचालित हो रहे हैं।

19.9 उत्तराखण्ड राज्य में स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के लिये 13 जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी हैं। जिनके पर्यवेक्षण में कुल 344 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 05 यूनानी चिकित्सालय एवं 02 सोवाशयी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 26-जिला चिकित्सालय, 180-आयुष विंग तथा 29-सीएचसीएस एवं 154 पीएचसीएस में (एनएचएम-HO के अन्तर्गत आयुष विंगों की) सेवा प्रदान की जा रही है।

20. महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

20.1 वर्तमान में प्रदेश के 13 जनपदों में कुल 105 बाल विकास परियोजनायें हैं। जिनमें से 58 शहरी क्षेत्रों में तथा 47 ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं। परियोजनाओं के संचालित कुल 20067 आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में से शहरी क्षेत्रों में 1249 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 18818 केन्द्र सम्मिलित हैं।

20.2 वर्ष से वर्ष 2019-18 में जहाँ 2870 आंगनबाड़ी भवनों निर्मित हुए वहीं सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2021-22 में 1119 अंगनबाड़ी भवनों निर्मित हुए हैं, भवनों का छोड़कर शेषी में छात्र जाने हेतु "डाउन ऐक्सटीय आंगनबाड़ी (आंगनबाड़ी) योजना आरम्भ किया जा रहा है।

20.3 गर्भावस्था के 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को वर्ष में 300 दिवस अनुपूरक पोषाहार दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2021-22 में पंजीकृत 3123807 लाभार्थियों के सापेक्ष 3107210 को लाभान्वित किया जा रहा है। अनुपूरक पोषाहार की एकीं केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य 50:50 के अनुपात में है।

20.4 प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजनान्तर्गत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को प्रोत्साहन, महंगाई राहत भत्ता, पालनपूर्व एवं उपरान्तिक सेवा, स्वास्थ्य, बच्चों का टीकाकरण आदि मापदण्डों की पूर्ति हेतु प्रति महिला को कुल ₹ 5000/- (प्रथम किस्त ₹ 1000/-, द्वितीय किस्त ₹ 2000 व तृतीय किस्त ₹ 1000/-) की धनराशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2023 तक कुल 249062 महिलाओं को लाभान्वित कर ₹ 98.21 करोड़ डीबीटी/पीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में स्थानान्तरित किया जा चुका है।

20.5 राष्ट्रीय पोषण मिशन "पोषण अभियान" के अन्तर्गत पहल करवाए हुआ लाभ से बच्चों समस्याओं में संचालित की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य को कुपोषण मुक्त करना है। इस योजना के संचालन हेतु ICDS-CAS के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को टैबलेट वितरित किये गये हैं।

20.6 लक्ष्मी वीरा योजना के अन्तर्गत कार्यालयों हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर 'लक्ष्मी वीरा योजना' संचालित की गयी है। जिसके अन्तर्गत पात्र परिवार की प्रथम 02 बालिकाओं को प्रथम किस्त में ₹ 51000 की धनराशि एवं द्वितीय किस्त में ₹ 51000 की धनराशि प्रदान करायी जायेगी। वर्ष 2021-22 तक 1,43,732 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

20.7 मुख्यमंत्री महाशक्ती योजना के अन्तर्गत राज्य में सुरक्षित मातृत्व के उद्देश्य के दृष्टिगत महाशक्ती केन्द्र में गर्भवती गर्भवती महिला के प्रथम/द्वितीय एवं युगल बालिकाओं के जन्म पर "मुख्यमंत्री महाशक्ती योजना" के अन्तर्गत महाशक्ती किट प्रदान की जाती है। यहां सभी किट की प्रति किट लागत ₹ 3500/- निर्धारित है। निर्धारित गर्भ

2021–22 में कुल 42,148 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

21. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

21.1 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission-NRLM) योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की क्षमता एवं सीमित विकल्प का उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ एवं स्थाई आजीविका दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है।

21.2 मिशन के अन्तर्गत वर्तमान समय में 39650 स्वयं सहायता समूह की 2.85 लाख परीवार महिलाओं को संगठित कर 4247 ग्राम संगठन तथा 255 क्लस्टर लेवरेज संगठन का गठन किया गया है। 23324 समूहों को अब तक कुल ₹ 2455.00 लाख रोटेशनरी सिंके (रिवोल्विंग फण्ड) के रूप में उनकी छोटी जरूरतों की पूर्ति तथा आपसी लेन–देन करने हेतु उपलब्ध कराई गयी है।

21.3 दीनदयाल अन्त्योदय ग्रामीण कौशल योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021 तक 29330 अभ्यर्थियों के चयनित कुल 4413 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है जिसमें से 2324 अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है।

21.4 आकांक्षी आजीविका योजना–सामुदायिक प्रोत्साहनकर्ता द्वितीय चरण में आकांक्षी खण्ड सूची में सम्मिलित कुल 60848 परिवारों के समक्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 हेतु कुल 10472 का लक्ष्य रखा हुआ है, जिसके सापेक्ष 15512 आकांक्षियों को आजीविका संवृद्धि उपलब्ध कराया गया, 2022 के अन्त तक उक्त स्वीकृति के सापेक्ष 60,000/– प्रति आकांक्षी की दर से 12843 आकांक्षियों को प्रथम किश्त, 40,000/– प्रति आकांक्षी की दर से 8625 आकांक्षियों को द्वितीय किश्त एवं 30,000/– प्रति आकांक्षी की दर से 1219 आकांक्षियों को तृतीय किश्त अवमुक्त की गई है।

21.5 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों– ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण केन्द्रों (ग्रामीण प्रोफेशनल गांवों से हो रहे पलायन को रोकने में स्थानीय स्तर पर सामुदायिक रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक साबित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह मार्च, 2022 तक भारत सरकार द्वारा ₹ 96.57 करोड़ तथा प्रदेश सरकार के सहयोग हिस्से के रूप में ₹ 32.22 करोड़ अवमुक्त हुआ, जिसके सापेक्ष पूर्ण धनराशि व्यय की जा चुकी है। 33952 परिवारों को 181 दिन का रोजगार उपलब्ध कराकर 243.22 लाख श्रमिक दिवस सृजित किये गए हैं।

21.6 आजीविका ग्राम संगठन योजना भारत सरकार की एक राष्ट्रव्यापी योजना है, जो असहाय गरीब को आर्थिक और सेवा क्षेत्र संबंधित गतिविधि प्रदान करती है। पिछली इकाइयों ने 500 से अधिक की आबादी वाले 93 पंचायत क्षेत्रों में 265 से अधिक आबादी की बस्तियों के सर्वेक्षण हेतु यह योजना चयनित है। मोबाइल तकनीक के द्वारा वर्ष 2017–18 से मार्च, 2022 तक कुल 2326 किसी लम्बाई के गर्भों का निर्माण कराया गया है।

21.7 ग्रामीणों के आजीविका सुधार हेतु राज्यस्तरीय की ग्रा पंचायत योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक 44 नये विकासखण्डों में कुल 3960 गरीबी में 14228 लघुतर समूहों के गठन से 137328 परिवारों को विभिन्न गतिविधियों में संलग्न किया गया है।

21.8 ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता, व्यवसाय तथा आजीविका संवर्धी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित समूहों के सूक्ष्म उद्यम को बढ़ावा देकर उनकी रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु दक्षतावर्धन तैयार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक नई पहल के रूप में ग्रामीण व्यवसाय ई–प्लेटफार्म की स्थापना हमारा व्यवसाय दीदी के तुगलाट निकास ब्लॉक के कोटद्वार तथा उत्तरकाशी जनपद के खलाबाद में हो चुकी है।

21.9 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में ग्राम–जीवंतता केन्द्र योजित इस योजना को वर्ष 2018–19 में पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं अवस्थापना संरचनाओं के सम्पोषित करने की दिशा के अनुसार में योजना व राज्यांश के तहत जबकि केन्द्र की पुनर्गठन योजनाओं तथा ई–पंचायतीकरण से

सम्बन्धित योजनाओं को राज्य प्रायोजना संस्थान के माध्यम से लागू/संचालित किया जा रहा है।

21.10 जीआईएसयुक्त डिजिटल मानचित्र वाले पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में चयनित 7791 ग्राम पंचायतों में वेबजी आधारित सर्वर युक्त डीजीपीसी/वीपीडीपी (ऑनलाइन) का सृजन कर दी गयी है।

22 शहरी विकास एवं आवास

22.1 शहरी एवं विकेन्द्रों हेतु स्वास्थ्य के अन्तर्गत 20284 यूनिट सेण्टर निर्मित एवं 10882 यूनिट सेण्टर को पहचान पत्र निर्गत किये गये हैं, जिसके फलस्वरूप 20284 यूनिट सेण्टरों को वाहन-जिला एवं प्रयास अच्छे हुये रोजगार से सम्बद्ध किया गया है।

22.2 अमानवीय सफाई की रोकथाम एवं सफाईकर्मियों के लिए 01 जून 2020 से लागू की गयी है। इस योजनान्तर्गत 18002 फोन सफाईकर्मी द्वारा अभियान पोर्टल पर आवेदन किया गया है, जिसमें फोन द्वारा 11488 आवेदन प्राप्त किये हैं। 11.50 करोड़ रूपये स्वीकृत किया गया है।

22.3 स्वरोजगार विकास एवं प्रशिक्षण द्वारा प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में 615 लाभार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ 643 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण संस्थाओं को सम्बद्धित किया जा चुका है।

22.4 स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत सेण्ट्रल एडवाइजरी द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए देहरादून नगर का चयन किया गया है। परियोजना के अन्तर्गत देहरादून नगर के व्यापित कार्यों के सम्पूर्ण क्रियान्वयन के लिए ₹ 1000.00 करोड़ अवैधानिक है, जिसमें 50 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

22.5 उत्तराखण्ड शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि योजना में दीनदयाल अन्त्योदय शहरी पुरस्कार योजना के अन्तर्गत आवास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा चयनित 09 स्थानीय निकायों को प्रत्येक वर्ष आवश्यकता सुविधाएं स्थापित करने हेतु पुरस्कृत किया जाता है, वर्ष 2021-22 में ₹ 100.00 लाख का बजट में प्रावधान है।

23. समाज कल्याण

23.1 अटल आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बी0पी0एल0 परिवार ₹ 32,000 वार्षिक आय इससे कम आय वाले आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ₹ 36,500 एवं नगरीय क्षेत्रों में ₹ 35,200 की धनराशि प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह मार्च, 2022 तक परियोजनान्तर्गत ₹ 12.20 लाख की धनराशि व्यय कर 32 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

23.2 विभाग द्वारा कार्यरत में 15 खण्ड/मण्डल स्तरीय अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इनमें सुरक्षा खाते की संतोषजनक धनराशि है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 475.29 लाख बजट प्रावधान किया गया है, माह मार्च, 2022 तक ₹ 251.81 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

23.3 विभाग द्वारा कार्यरत में 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इन परियोजनाओं यथा प्रशिक्षणार्थियों के लिए ₹ 384.29 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। माह मार्च, 2022 तक ₹ 280.65 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

23.4 अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आवश्यकता सुविधाओं के विकास हेतु परियोजनाएं संचालित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस परियोजना के अन्तर्गत ₹ 3000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। माह मार्च, 2022 तक ₹ 2020.39 लाख की धनराशि से 348 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

23.5 उत्तराखण्ड के अन्तर्गतवास वर्ग के विद्यार्थियों को आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम ₹ 75,000 की राशि प्रदान किये जाने के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है।

23.6 विदेशी भाषा पूर्वाभ्यास छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत जर्मन ए1 से बी2 स्तर के समान जर्मन/

खातों को कार्यशील बनाने की जाती है। कार्यशील न पुनरीक्षित योजना ऑनलाइन संचालित की जा रही है। खाते के अभिधारक की राशि अधिक से 2.50 लाख निर्धारित है।

23.7 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु होने पर ₹ 20000/- की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। दिसंबर अंत 16 से 59 वर्ष रही गई है। मार्च, 2022 तक योजना में ₹ 106.00 लाख की फसलों को 550 परिवारों को आच्छादित किया गया है।

24. खेत एवं चुना व्यवहार

24.1 खेत परियोजनाओं का आयोजन योजनान्तर्गत मार्च, 2022 तक 2350 पंजाब एवं कार्यान्वित आच्छादित हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु ₹ 23.10 लाख का बजट प्रावधान के सापेक्ष मार्च, 2022 तक ₹ 52.55 लाख की व्यवस्थित व्यय की जा चुकी है।

24.2 रिक्लेम डिजाडिवो के लिए वैकल्पिक खेत एवं ढलानवार्ती बंजरी योजनान्तर्गत राज्य के उपयुक्त किसानों को वैकल्पिक उपलब्धान्य खेत एवं पुरस्कार तथा प्रशिक्षक को वैकल्पिक उपलब्धान्य ढलानवार्ती पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

24.3 उपलब्धों में स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से बेसिक एवं एडवांस कोर्स(हिमा, एडवेंचर कोर्स, एन.जी.ओ.ई. कोर्स) एवं एक रेफ्रेशर कोर्स संचालित किया जाता है, जिसमें वर्ष 2021-22 में 542 प्रशिक्षु द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुका है।

24.3 खेली इंडिया योजना हेतु वर्तमान में खेल प्रशिक्षक, नेहरूपुर में बहुउद्देशीय स्पोर्ट हॉल तथा सहित्तार के वैकल्पिक होकी एस्ट्रोटर्फ मैदानों पर प्रशिक्षण प्रदान कराने का कार्य किया जा रहा है।

24.4 प्रशिक्षण योजनान्तर प्रतियोगिता योजना के अंतर्गत खेल संघों, विभागस्तर एवं जनपद स्तर पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें खिलाड़ियों को खेल सामग्री खेल प्रतियोगिता में प्रोत्साहन कराया जाता है।

24.5 मनरेज मैच/चुनाव मार्च-प्रत्येक खाद्य उत्पादकों से खाद्य-खाद्य पर होने वाले बैठों, तैनातगण, रैलियों आदि, निर्वाचन अधिसूचना एवं अन्य शासकीय कार्यों के दौरान सामाजिक सुरक्षा एवं सकल लेख सम्बन्धी खर्च सम्पादित करते जाते हैं। इस हेतु योजना से अनुमन्य कुल ₹ 2664.03 लाख धनराशि के सापेक्ष विभिन्न शासकीय कार्यों में व्यवस्थितों को तैनात कर ₹ 1827.00 लाख का प्रावधान कर 20881 बजट दिवसों का सृजन किया गया है।

24.6 कुल महोत्सव योजनान्तर्गत कुल ₹ 44.65 लाख की धनराशि का बजट प्रावधान है। इसमें विभागस्तर एवं जनपद स्तर पर 21 स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर ₹ 26.81 लाख का व्यय किया है।

25. सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी

25.1 राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उपलब्धान्य हेतु सेंटर आफ सेंटर, ई-डिस्ट्रिक्ट, एप्लीकेशन सी/सी) एवं सेंटर फॉर्म, कॉमन कंप्यूटर सेंटर (सीएससी), स्थान परियोजनायें संचालित की गयी गई।

25.2 उत्तराखण्ड राज्य डाटा सेन्टर द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता आधारित पर्यावरण में अत्याधुनिक तकनीकी- HCI (Hyper Converged Infrastructure) युक्त सेंटर डाटा सेंटर स्थापित किया गया है, वर्तमान में सेंटर डाटा सेंटर पर विभागों के लगभग 110 एप्लीकेशन संचालित हैं वर्तमान में सेंटर डाटा सेंटर पर ई-डिस्ट्रिक्ट, ई-पंजीयन, सिंगल साइन ऑन, ई-ऑफिस, जीआरएएस पोर्टल आदि ईमेल सर्वर संचालित किये जा रहे हैं।

25.3 ई-जिला (E-District)-प्रभावी सम्बन्धन ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत कुटुम्ब रजिस्टर, जन्मतिथि प्रमाण, जातिगत विवाह एवं तलाकोत्तर तहसील विवाह, मरण, पेंशनस, भूमि, समाज सम्बन्धन एवं कार्यों विभागों से सम्बन्धित 75 सेवाएं प्रदान की जा रही है। उपरोक्त सर्विसिस ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2.0 का व्यापक संस्करण

किया जा रहा है, जिसमें 'भूलन का अधिकार अधिनियम' के अन्तर्गत चयनित विभिन्न विभागों के नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 247 सेवाओं तथा अन्य सामान्य प्रशासन सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

25.5 छत्तीसगढ़ स्थान का रोकड़ीय ट्रांजिशन कम्प्लेक्सिटी के रूप में 121 पायदान ऊपर उठकर (Jump) के साथ ये किया जा रहा है। स्थान के अन्तर्गत डाक्स सुव्यवस्था के लिए सुव्यवस्था तथा व्यवस्थित/अधिक सुव्यवस्था उच्च बैंकिंग कम्प्लेक्सिटी प्रदान की गयी है।

25.6 भूमण्डल टैक्नोलॉजी विभाग द्वारा शीघ्र सेटेलाइट परियोजना के अन्तर्गत राज्य में सी विभाग डेवलपमेंट योग्य स्थापित किये जाने प्रस्तावित है, जिसमें से एक केन्द्र सहायक कार्यालय में स्थापित किया जायेगा।

25.7 सामान्य मुख्यमंत्री की द्वारा जनता में सीधा संवाद स्थापित करने तथा जन शिकायतों/समस्याओं के समीक्षा समाधान हेतु प्रारम्भ की गयी पीडब्लूडी डैशबोर्ड–1905 के अन्तर्गत लगभग 2.25 लाख शिकायतें प्राप्त की जा चुकी है, जिसमें से 1.80 लाख शिकायतों का दानुष्टिपूर्वक निराकरण किया जा चुका है।

25.8 ई–ऑफिस (E-Office)–कार्यान्वयन में राज्य के विभिन्न कार्यालयों में ई–ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन की प्रक्रिया गतिमान है। कलेक्ट्रेट की कार्यप्रणाली को डिजिटाईज़ करने जाने हेतु एप्लीकेशन के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 'E-Office' का चयन किया गया है।

25.9 डिजिटल डेवलपेंट डिस्ट्रक्ट परियोजना का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ जियोस्पाटियल सर्विसेस फ्रेमवर्क जिलों जनरल/कॉमन सिंगल सुरक्षाएँ जैसे– भू–उपयोग, सड़कें विकास, अंडरग्राउंड पाइपलाईन, जल संसाधन, भू–अभिलेख, उत्खनन/खनन आदि का डिजिटल स्वरूपों एवं सृजन किया जाना है। छत्तीसगढ़ के शहरों में गोडाईडल्का डाटा को तैयार किया द्वारा जिला LDISE 2020–21 के डाटा से रजामंदित करने का कार्य किया गया।

26. राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन

26.1 जनपद अम्बिकापुर एवं चौथी राइपुर के कैडस्ट्रल मैप डिजिटाईज़ किये जा चुके हैं तथा Record of Rights (अभिलेखांश) से लिंक करने के उपरान्त भू–नक्शा पोर्टलेयर http://bhunaksha.cgstate.gov.in के माध्यम से जनसेवा जोगेन में उपलब्ध किये जा चुके हैं।

26.2 विभागीय विकास की एप्लीकेशन के माध्यम से म्यूटेशन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्री तहसीलदार को प्राप्त होने उसकी प्रक्रिया उपरांत में आपू की जा चुकी है।

26.3 राजस्व मामलों के कम्प्यूटरीकरण हेतु विकसित ऑनलाईन ऐप्लीकेशन http://courts.cg.gov.in के माध्यम से कार्य की प्रगति की जा रही है। प्रयोग की 411 राजस्व न्यायालय ऑनलाईन किये जा चुके हैं। राजस्व मुकदमे ऑनलाईन किये जाने की व्यवस्था की गयी है विद्यमान है। प्रयोग के सभी राजस्व न्यायालयों को पूर्णत: ऑनलाईन कराकर लाने की कार्यवाही गतिमान है।

26.4 राज्य में मौसम सम्बन्धित पूर्वानुमान तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु सुरगुजा (दिवी पहाड़ी), बिलासपुर (सेंट्रल गढ़घाट) एवं बस्तर (कोंडागांव) में डॉपलर की स्थापना हेतु चौसेत विज्ञान निकाय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए राज्य शासन द्वारा आवश्यक प्रक्रियाएं सम्पादन का कार्य चल रहा है, मुंगेरेश्वर में डॉपलर स्थान की स्थापना का कार्य दिसम्बर 2021 में पूर्ण हो चुका है।

26.5 छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ने आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रियन के लिये एक व्यापक योजना को लागू करने के लिये द्वीप एप्लीकेशन एण्ड सिमुलेशन सेन्टर (आई.टी.डी.एस.) के साथ सम्पादित अनुबन्ध के अन्तर्गत यू.एस. कंपनी सायस सोल्यूशन इंक ठेकेदार गठित। जिसकी लागत धनराशि रु 1.50 करोड़ है।

अध्याय–2
राज्य आय एवं लोक वित्त
State Income and Public Finances

स्थल राज्य घरेलू उत्पाद जिसे सामान्यतः राज्य आय (State Income) के नाम से भी जाना जाता है, किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का दर्पणरूप माध्यम है। यह अनुमान राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार को प्रदर्शित करता है।

2.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर) Gross State Domestic Product (at Current Prices):

वर्ष 2021–22 के अंतिम अनुमान के अनुसार प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष 2020–21 (तृतीयसंशोधित) के ₹ 2,34,660 करोड़ की तुलना में ₹ 2,55,832 करोड़ अनुमानित है, जो कि 9.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। राज्य की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से योगदान विनिर्माण (38.31%), निर्माण (9.26%), व्यापार होटल एवं परिवहन मूह (12.04%) तथा परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण (5.48%) की संयोजित सेवा आदि आर्थिक गतिविधियों का रहता है। राज्य आय के अनुमान हेतुकि लिये संकलनों, पंच लिखित संस्थाओं, व्यापारी, निगमों, गैर सरकारी संस्थाओं, स्वतंत्र निकायों, पारिवारिक उद्यमों आदि की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कर वास्तविक आकड़े तैयार किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2011–12 से वर्ष 2021–22 तक सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर) निम्न चार्ट–2.1 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है–

चार्ट 2.1 : प्रचलित भावों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद (करोड़ ₹ में)

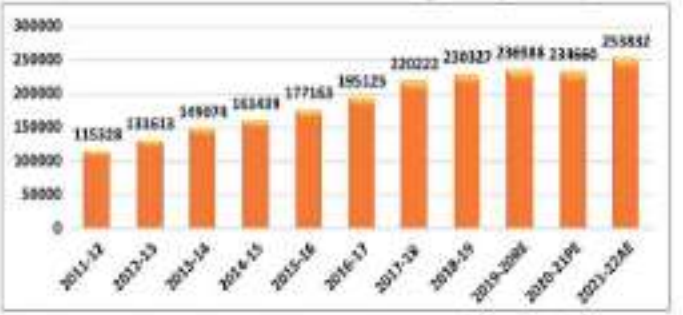

नोट:– वर्ष 2014–15 से वर्ष 2020–21 के अनुमान संशोधित है।

2.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव पर) GSDP (at Constant Prices):

स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के वास्तविक आकार एवं राज्य की विकास दर को प्रदर्शित करता है। अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021–22 के स्थिर भाव पर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद ₹ 1,89,882 करोड़ अनुमानित है, जबकि वर्ष 2020–21 (तृतीयसंशोधित) में यह

₹ 1,70,812 करोड़ अनुमानित है जो कि प्रदेश के आर्थिक विकास की दर वर्ष 2021-22 में स्थिर (वर्ष) (आधार वर्ष 2011-12) पर 6.13 प्रतिशत आंकित है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 से वर्ष 2021-22 तक सकल घरेलू उत्पाद (वित्त राज्य) स्थिर प्राईस-2.2 के आधार से प्रस्तुत किया गया है:-

चार्ट 2.2 : स्थिर भावों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद (करोड़ ₹ में)

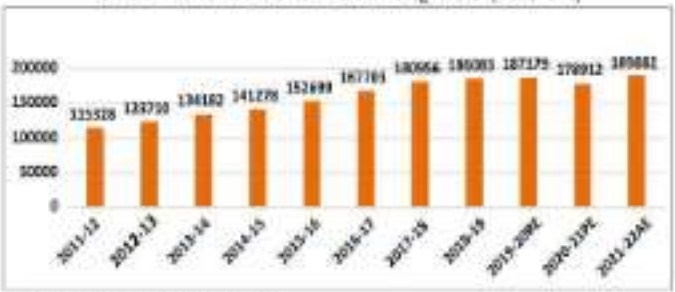

वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 के अनुमान आंकलन है।

2.3 स्थिर भावों पर आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार वर्ष 2012-13 से 2021-22 तक की प्रदेश में क्षेत्र की आर्थिक विकास दर चार्ट- 2.3 में दर्शायी गई है:-

चार्ट 2.3 : आर्थिक विकास दर (स्थिर भाव पर)

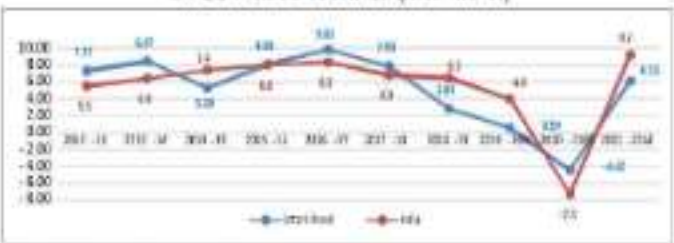

वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 के अनुमान आंकलित है।

2.4 प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income):- राज्य स्थिर घरेलू उत्पाद (Net State Domestic Product) के आधार पर वर्ष 2021-22 अंतिम अनुमानों में उत्तराखण्ड की प्रति व्यक्ति आय प्रकाशित गयी थी ₹ 1,95,282 अनुमानित है। भारत की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,93,126 अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2020-21 (पुनरीक्षित) में अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,28,829 अनुमानित है जबकि उत्तराखण्ड राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,62,868 अनुमानित है। प्रदेश प्रति व्यक्ति आय उत्तराखण्ड हिमालयी इस भाग का तुलनात्मक चार्ट 2.4 में दिखाया गया है:-

चार्ट 2.4 : प्रति व्यक्ति आय का तुलनात्मक ग्राफ (₹ में)

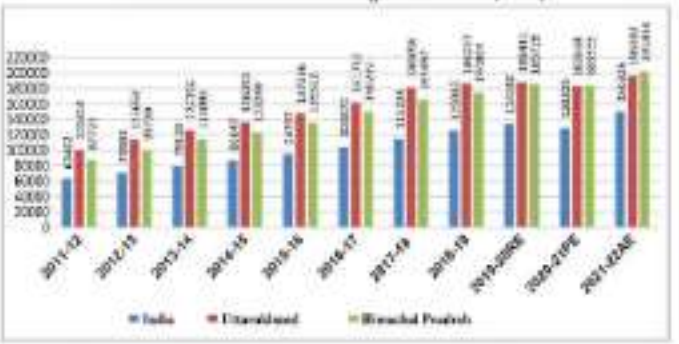

2.5 राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान:– राज्य अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में उपलब्ध विश्लेषक के अनुसार वर्ष 2011–12 एवं 2021–22 अंतिम अनुमान के अनुसार राज्य का कुल सकल मूल्य वर्द्धन (आधारित मूल्य पर) प्रायमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का तुलनात्मक योगदान चार्ट 2.5.1 एवं 2.5.2 में दर्शाया गया है:–

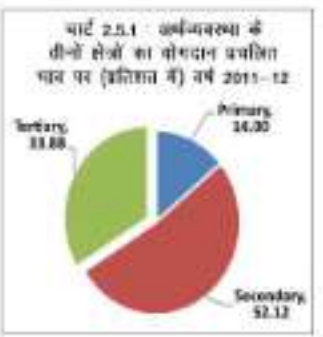

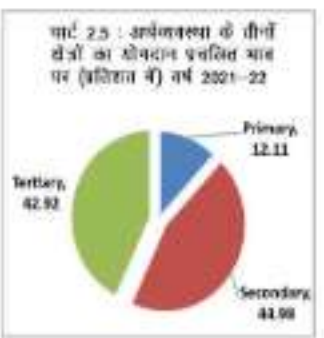

2.6 राज्य अर्थव्यवस्था की सम्बन्धित एवं उप–सम्बन्धित मूल्य वर्द्धन (Value Addition) एवं वृद्धि दरें : वर्ष 2021–22 के अंतिम अनुमान के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को निम्नानुसार विवरण के माध्यम से दर्शाया गया है :

2.6.1 प्रायमिक क्षेत्र (Primary Sector): प्रायमिक क्षेत्र की विभिन्न मदों की स्थिर एवं चालू मूल्यों पर सकल मूल्य वर्द्धन तथा वृद्धि दरें तालिका–2.1 में दर्शायी हैं:–

तालिका 2.1

स्थिर मूल्यों (2011–12) तथा प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र के विभिन्न उप–खण्डों के GDP के अनुमान तथा वृद्धि दरें

प्राथमिक क्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021–22		वर्ष 2021–22	स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2011–12) वर्ष 2021–22	
मदें	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	अंशदान प्रतिशत	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6
1. फसलें	12187	2.94	67.31	7,795	2.27
2. पशुधन	7108	15.30	21.96	4,311	14.59
3. वानिकी एवं लट्ठा कटाई	5193	4.07	10.91	3,334	2.91
4. मत्स्य पालन	75	7.36	0.25	54	7.36
5. खनन तथा उत्खनन	2516	4.21	8.83	2,083	5.26
कुल प्राथमिक क्षेत्र	**28480**	**6.62**	**100.00**	**17,518**	**5.62**

उक्त खाली के अनुसार वर्ष 2021–22 में प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र की जी वी ए में अनुमानित वृद्धि दर पश्चिमान तालिका-47.01 प्रतिशत रहा है।

2.6.2 द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector): द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण तथा बिजली, गैस, जल खपत्ती एवं अन्य उपयोगी सेवाएं सम्मिलित हैं। विनिर्माण के अन्तर्गत खाद्य आसवी, लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक व पेट्रोल आदि विभिन्न वस्तुओं के विनिर्माण की आर्थिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2021–22 में द्वितीयक क्षेत्र की 8.88 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। प्राथमिक क्षेत्र के खनन तथा उत्खनन की आर्थिक गतिविधियों को द्वितीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित करने पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थिर मूल्य पर 3.85 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। स्थिर मूल्यों पर (2011–12) तथा प्रचलित मूल्यों पर द्वितीयक क्षेत्र के विभिन्न उप–खण्डों के मूल्य वर्द्धन के अनुमान तथा वृद्धि दरें तालिका–2.2 में प्रदर्शित है–

तालिका 2.2

द्वितीयक क्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021–22		वर्ष 2021–22	स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2011–12) वर्ष 2021–22	
मदें	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	अंशदान प्रतिशत	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6
1. विनिर्माण	78,457	4.24	74.17	85,520	2.40
2. बिजली, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	7,893	10.37	7.46	6,441	2.98
3. निर्माण	19,439	16.05	18.37	19,712	11.61
उप योग द्वितीयक क्षेत्र	**1,05,790**	**6.66**	**100.00**	**85,672**	**3.83**
औद्योगिक क्षेत्र	**1,08,315**	**6.00**		**87,755**	**3.85**

उक्त सारणी के अनुसार वर्ष 2021–22 में प्रचलित कीमतों पर द्वितीयक क्षेत्र की राज्य में अर्थव्यवस्था में योगदान सर्वाधिक 74.17 प्रतिशत रहा है।

2.6.3 तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector): तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, भण्डारण, संचार एवं प्रसारण सम्बन्धित सेवाएं व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, वित्तीय सेवाएं, स्थावर सम्पदा, व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन तथा अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं। वर्ष 2021–22 में प्रचलित अनुमान के अनुसार सकल तृतीयक क्षेत्र में 10.91 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। स्थिर मूल्यों पर 2011–12 तथा प्रचलित मूल्यों पर तृतीयक क्षेत्र के विभिन्न उप–खण्डों की मूल्य वर्द्धन के अनुक्रम तथा वृद्धि दरें तालिका 2.3 में दर्शायी है–

तालिका – 2.3

तृतीयक क्षेत्र	स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2021–22		वर्ष 2021–22	स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2011–12) वर्ष 2021–22	
मद	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	अंशदान प्रतिशत	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6
i. परिवहन, भण्डारण, संचार एवं प्रसारण से सम्बन्धित सेवाएं	35,709	20.88	15.56	11,522	11.69
ii. जल	909	14.83	0.39	249	2.23
iii. स्थावर सम्पदा	4,906	21.00	4.91	3,045	0.56
iv. व्यापार	12	21.13	0.01	8	17.69
v. व्यापार एवं व्यापार से सम्बन्धित सेवाएं	30,150	21.10	13.04	7,339	18.17
2. व्यापार, होटल एवं जलपान गृह	32,001	3.80	31.70	22,443	8.63
3. वित्तीय सेवाएं	8,906	11.50	8.82	6,076	4.08
4. व्यवसाय सम्बन्धी, प्रशासन एवं व्यक्तिगत एवं सामाजिक सेवाएं	16,705	19.51	14.83	11,460	10.18
5. लोक प्रशासन	20,055	3.00	13.54	7,240	5.23
6. अन्य सेवाएं	19,658	19.90	19.47	13,147	10.13
उप योग तृतीयक क्षेत्र	**1,08,947**	**10.91**	**100.00**	**72,729**	**9.22**

उक्त सारणी के अनुसार वर्ष 2021–22 में प्रचलित कीमतों पर तृतीयक क्षेत्र की राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान सर्वाधिक 31.70 प्रतिशत रहा है।

लोक वित्त (Public Finance)

2.7 प्रशासन व विकासात्मक कार्यों के सम्यक् रूप से संचालन के मुख्य वित्तीय साधन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, कर रहित राजस्व केन्द्रीय करों में भाग तथा केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान आदि हैं। वर्ष 2021–22 के बजट अनुमानों में अनुमान मूल राजस्व प्राप्तियां ₹ 44,151.24 करोड़ है जबकि वर्ष 2020–21 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार ₹ 37,103.07 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियां में वर्ष 2021–22 (बजट अनुमान) अनुसार वर्ष 2020–21 की तुलना में 19.02 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

2.8 राजस्व प्राप्तियों में करों से कुल प्राप्त आय वर्ष 2021–22 (बजट अनुमान) के अनुसार ₹ 33165.43 करोड़ रहा वर्ष 2020–21 (पुनरीक्षित अनुमान) में ₹ 16883.17 करोड़ व वर्ष 2019–20 (वास्तविक अनुमान) में ₹ 16414.99 करोड़ आंकी गई है। शेष कर वर्ष 2021–22 (बजट अनुमान) में वर्ष 2020–21 (पुनरीक्षित अनुमान) की अपेक्षा 19.06 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

2.9 राज्य से संबंधित राजस्व विभाग विशेष कर माल्स प्रवेश, राज्य परिवहन एवं अन्य प्रशासनिक सेवाओं इत्यादि से प्राप्त आय सम्मिलित है, वर्ष 2021-22 (बजट अनुमान) में ₹ 3293.58 करोड़ आंकी गयी है। यों कि वर्ष 2021-22 के कुल राजस्व प्राप्तियों का 7.46 प्रतिशत है।

2.10 केन्द्रीय करों से राज्य का भाग वर्ष 2021-22 (बजट अनुमान) में ₹ 7440.99 करोड़ आंका गया है।

2.11 राज्य करों से प्राप्त आय के अनुसार वर्ष 2021-22 (बजट अनुमान) अनुमान लोहारडीह प्राप्त कर करों से प्राप्त आय ₹ 6675.62 करोड़ आंकी गई है जो कि कुल कर प्राप्ति का 15.12 प्रतिशत है। वर्ष 2020-21 में वर्ष 2019-20 में यह क्रमशः 15.07 व 21.54 प्रतिशत थी। बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021-22 में राज्य उत्पादन शुल्क से प्राप्त आय ₹ 3202.09 करोड़ अनुमानित है।

2.12 वर्ष 2011-12 से 2021-22 तक राज्य का राजकोषीय घाटा व प्राथमिक घाटा की तुलना राज्य सकल घरेलू उत्पाद (अंतिमावस्था आकड़े) के संदर्भ निम्न चार्ट-2.6 के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है:-

चार्ट 2.6 : राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटे का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में तुलनात्मक चित्रण

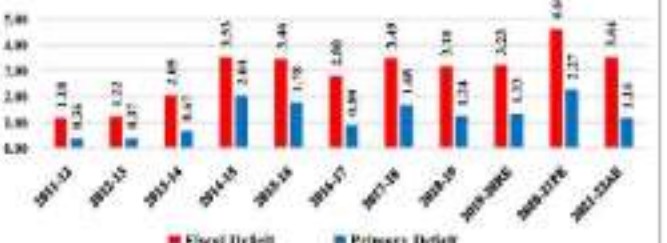

a) राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)– उधार एवं अन्य देयताओं (Borrowing & other liabilities) की घटाने पूर्ण कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय (ऋण के भुगतान (Loan Payment) को छोड़कर) को घटाने के उपरान्त जो धनराशि प्राप्त होगी, उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं।

b) प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)– राजकोषीय घाटा से ब्याज अदायगी की धनराशि को घटाने पर जो धनराशि प्राप्त होगी, उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं।

2.13 बजट विश्लेषण– उक्त एवं अन्य निदेशकों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष विश्लेषण से पहिले बजट का विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण मात्र सरकारी तौर का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान ज्ञात करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि राजकोष की वित्तीय दशा में अन्य क्या वित्तीय आर्थिक गतिविधियों में व्यय का भी विश्लेषण करना है। यद्यपि विधानसभा में प्रस्तुत बजट में ही राजस्व/पूंजी परिव्यय दिखा जाता है किन्तु इस विश्लेषण के माध्यम से आय व व्यय के उनके उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है न कि मात्र संख्यात्मक अनुसार। विभिन्न प्रमुख वर्गीय अनुपातन एवं प्रवृत्तियां जैसे कि पूर्वी विवेक, पूर्वी आय, कुल बजट व्यय आदि की तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से ही ज्ञात की जा सकती है। वर्ष 2021-22 के बजट विश्लेषण अनुरूप निम्न विभिन्न विश्लेषणों का चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया गया है।

2.14 आस्तियों का विश्लेषण– निम्नलिखित विभिन्न चार्ट के माध्यम से वर्ष 2019-20, वर्ष 2020-21 व वर्ष 2021-22 में आस्तियों का विश्लेषण निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया है।

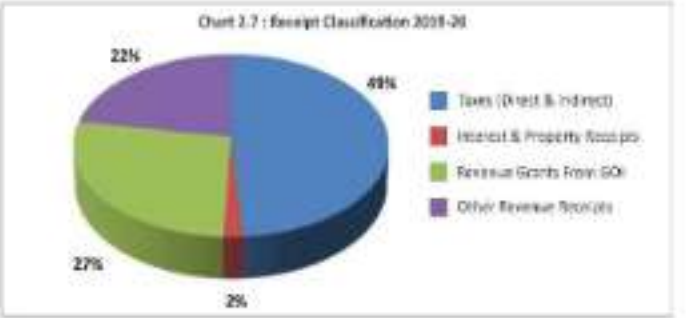
Chart 2.7 : Receipt Classification 2019-20
22%
49%
27%
2%
Taxes (Direct & Indirect)
Interest & Property Receipts
Revenue Grants from GOI
Other Revenue Receipts

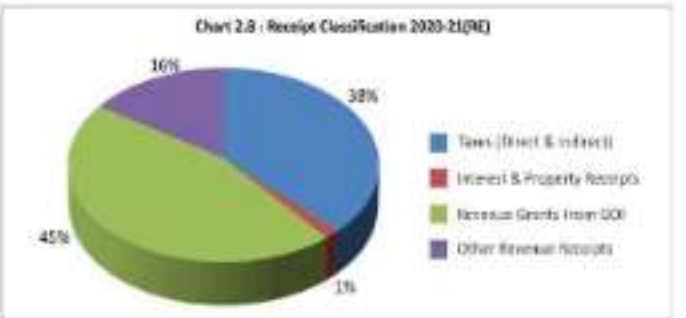
Chart 2.8 : Receipt Classification 2020-21(RE)
16%
38%
45%
1%
Taxes (Direct & Indirect)
Interest & Property Receipts
Revenue Grants from GOI
Other Revenue Receipts

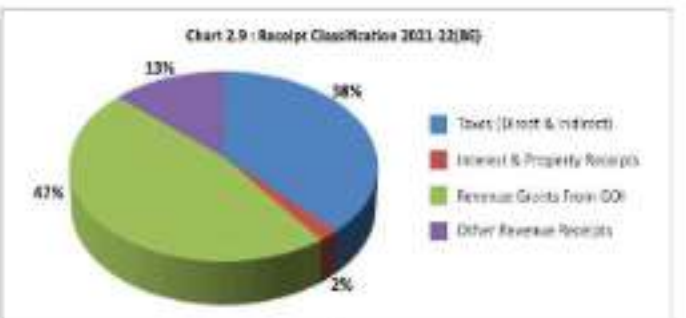
Chart 2.9 : Receipt Classification 2021-22(BE)
13%
38%
47%
2%
Taxes (Direct & Indirect)
Interest & Property Receipts
Revenue Grants from GOI
Other Revenue Receipts

2.15 व्यय का विश्लेषण :- जिला पंचायत सहरसा के पश्चात् से वर्ष 2019-20, वर्ष 2020-21 व वर्ष 2021-22 में व्यय का विश्लेषण किया गया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जिला क्षेत्र को आवंटित की गयी राशि को ध्यान में रखते हुये सभी अंशित प्रस्तावित व्यय की गयी है। यह प्रस्तावित वर्ष 2019-20, वर्ष 2020-21 व वर्ष 2021-22 में क्रमशः 32 प्रतिशत, 26 प्रतिशत व 30 प्रतिशत अनुमानित है। साथ ही ग्रेम्स सीनरियो पॉजिटिविटीस को देखते हुये, व्यय में प्रत्येक क्षेत्रों में भी व्यय को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2019-20, वर्ष 2020-21 व वर्ष 2021-22 में पंचायत में व्यय का प्रतिशत क्रमशः 6 प्रतिशत, 9 प्रतिशत व 7 प्रतिशत व्यय अनुमानित है। क्षेत्रवार इसमें विभिन्न क्षेत्रों में जिला के कार्य हेतु अधिक आवंटित व्यय की गयी है। व्यय का प्रतिशत वर्ष 2019-20, वर्ष 2020-21 व वर्ष 2021-22 क्रमशः 22 प्रतिशत, 21 प्रतिशत व 21 प्रतिशत पाये अनुमानित है। अतिरिक्त गतिविधियों में व्यय का प्रतिशत क्रमशः 20 प्रतिशत अनुमानित है।

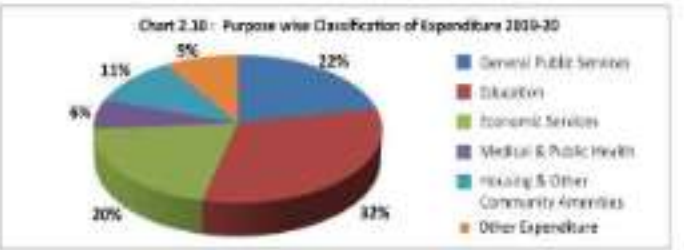

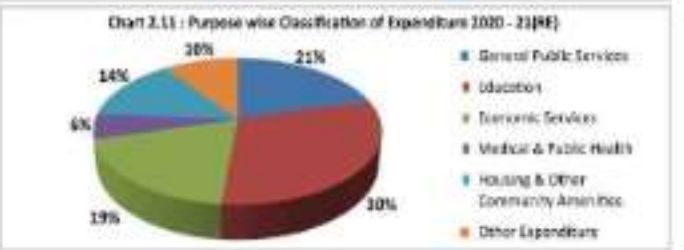

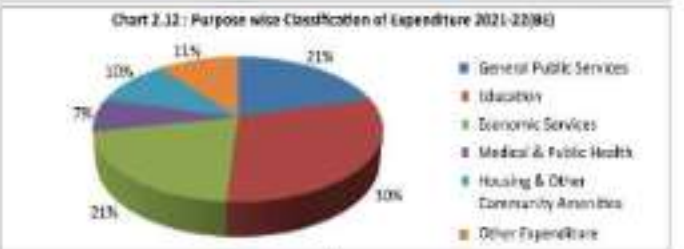

अध्याय–3
बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त
Banking and Institutional Finance

कोविड – 19

• भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'आत्म निर्भर भारत' के अन्तर्गत कोविड–19 से प्रभावित व्यावसायियों को सहज बनाने हेतु ECLGS (इमरजेन्सी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना) के अन्तर्गत ऋण की सुविधा प्रदान की गयी है।

• प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत रेहड़ी, ठेला व्यावसायियों (STREET VENDORS) को रूपये 10000/– की ऋण सहायता बहुत ही सूलभ ब्याज दर पर उपलब्ध कराई गयी है। पहले ऋण ले चुके व्यक्ति जो समय से ऋण की किस्त अदायगी करते रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में पुनः ऋण रूपये 20000/– तक का उपलब्ध है।

यह योजना प्रारम्भ से 31.03.2022 तक चालू थी, जिसकी अवधि 30.09.2022 तक बढ़ा दी गयी है।

• सूक्ष्मों की ऋण को वर्ष 2022 तक पुनर्गठन करने के उद्देश्य से तनाव आकलन के विस्तार हेतु 'आत्मनिर्भर सूक्ष्म ऋण योजना' तथा डेमरों से जुड़े सूक्ष्मों हेतु 'मैक्रोमिनी' की ऋण सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

• तनावग्रस्त ऋणों के पुनर्गठन हेतु अनुसूचियों की गाइडलाइंस के अनुसार ऋण सुविधा प्रदान की गयी। इसके अन्तर्गत एमएसएमई क्षेत्रों को उनसे ऋण का 10 प्रतिशत अथवा रूपये 25 लाख, जो भी कित्त AUDITED BALANCE SHEET में उपलब्ध कम हो, की ऋण सुविधा प्रदान करने का प्रावधान किया गया।

• कोविड–19 के तहत बैंकों द्वारा स्वरोजगार कारोबार को चलाने हेतु के लिए प्रारंभिक कार्यशील पूंजी सावधि ऋण, सावधि ऋण घटक के पुनर्गठन व दो वर्ष की ढील का पात्रता करने के मानकों को लागू किया गया। वर्तमान में ECLGS स्कीम को 31.03.2022 तक बढ़ा दिया है, जिससे कोविड–19 से प्रभावित इस वर्ग के व्यक्तियों को राहत मिल सके। बैंक क्रेडिट पात्रता खाते धारी हेतु ब्याज प्रक्रिया को DEFER किया गया। DIGITAL MODE पर Focus किया गया जिसमें अधिक से अधिक लेनदेन ऑनलाइन सम्पादित किया जा सके।

• आत्म निर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना । जून 2020 को प्रारम्भ की गयी। जिसके तहत 10000/– तक के ऋण लेने, लेकिन समय पर भुगतान करने वाले व्यक्तियों को बैंकों द्वारा 31.03.2022 तक 11400 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत कर वितरित किया गया। साथ साथ इस भुगतानकर्ता प्रोत्साहन योजना के तहत बैंकों द्वारा 31.03.2022 तक 8000 लाभार्थियों को ऋण वितरित कर प्रोत्साहन के लाभ को उपलब्ध किया गया है।

• प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 11400 रेहड़ी वेंडरों को सूक्ष्मसंपदा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 8000 लाभार्थियों को, सूक्ष्मसंपदा स्वरोजगार योजना–नैनो की अंतर्गत 1024 एवं सूक्ष्मसंपदा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 122 लाभार्थियों को रोजगार सृजन हेतु ऋण प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त पुरा ऋण, शेष 45, पीएम स्वनिधि लाभार्थी, स्वरोजगार योजनाओं के तहत योजना सृजन का प्रयास प्रगति

किया गया। कृषकों को ऋण प्रवाह हेतु जेएलजी/एसएचजी के गठन विशेष रूपांतरण चलाए गए तथा देवरी, नन्दन एवं सहजपुर में दूरदर्शन केन्द्रों को भी सिंगल लेंडिंग कार्य दिया गया।

• बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए सहज स्कीमों के सहज व्यवस्थितियों एवं कार्यविधियों हेतु मार्गदर्शन के अनुसार 31 एसएचजी/जेएलजी में सहज खाते (STANDARD ACCOUNTS) के SCLIGS (ईमरजेन्सी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना) Phase-1, Phase-2, Phase-3 और Phase-4 में अतिरिक्त ऋण लेने की सुविधा प्रदान की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत उपलब्धता राशि रु 31.03.2022 तक 73.33cr राजस्थानी की कुल 2187 स्कीमों तक अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है।

3.1 वर्ष 2021-22 में 31 मार्च 2022 तक बजट में कुल 2,362 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है जिनमें से 48.49 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों, 22.87 अर्द्धशहरी क्षेत्रों तथा 28.64 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। जोनल में 1100 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 947 शाखाएं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में तथा 665 शहरी क्षेत्र में स्थित हैं।

3.2 जनगणना, 2011 के अनुसार बजट में प्रति शाखा औसत जनसंख्या 4,217 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 11,271 है। 31 मार्च 2022 तक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल 1388 शाखाओं का नेटवर्क है, एसबीआई की सबसे ज्यादा 441, पीएनबी की 207 और बैंक ऑफ बड़ौदा की 134 शाखाएं हैं। निजी क्षेत्रों के बैंकों का 426 शाखाओं का नेटवर्क है। शेष शाखायें अन्य बैंकों से सम्बन्धित हैं।

3.3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी): लक्षित जनसमूह तक्षिण बैंक को एस.बी.आई. बैंक द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें 31 मार्च 2022 तक कुल 266 शाखाओं का नेटवर्क है। जहाजपुरी बैंक का 322 शाखाओं का नेटवर्क तथा 15 शाखाओं का राज्य स्तरीय अर्थात् कुल 337 शाखाओं का नेटवर्क है। जनपद अग्रणी जहाजपुरी बैंकों एवं सहभागिता, खरीफवार, उपभोक्ता ऋण एवं एडवांस, शेष 10 जनपदों में कुशलगढ़ में तथा शेष राज्यीय बैंक सिंदौलगढ़, खरीफवार, मंगलाड़, सवाईपुरा को ऑपरेशन, शेष 09 जनपदों में जयपुरिया है। उपलब्धता प्रत्येक राजकीय बैंक की सबसे शाखाएं पूर्णत: डी.बी.एस. प्रणाली पर संचालित है। जहाजपुरी महाराजी बैंक जहाजपुरी सेवा ने सेंसस्ट फाईनेंसियल सिंगल से पूरानें राज्य देश का जहाज बैंक है, जिसके द्वारा बैंक के खाता धारक देश के किसी भी स्थान पर विदेशन द्वारा प्रमुख बैंकों के ए.टी.एम. का प्रयोग कर सकते हैं। बैंक से खाता धारक एडवीएम, एटमवीएम, मास्टरवीजा एवं रूपे कार्ड, आदि के माध्यम से सही भी धनराशि का लेनदेन कर सकते हैं।

3.4 विशेषकर बैंक शाखाओं के प्रकार की दृष्टि से जिले में सबसे अधिक 575 बैंक शाखाएं नया कोलेकर में हैं वहीं कम 55 बैंक शाखाएं हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा 31 मार्च 2022 तक 2023 ए.टी.एम. स्थापित किए गए हैं। विस्तार रूपरेखा में बैंकों की स्थिति निम्न तालिका-3.1 में दी गयी है:-

અનિલક-3.1

31 માર્ચ, 2022 की स्थिति अनुसार

S. No.	Name of the Bank	No. of Branches				Total No. of Atm's	C.D RATIO	Total No. of Jan Dhan Accounts	Percentage of Aadhar Seeding
		R	SU	U	Total				
1	State Bank of India	276	65	100	441	817	42	692188	77.00
2	Punjab National Bank	155	97	75	297	439	39	616544	78.14
3	Bank of Baroda	52	90	52	194	200	44	556332	86.26
A	**Total Lead Banks**	**483**	**162**	**227**	**872**	**1500**	**42**	**1960124**	**80.28**
4	Union Bank of India	88	85	37	111	139	40	385257	73.77
5	Canara Bank	44	29	51	124	116	58	142991	76.80
6	Central Bank of India	8	12	21	41	22	29	39978	80.30
7	Punjab & Sind Bank	16	13	16	45	53	45	31838	89.07
8	UCO Bank	19	24	24	67	52	38	79772	62.58
9	Indian Overseas Bank	18	10	17	45	56	55	66997	69.55
10	Bank of India	11	14	30	55	24	69	80397	91.29
11	Indian Bank	10	18	22	50	22	35	85782	77.48
12	Bank of Maharashtra	0	2	6	8	7	29	14143	84.63
B	**Total Non-Lead Banks**	**103**	**157**	**194**	**510**	**401**	**43**	**732512**	**76.41**
C	**Total N. Banks (A + B)**	**648**	**319**	**421**	**1388**	**1959**	**42**	**2637736**	**79.20**
13	Uttarakhand G.B	215	41	29	285	7	43	230777	82.33
14	U.P. Gramin Bank	1	0	0	1	0	48	2305	97.30
D	**Total R.R.B.**	**217**	**41**	**29**	**287**	**7**	**43**	**233082**	**82.47**
15	Co-operative Bank	184	61	72	317	95	59	99382	64.17
E	**Total Cooperative**	**184**	**61**	**72**	**317**	**95**	**59**	**99382**	**64.17**
F	**Total (C+D+E)**	**1049**	**421**	**522**	**1992**	**2061**	**44**	**2970100**	**78.96**
16	Nainital Bank	31	24	21	56	0	64	28348	72.48
17	Axis Bank	12	18	25	55	147	98	11047	62.97
18	ICICI Bank	4	14	20	38	106	73	2776	62.43
19	IDBI Bank	10	13	8	31	58	31	9095	60.74
20	HDFC Bank	21	27	42	90	171	101	12203	91.64
21	The J & K Bank	3	0	3	3	2	97	970	83.81
22	Federal Bank Ltd	0	0	1	1	1	39	28	71.05
23	Industind Bank	4	7	9	20	28	27	676	68.58
24	The Karnataka bank	0	1	3	4	5	70	3906	69.23
25	The South Indian Bank Ltd	0	0	1	1	1	43	9	66.67
26	Yes Bank	5	4	8	17	15	97	92	28.57
27	Kotak Mahindra Bank	0	3	8	11	9	88	247	40.91
28	BANDHAN BANK	0	5	7	12	6	62	0	0.00
29	Ujjivan Small Finance Bank	0	1	3	4	4	17	0	0.00

30	Utkarsh Small Finance Bank	4	9	9	22	8	38	0	0.00
31	IDFC Bank	0	0	5	5	3	112	0	0.00
32	Jana Small Finance Bank LTD	0	0	2	2	0	3	0	0.00
G	Total Private Bank	111	126	183	420	562	68	69342	62.26
H	Total All Bank (F+G)	1160	547	695	2382	2623	47	3035443	76.58

3.6 तालिका–3.0 से स्पष्ट है कि राज्य के अन्तर्गत देहरादून, उधमसिंह नगर एवं हरिद्वार में सबसे अधिक बैंकिंग जनसंख्या हुआ है, तथा उत्तराकाशी, रुद्रप्रयाग एवं चम्पावत में सबसे कम बैंकिंग जनसंख्या हुआ है। तालिका अनुपात सबसे अधिक उत्तराकाशी नगर, चम्पावत तथा हरिद्वार में है। सबसे कम अनुपात चम्पावत, उत्तरकाशी एवं पौड़ी में है।

तालिका–3.2
उत्तराखण्ड में जनपदवार बैंकों का ऋण जमा अनुपात

वर्ष Year 31 MARCH 2022								(Amt in Crores)
S. No.	Name of the District	जनसंख्या	कुल बैंक शाखाओं की संख्या	शाखा प्रति औसत जनसंख्या	जमा धनराशि Total Deposit	कुल ऋण वितरण Total	ऋण जमा अनुपात C:D Ratio
1	Dehradun	1696694	575	2951	72179	25330	35
2	Uttarkashi	330086	87	4027	2455	1275	52
3	Haridwar	1890422	270	6776	24313	16076	66
4	Tehri	618931	144	4298	5858	1918	32
5	Pauri	687271	189	3454	13019	2662	20
6	Chamoli	391605	99	3956	4111	2883	70
7	Rudra Prayag	242285	57	4251	2284	643	28
A	Total G.M	5857294	1420	4125	131465	50818	42
8	Almora	622506	151	4123	7120	1808	25
9	Bageshwar	259896	55	4725	2185	575	26
10	Pithoragarh	483439	109	4435	5167	2350	45
11	Champawat	256648	63	4121	2669	894	34
12	Nainital	954605	259	3686	20395	8364	41
13	US Nagar	1648901	335	4922	17556	18028	103
B	Total K.M	4226098	972	4151	55090	32069	58
C	G. TOTAL	10083392	2392	4217	176555	82887	47

3.6 31 मार्च, 2022 तक राज्य के बैंकों ने आर.पी.ओ. आई. द्वारा निर्धारित 4 राष्ट्रीय मानकों की तुलना में 4 राष्ट्रीय मानकों, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में अधिक, कृषि ऋण, कमजोर वर्ग ऋण तथा महिला ऋण को अंकित किया है। वार्षिक में बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र जैसे कृषि, एम.एस.एम.ई., शिक्षा ऋण, आवास ऋण, लघु ऋण आदि गतिविधियों को लाने के लिए कुल 3664 करोड़ राशि का वितरण किया गया जो कि कुल ऋण का 65% है। यह प्रतिशत राष्ट्रीय मानक के 40% लक्ष्य से अधिक है।

3.7 बैंकों द्वारा वर्ष्य गए कुल ऋण में से 19.26 प्रतिशत कृषि अधिक राशि का रहा है। 25.44 प्रतिशत ऋण लघु उद्योग में से 10.80 प्रतिशत सेवा क्षेत्र एवं 13.64 प्रतिशत निर्यात क्षेत्र में ऋण दिया गया है तथा 9.10 प्रतिशत अन्य क्षेत्र में ऋण दिया गया है। बैंकों द्वारा कुल ऋण में से कमजोर वर्गों तथा महिलाओं को क्रमशः 13.77 प्रतिशत तथा 12.55 प्रतिशत अंकित किया गया है जो कि राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्रमशः 10.00 प्रतिशत तथा 5.00 प्रतिशत है। 31 मार्च, 2022 तक ऋण-जमा अनुपात 62.00 प्रतिशत रहा। ऋण वितरण की स्थिति नीचे तालिका – 3.3 में दर्शायी गई है–

तालिका–3.3
राष्ट्रीय मानकों की स्थिति

क्र.सं.	क्षेत्र	अंकित प्रतिशत	अंकित प्रतिशत	राष्ट्रीय मानक प्रतिशत
		31.03.2021	31.03.2022	
1.	प्राथमिकता क्षेत्र में अंकित	58	65	40
1.1	कृषि ऋण	19.04	19.26	18
1.2	सूक्ष्म लघु एवम ऋण	25.14	25.44	
1.3	निर्यात क्षेत्र	7.48	10.04	
1.4	सेवा क्षेत्र	17.00	10.80	
1.5	अन्य क्षेत्र	10.10	9.10	
2.	गैर प्राथमिक क्षेत्र	42.07	45.20	
3.	कुल अंकित	100	100	
4.	कमजोर वर्ग ऋण	14.07	13.77	10
5.	महिला ऋण	12.09	12.55	5
6.	डी.आर.आई.ए.एस ऋण	0.31	0.31	1
7.	ऋण जमा अंकित अनुपात	53	52	60
8	अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति ऋण (ए.एस.टी.)	3.85	3.78	
9	अल्पसंख्यक ऋण (मैं.एस.सी.)	8.11	7.87	

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)

3.8 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वित्तीय समावेशन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण माध्यम हैं। विभिन्न अन्तर्गत भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिनकी संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है–

(क) प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) : बैंकों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत (28.08.2014) से सेक्टर 31 मार्च 2022 तक 20,39,442 खोले खोले गए हैं, जिनमें से 22,86,147 (76.21%) खातों में जमाओं की राशि (Rupay) डेबिट कार्ड जारी किये गये हैं तथा 23,88,243 (79.57%) खातों को आधार संख्या से जोड़ा गया है।

(ख) प्रधान मंत्री जन-धन योजना के अन्तर्गत सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पहल. प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्यान्वयन के द्वितीय चरण के अन्तर्गत भारत सरकार ने मंत्रियों तथा सहायता अभियानों के लिए सामाजिक सुरक्षा पहल के रूप में तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शुरू किया है जिनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है–

i) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 01.04.2021 से 31.03.2022 तक 22,62,443 खातों को आच्छादित किया गया है।

ii) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत 01.04.2021 से 31.03.2022 तक 5,58,148 खातों को आच्छादित किया गया है।

iii) अटल पेंशन योजना (APY) : अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा 3,93,453 खातों को नामांकित किया है। इसके अतिरिक्त बैंक वित्तीय साक्षरता और जागरूकता अभियान द्वारा एवं Financial Literacy Centre आयोजित करके लक्षित समूहों को आच्छादित एवं नई पेंशन स्कीम के लिए प्रचार केंद्रित किया गया है।

(ग) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) : बैंकों द्वारा उत्तराखण्ड में 31 मार्च 2022 तक वर्तमान वित्त वर्ष 2021–22 में इस योजना के अन्तर्गत 2,03,767 नए सूक्ष्म उपक्रमियों को 2396.83 करोड़ का ऋण स्वीकृत किये गये हैं।

(घ) स्टैण्ड अप इण्डिया योजना (Stand Up India Scheme) : इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमकर्ता एवं महिला उद्यमियों को 10.00 लाख से अधिक और 100 करोड़ तक ऋण बैंकों द्वारा नए उद्यम की स्थापित करने के लिए दिया जाता है (इसमें ग्रीन फील्ड उद्यम भी शामिल होता है)। 31 मार्च 2022 तक इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा 2827 नए उद्यमों को स्थापित करने के लिए 319.85 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

3.9 आर.सी.आई. रोडमैप 2019-2020– उत्तराखण्ड में 2020 से पीछे की आबादी के साथ सभी बैंक सहित राज्य में बैंकिंग पहुंचों का विस्तार दिसम्बर, 2020 तक आर.सी.आई. रोडमैप के अन्तर्गत हिब और मोटॉर वाहक तथा व्यवसाय प्रतिनिधि (जिन्हें बैंक सेवा कहा जाता है) ने सम्पादित किया जाना है। बैंकों का लक्ष्य जिन गांवों की जनसंख्या 2,000 से कम है, को बैंक सेवाएं की उपलब्धता को स्थापित करना है। उत्तराखण्ड में सभी 2,150 SSA को सम्मिलित कर लिया गया है। लेख संचार मंत्रालय, डिजिटल संचार संस्थान भारत सरकार के जन धन दर्शिका ऐप की अनुसार उत्तराखण्ड में वर्तमान में कोई भी बैंक डिजिटल दृष्टिकोण से अंकित नहीं है।

बैंकों की व्यावसायिक स्थिति :

3.10 राज्य के सभी बैंकों द्वारा 31 मार्च 2021 से 01 मार्च 2022 तक जमा में 1,59,856 करोड़ की 1,76,555 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का योगदान 72.36 प्रतिशत, ग्रामीण बैंकों का 3.09 प्रतिशत, सहकारी बैंकों का 6.04 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र के बैंकों का 17.01 प्रतिशत योगदान रहा है। बैंकों द्वारा जमा

राशि में वर्ष दर वर्ष 10.40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्य अवधि में 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2022 तक 85,143 करोड़ से 91,394 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार 31 मार्च 2022 तक बैंकों द्वारा ऋण राशि में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 7.34 प्रतिशत रही।

3.11 31 मार्च 2022 तक जारी में बैंकों का कुल कारोबार 2,67,446 करोड़ रुपए तक गया जो पूर्व वर्ष की वृद्धि 9.27 प्रतिशत रही। राज्य में वाणिज्यिक क्षेत्रों के बैंकों ने अपनी वित्तीयतों से 81.49 प्रतिशत की खरीदारी से बाजार व्यवहार पर अधिकार किया। तुलनात्मक आंकड़े नीचे तालिका–3.4 में दर्शाए गए हैं

तालिका–3.4
उत्तराखण्ड में बैंकों के तुलनात्मक आंकड़े

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	मद	31.03.2021	31.03.2022	मार्च 2021 से मार्च 2022 में परिवर्तन (वर्ष दर वर्ष)	
				सम्पूर्ण	प्रतिशत
1.	जमा राशि निम्नलिखित:				
1.1	सावधि	42,073	45,052	2,979	7.08
1.2	मांगी/अन्य मांगी	117,783	131,503	13,721	11.65
1.3	कुल (1.1+1.2)	**159,856**	**176,555**	**16,699**	10.45
2.	अग्रिम (ओ/एस)				
2.1	प्राथमिक	26,692	28,683	1,990	7.46
2.2	मांगी/अन्य मांगी	58,451	62,712	4,261	7.29
2.3	कुल (2.1+2.2)	**85,143**	**91,394**	**6,251**	7.34
3.	कुल वित्तीय कारोबार (1+2) अग्रिम (2.1+2.2)	**244,999**	**267,949**	**22,950**	9.37
4.	बैंकों द्वारा राज्य सरकार के ऋण / प्रतिभूतियों में निवेश	5,001	5,864	773	15.18
5.	जमा तथा अग्रिम अनुपात अंतर बैंकों के द्वारा दर	53%	52%	-0%	-1%
6.	प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम (ओ/एस) निम्नवत है:	**30,514**	**33,995**	**5,478**	**13.85**
	(i) कृषि	11,065	14,055	2,992	27.05
	(ii) एम.एस.ई.	16,707	19,288	2,581	15.45
	(iii) अन्य पी.एस.	6,744	6,641	-105	-1.55

7.	गरीबी रेखा अधिक	9.947	10.049	102	1.03
8.	पी.आर.आई अधिक	6.77	6.65	-0.12	-1.77
9.	ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक	31,952	32,974	1,022	3.20
10.	राज्यों की संख्या	2,401	2,392	-9	-0.37
11.	महिलाओं के लिए अधिक	8,014	9,188	1,174	14.65
12.	अल्प संख्यकों को कम	6,056	5,743	-312	-5.15
13.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अधिक	2,554	2,761	197	7.68

3.12 सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister Employment Generation Programme): इस योजना के अन्तर्गत राज्य में केवीआईसी, (Khadi & Village Industries Commission)/केवीआईबी, (Khadi & Village Industries Board) तथा डीआईसी (District Industries Centre) द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के माध्यम से पर्याप्त तथा 21.71 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2022 तक 34.37 करोड़ की प्रगति दर्ज करते हुए 82.46 प्रतिशत की प्रगति दर्ज की गई।

(ख) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यक्रम (National Urban Livelihood Mission): इस योजना में शहरी क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। वित्त वर्ष चालू वर्ष में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत 2330 लक्ष्य से 31 मार्च 2022 तक 1267 उपलब्धियों को सम्मिलित किया गया।

ग) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livlihood Mission) : चालू वर्ष में 31 मार्च, 2022 तक 10312 स्वयं सहायता समूहों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 193.90 करोड़ की सहायता सर्कुलर की गई।

घ) किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): 31 मार्च 2022 तक बैंकों द्वारा योजना को शुरूआत से जनरलाइज किसानों को कुल 5,94,622 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं, जिसमें से इस वित्तीय वर्ष में 77,030 नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं।

ङ) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (Rural Self Employment Training Institutes) : राज्य के 12 जिलों में ग्रामीण बैंक सिण्डिकेट बैंक और इलाहाबाद बैंक(एलबीबी) बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरसेटीआई) का गठन किया है। 31 मार्च 2022 तक बैंकों द्वारा अब तक कुल 6258 ग्रामीण युवाओं को आत्म सहायता के साथ-साथ स्वयं नियोजन विकास के लिए सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश प्रदान किया है। उक्त आरसेटीआई में से प्रशिक्षित कौशल विकास कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण की प्रगति दर्ज की गई है।

3.13 ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना विकास निधि (Rural Infrastructure Development Fund&RIDF) माननीय सरकार द्वारा माननीय में वर्ष 1995-96 में ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की स्थापना की गई थी।

3.14 इस निधि के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में आरआईडीएफ-I में 2,000 करोड़ का बजट आवंटन था जो अब बढ़कर आरआईडीएफ-XXVII में वर्ष 2021-22 में 40,000 करोड़ हो गया है।

3.15 आरआईडीएफ के अन्तर्गत राज्य को 15 फरवरी, 2022 तक 4311 परियोजनाओं को जारी करने के लिए 10022 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें से मुख्यतः सिंचाई, पुल, सिंचाई, सड़क पुल, पेयजल, लेवल क्रासिंग आदि की परियोजनाएं शामिल हैं। 15 फरवरी, 2022 तक आरआईडीएफ के अन्तर्गत कुल वितरण 4009 करोड़ का जारी किया जा चुका है।

3.16 दिनांक 15 मार्च्यी, 2022 तक नाबार्ड की राष्ट्र इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद 23 लाख से अधिक लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा, 14288 मिलीमीटर जेंटर योग उद्यान, 27342 मैट्रिक टन्स धुली के निर्माण तथा 2205.44 हजार्यकर सुनी सुविधाओं सुविधा प्रदान की गई।

3.17 नाबार्ड अवसंरचना विकास सहायता (नीडा): वर्ष 2011–12 से नाबार्ड ने राज्य सरकार के संस्थाओं/ निगमों के लिए ऋण की एक अलग व्यवस्था की है। यह व्यवस्था बाजार से संसाधन से कम ब्याज दर पर हो सकती है। सुदृढ़ अवसंरचना हेतु इन संस्थाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना अनिवार्य है। ऋण की यह व्यवस्था अवसंरचनात्मक ऋण की व्यवस्था से अलग है। इस निधि से खर्च से पेय परियोजना योजों से प्रारंभिक अवसंरचना तैयार करने हेतु सहायता मुहैया है। सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकासात्मक के दायरे को बढ़ाने के लिए नीडा के तहत कार्यान्वित व लिये जाने वाले प्रोजेक्ट के भी विस्तृतीकरण किया जाता है। इसलिए पेयजल आपूर्ति, जिसमें बड़े पैमाने पर सामीण क्षेत्रों को जल मिलता है और अवसंरचना के तहत भजन जलाशय/भंडारण निर्माण जैसे द्वारा अनुसूचित रूपरेखाओं की उपलब्धता के सहयोग से सी. पी. डी. को तहत वित्तपोषण के लिए पात्र है। नाबार्ड ने इस योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य में पिटकुल को 8232 करोड़ के दो प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं।

3.18 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत नाबार्ड इरीगेशन फंड (MIF): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जुलाई, 2015 को शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य सिंचाई का दायरा बढ़ाने, हर खेत को पानी तथा पानी के उपयोग की दक्षता बढ़ाना 'Per Drop More Crop' था। नाबार्ड इरीगेशन फंड जो नाबार्ड के पास है, का कॉर्पस वर्ष 2021–22 के दौरान बढ़ाकर 12,000 करोड़ कर दिया है। साथ सरकार इस फंड से अतिरिक्त नाबार्ड से ऋण ले सकती है। वर्ष 2020–21 के दौरान नाबार्ड ने इस फंड के अंतर्गत 14.64 करोड़ की ऋण सहायता को स्वीकृत किया है।

3.19 डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि (Dairy Infrastructure Development Fund): दुग्ध प्रसंस्करण की अपर्याप्त संरचना से असुविधाजनक और उत्पादों वृद्धि तथा गुणवत्ता के उद्देश्य से और साथ ही हितधारक डायरियों द्वारा इष्टतम मूल्य की सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2017–18 में नाबार्ड में 8004 करोड़ की संसाधनों से डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) की स्थापना की। इस निधि का उपयोग पात्र बैंकों को उनकी में किया जाना है। इस फंड से लाभान्वित हेतु उपयोगकर्ता तथा नाबार्ड के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

3.20 मत्स्य पालन और जलजपालन आधारभूत संरचना विकास निधि/Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF): केंद्रीय बजट 2018–19 में इस निधि की स्थापना के की गई घोषणा के अनुसरण में भारत सरकार ने कुल 7522 करोड़ की संसाधनों से मत्स्य पालन और जलजपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) की स्थापना की थी। इस निधि का कार्यान्वयन वर्ष वर्ष 2018–19 से 2022–23 की अवधि के दौरान किया जाना है। नाबार्ड अन्य प्रयोग गतिविधियों के साथ में खर्च कर रहा है और साथ सरकारी के माध्यम से खर्चेजनिक आधारभूत परियों, जैसे मछली पकड़ने के बन्दरगाह, मछलियों को बाजार के लेए विकसित करने, राज्य के मछली बीज फार्मों के आधुनिकीकरण, आधुनिक मछली खाघरों, रोग निदान प्रयोगशालाओं, जलीय जगहीय सुविधाओं और प्रशिक्षण की आवश्यक संरचना के निर्माण जैसी विभिन्न निवेश गतिविधियों के लिए 2800 करोड़ ऋण की वित्तीय सहायता करेगा। भारतसरकार सरकार ने नाबार्ड के बीच एमओयूहस्ताक्षर होने उपरान्त इस निधि का उपयोग किया जायेगा।

3.21 पुनर्वित्त सहायता (Re-Finance Support): पात्रीय सहकारी ऋण संगठन बैंकों, भूमि विकास, लघु सिंचाई, डेयरी विकास, पशु सहायता समूह, कृषि यंत्रीकरण, भूमि पालन, बागवानी, पेड़/बकरी/सूअर पालन, रिटेल एवं अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण इन्फ्राटेड विभिन्न कार्यों के लिए पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध नाबार्ड द्वारा बैंकों को 14.33 लाख की वित्तीय सहायता की

2021-22 से घोषणा 24 फरवरी, 2022 तक की गई है। इसमें अधिसूचित गवर्नर्स से सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संचालनों को कवरेज प्रदान करने के लिए वर्ष 2013-14 में एक नया उप- 'दीनदयाल ग्रामीण ऋण केंद्र' शुरू किया गया था। इस योजना के अधीन, वर्ष 2021-22 में 24 फरवरी, 2022 तक 186.69 करोड़ वितरित किए गए हैं। गवर्नर ने सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा फसल ऋण वितरण में अधिक योगदान करने के लिए 1000 करोड़ [125 करोड़ रिफ़ेंस सहायता सहित] की ऋण सीमा वाली एसटीओ (एसटीओ) (Short Term Agriculture Operation) के अंतर्गत सुविधा की है। इस बैंकों द्वारा 24 फरवरी, 2022 तक 873.66 करोड़ का पुनर्वित गवर्नर्स में किया गया है। राज्य में पहली बार, गवर्नर द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को मौसमी कृषि परिचालनों के द्वारा कुछ अन्य अनुमोदित प्रयोजनों के लिए सीमा के लिए प्रतिकित अवधारणा (एनए) के अंतर्गत 24 फरवरी, 2022 तक 28.50 करोड़ की ऋण सीमा सुविधा दी गई है।

3.22 सूक्ष्म ऋण (Micro Finance): स्वयं सहायता समूह- बैंक ऋण सहबद्धता कार्यक्रम (एसबीएलपी) के अंतर्गत, पूरे प्रदेश में एक सशक्त आंदोलन ने रहण पीस गया है। इस कार्यक्रम को तृण स्तर पर पहुँचाने में स्वयं सहायता और विशेष उपकरणों का विशेष योगदान रहा है। वित्तीयवर्ष वर्ष में 31 जनवरी, 2022 तक 31,866 स्वयं सहायता समूहों और 4,13,107 समूह देखाल समूहों को क्रेडिट लिंक किया गया है। राज्य एसएलबी को ई-कुबेर पोर्टल पर लाने के प्रयासों के अलावा डिजिटाईजेशन की प्रक्रिया वर्ष 2020-21 में पीएम उन्नति योजना के 26 जिलों (श्रमेठी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और उधम सिंह नगर) में लागू की, जिसके अंतर्गत 31 जनवरी, 2022 तक 4032 स्वयं सहायता समूहों का डिजिटाईजेशन किया जा चुका है। स्वयं सहायता समूहों और संयुक्त देयता समूहों के सदस्यों को उद्यमिता के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पिछले 5 वर्षों में 31 जनवरी, 2022 तक आरसेटिका ग्रामीण विकास कार्यक्रम (एआईआरडी) अंतर्गत 20 प्रशिक्षण और ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के अंतर्गत 58 प्रशिक्षण संचालन किए गए और कुल 4,500 लोगों को वित्तीकरण संस्थानसहयोग से प्रशिक्षित किया गया। स्वयं सहायता समूह बैंक ऋण सहबद्धता कार्यक्रम के क्रियान्वयों के लिए राज्य और जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं और एसएलबी के लिए शीर्ष स्तर पर कार्यशालाओं का भी सफलतापूर्वक किया गया।

3.23 जलागम विकास निधि (Watershed Development Fund): जलागम विकास निधि के अन्तर्गत चार नई दस परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई राशि 1038.99 लाख में से 29 फरवरी, 2022 तक 1080.05 लाख वितरित किए गए हैं। सभी परियोजनाओं में लगभग 9333 हेक्टेयर कृषि और 5750 परिवारों को सम्मिलित किया गया है। इन परियोजनाओं के न केवल पानी की उपलब्धता बढ़ाने सहित इनसे प्राकृतिक संसाधन, जैसे की एकत्रण क्षमता को बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ-साथ जलागमों के पहले जलाशय को रोकने और इसे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे राज्य में स्थायित्व से सम्बन्धित प्राप्तिलक्ष्यों को भी लाभ पहुँचेगा।

3.24 जनजातीय विकास निधि (Tribal Development Fund) के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों का विकास: सचाई क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड ने जनजातीय विकास निधि के अन्तर्गत चार परियोजनाओं में स्वीकृत की गई राशि 1287.71 लाख में से दिनांक 28 फरवरी, 2022 तक 1113.03 लाख की अनुदान सहायता वितरित की गई है, जिससे 2,842 परिवारों को सम्बोधित किया गया है। इन सभी में छोटे बाहनों और देवदार एकाइयों की स्थापना सम्मिलित है। इनके अन्तर्गत भाग, भेंडु और चकराता के पीछे उपहार पाए हैं। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत छोटे उद्यानों और देवदार की बनावट के जनजातीय लोगों को आजीवी आय का स्तर बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

3.25 किसान उत्पादक संगठनों (Farmers Producers Organization) की शुरुआत:

किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को अब तक कुल 04 एफपीओ, जो पौड़ी की विभिन्नताओं, संसाधनों के पूंजीय के आधार को संगठित करने और विभिन्नों के बीच बिखरी हुई भूमि जोत

और अवसंरचना की सूचीसेवाओं को सक्षम बनाने के उद्देश्य से परिकल्पित किया जा रहा है। एफपीओ की सामूहिक आकांक्षाएं, विशेष रूप से छोटी लेकिन बड़ी छोटे और सीमांत किसानों के लिए, महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं क्योंकि एफपीओ सदस्य समूहिक रूप से नवीकरण ऊर्जा संयंत्र, गुणवत्ता वाले इनपुट जैसे बीज, उर्वरक आदि को उपलब्ध के लिए अपनी क्रयशक्ति का उपयोग कर सकते हैं। एफपीओ सदस्य अपनी उपज को सामूहिक रूप से बेचने के कारण मोल-भाव की बेहतर स्थिति अपने विपणन योग्य अधिशेष (Marketing Surplus) के लिए अच्छा मूल्य प्राप्त करने में सहायता ले सकते हैं।

राज्य में गठबंधन ने 108 उत्पादक संगठनों (पीओ) को बनाने में सहायता प्रदान की है। इनमें से 67 पीओ को 2011–12 से दौरान पीजीपीएफपीओ ऋण तथा अनुदान सहायता के तहत सहायता प्रदान की गई थी। 2014–15 से दौरान डीएमएफ फंड के तहत 468.22 लाख की अनुदान सहायता के साथ 55 एफपीओ स्थापित किए गए। 2018–19 से 2021–22 (दिसंबर 2021) तक पीएमएफपीएफपीओ फंड के तहत 46 एफपीओ को 713.80 लाख की अनुदान सहायता के साथ मंजूरी दी गई है। कर्नाटक में, राज्य में गठबंधन द्वारा सहायता प्राप्त 82 सक्रिय एफपीओ हैं।

वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु जनजातीय क्षेत्र के लिए एफपीओ पर केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के तहत 45 क्लस्टर (नवार्ड 20, एनसीडीसी 15 और एनएफएसी 10) का भौतिक लक्ष्य आवंटित किया गया था। एफपीओ पर सीएसएम के तहत 57 एफपीओ (नवार्ड– 22, एनएफएसी 14, एनसीडीसी– 21) के तहत से गुलबर्गा वर्ष 2020–21 से दौरान 55 एफपीओ को बनाया गया। वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य में नवार्ड द्वारा 20, एनसीडीसी द्वारा 13 तथा नेफेड द्वारा 10 क्लस्टर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

3.26 उत्पादक संगठन विकास निधि (Producers Organization Development Fund) – पीजीपीएफ लाभदायक व्यवसायों को प्रोत्साहन देने और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड ने उत्पादक पीजीपीएफ की स्थापना की है। इस कोष की स्थापना का उद्देश्यकेन्द्रित उत्पादकों को समय पर ऋण (ऋण और ईक्विटी अनुपात का मिलान) उपलब्ध कराने, उत्पादकों का समय निर्धारित करने और उत्पादक संगठनों का सशक्तिकरण एवं उत्पादकों (किसानों, कारीगरों, हस्तकला कुशल आदि) की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादकों द्वारा स्थापित परियोजना उत्पादक संगठनों जैसेः उत्पादक संस्थाएं, उत्पादक सहकारी संस्थाएं, परिकल्पित निकाय महासंघ, उत्पादक सहकार अथवा सहकारी समितियों औद्योगिक सहकारी समितियां, अन्य परिकल्पित सहकारी निकाय, जहां को सहायता और सहायता देना है। डायरेक्ट्री में पीजीपीएफ की संख्या पांच है तथा 21500 लाख की राशि कोष्ठक की गई। जिनमें केला, सब्जी मसाला, दुग्ध उत्पादन विपणन, बीज उत्पादन, बैग, कोटर, घंटी एवं बस्तड़ी का उत्पादन है।

–नाबार्ड ने प्रोत्साहन फंड (Produce Fund) के तहत 53 कृषक उत्पादक संगठन (जैसे सभी 13 जिलों से 265 गाँवों के 18161 किसान जिसमें अधिकांश महिलाएं शामिल हैं, बनाए हैं। इन कृषक उत्पादक संगठनों को स्थापना/ संवर्धनी स्तर के अधीन परिकल्पित किया है। ये कृषक उत्पादक संगठन कई प्रकार की समग्र गतिविधियों जैसा कृषि विपणन, मधुमक्खी पालन, डेयरी, नेचिंग खेती, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हैं।

–नाबार्ड के आईसी–पंप के तहत भी 40 कृषक उत्पादक संगठन बनाए गए हैं, जिनमें से 37 परिकल्पित की गए हैं।

– नाबार्ड की सहायिकी फैसिलिटेशन एजेंसीज (सी) द्वारा एफपीओ को जीवनचक्रीय आधारित क्षेत्रिक सुविधा प्रदान करने के लिए संगठित विभिन्न सहायता प्रदान किए गए हैं।

3.27 ग्रामीण गैर–कृषि क्षेत्र (Rural Non & Agriculture sector) नाबार्ड ने ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र ने उत्पादों के विकास और उत्पादन के लिए पुनर्वित उपलब्ध कराने के अतिरिक्त सभाई सुविधाएं के लिए क्रेडिट एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है तथा साथ ही साथ ग्रामीण शिल्पकार

के अधिकार तथा रुडसेटी (Rural Development and Self Employment Training Institute) जैसी संस्थाएं ग्रामीण युवकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देती हैं ताकि वह अपनी क्षमता के अनुसार रोजगार मिल सके और वे अपने गुजर-बसर लायक गतिविधियां शुरू कर सकें। वर्ष 2021–22 के दौरान 31.12.2021 तक दो आर एस ई टी आई. (आरसेटिस नगर एवं रामगढ़ जिलों) और एक कार्यालय (सौदामनी) में आयोजित शैक्षणिक कार्यक्रमों (ट्रेनिंग जिलों) को 1887 लाख की प्रतिभूति अनुदान सहायता विभिन्न जिलों के 20 प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु स्वीकृति दी गई है, जिससे 521 लोग लाभान्वित होंगे।

3.28 निवेश ऋण (Investment Credit)– सब्सिडी स्कीम

क) कृषि विपणन आधारभूत सुविधा (Agriculture Marketing Infrastructure AMI)

पहले सरकार ने विपणन योग्य कृषि संपत्ति अधिशेष को प्रभावी ढंग से प्रबंधन के लिए विपणन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास एवं संवर्धन करने में प्रमुख रोल अदा करने वाली व्यावसायिक नई तकनीकों को बढ़ावा देने हेतु एक नई AMI योजना जो 22 अगस्त 2018 से 31 मार्च 2022 तक क्रियान्वित है, इस योजना के अंतर्गत उपलब्धता स्तर के विभिन्न कार्यों के लाभार्थियों हेतु 50 MT से 10000 MT की क्षमता के कृषि गोदामों एवं शीत भंडार संरचना की निर्माण हेतु 33.33 / 25 प्रतिशत की सब्सिडी (1.33 करोड़) की जा सकती है, जिन पदार्थों गतिशीलता जैसे पेरिश, पैरिशेबिल, गुणवत्ता परीक्षण, प्रयोगशाला, फूड सर्वलेंस यूनिट्स इत्यादि हेतु भी सब्सिडी देने का प्रावधान है, किसी ऑनर शिप और एकाधिकार के लिए भी इस योजना में सब्सिडी उपलब्ध है।

ख) सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य योजनाएं –

i) कृषि विपणन और कृषि व्यापार संवर्द्धन योजना राज्य में संचालित की जा रही है जिसके लिए नाबार्ड के माध्यम से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है. वित्तवर्ष 2021-22 में 31.12.2021 तक, कृषि विपणन और कृषि व्यापार संवर्द्धन योजना के अंतर्गत 47 लाभार्थियों को 286.62 लाख का अनुदान दिया गया है।

ii) कृषि विपणन और कृषि व्यापार संवर्द्धन योजना और राष्ट्रीय एग्रीकल्चर मार्केट यूनिट फाउण्ड, ब्रांडेड फाउण्ड और सुरक्षा फाउण्ड, राज्य में संचालित की जा रही है जिनके लिए नाबार्ड से माध्यम से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है. वित्तवर्ष 2021-22 के दौरान 31.12.2020 तक कृषि विपणन और कृषि व्यापार संवर्द्धन योजना के अंतर्गत 46 लाभार्थियों को 303.37 लाख का अनुदान दिया गया है। राष्ट्रीय एग्रीकल्चर मार्केट के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के दौरान 31.12.2020 तक 1341.17 लाख का अनुदान दिया गया है।

3.29 संस्थागत विकास (Institutional Development):

देश में वर्तमान वित्तीय प्रणाली को एक एनेबलर और सुदृढ़ ऋण वितरण प्रणाली की आवश्यकता है, जो कृषि और संबंधित विकास के लिए वित्तीयन और विभिन्न ऋण आवश्यकताओं को देखभाल करने में सक्षम हो। ग्रामीण सहकारी बैंक (आरसीबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) ग्रामीण ऋण वितरण में शामिल दो महत्वपूर्ण संस्थान हैं।

संस्थागत विकास निधन (आईडीएफ) नाबार्ड की स्थापना के समय से उपलब्ध वित्तीय सहायता (आरआरबी) को साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए इस दिशा में सबसे आगे रहा है। नाबार्ड, संस्थागत विकास प्रयासों के एक भाग के रूप में स्थानीय कृषि ऋण सहकारी समितियों (PACS) को पैरिसि, विशेष और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। सहभागिता विकास योजना (पीईएस) के माध्यम से सहायता बैंकों / पैक्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जबकि तकनीकी, सलाह निरीक्षण और ऋण-सहायक गतिविधि, सहकारी समितियों के विकास सम्बन्धी और लेखापरीक्षा समितियों में व्यावसायिक उत्कृष्टता केंद्र (सी-पीईटी) स्थापना से जारी है। नाबार्ड ने वित्तवर्ष 33 वर्ष के दौरान सहकारी बैंकों / समितियों के 1331 स्टाफ सदस्यों को 69 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया है. 870 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण हेतु 5 करोड़ की सहायता दी गई है. 17 पैक्स के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु सहायता, 02 जिला सहकारी बैंकों के विविध अधिकारियों हेतु एक्सपोजर विजिट तथा 04 जिला सहकारी बैंकों के लिए ओडीआई (Organizational Development initiatives) आयोजित की गई है।

3.31 वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)

वित्तीय समावेशन न्यास उत्तराखण्ड, माननीय वित्त मंत्री और राज्यपाल का एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश में अब तक वित्तीय सेवाएँ प्राप्त न कर पाने वाली बड़ी आबादी के लिए एक विश्वसनीय व्यवस्था का निर्माण करना है। नाबार्ड द्वारा दिसंबर 03 तक के दौरान राज्य में खोले गए वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता केन्द्र, 36 ग्रेमे बैंक की स्थापना, 1884 चेक/एम चेक, पीओएसी, माइक्रो एटीएम आदि सम्मिलित की है। वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के दौरान (31.12.2021 तक) क्रमशः 332.40 लाख व 260.81 लाख की अनुदान सहायता Financial Inclusion Fund से वहन वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई है।

3.32 नैबकॉन्स (NABARD Consultancy Services & NABCON):– नैबकॉन्स नाबार्ड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है और यह कृषि, ग्रामीण विकास और इससे सम्बन्धित क्षेत्रों में परामर्श प्रदान करती है। नाबार्ड जिन मुख्य क्षेत्रों में परामर्श सेवा प्रदान करती है वह है:- व्यवहार्यता अध्ययन, परियोजना रिपोर्ट बनाना, मूल्यांकन, रिन-गोकिंग व्यवस्था, परियोजना प्रबंधन और निगरानी, कृषि व्यवसाय इकाइयों का पुनर्गठन, ग्रामीण बाजारों और समाज निर्माण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का निर्माण, गैर कृषि उद्यमों को व्यवसाय देना आदि।

नैबकॉन्स ने उत्तराखण्ड राज्य में उपरोक्त कृत्यवार एवं संयुक्त संस्थाओं के साथ निम्नलिखित प्रमुख कार्य पूर्ण किये हैं:

1. उत्तराखण्ड ग्राम विकास के लिए "रोल इंडिया विजन" के अन्तर्गत परियोजना योजना तैयार करना।

2. जिला वित्तीय समावेशन एवं इंडिया स्ट्रैटेजी के लिए व्यवसाय प्रोत्साहन एवं इंडिया डेवलपमेंट का मूल्यांकन।

3. भंडारण विकास और रिटेन्शन प्रशिक्षण के लिए गोदामों के कार्यालय का कार्य।

4. शिवालयन फूड पार्क परियोजना, काशीपुर का मूल्यांकन।

5. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य मिशन के अन्तर्गत परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं विस्तृत रिपोर्टिंग।

6. पुलिस एवं सैनिकों की सेवा के लिए सामाजिक विकास (एसएचजी/एफ) के अन्तर्गत परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं विस्तृत रिपोर्टिंग।

7. उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा बागेश्वर में संचालित पशु उत्पादन केन्द्र के व्यवस्थापन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का निर्माण।

8. ग्राम विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित "पीएम सेतु विकास कार्यक्रम" के अन्तर्गत उत्तराई क्षेत्र निर्माण कार्यों का त्रिस्तरीय मूल्यांकन।

9. उत्तराखण्ड को आरगेनिक कंटेनरेशन लिमिटेड द्वारा प्रोत्साहित व स्थापित तीन प्रसंस्करण केन्द्र, रुद्रपुरिया, हल्द्वानी में प्रसंस्करण स्थापित प्रसंस्करण केन्द्र की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का निर्माण।

10. उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि. के महिला स्वयं सहायता समूह के बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों में उत्पादन हेतु सेवा संचालन कार्य और प्रशिक्षण का निर्माण।

11. राज्य में स्थित पहाड़ कृषि उत्पाद प्रसंस्करण परियोजनाओं के जीओ टैगिंग का कार्य

12. एसजेवीएन द्वारा संचालित विद्युतगृह परियोजना के अन्तर्गत बनाए गए परियोजनाओं के स्थानीय मूल्यांकन का कार्य

13. उत्तराखण्ड राज्य में उपयोगित होने वाले खाद्यान्नों के लिए ब्रांड एवं लोगो निर्माण

3.33 नाबार्ड द्वारा जारी अन्य महत्वपूर्ण स्कीम/ पहलें

1. बैंक एक बहुउद्देशीय सेवा केंद्र (PACS as MSC):- बैंक का उद्देश्य जिला बनाना हेतु पूरा प्रयास किया है जैसे कि व्यवसाय का विविधीकरण, एचओ से लिए सामान्य सुविधाएं एवं सहायता का उचित व्यवस्था करना आदि है। इसी उद्देश्य के लिए नाबार्ड ने बैंक को एकमुश्त के रूप में सम्मिलित करने हेतु विशेष पुनर्वित्त स्कीम वर्ष 2020-21 में लागू की है। इस योजना के तहत राज्य

व्यवसायों जैसों को 3% प्रतिवर्ष की दर से (समय-समय पर परिवर्तित) तथा जैसा से गारंटी द्वारा समर्थित ऋण भाग में 1% से ज्यादा ब्याज नहीं वसूला जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत किए गए प्रोजेक्ट एसी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के अधीन ब्याज में छूट (Interest Subvention) प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। उपर्युक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 100 करोड़ की एलएमसी ने प्रतिबंधित करने हेतु सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जिसमें से 18.50 करोड़ की टीएमसी तथा 16.65 करोड़ का बैंक ऋण होगा।

2. एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF): भारत सरकार ने 'आत्म निर्भर भारत अभियान' के तहत इस महत्वाकांक्षी योजना को 09 जनवरी, 2020 को प्रारंभ किया था। इस योजना के अंतर्गत फोकस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जैसे इस सामुदायिक कृषि हेतु 2% प्रतिवर्ष की दर पर 7 वर्ष के अधिकतम समय के लिए ब्याज एवं दीर्घ अवधि का ऋण उपलब्ध है। इस योजना के अधीन जरूरतमंद राज्य को लिए 10 हजार (2020-21 से 2025-26) तक करोड़ रुपए का ऋण भारत सरकार द्वारा गारंटी दी गई है।

3. कोविड-19 से संबंधित पहलें

04 जून, 2021 को मुख्यमंत्री की तीसरी नई उत्तराखंड पहल (अवेयर की रिपोर्ट से पता चला है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से राज्य के विभिन्न हिस्सों से कुल 83,092 मामलों में 31 जुलाई से 5 सितंबर, 2021 के बीच उत्तराखंड लौटे थे। इनमें से ज्यादातर लोग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से संबंध रखते हैं, जिन्होंने महामारी के बीच अपनी नौकरियों के कारण अपनी नौकरी खो दी थी। राज्य सरकार ने कई प्रयास की योजनाओं द्वारा इन प्रभावितों को अपने पैर पर खड़ा करने और आर्थिक सुरक्षा करने के लिए प्रेरित किया है। महामारी ने दी कोविड-19 के दौरान कुल दिहाड़ी मजदूरों की थी। राज्य के विकास को सहज ही समझे हुए इन सभी योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी जारी रखा गया है। इन सभी पहलों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:

(i) विशेष तरलता कोष (Special Liquidity Fund): विनिर्माण को उनके द्वारा लिए गए ऐसे कृषि संबंधी कार्यों को बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से करने हेतु उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक को वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 125 करोड़ जारी किए गए हैं।

(ii) वाटर, सेनिटेशन एवं हाईजीन (WASH) हेतु पुनर्वित स्कीम: भारत ने भारत सरकार के कार्यक्रम द्वारा में कोरोना के दौरान राज्य जीवन रात को रहते रात से बचाए रखने के प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 200 करोड़ की यह पुनर्वित स्कीम प्रारंभ की है। इस स्कीम से लाभ लाभार्थी सभी वाद वित्तीय संस्थाओं (वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों सोसाईटी) को कार्यशील क्षेत्रों में स्वच्छता क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु ऋण देना।

(iii) वाटरशीड एवं वाडी प्रोजेक्टस हेतु विशेष पुनर्वित्त स्कीम: लाभार्थ तुला स्थापित वाटरशेड एवं वाडी प्रोजेक्टस के क्षेत्रों में उपभोक्ति, पश्चगामिक एवं तृतीयक क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों हेतु अतिरिक्त कार्यिक सहायता सभी वाद बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को 3% की दर पर दीर्घावधिक पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम से कृषि क्षेत्रों में कुल वित्तपोषण बढ़ेगा।

(iv) माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इन्टरप्राईजेज को बढ़ावा देने हेतु विशेष पुनर्वित्त स्कीम: यह स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में लघु आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन अवसर उपलब्ध कराने हेतु जिसमें विशेष रोजगार परिवार उद्यमियों एवं एग्रीकल्चर विंगों पर होगा। यह स्कीम एफ.पी.ओ. को बढ़ाने एवं मजबूत करने के लिए बनाई गयी है। लाभार्थियों को सिंगापुरी दरों पर ऋण वितरण तथा बैंकों को ऋण के समेकित पुनर्वित्त सहायता मिलेगी।

अध्याय–4
कराधान
Taxation

राज्य कर (State Tax)

राज्य कर निकाय उत्तराखण्ड राज्य के वित्त विभाग के अन्तर्गत कार्य करता है। राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वाहन कर/मूल्य वर्धित कर का योगदान लगभग 66 प्रतिशत होने से वाहन एवं राज्य की आय का अनुमान एवं महत्वपूर्ण होता रहा है।

4.1 **कर संरचना:**– दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात वर्ष 2000–2001 में प्राप्त कर राजस्व ₹ 233 करोड़ था, जो कि वर्ष 2021–22 तक लगभग 56 गुना बढ़कर ₹ 13,073.00 करोड़ (₹ 4,808.04 करोड़ प्रतिकर एवम्‌ विविध) हो गया है। इसे चार्ट–4.1 में दर्शाया गया है–

चार्ट–4.1
वर्षवार राजस्व प्राप्ति

स्रोत: राज्य कर विभाग (उत्तराखण्ड)

4.2 राज्य कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में डिट्रोलियम क्रूड्स एवं नैचुरल गैस तथा शराब पर प्राप्त कर को छोड़ते हुये कुल ₹ 9,349.71 करोड़ (₹ 4,811.87 करोड़ प्रतिकर व लोन एक्सक्लूसिव सहित) का राजस्व अर्जित किया गया है, जबकि इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 में डिट्रोलियम क्रूड्स एवं नैचुरल गैस तथा शराब पर प्राप्त कर को छोड़ते हुये कुल ₹ 10,265.64 करोड़ (₹ 4,808.04 करोड़ प्रतिकर व लोन प्रतिकर एक्सक्लूसिव सहित) का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि गत वर्ष की तुलना लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। जिसे तालिका 4.1 में दर्शाया गया है–

तालिका 4.1

पर वर्ष के सकल पेट्रोलियम प्रीमियम एवं नैचुरल गैस तथा राज्य पर प्राप्त कर को छोड़ते हुये राजस्व प्राप्तियां (SGST)

(प्रतिशत करोड़ में)

	वर्ष 2020-21										वर्ष 2021-22									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

तालिका 4.2

राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड द्वारा प्राप्त कुल राजस्व(Non-GST)

(धनराशि ₹ करोड़ में)

माह का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वृद्धि / कमी का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
अप्रैल	104.57	216.43	106.97%
मई	45.01	180.43	300.75%
जून	110.89	122.41	10.39%
जुलाई	130.62	170.82	25.11%
अगस्त	145.51	196.94	54.86%
सितम्बर	147.28	188.99	27.91%
अक्टूबर	145.51	197.05	36.33%
नवम्बर	192.43	226.97	17.95%
दिसम्बर	193.45	188.39	-2.62%
जनवरी	194.25	189.91	-2.23%
फरवरी	185.59	205.76	10.73%
मार्च	184.91	175.53	-5.17%
योग	**1786.04**	**2221.42**	**24.38%**

स्रोत: राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

4.4 राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2020-21 तथा वर्ष 2021-22 में प्राप्त कर संग्रह की स्थिति को सारणी-4.2 में दर्शाया गया है। तालिका 4.2 से स्पष्ट है कि माह मार्च, 2022 तक की रिपोर्टावधि अवधि में कुल ₹ 12,373.85 करोड़ (₹ 4,806.04 करोड़ अधिकार व अंतरण सहित) राजस्व प्राप्त हुआ है। जो कि वर्ष 2020-21 में इसी अवधि में प्राप्त राजस्व ₹ 11,136.87 करोड़ (₹ 4,811.87 करोड़ अधिकार व अंतरणों सहित) से 17.40 प्रतिशत अधिक है।

तालिका 4.3

राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संग्रहित कुल राजस्व (GST+Non GST+Compensation) का विवरण

(धनराशि ₹ करोड़ में)

माह का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वृद्धि / कमी का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
अप्रैल	497.32	773.17	55.45%
मई	245.65	486.14	97.90%
जून	1281.3	710.89	-44.53%
जुलाई	761.89	2267.88	197.61%
अगस्त	486.26	786.11	61.66%
सितम्बर	573.45	958.34	67.13%
अक्टूबर	992.79	2432.45	145.01%
नवम्बर	1100.72	1014.07	-7.87%
दिसम्बर	1527.08	602.45	-60.55%
जनवरी	1157.33	1738.63	8.93%
फरवरी	1115.13	693.69	-37.82%
मार्च	1407.07	1090.45	-22.50%
योग	**11335.97**	**13073.85**	**17.40%**

स्रोत: राज्य कर विभाग,उत्तराखण्ड।

4.5 राज्य कर विभाग द्वारा जीएसटीए की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं पर कर संग्रह:-

4.5.1 राज्य कर विभाग द्वारा जीएसटीए की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं (पेट्रोल व डीजल) पर कर संग्रह का विवरण तालिका-4.4 में दर्शाया गया है-

तालिका 4.4

पेट्रोल-डीजल पर प्राप्त कर का विवरण

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

वर्ष का क्रम	2020-21			2021-22			वृद्धि/कमी का प्रतिशत		
	पेट्रोल पर कर की राशि	डीजल पर कर की राशि	पेट्रोल एवं डीजल पर कुल कर की राशि (3+4)	पेट्रोल पर कर की राशि	डीजल पर कर की राशि	पेट्रोल एवं डीजल पर कुल कर की राशि (6+7)	पेट्रोल पर कर की राशि में वर्ष 2020-21 की तुलना में वृद्धि/कमी का प्रतिशत	डीजल पर कर की राशि में वर्ष 2020-21 की तुलना में वृद्धि/कमी का प्रतिशत	पेट्रोल एवं डीजल पर कुल कर की राशि में वर्ष 2020-21 की तुलना में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
जनवरी	48.35	44.78	93.14	79.24	92.85	172.09	69.46%	107.35%	97.99%
फरवरी	18.1	22.54	40.74	70.6	85.17	155.77	290.06%	293.86%	282.17%
मार्च	43.51	61.75	95.26	48.37	62.56	112.36	11.14%	21.72%	20.48%
अप्रैल	56.25	60.79	116.96	68.27	79.16	147.43	21.37%	30.35%	26.03%
मई	63.02	61.2	124.12	80.28	83.66	163.94	27.39%	36.67%	32.08%
जून	67.25	54.57	121.82	78.18	77.33	155.52	16.27%	41.73%	27.66%
जुलाई	58.61	59.96	118.57	79.31	83.76	163.07	35.32%	39.69%	37.53%
अगस्त	82.04	80.98	163.03	67.78	303.94	196.72	7.08%	27.12%	16.99%
सितम्बर	68.32	70.91	139.23	60.88	93.7	154.58	-24.70%	17.26%	-3.79%
अक्टूबर	76.39	82.52	158.91	60.51	92.69	153.20	-22.18%	11.63%	-4.80%
नवम्बर	73.35	83.19	156.54	62.22	83.13	145.35	-31.51%	-0.07%	-14.51%
दिसम्बर	69.07	86.19	155.27	51.44	68.26	119.70	-25.52%	-2.44%	-10.30%
योग	733.57	767.39	1500.96	814.69	1029.04	1843.73	11.06%	34.10%	22.84%

स्रोत: राज्य कर विभाग उपलब्ध।

नोट: कोविड-19 महामारी के कारण राज्य की आर्थिक गतिविधियों पर पड़ी बुरी प्रभाव के दृष्टिगत पेट्रोल पर कर की दर 25 प्रतिशत से ₹ 19 प्रति लीटर, जो भी अधिक हो, की दरसन की अधिसूचना संख्या 622 दिनांक 05.11.2021 द्वारा कम करते हुए 18.07 प्रतिशत या ₹ 13.14 प्रति लीटर, जो भी अधिक हो, की गयी है।

4.5.2 राज्य कर विभाग द्वारा जीएसटीए की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं (राजस्व) पर कर संग्रह का विवरण तालिका-4.5 में दर्शाया गया है-

तालिका 4.5

			(करोड़ रुपये में)
माह का नाम	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वृद्धि/कमी का प्रतिशत
	राजस्व पर प्राप्त कर	राजस्व पर प्राप्त कर	
(1)	(2)	(3)	(4)
अप्रैल	11.37	36.63	222.10%
मई	3.81	19.6	414.44%
जून	16.88	7.19	-57.38%
जुलाई	17.92	17.96	0.23%
अगस्त	30.14	25.51	-15.65%
सितम्बर	22.31	26.78	16.89%
अक्टूबर	23.28	28.52	22.56%
नवम्बर	24.28	29.66	22.07%
दिसम्बर	27.81	28.62	3.56%
जनवरी	29.82	31.56	5.73%
फरवरी	24.38	26.79	9.89%
मार्च	25.16	18.42	-12.96%
योग	**247.66**	**307.49**	**24.29%**

स्रोत: राज्य कर विभाग (अनंतिम)।

4.8.3 राज्य कर विभाग द्वारा जीएसटीआर की प्रविष्टियों के आधार पर की गयी समीक्षा (नैचुरल गैस एवं एविएशन टरबाईन फ्यूल) पर वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान प्राप्त कर निम्नवत तालिका–4.6 में संकलित किया है–

तालिका 4.6

							(रुपये में करोड़)
	नैचुरल गैस एवं एविएशन टरबाईन फ्यूल पर प्राप्त कर						
माह का नाम	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वृद्धि/कमी का प्रतिशत	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वृद्धि/कमी का प्रतिशत
	नैचुरल गैस पर प्राप्त कर	नैचुरल गैस पर प्राप्त कर		एविएशन टरबाईन फ्यूल पर प्राप्त कर	एविएशन टरबाईन फ्यूल पर प्राप्त कर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अप्रैल	0.72	2.03	181.94%	0.01	1.11	21.88%
मई	0.42	2.08	395.24%	0.00	0.71	-
जून	0.84	2.03	141.67%	0.04	0.32	700.00%
जुलाई	0.84	2.24	166.67%	0.08	0.67	737.50%
अगस्त	1.12	2.91	159.04%	0.11	1.09	890.91%
सितम्बर	0.72	1.92	125.00%	0.16	1.28	700.00%
अक्टूबर	0.75	1.77	136.00%	0.27	1.39	414.78%
नवम्बर	1.48	2.94	98.31%	0.52	0.27	-48.38%
दिसम्बर	1.03	2.13	98.23%	0.52	0.29	-44.23%
जनवरी	1.62	1.92	18.52%	0.65	0.29	-55.38%
फरवरी	1.08	1.88	74.07%	0.70	0.16	-77.14%
मार्च	0.53	1.55	107.55%	0.73	0.18	-75.34%
योग	**12.05**	**24.58**	**103.98%**	**4.69**	**7.68**	**63.75%**

स्रोत: राज्य कर विभाग (अनंतिम)।

4.6 वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य कर विभाग द्वारा जीएसटीओ व वैट (Non GST) में क्रमशः ₹ 5,000 करोड़ तथा ₹ 2,150 करोड़, इस प्रकार कुल ₹ 7,150 करोड़ (ब्रेकिंग व लेट पेनाल्टी को छोड़ते हुए) राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया था। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 में जीएसटीओ व वैट में क्रमशः ₹ 5,573.48 करोड़ तथा ₹ 2,282.20 करोड़, इस प्रकार कुल ₹ 8,266.80 करोड़ का राजस्व राज्य को प्राप्त हुआ है, जो गत वर्ष 2020–21 में प्राप्त राजस्व ₹ 6,324.10 से 30.70 प्रतिशत अधिक है।

4.7 जीएसटीओ लागू होने के उपरान्त 31 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि में कुल 1,45,362 नये व्यापारी पंजीकृत हुए हैं। इसके अतिरिक्त 80,600 पंजीकृत व्यापारियों को वैट प्रणाली से जीएसटीओ में अन्तरित किया जा चुका है। इस प्रकार वर्तमान तक राज्य में कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 2,05,962 हो चुकी है।

Number of Businessmen Registered in GST (Data as of 31st March, 2022)		
Sl.No.	Dealers	Number
1	Number of Migrated Dealers (State)	68,819
2	Number of Migrated Dealers (Centre)	11,781
3	New Registration (State)	61,135
4	New Registration (Centre)	34,127
5	Total Dealers (State+Centre)	2,05,962
6	Composition Dealer (State)	23,434
7	Composition Dealer (Centre)	15,441
8	Total Composition Dealer	38,885

4.8 राज्य कर विभाग की फर्जीवाड़ा इकाईयों द्वारा कराधानवसूली प्रयास–

राज्य कर विभाग की सतर्कता इकाईयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹ 38.26 करोड़ अतिरिक्त के कर में जमा कराये गये, जो कि गत वर्ष इसी अवधि में जमा कराये गये ₹ 26.25 करोड़ से 45.74 प्रतिशत अधिक है। राज्य कर विभाग की विशेष सर्वेक्षण इकाईयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल 218 सर्वेक्षण कार्य किये गये ₹ 1084.67 करोड़ की अपवंचित टर्नओवर आंकड़ा में लाई गई तथा खुलाई के दौरान ही ₹ 11.26 करोड़ जमा कराये गये।

4.9 वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य कर विभाग द्वारा कुल ₹ 13,697.53 करोड़ का (CGST+SGST+UGST+CESS) संग्रह किया गया जो कि वित्तीय वर्ष 2020–21 की इसी अवधि में किये गये (CGST+IGST+SGST+CESS) संग्रह ₹ 12,326.77 करोड़ से 11 प्रतिशत अधिक है। राज्य कर विभाग द्वारा (CGST+IGST+SGST+CESS) संग्रह का मासवार विवरण तालिका–4.7 में दर्शाया गया है–

तालिका 4.7

नवंबर 2020-21 से मार्च 2021-22 का तुलनात्मक GST 2021-GSTR-3B/GSTR-1/IMS तथा तिमाही

(राशि ₹ करोड़ में)

श्रेणी	GSTR-3B			GSTR-1			GSTR-2B			GSTR-1/IMS			Gap		
	2020-21	2021-22	वृद्धि	2020-21	2021-22	वृद्धि	2020-21	2021-22	वृद्धि	2020-21	2021-22	वृद्धि	2020-21	2021-22	वृद्धि
आंध्र	95.79	174.16	81.8%	111.13	161.48	45.3%	91.05	149.90	64.6%	3.36	11.57	244.6%	20.08	11.58	-42.3%
बिहार	141.81	173.22	22%	231.3	321.27	38.9%	170	224.79	32.2%	2.36	8.27	250.4%	61.3	96.48	57.4%
चंडीगढ़	20.47	15.93	-22%	40.15	23.91	-40.5%	23.52	13.14	-44%	1.41	0.77	-45.4%	3.04	10.77	254.3%
छत्तीसगढ़	98.61	114.91	17%	141.1	154.31	9.4%	107.33	131.14	22.2%	1.31	7.33	459.5%	32.78	23.17	-29.3%
दादरा और नगर हवेली	10.61	13.53	28%	16.6	20.53	23.7%	13.16	16.17	22.9%	0.11	0.8	627.3%	3.45	3.36	-2.6%
दिल्ली	29.61	31.19	5%	51.16	65.31	27.7%	29.85	39.51	32.4%	0.11	0.8	627.3%	21.3	25.32	18.9%
हरियाणा	139.41	122.62	-12%	186.19	144.11	-22.6%	164.87	116.13	-29.6%	11.13	7.44	-33.2%	25.32	27.98	10.5%
हिमाचल प्रदेश	20.41	21.13	3.5%	24.23	22.76	-6.1%	19.13	20.06	4.9%	0.24	2.11	779.2%	4.86	2.7	-44.4%
जम्मू और कश्मीर	20.53	21.51	4.8%	26.1	23.19	-11.2%	17.24	11.78	-31.7%	0.27	1.57	481.5%	8.86	11.41	28.8%
झारखंड	74.53	70.3	-5.7%	94.84	83.65	-11.8%	67.16	58.03	-13.6%	0.13	0.31	138.5%	27.68	25.62	-7.4%
कर्नाटक	233.83	309.06	32%	327.49	431.25	31.7%	224.43	293.38	30.7%	12.93	9.63	-25.5%	103.06	137.87	33.8%
केरल	102.34	92.19	-9.9%	117.32	107.5	-8.4%	94.25	87.62	-7.1%	7.91	9.13	15.4%	23.07	18.88	-18.2%
योग	**3,963.68**	**3,971.61**	**0.2%**	**5,013.31**	**5,148.66**	**2.7%**	**3,511.76**	**3,958.24**	**12.7%**	**90.31**	**96.99**	**7.4%**	**1,501.55**	**1,189.37**	**-20.8%**

स्रोत: उपरोक्त का विश्लेषण (उपलब्धांक)।

4.9.1 तिलिका सं. 2020-21 में दर्ज की गई IGST Settlement के लम्बायित शुल्क ₹ 1,014.59 करोड़ वापस हुआ था, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 में कुल IGST Settlement ₹ 1,882.44 करोड़ का 27 प्रतिशत अधिक है। साथ ही वित्तीय वर्ष के दौरान IGST Settlement का विवरण तालिका-4.8 में दर्शाया गया है:-

तालिका 4.8

Section of provisional Settlement of IGST for the Return filing

(Rs in ₹ Crore)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Andhra	1.46	151.6	11.0%	76.76	448.14	4.9%	4.09	83.91	18.1%	0.16	0.42	170.91	189.84	11.1%
Bihar	120.23	273.18	127%	126.55	307.3	142.9%	11.97	23.9	99%	0.16	0.42	233.8	58.12	-24.9%
Goa	85.35	164.56	93%	178.79	345.86	93%	13.81	70.6	77%	0.16	0.42	121.96	139.21	14.1%
Delhi	277.21	283.06	2%	382.83	403.46	5.4%	19.46	51.55	17%	0.16	0.42	43.46	209.1	381%
Gujarat	174.6	131.12	-25%	312.65	403.62	29%	19.71	57.06	24%	0.16	0.42	32.6	137.61	44%
Haryana	81.74	265.86	225%	138.72	352.58	154%	11.59	71.48	516%	0.16	0.42	111.75	153.01	37%
Himachal Pradesh	3.64	33.46	819%	6.61	80.14	1114%	0.46	8.42	1729%	0.16	0.42	19.75	149.11	655%
Jammu and Kashmir	10.16	18.66	84%	19.16	48.29	152%	10.39	41.82	303%	0.16	0.42	49.62	100.61	103%
Jharkhand	30.16	118.8	294%	43.12	151.99	252%	10.31	41.75	305%	0.16	0.42	127.7	176.79	38%
Karnataka	29.66	139.71	371%	33.62	248.61	639%	17.71	91.68	418%	0.16	0.42	111.61	127.98	15%
Kerala	30.19	134.76	346%	54.15	412.34	661%	11.16	61.91	455%	0.16	0.42	111.16	154.24	39%
MP/CG	279.73	280.1	0.2%	317.73	453.78	42.8%	17.16	30.28	76%	0.16	0.42	44.02	173.67	294%
Total	**1214.33**	**2438.87**	**101%**	**1868.12**	**4084.33**	**86%**	**142.19**	**733.33**	**416%**	**2.56**	**6.68**	**1214.33**	**2052.94**	**69%**

स्रोत: उपरोक्त का विश्लेषण (उपलब्धांक)।

4.10 उत्तराखण्ड राज्य को जी0एस0टी0 के अन्तर्गत कुल राजस्व हानि का आकलन :-

वित्तीय वर्ष 2020-2021 व वर्ष 2021-2022 में राज्य को संशोधित राजस्व के सापेक्ष जिसमें राजस्व हानि हुई व सम्पूर्ण देश में जी0डी0-19 की महामारी के प्रभावित राज्य को प्रभावी राजस्व में विसंगति आने हुई, उसका महालेखा नियंत्रक तालिका-4.9 में दर्शाया गया है :-

तालिका 4.9

उत्तराखण्ड राज्य को जी0एस0टी0 के अन्तर्गत कुल राजस्व हानि का आकलन

(धनराशि ₹ करोड़ में)

माह	वर्ष 2020-21				वर्ष 2021-2022			
	GST सिस्टम के प्रभावित कुल राजस्व वसूल (वैट एवेयर को समिलित करते हुये)	संशोधित राजस्व	अन्तर (Gap)	अन्तर (Gap) %	GST सिस्टम के प्रभावित कुल राजस्व वसूल (वैट एवेयर को समिलित करते हुये)	संशोधित राजस्व	अन्तर (Gap)	अन्तर (Gap) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अप्रैल	113.35	796.02	702.67	88%	595.74	907.41	350.67	39%
मई	200.66	796.02	595.38	75%	501.71	907.41	405.7	63%
जून	348.11	796.02	447.91	56%	327.96	907.41	579.45	64%
जुलाई	385.57	796.02	410.45	52%	544.75	907.41	362.66	40%
अगस्त	340.67	796.02	455.35	57%	583.77	907.41	317.64	35%
सितम्बर	426.16	796.02	369.86	46%	420.56	907.41	486.85	54%
अक्टूबर	408.04	796.02	387.98	49%	473.68	907.41	433.73	48%
नवम्बर	409.82	796.02	386.2	49%	516.83	907.41	390.58	43%
दिसम्बर	493.8	796.02	302.22	40%	414.07	907.41	493.34	54%
जनवरी	428.72	796.02	367.30	46%	760.27	907.41	147.14	16%
फरवरी	518.77	796.02	278.25	35%	527.72	907.41	379.69	42%
मार्च	616.93	796.02	179.09	24%	610.32	907.41	297.09	33%
कुल	4538.06	9552.24	5014.18	52%	6044.90	10888.92	4844.52	44%

स्रोत: राज्य का वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

4.11 लावारी बीज योजना :- उत्तराखंड में राजकीय द्वारा लावारी दुर्घटना बीमा योजना दिनांक 19.11.2021 से दिनांक 18.11.2022 तक के लिए लागू की गयी है, जिसमें जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकृत लावारियों की मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित एकमुश्त आर्थिक सहायता के रूप में ₹ 5.00 लाख भुगतान करने की व्यवस्था की गयी है। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में 04 वर्ष 2017-18 में 16 एवं वर्ष 2018-19 में 03 तथा 2019-20 में 07 लावारी में मृतक आश्रित को आर्थिक सहायता के रूप में ₹ 05 लाख का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया गया है। वर्ष 2020-21 में कुल 13 क्लेम प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 04 लावारी में मृतक आश्रितों को भुगतान किया गया है तथा 09 क्लेमों में कार्यवाही प्रगतिधीन है।

4.12 राज्य राज्य विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक लावारी वर्ष के लिए प्रस्तावित राजस्व व भुगतान अनुमान निम्न तालिका-4.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.10

Assured revenue and revenue projections for forthcoming years are as below-

(आगामी वर्षों के लिए सुनिश्चित राजस्व तथा राजस्व अनुमान)

S.N.	Financial year	Assured Revenue (Under GST)	Achieved/ Projected GST (without compensation)	Achieved/ Projected Non-GST	Total Projected Tax	Projected Growth if GST was not implemented
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3 + 5) or (4+5)	(7)
1	2012-22 (3 months)	3,108	1,470	483	3,954 (3+5)	
	2021-22 (9 months)	-	4,150	1,443	5,570(4+5)	
	2021-23	3,108	5,900	1,920	9,154	10,660
2	2023-24	-	6,200	2,100	8,400(4+5)	23,511
3	2024-25	-	6,900	2,100	9,300(4+5)	27,021

Note: zero as Base year(2021-22)

4.13 पीओएलटीई मिल– उत्तराखण्ड एक पर्वतीय राज्य होने के कारण दुरस्थ क्षेत्रों में स्थित छोटे कारोबारों को पीओएलटीई प्रणाली से जोड़कर कराधान प्रदान करने तथा विशेष सुविधाएँ हेतु सॉफ्टवेयर कुरिया खर्च के उद्देश्य एवं विभिन्न प्रावधानों को सुविधाजनक बनाने हेतु पीओएलटीई मिल की स्थापना विकसित की गयी। जिसके अन्तर्गत एवं राज्य में पीओएलटीई लगभग छोटे के उत्पादन और लक्ष्य सूचना (Area POL/Mill) मिलों को प्रवेशन प्रदान किया गया है।

4.14 स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग (Stamp and Registration)– स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड राज्य सरकार की एक प्रमुख राजस्व शाखा है, जो सम्पत्तियों से विभिन्न कानूनी लेनदेन की रिकॉर्डिंग और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी के साथ जुड़ा है। ई-गवर्नेंस पहल के साथ स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग शिकायतों को न्यायिक उन्मुख, पेपरलेस मुक्त और पारदर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है। पंजीयक के कार्यालय का मुख्य उद्देश्य दस्तावेज की वास्तविकता का एक निश्चित प्रमाण प्रदान करने, लेनदेन के लिए प्रमाण करना और धोखाधड़ी को रोकना है। विभाग एक 'सिंगल विंडो सिस्टम' के रूप में कार्य कर रहा है, जो पुराने रिकॉर्डों को संरक्षित करता है और विभिन्न न्यायालय में साक्ष्यीकरण के प्रमाण के रूप में प्रदान करने के लिए दुरुपयोग द्वारा रोके गए रिकॉर्ड की प्रतियां प्रदान करता है।

4.14.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को प्राप्त आय (लेखाशीर्ष से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार रुपए ₹ 1107.04 करोड़ थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त आय ₹ 1487.35 करोड़ रही, जो कि गत वर्ष की तुलना में 34.43 प्रतिशत अधिक है।

4.14.2 स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2013-14 से वर्ष 2021-22 तक वित्तीय वर्षवार अर्जित आय के संबंध आंकड़े निम्न तालिका- 4.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.11

राज्य एवं वित्तपोषण विभाग, उत्तराखण्ड को वित्तीय वर्षवार आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त लक्ष्य का प्रतिशत विवरण

(धनराशि : करोड़ रु.)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आवंटित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य (संशोधन के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर)	लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति प्रतिशत	पूर्व वर्ष के सापेक्ष प्राप्ति प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2013-2014	640.00	666.83	187.28	(+) 5.83
2	2014-2015	705.75	713.78	190.71	(+) 3.55
3	2015-2016	777.21	872.17	113.21	(+) 22.19
4	2016-2017	1200.00	778.93	64.66	(-) 10.81
5	2017-2018	1100.00	862.18	70.18	(+) 10.24
6	2018-2019	1166.00	1035.35	88.84	(+) 20.07
7	2019-2020	1340.70	1071.46	79.92	(+) 3.48
8	2020-2021	1249.20	1107.04	88.61	(+) 3.31
9	2021-2022	1200.00	**1467.89**	123.99	यह वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त लक्ष्य ₹ 1107.04 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त लक्ष्य ₹ 1467.89 करोड़ रहा जो पूर्व वित्तीय वर्ष से 32.58% अधिक है।

4.14.3 सर्विस दर्श हेतु GIS Application प्रणाली:- लाभ लक्षित की पहिचान हेतु विभाग की कार्यप्रणाली सरल बनाने की दिशा में विभाग में उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु प्रमुख सर्विस दर्श को ऑनलाईन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में GIS Application प्रणाली प्रयुक्त की गयी है। इसमें लाभ जन को दर्शाने की स्थिति में अनुरक्षण सर्विस दर मूल्यांकन पुस्तिका तैयार करने में आसानी होगी। इससे लाभ जन को निम्नलिखित लाभ होंगे–

- एक्सा प्रणाली से लाभार्थ से सम्पत्ति पर पहुंच की सुविधा से लाभार्थ से सम्पत्ति को सर्विस रेट ज्ञात होगा।
- एक्सा प्रणाली व्यवस्था से ऐसे डिपेंडेंसिज, जो कि लाभ जनता को सर्विस दर्श के सम्बन्ध में प्रभित जानकारी देते हैं, पर प्रभावी अंकुश लगेगा।
- योजनाओं का सही मूल्यांकन का प्रभाव SCRA मुक्त का मुनाफा किये जाने से

रहाना की अभी सम्बन्धी अभावग्रस्त समस्याओं का निराकरण।

- शासनादेश संख्या 91 डी(1)/2017/XXV(8)/2016 TC-55/2006 दिनांक 12.04.2017 द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या 160/2016/XXVII(8)/2016TC-55/2016 दिनांक 30.06.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए ₹ 05 लाख तक के पूर्ति ऋण पर 05 वर्ष (01.04.2017 से 31.03.2022 तक) के लिए शासन शुल्क का पूर्ण प्रदान की गयी।
- मोहल्ला स्वयंसेवी योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों/ पेन्शनरों को स्वीकृत किये जाने वाले लोन की राशि ₹ 10,000/- तक के ऋण की स्वीकृति हेतु निर्धारित विहित एवं शासन अधूरी शासन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- "उत्तराखण्ड भूमि लघु एवं कायम सर्वेक्षण नीति 2018 (नियम संशोधित व लागू) के

अन्तर्गत, उत्तराखण्ड राज्य में पेट्रोलियम (विनियमित क्षेत्र) के अन्तर्गत व्यावसायिक उद्योग स्थापित करने के लिये, ऐसे मामलों में जिनमें एकखिकी/सिंगिल प्वाइंट Single window system का आयोजन किया गया है, भूमि राज्य जिले पहले पर होता जिसमें जो निर्धारित अवधि दर की 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, परन्तु ऐसे जिलेखों के मामले में अन्तर्गत भूमि का मूल्यांकन उक्त क्षेत्र हेतु निर्धारित भूमि दर से अनुसार व्यावसायिक

मूल्यांकन से 50 प्रतिशत से ज्यादा / अधिक नहीं होगा।

- अतिरिक्त यह कि जिन क्षेत्रों में अवधि भूमि की 50 प्रतिशत दरें, पक्का क्षेत्र से ज्यादा भूमि हेतु निर्धारित दरें से ज्यादा होंगी, तो ऐसे प्रकरणों में भूमि भूमि हेतु निर्धारित व्यावसाय दर से 50 प्रतिशत अधिक दरें प्रयुक्त होंगी, परन्तु किसी भी दशा में अवधि दरों से अधिक नहीं होगी।"

आबकारी (Excise)

4.16 आबकारी विभाग की नीतियां नीति मादक वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग के लिए का उत्पादन, प्रदान एवं प्रसंस्करण है। स्थानीय की इस बात से अनुकूल देते हुए आबकारी विभाग ने सुनिश्चित करता है कि उपर्युक्त परिवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा राजस्व वसूली की स्थानीय विभाग से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाये।

चार्ट 4.2
आबकारी को विभिन्न मदों से प्राप्त राजस्व (₹ करोड़ में)

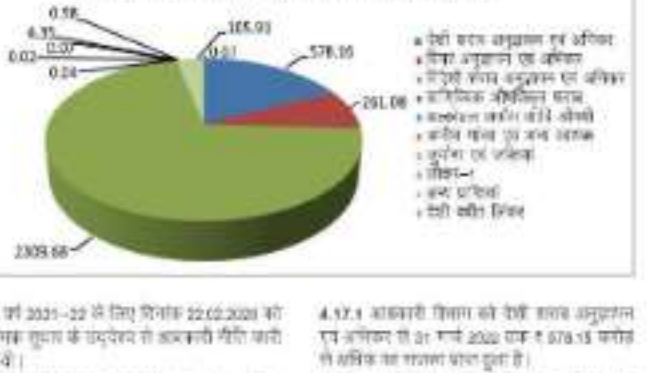

4.16 वर्ष 2021–22 के लिए दिनांक 22.02.2021 को मुख्यालय स्तर के उद्देश्य से आबकारी नीति जारी की गयी।

4.17 आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान निर्धारित लक्ष्य ₹ 3,461.37 करोड़ के सापेक्ष ₹ 3,017.34 करोड़ का राजस्व संग्रह किया गया, जबकि वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित लक्ष्य ₹ 3,202.00 करोड़ के सापेक्ष ₹ 3,280.36 करोड़ का संग्रह किया गया। आबकारी विभाग द्वारा संग्रह किये जाने वाला राजस्व उत्तराखण्ड राज्य को प्राप्त राजस्व का 10 से 12 प्रतिशत के मध्य रहता है।

4.17.1 आबकारी विभाग को देशी मदिरा अनुज्ञापन एवं अभिवहन से 31 मार्च 2022 तक ₹ 578.15 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

4.17.2 विदेश अनुज्ञापन एवं अभिवहन से 31 मार्च 2022 तक ₹ 281.08 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

4.17.3 बियर अनुज्ञापन एवं अभिवहन से 31 मार्च 2022 तक ₹ 2,309.68 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

4.17.4 औद्योगिक और विकृति स्पिरिट औद्योगिक

शुल्क से 31 मार्च 2022 तक ₹ 31.36 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

4.17.5 अल्कोहल अपेय आदि अधिनियम से 31 मार्च 2022 तक ₹ 1.50 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

4.17.6 जमीन पर देय अन्य स्थानांतरण से 31 मार्च 2022 तक ₹ 0.91 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

4.17.7 खुदाई एवं परीक्षण से 31 मार्च 2022 तक ₹ 4.34 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

4.17.8 ईंधन–1 से 31 मार्च 2022 तक ₹ 97.63 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

4.17.9 अन्य इकाइयों से अक्टूबर 31 मार्च 2022 तक ₹ 108.00 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

4.17.10 पेट्रो क्रूड टैक्स से 31 मार्च 2022 तक ₹ 26.55 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

तालिका 4.12
राजस्व बढ़ोत्तरी आकलनों विभाग (बजटीय ₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त राजस्व
(1)	(2)	(3)
2001–02	222.38	221.69
2002–03	230.58	240.46
2003–04	285.05	272.89
2004–05	282.76	282.09
2005–06	337.56	282.81
2006–07	393.05	372.84
2007–08	417.05	461.71
2008–09	531.05	526.32
2009–10	580.21	703.71
2010–11	686.50	756.58
2011–12	727.80	993.57
2012–13	962.05	1117.05
2013–14	1150.30	1259.04
2014–15	1550.30	1498.05
2015–16	1800.30	1736.60
2016–17	2100.30	1886.05
2017–18	2510.30	2362.03
2018–19	2650.30	2735.58
2019–20	3047.50	2724.15
2020–21	3465.57	3017.94
2021–22	3202.30	3280.35

4.18 वित्तीय वर्ष 2021–22 में आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य ₹ 3,202.00 करोड़ के मुकाबले कुल ₹ 3,280.35 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो चुका है। वर्ष 2001–02 से वर्ष 2021–22 तक आबकारी विभाग द्वारा प्राप्त राजस्व प्रवृत्ति का विवरण तालिका–4.12 व (चार्ट–4.3) में दर्शाया गया है।

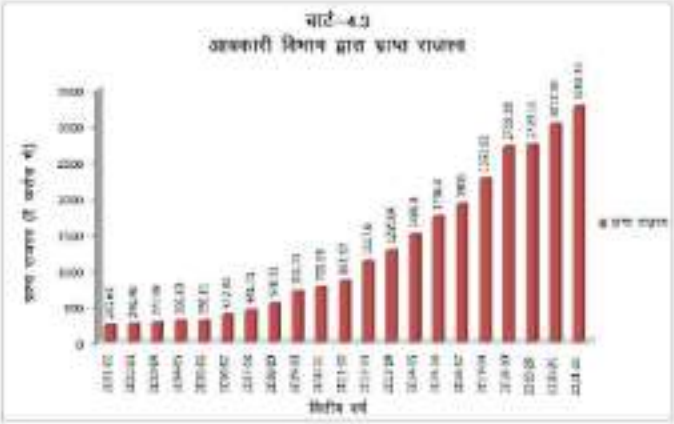
चार्ट–4.3
अबकारी विभाग द्वारा प्राप्त राजस्व
वित्तीय वर्ष

अध्याय - 5

उत्तराखण्ड में बहुआयामी निर्धनता एवं सतत् विकास लक्ष्य

(Based on National Family Health Survey (NFHS)-4 2015-16)

बहुआयामी निर्धनता, समकालीन समय में गरीबता के मापन की एक सुप्त एवं सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली पद्धति है। इसकी बहुचर्चित पद्धति एलकाइर– फोस्टर Alkire-Foster (AF) है जो लोगों की स्थिति को दोहरे कट–ऑफ पैमाने (Dual Cut Off Method) से आकलन करती है कि वे निर्धन हैं या निर्धन नहीं हैं। पहले डाम के कट–ऑफ (First Order Cut Off) से यह पता लिया जाता है कि कौन व्यक्ति उस घराने के संकेतकों से अभावग्रस्त होता है। इसके बाद सभी संकेतकों के लाभकर में सभी लोगों की स्थिति की Deprived Score की गणना कंप्यूटर की सहायता से की जाती है। तदोपरान्त दूसरे डाम का कट–ऑफ (Second Order Cut Off) यह तय करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि कौन–कौन व्यक्ति बहुआयामी तौर पर निर्धन (Multidimensionally poor) हैं। इस मेथोडोलोजी के कई तकनीकी एवं व्यावहारिक खामियों हैं जो इसे गैर–मौद्रिक गरीबी के मापन में उपयोग के लिए अधिक अनुकूल नहीं बनाते हैं। यह किसी गरीबी की किसी मापने के उपाय प्रदान करने के साथ ही गरीबों की संख्यात्मक तथा विशेषण के बारे में भी बताती है, जो नीति निर्माण हेतु महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं।

व्यवहारिक रूप से निर्धनता के अनुमान में गरीबी रेखा एकमात्र माध्यम होती थी कि कोई व्यक्ति निर्धन है या नहीं। इसमें केवल गरीब लोगों की संख्या को पूर्णतः गिनती थी लेकिन निर्धनता के तिव्रता/प्रभाव होने का पता नहीं लगता था। इससे किसी व्यक्ति के अभावग्रस्त तार या होने वाले किसी अन्य परिवर्तन (जैसा कि स्वास्थ्य) को शामिल नहीं किया जाता था एक अकेले जीवन स्तर में इतना बदलाव न हो जाये कि वह गरीबी रेखा से किसी पार से दूसरी पार तक नहीं माना जाता है। इसका अर्थ है कि गरीबी रेखा से नीचे स्थित कोई व्यक्ति और अधिक निर्धन हो जाये या बीपीएल में रहते हुए ही उसकी स्थिति में पहले से बुरा बदलाव हो जाये तो गरीबी मापन का पुराना मॉडल उसे समझ नहीं पाता।

जबकि होना यह चाहिए कि जिन अभावग्रस्तों का समस्या कर रहा है उसे उनके बारे में और ज्यादा जानकारी होनी चाहिए ताकि इसका हितकारी लाभ हो। इसीलिए एलकाइर–फोस्टर मेथड सामान्य रेखा तथा गरीबी की गहनता दोनों शामिल है तथा निर्धन व्यक्ति के अभावग्रस्त होने में किसी प्रकार परिवर्तन का प्रभाव भी इसकी गरीबी दोनों में से किसी भी आयाम में प्रदर्शित हो जायेगा। चौथी निर्धनताओं के निर्धारण के लिए उनके पास निर्धनों की संख्या के साथ ही यह सूचना भी होती है कि वहां एक निर्धन व्यक्ति कितने निर्धन है तथा किन सुविधाओं में वितरण असमानता है जिससे स्थानीय नीति निर्माता अपनी योजनाओं में व्यावहारिक प्रावधान कर सकते हैं।

5.1 निर्धनता मापने की प्रक्रिया– निर्धनता मापने की प्रक्रिया को दो व्यापक चरणों में रखा जा सकता है:

i) Identification, and ii) Aggregation
1– चिन्हीकरण 2– समाहीकरण।

1 – **चिन्हीकरण (identification)**- इसके अन्तर्गत एकत्रीकरण एवं उसके आधारों के बीच से संकेतक सांख्यांक का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक संकेतक के लिए आवश्यक यह तय करना है कि किसी संकेतक से कौन से एकत्रीकरण का स्तर कम से कम निम्नतर होना चाहिए। प्रत्येक संकेतक के लक्षण में कट ऑफ को तैयार करना है कि कोई व्यक्ति वंचित है या नहीं। सामान्यतः के लिए संकेतकों के सामंजस्य का चयन करना। सामान्यतः आवश्यक स्कोर के आकलन के लिए व्यक्ति की संख्या में सभी

संकेतकों के संयोग आधारणों को पहचान है। भारतीय अन्वेषित स्कोर का द्वितीय क्रम के कट ऑफ का उपयोग यह अनुमान करता है कि किसी व्यक्ति के बहुआयामी निर्धन होने के लिए भारतीय अन्वेषित स्कोर कम से कम कितना होना चाहिए। गरीब में एमपीएचआई के लिए वैश्विक रूप से स्वीकार्य Second order Cut Off 0.33 अपनाया गया है। इसके तथा भारतीय स्कोर वाले व्यक्ति बहुआयामी निर्धन होते हैं।

2- सघनीकरण- जनगणना में दो विभिन्न बहुआयामी निर्धन लोगों के अनुपात की तुलनीयता करने को एमपीएचआई का हेड काउन्ट रेशियो अथवा गरीबी की पहचान कहते हैं। हेड काउन्ट रेशियो बताता है कि कितने व्यक्ति निर्धन हैं। इस में भारतीय संकेतक के औसत वेटेज को निर्धारित किया जाता है, जिससे बहुआयामी निर्धन व्यक्ति चिन्हित हैं। निर्धनों के अभावग्रस्त स्कोर को निर्धन व्यक्तियों की कुल संख्या से भाग देकर निकालते हैं। एमपीएचआई में इसे गरीबी की गहनता या गरीबी की चौड़ाई (Breadth of Poverty) कहते हैं। यह बताता है कि निर्धन कितना निर्धन है। बहुआयामी निर्धनता का आकलन हेड काउन्ट रेशियो को गरीबी की गहनता से गुना कर के किया जाता है।

5.2 बहुआयामी निर्धनता के आयाम एवं संकेतक-

1 आयाम- इस आयाम के तीन संकेतक हैं-

1- पोषण, 2- बाल-युवा मृत्यु तथा मातृक स्वास्थ्य।

1- पोषण (Nutrition)- इस वर्ग में किसी परिवार में 0-59 माह तक के बच्चों, 15-49 आयु वर्ग की महिलाओं तथा 15-54 आयु वर्ग के पुरुषों में पोषण की सूचना उपलब्ध की गई है। यदि परिवार का एक भी सदस्य इन मानकों से अनुमान कुपोषित होता है तो पूरे परिवार को पोषण से वंचित माना गया है. इसका कारण यह है कि इससे अनुपात की पूर्ण इकाई परिवार है तथा ही परिवार में सामान्य के व्यवहार तथा स्वास्थ्यकर पूर्णता परिवार के अन्य सदस्यों पर पड़ता है। यदि 15-19 आयु वर्ग की महिलाओं तथा 15-54 आयु वर्ग के पुरुषों में Body Mass Index (BMI) 18.5 Kg/M2 से कम होते तो यह कुपोषित माने गये हैं। इसी तरह 0-59 माह तक के बच्चों में यदि औसतन लंबा आयु मानक से प्राप्त है तो वे कुपोषित माने गये हैं। वर्तमान आयाम के अन्तर्गत पोषण संकेतक को 1/6 भारांश दिया गया है।

2- बाल- युवावस्था मृत्यु (Child-Adolescent Mortality)- इस संकेतक में विगत नमूना के किसी मृत्यु के साथ ही 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। यदि किसी परिवार में कोई (NFHS, 2014-15) की तिथि से 5 वर्ष पूर्व की अवधि में मृत्यु हुई है तो इस संकेतक के तहत उस परिवार को वंचित माना गया है। WHO से अनुसार बाल मृत्यु का मुख्य कारण न्यूमोनिया की पूर्व से विद्यमान संक्रमण की अज्ञानता के फलस्वरूप होते हैं जैसे आवश्यक मेडिसनों तक पहुंच का अभाव, संक्रामक बैक्टीरिया, कुपोषण, आपात-डिहाईड्रेशन्स इत्यादियां तथा अनुपयुक्त उपचारण आदि। इसका भारांश 1/12 है।

3-मातृक स्वास्थ्य (Maternal Health)- यदि किसी परिवार में कोई महिला वर्ष (NFHS, 2014-15) की तिथि से 5 वर्ष पूर्व की अवधि में में प्रसव में हुई मिसेजरी से पूर्व कम से कम 4 ANC Visit प्राप्त नहीं की तो उस परिवार को संकेतक के तहत वंचित माना जायेगा। इस संकेतक के दो आयाम हैं. 1 Antenatal Care (ANC) and 2- Assisted from Medical Trained Personnel during the most recent Childbirth। दोनों में से कोई भी Criteria पूरा नहीं होने पर इस संकेतक के तहत उस परिवार को वंचित माना गया है। WHO की गाईड लाईन के अनुसार न्यूनतम 4 ANC Visit से पूर्व में ही Complications की जानकारी हो जाती है, भूर के हिसाब की मोनिटरिंग से जानी है तथा Complications का जांच समय पर आवश्यक उपचार प्रबन्धन हो जाता है गर्भवती शिशुओं की मृत्यु का उल्लेखित कम हो जाता है। इसका भारांश 1/12 है।

5.3 आयाम–शिक्षा (Education)– इस आयाम के दो संकेतक है–आयु: स्कूलिंग के वर्ष तथा कोई सदस्य स्कूल उपस्थिति (Attendance)

1–स्कूलिंग के वर्ष (Years of Schooling)– यदि किसी परिवार का एक भी सदस्य जिसकी आयु 10 वर्ष या अधिक हो और उसने 6 वर्ष की शिक्षा पूरी नहीं की है, तो उस परिवार को संकेतक के तहत वंचित माना जाता है। यदि परिवार का एक भी सदस्य 6 वर्ष से अधिक की स्कूलिंग किया होता है तो इसका सकारात्मक प्रभाव आर्थिक आयामों के रूप में उनके जीवन के जीवनयापन तथा सामाजिक सम्मान आदि के तौर पर परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। इसका भार 1/6 है।

2–स्कूल उपस्थिति (School Attendance)– यदि किसी परिवार का स्कूल जाने की आयु का कोई बच्चा अभी कक्षा एक शिक्षा पूरी नहीं करता है तो उस परिवार को संकेतक के तहत वंचित माना जाता है। यदि ऐसा होता है तो यह इस बात का संकेत करता है कि वह परिवार स्कूलिंग के साथ ही भविष्य में भी शिक्षा से लाभों से वंचित रहेगा। स्कूल की पहुंच का अभाव अन्य कई आयामों के कारण भी बनता है। इसका भार 1/6 है।

5.4 आयाम–जीवन स्तर (Living Standard)– इस आयाम के अन्तर्गत लोगों की सभी विविध सुविधाओं तक पहुंच को शामिल किया गया जिसमें बिजली, आवास सुविधा ईंधन, शुद्ध पेयजल, पक्का आवास (यदि फर्श, छत तथा दीवारें), स्वच्छता, बैंक खाता तथा सम्पत्ति धारण शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक संकेतक को 1/12 भारांश दिया जाता है।

1–कुकिंग ईंधन (Cooking Fuel)– इसके अन्तर्गत एक परिवार को तब वंचित माना जाता है जब उसके द्वारा खाने का मुख्य स्रोत या सर्वाधिक उपयोग का ईंधन उपले, कृषि अवशेष, झाड़ियां, लकड़ी, चारकोल या कोयला हो। स्वच्छ कुकिंग ईंधन में शामिल है बिजली, एलपीजी/ पेट्रोलियम गैस तथा बायो गैस। स्वच्छ ईंधन के होने पर भी यदि गोबर कण्डे का मुख्य स्रोत उपले, कृषि अवशेष, झाड़ियां, लकड़ी, चारकोल इत्यादि हो तो भी परिवार को वंचित माना जायेगा।

2–इम्प्रूव्ड सैनीटेशन– यदि परिवार में इम्प्रूव्ड सैनीटेशन न हो, अर्थात सुविधा ही न हो अथवा स्वच्छ सैनीटाइज हो तो उनकी दूसरे परिवारों के साथ एसोसिएशन हो उनके साथ शौचालय साझा होता हो तो परिवार को वंचित माना जायेगा।

3–पेय जल (Drinking Water)– इस संकेतक के तहत परिवार तभी वंचित माना जायेगा जब उसके घर से स्रोत इतना दूर हो कि पैदल आने जाने दोनों में 30 मिनट का समय लगता हो। पेयजल के स्रोत के सुरक्षित होने में पाइप से जलापूर्ति, सार्वजनिक टैप, ट्यूब वेल, बोर होल, संरक्षित कुएं एवं झरने, रेन वाटर तथा बोतलबन्द जल को शामिल किया गया है। परिवार से स्रोत से 30 मिनट से आवागमन से अधिक दूरी पर होने पर भी उसे वंचित माना गया है।

4–बिजली (Electricity)– ऐसे परिवार वंचित माने गये जिनके घर में बिजली आपूर्ति नहीं है। घर में बिजली आपूर्ति होने पर अक्सर के अलावा अन्य कई लालटेन, टॉर्च/ एमिटियों की पहुंच संभव हो पाती है।

5–आवास (Housing)– यदि किसी परिवार के पास अपर्याप्त आवास सुविधा है तो उसे इस संकेतक के तहत वंचित माना जाता है जैसे- अपूर्ण मैटेरियल से बनी हुई फर्श या छत अथवा गंदा होने जाने मैटेरियल से दीवारें का बने होना। मिट्टी, कीचड़, रेत तथा गोबर जैसे पदार्थों को rudimentary/ natural materials माना गया है।

6–सम्पत्ति धारण (Assets Ownership)– एक परिवार तब वंचित माना जायेगा जब रेडियो, टीवीओ, कम्प्यूटर, मैलगाड़ी, जानवर, या किसी आदि में से एक से अधिक न हो तथा उसके पास कार या ट्रक न हो।

7–बैंक खाता (Bank Account)– यदि किसी परिवार के किसी भी सदस्य का बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता नहीं हो तो उसे परिवार को वंचित

पाया गया है। आनुभविक प्रमाण से बैक साइड डिजाइन सम्बन्धित का आधार है। बैक साइड से मजबूत के निर्माता उन्मूलन, शिक्षा की पहुंच तथा आवश्यकता आदि के सम्बन्ध में परिवार तक सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अन्तर्गत केवलिट द्वारा पर के माध्यम से परिवार से पहुंच जाता है। यह अनेकों बच्चों को सुविधा सम्बन्ध के साथ ही किसी भी सदर्भ का व्यवस्था के लिए, शिक्षित व्यवस्थाओं से ऋण आदि प्रकार तय सकते हैं जिसमें पर सुधारों व साधुओं के गणना में सब सके तथा अन्तरी सदी बनाई गयी या और से सुलझित रहे। यह भी नया संकेतक है जिसको भारत में एमपिआई के अनुरूप में प्रयुक्त किया गया है।

5.5 एमपीआई का आकलन– (Computing the MPI)– एमपीआई की गणना के दो चरण हैं– निर्धारीकरण तुलना सम्बन्धितता। निर्धारीकरण में कपोल गरीबों के लिए अभावग्रस्त स्कोर ज्ञात करना तथा एक लिये हुए कट–ऑफ पर बहुआयामी निर्धनता की पहचान के लिए अभावग्रस्त स्कोरों को फिल्टर करना शामिल है तथा समाहीकरण में दो सूचकों हेड काउन्टरशिपो तथा इन्टेन्सिटी का अनुप्रयुक्त करते हुए बहुआयामी निर्धनता की गणना करना है।

निर्धनों की पहचान– (Identification of the poor) एमपीआई मेथडोलोजी के आधार पर इसके अन्तर्गत एक निर्धन की पहचान दोहरे कट–ऑफ के माध्यम की जाती है जिसमें से प्रथम के तहत अभावग्रस्त कट–ऑफ तथा तथा राज्यों के समूह के बीच अभावग्रस्त के कट–ऑफ पर निर्भर करता है। प्रथम आर्डर कटऑफ द्वारा संकेतक के बीच अभावग्रस्त स्कोर तथा राज्यों से बीच कटऑफ द्वारा एमपीआई की गणना की जाती है।

अभावग्रस्त स्कोर–(Deprivation Score)– संबंधी पहले प्रत्येक संकेतक की उपलब्धि के आधार पर कट–ऑफ के आधार पर इस परिवार के हर व्यक्ति के वंचित होने पर 1 तथा वंचित न होने पर 0 अंक देते हुए निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि 10 वर्ष का एक पुरुष A की स्कूलिंग 3 वर्ष रही हो तो तब उसका आकार के कट–ऑफ 5 वर्ष की स्कूलिंग से होने के कारण वंचित होगा इसे 1 अंक दिया जायेगा तथा 14 वर्ष का दूसरा बालक B जो 7 वर्ष की स्कूलिंग प्राप्त कर चुका है वंचित नहीं माना जायेगा उसे 0 अंक दिया जायेगा। यह प्रक्रिया सभी संकेतकों के लिए अपनाई जायेगी। अभावग्रस्त स्कोर के लिए संकेतक के सम्बन्ध में प्राप्त अंक को उसके भार से गुणित किया जायेगा। जैसे शिक्षा के लिए प्रयुक्त भुजन A को प्राप्त अंक 1 को स्कूलिंग के वर्ष के भारांक 1/6 या 0.166 से गुणा किया जायेगा तथा B के भारांक 0 का गुणा करने 0 होगा।

निर्धनता कट–ऑफ–(Poverty Cutoff)– एमपीआई मेथडोलोजी के अन्तर्गत बहुआयामी निर्धनता को पहचान करने के लिए सभी व्यक्तियों के संचयित वंचित स्कोर के मोल में से द्वितीय आर्डर कट–ऑफ को कैलोरी कट–ऑफ कहा जाता है। द्वितीय आर्डर के रूप ऑफ के माध्यम से अभिव्यक्त वंचित स्कोर वाले सभी लोगों को बहुआयामी निर्धन के तौर पर चिन्हित किया जाता है। मैथिक्स स्कोर के माध्यम से कहा में भी द्वितीय आर्डर का कट–ऑफ 0.33 तय किया गया है। जिन व्यक्तियों का सभी संकेतकों के माध्यम में अभिव्यक्त वंचित स्कोर 0.33 से अधिक होगा वे बहुआयामी निर्धनों में शामिल होंगे। यदि भुजन A का समग्र वंचित स्कोर 0.54 है तो वह बहुआयामी निर्धन होगा तथा शामिल B का समग्र वंचित स्कोर 0.02 होने पर वह गुणा संकेतकों पर गैर–शून्य संचित होने के बावजूद भी बहुआयामी निर्धन नहीं होगा।

द्वितीय क्रम के कट–ऑफ में एमपीआई मेथडोलोजी के महत्व को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जाता है। इसका कारण यह है कि एमपीआई के अनुसरण में यदि मुनिसन मेथडोलोजी का प्रयोग किया जाये तो इसके तहत यदि कोई व्यक्ति एक भी संकेतक में वंचित होता है तो उसे निर्धन माना जायेगा, इसलिए इसमें ओवर इडेन्टीफिकेशन की समस्या है। वहीं यदि Intersection method का प्रयोग किया जाये तो इसके तहत किसी व्यक्ति को निर्धन माना जायेगा जब वह सभी संकेतकों में वंचित होता है। एलकायर–फोस्टर मेथडोलोजी दोहरे कट–ऑफ दृष्टिकोण के आधार इन दोनों के बीच की स्थिति में निर्धनता का आकलन करती है।

सेंसरिंग (censuring)– सभी लोगों के लिए अभावग्रस्तता सीमा की तुलना में बहुत निम्न लोगों का अभावग्रस्तता स्कोर Second Order Cut off के रूप में 0 से अधिकांकित कर दिया जाता है। बहुआयामी निर्धनता अनुपात में इसे प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे कि उपर्युक्त उदाहरण में प्रोसेसिंग प्रक्रिया में द्वितीय A का स्कोर घटित स्कोर 0.64 है तो यह बहुआयामी निर्धनता में अब शोषण रेखा (कटिंग b का सभी घटित स्कोर 0.33 होने पर एमपीआई आकलन में तत्काल शून्य कर दी जायेगी।

हेड काउन्ट रेशियो (Head Count Ratio-H)– बहुआयामी निर्धन लोगों की पहचान करने के बाद अगला चरण देश/राज्य अथवा जिले में कुल जनसंख्या में से बहुआयामी निर्धन लोगों का अनुपात पता लगाना होता है। एमपीआई/एचआई अनुपात के दो आयाम होते हैं, इनमें एक हेड काउन्ट रेशियो तथा दूसरा इन्टेन्सिटी ऑफ होता है। हेड काउन्ट रेशियो का अर्थ है कि किसने लोग निर्धन है। भारत के एमपीआई में 25.01 प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी निर्धन है।

अनसेंसर्ड हेड काउन्ट रेशियो (Uncensored (Raw) Headcount Ratio-H)– हेड काउन्ट रेशियो बहुआयामी निर्धन लोगों के अनुपात को बताता है, यहीं अनसेंसर्ड हेड काउन्ट रेशियो (q) बताता है कि कितने लोगों से कुल कितने लोग वंचित हैं, चाहे वे बहुआयामी निर्धनता में हों या नहीं।

सेंसर्ड हेड काउन्ट रेशियो (Censored Headcount Ratio h) (k)– अनसेंसर्ड हेड काउन्ट रेशियो के विपरीत, सेंसर्ड हेड काउन्ट रेशियो उन लोगों का अनुपात होता है, जो बहुआयामी निर्धन हैं तथा वह 1 सार्वजनिक में वंचित हैं। इसमें अभावग्रस्त करने वाले कम कारक में दर्शाए गए ऐसे उन लोगों के प्रतिशत को निकाला है, जो बहुआयामी निर्धन हैं तथा सम्बन्धित संकेतक में वंचित हैं।

निर्धनता की गहनता (Intensity of Poverty)– यह अवधारणा उस औसत अनुपात होता है जो बहुआयामी निर्धनों द्वारा अनुभव किया गया होता है। यह सभी बहुआयामी निर्धन लोगों के अभावग्रस्त का औसत होता है। यह बताता है कि निर्धन लोग कितना निर्धन हैं।

बहुआयामी निर्धनता (MPI)– यह हेड काउन्ट रेशियो तथा इन्टेन्सिटी का गुणनफल होता है इसलिए यह निर्धनता के Incidence तथा Intensity दोनों को नापता करता है। इसे कुल जनसंख्या में अभावग्रस्त की गहनता से समायोजित बहुआयामी निर्धन लोगों का माप के तौर पर भी एमपीआई कह सकते हैं।

भारत में बहुआयामी गरीबी MPI= हेड काउन्ट रेशियो x इन्टेन्सिटी ऑफ पॉवर्टी
0.118 = 25.01% x 47.13%

Headcount Ratio, Intensity and MPI in Rural and Urban India

ग्रामीण भारत में निर्धनता		
Headcount Ratio (H)	Intensity (A)	MPI (M=H)
32.75%	49.38%	0.3555
नगरीय भारत में निर्धनता		
Headcount Ratio (H)	Intensity (A)	MPI (M=H)
8.81%	45.33%	0.04

सर्वाधिक हेड काउन्ट रेशियो वाले 5 राज्य, अवरोही क्रम में :–

1. बिहार– 51.91%, 2. झारखण्ड– 42.16%, 3. उत्तरप्रदेश– 37.79%, 4. मध्यप्रदेश– 36.65% तथा 5. मेघालय– 32.67%

न्यूनतम हेड काउन्ट रेशियो वाले 5 राज्य, आरोही क्रम में :–

1. केरल– 0.71%, 2. गोवा– 3.76%, 3. सिक्किम– 3.82%, 4. तमिलनाडु– 4.89% तथा 5. पंजाब– 5.59%

उत्तराखण्ड में बहुआयामी निर्धनता

बहुआयामी सूचकों में हेड काउन्ट रेशियो के आधार पर में उत्तराखण्ड राज्य पहले स्थान पर रहा। राज्य में 17.72 प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी निर्धन है। राज्य के जनपदवार हेड काउन्ट रेशियो, इन्टेन्सिटी ऐ तथा एमपीआई की स्थिति नीचे तालिकाओं में प्रदर्शित की गई है। 20.66 प्रतिशत हेड काउन्ट रेशियो के साथ अल्मोड़ा जनपद में सर्वाधिक निर्धनता है तथा यह दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। जनपदों में ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक निर्धनता रुद्रप्रयाग जनपद में 28.20 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक निर्धनता चम्पावत जनपद में 20.60 प्रतिशत थी।

उत्तराखण्ड में बहुआयामी गरीबी (MPI) = हेड काउन्ट रेशियो x इन्टेन्सिटी कॉक पोवर्टी
0.79 = 17.72% x 44.37%

राज्य के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में निर्धनता			
	Headcount Ratio (H)	Intensity (A)	MPI (HxA)
ग्रामीण	21.94%	44.78%	0.098
नगरीय	9.89%	46.82%	0.046
राज्य	17.72%	44.37%	0.079

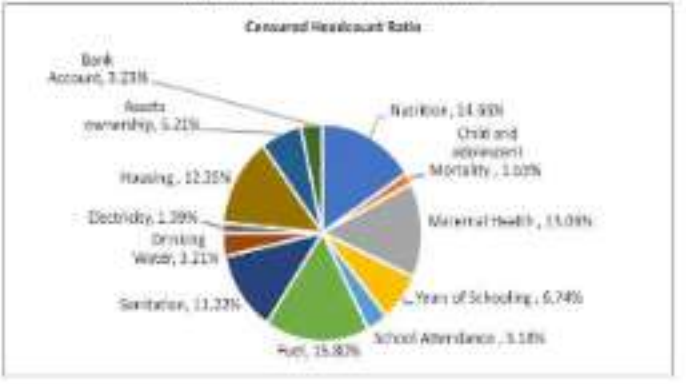

सतत् विकास लक्ष्य (SDGs):-

उत्तराखण्ड में सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की स्थिति:- सतत् विकास लक्ष्य हमारे ग्रहों और मेरावाहट का मूल सिद्धांत रहा है। सतत् विकास लक्ष्यों के सभी 17 लक्ष्य तथा 169 उप लक्ष्यों के पूर्तिपात तथा इनको प्राप्त करने के लिए रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई हुई सभी व्यवस्था गड़ी की पड़ जाती है, जिसने कहा था कि "सबसे प्रतीक्षा आदेश की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है, परन्तु प्रतीक्षा व्यक्ति के आकांक्षा को नहीं" सतत् विकास लक्ष्यों का मुख्यमूल उद्देश्य भी यही है, कि हम अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करें जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति आज की तुलना में और बेहतर ढंग से हो सके।

उक्त सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र के एजेण्डा 2030 'सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजीज)' के अन्तर्गत वर्ष 2030 तक आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय संतुलनीयता (Sustainability) बनाये रखने हेतु गतिशी के सभी आयामों को संचालन करने, समृद्धि लाने वाली उच्च प्राथमिकता एवं सुनिश्चित व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रतिबद्धता जतायी है।

उत्तराखण्ड को एक समृद्ध, स्वस्थ एवं सशक्तिकृत राज्य के रूप में विकसित करना जहाँ लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समुचित रोजगार के अवसर उपलब्ध हो तथा पर्यावरण के साथ संतुलन बनाते हुये राज्य में सतत् विकास सुनिश्चित किया जा सके।

राज्य में सतत् विकास लक्ष्यों को सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए उत्तराखण्ड स्वास्थ्य रणनीति एवं 'उत्तराखण्ड विजन 2030' डाक्यूमेंट तैयार किया गया है। सतत् विकास लक्ष्यों को तय समय सीमा 2030 तक हासिल करने हेतु एक समय और समयबद्ध रूप-रेखा प्रदान कर रहा है। सतत् विकास लक्ष्य का मूल मंत्र "विकास की प्रक्रिया में कोई भी पीछे नहीं छूटे" विशेष बल देता है और इसलिए वर्ष 17 के 17 देशों को विकास की मुख्य धारा में लाना है।

'उत्तराखण्ड विजन 2030' में जहाँ एक ओर विकास कार्यक्रमों एवं सतत् विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ित किया है, वहीं दूसरी ओर इनको स्थानीय स्तर पर प्रभावी क्रियान्वित एवं क्रियान्वित करने हेतु सम्बन्धित विभागों से विभागवार से गहन विचार-विमर्श के पश्चात् अलग-अलग विजन डाक्यूमेंट तैयार किये गये हैं, जिनमें अलग-अलग सतत् विकास लक्ष्यों की कार्ययोजनाओं एवं अनुश्रवणात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है।

5.7 एसडीजीज के क्रियान्वयन हेतु संगठनात्मक प्रबन्धन:- राज्य में सतत् विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियोजन विभाग के अन्तर्गत सेन्टर फॉर कॉम्पेक्ट पॉलिसी एण्ड गुड गवर्नेन्स (सीपीसीजी) का गठन किया गया है, सीपीसीजी द्वारा एसडीजीज के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सतत् विकास लक्ष्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने हेतु नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। जिसके अन्तर्गत राज्य एवं जनपद पर एसडीजी, लक्षित राशि एवं वैधानिक कार्यान्वयन करने का कार्य अंतिम चरण में है। उत्तराखंड के विजन-2030 के एजेण्डा का निर्धारण किया गया है। जिसे एवं क्षेत्र परिवार स्तर पर सम्बन्धित प्रतिनिधियों द कार्यशैली के साथ विचार-मंथन किया जा रहा है, जो निर्धारित करने के उपयुक्तकरण, व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन नियोजन हेतु व्यवस्था उपयोगी होने

District wise Multidimensional Poverty			
District Name	Headcount Ratio(H)	Intensity(A)	MPI(H*A)
Almora	25.15	45.34	0.114
Haridwar	24.76	47.28	0.117
Uttarkashi	26.28	44.5	0.116
Udham Singh Nagar	23.19	45.52	0.106
Champawat	22.41	44.77	0.100
Bageshwar	19.59	43.08	0.084
Tehri Garhwal	19.14	42.64	0.082
Chamoli	16.78	41.57	0.069
Pithoragarh	13.56	41.96	0.057
Rudraprayag	13.55	42.28	0.056
Nainital	13.41	41.19	0.055
Pauri Garhwal	13.35	40.29	0.054
Dehradun	6.88	40.42	0.028
State Average UK	17.72	44.37	0.079

District wise Multidimensional Poverty (Rural)			
District Name	Headcount Ratio (H)	Intensity (A)	MPI (H x I)
Haridwar	29.1	47.08	0.139
Almora	27.7	45.88	0.127
Udham Singh Nagar	25.46	45.39	0.115
Uttarkashi	26.13	44.48	0.116
Tehri Garhwal	23.72	43.64	0.035
Champawat	22.68	44.33	0.100
Bageshwar	20.82	43.06	0.090
Chamoli	20.58	41.53	0.085
Pithoragarh	15.86	42.06	0.067
Nainital	15.61	41.31	0.065
Rudraprayag	14.91	40.38	0.060
Pauri Garhwal	13.85	39.06	0.054
Dehradun	13.28	44.64	0.059
Rural Uttarakhand	21.94	43.79	0.096

District wise Multidimensional Poverty (Urban)			
District Name	Headcount Ratio (H)	Intensity (A)	MPI (H x I)
Champawat	31.93	48.11	0.153
Haridwar	17.76	47.08	0.084
Udham Singh Nagar	27.82	45.59	0.093
Nainital	6.18	43.2	0.041
Dehradun	3.64	45.99	0.017
Bageshwar	5.86	44.06	0.013
Almora	7.99	34.41	0.011
Pauri Garhwal	2.86	48.87	0.009
Uttarkashi	1.34	43.33	0.007
Tehri Garhwal	0	0	0.000
Chamoli	0	0	0.000
Pithoragarh	0	0	0.000
Rudraprayag	0	0	0.000
Urban Uttarakhand	9.89	45.82	0.045

इसके अलावा ही राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के लोक, सैनिटरिक तथा तकनीकी संस्थानों से सम्बन्धित व्यक्तियों तथा इस विषय में रुचि रखने वालों को राज्य में पर्यटनिक आधार पर क्रियाकलाप करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

5.8 राज्य विकास लक्ष्यों का अनुश्रवण— राज्य विकास लक्ष्यों की प्रगति मापन हेतु एम०डी०ओ० डैशबोर्ड विकसित है। एम०डी०ओ० डैशबोर्ड के अन्तर्गत उपलब्धता 125 संकेतकों के आधार पर उपलब्धता इकाई तैयार किए गए। जिलों वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक उपलब्धता राज्य विकास लक्ष्यों की प्रगति का मॉनिटर देखा जा सकता है। राज्य विकास लक्ष्यों के अन्तर्गत कुल 17 विषयक लक्ष्य तथा 169 डाटासेट (उप लक्ष्य) तथा 330 उपयोग संकेतक विनिर्दिष्ट किये गये हैं, जिनमें जोड़ उपलब्ध स्तर पर 369 संकेतक तथा उपलब्ध स्तरीय 125 संकेतक विनिर्दिष्ट किये गये हैं।

उपलब्धि से राज्यवार राज्य ने एम०डी०ओ० रैंकिंग डैशबोर्ड तैयार किए हैं, जिसके आधार पर जीव ही जिलों की रैंकिंग की जाएगी, जिससे जनपदों में प्रतियोगी विकास हेतु एक प्रतियोगिता उत्पन्न होगी।

5.9 राज्य विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन में हुई प्रगति का विवरण

राज्य द्वारा राज्य विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन में उपलब्धता प्राप्ति की जा रही है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा जारी एस०डी०जी० की रैंकिंग के अनुसार राज्य की वर्ष 2018 में 10वीं रैंक थी, जो वर्ष 2019 में 10वीं से गिरी तथा वर्ष 2020 में पीछे रैंक हो गयी। राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों का आकर राज्य विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संचित प्रगति से परिलक्षित हुआ है। यही नहीं राज्य ने लक्ष्य 7 (किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा) तथा लक्ष्य 16 (शांति, न्याय एवं मजबूत संस्थान) में उच्चतर स्थान प्राप्त किया है। राज्य की रैंकिंग कुल 16 राज्य विकास लक्ष्यों में से 8 लक्ष्यों में 2019–20 की तुलना में सुधरी है। राज्य की सभी लक्ष्यों में 2018 से 2020 की प्रगति निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत है।

तालिका 1

उत्तराखण्ड एस०डी०जी० का प्रदर्शन: वर्ष 2018, 2019 और 2020 के एक तुलनात्मक आकड़े (नीति आयोग के इंडेक्स पर आधारित)[5]

लक्ष्य और एस०डी०जी० संकेतक	उत्तराखण्ड 2018		उत्तराखण्ड 2019		उत्तराखण्ड 2020	
	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक
लक्ष्य (overall)	60	10	64	9	72	4
लक्ष्य 1: कुल गरीबी	66	6	64	7	74	7
लक्ष्य 2: कुल भुखमरी	55	11	45	30	91	8
लक्ष्य 3: उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली	46	20	58	13	77	6
लक्ष्य 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	68	9	66	7	70	4
लक्ष्य 5: लैंगिक समानता	41	8	56	11	46	13
लक्ष्य 6: साफ पानी एवं स्वच्छता	78	6	90	5	85	11
लक्ष्य 7: साफ और सस्ती ऊर्जा	55	12	78	9	100	1
लक्ष्य 8: आर्थिक वृद्धि	67	8	73	6	82	8

स्कोर 9: उद्योग और व्यापार	33	2000	55	11	55	10
स्कोर 10: अल्पसंख्यकों में कमी	62	36	98	12	77	4
एसडीजी 11: सतत्तीय शहर	41	9	50	8	76	8
स्कोर 12: उपभोग और उत्पादन	इकाइयां गणितित नहीं किया गया		50	14	82	6
स्कोर 13: जलवायु परिवर्तन	इकाइयां गणितित नहीं किया गया		58	8	93	9
स्कोर 14: भूमि पर जीवन	100	1	95	5	94	11
स्कोर 15: शांति और न्याय के लिये संस्थान	80	4	85	2	89	1

करना द्वारा एसडीजी में की जा रही उल्लेखनीय प्रगति हेतु अनेकों प्रयास किए गए हैं। जिनमें जिलों एवं विकासखंडों की वास्तु स्थिति तथा आवश्यक कार्य योजनाएं बनाना, राज्य संसाधन एवं जिला संसाधन केन्द्रों तैयार करना, राज्य का वास्तु विकास तथा डैशबोर्ड बनाना एवं जिलों का इकाइयां तैयार करना आदि शामिल हैं। उपरोक्त के अलावा राज्य ने एसडीजी, व्यक्ति नॉलेजबेस तैयार किया है जिसके आधार पर जीव ही जिलों की रैंकिंग की जाएगी।

5.10 जनपदवार कम्पोजिट एसडीजी इंडेक्स 2015–16 से 2020–21

उपलब्धता एसडीजी इंडेक्स 2015–16 से 2017–18 तक 11 उपयों पर आधारित है। जबकि 2018–19 से 2020–21 इंडेक्स 12 उपयों पर आधारित है। इन इंडेक्सों में उपय 10, 11, 12, 13, 14 एवं 17 को इसलिये शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि इन से संबंधित संकेतकों पर आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके। विभिन्न वर्षों के एसडीजी इंडेक्सों में संकेतकों की संख्या अलग नहीं है। परन्तु उपलब्ध संकेतकों की संख्या आंकड़ों की उपलब्धता के अनुसार बढ़ती गयी। वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 में 84 संकेतकों, 2017–18 में 102 संकेतकों, 2018–19 एवं 2019–20 में 109 संकेतकों तथा 2020–21 में 117 संकेतकों के आधार पर एस. डी.जी. इंडेक्स तैयार किये गये हैं।

तालिका–2 में वर्ष 2015–16 से वर्ष 2020–21 तक तैयार किये गये एसडीजी इंडेक्सों में शामिल संकेतकों का ब्यौरा प्रस्तुत है।

तालिका 2

एसडीजी Composite इंडेक्स संकेतकों का ब्यौरा					
2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
84	84	102	109	109	117

एसडीजी3 वाले जनपदों की रैंकिंग तथा स्कोर तालिका–2 में उल्लेखित है। वर्ष 2015–16 से 2020–21 के बीच जनपदों की रैंकिंग का विश्लेषण करिका है। वर्ष 2015–16 में 71 स्कोर के साथ उत्तरकाशी प्रथम स्थान तथा वर्ष 2017–18 से 2019–20 जनपद 3 वर्षों के दौरान प्रथम स्थान पर रहा जो कि जनपद की स्थिति को दर्शाती हुई सकारात्मक प्रगति दर्शाता है। कुछ जनपदों यथा चंपावत पड़ताल की अवधि में लगातार उत्तम प्रदर्शन करने में सिला। वर्ष 2015–16 में तथा रैंकिंग पुनरे स्थान पर था 2016–17 में आठवें, 2017–18 में दसवें, 2018–19 में तीसरे, 2019–20 में आठवें तथा पुनः 2020–21 में दूसरे स्थान पर रहा। सम्मेलित इंडिकेटर की वर्षवार स्थिति तथा स्कोर को देखते हुये संबंधित जनपदों को इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी।

तालिका 3
जिलों के एसडीजी3 हेतु स्कोर और रैंक का विश्लेषण

उत्तराखण्ड Composite इंडेक्स: जिलों के स्कोर और रैंक वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक												
	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक
उत्तराखण्ड	64		66		68		67		68		65	
अल्मोड़ा	64	4	66	4	68	4	67	3	68	3	66	3
बागेश्वर	64	4	67	3	69	2	67	4	67	3	69	1
चम्पावत	68	2	66	8	68	4	66	7	65	6	67	2
अल्मोड़ा	66	5	68	1	69	1	68	5	66	4	66	3
देहरादून	71	1	70	2	69	1	71	1	70	1	67	2
हरिद्वार	55	9	54	10	55	8	58	6	62	7	53	9
नैनीताल	67	2	67	3	65	3	62	3	68	2	65	4
पौड़ी गढ़वाल	67	2	69	3	64	4	59	6	61	8	67	2
पिथौरागढ़	57	8	61	7	56	9	63	2	59	9	63	6
रुद्रप्रयाग	60	7	71	1	66	2	61	4	63	6	65	4
टिहरी गढ़वाल	62	5	61	6	60	6	63	2	58	9	59	7
ऊधम सिंह नगर	61	6	59	9	60	7	59	6	54	10	58	8
उत्तरकाशी	65	3	68	3	67	3	63	4	65	6	64	5

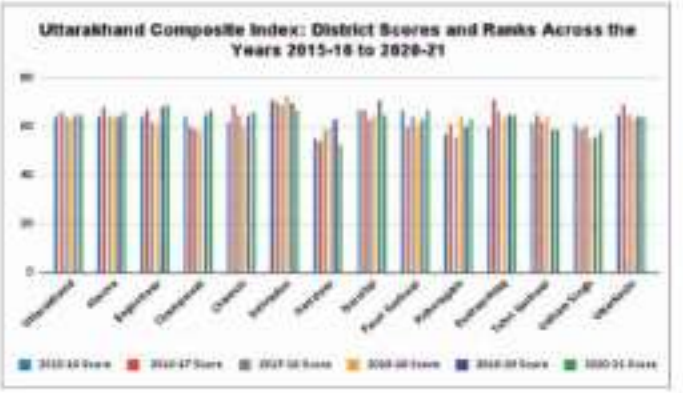

उपसंहार एवं भविष्य की रणनीति

वित्त आयोग के कथन में राज्य सरकार द्वारा सभी एक और विकास कार्यक्रमों को राज्य विकास लक्ष्यों के साथ अनुरेखित किया है, यही दूसरी ओर इनके प्रगति अनुश्रवण हेतु राज्य सांख्यिक एवं विश्व सांख्यिकी संस्थानों को भी अधिक सशक्त किया है। सतत् विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर नियोजित एवं क्रियान्वित करने हेतु सम्बद्ध जनपदों में हितधारकों (Stake holders) की पहचानहाई की गयी है, जिनमें जनप्रतिनिधि सतत् विकास लक्ष्यों की कार्य योजनाएं एवं अनुश्रवणात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक सशक्त अभिशासन, अन्तर्विभागीय समन्वयन तथा जनसहभागिता को सुनिश्चित किया गया है।

सतत् विकास लक्ष्य वर्ष 2030 तक सम्बन्धित विकास हेतु निर्धारित किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि जनपदीय विकास के लक्ष्यों में संलग्न सभी हितधारकों को सतत् विकास लक्ष्यों की मूल भावना एवं 'किसी को पीछे नहीं छोड़ने' को अवधारणा करने का प्रयास होना चाहिए, जिससे कि समावेश सहभागी का समुचितलाभ उपलब्ध हो सके। साथ साथ ही जनपदीय वर्ष में एसडीजीएफ के बेहतर स्थानीयकरण की प्रासंगिकता होगी तथा स्थानीय विकासों को सहायता करते हुये एसडीजीएफ को किसी ढंग, वैधानिक एवं भौगो संस्थाओं सहित सभी में सम्बन्ध स्थापित कर एसडीजीएफ को वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जा सकेगा।

अध्याय–6

भावसंचलन

Price Movement

6.1 मूल्य सूचकांक (Price Index)– मूल्य सूचकांक अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य स्तर (Price Level) या लोगों की जीवन शैली की लागत (Cost of Living) मापने का कार्य करता है। यह विभिन्न समयावधि में समान लेन-देनों (वस्तुओं व सेवाओं) के बीच के सापेक्ष मूल्यों का तुलनात्मक आकलन करता है। एक विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी दिए गए समूह की वस्तुओं या सेवाओं के मूल्यों के सापेक्ष यह एक सांख्यिकीय औसत (आमतौर पर एक भारित औसत) मूल्य है। इसका उपयोग उपभोक्ताओं के लाभदायक योजना बनाने एवं आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण हेतु किया जाता है।

6.2 थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index): थोक मूल्य सूचकांक मूल रूप से वस्तुओं की समूह (Basket) की सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में यह कार्यालय 3 समूहों से बना है: प्राथमिक वस्तुएं (भूल भार 22.62%), ईंधन और शक्ति (भूल भार 13.15%) तथा विनिर्मित उत्पाद (भूल भार 64.23%)। प्रतिमाही आधार पर भूल 697 वस्तुएं शामिल हैं, जिनमें से प्राथमिक वस्तुएं में 117 वस्तुएं, ईंधन व शक्ति समूह में 16 वस्तुएं तथा विनिर्माण समूह में 564 वस्तुएं शामिल हैं। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारीकर्ता एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा संयुक्त संयुक्त रूप जारी किया जाता है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index) मुद्रास्फीति के मापन के रूप में उपयोग किया जाता है।

6.3 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index): जनवरी 2014 से मुद्रास्फीति मापने के लिए संशोधित मूल्य सूचकांक (CPI) (आधार 2012 = 100) नये नये मापदंड के रूप में उपयोग किया जा रहा है। उपभोक्ताओं द्वारा वे वर्ष 2017–18 को आधार वर्ष निर्धारित करने हेतु वस्तुओं के भार निर्धारण करने के लिये Item basket तैयार कर ली गयी है। इसके लिये राज्य की कुल 74 चयनित बाजारों (34 ग्रामीण एवं 40 नगरीय) से प्रतिमाह 533 वस्तुओं के भाव एकत्रित किये गये।

क्रमांक	जनपद का नाम	ग्रामीण	नगरीय
1	उत्तरकाशी	3	2
2	चमोली	3	2
3	रुद्रप्रयाग	1	2
4	टिहरी	3	2
5	पौड़ी	3	5
6	पौड़ी	4	2
7	रिशिकेश	3	3
8	कर्णप्रयाग	1	2
9	ताल्लीडेरा	3	3
10	रुद्रपुर	1	2
11	हल्द्वानी	3	4
12	टनकपुर	3	6
13	हल्द्वानी	5	7
योग उत्तराखण्ड		34	40

लगभग 833 वस्तुओं के भारी को आयात शुल्क तैयार करने में प्रयोग किया गया। सरलीकृत उपभोक्ता सूचकांक तैयार करने के लिये उपयोग करने हेतु 260 एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 192 वस्तुओं का चयन कर लिए गया है।

6.4 CPI (संयुक्त) तैयार करने हेतु सभी वस्तुओं को 6 उप समूहों (Sub-groups) में वर्गीकृत करते हुए भारित (Weighted) किया गया है, जो इस प्रकार है: खाद्य एवं पेय पदार्थ (कुल भार 45.86%); पान, तम्बाकू और मादक पदार्थ (कुल भार 2.38%); कपड़े और जूते (कुल भार 6.53%), आवास (कुल भार 10.07%); ईंधन और प्रकाश (कुल भार 6.84%) तथा अन्य वस्तुएं (कुल भार 28.32%)। सूचकांक निर्माण में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार सर्वाधिक होने के कारण इनके भावों में परिवर्तन मुद्रा स्फीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

NSSO के ऐच साप्ताहिक सर्वाक्षण द्वारा सीपीआई (शहरी) हेतु 260 नगरीय केन्द्रों/कस्बों से तथा सीपीआई (ग्रामीण) हेतु 1,114 ग्रामीण बाजारों से मासिक मूल्य आंकड़ा एकत्रित किया जाता है। साथ ही विभिन्न श्रेणी/उप श्रेणियों के लिये एवं संबंधित निदेशालय तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रकाशित 1,181 गांवों से केन्द्र सर्वेक्षण के जरिये कीमतें एकत्रित की जाती हैं।

मुद्रास्फीति के कारण

6.5 पिछले कई वर्षों से लगातार खाद्य में निरंतर वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था में अधिक मुद्रा का प्रवाह हुआ है, जो स्वाभाविक तथा सही आय-व्यय को दर्शाता है। यह मुद्रा वह है जो योजना व्यय (Non-plan expenditure) में फोकोसित करता है, जो कि अनुत्पादक प्रकृति का होता है तथा जिसका अन्य इकाइयों एवं व्यक्ति में वृद्धि करता है। इसी क्रम में रुपया-पासा का वेतन आयोग की रिपोर्ट्स के लागत कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने से भी महंगाई दर में वृद्धि हुई है। साथ ही रिटेलर्स व डीलर्स के द्वारों में हो रही डिमांड वृद्धि भी महंगाई के प्रमुख कारणों में से एक है, क्योंकि अधिकांश डीलिंग संस्थानों की वस्तुओं व सेवाओं की मूल्यों व आपूर्ति व्यवस्था सम्बन्धों से होती है, जोकि ईंधन हेतु रिटेलर व डीलर पर आश्रित है।

राज्य में महंगाई नियंत्रण एवं वित्तीय प्रबंधन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय संसद में वित्तीय उत्तरदायित्व (राजकोषीय घाटे को कम करना तथा सुनिश्चित बजट की दिशा में अग्रसर होना) एवं व्यापक बजटीय प्रबंधन की दृष्टि से वर्तित Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 (FRBMA) का अनुपालन करते हुए राजकोषीय घाटे को GDP के अधिकतम 3 प्रतिशत की सीमा में नियन्त्रित रखा जा रहा है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) Consumer Price Index (Combined)

6.6 सरकार द्वारा राज्य एवं उसकी राजधानी के परिप्रेक्ष्य में राज्य में वस्तुओं और सेवाओं निर्धारित दरों में वृद्धि को दर्शाने हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) सांकेतिक सूचकांक को तुलना में अधिक रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2021 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) का आकलन करने पर दृष्टिगत होता है कि माह जनवरी 2021 में मुद्रास्फीति की दर(+) 4.06 प्रतिशत थी जो दिसम्बर 2021 माह में अधिकतम स्तर 5.69 प्रतिशत पर आंकलित रही।

इसके साथ ही राज्य में वर्ष 2021 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह जनवरी 2021 में मुद्रास्फीति की दर (+) 5.07 प्रतिशत के स्तर पर थी, जो माह दिसम्बर में 5.83 प्रतिशत पर अंकलित रही।

जनवरी 2021 से दिसम्बर 2021 तक राष्ट्रीय एवं प्रदेश की मुद्रा स्फीति दर का अवलोकन करने पर यह दृष्टिगत होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह वर्ष 2021 तक वृद्धि होती रही। अप्रैल 2021 में घटने के उपरान्त पुनः मई 2021 में वृद्धि हुई। तत्पश्चात् पुनः 2021 से दिसम्बर 2021 तक कम होने के उपरान्त पुनः जनवरी 2021 से दिसम्बर 2021 तक लगातार बढ़ती रही। प्रदेश में वर्ष 2021 तक मुद्रास्फीति की दर दिसंबर बढ़ती रही। अप्रैल 2021 एवं नई

2021 में कोविड 19 महामारी के कारण इसका आयोजन नहीं किया जा सका। जून 2021 में मुद्रा स्फीति की दर 6.26% थी, जो कि जुलाई 2021 तक निरन्तर बढ़ती रही। तत्पश्चात् अगस्त 2021 एवं सितम्बर 2021 में इसकी दर में कमी परिलक्षित हुई तथा अक्टूबर 2021 से दिसम्बर 2021 तक मुद्रा स्फीति की दर में वृद्धि पाई गई। उत्तराखण्ड की मुद्रास्फीति दर जहां जून 2021 एवं अगस्त 2021 को देश की दरों से अधिक थी वहीं सितम्बर 2021 में राष्ट्रीय दर से कम रही है। जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक राष्ट्रीय एवं उत्तराखण्ड राज्य में मुद्रा स्फीति की दर में लगातार वृद्धि दर्ज की गयी।

जनवरी 2017 से दिसम्बर 2021 तक की अवधि हेतु अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) व जनवरी 2021 से दिसम्बर 2021 तक की मुद्रा स्फीति की दर नीचे तालिका 6.1 में दर्शायी गई है। मुद्रास्फीति की दर को गणितीय सूत्र की मदद से (a) में प्रदर्शित किया गया है:-

तालिका 6.1
अखिल भारतीय एवं उत्तराखण्ड का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) CPI (Combined)
(आधार 2012 = 100)

माह	2017		2018		2019		2020		2021		मुद्रास्फीति की दर (2021)	
	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड
जनवरी	114.1	119.5	120.9	125.1	128.6	134.9	139.2	145.4	146.1	151.7	4.99	5.32
फरवरी	115.8	121.3	122.4	127.3	129.9	136.3	140.7	145.9	146.9	152.9	5.09	4.84
मार्च	116.5	122.0	123.5	128.4	130.8	136.2	141.6	146.4	146.8	152.7	4.92	4.81
अप्रैल	116.3	122.1	123.3	128.7	131.2	136.1	141.4	-	147.6	154.3	4.33	-
मई	116.4	122.5	123.8	128.7	131.0	137.7	139.9	-	148.1	154.9	4.5	-
जून	115.6	121.4	123.5	128.3	132.9	138.4	141.8	148.4	151.2	156.4	5.26	5.32
जुलाई	116.2	121.2	123.8	128.3	133.2	138.2	141.3	147.6	152.1	156.6	5.26	5.01
अगस्त	116.3	120.5	123.4	128.4	133.0	138.3	141.7	147.4	152.9	156.7	5.38	5.35
सितम्बर	116.2	120.8	123.2	128.7	132.8	138.9	139.8	145.2	152.2	156.9	4.75	4.95
अक्टूबर	116.1	120.9	123.7	128.3	132.7	138.2	139.7	145.2	152.2	156.3	4.42	4.62
नवम्बर	116.6	121.1	124.0	128.5	133.0	138.3	139.3	144.7	152.7	156.6	4.58	4.34
दिसम्बर	117.1	121.5	124.2	128.8	133.8	138.5	139.2	144.5	153.1	157.1	5.09	5.09

Source: CSO, MoSPI, GoI

तालिका 6.2

माह जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक अखिल भारतीय स्तर एवं उत्तराखण्ड राज्य के उपभोक्ता मांग सूचकांक एवं मुद्रास्फीति

क्र. सं.	माह	भारत का उपभोक्ता मांग सूचकांक	उत्तराखण्ड राज्य का उपभोक्ता मांग सूचकांक	भारत में मुद्रा स्फीति की दर	उत्तराखण्ड राज्य में मुद्रा स्फीति की दर
1	जनवरी 2022	185.7	183.3	6.01	6.38
2	फरवरी 2022	189.1	184.0	6.07	6.55
3	मार्च 2022	187.7	186.0	6.95	6.66

चार्ट–6(अ)

केन्द्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आँकड़ों द्वारा ज्ञात हुआ है कि उत्तराखण्ड में महंगाई दर 6.62 से बढ़कर 6.38 प्रतिशत हो चुकी है जबकि देश में यह दर 6.55 से बढ़कर 6.01 हो चुकी है। सबसे अधिक महंगाई कपड़ों व जूतों में उत्तराखण्ड व उद्योग क्षेत्र में। सबसे अधिक महंगाई वाले राज्य निम्नवत् हैं

क्रमांक	राज्य	महंगाई दर
1.	हरियाणा	7.23
2.	पश्चिमी बंगाल	7.11
3.	जम्मू कश्मीर	6.74
4.	मेघालय, मिजोरम	6.72
5.	उत्तर प्रदेश	6.71
6.	मध्य प्रदेश	6.63
7.	महाराष्ट्र	6.47
8.	उत्तराखण्ड	6.38
9.	कर्नाटक	6.25
10.	झारखण्ड	6.16

अध्याय–7

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले
Food Civil Supplies and Consumer Affairs

खाद्यान्नों के पर्याप्त भण्डार के लिये खाद्य सुरक्षा एवं स्थिरीकरण तंत्र जुटाये हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के अलावा पौष्टिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों की सुरक्षा के अतिरिक्त स्वच्छता आहार, साफ पीने का पानी, स्वच्छ वातावरण एवं आवश्यक स्वास्थ्य सेवा सेवाओं तक पहुंच है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्त्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना आदि योजनायें लागू की। इसकी अतिरिक्त अन्न के बदले अनाज योजना के माध्यम से गरीबों को खाद्य देने का प्रावधान किया गया।

भारत विकास दल (इण्डीसी) के विभिन्न अंगों में गरीबी खत्म करना, भुखमरी की समाप्ति, आर्थिक अन्तरालों कम करना और सभी के लिये शांति और न्याय सुनिश्चित करना है। **भारत विकास संसद 1 व 2 में गरीबी एवं भुखमरी की समाप्ति हेतु** खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण के लिये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यदि ये उक्त निर्धारित समय के बीतर पूर्ण किये जाते हैं तो विभिन्न रूप से दुनिया में गरीबों का प्रतिशत आसान होगा और उनके जीवन के बेहतर शैक्षिक उपलब्ध होंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग का मुख्य उद्देश्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रित परिवारों को सब्सिडीयुक्त नियमित रूप से खाद्यान्नों का वितरण करना है। इसके अंतर्गत खाद्यान्नों की खरीद, खाद्यान्नों का भंडार रखना और उनका रखरखाव करना, वितरण करने वाली एजेंसियों को खाद्यान्नों की सुपुर्दगी एवं उपभोक्ता के लिये का संचालन करना है।

7.1 लक्षित सार्वजनिक प्रणाली

एण्टयोदयएण्टयो (केन्द्र सरकार) तथा स्टेट एण्टयोदयएण्टयो (एण्टयोदय) की श्रेणियों के राशन –

(i) एण्टयोदयएण्टयो प्राथमिक परिवार (पीएच कार्ड)
(ii) एण्टयोदयएण्टयो अन्त्योदय (गुलाबी कार्ड)
(iii) राज्य खाद्य योजना (पीला कार्ड)

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश में राशन कार्डों की संख्या – **24,06,031** एवं यूनिटों की संख्या– 97,78,457 है। राज्य में संचालित की जा रही 6232 उचित मूल्य दुकानों से वर्ष 2021–22 में 31 मार्च, 2022 तक निम्नलिखित खाद्य पदार्थों की खपत दिखायी की गयी है :–

तालिका–1

क्रमांक	राशन कार्ड के प्रकार	कार्ड की संख्या	यूनिट
1	प्राथमिक परिवार (पीएच कार्ड)	17,27,796	54,05,511
2	अन्त्योदय (गुलाबी कार्ड)	1,84,139	6,56,627
3	राज्य खाद्य योजना (पीला कार्ड)	99,41,35	36,84,319

तालिका 2

क्रमांक	वस्तु का नाम	इकाई	वस्तुओं का प्रेषण 31 मार्च, 2022 तक
1.	एन0एफ0एस0ए0 प्रधानमंत्री परिवार (गेहूँ)	मी0टन	122716.083
2.	एन0एफ0एस0ए0 प्रधानमंत्री परिवार (चावल)	मी0टन	167466.009
3.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (गेहूँ)	मी0टन	20019.406
4.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (चावल)	मी0टन	47646.560
5.	राज्य खाद्य योजना (गेहूँ)	मी0टन	98522.395
6.	राज्य खाद्य योजना (चावल)	मी0टन	47052.807

वर्तमान में उक्तित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में 31 मार्च, 2022 तक राज्य को 167 खाद्यान्न गोदामों से उपलब्ध खाद्यान्न का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

तालिका 3

क्रमांक	वस्तु का नाम	इकाई	उपलब्ध मात्रा
1.	एन0एफ0एस0ए0 प्रधानमंत्री परिवार (गेहूँ)	मी0टन	11381.53
2.	एन0एफ0एस0ए0 प्रधानमंत्री परिवार (चावल)	मी0टन	36643.187
3.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (गेहूँ)	मी0टन	5490.470
4.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (चावल)	मी0टन	4764.814
5.	राज्य खाद्य योजना (गेहूँ)	मी0टन	6299.081
6.	राज्य खाद्य योजना (चावल)	मी0टन	4998.118

वर्तमान में उक्तित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2021-2022 में 31 मार्च, 2022 तक के खाद्यान्न वितरण का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

तालिका-4

क्रमांक	प्रति राशन कार्ड	उचित मूल्य की दुकानों द्वारा वितरित की जाने वाली खाद्यान्नों की मात्रा
1.	एन0एफ0एस0ए0 प्रधानमंत्री परिवार (गेहूँ)	2.00 क्विंटल (गेहूँ) प्रति यूनिट प्रति माह
2.	एन0एफ0एस0ए0 प्रधानमंत्री परिवार (चावल)	3.00 क्विंटल चावल प्रति यूनिट प्रति माह
3.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (गेहूँ)	21.700 क्विंटल (गेहूँ) प्रति कार्ड प्रति माह ₹ 03 प्रति किग्रा की दर से 13.300 क्विंटल चावल प्रति कार्ड प्रति माह ₹ 02 प्रति किग्रा की दर से
4.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (चावल)	
5.	राज्य खाद्य योजना (गेहूँ)	1.50 क्विंटल (गेहूँ) प्रति कार्ड प्रति माह
6	राज्य खाद्य योजना (चावल)	2.50 क्विंटल चावल प्रति कार्ड प्रति माह
7	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (चीनी)	1.00 किग्रा चीनी प्रतिकार्ड प्रतिमाह ₹ 13.50 प्रति किग्रा की दर से

7.2 राज्य खाद्य आयोग :– राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत राज्य खाद्य आयोग गठित किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अधिसूचना की धारा 16 के अन्तर्गत सुरक्षा शिकायत अधिकारी को जिला शिकायत निवारण अधिकारी घोषित किया गया है, जिसका कार्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में खाद्य हितग्राहियों को सुनिश्चित समय एवं राज्य आयोग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का प्रभावी क्रियान्वयन है।

7.3 एफपीएस (Fair Price Shop) कॉर्पोरेशन :– एफपीएस कॉर्पोरेशन के अन्तर्गत राज्य के 8232 राशन की दुकानों का पीडीएस पोर्टल (Common Service Centre) के माध्यम से लिखित इन्टीग्रेटर के रूप में कॉर्पोरेट किया गया है। इसके अन्तर्गत राशन विक्रेताओं को पीडीएस पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क ई-पॉस मशीन, सिम, तथा कार्डलेस/बिना इंटरनेट लावलेस कराये गये हैं। इस प्रयास की दुकानों के संचालन के कार्डलेस/ऑफलाईन ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। राज्य की दुकानों को डीलिंग के माध्यम से नया प्रतिष्ठान कॉर्पोरेट किया जा चुका है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक राशन की दुकान पर e-pos मशीन लिये जाने की अपेक्षाएँ पहिचान है।

7.4 आधार सिडिंग/इंटीग्रेशन एवं आधार सीडिंग :– राज्य के समस्त अन्त्योदय, प्राथमिक परिवार एवं राज्य खाद्य योजना के लगभग 2406031 लाभ राशन कार्डों को सत्यापित सिडिंग/इंटीग्रेशन करते हुये प्रत्येक राशन कार्ड धारक सदस्यों को आधार से लिंक किया गया है। सभी राशन कार्ड ई-केवाईसी आधार ऑथेन्टिफिकेशन की प्रक्रियाएं ही बनाये जा रहे हैं।

7.5 सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट :– इस के अन्तर्गत डेपो एलॉटमेन्ट से राशन के वाहनों एवं अन्तर्जिला परिवहन तक आवागमन, हम्माली उतारायण, ट्रक भाड़ा, डिलिवरी व राशन विक्रेताओं को डिलिवरी ऑर्डर ऑनलाईन किया जा रहा है।

वन नेशन वन राशन कार्ड

• 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना राज्य में माह जुलाई, 2020 से लागू की गयी है, जिसके फलस्वरूप लाभान्वित राज्य देश के अन्य राज्यों से जुड़ गया है। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्डधारकों को एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा मुख्य जनपद से दूसरे जनपद में किसी भी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दी गयी है।

• राशन कार्डों को और सुविधाजनक बनाये जाने की उद्देश्य से राज्य में जारी मुफ्तकोट राशन कार्डों के स्थान पर नवीन सुविधाजनक QR Code तथा फोटो युक्त कार्ड के साथ राशन कार्ड बनाये जा रहे हैं, जिसका उपभोक्ताओं को वितरण प्रचलित है।

7.6 मुख्य मार्कफेड योजना के अन्तर्गत खरीद :–

मुख्य मार्कफेड योजना के अन्तर्गत कृषकों से गेहूँ एवं धान की खरीदारी खरीद का सॉफ्टवेयर (E-Khareed Portal) तैयार किया गया है।

• वर्ष विपणन वर्ष 2021-22 में 24000 कृषकों से 1.437 मैट्रिक टन धान क्रय किया गया है। जिसका भिगतानों को साफ्टवेयर ऑनलाईन RTGS (Real Time Gross Settlement) के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है।

• खरीद के वर्ष 2021-22 हेतु सरकार द्वारा धान के क्रय को लक्ष्य 11.00 लाख मैट्रिक निर्धारित किया गया है। ग्रेडिंग धान का समर्थन मूल्य 1940 रुपया प्रति ए ग्रेड समर्थन मूल्य 1900 रु० प्रति कुन्तल तय की गयी है।

• मुख्य मार्कफेड योजना के अन्तर्गत रबी(मार्कफेड) (Rabi Market Season) 2021-22 में 24000 पंजीकृत कृषकों से 1.437 लाख मैट्रिटन गेहूँ का क्रय किया गया है। क्रय किये गये गेहूँ का मूल्य रु० 1975 प्रति क्विं एवं बोनस स्वरूप द्वारा प्रति क्विंटल बोनस ₹ 20 प्रति के आधार पर 1.437 लाख मैट्रिटन गेहूँ का क्रय किया गया, जिसका भुगतान कृषकों को मार्कफेड/मैट्रिक्स के माध्यम से उनके खाते में किया

था है। कृषकों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ₹ 2000 प्रति कुंतल बोनस अनुमन्य किया गया है।

- कृषकों की सुविधा हेतु ई-खरीद पोर्टल तैयार कर पंजीकृत कृषकों से ही धान का क्रय कर कृषकों के खाते में RTGS (Real Time Gross Settlement) के माध्यम से भुगतान किये जाने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।
- कोविड-19 के दृष्टिगत धान उपार्जन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु जिलों में पूर्व में स्थापित 261 क्रय केन्द्र यथावत रखे गये हैं।
- कृषक को अपने घर से ही पंजीकरण कराने तथा टोकन लेने की व्यवस्था ई-पोर्टल पर की गयी है।
- दिनांक 21.02.2022 तक पंजीकृत कृषकों से 11.55 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है।

7.7 मुख्यमंत्री दाल मोचित योजना – इस योजना के अन्तर्गत राज्य में अन्त्योदय, प्राथमिक एवं राज्य स्तरीय योजना के अन्तर्गत 2400031 लाख राशन कार्डधारकों को प्रतिवर्ष एक किलो से कम 02 किलोग्राम दाल प्रति माह अतिरिक्त उपलब्ध कराये जा रही है। इस योजना से उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत तथा प्रोटीनयुक्त दाल से पोषण भी प्राप्त हो रहा है।

- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना III 2021** – भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत NFSA के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवार राशनकार्ड धारकों को राहत दिये जाने के उद्देश्य से माह मई, 2021 से जुलाई, 2021 हेतु प्रति यूनिट नियमित 05 किलोग्राम खाद्यान्न (02 किलोग्राम गेहूं एवं 03 किलोग्राम चावल) नियमित अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवार के राशनकार्ड में अतिरिक्त आवंटित किया गया है। जिसके अन्तर्गत 3482300 मीट्रिक टनमात्र तथा 2148000 मीट्रिक गेहूं का निशुल्क वितरण लाभार्थियों को किया गया।
- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना IV 2021.22** – भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत NFSA में अन्तर्गत अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवार राशनकार्ड धारकों को राहत दिये जाने के उद्देश्य से नियमित खाद्यान्न के अतिरिक्त माह अगस्त 2021 से नवम्बर, 2021 तक प्रति यूनिट प्रति माह निशुल्क 05 किग्रा खाद्यान्न (02 किग्रा. चावल 03 किग्रा. गेहूं) उपलब्ध कराया गया। जिसके अन्तर्गत कुल 4728600 मीट्रिक टनमात्र तथा 2728,000 मीट्रिक गेहूं का निशुल्क वितरण लाभार्थियों को किया गया।
- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना VIth 2021.22** :- भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत NFSA में अन्तर्गत अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवार राशनकार्ड धारकों को राहत दिये जाने के उद्देश्य से नियमित खाद्यान्न के अतिरिक्त माह दिसम्बर, 2021 से मार्च, 2022 तक प्रति यूनिट प्रति माह निशुल्क 05 किग्रा खाद्यान्न (02 किग्रा० चावल 03 किग्रा० गेहूँ) उपलब्ध कराया गया। जिसके अन्तर्गत कुल 4283,000 मीट्रिक टनमात्र तथा 2428,000 मीट्रिक गेहूं का निशुल्क वितरण लाभार्थियों को किया गया।

कोविड-19 के दौरान प्रबंध

• राज्य सरकार द्वारा COVID-19 की दूसरी लहर/संक्रमण 2021 की अवधि में राज्य खाद्य सेवाओं के 9.00 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा तथा राहत दिये जाने के उद्देश्य से 12.50 मिलियन खाद्यान्न (लगभग 7.5 मिलियन राज्यकाल नागरिक के अतिरिक्त) और चावल कार्ड धारकेतरों को मई माह 2021 से जुलाई, 2021 तक अतिरिक्त रूप से वितरित किया गया है।

• चीनी:- कोविड-19 की द्वितीय लहर 2021 के दौरान उत्पन्नोदय, अन्त्योदय परिवार एवं राज्य खाद्य सेवाओं के लगभग 24 लाख राशन कार्डधारक परिवारों को खाद्य सुरक्षा तथा राहत दिये जाने के उद्देश्य से 2.50 मिलियन चीनी सांकेतिक दरों यानि चावल कार्ड 25.00 रू० प्रति मिलियन की दर से माह मई, 2021 से अगस्त, 2021 तक वितरित की गयी।

• जागरूकता अभियान :- लॉकडाउन के दौरान घोषणाओं की जानकारी, कोरोना संक्रमण से बचाव व संक्रमण नियंत्रण के दौरान सामाजिक दूरी आदि के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को जागरूक करने, एकत्रित्व चेतावनी, जनजागरूकता, रेडियो जिंगल, एफएम/एमएम तथा सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से घोषणा के व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

• लॉकडाउन की अवधि में खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं के कालाबाजारी नियंत्रणार्थ की जाने के उद्देश्य से दुकानदारों से पूर्व जारीत दरों की जानकारी हेतु हेल्पलाईन नं0 1800-180-4188 को प्रारम्भ करने से साथ-साथ सभी नियंत्रित स्तर से विक्रयीत करने हुये विक्रेताओं का नियंत्रण किया गया।

• लॉकडाउन की अवधि में शासन की दिशानिर्देश के मद्देनजर से मुख्य तथा आवश्यक उपभोक्ताओं हेतु होम डिलीवरी व्यवस्था की गयी।

• लॉकडाउन की अवधि में राज्य में आवश्यक वस्तुओं जैसा सब्जी, आटा, दाल, खाद्य तेल, नमक आदि की आपूर्ति व्यवस्था, कमी व दुरित व्यवधान के लिए समन्वय व्यवस्था का निर्माण की गयी।

• शासन की दिशानिर्देश के मद्देनजर में पैकेटिंगयुक्त के अतिरिक्त चीनी, दाल के अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य तेल, आयोडीन नमक, मसाले, चाय, दुग्धोत्पाद, साबुन आदि की वितरित किये जाने की व्यवस्था की गयी।

• लॉकडाउन की अवधि में आपूर्ति एवं के मद्देनजर से निजी क्षेत्र के दुकानदारों के माध्यम से भी होम डिलीवरी की व्यवस्था की गयी।

1.8 रहेंट कन्ट्रोलर हेल्पलाइन

• राज्य में 02 रेंट कंट्रोलर हैल्पलाईन संचालित किया गया है।

• उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान हेतु राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन नम्बर – 1800-180-4188

• कार्यालय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अलावा शिकायतों के समाधान हेतु **एन0आई0सी0 हैल्पलाईन नम्बर– 1967**

• एन गेहन एम खान जोनों के अलावा शिकायत निवारण हेतु **हैल्पलाईन नंबर – 14645**

• राज्य खाद्य आयोग

(iii) राज्य खाद्य एवं खाद्य -19 के अन्तर्गत खाद्य खाद्य आयोग देहरादून में स्थापित।

(iii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अधिसूचना की धारा 16 से अपेक्षित कुशल शिकायत अधिकारी को जिला शिकायत निवारण अधिकारी नामित।

(iv) जिला शिकायत निवारण अधिकारी का कार्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में प्राप्त शिकायतों की पुनरावृत्ति।

(v) राज्य आयोग द्वारा जारी समय सारिणी आदेशों एवं प्राप्त अपीलों पूरने का कार्य।

7.0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/जिला उपभोक्ता फोरम — राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों में उपभोक्ता विवाद का निपटान हेतु राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के गठन की तिथि अप्रैल, 2022 से मार्च, 2022 तक 9941 वाद दर्ज हुए, इनमें से मार्च, 2022 तक 8225 वाद निपटारित हो चुके हैं, एवं लम्बित वाद की संख्या 1716 है, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद की तिथि से मार्च, 2022 तक 52436 मामले दर्ज हुए इनमें से मार्च, 2022 तक 46643 मामले निपटारित हो चुके हैं।

तालिका–5
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/जिला उपभोक्ता फोरम

क्रमांक	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	दर्ज वादों की संख्या	निपटारित वादों की संख्या	लम्बितवाद की संख्या
1.	उत्तराखण्ड	9941	8225	1716

क्रमांक	जिला उपभोक्ता फोरम	दर्ज वादों की संख्या	निपटारित वादों की संख्या	लम्बितवाद की संख्या
1.	हरिद्वार	11031	9983	1048
2.	देहरादून	14688	13053	1230
3.	उधमसिंहनगर	4348	4009	339
4.	उत्तरकाशी	2595	2495	100
5.	नैनीताल	6633	6401	232
6.	अल्मोड़ा	3359	2946	413
7.	पिथौरागढ़	1932	1734	78
8.	चमोली	1644	1568	76
9.	पौड़ी गढ़वाल	2282	2155	80
10.	भगवान	330	287	02
11.	टिहरी गढ़वाल	2513	2456	57
12.	बागेश्वर	647	509	42
13.	रुद्रप्रयाग	494	453	31
	योग	**52436**	**46643**	**3793**
	महायोग	**61077**	**55185**	**5509**

7.13 निःशुल्क वैध कनेक्शन– प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं राज्य उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत उज्ज्वलाधारक राज्य में निःशुल्क वैध कनेक्शनधारी निर्धन परिवारों को निःशुल्क वैध कनेक्शन वितरित किये गये है, जिसका उज्ज्वलाधार विवरण निम्नवत् है:-

तालिका–6

क्रमांक	जनपद का नाम	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	राज्य उज्ज्वला योजना
1.	हरिद्वार	105557	221
2.	देहरादून	47233	750
3.	उधमसिंहनगर	58543	00
4.	उत्तरकाशी	18748	483
5.	पौड़ीगढ़वाल	33695	1469
6.	अल्मोड़ा	21032	222
7.	पिथौरागढ़	22641	1673
8.	चमोली	19018	1277
9.	रुद्रप्रयाग	16172	2532
10.	टिहरी	9528	646
11.	टिहरी गढ़वाल	23624	132
12.	चम्पावत	7160	3022
13.	बागेश्वर	15234	458
योग		**432941**	**12445**

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 दिनांक 10 अगस्त 2021 से पूरे भारतवर्ष में प्रारम्भ की गयी है। राज्य उज्ज्वला योजना प्रचलित है।

विभिन्न गाय विद्युत – ईंधन और चूल्हा मिलने के अलावा इन महिलाओं को दी जाने वाली सभी सुविधाएं यथा इंश्योरेंस, लाईसेन्स फीस, मरीजों केयर, सब्सिडी आदि कार्य ऑनलाईन प्रारम्भ कर दिया गया है।

अध्याय–8

कृषि, गन्ना एवं उद्यान
(Agriculture, Sugar cane & Horticulture)

8.1 कृषि (Agriculture)

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देश के 70 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर हैं। कृषि कुल श्रमबल संबंधी उपलब्ध 17.1 प्रतिशत का योगदान देता है और लगभग 58 प्रतिशत आबादी को रोजगार प्रदान करता है। भारत सरकार के कृषि की हिस्सेदारी वर्ष 2019–20 में 17.8 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2020–21 में बढ़कर 19.9 प्रतिशत है।

भारत में दो तिहाई से अधिक ग्रामीण आबादी कृषि क्षेत्र पर अपनी आजीविका के लिये निर्भर है। एक अनुमान के अनुसार ब्रिटेन और अमेरिका में 2 से 3 प्रतिशत, जापान में 6 प्रतिशत, आस्ट्रेलिया में 7 प्रतिशत की तुलना में इसकी उपलब्धता 58 प्रतिशत उपलब्ध कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। यही नहीं अपितु कृषि व्यवसाय का एक प्रमुख क्षेत्र है जोकि यह सम्पूर्ण देश की इतनी बड़ी आबादी को भोजन की निरन्तर आपूर्ति प्रदान कर रहा है। कृषि क्षेत्र इसके देश के बहुउद्देशीय उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति का प्रमुख स्रोत रहा है, चूंकि और पुराने शहर, गांवों, बस्तियों, खाद्य तेल, वानस्पति उद्योग और कृषि आधारित कुटीर उद्योग भी निर्मित कर से कृषि के पीछे खड़ा नहीं रह सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास एजेण्डा 2030 में 17 एसडीजीएस लक्ष्यों को शामिल किया गया है। जिनके लिये गरीबी, भूख, असमानता, जलवायु परिवर्तन और अन्य तत्काल सामने खड़ी प्रमुख चुनौतियों से निपटने के लिये आवश्यकता हो गई है और साथ ही वैश्विक साझेदारी में तेजी लाने की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र एसडीजीएस के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्त करने की कुंजी है। भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये लगातार नयी शुरुआत लागू की गयी है, लेकिन भारतीय कृषि उत्पादकता विकसित देश की तुलना में कम है। वर्ष 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कृषि सुधारों के क्रियान्वयन में तेजी और कृषि आय में वृद्धि करना आवश्यक है। कृषि पर निर्भर कार्यबल को कम करने की सामाजिक चुनौतियां छोटे और छोटे होते जोतों की उत्पादकता, स्थायित्व पर निर्भरता, खत्म होती मिट्टी की उत्पादन क्षमता जैसी भी चुनौती है। किसानों की मदद करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं (किसान/फसली/उर्वरक) और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे कदम उठाये जा रहे हैं। भारतीय कृषि को बढ़ावा देने के लिये वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों द्वारा नयी तकनीकों और नीतियों को लागू कर कई एसडीजीएस लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

8.1.1 उत्तराखण्ड के कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों हेतु बजट आवंटन एवं सकल घरेलू उत्पाद में योगदान– सारणी 8.1.1 से स्पष्ट है कि वर्ष 2011–12 से 2020–21 तक राज्य में कृषि एवं सहायक क्षेत्र में बजट आवंटन कुल बजट का 3.88 प्रतिशत से 3.30 के मध्य रहा है। वर्ष 2020–21 में कृषि एवं सहायक क्षेत्र का GSDP में योगदान 9.74 प्रतिशत अनुमानित है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020–21 में योगदान सकल बजट में कृषि एवं सहायक क्षेत्र हेतु आवंटित वृद्धि नहीं है, जो कि निरंतर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिये जाने की ओर इंगित करता है।

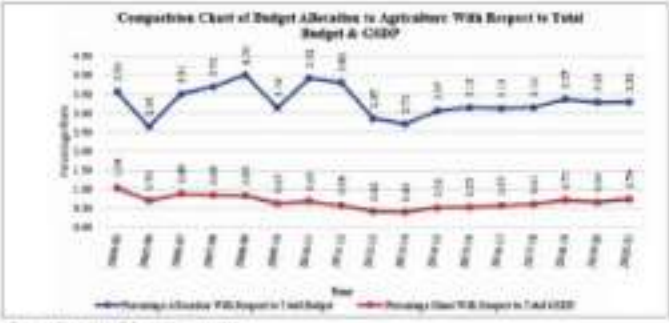

8.1.2 कृषि जोतें:– वर्ष 2015–16 की कृषि गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 881305 जोतें हैं। विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत जोतों की संख्या एवं संचालन का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया जा रहा है–

तालिका सं0–8.1.2

संख्या– हेक्टेयर में

किसानवार जोतों की श्रेणी	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		कुल		योग	
	संख्या	हेक्टेयर	संख्या	हेक्टेयर	संख्या	हेक्टेयर	संख्या	हेक्टेयर
सीमान्त (0.10 से 0.40)	109266	43276	15878	6081	532022	216758	**656962**	**266000**
लघु (0.6 से 1.0 से 2.0 से तक)	11178	15254	4374	6349	133022	184246	**148815**	**205225**
अर्धमध्यम एवं वृहद जोतें का योग	120444	58573	20252	12425	665944	420984	**807837**	**489665**
कुल जोतों के सापेक्ष सीमान्त एवं लघु जोतों का प्रतिशत	97.29	85.24	71.93	28.79	91.51	67.03	**91.67**	**65.52**
मध्यम (2.0 से 4.0 से 10 से)	3001	7719	4570	13397	50311	134265	**58344**	**155537**
वृहत (10 से 25 से 100 से से)	344	1787	3085	17872	10661	68554	**14936**	**38834**
अति (100 से से अधिक)	5	134	228	2996	160	8149	**885**	**23284**
कुल योग–	**123800**	**65150**	**28135**	**46394**	**727746**	**622442**	**881305**	**767320**

8.1.3 **फसल पैटर्न**– वर्ष 2019–20 के अनुसार कुल बोये गये क्षेत्रफल का 38 प्रतिशत क्षेत्र गेहूँ से आच्छादित है, जिसे सबसे बड़ा क्षेत्र की मुख्य फसल है। धान के अन्तर्गत 25 प्रतिशत, मक्का से आच्छादित 9 प्रतिशत, चना से अन्तर्गत 8 प्रतिशत, सब्जी से अन्तर्गत 4 प्रतिशत, मूंग दालों से आच्छादित 6 प्रतिशत, कुल तिलहन के अन्तर्गत 2 प्रतिशत, चना से अन्तर्गत 2 प्रतिशत, जौ से अन्तर्गत 2 प्रतिशत, बरसीम एवं सहिनी से अन्तर्गत 5 प्रतिशत, खेसारी 3 प्रतिशत एवं अन्य फसलों से अन्तर्गत 3 प्रतिशत क्षेत्र अच्छादित है। शेष कृषि क्षेत्र अन्य कृषि उपयोगी, सहिनियों, रास्तों आदि से अन्तर्गत है।

क्रमांक	फसल का नाम	क्षेत्रफल प्रतिशत में
1	गेहूँ	38
2	धान	25
3	मक्का	9
4	चना	8
5	सब्जी	4
6	दलहनी	6
7	कुल तिलहन	2
8	मसूर	2
9	जौ	2
10	बरसीम एवं सहिनी	5
11	खेसारी	3
12	अन्य फसलें	3

स्रोत: कृषि विभाग

चार्ट 8.2

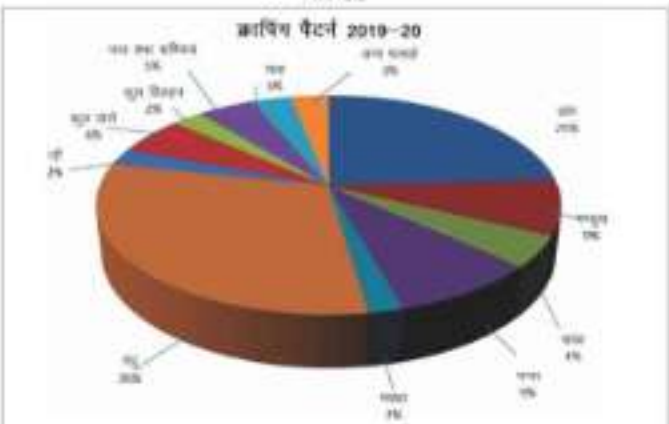

8.1.4 भागपुर- 2021 वृष्टि आंकिकताओं का भागपुर से पहर सम्बन्ध है। व्यवसायन में वर्ष 2021 के भागपुर के पीक्ष (अप्रैल–सितम्बर 2021) में सम्बन्ध से सम्बन्ध पहर सिर्फ़ित दर्ज हुई।

वर्ष के दायान एवं सम्बन्धित आंकड़े (अप्रैल, 2021 से सितम्बर, 2021 तक) इकाई– मिलीमीटर में

क्रम	जनपद	अप्रैल 2021		मई 2021		जून 2021		जुलाई 2021		अगस्त 2021		सितम्बर 2021		योग		औसत
		सम्भव	वास्तविक	सम्भव	वास्तविक	सम्भव	वास्तविक	सम्भव	वास्तविक	सम्भव	वास्तविक	सम्भव	वास्तविक	सम्भव	वास्तविक	
1	कमलाड	30.6	56.4	51.4	154.3	152.9	282.3	173.3	244.1	263.4	148.5	153.8	140.6	824.7	1025	33
2	बलेसर	30.5	50.9	51.4	245.8	152.9	674.5	173.3	636.3	263.3	614.4	153.8	423.6	824.7	2481	386
3	फतेही	42.5	39.4	68.2	163.6	183.5	389.4	198.1	715.6	281.7	306.6	125.1	286.5	886	1539	19
4	रामगढ़	28.2	13.3	52.4	226.7	213.7	140.1	171.2	123.6	405.7	158.7	245.4	58.6	1102	2149	-33
5	देवगढ़	25.2	42.7	51.4	145.8	183.8	175.6	154.8	572	542.8	164.8	245.3	249.6	1602	1956	-3
6	पीपी	25.6	35	39.7	113.6	161.1	203.6	419.8	269	444.9	216.3	190.5	113.3	1298	949.8	-27
7	सिरी	32.5	55.7	54.3	154.5	135.8	181	144.9	216.2	340.7	245	160	185.3	1077	1137	4
8	हरिद्वार	11.3	4.2	20.5	82.2	118.2	121.3	55.6	186.5	159.3	218.2	183.1	125.6	1814	886.3	-17
9	मेसिया	27.3	35	44.1	230.4	233.7	262.6	66.9	386.7	437.4	401.8	203	154.6	1516	1514	0
10	सिंघेरगढ़	32.3	68.6	126.9	326.2	264.6	345	149.5	486.1	403.5	418.8	253.1	337.6	1759	2721	1
11	बहादरा	61.2	69.1	90.5	320.9	208.1	322.4	52.5	485.7	360.1	167	194.8	266.8	1616	1532	-6
12	खलिलपुर	9.5	13.1	37.4	184.7	133.5	170.1	179.5	387.9	345.9	345.8	198.7	180.7	1121	1123	0
13	दाहरवाली	34.4	109.4	82.2	186.3	206.7	149.1	415.6	421.6	408.1	174	172.6	177.1	1318	1219	-1
औसत दायान्तर		34.8	38	80.6	173.6	177.8	262.7	187.7	373.6	331.5	303	155.7	213.3	1277	1369	8

8.1.5 उत्तराखण्ड में खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्यान्न के अन्तर्गत क्षेत्रफल

तालिका - 8.4

वर्ष	क्षेत्र ('000हैक्टेयर)	उत्पादन ('000मी.टन)	प्रति हैक्टेयर उत्पादन (मी.टन)
2011–12	909.505	1804.03	1.98
2012–13	898.074	1811.84	2.02
2013–14	872.75	1775.08	2.03
2014–15	870.36	1812.86	2.84
2015–16	866.75	1736.36	2.03
2016–17	867.66	1874.50	2.16
2017–18	842.369	1930.990	2.29
2018–19	814.833	1860.206	2.283
2019–20	806.881	1902.029	2.345
2020–21 अनुमानित	800.897	2002.800	2.47

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में कुछ वर्षों खाद्यान्न क्षेत्र होने के बावजूद भी खाद्यान्न उत्पादकता बढ़ी है। खाद्यान्न उत्पादन में औसत उत्पादकता बढ़ने का मुख्य कारण अच्छा किस्म के बीजों तथा सिंचाई तथा कृषि में नयी–नयी तकनीकों के उपयोग से हुआ है। उक्त विवरण तथा ट को विभिन्न वर्षों में कुल उत्पन्न हेतु ग्राम एवं ब्लॉक स्तरवार कृषि की योजनायें चलायी जा रही है उनका विवरण निम्नानुसार है:-

केन्द्रपोषित योजनायें

8.1.6 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN):– भारत सरकार द्वारा किसानों को आय सहायता दिये जाने हेतु एक–कॉलेटरल खाद्यान्न के साथ दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 से "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी. एम.–किसान)" योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत सभी किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रति वर्ष ₹ 6000 (छः हजार रुपये) की धनराशि ₹ 2000 (दो–दो हजार रुपये) की तीन समान किस्तों में प्रदान की जा रही है। योजना की किस्तों हेतु निर्धारित समयावधि निम्नानुसार है :–

- प्रथम किस्त की समयावधि :– 01 अप्रैल से 31 जुलाई
- द्वितीय किस्त की समयावधि– 01 अगस्त से 30 नवम्बर
- तृतीय किस्त की समयावधि :– 01 दिसम्बर से 31 मार्च

राज्य सरकारें किसानों को किस्त का भुगतान लाभार्थी के चिन्हित होने पर डी.एच.–डिसान पोर्टल पर आधार आधारित होने लाभार्थी सूचीवार (e-Monthly Period) के आधार पर किया जा रहा है।

प्रदेश में योजना के संचालन हेतु शासनादेश संख्या 232 दिनांक 06 फरवरी, 2019 के द्वारा कृषि विभाग को नोडल विभाग तथा शासनादेश संख्या 233 दिनांक 06 फरवरी, 2019 के द्वारा आयुक्त एवं सचिव,

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

1. योजना के उद्देश्य–

(i) देश में समस्त किसानों को आच्छद आय सम्बन्धी सहायता दिए जाने से प्रोत्साहनकर्ता एक सुनिश्चित कार्य सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शेन्द्र से राज्यवर्तित सहायता के साथ (विशेष-विकल्पों) राज्य की एक योजना आरम्भ की गई है।

(ii) यह योजना समस्त किसानों को उनके निवेश और अन्य जरूरतों के लिए एक सुनिश्चित आय सहायता सुनिश्चित करते हुए कृषक आय प्रदान करेगी, जिससे पानी उपलब्ध आवश्यकों को तथा विशेष रूप से समय पर बुवाई के पश्चात सम्बन्धित आय प्राप्त होने से पूर्व होने वाले सम्भावित नाशों को दूर सुनिश्चित होगी।

(iii) यह योजना उन्हें ऐसे खर्चों को पूरा करने हुए उन्हें साधुकारों के चंगुल से पहले से ही बचाएगी और खेती के कार्यालयवर्ष में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करेगी। यह योजना उन्हें अपनी पूर्वि पद्धतियों के आधुनिकीकरण के लिए साधन उपलब्ध कराएगी और उनके लिए सम्भावनाएं उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

2. योजना की प्रगति–

प्रदेश में दिनांक 31 मार्च, 2022 तक 9.45 लाख कृषक पंजीकृत हो चुके हैं तथा 9.24 लाख कृषकों को ₹ 1584.78 करोड़ धनराशि निम्नानुसार उपलब्ध कराई जा चुकी है।

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	आंवटित धनराशि (करोड़ रु में)
1.	2019-19	32.62
2.	2019-20	452.03
3.	2020-21	502.16
4.	2021-22	547.77
कुल योग		**1584.78**

वर्ष 2021-22 में योजना से लाभान्वित कृषकों का जनपदवार विवरण– वर्ष 2021-22 के प्रथम ट्रांचे में 8.38 लाख कृषकों को ₹ 175.68 करोड़ की धनराशि एवं द्वितीय ट्रांचे में 8.80 लाख कृषकों को ₹ 188.02 करोड़ की धनराशि तथा तृतीय ट्रांचे में 8.82 लाख कृषकों को ₹ 185.67 करोड़ धनराशि हस्तांतरित की गयी है। जनपदवार विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	जनपद का नाम	प्रथम इंस्टॉलमेंट (अप्रैल 2021 से जुलाई 2021)		द्वितीय इंस्टॉलमेंट (अगस्त 2021 से नवम्बर 2021)		तृतीय इंस्टॉलमेंट (दिसम्बर 2021 से मार्च 2022)		आवंटित धनराशि (₹ करोड़ में)
		कृषकों की संख्या	देय किस्त	कृषकों की संख्या	देय किस्त	कृषकों की संख्या	देय किस्त	
1	बलरामपुर	83726	84623	100806	126778	108259	111616	85.38
2	बाराबंकी	37410	40491	38633	39053	39466	41513	34.33
3	बरेली	46236	47698	47667	49228	49366	52214	29.87
4	बस्ती	38398	39409	38403	39263	38637	39678	23.52
5	बिजनौर	59837	61134	60521	61763	61812	63833	37.38
6	बदायूं	124539	130197	126920	131699	127359	134673	79.31
7	बुलंदशहर	53554	57013	54094	56532	55159	58977	34.56
8	चंदौली महाराज	67320	69304	68478	69011	69011	70516	41.88
9	चित्रकूटधाम	57712	60629	60324	61719	60812	62892	37.01
10	देवरिया	37907	41527	40560	44399	41407	44754	26.22
11	दिल्ली महानगर	109873	112450	110447	115057	112821	119161	69.34
12	गौतमबुद्ध नगर	76211	77413	76512	77423	76016	80046	46.58
13	गाजियाबाद	53621	53637	51717	53590	52347	53804	32.09
महायोग		838396	875412	879707	939880	892342	933381	547.77

वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम इंस्टॉलमेंट (अप्रैल से जुलाई) में आवेदित सभी लाभार्थियों को वित्त की धनराशि के आवंटन हेतु पैरामेन्ट-विजार्ड पोर्टल पर RFT (Request for Fund Transfer) अपलोड किये गये हैं।

8.1.7 प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पी. एम.के.एम.वाई.)– भारत सरकार द्वारा देश के सभी छू पात्रक लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए एक स्वैच्छिक एवं अंशदान पेंशन योजना (PM-KMY) लागू की गई है, जो एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है तथा इसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है। यह योजना 09 अगस्त, 2019 से प्रभावी है। योजनान्तर्गत 5 वर्ष में कुल 2852 कृषक दर्ज किये गये हैं।

8.1.8 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना– वर्ष 2021-22 में रबी वर्ष 2022 तक 90011 कृषकों का बीमा किया गया। वर्ष 2021 में 21488.56 हे. क्षेत्रफल के सापेक्ष ₹ 143.34 करोड़ का बीमा किया गया है। यह उपलब्धि फसल कटाई प्रयोग द्वारा औसत उपज के आंकड़ों के आधार पर होने का आकलन कर दी जाएगी।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) :- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की सूचना के अनुसार माह मार्च 2022 तक 380755 किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किए गए।

तालिका 8.0

ओव के प्रकार	ओव संख्या	पशुसंख्या आधार ते वें
ओव ओन	261490	364883.71
टर्म ओव	117979	209262.28
कुल योग	379155	571105.99

8.1.9 न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support price):- वर्ष 2021–22 के पंजीयन की फसलों के लिये 2021–22 में किसानों हेतु भारत सरकार द्वारा निम्न फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य तालिका–8.1.3 निर्धारित किया गया है:–

खाद्य सामग्री	एमएसपी 2019–20	एमएसपी 2020–21	एमएसपी 2021–22
गेहूँ	1925	1975	2015
जौ	1525	1600	1635
चना	4875	5100	5230
मसूर	4800	5100	5500
सरसों / तोरिया	4425	4650	5050
कुसुम (Safflower)	5215	5327	5441

8.1.10 राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) (E-National Agricultural Market (e-NAM):- राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) एक पैन इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो कृषि से सम्बन्धित उत्पादों के लिए एक एकीकृत बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा एपीएमसी मण्डी को जोड़ता है। ई–नाम पोर्टल सभी एपीएमसी (Agriculture Produce Marketing Committee) से सम्बन्धित सूचनाओं एवं सेवाओं के लिए सेवा प्रदान करता है। कृषि बाजार को उनसे द्वारा उनके कृषि व्यवसाय डिजिटल द्वार संचालित किया जाता है। फरवरी में कुल 16 राज्यों सोसियेस ई–नाम पोर्टल से जुड़ी हैं। अब तक 23208 कृषक, 4702 व्यापारियों एवं 2585 संचित एजेंटों का पंजीयन ई–नाम पोर्टल पर किया जा चुका है। ई–नाम के अन्तर्गत अभी तक कुल ₹ 326 करोड़ मूल्य की ₹ 26.16 लाख कुन्तल कृषि जिन्सों का ई–ट्रेड किया गया है। वर्तमान तक कुल 119207 लॉट का सत्यापन किया गया है एवं 117946 लॉट की लीव रेजिस्ट्रेशन की गयी है। इनके सापेक्ष कुल ₹ 104.25 करोड़ के 94062 ई–भुगतान किये गये हैं।

iii) ग्रोथ सेन्टर (GROWTH CENTRE):- उत्तराखण्ड सरकार शासन ग्राम, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या–1001, दिनांक 28 सितम्बर, 2018 के द्वारा ग्रोथ सेण्टर के सम्बन्ध में

अधिकृत सभी की भारी है। ग्रोथ सेक्टर हेतु MSME निवेश संदेश निवेश लिमिटेड है।

संस्थान में कृषि विभाग एवं आर्थिकी के महत्वपूर्ण से उत्पाद सम्बन्धित में एक ग्रोथ सेक्टर संस्थापित किया जा रहा है।

कृषि क्षेत्र में विगत 05 वर्षों का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता

	फसल– सीजन		क्षेत्रफल– हेक्टेयर			उत्पादन–मीट्रिक टन/हेक्टेयर
	वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
अनाज	क्षेत्रफल	818270	811955	813507	787312	758496
	उत्पादन	1566039	1713640	1626576	1673333	1658817
	उत्पादकता	19.138	21.071	22.48	23.5	23.87
दाले	क्षेत्रफल	57311	54620	54070	55377	58367
	उत्पादन	47286	45742	46825	47960	54389
	उत्पादकता	8.285	8.229	8.43	8.59	9.32
तिलहन	क्षेत्रफल	25148	27893	28274	27189	24801
	उत्पादन	26337	29734	27345	25749	23253
	उत्पादकता	9.357	13.772	9.64	9.47	9.38

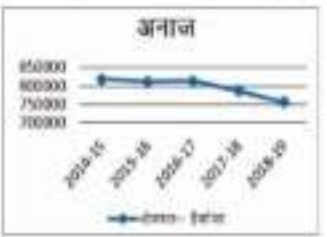

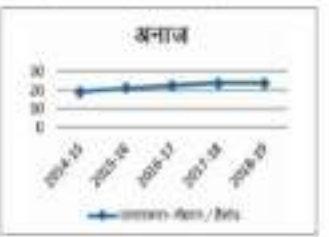

दाले
60000
55000
50000
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19

दाले
60000
55000
50000
45000
40000
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19

तिलहन
40000
20000
0
2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

तिलहन
30000
28000
26000
24000
22000
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19

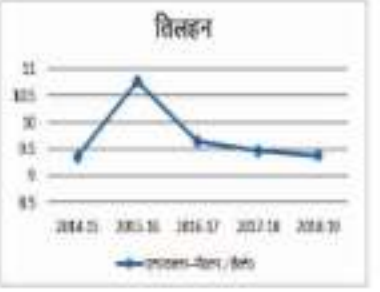
तिलहन
31
30.5
30
29.5
29
28.5
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19

पिछले 3 वर्षों में कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत आच्छद का क्षेत्रफल वर्ष 2014–15 के दौरान निरन्तर कम हुआ है। जब कि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई है, इसी प्रकार खाद्यों में क्षेत्रफल एवं उत्पादन वर्ष 2014–15 के सापेक्ष वर्ष 2015–16 में तथा 2017–18 तक कम हुआ है परन्तु वर्ष 2018–19 में क्षेत्रफल में वृद्धि हुयी है। उत्पादन में वर्ष 2014–15 के सापेक्ष 2015–16 में 2016–17 में कमी एवं वर्ष 2017–18 से वर्ष 2018–19 में वृद्धि हुयी है। जबकि उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि दर्ज की गयी है, जिसका के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल में वर्ष 2018–19 की तोरहर वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक कमी हुयी है, उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि हुयी है।

8.1.11 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)– कृषि उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि करने के प्रयास हेतु भारत सरकार के मंत्रालय के "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)" वर्ष 2015 में संचालित की जा रही है। यह योजना 03 घटकों, केन्द्रांकित है।

निम्न कार्यक्रम इस योजना के घटक है:–

(अ) पर ड्रॉप मोर क्रॉप (Per Drop More Crop) – इस ड्रॉप मोर क्रॉप का मुख्य लक्ष्य क्षेत्र वार एवं सिंचाई के विशेष के अभिकल्प प्राप्त करना, सुनिश्चित सिंचाई के अन्तर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विकास करना, खेत में सिंचाई की विधि से सुधार करना तथा पानी के अपव्यय को कम किया जा सके। सिंचाई को जलवायु सुनिश्चित करने एवं अधिक क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाने का जाने योजना में लिया जा रहा है, जिसमें जल संचय हेतु टैंक, तालाब, चैक डैम संरचनाओं के निर्माण सिंचाकल सिंचाई एवं दबाव सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में ₹ 5000.00 लाख धनराशि का प्रावधान भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। जिसके सापेक्ष वर्ष 2021–22 तक ₹ 3333.33 लाख का व्यवहार प्राप्त हुआ है। जिसमें वर्ष 2022 तक ₹ 2665.30 लाख का व्यय उक्त उपयोग किया गया है। योजनान्तर्गत ड्रिप इरीगेशन 4882 कृषक (5153 है0), स्प्रिंकलर इरिगेशन 4814 कृषक (3805 है0), मिनि स्प्रिंकलर इरीगेशन– 1673 कृषक (1241 है0), रेनगैन्स सिस्टम– 882 कृषक (1316 है0) एवं रेन गन– 368 कृषक (524 है0), सौर पम्पसेट स्प्रिंकलर इरीगेशन– 55 कृषक (21 है0), ट्रक माउन्टिड स्प्रेयर (ट्रालमाउन्टिड)– 378, वैक पैक (हाथमाउन्टिड)– 1230, एच.डी.पी. पैक (जेरीकेन)– 63, पावर स्प्रेयर/ब्लोअर पोल्ट (हाथमाउन्टिड)– 49, जेट पम्प– 60, गार्डन्स (ट्रक्टर, स्प्रेयर, एवं स्प्रेयर ट्रालर सेवा)– 130 के कार्य निम्नवत् कार्य कुल 13196 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

(ब) हर खेत को पानी– सिंचाई क्षमता का विकास करने हेतु लघु सिंचाई के माध्यम से नये भूमिगत एवं सतही जल स्रोतों का विकास करना, पहले स्रोतों का कायाकल्पन, रखरखाव, वैज्ञानिक भराव, पहाड़ीवाला जल स्रोतों का विकास, वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, खराब एवं बेकार पड़े कुओं, ट्यूबवेल को पुनर्जीवित करना, जल वितरण एवं जल उपयोग की दक्षता बढ़ाना, जल वितरण एवं जल उपयोग की दक्षता बढ़ाना एवं खेत में कम से कम 10 प्रतिशत क्षेत्र बढ़ाने / डिविजिबल सिंचाई में लाना, डिविजिबल क्षेत्रों में जल संचय को बढ़ाना तथा परम्परागत जल संचय स्रोतों को बढ़ाना।

(स) समेकित जलागम विकास कार्यक्रम– इसके अन्तर्गत जल संचयन संरचनाओं जैसे चैकडैम, चकडैम, नाला बन्धान, तैल आदि, जलागम विकास ईकाई, 1, मिट्टी क्षेत्र को ट्रीटमेन्ट, ढलवान का ट्रीटमेन्ट, भूमि एवं पानी संरक्षण, नर्सरी तालाब, एनीकटस, उद्यानीकरण, बंजर भूमि विकास, वाईलडीवुड एक्सीटेशन (वानुड एवन, बायर विकास आदि), लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिये मछली इन्टर वार्षिकस कार्य सम्मिलित है।

8.1.12 राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि विकास (National Mission for Sustainable Agriculture-NMSA)– वर्षा सिंचित क्षेत्रों में जल

कृषि उपयोगशाला की स्थापना के लिए NMSA के तहत मृदा सर्वेक्षण/रोगनाशी अवशेषित है–

(iii) वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (RAD):- वर्षा सिंचित क्षेत्रों में हरित कृषि उपलब्धता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु कुल 57 जनपद हेतु ₹ 888.88 लाख की कार्ययोजना अनुमोदित की गयी है। अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष राजकोष सहित कुल ₹ 444.44 लाख अवमुक्त किये गये हैं, जिसके सापेक्ष ₹ 444.44 लाख PFMS के माध्यम से माह मार्च, 2022 तक भारत किया गया। योजना के अन्तर्गत विभिन्न फसल पद्धति आधारित 2000 हे0 प्रदर्शनों के सापेक्ष निर्धारित थे, जिसकी जानकारी पूर्ति की गयी है।

(iv) मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme-SHC) – (i) प्रशिक्षण, (ii)-दर्शिका)– योजनान्तर्गत मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु क्षेत्र के समस्त कृषकों के खेतों की मिट्टी की जांच करते हुये उन्हें निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जाते हैं। योजना के प्रथम चक्र (वर्ष 2015-2016 से 2019-17) में 7,65,410 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये हैं। योजना के द्वितीय चक्र (वर्ष 2017-18 एवं 2019-20) में 8,82,737 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये हैं। वर्ष 2020-21 में योजना के लिये ₹ 706.21 लाख का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2020-21 के समस्त प्रावधानों के कुल 2699 ग्राम सम्मिलित किये गये थे। जिनमें पूर्व में वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्ड में प्रदत्त उर्वरक संस्तुतियों पर आधारित एक-एक फसल प्रदर्शन व कृषकों को मृदा स्वास्थ्य की महत्ता व मृदा स्वास्थ्य से सम्बन्धित अन्य जानकारी प्रदान करने हेतु कृषक प्रशिक्षण आयोजित किये गये। वर्ष 2021-22 से भारत सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन योजनाओं के स्थान पर मृदा पोषक अभिवर्धन संचालित करने के निर्देश प्राप्त हुए है, जिस हेतु ₹ 633.44 लाख की कार्य-योजना प्रेषित की गयी थी, परन्तु योजना स्वीकृत नहीं की गयी। वर्ष 2022-23 योजना को आत्मनिर्भरता में सम्मिलित किया गया है। योजनान्तर्गत ₹ 853.71 लाख की कार्य-योजना भारत सरकार को प्रेषित की गयी है।

(v) परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) :- परम्परागत कृषि को बढ़ावा देने के लिये एवं जैविक उत्पादन अपनाने वाले हेतु किसान गांवों से योजना प्रदेश के 13 जनपदों के 2000 क्लस्टरों में संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत 2000 हे0 में जैविक कृषि आकलन योजनान्तर्गत जैविक खेती पर प्रशिक्षण, जैविक प्रमाणीकरण, एकीकृत खाद प्रबन्धन, मृदा जीवांश, जैविक उत्पादों का विपणन एवं कृषि सखी हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है। वर्ष 2018-19 की कार्ययोजना के सापेक्ष ₹ 1312.40 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। जिसका पूर्ण उपयोग कर लिया गया है। वर्ष 2019-20 की कार्ययोजना हेतु अवमुक्त धनराशि ₹ 1305.20 लाख धनराशि के सापेक्ष ₹ 1155.13 लाख का उपयोग कर लिया गया है। वर्ष 2020-21 हेतु ₹ 1312.40 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत की गयी है, जिसके सापेक्ष ₹ 328.1.88 लाख की धनराशि वर्ष 2021-22 में अवमुक्त हुयी है, जिसके सापेक्ष ₹ 2455.71 लाख की धनराशि का व्यय कर उपयोग किया गया है। वर्ष 2022-23 में माह मार्च तक गत वर्ष के लिये शेष कृषकों में चरणबद्धता कृषि हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

8.1.13 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY-RAFTAR):- योजना में कृषि, सहकारिता, उद्यान, वानिकी, पशुधन, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, डेयरी विकास, खाद्य प्रसंस्करण, मृदा एवं जल संरक्षण, भूमि सुधार, कृषि विपणन, सहकारिता तथा ग्रामीण भण्डारण, एग्रो-क्लाइमेटोलॉजी, सूक्ष्म सिंचाई आदि विभागों की परियोजनायें सम्मिलित हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित परियोजना एकीकृत

₹ 3814.08 लाख की स्वीकृति ₹ 3541.52 लाख का उपयोग किया जा चुका है। 20 परियोजनाओं पर कार्य संपादित है जिसे 93 किसानों द्वारा किया जा रहा है। योजना में उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ अंतरराज्यीय विकास के कार्यों को किया जा रहा है।

8.1.14 कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Agricultural Extension and Technology-NMAET):-

इस मिशन को चार उप मिशन में विभाजित किया गया है।

1. कृषि विस्तार उप-मिशन (SMAE)
2. कृषि मेकेनाइजेशन उप-मिशन (SMAM)
3. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (SMSP)
4. पौध संरक्षण एवं पादप संगरोध (SMPP)

5 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट (MANAGE)-

उक्त के अतिरिक्त अन्य तीनों उप मिशन राज्य में संचालित है।

(अ) कृषि विस्तार उप-मिशन (Sub Mission on Agricultural Extension-SMAE):- कृषि प्रसार के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से वर्ष 2021-22 हेतु भारत सरकार द्वारा ₹ 2222.22 लाख की योजना स्वीकृत की गयी है। जिसमें अनुदान ₹ 1111.10 लाख प्रशासनिक के व्यय मद वर्ष 2022 तक 17263 महला किसान प्रशिक्षण, 11452 प्रदर्शन तथा 5815 महला किसान क्षमता कार्यक्रम, 340 संख्या किसान कार्यक्रम तथा 266 वर्षों संयुक्त आयोजित किये गये हैं।

(ब) कृषि यन्त्रीकरण (Sub Mission on Agricultural Mechanization- SMAM):- इस योजना के अन्तर्गत किसानों में नए कृषि यंत्र/उपकरण को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत ₹ 4952.32 लाख अनुमानित हुआ। वित्तवर्ष उपलब्धि रूप 500 यंत्रीकरण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 21 व्यक्तिगत हार्वेस्टिंग मशीन, 215 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना, 65 ट्रैक्टर, 10 पावर टिलर, 2980 अन्य किसान तथा 1900 अन्य पावर मशीन एवं 3330 मानव मशीन एवं वितरित किये गये। आकांक्षी जनपद हरदोई एवं उन्नाव/शिवराजपुर में क्रमशः 3 एवं 4 फार्म मशीनरी बैंक 83 प्रतिशत अनुदान पर अतिरिक्त स्थापित किये गये हैं।

(स) बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (Sub Mission for Seed Planting material SMSP):-

बीज ग्राम कार्यक्रम :- वर्तमान में 20100 कु0 गुणवत्तायुक्त बीज कृषकों को अनुदान पर वितरित किये गये हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों में बीज उत्पादन कार्यक्रम- हिल सीड बैंक (Hill Seed Bank):- पर्वतीय क्षेत्रों के स्थानीय फसलों की खासा रिटे पहाड़ तथा उनके बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु मडुवा, सावां, गहथ, काला भट्ट, धान, मक्का, गेहूं एवं मसूर आदि फसलों के बीजों का उत्पादन करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिये राष्ट्रीय कृषि विस्तार योजना में इसे सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2021-22 में वार्षिक लक्ष्य में 217.40 टन तथा वर्षों लक्ष्य में 215 टन लक्ष्यकल में बीज उत्पादन कार्यक्रम संचालित किया गया है,

बीज प्रमाणीकरण (Seed Certification)—कृषि मंत्रालय विभिन्न राज्य में बीज उत्पादन के लिए बाजी उपलब्ध है। बीज की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए तथा उत्पादकों को बीज की कीमतें उपलब्ध कराने के लिए बीज प्रमाणीकरण योजना को अधिक महत्व दिया गया। इसका के लिखित रूपों में बीज उत्पादन तथा उसके उत्पादन के प्रमाणीकरण के लिए 'उत्तराखण्ड राज्य बीज एवं पौधा प्रमाणीकरण एजेंसी' गठनादेशों को पंजीकृत कर रही है।

8.1.15 पर्यावरण उपयोग – पर्यावरण की दृष्टि लिए

आवास है जो मानवी हस्त तक पहुंचाकर उसे बढ़ाने में योगदान देता है। वर्तमान उपभोग का स्तर वर्ष 2020–21 में 1.25.877 मिट्र टन रहा से बढ़कर वर्ष 2019–10 में 139442 मिट्र टन हो गया। वर्ष 2019–20 में 108000 मिट्र टन के लक्ष्य की तुलना लक्ष्यवर्ष 132560 मिट्र टन उत्पादन पोषक तत्वों के रूप में निर्धारित किया गया है। वर्ष 2021–22 हेतु 287000 मिट्र टन पर्याप्त निधान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष नवीनतम वर्ष के नाद वर्ष 2022 तक 268826 मिट्रटन लक्ष्यक का विनियम किया गया है।

8.1.16 राज्य सेक्टर योजनायें– (क) अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास पोषणक्षमता प्रदेश के 54 अनुसूचित जाति एवं 12 अनुसूचित जन–जाति बाहुल्य ग्रामों में लगभग 181 करोड़ (4373 कृषक) लाभान्वित होने का लक्ष्य है, जिसे पूर्व किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल बजट प्रावधान ₹ 360.00 लाख अनुसूचित जाति एवं ₹ 360.00 लाख अनुसूचित जनजाति हेतु कुल ₹ 500.00 लाख की कार्यान्वयन अभिकृत की गयी है। शासन द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों में अनुसार अनुसूचित जाति–जनजाति धनराशि ₹ 500.00 लाख का अवशेष लाभार्थी को देकर गया है जिसके सापेक्ष ₹ 343.91 लाख एवं ₹ 150.30 लाख कुल ₹ 494.09 लाख की धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2021–22 तक नहीं, 2022 तक किया गया है।

(ख) एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम (IMA Village) अभिनिर्धारित क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 से एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम (IMA Village) योजना संचालित की जा रही है। योजना कलस्टर आधारित है। एक कलस्टर में लगभग 100 कृषकों को सम्मिलित किया गया है। प्रति वर्ष 05 कलस्टर का चयन किया गया है। योजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा संचालित की जा रही है। चयनित ग्राम को पोषक विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। चयनित ग्राम में कृषि, उद्यान, रेशम, पशुधन, मत्स्य–कृषि, सहकारिता, बागवानी उद्यान, होमली विकास, रेशम विकास, कृषि अभियन्त्रण, मृदा संरक्षण, विभिन्न इंटरलिंक, कृषि संचालन, ऋण संचालन, प्रोसेसिंग कार्यकलाप सेक्टर आदि कार्य सम्पादित होंगे। वर्ष 2021–22 के लिये राज्य सरकार द्वारा ₹ 1203 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। योजना को अन्य योजनाओं एवं राज्य वित्त योजनाओं से भी समायोजित किया जायेगा।

8.1.17 स्वयंसेवी ऐसोसियेशन/संगठन– लगातार चलने वाली अभियान

उत्तराखण्ड राज्य में "उत्तराखण्ड ऐसोसियेशन/संगठन लगातार चलने वाली अभियान" का क्रियान्वयन वर्ष 2017–18 से प्रारम्भ किया गया था। जिसके तहत वर्ष 2021–22 में 88 लाभार्थी (220 हैक्टे), पालकवाली (233 हैक्टे), पौड़ी (83 हैक्टे), रुद्रप्रयाग (100 हैक्टे) एवं टिहरी (100 हैक्टे) में कि–वीज 42 ब्रा.म एसोसियेशन/संगठन कृषि विकास की गतिविधियों के अनुसार किया गया है। भारत सरकार द्वारा दिये गये निम्न दिशा–निर्देशानुसार प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत को एक कलस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य कलस्टर आधार के आधार पर चयनित पंचायत क्षेत्रों में कृषि ग्राम पंचायतों में रीजनीइन्टर्ड एग्रीकिल्चर के अन्तर्गत जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना है, जिससे कृषि में प्रयोग किये जाने वाले रसायनों से होने वाले जल प्रदूषण से पानी नहीं तो जल को प्रदूषित होने से रोका जा सके। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत कुल 50000.00 मैट्रिक टन बैचकल्चर में योजना के क्रियान्वयन स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में जनपद उत्तरकाशी में 10000 हैक्टे, टिहरी में 20000 हैक्टे, पौड़ी में 5000 हैक्टे, पालकवाली में 5000 हैक्टे, रुद्रप्रयाग में 5000 हैक्टे, पौड़ी में 4500 हैक्टे एवं देहरादून में 500 हैक्टे क्षेत्रफल आच्छादित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत चयनित ग्रामीण उत्पादों का विपणन व्यवस्थित एवं ब्रांड के अन्तर्गत किया जायेगा। योजना का

किसानकक्षा प्रशिक्षणशाला कृषि जैवशाला की गई गाईड लाईन के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। मोबाइलयुक्त प्रेक्षिक मृदा के साथ-साथ ओडीसियो सूक्ष्म-सिंचाई एवं मृदृष कार्यकी के तकनिक्षा कार्यों को भी सम्मिलित कर फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करते हुए कृषकों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्पादकत्व को नियोजन प्रवेश करने की दिशा में इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान है।

8.1.18 मुख्यमंत्री राज्य कृषि निवेश योजना-8 राज्य सरकार द्वारा राज्य प्रतिरक्षित वित्त पोषित नई योजना वर्ष 2020-21 से संचालित की जा रही है। वित्तवर्ष प्रथम वर्ष 2021-22 हेतु ₹ 2000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा ₹ 2615.55 लाख की परियोजना स्वीकृत की गयी है, जिस पर ₹ 1933.24 लाख व्ययभुक्त किया जा चुका है। परियोजनावार का वर्ष लक्षित है।

8.2 गन्ना एवं चीनी (Sugar and Cane)

चीनी मिलें: पेराई वर्ष 2021-22 में राज्य में कुल 09 चीनी मिलें (03 सहकारी क्षेत्र, 02 सार्वजनिक क्षेत्र एवं 04 निजी क्षेत्र) संचालित है। चीनी मिलों द्वारा पेराई वर्ष 2021-22 हेतु कुल 388.34 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई करते हुए 37.24 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन किया गया। पेराई वर्ष 2021-22 में राज्य की संचालित चीनी मिलों का औसत चीनी परता 09.95 प्रतिशत है। पेराई वर्ष 2021-22 हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गन्ना मूल्य दर के अनुसार कुल देय गन्ना मूल्य अंकन ₹ 1219.38 करोड़ का सम्पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। पेराई वर्ष 2021-22 हेतु 31 मार्च, 2022 तक अंकन ₹ 1282.57 करोड़ के सापेक्ष अंकन ₹ 794.66 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रेक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु ₹ 42.81 लाख की धनराशि आवंटित की गई है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना वर्ष 2021-22 हेतु संशोधन के पश्चात प्रथम किस्त के रूप में कुल ₹ 12.42 लाख (केन्द्रांश ₹ 11.18 लाख एवं राज्यांश ₹ 1.24 लाख) की धनराशि निर्गत की दिनांक 24 मार्च, 2022 की PFMS से भुगतान हो चुका है। आवंटित धनराशि का प्रयोग परियोजनावार किया जा चुका है।

गन्ना कृषकों को ऋण वितरण- सहकारी गन्ना विकास समितियों के माध्यम से कृषि निवेशों के रूप में अंकन ₹ 1019.00 लाख की राशि ऋण कृषकों को वितरित किया गया है।

गन्ना कृषकों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण- गन्ना विकास विभाग द्वारा सम्बन्धित गन्ना विकास संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र कानीपुर द्वारा गन्ना क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञ सेवा निवेशों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में अभी तक लगभग 55 कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 2070 कृषकों एवं 33 कर्मचारी प्रशिक्षित कर 040 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। एक शैक्षणभ्रमण यात्रा का आयोजन किया गया जिसमें 65 कृषक एवं 07 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

शरदकालीन गन्ना बुवाई हेतु उन्नतक बीज गन्ना का आवंटन- वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं अगले वर्ष 2022-23 हेतु गन्ना क्षेत्र वाली से 6.0 लाख गन्ना बीज की बीजी मिल परिक्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई लगभग 11500.00 कुन्तल के सापेक्ष गन्ना क्षेत्र केन्द्रों पर गन्ना बीज की उपलब्धता के अनुसार 7435.33 कुन्तल प्रमाणित गन्ना बीज का आवंटन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु राज्य में गन्ना क्षेत्रफल 1.65 लाख हेक्टेयर किये जाने का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष शरदकालीन गन्ना बुवाई कार्य प्रगति पर है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग:-

राज्य की जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति विभिन्न प्रकार के औद्यानिक फसलों (फल, सब्जी, मसाला, पुष्प, सगन्ध एवं औषधीय) के उत्पादन हेतु अत्यधिक अनुकूल है। विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इन फसलों के विकास हेतु कार्य कराया जा रहे हैं।

राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल 53.48 लाख हैक्टेयर में से लगभग 6.66 लाख हैक्टेयर भू भाग वृक्षीय फसलों के अन्तर्गत है तथा औद्यानिकी के अन्तर्गत लगभग 2.97 लाख हैं क्षेत्र आच्छादित है। औद्यानिकी में लगभग 4.50 लाख कृषक जुड़े हुए हैं, जिसमें 66 प्रतिशत आदिवासी कृषक हैं। राज्य में औद्यानिकी फसलों का वार्षिक कारोबार लगभग ₹ 2500 करोड़ का किया जा रहा है तथा राज्य के कृषि क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद में औद्यानिकी क्षेत्र का (खाद्य प्रसंस्करण सहित) 30 प्रतिशत से अधिक योगदानी है।

1. औद्यानिक विकास:-

बागवानी मिशन के अन्तर्गत – राज्य की भौगोलिक एवं कृषि जलवायु के अनुसार फसलों का चयन कर विकास किया जा रहा है, जिसके राज्य में कुल 2.97 लाख है0 क्षेत्रफल में औद्यानिकी फसलें की जा रही है, जिसमें अन्तर्गत लगभग 17.71 लाख मीट्रिक टन उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें से फलों के अन्तर्गत 1.81 लाख है0 क्षेत्रफल में 6.49 लाख मीट्रिक टन उत्पादन, सब्जियों के अन्तर्गत 0.73 लाख है0 में 6.57 लाख मीट्रिक टन उत्पादन, आलू के अन्तर्गत 0.27 लाख है0 में 3.67 लाख मीट्रिक टनउत्पादन, गलगोटी के अन्तर्गत 0.14 लाख है0 में 0.96 लाख मीट्रिक टन उत्पादन किया जा रहा है। इसके साथ ही फूलों की खेती 1603 है0 में की जाती है, जिसमें लगभग 3022 मीट्रिक खुले पुष्प व 14.42 करोड़ लाख पुष्प एवं पुष्पगुच्छ पुष्पों का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य में लगभग 2000 मीट्रिक सहित का उत्पादन तथा लगभग 19.000 मीट्रिक मसालों का उत्पादन किया जाता है।

लगभग कुल 1650 व्यवसाय संबंधित जिले गये है, जिसमें 6,582 ग्राम सम्मिलित है, जिसमें से 384 व्यवसाय फलों के, 437 व्यवसाय सब्जियों के 179 व्यवसाय मसालों तथा 50 व्यवसाय फूलों के संबंधित जिले गये है। वर्तमान में संचालित व्यवसायों एवं योजनाओं में कुल 35,125 है0 क्षेत्रफल आच्छादित किया जा चुका है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	जनपद	फल			सब्जी			मसाला		
		व्यवसायों की संख्या	लाभान्वित भाग्यों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (है0)	व्यवसायों की संख्या	लाभान्वित भाग्यों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (है0)	व्यवसायों की संख्या	लाभान्वित भाग्यों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (है0)
1	उधमसिंहनगर	10	50	320	10	60	282	12	35	104
2	नैनीताल	18	140	5614	5	24	613	4	40	292
3	अल्मोड़ा	70	670	302	65	578	333	28	332	302

4	बागेश्वर	14	128	268	10	137	211	9	87	163
5	पिथौरागढ़	25	191	502	33	381	275	32	409	281
6	चम्पावत	35	145	775	46	155	711	41	165	395
7	हरिद्वार	26	76	320	25	55	606	3	18	154
8	देहरादून	19	159	1328	27	159	2502	9	167	732
9	टिहरी	5	63	370	10	68	546	2	15	356
10	पौड़ी	26	157	588	69	158	552	5	72	122
11	चमोली	13	155	351	9	153	228	4	43	200
12	रुद्रप्रयाग	39	176	691	24	169	797	31	126	146
13	उत्तरकाशी	61	307	4818	122	275	3443	9	82	240
	कुल योग	384	2425	19013	437	2387	11448	179	1535	3420

क्रम संख्या	जनपद	पुष्प			फूटे		
		कलरव्हरी की संख्या	उपस्थित पक्षियों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (हैक्टे)	कलरव्हरी की संख्या	उपस्थित पक्षियों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (हैक्टे)
1	उधमसिंहनगर	11	28	50	43	192	1016
2	नैनीताल	3	23	23	30	237	3809
3	अल्मोड़ा	3	14	12	157	1592	1089
4	बागेश्वर	1	7	20	34	329	693
5	पिथौरागढ़	—	—	—	100	880	1287
6	चम्पावत	—	—	—	127	495	1882
7	हरिद्वार	6	17	330	80	230	1631
8	देहरादून	10	56	217	65	911	7506
9	टिहरी	1	7	40	21	139	1207
10	पौड़ी	3	15	23	46	410	1336
11	चमोली	1	10	50	27	311	829
12	रुद्रप्रयाग	10	79	247	80	595	1871
13	उत्तरकाशी	1	0	100	272	911	6638
	कुल योग	50	296	1243	1050	6063	35126

परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत गठित क्लस्टर

क्रम संख्या	जनपद	फल		सब्जी		पुष्पोत्पादन	
		क्लस्टर	क्षेत्र (हे0)	क्लस्टर	क्षेत्र (हे0)	क्लस्टर	क्षेत्र (हे0)
1	टिहरी	24	480	135	2950	77	1540
2	देहरादून	0	0	66	1320	34	680
3	हरिद्वार	2	40	21	420	0	0
4	पौड़ी	7	140	60	1200	17	340
	रुद्रप्रयाग	1	20	39	780	40	800
5	उत्तरकाशी	0	0	65	1300	1	20
6	चमोली	0	0	30	600	5	100
7	पिथौरागढ़	0	100	21	420	9	180
8	चम्पावत	45	680	52	1040	9	180
9	अल्मोड़ा	14	280	60	1200	37	740
10	बागेश्वर	28	820	13	260	11	220
11	नैनीताल	8	160	26	520	6	120
12	ऊधमसिंहनगर	0	0	37	740	14	280
13	उत्तरकाशी	10	200	13	260	0	0
योग		158	3080	639	12780	260	5180

क्रम संख्या	जनपद	अन्नू		पुष्प		जड़ी बूटी		कुल योग	
		क्लस्टर	क्षेत्र (हे0)	क्लस्टर	क्षेत्र (हे0)	क्लस्टर	क्षेत्र (हे0)	क्लस्टर	क्षेत्र (हे0)
1	टिहरी	68	1320	3	0	0	0	300	6000
2	देहरादून	0	0	3	0	0	0	100	2000
3	हरिद्वार	1	20	1	20	0	0	25	500
4	पौड़ी	13	260	3	0	0	0	100	2000
	रुद्रप्रयाग	14	280	0	0	0	0	94	1880
5	उत्तरकाशी	10	200	0	0	0	0	76	1520
6	चमोली	5	100	5	100	0	0	45	900
7	पिथौरागढ़	5	100	6	120	6	100	63	1260

8	चिलौनगढ़	1	20	3	5	8	160	118	2360
9	अल्मोड़ा	16	320	1	20	0	0	126	2560
10	पार्वतसर	3	60	3	0	0	0	52	1600
11	मल्यावा	10	200	3	0	0	0	50	1000
12	मैनीताल	15	300	3	0	0	0	66	1320
13	चंद्रशिलगढ़	0	0	3	0	0	0	23	460
	योग	165	3260	15	260	17	340	1241	24823

4. उत्तराखण्ड में फल उत्पादन– राज्य में विभिन्न प्रकार की कृषि जलवायु होने के कारण शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण फलों का उत्पादन किया जाता है। फलों का निर्यात हेतु प्रतिवर्ष लगभग 5000 टन से अधिक स्थानीय किये जाते हैं।

4.1 शीतोष्ण– राज्य में मुख्य रूप से शीतोष्ण फल सेब, आडू, नाशपाती, अखरोट, पलम, खुबानी आदि का उत्पादन किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से सेब 2686.55 टन से खेती करते हुए 64479.20 मीट्रिक, आडू 3083.58 टन से खेती करते हुए 52859.36 मीट्रिक, पलम 4935.75 टन से खेती करते हुए 34630.78 मीट्रिक, खुबानी 3567.57 टन से खेती करते हुए 29621.31 मीट्रिक, नाशपाती 13250.18 टन से खेती करते हुए 73779.84 मीट्रिक व अखरोट 17784.11 टन से खेती करते हुए 9933.39 मीट्रिक उत्पादन किया जाता है। राज्य में शीतोष्ण फलों के अन्तर्गत प्रथम स्थान पर नाशपाती, द्वितीय स्थान पर आडू व तृतीय स्थान पर सेब का उत्पादन किया जाता है। राज्य में जलवायु परिवर्तन से दृष्टिगत सेब की पैदावार सार जनपदों के दोरान सेब कास्त, अखरोट एवं अन्य सिरोहार फलों, यानि नाशपाती तथा आडू को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य की हाई वैल्यू क्रोप के रूप में सेबों, ड्रैगन फ्रूट, वालिट तथा स्ट्रॉबेरी आदि फसलों के लिये भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

4.2 समशीतोष्ण– राज्य में मुख्य रूप से समशीतोष्ण फल आम, लीची, अमरूद, आंवला, अनार व नींबू वर्गीय आदि का उत्पादन किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से आम 26598.39 टन से खेती करते हुए 324666.40 मीट्रिक, नींबू वर्गीय फलों की 21730.43 टन से खेती करते हुए 83621.50 मीट्रिक, लीची 10716.84टन से खेती करते हुए 24721.18 मीट्रिक, आंवला 995.40 टन से खेती करते हुए 2394.83 मीट्रिक, अमरूद 4152.84 टन से खेती करते हुए 21746.96 मीट्रिक उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार राज्य में समशीतोष्ण फलों के अन्तर्गत प्रथम स्थान पर आम, द्वितीय स्थान पर नींबू वर्गीय फल, तृतीय स्थान पर लीची व सबसे अन्त में अमरूद का उत्पादन किया जाता है। राज्य में जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत आम, लीची, आमरूद, आंवला, अनार आदि की परीक्षण प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही कम घाटियों में भी समशीतोष्ण फलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही किवी व ड्रैगन फ्रूट को बढ़ावा दिया जा रहा है।

5. उत्तराखण्ड में सब्जी उत्पादन– राज्य में विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में जब सब्जी उत्पादन किया जाता है उस समय मैदानी क्षेत्रों में सब्जियों का उत्पादन बहुत कम होता है। इसलिये पर्वतीय क्षेत्रों

की सभी पैदावारों वर्गों के लिये बेमिसाली सभी होती है, जिसका मुकाबले तो अन्य मुल्क ज्यादा टोटा है। लक्षितवर्ग के विकास हेतु अतिरिक्त लगभग 4000 कुछ बीज कार्यक्रमों को निर्धारित साल सहायता पर वितरित किया जाता है।

राज्य में उत्पादित होने वाली मुख्य फल की किस्मों के अन्तर्गत सबसे बड़ी खेती 13010.35 हैक्टेयर में फलते हुए 102977.55 मीट्रिक उत्पादन, मुर्गी की खेती 5239.37 हैक्टेयर में फलते हुए 66517.74 मीट्रिक उत्पादन, बादामरोन की खेती 6186.05 हैक्टेयर में फलते हुए 42276.66 मीट्रिक उत्पादन, अखरोटों की खेती 6633.08 हैक्टेयर में फलते हुए 60350.16 मीट्रिक उत्पादन, खुबानियों की खेती 3364.03 हैक्टेयर में फलते हुए 43414.00 मीट्रिक उत्पादन, चाल की खेती 4486.32 हैक्टेयर में फलते हुए 45741.63 मीट्रिक उत्पादन, तमिया सिब की खेती 2815.79 हैक्टेयर में फलते हुए 16838.69 मीट्रिक उत्पादन, सिंगरी की खेती 2450.89 हैक्टेयर में फलते हुए 22727.65 मीट्रिक उत्पादन, दमकेर की खेती 3410.64 हैक्टेयर में फलते हुए 11387.48 मीट्रिक उत्पादन, बेमन की खेती 2747.31 हैक्टेयर में फलते हुए 32110.34 मीट्रिक उत्पादन व अन्य सब्जियों की खेती 14621.61 हैक्टेयर में फलते हुए 135202.63 मीट्रिक उत्पादन किया जा रहा है। इस प्रकार राज्य में सब्जियों के अन्तर्गत प्रथम स्थान पर टमाटर, द्वितीय स्थान पर मटर व तृतीय स्थान पर बन्दगोभी का उत्पादन किया जाता है।

राज्य में दूरसंचिक केन्द्रिकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से अंकवारी, केरोसिन उत्पादन, लाल बन्दगोभी, मुख्य कर्मक, पौधे रोपेती, सामग्रीत तौलिए, मशीनीकरण पालक, एसप्रेसोवर्क, जिलाधारी पालक, व सर्दन लेटयूसे के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसकी साथ बड़े शहरों में खाड़ी अधिक है तथा मुख्यतः को इसकी उत्पाद का अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। आंकलन में राज्य में लगभग 70 हैक्टेयर ग्रीनहाउस केन्द्रिकरण की खेती की जा रही है।

8. फलोत्पादन में आलू उत्पादन– राज्य में आलू मुख्यतः दो मौसमों सही एवं पहाड़ी में उत्पादित किया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में रबी मौसम में तथा पर्वतीय क्षेत्रों में खरीफ मौसम में आलू उत्पादन होता है। पर्वतीय क्षेत्रों का आलू मैदानी क्षेत्रों हेतु बीजोत्पादी होने के कारण कृषकों एवं व्यापार मुख्य स्रोत होता है। वर्तमान में आलू की खेती 25867.46 है० में फलते हुए 387,809.04 मीट्रिक उत्पादन किया जा रहा है। आलू के बीज वितरण हेतु प्रतिवर्ष लगभग 4000 कुछ बीज कार्यक्रमों को वितरित किया जाता है।

7. उत्तराखण्ड में मसाला उत्पादन– राज्य में मुख्य रूप से हल्दी, अदरक, सिंगे, लहसुन, धनिया, मेथी इत्यादी आदि की खेती की जाती है। मसाला विकास हेतु प्रतिवर्ष लगभग 6000 कुछ बीज कार्यक्रमों को वितरित किया जाता है। पहाड़ों के अन्तर्गत हल्दी की खेती 1798.81 है० में फलते हुए 19100.00 मीट्रिक उत्पादन, अदरक की खेती 3170.85 है० में फलते हुए 53346.42 मीट्रिक उत्पादन, सिंगे की खेती 2751.03 है० में फलते हुए 8333.48 मीट्रिक उत्पादन, लहसुन सही खेती 1824.23 है० में फलते हुए 11270.19 मीट्रिक उत्पादन, धनिया की खेती 1360.48 है० में फलते हुए 3621.88 मीट्रिक उत्पादन, बड़ी इलायची की खेती 80.11 है० में फलते हुए 90.44 मीट्रिक उत्पादन, मेथी की खेती 663.57 है० में फलते हुए 3031.72 मीट्रिक उत्पादन व अन्य मसालों की खेती 504.71 है० में फलते हुए 2560.96 मीट्रिक उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार राज्य में मसालों के अन्तर्गत प्रथम स्थान पर अदरक, द्वितीय स्थान पर हल्दी व तृतीय स्थान पर लहसुन का उत्पादन किया जाता है।

8. उत्तराखण्ड में फूल उत्पादन– राज्य में फूलों की खेती एवं बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य इसकी बढ़ती हुई मांग तथा पैदावारी/ फलोत्पादन का बाजार नजदीक होना है। इस सहान के समय सारे 100 है० में फूलों की खेती होती थी, जो वर्तमान में लगभग 1300.31 है० हो गयी है। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से गेंदा, गलगल से अन्तर्गत मुख्य रूप से ग्लेडियस, कार्नेशन, ग्लेडियोलाई व लिलियम तथा कुछ

कलस्टर के अन्तर्गत दिया, पुलाव, स्वतन्त्रोत्तर व अन्य पुष्पों का उत्पादन किया जाता है, जिसके अन्तर्गत वर्तमान की खेती 196.49 हैक्टेयर से बढ़कर 805.91 लाख रुपईहेक्टेयर, जरबेरा की खेती 18.56 हैक्टेयर से बढ़कर 92.37 लाख रुपईहेक्टेयर, ग्लैडियोलस की खेती 313.26 हैक्टेयर से बढ़कर 1,466.17 लाख रुपईहेक्टेयर व लिलियम की खेती 0.84 हैक्टेयर से बढ़कर 18.32 लाख रुपईहेक्टेयर उत्पादित की जा रही है। भाग ही सूचना कलस्टर के अन्तर्गत गेंदा की खेती 861.04 हैक्टेयर से बढ़कर 2681.87 मीट्रिक टनहेक्टेयर, पुलाव की खेती 196.01 हैक्टेयर से बढ़कर 113.69 मीट्रिक टनहेक्टेयर, रजनीगंधा की खेती 18.18 हैक्टेयर से बढ़कर 20.03 मीट्रिक टनहेक्टेयर व अन्य पुष्पों की खेती 125.74 हैक्टेयर से बढ़कर 147.47 मीट्रिक टनहेक्टेयर किया जा रहा है।

9. संरक्षित खेती:– राज्य क्षेत्र में अधिक एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादन के दृष्टिगत वर्तमान में संरक्षित खेती पद्धति की खेती पॉलीहाउस, शेडनेट हाउस के अन्तर्गत की जा रही है। वर्तमान में लगभग 17.00 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में पॉलीहाउस स्थापित है, जिसमें से लगभग 60 प्रतिशत पूर्व के अनुदान व बैंक ऋणों के अन्तर्गत आच्छादित है। संरक्षित खेती को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 1.00 लाख वर्गमीटर पॉलीहाउस की स्थापना की जा रही है। साथ ही फसों का ओलावृष्टि से होने वाली क्षति से बचाव हेतु प्रतिवर्ष लगभग 30.00 लाख वर्गमीटर एन्टी हेलनेट कृषकों को निर्गमित एवं स्थापना का उत्पादन लगाया जाता है।

10. उत्तराखण्ड में मौनपालन उत्पादन– राज्य में सहद उत्पादन हेतु एवं परागण द्वारा फलों एवं सब्जियों के उत्पादकता बढ़ाने के लिये मौनपालन विकास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ग्रामीणों पालन के अलावा व्यावसायिक मौनपालकों को प्रोत्साहन से बड़े मौनपालों को पलायन हेतु जहाँ से साथने हेतु राजस्थानया दी जा रही है। परागण्यन को लिये बेजों से प्रोत्साहित करने हेतु मार्केटिंग [मैनेजमेंट] में मौनपालन क्षिति में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। नई इकाई स्थापित करने के लिये अतिरिक्त मधु उत्पादन देने वाली एपीस इण्डिका तथा इटालियन मधुमक्खी एपिस मैलीफेरा पौनपाल बक्सों की प्रति मधुर पर बीज पालकों को उपलब्ध कराया जाता है। राज्य में 6483 मौनपालकों द्वारा लगभग 2.71 लाख मौनवासों के माध्यम से लगभग 2200 मीट्रिक टनहेक्टेयर का उत्पादन किया जा रहा है।

11. उत्तराखण्ड में मशरूम उत्पादन– मशरूम उत्पादन, ग्रामीण एवं शैक्षित युवकों तथा विधवा महिलाओं के भूमिहीन किसानों के लिए आदर्श लाभकारी पौधन है, यूकि इसमें कम जगह में ही अधिक आय की जा सकती है। अतः इस योजना के अन्तर्गत कृषकवर्गों को 56 प्रतिशत राजसहायता पर मशरूम (मशरूम बीज) एवं पास्तुरुद्धन कम्पोस्ट वितरित किया जा रहा है, साथ ही ग्राम स्तर पर मशरूम उत्पादन, बिक्रेता तथा विपणन सम्बन्धी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। राज्य में मशरूम उत्पादन हेतु कुमौनि मण्डल के जनपद नैनीताल के ज्योलीकोट तथा भवाली में 01–01 कम्पोस्ट इकाई स्थापित है एवं पहाड़ी मण्डल के जनपद देहरादुन के डोइवाला (मटमपुर) में एक कम्पोस्ट इकाई स्थापित है, जिसमें मशरूम के कृषकों को कम्पोस्ट वितरित की जाती है। बटन मशरूम उत्पादन हेतु ढांचागत रूप से 170 इकाईयों, मिल्कि मशरूम उत्पादन में 13 इकाईयों तथा ओइस्टर व मिल्की मशरूम उत्पादन हेतु 145 इकाईयों स्थापित हैं। वर्तमान तक राज्य में लगभग 18000 मीट्रिक मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है।

12. फसल बीमा योजना– भारत सरकार के दिशा निर्देशन में प्रदेश में पुनर्संरचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ (चावल–आलू, अरहर, दलहन, तिल एवं सोयाबीन) एवं रबी मौसम (गेंहू, आलू, चना, मसूर, सौंफ, जीरा, अलसी, आलू, टमाटर एवं मटर) हेतु लागू की गई है। वर्तमान खरीफ के दावाकाल में अब तक कुल 318824 कृषकों द्वारा अपनी फसलों का बीमा कराया गया है एवं ₹ 59340.11 लाख का क्लेम 301012 कृषकों को भुगतान कराया गया। रबी मौसम खरीफ–2021 में 61433 कृषकों की फसलों का बीमा किया गया है, क्लेम निर्धारण की कार्यवाही प्रचलित है तथा मौसम रबी 2021–22 के अन्तर्गत अब तक लगभग 37235 कृषकों की फसलों का बीमा किया गया है मौसम रबी 2021–22 का नियत रिस्क 31 अगस्त, 2022 तक है, उसके बाद क्लेम का निर्धारण किया जायेगा।

13. राष्ट्रीय उद्यान विकास योजना– भारत सरकार के 60 प्रतिशत वित्तीय सहयोग से संचालित इस योजना के अन्तर्गत औद्यानिकी के समग्र विकास हेतु नर्सरी स्थापना, फल, सब्जी, मसाला, पुष्प का संरक्षित खेती, पॉलीहाउस खेती को प्रोत्साहन पॉलीहाउस स्थापना, जीर्णोद्धार, सिंचाई सुविधाओं का सृजन, संरक्षण उत्पादन, पौधशाला विकास, औद्यानिक यान्त्रीकरण, उत्तर एवम् प्रसंस्करण, विपणन आदि कार्यक्रमों तथा घटकों का क्रियान्वयन करना सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजनान्तर्गत ₹ 4839.52 लाख की कार्यक्रमोपलब्धि है, जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से 5 नया औद्यानिकी की स्थापना, रकबा वृद्धि में फलों, 1346 हे0 में सब्जियों, 700 हे0 में मसाला व 50 हे0 में पुष्पों का संरक्षित खेती, 33 संख्यक उत्पादन इकाईयों की स्थापना, 88 हे0 पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार, 58 इकाई जल स्त्रोतों का सृजन, 20000 वर्गमीटर क्षेत्र में पॉलीहाउस स्थापना, 23.00 लाख मानीटर एवं हेक्टर, 670 हे0 क्षेत्रफल में फसलोत्तर सुविधा, 3000 पोस्ट हार्वेस्ट व मौलाइज सिस्टम, 185 औद्यानिक यन्त्र, 02 विपणन संस्थाओं की स्थापना की गयी है।

14. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं Per Drop More Crop घटक– भारत सरकार के 90 प्रतिशत वित्तीय सहयोग से संचालित इस योजनान्तर्गत सिंचाई की समुचित व्यवस्था करते हुए पेयजल की उपलब्धता बढ़ाना, खेती में जल संरक्षण तकनीकों को प्रोत्साहित करने में सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड में कृषि, औद्यानिक एवं अन्य उत्पादकों की हिम इरीगेशन व सिंचाइतर इरीगेशन सिस्टम सहित सहायता एवं जागरूकता को उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ-साथ खेतों के छोटे पर जल संग्रहण व खेती की व्यवस्था हेतु भी Other Intervention घटक के अन्तर्गत भी सब्जी सहायता प्रदान की जाती है। इसमें प्रदेश में कृषि/औद्यानिक/वन्य पशुओं की उपलब्धता बढ़ाने के साथ-साथ खेतों को आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2021–22 में लगभग 1208.12 हे0 क्षेत्र में स्प्रिंकलर/फव्वारा सिंचाई की व्यवस्था की गयी।

15. परम्परागत कृषि विकास योजना– जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु विकास के लगातार 1241 क्लस्टरों का चयन कर विकासखण्ड स्तरीय किया गया है, जिसमें लगभग 24820 हे0 क्षेत्रफल एवं 57934 कृषकों का चयन किया गया है। परम्परागत कृषि विकास योजनान्तर्गत 1.82 लाख मल्च पौध वितरण, 326.00 कुन्तल सब्जी बीज वितरण, 486.75 कुन्तल मसाला बीज वितरण, 165.16 कुन्तल अन्नु बीज वितरण, 10,000 बकरी यूनिट निर्माण, 3,200 कार्बनिक यूनिट, 23,200 औद्यानिक यन्त्र एवं 11504.43 कुन्तल बायो फर्टीलाइजर, वर्मीकम्पोस्टिंग यूनिट लिये गये हैं।

16. औद्यानिकी के क्षेत्र में निवेश हेतु प्रस्ताव– राज्य में निवेश औद्यानिकी के क्षेत्र में लगभग ₹ 2250.33 करोड़ के निवेश हेतु कुल 56 निवेशकों द्वारा अनुरूचना इलाइनिट किये गये, जिनमें से 26 निवेशकों के ₹ 155 करोड़ के प्रस्तावों की संस्तुति की गयी है तथा 25 इकाईयों द्वारा व्यावसायिक उत्पादन/आरम्भ प्रारम्भ किया जा चुका है, जिनमें ₹ 155.00 करोड़ का निवेश हुआ है।

17. पैक हाउस– राज्य में औद्यानिक फसलों के संग्रहण, ग्रेडिंग/पैकिंग व्यवस्था हेतु लगभग 1260 पैक हाउस स्थापित किये गये हैं।

18. कोल्ड चैन– उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से कुल 31 कोल्ड चैन इकाईयों (उत्तरकाशी-सालमोहनपुर में 22, चैपटाखाल में 03, हरिद्वार में 04 व देहरादून में 02) स्थापित हैं। इन कोल्ड चैन इकाईयों में 29 इकाईयों औद्यानिकी आधारित हैं, जिनकी वार्षिक क्षमता लगभग 28000 मीट्रिक है एवं कुल व्यवस्थित 02 कोल्ड चैन इकाईयों की क्षमता 187.60 Modified मीट्रिक है।

19. खाद्य प्रसंस्करण इकाईयाँ– उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के साथ प्रदेश में स्थापित प्रसंस्कृत इकाईयों की संख्या लगभग 81 थी, जो कि वर्तमान में लगभग 14 प्रतिशत बढ़ गई है। दिसम्बर वर्ष 2022–23 तक लगभग 16 प्रतिशत तक वृद्धि किये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में राज्य में कुल 223 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयाँ स्थापित हैं, जिनमें से 155 यूनि इकाईयाँ (Canker

License) हैं तथा 385 खेपी इकाईयों (State License) हैं। कुल रजिस्टर्ड इकाईयों में से 407 इकाईयों ऑनलाईन प्रणाली से प्रमाणित हैं।

20. मेगा फूड पार्क– देश में ₹ 100–100 करोड़ की लागत से पांच/नौ फूड एण्ड इंडस्ट्रीयल पार्क जम्मू संभाग में स्थापित हैं तथा कुल निवेशक मेगा फूड पार्क, मंडुआलोहा, सांबा/कुठुआ, जम्मू/सिधरा में स्थापित किए गए हैं।

21. मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास:– कोविड–19 से दौरान राज्य में लगभग लगे प्रतिबंधों एवं लॉकडाउन काल में पूर्व से तोड़ाईकृत से फूले फूलों को कम दाम में उत्पादन कर रहे उत्पादकों को उचित सहयोग द्वारा 'मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना' स्थापित करते हुए वर्ष 2021–22 में ₹ 1700.00 लाख का प्रावधान किया गया है। इस योजनान्तर्गत फूलों की फल–पौध, सब्जी–बीज, मसाला बीज, पुष्प बीज/बल्ब (s) इत्यादि उत्पादनार्थ 50 प्रतिशत अनुदान पर, जैविकखाद रसायन 50 प्रतिशत अनुदानपर तथा फूल, सब्जी, मसाला उत्पादक तथा व्यक्ति को निर्मित महाराजन में प्रतिशत एवं भवन हेतु फूल हाउस/पॉलिनेटेड हेतु 50 प्रतिशत अनुदानपर उपलब्ध करायी जायेगी। वर्ष 2021–22 में लगभग 3000 कुनाल सब्जी, मसाला, फूल बीज का वितरण किया गया है।

उत्तराखण्ड एकीकृत बौद्धिक विकास परियोजना– आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ₹ 526.00 करोड़ की 'उत्तराखण्ड एकीकृत बौद्धिक विकास परियोजना' को द्विपक्षीय सहयोग द्वारा Japan International Cooperation Agency (JICA) के वर्ष 2021–22 के Rolling Plan में सम्मिलित कर लिया गया है। बौद्धिकसम्पदा कार्य की कार्यशैली परिवर्तन है।

मुख्य पहलें–

• **पहुकाम**– राज्य में विपणन बुनियादी के विकास की सम्भावनाओं के दृष्टिगत द्वितीय जनपद के चयन उपरान्त चार धाम एवं एक–एक पहुनाम विकसित कर मौजूदगी के माध्यम से कृषकों की आय में वृद्धि एवं सेवोन्मुखी व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे।

• **आपरेशन ग्रीन योजना**– खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत 'आपरेशन ग्रीन योजना' का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना में उत्पादकों व्यक्ति को पक्ष एवं सब्जियों का उचित मूल्य दिलाने हेतु व्यवस्था की गई है– इस योजना अन्तर्गत टमाटर, प्याज व आलू के साथ ही पहले चरण एवं व्यक्तियों से अधिक उत्पादन होने पर विभिन्न बाजारों में विपणन हेतु परिवहन की कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान। कृषक व उनके उद्यमी/व्यवसायी को पक्ष या सब्जी को कोल्ड स्टोरेज अथवा अन्य भण्डार गृह में भण्डारित करने, उसके लिए भण्डारण शुल्क की कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

• **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (PM FME)**– योजनान्तर्गत राज्यभर में खाद्य प्रसंस्करण तथा वैल्यू–एडिशन व्यवसाय क्लस्टर के माध्यम से उद्यमियों को प्रशिक्षण दिलाना। प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को ऋण दिलाना। सूक्ष्म इकाईयों को साझा सेवाएँ (Common Facilities) का लाभ देने हेतु एक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ), स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी), उत्पादक सहकारियों तथा सहकारी समितियों को उनकी सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला में सहायता करना। मौजूदा एफपीओ को विपणन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु बौद्धिकीय क्षमता को और बढ़ने में सहायता। ब्रांडिंग और विपणन की व्यवस्था करके उपलब्ध बाजारों सुविधा के साथ जोड़ीकरण। इस योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म खाद्य उद्यमों हेतु 35 प्रतिशत प्रतिबन्धक ₹ 10 लाख की राजसहायता प्रदान की जायेगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी 20 प्रतिशत प्रतिबन्धक ₹ 5.00 लाख प्रति इकाई अतिरिक्त सब्सिडी दिये जाने निर्णय लिया गया है। जिसके द्वारा 'एक जनपद एक उत्पाद (ODOP)' का चयन किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

"एक जनपद एक उत्पाद (ODOP)"

क्रमांक	जनपद	आवंटित उत्पाद
1	हरदोई	पेराहन (कुर्ता, शिरवानी आदि)
2	बाराबंकी	लेस आधारित उत्पाद (टेबिल, शैल, मफलर, बेडशीट, पिलो कवर/सूट)
3	फैजाबाद	बेकरी उत्पाद (बिस्कुट, रस्क, केक, बेकरी आदि)
4	गोंडा	फर्नीचर का पुर्जा व असेम्बल (साधु आर्डर)
5	बलरामपुर	रेवड़ी एवं गजक
6	बस्ती	पीतल धातु कास्ट एवं आधारित उत्पाद (बाटा)
7	सिद्धार्थनगर	हल्दी आधारित उत्पाद
8	महाराजगंज	आम आधारित उत्पाद
9	कुशीनगर	सुखाये आधारित उत्पाद (टेबल, चटनी, आचार आदि)
10	देवरिया	सीपी आधारित उत्पाद (ट्रेबल, पायनी, लालटेन, शेल, आदि)
11	सिद्धी	ब्लाउज आधारित उत्पाद (टॉप, कैप्री, ब्लाउज आदि)
12	चंदौली	मलय आधारित उत्पाद
13	वाराणसी	कॉलर्ड आधारित उत्पाद (कॉलर्ड के उत्पाद आदि)

वित्तीय वर्ष 2021-22 में 08 इकाईयों स्थीकृत की जा चुकी है शेष ही 01 इन्क्यूबेशन सेन्टर स्थापनार्थ विश्वविद्यालय में आवंटित किया जा रहा है।

• हार्टी–टूरिज्म गतिविधियों का विकास– राज्य में स्थानीय सामग्रियों उत्पाद कॉमरेडिया, अल्मोड़ा, पहाड़ीय उत्पाद, रामनगर, नैनीताल एवं टिहरी जिला सामग्रियों पर आधारित सौगातों को हार्टी- टूरिज्म गतिविधियों से अनुसार विकसित किया जा रहा है।

• भारत सरकार द्वारा आयातित एवं देश में उत्पादित होने वाले पौधों को PEQ (Post Entry Quarantine) सेन्टर टिहरी में तैयार किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। विदेशों विदेशों से आयातित उच्चगुणवत्तायुक्त उन्नत प्रजाति के पौधों को संरक्षित कर से तैयार कराया।

सेरीकल्चर विकास इकाई, उद्यान विभाग:–

• जंगली–बूटी कृषिकरण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग द्वारा कृषकों को कृषिकरण के लिये अधिकतम 25 नाली भूमि में व वृक्षारोपण के लिये अधिकतम 10 नाली भूमि हेतु आवेदन प्रस्तावित्रों की सेरीकल्चर सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराते हुये, वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 2668 कृषकों को 2150175 पौधों का वितरण तथा 6225.26 नाली (164.55 है0) में एवं वर्ष 2021-22 में कुल 3179 कृषकों को 1806145 पौधों का वितरण कर 6343.83 नाली (168.52 है0) में कृषिकरण एवं वृक्षारोपण कार्य कराया गया।

• **हरेजा कार्यक्रम**— इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुल 600 कृषकों को 82740 पौधों का वितरण कर 2884 बकरी (117.70%) में वृद्धिकरण एवं खुशहाली लाई गयी। वर्ष 2021–22 में कुल 476 कृषकों को 67461 पौधों का वितरण कर 6140 से भी अधिक (82.6 टि) में वृद्धिकरण एवं खुशहाली लाने का प्रयास किया है।

• **वन क्षेत्र से लगी–छुटी संरक्षण कार्यक्रम**— इस कार्यक्रम के तहत स्थानीय लाभार्थियों के संयुक्त अनुरक्षण पर लगी समिति वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 11515.79 कुन्तल का संरक्षण करवाया गया, जिसका विक्रय मूल्य ₹ 1865.00 लाख के सापेक्ष रु ₹ 166.80 लाख का हस्तगत लाभ कमाते हुये, ₹ 1811.24 लाख का लाभांशकर्ताओं को भुगतान किया गया। वर्ष 2021–22 में कुल 12037.93 कुन्तल का संरक्षण करवाया गया, जिसका विक्रय मूल्य ₹ 2510.86 लाख के सापेक्ष रु ₹ 218.58 लाख का हस्तगत लाभ कमाते हुये, ₹ 2347.08 लाख का लाभांशकर्ताओं को भुगतान किया गया है।

• **बंजर भूमि से निर्मित स्वरूप कार्यक्रम**— इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 1168 बन्दी, 22550 कुन्तल जाड़ी–कुटीयों की बिक्री की गयी, जिसके द्वारा कृषकों को ₹ 1216 लाख का लाभ प्राप्त हुआ है। वर्ष 2021–22 में कुल 842 बन्दी, 16401.10 कुन्तल जंगली जड़ीयों की बिक्री की गयी, जिसके द्वारा कृषकों को ₹ 1049.80 लाख का लाभ प्राप्त हुआ है।

• **कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम**— इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को जड़ी–बूटियों के वृक्षिकरण, संग्रहण, छंटाई व विपणन आदि की जानकारी देने के लिये समय समय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2020–21 में (कोविड–19 से प्रभावित) कुल 2 प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के माध्यम से 100 कृषकों को एवं वर्ष 2021–22 में कुल 21 प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के माध्यम से 1080 कृषकों को प्रशिक्षित किया गया है।

उद्यान–

औद्यानिक विकास की प्रमुख गतिविधियों एवं उपलब्धियाँ–

• **कुल उपलब्धियाँ**— वित्त वर्ष 2021–22 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 1937.00 हैक्टेयर क्षेत्रफल उद्यान विकास (फलदार वृक्षों का रोपण), 18.12 लाख घन मीटर वन तैलाब, 93.73 लाख लम्बी चौड़ी तिरपाल, 4306.04 कुन्तल एकीकृत पौध तिरपाल, 5781.00 कुन्तल आलू बीज तिरपाल, 1877.60 कुन्तल लहसुन पौध तिरपाल, 262.34 कुन्तल हल्दी बीज तिरपाल, लगभग 19825.00 हैक्टेयर में पौध सुरक्षा कार्य तथा 9864 व्यक्तियों को औद्यानिक संयन्त्र वितरण किये गये।

• **सकल उत्पादन योजना**— योजनान्तर्गत (i) हमारेजार व स्वीप तिरपाल एवं 50 प्रतिशत अनिवार्य ₹ 4200.00 प्रति पीठ्रेज अनुदान दिया जाता है। (ii) 7 दिवसीय प्रशिक्षण ₹ 350.00 प्रति प्रतिभागी की दर से व्यय करते हुए ₹ 700.00 प्रति प्रतिभागी के खाते में भुगतान किया जाता है। (iii) अन्य सहायक उत्पादन की खाम–माल गाइडलाईन्स सहायक पत्र की अनुपालन दिए जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभाग द्वारा सहायक उत्पादन हेतु 413.43 मैट्रिक टन पारम्परिक हस्तशिल्प का उत्पादन कर विपणन किया गया तथा 2374 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया।

• **फल सब्जियों का सुखाकर प्रसंस्करण**— राज्य में स्थापित कालुडाबिक्स फल संरक्षण केन्द्रों एवं प्रशिक्षण केन्द्र पर लगभग 23118.10 कुन्तल फल एवं सब्जी प्रसंस्करण किया गया। 2.17 लाख मेगावैट्रेड पौधा वितरण, 88000 पालीथिन बैग्स वितरण किये गये तथा 6120 व्यक्तियों को इस विषय में प्रशिक्षण दिया गया।

• **उद्यान कार्ड वितरण**— विभाग द्वारा औद्यानिक विकास के वितरण हेतु लगभग 7909 किसानों को उद्यान कार्डों के वितरण कर पंजीकरण किया गया।

• **दीपक सामग्री का उत्पादन**— राजकीय प्रयोगशालाओं में विभिन्न प्रकार के 5.14 लाख गज फीते का उत्पादन 162.07 कुन्तल लम्बे किस्म के सभी फीतों का उत्पादन किया गया।

• **बीमाकवच योजना**— राजकवच बीमायोजनान्तर्गत (i) दुर्घटनाजन्य मृत्यु में बीमाधारी / नॉमिनी को उसकी मृत्यु होने पर बीमाकवच पर ₹ 200.00 प्रति बीमाधर अधिकतम 4 बीमाधरों प्रति वैध बीमा पर दी जाने वाली राशि का भुगतान की जा रही है। जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 6889 बीमाधरों हेतु बीमाकवचता उपलब्ध की गयी है। (ii) ₹ 500.00 प्रति बीमाधृत / बीमाधर राजकवचता के अन्तर्गत 1 व्यक्ति को अधिकतम 10 बीमाधृत दिये जाने की योजना है। (iii) बीमाधरण में 7 दिवसीय प्रशिक्षण ₹ 200.00 प्रति प्रशिक्षार्थी की दर से प्रदय राशि हुए ₹ 700.00 प्रति प्रशिक्षार्थी के खाते में भुगतान किया जाना है।

• **पेरकाड़ु योजना**— राज्य में स्थानीय बनाने जो जगली जानवरों से बचाने हेतु सोलर की पेरकाड़ु योजनान्तर्गत कृषकों के प्लेटों पर 50 प्रतिशत राजसहायता जिसकी अधिकतम सीमा 1.00 लाख प्रति हैक्टेयर राजसहायता प्रदान करते हुए 471.33 हैक्टेयर क्षेत्रफल में पेरकाड़ु की गयी है।

• **फल पौध रोपण मेरी योजना**— निःशुल्क फल्स फूलोद्यान की अन्तर्गत वर्ष 2021–22 (सितम्बर) एवं डीसेम्बर में लगभग 16.12 लाख निःशुल्क फल पौध वितरण किया जाना है।

• **धान तालाब की पौंजीमीन बदलाव की योजना**— कृषकों का 5 वर्ष पुराने जीर्ण–शीर्ण / फटे पौंजीमीन की पौंजीमीन बदलने हेतु ₹ 30 प्रति वर्ग मी० कर 75 प्रतिशत की दर से अधिकतम 4000 वर्ग मी० तक अनुदान का प्रावधान दिये जाने की योजना है, जिसके अन्तर्गत 68248 वर्ग मीटर का राजसहायता दी जा चुकी है।

• **कुलगन्नी संरक्षित उद्यान विकास योजना**— योजनान्तर्गत कृषकों को पॉलीहाउस में खेती करने हेतु 100 से 500 वर्ग मीटर तक पॉलीहाउस निर्माण हेतु 50 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 30 प्रतिशत राज्यांश) का प्रतिशत राजसहायता की दर से अधिकतम ₹ 368.70 प्रति वर्ग मी० की दर से राजसहायता दी जा रही है। वर्ष 2021–22 में 84036 वर्ग मी० पर राजसहायता दी गयी है।

• **मसाला की खेती की योजना**— कृषकों को मसाला उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मसाला बीज एवं बीज एकत्रण कराकर लेबलयुक्त विक्रय किया जा रहा है जिसमें 40 प्रतिशत की दर से ₹ 12000.00 प्रति है० एवं अधिकतम 4 है० पर अनुदान दिया जा रहा है।

• **वर्षा कन्फोस्ट निर्माण की योजना**— राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्षा कन्फोस्ट इकाईयों की स्थापना के प्रदेश के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं तथा स्वयं सहायता समूह को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ₹ 33,300 प्रति इकाई की लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम एक इकाई (लगभग 0.2 ए० ग) की जा रही है।

• **अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में औद्यानिक विकास**— इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास हेतु लाभार्थी वह है जो कि न्यूनतम 50 प्रतिशत जनजातीय परिवार से हो, लाभार्थी 0.2 है० से 2.0 है० तक अधिकतम ₹ 20000.00 प्रति है० अनुदान दिया जाता है साथ ही आम्बु विकास / उत्पादन हेतु प्रौढ़ व निर्माण 50 प्रतिशत राजसहायता पर प्रति लाभार्थी 0.1 है० से 1.0 है० तक अधिकतम ₹ 25000.00 प्रति है० निर्माण हेतु तथा 40000.00 प्रति है० स्प्रेयिंग पंप हेतु अनुदान दिया जा रहा है।

• **उत्तराखण्ड में उच्च तकनीकी द्वारा बीज उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु निदान पृथक योजना**— उद्यानविदों एवं प्रौद्यानिकों तकनीकी के लिए ₹ 12.00 लाख प्रति एकड़ तक 50 प्रतिशत अधिकतम 04 एकड़ तक सहायताराशि प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹ 2.00 करोड़ की धनराशि का बजट लाभ किया गया है।

• **बागवानी मिशन**:– बागवानी मिशन योजनाअंतर्गत कृषकों को 25 से 50 प्रतिशत तक विभिन्न घटकों में अनुदान दिलाने हेतु पहचान प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बागवानी मिशन के विभिन्न घटकों तथा फल क्षेत्रफल विस्तार के अन्तर्गत 1197 हेक्टेयर, सब्जी क्षेत्रफल विस्तार के अन्तर्गत 1346 हेक्टेयर, पुष्पकला क्षेत्रफल विस्तार के अन्तर्गत 200 हेक्टेयर एवं पुष्प क्षेत्रफल विस्तार के अन्तर्गत 90 हेक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादित किया गया है। साथ ही ₹ 23.00 लाख प्रतिहेक्टेयर की दर से एग्री क्लीनिक एवं एग्रीबिजनेस प्रदान की गयी है।

• **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत Per Drop More Crop घटक**:– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत Per Drop More Crop घटक के अन्तर्गत कृषकों को ड्रिप व सिंचाई सिंचाई एवं सिंचाई करने हेतु 45 से 55 प्रतिशत तक अनुदानदाता उपलब्ध की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10381.20 हेक्टेयर ड्रिप/सिंचाई प्रणाली की स्थापना 14218 कृषकों के लाभान्वित किया गया है।

• **परम्परागत कृषि विकास योजना**:– कलस्टर एप्रोच के आधार पर चयनित ऐसे क्षेत्रों में पीएमकेवीवाय जैविकीकरण के अन्तर्गत जैविक कृषि एवं क्लस्टरण किया जाता है।

सरस्वती पौधा केन्द्र (केंद्र):-

• **सरस्वती फसलों की खेती को Public-Private Partnership (PPP)** मॉडल के रूप में अपनाया गया है जिसमें बीज इन्क्यूबेटर के रूप में तथा कृषक एवं उद्यमी फार्मर के रूप में कार्य करते हैं। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जैविक से अजैविक किसानों को जोड़ना तथा उनके बीच सहयोग की भावना पैदा करना है। इसके अन्तर्गत निम्न कार्य किये जा रहे हैं।

• **ऐरोपोनिक सेक्टर का वर्तमान परिदृश्य**:– सरस्वती पौधा केन्द्र (केंद्र) सेलाकुई के तकनीकी उद्यानिक सेक्टर में 100 ऐरोपोनिक्स स्थापित किये गये हैं, जिनमें लगभग 21000 कृषकों द्वारा 7002 हेक्टेयर क्षेत्रफल में समस्त फसलों का कृषिकरण किया जा रहा है। जिनसे 1700 टन समस्त सेल, सर्व, पुदीना एवं पौधों का उत्पादन हो रहा है।

• **सरस्वती फसलों के प्रोसेसिंग हेतु आवश्यक यंत्र/उपकरणों की स्थापना पर अनुदान**:– वर्ष 2021-22 में सरस्वती फसलों के प्रोसेसिंग हेतु अनुदान दिये जाने की व्यवस्था के अन्तर्गत 07 आवेदन सर्वो की स्थापना पर ₹ 19.29 लाख तथा 08 सेलर ड्रायरों पर ₹ 7.72 का अनुदान 15 कृषकों को उपलब्ध कराया गया है।

• **परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY)**:– परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड हरिद्वार, पंचकूला, पौड़ी एवं नैनीताल के कुल 07 विकास खण्डों में 45 ऐरोपोनिक कलस्टरों के अन्तर्गत 401 हेक्टेयर क्षेत्रफल को सरस्वती फसलों तथा सेलाकुआ, तेलंगाना एवं बेलाकुआ गुलाब से 52.489 हेक्टेयर क्षेत्रफल को सरस्वतीसिंह औषधीय सहित कुल 600 हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि को जैविक खेती में अभिप्रमाणित किया गया है। जिसमें 1023 कृषक लाभान्वित हुये हैं।

• **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई विकास योजना (PMKSY)**:– इस योजना के अन्तर्गत डिम्पलसेट की का हेक्टेयर भूमि में Portable Sprinkler की व्यवस्था तथा 80 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

• **मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना (CM-SKVY)**:– सरस्वती फसलों के विकसित हो रहे बाजारों में धार्मिक उत्सव में फसलों के उत्पादन तथा व्यवसायिक महत्व के अवसरों समय 3 महीनों के मध्यनेप्ल साथ ही आकस्मिक एवं इससे लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के संदेश से संबंधित आकस्मिक लाभ का लाभ गुलाबसुगन्धि विकास योजनान्तर्गत किया जा रहा है। इस हेतु ₹ 129.83 लाख की धनराशि प्रदान हुयी है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) –

- **सुगन्ध फसल उत्कृष्टता केन्द्र (Centre of excellence for Aromatic Crop)**– हरिद्वार में उत्तराखण्ड सुगन्ध पौधा केन्द्र, नैनीताल द्वारा स्थापित की गयी है। इसके माध्यम से Essential Oil, Extract एवं Aroma Chemicals के उत्पादकता एवं मूल्य संवर्धन संबंधित शोध कार्यों को एकत्रित एवं केन्द्रीकृत रूप से संचालित करने हेतु तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के उद्देश्य से सुगन्ध केन्द्री (Common Processing Facility) की स्थापना की गयी है, जिसमें एकीकरण हेतु Skill Development के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

22 जनपद विकास– उत्तराखण्ड शासन विभाग द्वारा प्रतिवेदन में उत्तराखण्ड के 09 पर्वतीय जनपदों में (अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी) सभी विकास खण्डों में संचालित किया जा रहा है। मार्च 2022 तक बोर्ड द्वारा 1428.46 हे0 में रकबा स्थापित/पुनर्रोपण किया जा चुका है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है–

1– बोर्ड योजना के अन्तर्गत	855.85 हेक्टेयर
2– एस.डी.पी योजना के अंतर्गत	230.30 हेक्टेयर
3– गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत	341.71 हेक्टेयर
कुल योग	**1428.46हैक्टेयर**

जैविक चाय की खेती– राज्य के चार चायान का कुल 627 हे0 क्षेत्रफल में जैविक चाय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त चाय बागानों से जैविक चाय की दुई प्रजातियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिनसे जैविक चाय तैयार की जा रही है।

- **रोजगार सृजन**– बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न बोर्डों में पूर्व संचालित परियोजना, एस.डी.पी.ए व गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत लगभग 3000 मैट्रिक टनों से प्रोसेसर लगाए 8100 लोगों को नियमित रोजगार सृजन किया जा रहा है, जिसमें 70-80 प्रतिशत से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गयी है।

8.4 रेशम विकास– रेशम विभाग द्वारा राज्य में वर्ष 2021-22 में जैविक रेशम विकास योजना के अंतर्गत 18.21 जैविक धागा उत्पादन किया गया है। रेशम कृषक विकास योजना के अन्तर्गत 25000 मैट्रिक रेशमकोयन किया गया है। वर्ष 2021-22 में 4 रीलर बागवों का एकीकरण किया गया है। वर्ष 2021-22 में लगभग 310 मैट्रिकटन से अधिक 310.00 मैट्रिकटन कोया उत्पादन किया गया।

9. ऊन रेशम विकास– पॉलीक्लाथोन-ओवरकोट, ऐसी, ऊनी रेशम उत्पादन के प्रसार हेतु विभाग द्वारा पिथौरागढ़ की लगभग 5 करोड़ भेड़ों का कार्य व्यवहार शुरू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से चुनिंदा पर्वतीय क्षेत्रों तथा निकटवर्ती तल क्षेत्रों में विभाग द्वारा दी गयी सुविधाओं को रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जा रहा है।

अध्याय–9

सहकारिता

Co-operative

उत्तराखण्ड के किसानों की खुशहाली और देश के विकास में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करने तथा सामाजिक चेतना में आध्यात्मिक मूल्यों, भाईचारे एवं सहयोग की भावना को विकसित करने का सहकारिता ही सशक्त एवं सर्वोत्तम माध्यम है। **चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर, 2022 तक दोगुनी किये जाने के लक्ष्य से एवं मात्र निवेश लक्ष्य (एम0डी0पी0 01 व 02)** को प्राप्त करने हेतु राज्य में कृषकों को कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं विपणन आदि की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। कृषकों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने हेतु सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 2990 सहकारी बैंक शाखायें व निर्धारित 647 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ (एम0पैक्स) संचालित की जा रही है। प्रदेश में सहकारिता विभाग के संचालनों का दृष्टिकोण न केवल कृषकों को सस्ती ब्याज की सुविधा प्रदान करना है, अपितु ग्रामीण एवं शहरी निर्धन और निर्धन वर्ग को सहायता प्रदानते हुये उनके जीवन स्तर को उन्नत करना भी है। सहकारी समितियों द्वारा ऋण वितरण, सस्ते ब्याज की सुविधा उपलब्ध कराने एवं निर्धन वर्ग के लोगों को ऋण हेतु ऋण देने के अतिरिक्त कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संग्रहण एवं विक्रय में सहायता, ऋण-मेढ़ाव की व्यवस्था, कृषि कार्य हेतु सामानिल, डीजल उपकरण एवं उन्नतशील बीजों का वितरण उचित दर पर एवं उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को भी उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जा रहा है। विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है–

9.1–राज्य सैक्टर योजनायें–

9.1.1 सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के सचालन हेतु अनुदान– इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 50 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 1500 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित किया गया। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹ 1000 लाख की धनराशि के सापेक्ष ₹ 0.35 लाख का व्यय किया गया।

9.1.2 – अर्जक परिवहन पर राज सहायता – इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में 2021–22 में 10 वाहनों के लिये लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्ष 2021–22 में डीजल के संचालन हेतु धनराशि ₹ 126.00 लाख के सापेक्ष वास्तविक धनराशि व्यय की गयी तथा कुल 118314.417 लिटर संचालन उपरान्त का वितरण किया गया।

9.1.3– पैक्स जिली बैंक में जमा निक्षेपों के लिए निक्षेप गारन्टी योजना– वाणिज्य बैंकों के जिली बैंकों में निक्षेप वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रस्तावित बजट में ₹ 20.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके सापेक्ष ₹ 08.00 लाख धनराशि का व्यय किया गया है।

9.1.4 दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना– कृषि उत्पाद में कमी तथा मध्यिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त व सक्षम किये जाने के उद्देश्य के अनेक के लघु, सीमान्त एवं बी0पी0एल, कृषकों व अनुसूचित को ₹ 1.00 लाख तक एवं अन्य खातेदार समूहों को ₹ 5.00 लाख तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि सहकारी समिति तथा पशुपालन, मछली–पूर्ति, सामान्य गोदाम, कृषक सहकारी, मण्डल, पूर्ति संघ, मण्डल, कृषक कल्याण, कृषि प्रसंस्करण, कृषि–सहिकरण, सेरीकल्चर, बेकरियों खनन उत्पादन, मंत्री–दालान आदि कार्यों हेतु ऋण सीमा ₹ 2.00 लाख तक रखी गयी है। तालिका 9.1 में उपलब्धि विवरण दिया है।

तालिका 9.1

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹ में)	कुल लाभार्थियों की संख्या	
			व्यक्तिगत	स्वयं सहायता समूह
1	2017–18	30007.42	59858	9
2	2018–19	70118.60	102479	51
3	2019–20	71139.88	125101	1246
4	2020–21	90215.13	132000	1317
5	2021–22	80815.35	114656	1167
योग		342296.47	611100	3791

स्रोत: राज्यस्तरीय रिपोर्ट

राका योजना के अन्तर्गत जनवरी 2017 से मार्च 2022 तक कुल 611102 लाभ दीदियों एवं 3791 स्वयं सहायता समूहों को कुल ₹ 342296.47 लाख का ऋण वितरित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल 114656 लाभार्थियों एवं 1167 स्वयं सहायता समूह को ₹ 80476.35 लाख का ऋण वितरित किया जा चुका है।

9.2– जिला सैक्टर योजनाएं–

9.2.1– ऋण एवं अधिकोषण योजना–

इस योजना के अन्तर्गत पैकल के सदस्यों को वेतन हेतु ऑनेज बेसर अनुदान, पैकल/सिमी पैक की स्थापना, अतिपूर्ति हेतु अनुदान तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को बाजार से रखत एवं उपक्रम हेतु बाजार दरों पर ऋण उपलब्ध किए जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹ 877.34 लाख अनुमानित लाभार्थी के सापेक्ष ₹ 878.53 लाख लाभार्थी लाभ की गयी है।

9.2.2– सहकारी क्रय–विक्रय योजना– पैकल के

अतिरिक्त पंचायतों के जीरोड्डा/चरनदा तथा क्रय विक्रय एजेंसियों के कर्मचारियों के वेतन हेतु अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2021–22 में अतिरिक्ति द्वारा 63870.400 मैट्रिक टन दूध व 147503.155 मैट्रिक टन मांस की खरीद लाभार्थी कृषकों से की गयी है। योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में क्रय–विक्रय में कुल ₹ 225.11 लाख अनुमानित लाभार्थी के सापेक्ष ₹ 171.51 लाख लाभार्थी लाभ की गयी है।

9.2.3– सहकारी उपभोक्ता योजना– आर्थिक

रूपेण सक्षम महिला एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं के सुनिश्चित प्रबन्ध को सुचारू करने और उनकी नियमित आपूर्ति बनाये रखने तथा उनकी गुणवत्ता वाली दैनिक उपयोग की वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल अनुमानित ₹ 58.05 लाख की धनराशि के सापेक्ष ₹ 58.45 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

9.3–अन्य योजनायें–

9.3.1– राज्य समेकित सहकारी विकास

परियोजना (एस०सी०डी०पी० द्वारा वित्त पोषित)– सहकार से विद्धि एवं 2022 तक सिंचाई की आय को दोगुना करने के उद्देश्य हेतु राज्य के चयनित जिलों, ब्लॉक क्षेत्रों में ग्रो एवं एडवान्स, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन एवं कृषकों के जीवन स्तर में सुधार जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के सहयोग से 'राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना' क्रियान्वित की जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना में राज्य में उपलब्ध अप्रयोजित भूमि एवं सहकारी उपक्रमों में वृद्धि करने तथा सदस्यों के प्रशिक्षण, जागरूकता एवं विपणन की समुचित व्यवस्था करते हुए किसानों को उचित मूल्य एवं उत्पाद कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। परियोजना के अन्तर्गत चार घटकों सम्मलित, (डेयरी) विपणन, गोदाम स्टोर, कंप्यूटर लेखे के नियमों के संशोधन संशोधन गृह के साथ-साथ सहकारिक सुविधाओं की आय में दोगुनी वृद्धि करना है, सहकारी क्षेत्रों को सशक्त बेसर कल्प आर्थिक विकास का सम्भावित समग्र निर्माण करना, बाजार का विकास करना, सहकारी समितियों के सदस्य से ब्याज और आय्यक रोजगार विकास, मेरे सभी स्तरों एवं कार्य क्षेत्रों के अन्तर बैठा कर मजबूत का संचालन है। व्यवसायिक गतिविधियों साइलेज/ टैक्सीकरण, अचार, वैल्यू वर्धापन, वैल्यू वर्धापन फैल उत्पादन एवं विपणन, सामग्री फीड ए जैसाक वेल्ड (बेकर दाल, केमिकल सब्जी उत्पादन एवं मसालों के

कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से लगभग 3600 से अधिक कृषक परिवारों को सीधे लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹ 6000.00 लाख ऋण एवं ₹ 2000.00 लाख अनुदान हेतु प्रावधानित है, जिसके सापेक्ष ₹ 666.36 लाख मंजूरी प्रदान हुई है। परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है।

1- सौर उद्यानीकरण, उत्पादन एवं विपणन

परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित 30 (10 पूर्वांचल व 10 पश्चिमांचल) उच्च तकनीकी सहकारी सहकारी खेती के माध्यम से संयुक्त सहकारी खेती के अन्तर्गत सौर उद्यानीकरण/विपणन का कार्य सेल उत्पादन एवं विपणन संघ लि0 के द्वारा लिया जा रहा है, जो कि परियोजना के संचालन के लिए इस्ता सेल उत्पादनों से 1400 मे0 टन सेल का क्रय किया गया। वर्तमान वर्ष में 10,000 मे0 टन सेल सी–आईजेटिव सौर्यशक्ति फोटोवोल्टिक (सीआईपीवी) के अन्तर्गत कार्यकलापों से क्रय किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। इसके अतिरिक्त वर्ष में परियोजना का लक्ष्य 15 नये कार्यस्थलों का उदय कर पहचान कराने के उद्देश्य फतेहपुर, हरदोई, सिद्धार्थनगर एवं कुशीनगर मण्डल के जनपद आजमगढ़, सिद्धार्थनगर एवं गोरखपुर में लगभग 1200–1400 सेल उत्पादनीकरण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान 10 नये उपस्थलों में 1200–1400 मेगा वाटघण्टे सौ उत्पादनीकरण हेतु प्रयत्न प्रक्रियाधीन है।

ऐसोसिएट एवं सदस्यगण

2– सामूहिक उत्पादन एवं विपणन– संयुक्त सहकारी खेती के अन्तर्गत सब जोत को परियोजना के संचालन से जनपद हरिद्वार एवं देहरादून में साइलेज एवं सिलाइजेशन की पूर्णित स्थापना एवं साइलेज/सिलाइजेशन उत्पादन हेतु जनपद देहरादून की सहकारी समितियों से जुड़े 1000 कृषकों से लगभग से 1000 एकड़ में 10,000 मे0 टन हरे चारे का उत्पादन से सम्बंधित उत्पादन कृषकों को ₹ 2000.00 लाख का भुगतान कार्यक्रम वर्ष में किया गया है। इंडीजेन उत्पादन सहकारी संघ लि0 देहरादून के सहयोग से सिद्धार्थनगर पूर्णित स्थापित किये जाने की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हो गयी है। जिसे हेतु राज्य सरकार द्वारा ₹0.53 करोड़ (कुल पूंजीगत व्यय का 50%) अनुदान के रूप में अनुमोदित किया गया है।

सेल की उपलब्धि

फसाई

पैकहाउस

सर्वेक्षण में पाया गया प्रोजेक्ट के अन्तर्गत राज्य के 04 जनपद मैनपुरी, रायबरेली, फर्रुखाबाद और हरदोई की सहकारी समितियों के द्वारा सम्पर्क किया गया है, जिसमें द्वारा माह मार्च 2022 तक 5380.00 टन सी फ्रोजेन सब्जियों उत्पादन की गयी।

3- डेयरी शेड उत्पादन– प्रदेश अन्तर्गत से विकासखण्ड तहसील में सहकारिक समिति के अन्तर्गत सहकारी समिति निर्मित शेड डेयरी शेड की जा रही है। डेयरी शेड पेयरी तैयार हो जाने से उत्पादन अन्तर्गत में सहित गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही किसानों द्वारा बेचर जोड़ी गयी उत्पादक दूध को सहकारी स्तर पर डेयरफार्म सूरक्षा में बढ़ावापूर्ण सुविधा जारी करेगी। बहुद्देशीय सहकारी समिति के माध्यम से समिति क्षेत्रअन्तर्गत कृषकों की दूधी पर डेयरी शेड गतिविधि को संचालित किया जा रहा है, जिसके

पशुशेड तैयार

लिए प्रदेश भर में 930 लाख दूधी पशु पर डेयरी शेड गतिविधि के सुविधाजन हेतु 520 लाखों मूर्ति पर तैयार शेड सहित बहुद्देशीय सहकारी समिति जिसे तहसील एवं ब्लाकस्तर द्वारा सम्पूर्णिक सहायताओं के अन्तर्गत की जा रही है।

पुष्प लगाई

4. मसाले व जड़ी-बूटी उत्पादन– सम्पूर्ण सहकारी रूपि से अन्तर्गत मसालों की खेती जैसे अदरक, हल्दी, टमाटर, लहसुन, एवं इसके जैसे मेसाम्बार, पुदीना आदि का उत्पादन प्रदेश के सहकारकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से 40 सहकारिताओं के जुड़े लगभग 7000 कृषकों के माध्यम से किया जा रहा है। जनपद चम्पावत में गत वर्ष 82 गेंद टन अदरक का उत्पादन एवं विपणन सहकारिता के माध्यम से किया गया है।

5. परिवहन उत्पादन– परियोजना के अन्तर्गत वाहन उत्पादन विपणन/प्रोसेसिंग का कार्य जिला सहकारी विकास संघ के द्वारा उत्पाद देहरादून की विभिन्न सहकारिताओं से जुड़े 1000 कृषकों के माध्यम से किया जा रहा है।

6. मौन पालन/शहद उत्पादन– परियोजना के अन्तर्गत मौन पालन का कार्य जिला सहकारी विकास संघ लि. देहरादून एवं ब्लॉक-विकास समिति रुद्रप्रयाग के द्वारा उत्पाद उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, जोशी, देहरादून, टिहरीगढ़ एवं चमोली में जारीदार विभिन्न सहकारिताओं से जुड़े लगभग मालवाहकों के माध्यम से किया जा रहा है।

7. **आलू बीज उत्पादन** – इसके तहत आलू बीज की उपलब्धता एवं कृषकों को उचित मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से संपूर्ण सहकारी भूमि के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के लमगड़ा में 425 कृषकों द्वारा 20 हेक्टेयर भूमि में आलू बीज उत्पादन का कार्य किया है।

8. **पैक्स सशक्तिकरण (बहुउद्देशीय सहकारी समिति) जिला लालकुआं, हरिद्वार)**– परियोजनान्तर्गत लालकुआं ब्लॉक में लगभग पौधा केन्द्र (नैक) लालकुआं, जिलाधिकारी, हरिद्वार के परिसर में बहुउद्देशीय सहकारी समिति लालकुआं क्षेत्रान्तर्गत 500 एकड़ भूमि में लेमनग्रास उत्पादन किया है, जिसमें लगभग में 50 एकड़ भूमि में 200 कृषकों द्वारा लेमनग्रास का उत्पादन कर उससे तैयार तेल को बाजार मूल्य पर समर्थन पौधा केन्द्र (नैक) द्वारा क्रय किया जा रहा है।

ई-सहकारिता मार्केटिंग प्लेटफॉर्म

परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश की 49 लघु-विक्रय समितियों को सम्बद्धित डिजिटल सुविधाओं हेतु "ई-सहिता" प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। "ई-सहिता" प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपरी 49 समितियों से जुड़े कृषकों को कार्यरत टैग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स प्रदान कर उनके द्वारा उत्पादित आयातों के लिए अन्तिम इनपुट जैसे बीज, खाद, उपकरण, पशुआहार, रासायनिक, रसीद, ट्रान्सपोर्टेशन, गोदाम, वेयरहाउस की सुविधाएं सहित उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्रदान करने हेतु बेहतर बाजार व्यवस्था प्रदि की सुविधाओं को "ई-सहिता" प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषकों तक पहुंचाना है। इस तक 5 लघु-विक्रय समितियों को "ई-सहकारिता मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स से जोड़ा जा चुका है।

9. डेरी सेक्टर–दुग्धक पशु इकाई स्थापना एवं सहकारी डेरी फार्म की स्थापना

दुग्ध सहकारी समिति स्तरपर को व्यावसायिक डेरी फार्मिंग हेतु प्रेरित/प्रशिक्षित करने के लिये 03 से 05 दुग्धक पशुओं की इकाई स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

- वर्तमान तक 03 एवं 05 दुग्धक पशुओं की इकाई स्थापना अन्तर्गत 2849 दुग्धक पशु क्रय लाभ के सापेक्ष वर्तमान तक 1826 दुग्धक पशु क्रय किये गये है।
- जनपद ऊधमसिंहनगर में सांति प्रजापुर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि. में 30 दुग्धक पशुओं के सहकारी डेरी फार्म की स्थापना हेतु ₹ 82.40 लाख की योजना परीक्षण कराते हुए ₹ 30.88 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।
- दुग्धक पशुओं को रखने हेतु डेरी शेड अन्तर्गत 625.35 वर्ग मीटर का अनावृत्तिक पशुआवास शेड का निर्माण किया गया है।
- सम्बन्धित डेरी फार्म में मिल्किंग मशीन की स्थापना की गयी है। मिल्क टेस्टर के माध्यम से दुग्धक पशुओं के दूध का दुग्धन किया जा रहा है।
- दुग्ध क्रय योजना की दुग्धशाला क्षमता में 60 दुग्धक पशुओं के सहकारी डेरी फार्म की स्थापना हेतु ₹ 82.40 लाख की योजना परीक्षण कराते हुए प्रथम किस्त के रूप में ₹ 26.78 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

कांटिंग एवं मार्केटिंग

- वर्तमान तक विभिन्न एजेन्सियों के अन्तर्गत 10 आरक्षण विक्रय कूप स्थापित किये जा चुके है।
- नजीबाबाद क्षेत्रों में तथा मुरादाबाद क्षेत्रों में कुल 500 आरक्षण विक्रय कूप स्थापित का कार्य प्रगतिरत है।

- मिलक झूला संचालन हेतु कुल स्वीकृत इकाई लागत का 20 प्रतिशत अनुदान, 10 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान तथा 70 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
- डेयरी सहकारी समिति-दूध, घी, पनीर, पनीर, औषधिक घी, पहाड़ी घी आदि को ब्रांडिंग करके राज्य के स्तर से मार्केटिंग सिस्टम स्थापित कर दिया गया प्रदेश की बाजारों में उपलब्ध कराया जा रहा है।

3. मीट वाली डोलक

- उधम सिंह नगर में हल्द्वानी एवं रुद्रपुर नगरपालिका क्षेत्रों में संचालित आवारित वाहनों इकाइयों की संख्या की गयी है।
- द्वितीय चरण में पौड़ी गढ़वाल, कार्बेट व अल्मोड़ा के जनपदों में संचालित आवारित वाहनों इकाइयों की स्थापना की जायेगी।
- संचालित लाभार्थी को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं जैसे- स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण, डिहॉर्निंग व आधुनिक कसाई खानों में व्यवसायिक प्रशिक्षण की सुविधा दी जा रही है।
- वर्तमान दर में प्रतिदिन क्षेत्रों में इकाई वाहनों की आपूर्तिकर्ता कुंदे से उपभोक्ता से उनकी आवश्यकता की मांस सुधार हेतु लगभग 500 किलोग्राम बकरे वितरित किये गये हैं। उक्तवत आवंटित के द्वारा 210 व तत्पश्चात् कैबिन, लगभग 290 बकरे तथा 30 ग्राम बकरियां कुल 450 लगभग मांस के विक्रेताओं द्वारा ले चुके हैं।
- पहाड़ों में प्रथम बार Meat-On-Wheels Concept का परिचय कराते हुये Meat Processing में कार्य कर औषधिक मीट निर्यात किया जा रहा है।
- देवभूमि मीट को स्थानीय एवं विदेशों को उच्चतम स्वादिष्ट का प्रदेश मूल्य दिया जा रहा है एवं मीट उत्पादकों को उच्च गुणवत्ता का सिद्धान्त मीट मीट पहाड़ी मुल्य में उपलब्ध कराया जा रहा है।
- BARMAW के रूप में राज्य के स्वरोजगार का ब्रांड स्थापित किया जा रहा है। वर्तमान तक देहरादून में 20000 से अधिक लघुतर उपभोक्ताओं द्वारा मीट क्रय किया गया है। भविष्य में Meat-On-Wheels की सामग्रीवाहन के अन्य उत्पादों व सिस्टम राज्य में विस्तार किया जाना प्रस्तावित है।

BARMAW, Meat-On-Wheels

10. गहन क्षेत्रः–

परियोजनाओं गहन विकास क्षेत्र में किये गये कार्य निम्नवत् हैं

- ₹302 करोड़ लागत से 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 25 परियोजनाओं का गठन किया गया है।
- जिला सहकारी बैंक लिमिटेड एवं विपणन फेडरेशन लिं0 लखनऊ में कुल 32 समितियों का गठन किया गया है।
- 13 समितियों के 1875 हेक्टेयर क्षेत्रफल के कार्य लागत की राशियों का भुगतान करते हुये कार्य पूर्ण कर उनका कार्य आरंभ हो चुके हैं।
- उपरोक्त समितियों में लगाये जाने वाले पौधों का भी रोपण हो चुका है एवं कुछ के चूजों का उत्पादन भी प्रारम्भ हो गया है।
- सहकारी समितियों द्वारा उपलब्धित सामग्रियों को 'उत्तर फिश ब्रांड' के माध्यम से बाजारों में उपलब्ध कराया जा रहा है।

9.3.2 मुख्यमंत्री परिवारी कल्याण योजनाः–

राज्य के दुरस्थ ग्रामीण अंचलों के मछुआरकों को सिंह सहकारिता एवं समृद्धि विभाग मछुआरा (टीएमएमवी) घर-घर उपलब्ध कराना है। इस योजना का उद्देश्य एक लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित करना है जिससे समितियों को सिंहपरी करने का सामर्थन एवं टीएमएमवी जीव आदि उपलब्ध कराकर सारे से लोग से मुक्त किया जायेगा। इस योजना के क्रियान्वयन द्वारा एकत्रित मछुआरों का उपयोग कर मछुआरों के आजीवन और मृत्यु की व्यवस्थाओं में वृद्धि होगी। सहकारिता व्यवसाय एवं विपणन सहकारी संघ लि0 (COFED) के द्वारा मृत्यु से सहकारिता एवं टीएमएमवी दुर्घटित व्यक्तियों का संचालित की जा रही है। राज्य में ही सम्पूर्ण मृत्यु सुरक्षा सहायिका कर लगभग 2000 से अधिक मृतक बेटियों को उनकी 2000 रुपये से अधिक पूर्ति पर सहायता की सम्पूर्णता सहायतार्थ खोले से जोड़ा गया है।

सहकारिता कृत्यालय एवं विपणन सहकारी संघ लि0 द्वारा उत्पादित मछलियों एवं टीएमएमवी उपलब्ध कराने जाने हेतु विक्रय मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाना है जिससे एक ओर पशुपालन से अधिक लाभ अर्जित की जायेगी वहीं दूसरी ओर एक लाख मछेरा परों के बच्चों से पास का बीज हटाकर मुहाना एवं उस लगाए विपणन प्रणाली की सहायता पहुंचाई जायेगी। वित्तीय वर्ष 2021–22 में सम्पादित एवं टीएमएमवी हेतु प्रावधान में 10,000 मै0 टन उत्पादन और आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹ 882.26 लाख का अधिकार किया गया है, जिसके सापेक्ष राशि प्रतिपादित पाया हो चुका है।

9.3.3 बैंक की नयी शाखायें खोले जाने हेतु अनुदानः– राज्य के सहकारी को वित्तीय समावेशन का लाभ उदार दिये जाने के उद्देश्य से राज्य के दुरस्थ क्षेत्रों में बैंक सहकारी बैंकों की शाखायें स्थापित करने हेतु प्रत्येक जनपद में स्थापित निवासियों की संख्या के अनुसार एक शाखा वर्ष खोले जाने, समाज के दलित व महिला सदस्य एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषक व अकृषक सदस्यों को वित्तीय समावेशन की दृष्टि से लाये जाने हेतु सरकारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से राज्य में कार्यरत 32 जिला सहकारी बैंकों को 75 नई बैंक शाखायें खोली जाने प्रस्तावित है। शर्त यह 40 नयी बैंक शाखायें खोले जाने हेतु प्रति शाखा ₹ 10.00 लाख धनराशि सम्बन्धित जिला सहकारी बैंकों को उपलब्ध कराई गयी है।

ब-य विभागीय वार्तालापीय कार्य

- "मुख्यमंत्री और स्वयंसहायता योजनालयीय" नाम सहकारी को दान / निवेद सहकारी बैंकों द्वारा 0.00 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 21 लाभार्थियों को ₹ 167.23 लाख का ऋण वितरित किया गया है।
- दुकानों को सेवाकर सुलभ हेतु "मुख्यमंत्री ई-रिक्शा कल्याण योजनालयीय" सहकारी बैंकों द्वारा बेरोजगार युवकों को ई-रिक्शा खरीद हेतु 0.00 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 243 लाभार्थियों को ₹ 09.72 लाख का ऋण वितरित किया गया तथा दिसम्बर 2022 तक 1 प्रतिशत ब्याज पर कुल 2091 लाभार्थियों को कुल ₹ 2088 लाख का ऋण ई-रिक्शा खरीद हेतु वितरित किया गया है।
- मुख्यमंत्री स्वयंसहायता योजनालयीय विभाग द्वारा "सहज समृद्धित देवकी योजना" के अन्तर्गत आवेदनकर्ता को अनुज्ञप्ति प्रदान करने में फार्मेसी / दवाओं की जानकारी तथा प्रशिक्षण लेना अनिवार्य कराने हेतु सहकारी बैंकों के माध्यम से ब्याज अब दिये जाने हेतु ₹ 02 लाख से ₹ 1.25 लाख तक का 02 वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 41 लाभार्थियों को ₹ 87.54 लाख का ऋण वितरित किया गया है।
- प्रदेश की बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एमसिएस) द्वारा किये जा रहे व्यवहार में दिखिलता लाने एवं कृषकों की प्राथमिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रदेश की सात एमसिएस को बहु-सेवा मॉडल के रूप में विकसित करने सम्बन्धी योजना, जिस हेतु कृषक में कार्यरत सहाय, सम्पादकार" वर्गों कुल 132 एमसिएस को बहु-सेवा केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- प्रदेश में एग्रोप्रोसेसिंगयुनिट के गठन से खाद्य व संबंध आधारित उद्योग हेतु प्रदेश की ग्रामीण परिसंपत्तियों के आधार पर एक सशक्त ढाचा, उत्पाद के उत्पादन व विपणन हेतु सहकारिता कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन किया जाना है। "एक जनपद-एक उत्पाद" का संचालन अभिप्राय कर एफपीओ का गठन किया जा रहा है।
- एकीकृत सम्पदा योजना (आईएसएस) में प्रदेश स्तर पर राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों से लिया जाकेवल ऋण खातों एवं एफपीओ की सेवों में 33 गये हैं, की सहायी हेतु प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंक द्वारा दिनांक 31.04.2021 से कुल 2003 खातों में ₹ 2916.34 लाख एफपीओ सम्पदारि की सहायी की गयी।
- मुख्यमंत्री ग्राम्य कुशि विकास योजना के अन्तर्गत सरेट विहीन सिंचन में उपयोगकर्ता राज्य सहकारी बैंक, जिला द्वारा स्वकीय कृषकों से इन्टरेस्ट व मंहुआ, सोलकोन, बीजाई पारिश्रमिक तुलवाई, उनकी ओर का संचित मूल्य लिया जा रहा है। उत्तराखण्ड में 1883 कृषकों से 2210.30 कुन्तल स्वकीय उत्पाद संचित कर रख खरीद की गयी है।
- राज्यस्तरीय सहकारी में जिला सहकारी बैंक की 22 मोबाइल टैली द्वारा सहकारी बैंक अपने सम्पर्क आवासकों को सुलभ हेतोत्र सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

सीमान्त जनपद कोटी बड़कान में गढ़वाल सेना व स्थानीय आबादी द्वारा जिला सहकारी बैंक लि. कोटी की सुलभ बैंकिंग सेवा का लाभ लेते हुए।

अध्याय–10

पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य
ANIMAL HUSBANDARY, DAIRY AND FISHERIES

प्रस्तावना– ग्रामीण तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन, डेयरी उद्योग तथा मत्स्य पालन उल्लेखनीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। यह उत्पादन अर्थव्यवस्था का आधार होने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्धन अंश वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर हमारी गरीबी रेखा के ऊपर लाने एवं जीविकोपार्जन की अतिरिक्त संभावना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रदेशवासियों को पशुजन्य उत्पादों के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए पशुधन संवर्धन हेतु कई योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ साथ पशुजन्य उत्पादों की उपलब्धता में वृद्धि हो सके।

राज्य में बेसहारा गोवंश की समस्या से निजात दिलाने हेतु आवश्यक रूप से संचालित गौशाला प्रोत्साहन प्रोत्साहन की स्थापना की गई है जिसके द्वारा वर्ष 2019 से अभी तक 8.74 लाख गौवंश संरक्षित किया जा चुका है। वर्ष 2021–22 में निर्धारित 3.00 लाख गौवंश संरक्षित लक्ष्यों के सापेक्ष वर्तमान तक 2.03 लाख गौवंश संरक्षित किये गये, जिसमें 21042 गायों ने जन्म दिया, जिसमें 19660 बछड़ी पाया है। इस प्रकार शुद्ध उत्पन्न संतति से बढ़ा संख्या का अनुमान 80.19 रहा है।

10.1 वर्ष 2020–21 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा उपलब्धियों का विवरण–

स्वरोजगार परक योजनायें

1– महिला बकरी पालन योजना (सब्जा सेक्टर)– परिवहन, विक्रय, निर्वाचित तथा अकेली रह रही महिलाओं एवं आवास समिति महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किए जाने हेतु 10 इकाई जिसमें 09 बकरी एवं 01 बकरा 100 प्रतिशत अनुदान में लाभान्वय कराये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही है। जिसमें वर्ष 2021–22 में 31 मार्च तक कुल 300 महिला लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

2– कुक्कुट पालन योजना– इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 50 एक दिवसीय चूजे, 01 पाक एवं पालन व जाली निःशुल्क दी जाती है। जिसमें वर्ष 2021–22 में कुल 3000 इकाईयां आवंटित की जा चुकी है।

3– भेड़ पालन योजना– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु एवं पहाड़ताल को रोजगार के रूप में अपनाने हेतु 10 भेड़ एवं 01 भेड़ा की एक इकाई 50 प्रतिशत अनुदान में लाभान्वय कराये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही है। जिसमें वर्ष 2021–22 में 31 मार्च तक कुल 122 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

4– गौ सदनों की स्थापना– सभी स्थलों पर गौसदनों को सामुदायिक सहयोग अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2021–22 में 32 प्रस्तावित गौ सदनों को भरण पोषण मद में ₹ 183.74 लाख एवं पशुओं के शेड एवं चारदीवारी गौ सदन निर्माण में ₹ 28.00 लाख की धनराशि आवंटित की गई है।

5- **बकरी पालन योजना**- अनुसूचित जाति/जनजाति के बेरोजगार/BPL वर्ग के लोगों को आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु 13 जनपदों एवं 91 ब्लॉक की एक इकाई 30 प्रतिशत अनुदान में उपलब्ध कराने हेतु मालू पशु चिकित्सा वर्ष 2021-22 में 31 मार्च तक 524 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है।

6- **भेड़-बकरी विकास कार्यक्रम**- राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी ग्रामोदय अन्नपूर्णा भोजन योजना के अन्तर्गत आवश्यक भेड़ों की नस्ल सुधार हेतु विदेश (ऑस्ट्रेलिया) से मेरिनो नस्ल की 150 भेड़ें तथा 41 नर भेड़ क्रय किये गये है तथा यह वर्ष माह दिसम्बर 2019 में ऑस्ट्रेलिया से आयातित मेरिनो ब्रीड के अतिरिक्त 100 Pure line एवं 744 Cross line उच्च गुणवत्ता की संतति प्राप्त हुई एवं आयातित मेरिनो के वर्ष लाभ को बीकानेर से मादक राज्य एवं राज्य के भेड़ पालकों के भेड़ों में प्रजातित करने के तत्वदेश से भेड़ों में Heat Synchronization and Artificial Insemination जिसका प्रारम्भ की गयी है।

- **सहकारिता के माध्यम से राज्य के भेड़/बकरी विकास**- राज्य के 10000 से अधिक भेड़/बकरी पालकों, जिनमें 3000 से अधिक महिला पशुपालक है को "प्राथमिक सहकारी समिति" (PACS) के रूप में संगठित करते हुए बकरी पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्राथमिक सहकारी समितियों के पशुपालकों के साथ Contractual Farming and Buy Back अनुबन्ध पर सहयोग तथा भेड़ उत्पादकताओं को उच्च गुणवत्ता का स्वस्थ, स्वस्थ Himalayan Goat Meat – BARAN ब्रांडेड किया जा रहा है।
- **ऊन ग्रोथ योजना के माध्यम से ऊन विकास**- राज्य के 10 सीमान्त पर्वतीय भेड़ बाहुल्य क्षेत्रों में ऊन ग्रोथ सेन्टर स्थापित कर भेड़ पालकों को वर्तमान तिरोमेरिन, ऊन की टेक्सेल, गुणवत्ता की प्राप्त एवं ऊन यौगिक प्रजनकियन्त्र का ब्लॉक स्तर पर उपलब्धता की सम्भावित में सुधार लाया जा रहा है।

7- **कुक्कुट विकास**-

वर्ष 2021-22 में 66 सामाजिक उद्यमी एवं आकांक्षी युवाओं का चयनकर रू 7.61 लाख पूंजी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

मदर पोल्ट्री योजना- वर्ष 2017-18 से वर्तमान तक 33 मदर पोल्ट्री यूनिट की स्थापना की जा चुकी है (वित्तीय वर्ष में 03) व वर्तमान तक कुल 2.18 लाख इस तरह के चूजे कृषकों को आवंटित किये जा चुके है।

इन्टीग्रेटिव कुक्कुट विकास योजना- राज्य सरकार के सहयोग से भरतपुर, धौलपुर, उदयपुरवाटी, बगरोसर एवं टिहारी में इन्टीग्रेटिव कुक्कुट विकास योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक प्लान्ट के 32 किलोमीटर परिधि के 200-200 कृषकों को 200-200 एक दिन आयु के कुक्कुट पक्षी प्रदान कर लाभान्वित किया जा रहा है एवं वर्तमान तक 146 लाख एक दिन के चूजे कृषकों को आवंटित किए जा चुके है।

10.1.1 वर्ष 2021-22 में राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय तथा उत्पादन के संवर्धन हेतु नये निवेश, तकनीकी तथा व्यवसायों हेतु किये गये प्रयासों का विवरण-

1 **राष्ट्रीय पशुधन नियन्त्रण कार्यक्रम**- वर्ष 2020-21 में 27.18 लाख गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग के नियन्त्रण हेतु टीकाकरण के लिये 23.66 लाख पशुओं की ईयर टैगिंग की गई है तथा 21 सितम्बर, 2020 से वर्तमान तक कुल 21.21 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है। वर्ष 2021-22 में 3.07 लाख पशुओं में दुसरा टीकाकरण का कार्य किया गया।

2 राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम

फेज–1 का क्रियान्वयन 13.03.2019 दिनांक 31.03.2020 तक किया गया। योजनान्तर्गत पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध कराई गयी। योजनान्तर्गत 2.50 लाख कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्यादान किया गया तथा अभी तक 31.07 लाख लक्ष्यादान हो चुके हैं।

फेज–2 का क्रियान्वयन 01.04.2020 दि.तक 31.07.2021 तक किया गया। योजनान्तर्गत पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध कराई गयी। योजनान्तर्गत 2.74 लाख कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्यादान किया गया तथा अभी तक 2.70 लाख लक्ष्यादान हो चुके हैं।

फेज–3 का क्रियान्वयन 01.08.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक किया जायेगा। योजनान्तर्गत पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध कराई गयी। योजनान्तर्गत 1.80 लाख कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्यादान किया गया तथा अभी तक 27 लाख लक्ष्यादान हो चुके हैं।

3 पशुधन बीमा योजना– इस योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 तक से लिए निर्धारित 1.00 लाख एनिमल यूनिट बीमा के लक्ष्यों के सापेक्ष लक्ष्यांक तक 45405 पशुओं का बीमा किया जा चुका है।

4 पशु प्रजनन पर्ची कानपी– पशु प्रजनन पर्ची कानपी में 287 गोवंशीय (219 गाय, भैंसिया एवं 227 सांड/नर बछड़े) का प्रजनन किया जा रहा है। पशु प्रजनन पर्ची कानपी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत देसी गाय की नस्लों के संरक्षण और एकीकरण की स्थापना की जा रही है, जिसमें देश विदेशी साहीवाल वृष किए गाय से पशुओं का उत्पादन एवं प्रजनित वृष प्रजनकीयर सकनीक के माध्यम से किया जा रहा है।

5 भारत सरकार द्वारा डेयरीकल्चर लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड की स्थापित से देश विदेशी व मिश्र पशुओं के उन्नयनार्थ के आधार हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन गठित किया गया है।

तालिका 10.1
राजकीय क्षेत्र इकाईयों की विगत 05 वर्षों की प्रगति

क्र० सं०	इकाई का	वर्ष	उपलब्धि					संशोधित लक्ष्य 2021-22	वर्ष 2021-22 की उपलब्धि (दि० 31.12.21, 2021 तक
			2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21		
1	वीर्य पर्ची	कानपी	12482	9527	12100	13826	14707	12500	10213
2	तरल नाइट्रोजन	कानपी	1208000	828450	784803	874925	1544283	1675000	1208450
3	पूरी नाइट्रोजन	कानपी	917345	647084	810169	594925	1048675	952000	894452
4	पूरी सिलेण्ड	कानपी	916821	635820	894181	002807	1042138	894500	874431

स्रोत: पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।

चार्ट–10.1
उत्तराखण्ड में राजकीय कुक्कुट पंगति

स्रोत: पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।

10.1.2. उत्तराखण्ड राज्य में पशुजन्य उत्पादों की उपलब्धि–
तालिका सं0 -10.2

वर्ष	दुग्ध उत्पादन (लाख टन)	अण्डा उत्पादन (लाख संख्या)	ऊन उत्पादन (लाख किलोग्राम)	मांस उत्पादन (लाख किलोग्राम)
2016–17	16.52	41.19	2.84	3.38
2017–18	17.42	42.69	2.84	3.61
2018–19	17.92	45.12	2.85	4.53
2019–20	18.48	47.68	2.60	4.87
2020–21	11.94	32.01	1.17	2.16
2021–22	22.54	50.67	2.20	5.00

स्रोत: पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।

चार्ट–10.2

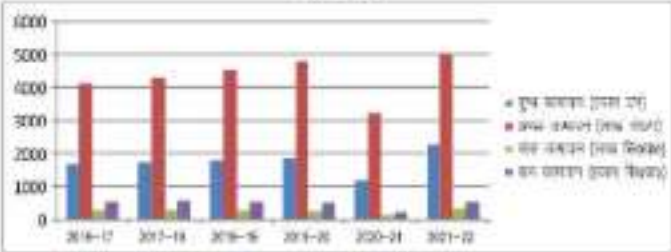

स्रोत: पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।

तालिका सं0 10.3
राज्य का देश के उत्पादन में अंशदान

क्र0 सं0	आखेटन	अंशदान				राज्य का क्षेत्र (प्रतिशत)
		2019–20	2020–21			
		अप्रत्याशित	प्रत्याशित	रैंकिंग हासिल की	स्थिति	
1	दुग्ध उत्पादन (टन में)	1761	1845	1931	1804AC	3.91
2	अण्डा उत्पादन (संख्या में)	4832	4702	1096	1143821	3.42
3	ऊन उत्पादन (किग्रा में)	552	607	1514	36751	1.36
4	मीट उत्पादन (हजार टन)	28.20	20.30	4.70	6999.00	3.20

स्रोत: पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।

कोविड–19 के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों में विशेष प्रयास

- राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाकर मॉनेटर अधिकारी की तैनाती ।
- दुग्धालय एवं अन्य 10,488 पशुपालकों (पशु चिकित्सा व्यक्ति) का निःशुल्क बिमा कराया।
- पशु आहार उद्यम– मैदान मौसम, हरा चारा, सूखा चारे के रेट कन्ट्रोल किये गये।
- 27874 पशुपालकों, फील्ड स्टाफ तथा पशुओं के बारे हेतु सिलटरन।
- निर्धारित स्थान (Dispt) पशुओं हेतु 1.97 लाख पोजन किट (डेटी, ड्रेट) की व्यवस्था की गई।
- निर्धारित 4.3 पशुओं हेतु 1.51 लाख पशु आहार (भूसा, चोकर) की व्यवस्था की गई।
- **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रिवर्स पलायन के अन्तर्गत लौटे प्रवासियों को पशुपालन व कुक्कुट पालन हेतु प्रोत्साहित करने के लिये पशुचिकित्सा अधिकारियों द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है।**

10.1.3 अतिरिक्तीकृत वीर्य उत्पादन– वर्ष 2021–22 में 31 मार्च तक के लिए निर्धारित 15.00 लाख वीर्य स्ट्रा उत्पादन लक्ष्य के सापेक्ष वास्तविक उत्पादन 11.93 लाख वीर्य स्ट्रा का उत्पादन उपरी हुए 16.10 लाख वीर्य स्ट्रा का वितरण किया गया।

10.1.4 जिन वर्गीकृत वीर्य (सेक्स सॉर्टेड सीमन) उत्पादन– वर्ष 2021–22 तक के लिए निर्धारित 0.80 लाख वीर्य स्ट्रा उत्पादन लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान में 2.37 लाख वीर्य स्ट्रा के सापेक्ष 3.57 लाख वीर्य स्ट्रा का वितरण किया गया।

पशुपालन व्यवसाय में सफल प्रयोग

जनपद चंपावत में आजीवी तथा प्रगतिशील डेयरी कृषक श्री हरीशचंद्र नौटियाल, ग्राम श्री सात नौटियाल हर्षमान में अनेकों युवाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत है। इनकी डेयरी सात बछड़ोत, आजी । नौ डेयरी, डोईफार्म, चंपावत में स्थित है। वर्तमान में इनके पास कुल 46 पशु है, जिनमें उच्च नस्ली गौ 33 गाय, 13 बछड़िया है। जिनसे दुग्ध उत्पादन लगभग 200 लि0प्रति/प्रतिदिन है। श्री नौटियाल की डेयरी उच्च तथा दुग्ध संग्रहण का कार्य लगभग 10–15 वर्षों से नटिया सहा सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। श्री नौटियाल जी की प्रेरणा से ही नटिया सहा सहायता समूह द्वारा दुग्ध विपणन का कार्य भी किया

जा रहा है। प्रारम्भ में यह कार्य श्री नौटियाल जी द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जाता था, परन्तु अब डेयरी के लाभों को एक भरा-पूरा परिवार देने हुए पूरा राज्य ही बना दिया है। खास तौर श्री नौटियाल की कई दलित श्री की आर्थिकी उन्नयन का प्रेरक है। श्री नौटियाल जी द्वारा डेयरी के कार्य के प्रशंसा स्वरूप उन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड के सहयोग से वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजनान्तर्गत कुल लागत ₹ 1.50 लाख की एक मादा पोटरी दुधेल को स्थापना की नौटियाल जी द्वारा की गई जिसके पश्चात से आज-तक के लाभों के गतिशी रेखा से नीचे तथा अनुसूचित जाति के परिवारों को सोचनान्तर्गत मुख्य विशेषित किये जाते हैं। भारत सरकार की पैरामाईक्रोफीनेंस योजनान्तर्गत श्री नौटियाल जी द्वारा एक अद्वाहकीय सिलिंग इकाई की स्थापना की गई है, जिसमें सम्बन्ध के विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जाता है। श्री नौटियाल जी द्वारा विभिन्न प्रकार के अचार, मरिल, टमाटर सिरकाई आदि का व्यवसाय किया जाता है। आपने सभी जानकारी का विश्लेषण श्री नौटियाल जी द्वारा चलाये ट्रेड मार्क के नाम से ऑनलाईन तथा ऑफलाईन किया जा रहा है। श्री नौटियाल जी द्वारा स्वरोजगारी योजना निर्माण में लगे के माध्यम से बेरोजगारों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। श्री नौटियाल जी अन्तर्गतया पशुपालकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे पशु पालकों के कठोर श्री अन्य पशुपालक डेयरी उद्योग के कार्य को करने के लिए आगे आते हैं।

10.2 दुग्ध विकास (DAIRY DEVELOPMENT)

डेरी विकास विभाग द्वारा दुग्ध उत्पादन को स्वरोजगार के रूप में स्थापित करने, ग्रामीण क्षेत्र पर पलायन रोकने तथा उत्पादकता के अतिरिक्त विकास में मशिनकरी की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने एवं डिलिवरी भूमिकाएं, लघु एवं सीमान्त कृषकों व दुग्ध उत्पादकों को विभिन्नियों के प्रशिक्षण से जुड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि करने हेतु तकनीकी विषय जानकारी उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, विस्तारी दल एवं ग्रामीण पशुचिकित्सालय, पशुधनपाल एवं पशु विकास सम्बन्धी सेवायें ग्राम स्तर पर उपलब्ध की जा रही हैं।

10.2.1 डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के माध्यम से संचालित की जा रही योजनाओं का विवरण:

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में नई दुग्ध समितियों के गठन हेतु महत्वपूर्ण तकनीकी विषय कार्यक्रम पशु औषधि, डिवार्मिंग एवं पशुचिकित्सा, अल्पावधीय पशु चिकित्सा, पर्यवेक्षण इकाई एवं दुग्ध समितियों में अवसंरचना विकास कार्यक्रम सम्मिलित है। नई दुग्ध समितियों के गठन हेतु पहाड़ों के आंगनों प्रत्येक समिति के लिए प्रथम वर्ष में ₹ 70,000, द्वितीय वर्ष में ₹ 12,000 एवं तृतीय वर्ष में ₹ 5,000 तथा कुल ₹ 80,000 होगी। पशु औषधि, डिवार्मिंग एवं पशुचिकित्सालय के अंतर्गत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान की धनराशि का निम्नवत् प्रावधान किया गया है–

(3.1) पशु औषधि – ₹ 150.00 प्रतिपशु।

(3.2) डिवार्मिंग – ₹ 02.00 प्रतिपशु।

(3.3) पशुचिकित्सालय – ₹ 23.00 प्रतिपशु।

अल्पावधीय पशुचिकित्सा एवं पर्यवेक्षण इकाई के अंतर्गत वर्तमान में देहरादून में 858, उत्तरकाशी जनपद में 980, पौड़ी में 82, रुद्रप्रयाग में 31 व टिहरी में 01 इकाई स्थापित की गयी है।

तालिका सं॰ 10.4
दुग्ध समितियों की संख्या (मार्च मार्च, 2022 तक)

क्रमांक	जनपद का नाम	जनपदवार दुग्ध समितियों की संख्या	जनपदवार महिला दुग्ध समितियों की संख्या
1	गिरिखाल	677	132
2	आनन्दित नगर	458	112
3	डालीखेत	348	98
4	अरोखल	53	36
5	सिरिखण्ड	221	106
6	रामखाल	104	74
7	देवदूत	256	90
8	रुद्रिपुर	254	90
9	हिल्ली	58	58
10	उत्तरकाशी	56	56
11	जयेंती	74	106
12	गढ़वान	40	60
13	पौड़ी पहाड़ी	107	80
	कुल योग	2828	1248

स्रोत– दुग्ध विकास उपनिदेशक

दुग्ध संग्रह एवं मूल्य परिदाय निर्बाध हेतु दुग्ध समितियों को निःशुल्क मृदु दाहसम्म कराने हेतु बेहतरी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में क्रमशः ₹ 4.65 लाख प्रति, ₹ 5.15 लाख प्रति तथा ₹ 5.15 लाख प्रति, ₹ 5.65 लाख प्रति इकाई निर्धारित है।

10.2.2 डेरी विकास योजना – चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹ 370.00 लाख बजट प्रावधान के सापेक्ष दिसम्बर तक ₹ 205.424 लाख की वित्तीय व्यवस्थिति प्राप्त हुई है।

(i) **महिला डेरी विकास योजना**:–

• राज्य सेक्टर में महिला डेरी विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹ 406.180 लाख के बजट प्रावधान के सापेक्ष दिसम्बर तक ₹ 435.880 लाख की वित्तीय व्यवस्थिति प्राप्त हुई।

(ii) दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरण– इसी अन्तर्गत विभिन्न दुग्ध संघों में अवस्थापना सुविधा में वृद्धि करायी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु ₹ 70.00 लाख बजट प्रावधान के सापेक्ष दिसम्बर तक ₹ 70.00 लाख की वित्तीय व्यवस्थिति प्राप्त हुई है।

(iii) दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना:–

• प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु दुग्ध उत्पादकों को 6.00 प्रतिशत एसएनएफ एवं 3.5 प्रतिशत वसा इससे अधिक की गुणवत्ता का दूध देने वाले समिति सदस्यों को ₹ 4.00 प्रति लीटर तथा 7.50 से 7.99 प्रतिशत एसएनएफ की गुणवत्ता का दूध देने वाली समिति सदस्यों को ₹ 3.50 प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करायी जाती है।

• दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹ 2,479.401 लाख बजट प्रावधान के सापेक्ष ₹ 2400.00 लाख की वित्तीय व्यवस्थिति प्राप्त हुई।

तालिका सं0–10.5

वर्ष 2021–22 एवं मार्च, 2022 एक औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन का विवरण (किग्रा में)

क्र सं	संघ का नाम	मार्च	पी	मई	जुलाई	सितं	दिसंबर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	कुल
1	[illegible]	5758	5813	5188	5248	5511	6285	6361	6484	5972	5445	5832	14175
2	[illegible]	3542	3418	3479	3237	3741	4181	3951	3179	3240	3539	3856	9518
3	[illegible]	3014	3011	3111	3013	3021	3414	3501	3313	3197	3108	3155	7591
4	[illegible]	728	681	701	721	758	928	795	783	731	701	803	1832
5	[illegible]	478	476	518	519	544	576	561	555	485	508	551	1318
6	[illegible]	1014	1122	1087	1048	1091	1110	1153	1108	1081	1027	1111	1992
7	[illegible]	4214	4048	4186	4411	4481	4486	4451	4481	4410	4104	4450	10814
8	[illegible]	1029	979	1085	997	1116	1181	1201	1208	1074	1005	1049	2531
9	[illegible]	751	691	743	715	831	1111	1041	995	1031	917	931	1974
10	[illegible]	224	228	238	201	251	312	307	1012	1251	1208	1107	1811
11	[illegible]	1018	1011	1041	1111	1111	1181	1151	1151	1042	1014	1011	1018
12	[illegible]	318	311	338	311	311	121	211	221	211	211	211	311
13	[illegible]	618	711	1041	1011	1011	1151	1141	1191	1151	1121	1171	1211
	कुल योग	21123	19888	20817	20531	19921	31336	19999	19933	11231	21961	22811	28231

नोटः– दुग्ध विवरण उपलब्ध।

(4) मंगला गाय महिला डेयरी योजनाः

➢ मंगला गाय महिला डेयरी योजनान्तर्गत प्रदेश में पंजीकृत समस्त एवं कार्यरत ग्रामीण दुग्ध समितियों की महिला सदस्यों को एक दुधारू गाय क्रय हेतु बैंक ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹ 333.00 लाख की धनराशि विमोचित किया गया है, जिससे 526 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित है। साथ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु लाभार्थी को पशुओं के लिये विशेष सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

➢ योजनान्तर्गत ऋण की राशि दुधारू गाय का दाम एवं उसे पशु बीमा कराने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

➢ योजना की अभी प्रगति लाभार्थ निम्नवत है– (लाभार्थी ₹ में)

तालिका सं0–10.6

क्रम सं0	विवरण	दुधारू पशु की संख्या	इकाई की लागत	अनुदान की धनराशि	बैंक ऋण की राशि	लाभार्थी योगदान
1.	मुर्राहोलस्टीन	1	40,000	20,000	20,000	0
2.	मुर्राहोलस्टीन	1	2800	1400	0	1400
3.	दुधारू पशु का बीमा वर्ष का बीमा	1	1400	982	0	518
4.	खनिज/पशिमा टेट अनुदान	1	2000	2000	0	0
5.	दुधारू पशु हेतु छाजे शेड आदि	1	5280	2640	0	2640
	योग–	1	52000	27000	20000	5000

नोटः– दुग्ध विवरण उपलब्ध।

(5) दुग्ध संघ के कर्मियों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाः

• प्रदेश में पहले से चल रहे दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के कर्मचारियों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की गयी है। योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष में 22 लाभार्थी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की गयी, जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में सेवानिवृत्त कर्मियों के देयकों के भुगतान हेतु ₹ 50.429 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है।

10.2.3 केन्द्र पोषित योजनाः

(1) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (100 प्रतिशत केन्द्रांश)

• योजनान्तर्गत वर्षवार विकास द्वारा लाभान्वित की धनराशि और लाभार्थी संख्या को उपलब्ध कराई जाती है।

(3) राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना

• डेयरी विकास विभाग, पूर्वी गंगानगर, बागेश्वर द्वारा प्रदेश में डेयरी विकास हेतु ब्रीडिंग-खरीद खाद्यान्न उपलब्ध करायी जाती है। अवस्थापना लेयरी कार्य हेतु 50.00 प्रतिशत तथा दुग्ध समितियों के गठन, संचालन, प्रशिक्षण तथा अन्य तात्कालिक निवेश आवश्यकों हेतु 100 प्रतिशत की दर से अनुदानित खाद्यान्न उपलब्ध करायी जाती है। वित्तवर्ष-वर्षीय वर्ष 2021-22 में ₹ 52.500 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

10.3.4 वर्ष 2021-22 की उपलब्धियां:– उत्तराखण्ड राज्य में दुग्ध सहकारिता क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष में 13 जनपदों को आच्छादित कर लिया गया है और इस हेतु 11 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (10 जिलों जिले वर्ष हैं) दुग्ध सहकारिता की शीर्षस्थ एजेन्सी के रूप में व्यावसायिक सहकारी डेयरी फेडरेशन का भी गठन किया गया है।

• वर्ष 2021-22 में निर्धारित लक्ष्य 3423 के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2021 तक 2541 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां गठित की गई। इन दुग्ध समितियों से निर्धारित लक्ष्य 1,85,789 के सापेक्ष 1,54,111 सदस्य से 1,01,165 लिटर/दिन औसत दैनिक दुग्धाच्छादन किया गया तथा ही विभिन्न दुग्ध संघों द्वारा इन वर्ष काल में सामूहिक लाभार्थियों को 23150 लीटर की निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 102973 लीटर औसत दैनिक तरल दुग्ध बिक्री किया गया।

(1) डेयरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड की उपलब्धियां एक दृष्टि में–

- शिल्क कोऑपरेशनेशन के अन्तर्गत तरल दुग्ध पिटामिन ए और डी मिलाया जाता है, इससे दूध की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, जो स्वास्थ्य के स्वास्थ्य से लिए लाभदायक है।
- 11 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ गठित एवं कार्यरत।
- 16 दुग्धशालाएं, जिनकी दैनिक क्षमता 2.55 लाख लीटर प्रतिदिन।
- 46 दुग्ध अवशीतन केन्द्र, जिनकी क्षमता 1.25 लाख लीटर प्रतिदिन।
- 103 मैल्टर क्षमता की चाकलेट रहित (अनफिट नगर) में स्थापित।
- 140 दुग्ध शालें एवं 4,011 दुग्ध सहकारी समितियां गठित एवं कुल 2596 कार्यरत, जिनमें 1,02,481 सदस्यों तथा 62,007 पंजीकृत दुग्ध उत्पादकों की भागीदारी।
- माह दिसम्बर, 2021 में औसत दैनिक दुग्धाच्छादन 1,03,006 लिटर/दिन एवं वर्तमान सहकारी वर्ष में दिसम्बर, 2021 तक औसत दैनिक दुग्धाच्छादन 1,03,006 लीटर/दिन।
- माह दिसम्बर, 2021 में औसत तरल दुग्ध बिक्री 1,58,045 लीटर एवं वर्तमान सहकारी वर्ष में माह दिसम्बर, 2021 तक औसत दैनिक तरल दुग्ध बिक्री 1,58,045 लीटर।
- माह दिसम्बर, 2021 तक कुल 1013 पैरा एन औषधि पशुउपचार की बिक्री।

(2) माह दिसम्बर, 2021 तक की उपलब्धि:–

सक्रिय समितियां–	2596
सदस्यता–	102481
दैनिक दुग्ध उपार्जन (लिटर)–	103006 लिटर
प्रति समिति औसत दुग्ध उपार्जन–	75.8 लीटर
दैनिक तरलित दुग्ध विक्रय (लि.)	158045 लिटर
पशु उपचार विक्रय (पैकेट)	1013 पैकेट
पंजीकृत पशु चिकित्सा संस्था/चिकित्सिक–	27654 / 2552

10.3 मत्स्य (Fisheries)—

उत्तराखण्ड राज्य में औसतन 10 प्रतिशत जनसंख्या मत्स्याखेटन हेतु नदी एवं झीलों पर आश्रित है। मत्स्य पालन एवं पशुपालन, डेयरी, कृषि आदि पर निर्भर करती है। मत्स्यिकी क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से अत्यन्त महत्वपूर्ण रूप से आजीविका और सामाजिक रूप से सम्बन्धित है, जो पानी और संसाधन सुरक्षा का एक-एक गलकों की अधिक संख्या और पनाई में योगदान दे रहा है। राज्य में स्थानीय पहाड़ एवं इसके चारों ओर जनपदवार जलाशयों के रूप एवं वेहतर जलाशयों के रूप में सम्मिलित हो चुके हैं एवं इस क्षेत्र की सम्भावनाओं के दृष्टिगत पर्याप्त मात्रियों का महत्वपूर्ण मात्रियों क्षेत्र की ओर रुद्ध रहा है। राज्य में मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध जल क्षेत्रों को उपयोगिता मात्रियों के रूप में 2686 किलोमीटर, टूराट जलाशयों के रूप में 20887 हेक्टेयर, डाबूलित क्षेत्रों के रूप में 297 हेक्टेयर तथा तालाब/टैंक एवं पोखरी के रूप में लगभग 900 हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है, जिनके मात्रियकी दृष्टिकोण से वर्गीकृत उपयोग हेतु विभाग द्वारा विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं।

मत्स्य विकास – एक दृष्टि

क्रम सं0	मद	इकाई	संख्या/ उपलब्धि
1.	अनुमोदित जलाशय	संख्या	13
2.	मत्स्य ब्रूडर/हैचरीज केन्द्र	संख्या	12
3.	राज्य स्तरीय वर्ग हुड फैन	संख्या	01
4.	राज्य स्तरीय ट्राउट हुड फैक	संख्या	01 (टिहरीगढ़वाल)
5.	मत्स्य अनुसार पीट मिल	संख्या	03
6.	मत्स्य पालन विकास अधिकारी	संख्या	01
7.	राज्य स्तरीय ट्राउट फेडरेशन	संख्या	01
8.	जनपद स्तरीय फेडरेशन	संख्या	01
9.	मत्स्य सहकारी समितियाँ	संख्या	03
10.	मात्रियों की लम्बाई	किलोमीटर	2686
11.	कुल जलाशय	संख्या हैक्टेयर	87 20887
12.	क्रीक	संख्या हैक्टेयर	01 297
13.	तालाब/टैंक एवं पोखरी के संख्या/ पोखर/निजी तालाब	हैक्टेयर	879.79
14.	ट्राउट पोखर	हैक्टेयर	870
15.	मत्स्य अवतरण मात्रियों अनुमानित	मैट्रिक टन	9367.40
16.	मत्स्य पालन में संलिप्त व्यक्ति	संख्या	11024

10.3.1. वर्ष 2020-21 में विभाग द्वारा प्रस्तुत नवोन्मेषी (Innovative) योजना का विवरण – मात्रियकी क्षेत्र की सम्भावनाओं के दृष्टिगत वर्ष 2021-22 में मत्स्य संभाग द्वारा मात्रियकी क्षेत्र के विकासार्थ हेतु "पहाड़ी मत्स्य खण्ड योजना" मार्डल के अन्तर्गत कुल धनराशि ₹ 174.

40 करोड़ के प्रोजेक्ट स्वीकृत हुये हैं, जिनमें फोन्जोली कार्य के तहत मैसेलाटार से 8 वाइफ्लाइन्ड, मालव सेवा केन्द्र की स्थापना, 1 कम्पोजिट स्प्लिटर यूनिट की स्थापना, पैसिवेन्टल डिवाईस, नीडल लेमिनेट सेंटर की स्थापना जैसी योजनायें शामिल की गयी हैं। मुख्यमंत्री ग्राम्य कुटीर विकास योजना के अन्तर्गत निर्गत क्षेत्र में दो एवं ट्रक की व्यवस्था करायी गयी, जिसके फलस्वरूप निर्गत क्षेत्र में तुलसा मालव बीज उत्पादन दर कार्य प्रारम्भ हुआ एवं उक्त वर्ष में ₹ 2.20 लाख मालव बीज का विक्रय 31 मार्च, 2022 पर्यन्त किया गया। अन्नपूर्णा सदाबहार के मालपुरी में स्थापित किये जा रहे मूल बैच में दुर्घटनावश ज्वलनीय आवरित द्वारा इन्सुलेशन क्षतिग्रस्त करते हुए उत्पादन कार्य प्रारम्भ कराये गये।

राज्य में सब्जियों की विपणन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु मंडल वन निगमित किये जाने के उद्देश्य से 22 रेग्यूलेटेड मार्केट्स की स्थापना की गयी।

राज्य में दुग्ध सहकारिता को निडाय हेतु पैसिव हॉस्पिटल "दुग्धसरिता" का व्यापक प्रचार-प्रसार के अन्तर्गत अन्नपूर्णा देवकपुर में 22 दिवसीय फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। साथ ही खाद्यान्न क्षेत्र के अन्तर्गत 05 आउटलेटों को फ्रेंचाईजी मोडल में स्थापित कराया गया है।

10.3.2. वर्ष 2021–22 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभिकार्यों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सृजित रोजगार सृजन का विवरण

दिनांक 31 मार्च, 2022 तक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभिकार्यों से लगभग 620 हजार जबकि 1670 लाखार रोजगार पृजित होगें।

10.3.3. वर्ष 2021–22 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभिकार्यों के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों एवं समस्याओं का विवरण — राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण समय–समय पर होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण महत्वाकांक्षी योजनाओं तथा लक्ष्य करना की क्षति हो जाती है, परन्तु लक्ष्य पाने के हुई कमी के संबंध में विभागीय क्षेत्र का बीज उत्पादन न होने से वार्षिक मूल्यांकन प्रभावित होता पाये जा रहे हैं। इस समस्या के निवारण हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में नवीन योजना प्रस्तावित हेतु प्रेषित की गयी है।

पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि के छोटे–छोटे तथा बिखरे होने के कारण मालव उत्पादन कम सीमित है, जिस कारण मार्केटिंग सिस्टम व्यवस्था तैयार किये जाने में कठिनाई महसूस हो रही है, जिसके दृष्टिगत सहकारिता के माध्यम से उत्पादन आधारित कार्यक्रम हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं तथा सहकारिता को मजबूत किये जाने हेतु एकीकरीकरण हेतु योजना प्रस्तावित की गयी है।

मालव विभाग अन्तर्गत कुल 210 पदों का ढांचा स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष मात्र एक अधिक स्तर पर कर्मियों की पदस्थापना न होने से विभाग कार्यों का संचालन तथा प्रगति की अनुश्रवण करने में व्यवहारिक कठिनाईयाँ उत्पन्न हो रही है।

तालिका 10.10.7
उत्तराखण्ड में जनपदवार मालव एवं मालव बीज का उत्पादन

वर्ष	मालव उत्पादन (हजार मैट्रिक टन)	मालव उत्पादन का मूल्य (लाख रु में)
चालसवाड़ी	93.542	2853563
धनोटी	140.285	387.43773
टिहरी गढ़वाल	85.520	1818770
देवकपुर	265.59	390.1205
यौवी गढ़वाल	13.030	83.9914

[illegible]	44.17	1128130
हरियाणा	1434.89	1636235
गढ़वाल मण्डल	2014.692	8361.32258
सिंचाईगढ़	98.104	152.0236
[illegible]	54.43	62.6945
मैसिडोन	52.081	61.04315
[illegible]	48.152	1086823
[illegible]	30.315	42.69225
[illegible]	2921.345	3331551.20
[illegible]	3052.798	3796.58715
[illegible]	5307.488	6613.6897

[illegible]- [illegible]

वर्ष 2021–22 में राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय तथा उत्पादन के संवर्द्धन हेतु नये निवेशों तथा तकनीकी तथा नवाचारों (Investment, Technology and innovations) हेतु किये गये प्रयास का विवरण– गायत्री नित्य एकीकृत योजना के माध्यम से जनपद सिंहीगढ़ में कॉल ड्राइट हैबी स्थापित करायी जा रही है।

महा सहयोग से सिंहीगढ़ डालीखाल में अन्तर्गत सिंहीगढ़ सिंधि में जल राजों के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य द्वारा जनपद सिंहीगढ़ मंत्र नदी के अन्तर्गत । लाख क्विंटलिंग आकलन के सलंग बीज का संचय किया गया।

पुलिस से पर्यटन के प्रोत्साहन हेतु जनपद पौड़ी के अन्तर्गत पुलिस महकमा का आयोजन किया गया, जिसमें कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त संसाधन एवं संवर्द्धन हेतु जनसामान्य को जागरूक किया जा सके।

राज्य के वाहिनियों जिसमें एसडीआरएफ को सक्षमतित के माध्यम से सिंहीगढ़ करने हेतु केन्द्रीय सेक्टर सुरक्षा सहायतित एकीकृत योजना के अन्तर्गत मजबूत बेस के विकास हेतु विभिन्न एसडीआरएफ के जवानों से एसडीएम सेवी में कलस्टर अधारित 'दुलहर खतौनी प्रशिक्षण' दो माह पहले ही प्राप्त हो गया है, जबकि राज्य के पैदावी जनसंख्या हरिहर से मेनर और खतौनि, एसडीएम खतौनि, सम्बन्धित मनन्त्र संबंध जैसी कार्यशालाओं के माध्यम से सिंहीत मजूरा समुदाय की समितियों को लाभ प्राप्त हो रहा है।

रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के तहत सिंहीगढ़ क्षेत्र में नवीन तकनीकी आधारित एवं मार्केटेबल यूनिटों को राज्य में स्थापित किया जा रहा है।

रोजगारोन्मुखी सिंधि के तहत ही प्रायमिता तौर पर एक दुलहर आधारित यूनिट की स्थापना राज्य में करायी जा रही है।

एसडीएम जैसी राज्य बुद्धि पर सभी सहय इकाईयों से पंजीयन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे युवकों को सभी योजनाओं से अधिक जानकारी एवं लाभ प्राप्त हो सके।

उन्नत दुलहर खतौन बीज की उपलब्धता हेतु गढ़ दिसम्बर, 2021 में जैलखों से 36 लाख दुलहर सहय बीज का आवंटन किया जा रहा है।

अध्याय 11
वन तथा पर्यावरण
Forest and Environment

उत्तराखण्ड राज्य में अनेक ऐसे सतत् प्राकृतिक संसाधनों जैसे - खनिजों, वन, भूमि, जल तथा वन्यजीव संसाधनों का प्रचुर भण्डार है। प्राकृतिक परिवेश राष्ट्रीय सम्पदा एवं अमिट अंग है, जो राज्य के साथ ही सभी आवासी तथा इकोसिस्टम सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करता है। राज्य में 38033 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 71 प्रतिशत है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जड़ी-बूटियों के विविधिय उच्च कोटि के भाल, चीड़, देवदार, फर, सुरम्य एवं ओक आदि के वन है जिनमें विभिन्न प्रकार की वन्यजीव वास करते है। महत्वपूर्ण वन्यजीवों में बाघ, तेंदुआ, हाथी, कस्तूरी मृग, "लाल तैमर" आदि एवं विभिन्न प्रकार के पक्षी, सरीसृप, उभयचर, कीट-पतंगे आदि शिकार है। वन्यजीवों के संरक्षण हेतु प्रदेश में 6 राष्ट्रीय पार्क, 7 वन्यजीव विहार उपलब्ध है, जहाँ वन्यजीवों एवं पक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2020 की हाथी गणना के अनुसार हाथियों की संख्या 2026 है तथा वर्ष 2019 की भारतीय वन्यजीव संस्थान-इन्डी.डी.ए. की गणना के अनुसार उत्तराखण्ड में बाघों की संख्या 442 हो गयी है।

वर्तमान राज्य के सकल घरेलु उत्पाद में इस वन क्षेत्र का योगदान वर्ष 2019-20 में लगभग 1.39 प्रतिशत है, संकलनीय जिसके आधार के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 के वन एवं पर्यावरण विभाग को रखा गया है जिसमें वर्ष 2020 तक 40624 लिमीटेड फॉरेस्ट एवरेज निर्धारण का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य में प्रतिवर्ष ग्रीन में आच्छादित क्षेत्रफल की स्थिति मुख्य बजट तथा सकल घरेलु उत्पाद के प्रमुख घटक संख्या-11.1 में दर्शायित है। वर्ष 2004-05 से वर्ष 2020-21 तक वन क्षेत्र में बजट आवंटन कुल बजट का 1.05 प्रतिशत से 3.68 प्रतिशत के मध्य रहा है। विभिन्न वर्षों में बजट आवंटन में उच्चतर-न्यूनतम स्तरों को दिखाते है, जबकि वन क्षेत्र में आच्छादित बजट पीएलएसडीपी का 0.28 प्रतिशत से 1.05 प्रतिशत के मध्य रहा है।

चार्ट संख्या 11.1

11.1.1 वनों की वर्तमान स्थिति— उत्तराखण्ड में विभिन्न एवं प्रशासन की दृष्टि से वनों को मोटेतौर आरक्षित वन (पूर्णतया वन विभाग के आधीन), विनिर्दिष्ट पंचायत वन (पूर्णतया राजस्व विभाग के आधीन), पंचायती वन (ग्राम पंचायतों के आधीन), सेन्टलमेन्ट वन (सेन्ट के आधीन), व्यक्तिगत वन (व्यक्तियों/किसानों के आधीन) तथा निजी वन (निजी भूमि धारियों के आधीन) है।

तालिका 11.2
इंडेक्स के मुख्य भौगोलिक आंकड़े

(अ)	उत्तराखण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	53,483 वर्ग किमी.
(ब)	उत्तराखण्ड में अधिसूचित कुल वन क्षेत्र	37,999.80 वर्ग किमी.
	i. वन विभाग द्वारा प्रशासित वन क्षेत्र	25,863.59 वर्ग किमी.
	ii. राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित वन क्षेत्र	4,788.734 वर्ग किमी.
	iii. अन्य संस्थाओं द्वारा प्रशासित वन क्षेत्र	7,148.932 वर्ग किमी.
	iv. निजी/अन्य संस्थाओं द्वारा प्रशासित वन क्षेत्र	188.444 वर्ग किमी.
(स)	भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष अधिसूचित वन क्षेत्र	71.05 प्रतिशत
(द)	**Forest Cover in the Uttarakhand-2021 Assessment (India State of Forest Report-2021)**	**24,305 वर्ग किमी.**
(य)	भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनाच्छादित क्षेत्र	45.43 प्रतिशत

स्रोत: उत्तराखण्ड पुनरीक्षण 2017-18 के अनुसार

तालिका 11.3

संवेदनशीलता	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमी)	कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत
अति संवेदनशील	49.21	0.23
उच्च संवेदनशील	757.92	3.12
अधिक संवेदनशील	4070.08	16.75
मध्यम संवेदनशील	5887.73	24.22
कम संवेदनशील	13540.09	55.71

ISFR – India State of Forest Report, 2021

11.1.2 अग्नि संवेदनशील वन भूभाग :– तालिका 11.2 के अनुसार इण्डेक्सकोई 2021 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पेड़ों वनों का क्षेत्रफल 24,305 वर्गकिमी तथा 45.43% है। जबकि 4077.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इससे प्रभावित है। यानी 49.21 वर्ग किलोमीटर ऐसा भाग है, जिसमें विशाल से अति संवेदनशील श्रेणी में है।

11.1.3 वृक्षारोपण नीति 2016– विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे वृक्षारोपण की गुणवत्ता एवं एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु वृक्षारोपण नीति प्रतिपादित की गयी है जिसमें मुख्य रूप से रोजगार एवं आय परक वृक्ष प्रजातियों के रोपण, जल एवं मृदा संरक्षण तथा हिमी विलायती (क्रीपर्स) के रोपण पर बल दिया गया है। जिसके तहत वर्षों से वन विभाग की वृक्षरोपण की उपरोक्त तिन प्रकार रहे।

तालिका 11.4

भुगतान (हैक्टेयर में)		
वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2008–09	21,700.00	20,727.09
2009–10	20,000.00	20,040.09
2010–11	10,561.00	10,561.09
2011–12	17,245.00	17,029.09
2012–13	13,012.00	13,030.09
2013–14	16,571.00	16,580.79
2014–15	16,000.00	17,484.59
2015–16	16,000.00	17940.20
2016–17	17268.30	18,281.31
2017–18	18755.30	21007.20
2018–19	19578.30	22713.00
2019–20	21008.30	21905.30

स्रोत– उप निदेशक, आयोजना शाखा

11.1.4 वन पंचायतें :– उत्तराखण्ड राज्य में वन पंचायतें ब्रिटिश काल से उत्तराखण्ड के लोगों के जीवन के साथ जगल का इस तरह से रचा गया हिस्सा हुई थी। आजादी से पहले लोगों ने जगल को बचाने की खातिर संघर्ष किया और लोगों के जगल अपने–अपने ढग से बचाने की कला थी। उत्तराखण्ड के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने फॉरेस्ट सैटलमेंट कमेटी बनाई। इस कमेटी की रपटों पर इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की धारा 28(2) के तहत, वन पंचायतों का गठन शुरू किया गया था। वर्तमान में 11 जनपदों में वन पंचायत अधिनियम लागू है। अब तक 12167 वन पंचायतें गठित हैं। जिनके अंतर्गत 7326889 हैक्टेयर वन क्षेत्रफल है।

इसका मुख्य उद्देश्य वन पंचायतों के सम्बन्धित क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता विकास करना, इन पंचायतों में रोजगार मूलक एवं आय अर्जन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। फोकस्ड एरिया डिवेलपमेंट वर्ष 2007–08 से लिये ₹ 384.88 लाख से अब–तक आवंटन हो चुके हैं। 2022 तक ₹ 225.20 लाख का व्यय किया गया है।

11.1.5 ईको टूरिज्म एवं पर्यावरण आधारित पर्यटन– ईको टूरिज्म प्रकृतिक क्षेत्रों की ऐसी यात्रायात्री यात्रा है जो पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण, स्थानीय समुदाय की समस्याओं पर केन्द्रित हो एवं जिसमें शिक्षा की व्यवस्था हो। प्रदेश में छः राष्ट्रीय उद्यान, छः वन्य जीव विहार तथा 06 संरक्षण आरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में 14 ईको टूरिज्म पर्यटन विकास हैं। इन पर्यटन में मुख्य है–नामदेवी ईको पार्क, विनसर ईको पार्क (अल्मोड़ा), कोडिया ईको पार्क (टिहरी), लच्छीवाला नेचर पार्क, गोर डायर (ऋषिकेश), हिमालन बॉटेनिकल गार्डन (मैसोवाला), सत्यन गल (रुद्रप्रयाग), पौलो लुविना (अल्मोड़ा टाइगर रिजर्व), पौलीवी एवं हर्बल मेडिसिनल प्लांट (मैसोवाला)।

ऐतिहासिक पर्यटन में ईको पार्क (मुनस्यारी), कार्बेट म्यूजियम (कालाढूंगी), कार्बेट फॉल (कालाढूंगी), बद्रीनाथ (बद्रीनाथ), केदार में

आगंतुकों द्वारा ईको टूरिज्म गतिविधियों के अलावा अन्य जैसे साइकिल, कैनिंग, बर्ड वॉचिंग, ट्रेकिंग, ट्रेनिंग, नेचर कैंप, मरुस्थलीय कैंपिंग आदि की जाती है। आवेदित उन क्षेत्रों में विकास गतिविधियों में भी कमी संज्ञान में आई है जिसके द्वारा पर्यटकों की सुरक्षा एवं आनन्द लिया गया है। प्रदेश में ईको टूरिज्म गतिविधियों के संचालन से कुल ₹11.38 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ जिसमें से संरक्षित क्षेत्रों में स्थित गतिविधियों से ₹12.00 करोड़ तथा शेष ₹ 9.38 करोड़ असंरक्षित वन क्षेत्रों से प्राप्त हुआ।

11.1.6 प्रवीण ईको–पर्यटन योजना :– राजस्थान को पर्यटन प्रदेश के रूप में भारत में ही नहीं विश्व में भी जाना जाता है। जिससे ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु प्रवीण ईको–पर्यटन योजना प्रारम्भ की गयी जो कि पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। परन्तु वन वर्ष के अन्त–अन्तराल प्रावधानों तथा उपलब्ध राशि आय की स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि इन महत्वपूर्ण योजना एवं अवैध खनन नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जिसके द्वारा खान प्रदेश की व्यवस्थित रूप से सुनिश्चितता में किया जा सके। जबकि वित्तीय वर्ष 2020–21 में इस योजना में ₹ 3.01 लाख का आय–व्ययक प्रावधान है जो कि योजना की महत्ता को देखते हुए कम है।

11.1.7 वनों की सुरक्षा–सांख्यिकी रिपोर्ट, समस्या एवं समाधान– राजस्थान एक ईको की पहली पार्क एवं सीमा के साथ वन सम्पदा के संरक्षण को खतरे उत्पन्न हो गया है। वन संरक्षण को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारण– अवैध खनन तथा वन क्षेत्रों का अतिक्रमण है।

तालिका 11.5
वनों से अवैध खनन की विगत 10 वर्षों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	वर्ष	अवैध खनन के मामलों की संख्या	अवैध खनित खनिजों की मात्रा (घन मी.)	नकद जुर्माना की राशि (रु.में)
1	2009–10	1380	1317153	919445
2	2009–10	1736	2173.407	50247
3	2010–11	1282	1336.54	489.40
4	2011–12	1380	1331.31	478.37
5	2012–13	1736	2518.85	649.65
6	2013–14	1186	1359.68	414.74
7	2014–15	1086	1134.62	347.85
8	2015–16	1021	1134.01	349.57
9	2016–17	1124	915.585	326.74
10	2017–18	741	851.3133	334.40
11	2018–19	703	837.1741	340.1628
12	2019–20	648	913.83	314.23

स्रोत : वन विभाग, राजस्थान सरकार

11.1.8 अतिक्रमण— अतिक्रमण की समस्या विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी प्रमुख समस्या है। इस क्षेत्र की उच्च भूमि पठारयुक्त एवं कृषियोग्य होने के कारण इसे अतिक्रमित करने के प्रयास समय-समय पर होते रहते हैं। यद्यपि गम्भीर समस्या तब उत्पन्न होती है जब संरक्षित वन में बसने के लिये अतिक्रमण किया जाता है। इस क्षेत्र की उच्च भूमि में वीरांकलन एवं सीमा सत्यापन के साथ-साथ ही कभी, विभाग के पास उपलब्ध विभिन्न अभिलेखों एवं संसाधनों एवं अन्य विभाग वर्षों में अतिक्रमित भूमि का सर्वेक्षण द्वारा निष्पादितकरण, योजनाओं के लिए आवश्यकता से अधिक भूमि का हस्तान्तरण, खानों का केन्द्रीकरण आदि अनेक कारणों से उन भूमि में अतिक्रमण को बल मिला है। वर्तमान में अतिक्रमित वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

तालिका 11.6

क्र. सं.	परास	वर्ष 2016–17 में नया अतिक्रमण (है)	31 मार्च 2017 की स्थिति में अतिक्रमण का क्षेत्र (है)	31 मार्च 2018 की स्थिति तक कुल अतिक्रमण का क्षेत्र (है)	31 मार्च 2019 की स्थिति तक कुल अतिक्रमण का क्षेत्र (है)	31 मार्च 2020 की स्थिति तक कुल अतिक्रमण का क्षेत्र (है)
1	खुण्डई रेंज	0.00	8083.0345	8536.3262	8403.8242	9408.8242
2	राजेश्वर रेंज	0.0041	1226.2973	1522.5103	2324.6574	2284.21
3	बन्दलगु रेंज	0.00	5.0870	185400	73.3300	
	योग	0.0041	9524.4193	10047.4765	10891.8316	11785.0342

स्रोत: उप निदेशक, आदिलाबाद परास

11.1.9 वन सुरक्षा हेतु प्रयास— अवैध खनन, अवैध शिकार, अतिक्रमण एवं अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए वन विभाग ने कई कारगर कदम उठाए हैं। वन सुरक्षा हेतु चौकी व्यवस्था एवं गश्त कर्मियों को आग्नेयास्त्र उपलब्ध कराए गए हैं। वाहनों की व्यवस्था कर दी गई है। वन अपराध पर नियंत्रण के उद्देश्य हेतु मुखबिरों की नियुक्ति कर दी गई है। पूरे विभाग में एसएमएस नेटवर्क को व्यवस्था कर दी गई है। अवैध खनन पर नियंत्रण हेतु विशेष स्क्वॉड फ्लाइंग स्क्वॉड गठित कर दी गई है।

सरकार द्वारा वनाश्रितों को उन क्षेत्र की सुरक्षा हेतु मनरेगा की सहायता प्रदान की गई है जिससे सीमेंट खंभा लगाने का प्रावधानों की व्यवस्था पर रोक लगी है। अवैध खनन, अतिक्रमण तथा वन क्षेत्रों में शिकार जैसे अपराधों पर नियंत्रण रखने में विभाग अधिक सक्षम हुआ है।

11.1.10 महात्मा बन्धकीय संघर्ष शैक्षणिक योजना :– भारत सरकार/जिला प्रशासन के द्वारा वनों के संरक्षण से विशेष योजनाओं/सहायता के लिए "महात्मा बन्धकीय संघर्ष शैक्षणिक" नामक एक नई योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से वन क्षेत्रों को बन्धकीय हिंसा/अन्य आपराधिक घटनाओं से सुरक्षा के उपाय किये जाने हेतु छोटी सेवक दीवार, हाथी रोधक खाई तथा "सोलर–फेन्सिंग" के साथ साथ लगाए गये बन्दरों से सुरक्षा के उद्देश्य से बनाए बाड़ों का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष2021–22 के लिये ₹ 786.00 लाख के साथ–साथ अवशेष के लगभग रू 8 करोड़, 2322 तक ₹ 414.00 लाख का लक्ष्य निर्धारित पाया है।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में 3.0 किलोमीटर "सोलर–फेन्सिंग" एवं निर्धारित "एलीफेन्ट/अन्य बन्धकीय रोधी दीवार" का निर्माण किया किया गया है। वर्ष 2018–19 में इस योजना के अन्तर्गत 600 मीटर सोलर बाड़ निर्माण,

422 कि0 हाथी सुरक्षा खाई खुदान, 8.00 किमी0 सोर वायर रोड तार अनुरक्षण तथा 1.20 किमी0 हाथी एपी खाई खुदान एवं लम्बीकरण रेल में 280 किमी0 हाथी सुरक्षा कार्य किए गये हैं, वर्ष 2017–18 में 4.56 किमी0 सोलर फेंसिंग, 1.024 किमी0 हाथी सुरक्षा खाई खुदान 1.00 किमी0 हाथी सुरक्षा दीवाल, 3 किमी0 खाईयों का मरीमीलान, 10.01 किमी0 हाथी/वन्य प्राणीय हुल दीवाल का रखरखाव एवं 6.35 किमी0 एलीफेंट प्रूफ ट्रैंच व्यवस्थित कार्य किये गये, वर्ष 2018–19 में 2.8 किमी0 हाथी सुरक्षा खाई खुदान 2.00 किमी0 हाथी सुरक्षा दीवाल, 0.5 किमी0 खाईयों का मरीमीलान तथा कार्य किये गए तथा वर्ष 2019–20 में कार्य हाथ सिंहोर–2, एलीफेंट प्रूफ ट्रैंच 34.40 किमी0, सोलर फेंसिंग–20.22 किमी0, हाथी रोधी खाईयों का मरीमीलान– 24.80 किमी0, हाथी सुरक्षा दीवाल/खाई का अनुरक्षण कार्य –13 किमी0 तथा 2020–21 में कार्य उत्तराखंड 2021 तक एलीफेंट प्रूफ ट्रैंच–1.0 किमी0, सोलर फेंसिंग–6.5 किमी0, सोलर लाईट आरपा–20, सोलर पावर स्प्रिंकलर–21.25 किमी0, ट्रेंचिंग प्रूफ ट्रैंच मरम्मत–4 किमी0 कार्य किया है जबकि वर्ष 2021–22 के लिए भी विभिन्न मदों में कार्य परिप्रेक्षित है।

11.1.11 गूजर एवं अन्य प्रभावित पुनर्वास योजना: जंगलों में रात–दिन घोड़े गूजर समुदाय एवं गढ़वाली पी राक्षा में हो रही गिरफ्तार एजेंसी से कार्य पर जैविक दबाव बढ़ा है और उनी का द्वारा होने लगा है। इससे आस पास आसपास में की लेकसाम करने में भी समस्या उत्पन्न हो रही है। इस योजना के अन्तर्गत गुर्जरों को पुनर्वास कार्य के तहत हरिद्वार एवं हरिद्वार के रायपुरवाला तथा रायजी हरिद्वार जिलों के रणवीर व गोविन्दगढ़ में गुर्जरों को मूल भूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी कार्य जैसे मकान, पानी कार्य, हेण्ड पम्प, सौचालय निर्माण, शुद्धपेय निर्माण, कैटल सेड निर्माण आदि कार्य किये जा रहे है जिससे एनका जीवन स्तर उठाया जा सके। वर्ष 2021–22 के लिये ₹ 81.00 लाख के आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक ₹ 63.58 लाख का व्यय किया गया है।

11.1.12 उत्तराखण्ड का संशोधित प्रबन्धन परियोजना (आरक्षा पीपिई): वर्ष 2017–18 से प्रारम्भ सहायतित योजना उत्तराखण्ड वन संशोधन प्रबन्धन परियोजना (आरक्षा पीपिई) प्रारम्भ की गयी। परियोजना की मूल लागत ₹ 807 करोड़ है तथा परियोजना 38 वर्ष में 750 वन प्रभागों में कार्य करेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत Eco-restoration हेतु 27500 हे0 (50 हे0 प्रति वन प्रभाग) क्षेत्र लिया गया है। इस प्रोजेक्ट के संचालन हेतु "प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट" इकाई (सिटकासपु) सोसायटी मोड में कार्य कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 के लिये ₹ 11032.22 लाख के आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक ₹ 5600.00 लाख का व्यय किया गया है।

11.1.13 हरेला कार्यक्रम में पौध वितरण योजना: वित्तीय वर्ष 2017–18 से प्रारम्भ "हरेला कार्यक्रम में पौध वितरण योजना" हेतु हरेला जैसे महत्वपूर्ण त्यौहारों हेतु विभाग के वन पंचायत क्षेत्र में रहकर पौध तैयार करते है तथा अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ने हेतु इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में आय–व्ययक प्रावधान ₹ 116.00 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक ₹ 108.11 लाख का व्यय किया गया है।

11.1.14 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड राज्य दमकलकर्मी सेवी की सुरक्षा योजना: वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ की गयी "मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड वन दमकलकर्मी सेवी सुरक्षा योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक प्रावधान ₹ 200.00 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक ₹ 152.00 लाख का व्यय किया गया है।

11.1.15 दुग्गलों का संरक्षण एवं संवर्द्धन : दुग्गल (शिवी) उच्च पर्वतीय क्षेत्र में "ट्री–लाइन" तथा "स्नो–लाइन" के बीच में पाये जाने वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में भारी बर्फ वृष्टि से न उगने "केरिस्मिक" कुल की महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियां

पाई जाती है। आर्थिक संकट-मुक्त के कारण पुरानी में नहीं पूरी उपलब्धियाँ सुनिश्चित हुई हैं। इनका उपयोग किया जाना आवश्यक है यदि इनका उपयोग नहीं किया गया तो वैश्विक संकट के कारण इनमें और गिरावट तथा ये और भी सम्पत्ति की ओर अग्रसर होंगे। इस विभाग द्वारा ऐसी दुर्लभ प्रजातियों के आनुवंशिक संसाधनों को विकसित किया जा रहा है तथा इनका संरक्षण करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। अन्य पुरातत्वों के संरक्षण हेतु विभाग में एक योजना क्रियान्वित है। योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक प्रावधान ₹ 220.00 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक ₹ 214.83 लाख का व्यय किया गया है।

11.1.18 दुर्लभ सम्पदोपज के अन्तर्गत नर्सरी विकास कार्य :- पर्वतीय क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिकी कार्य में अधिक योगदान करने तथा उनका जीवन स्तर आर्थिक रूप से उठाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा "दुर्लभ सम्पदोपज के अन्तर्गत नर्सरी विकास" नाम से योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं के सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य एवं नियंत्रण कायम हो सके है तथा महिला परिवारों में उगायी गयी पौध को आवश्यकतानुसार वितरित पुनर्भरण हेतु क्रय किया जा रहा है इससे महिलाओं में वनोपजी कार्यों के प्रति सकारात्मक होने के साथ साथ उनका आर्थिक स्तर में भी सुधार हो रहा है। योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक प्रावधान ₹ 34.75 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक ₹ 34.03 लाख का व्यय किया गया है।

11.1.17 इंको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य:- क्षेत्रीय के दुर्लभ प्रजाती में वनोपजना करने तथा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की गयी। योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक प्रावधान ₹ 420.00 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक ₹ 420.00 लाख का व्यय किया गया है।

11.1.16 हमारा पेड़ हमारा धन योजना :- इस योजना के अन्तर्गत किसी भूमि जो किसी व्यक्ति, संस्थाओं खेतीहार गाय होगे। आवेदक द्वारा रोपित किये जाने वाले पौध के सापेक्ष उपलब्धि सम्बन्धित कार्यालय में जमा/जमा रजिस्टर में आवेदक को रूप ₹ 300/350 प्रति पौध के हिसाब से अर्जित एकमुश्त/आवर्त अवार्ड उपलब्धि सम्बन्धित के रूप Pledge किया जायेगा तथा दोनों के तीन वर्ष बाद रोपित स्थल पौधों की जीवितता परिक्षण के मूल्यांकन के आधार पर अनुरूप धनराशि आवेदक को दी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक प्रावधान ₹ 21.00 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक ₹ 19.79 लाख का व्यय किया गया है।

11.1.19 हमारा स्कूल हमारा वृक्ष:- वर्ष 2015-16 से 'हमारा स्कूल हमारा वृक्ष' योजना प्रारम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत विद्यान हुआ पौध लगाकर स्कूलों के छात्रों को पेड़पुनक पौध रोपण हेतु उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक प्रावधान ₹ 33.02 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक ₹ 29.04 लाख का व्यय किया गया है।

11.1.20 प्रोजेक्ट टाईगर:- इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनावर्ती व्यय में 93.15 (केन्द्राश : राज्यांश) तथा आवर्ती व्यय में 53.52 (केन्द्राश : राज्यांश) के अनुपात में धनराशि प्राप्त हो रही है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक प्रावधान ₹ 2040.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है जिसके सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक ₹ 1126.00 लाख का व्यय किया गया है।

11.1.21 प्रोजेक्ट एलीफेन्ट :- इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 60:10 (केन्द्राश:राज्यांश) के अनुपात में धनराशि प्राप्त हो रही है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में रूपये ₹ 880.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है जिसके

सहायता कार्य मार्च, 2022 तक ₹ 253.00 लाख का व्यय किया गया है।

11.1.22 वन्य जन्तु प्रतिरक्षण, बचाव तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का विकास:– इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक प्रावधान ₹ 532.00 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक ₹ 519.23 लाख का व्यय किया गया है।

11.1.23 वन बॉण्ड्री मार्कों तथा आग्नि रक्षा मार्कों का सुदृढ़ीकरण :– इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक प्रावधान ₹ 1150.01 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक ₹ 888.50 लाख का व्यय किया गया है।

तालिका 11.8

विगत वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किये गये :–

प्रगति का विवरण	इकाई	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
नए पेट्रोल मार्कों का निर्माण	सं0	17 मार्क	5	360	185
पेट्रोल मार्कों का सुदृढ़ीकरण	किमी0				65
नए पैट्रोल मार्कों डाईरेक्ट्रिज	सं0		4		285
नए पैट्रोल मार्कों का रखरखाव	सं0		10	38	
एकांत मार्कों का निर्माण	सं0			1	
नए सेंटर मार्कों का अनुरक्षण	किमी0		2177	28	113
वृक्षित/झाड़ी	सं0	01	3		
नए सेंटर मार्क में स्थापित/अतिरिक्त खंभे	किमी0	0	3		
नए सेंटर/पैट्रोल मार्क अनुरक्षण/रखरखाव	किमी0				1071

11.1.24 उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण, कैम्पिरिका प्रतिपूरक वनीकरण दक्षिण प्रतिपूरक वनीकरण, मृदा एवं जल संरक्षण/ प्रतिकारात्मक वनीकरण प्राधिकरण (कैम्पा) :– वर्ष 2016–17 से केन्द्र पोषित योजनाओं नोड में गठित की गयी। उक्त में हीमद वन संरक्षण उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) के गठन से सिक्का जा रहा है। योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की 'गाइडलाइंस' के अनुसार एकत्रित की 'सेटलमेंट अमाउंट' से अनुमोदित कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रतिपूरक, भारत सरकार की कार्यकारी समिति के अंतिम अनुमोदन के उपरान्त स्वीकृत कराये जा रहे हैं। माह 31 मार्च, 2022 तक कुल गठित की जिसकी निम्नानुसार है :–

तालिका 11.8

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए व्यक्तिगत आवंटन, अनुमोदित धनराशि तथा व्यय का वॉलनखास साराँश

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति

(धनराशि– लाख में)

वित्तीय वर्ष	योजना	केंद्र–व्यक्तिगत प्रावधान	शासन से अनुमोदित धनराशि	माह मार्च, 2022 तक का व्यय
1	2	3	4	5
2021-22	प्रतिपूरक वनीकरण, क्षतिपूरित प्रतिपूरक वनीकरण, दोहित प्रतिपूरक वनीकरण, मुआ एवं खत्ता संवर्धन/अतिसंवेदनशील वनीकरण प्रतिकरण (केम्पा)	7500	7500	7500
	केम्पा के अन्तर्गत वन भूमि का निःशुल्क प्रतिकर मूल्य एवं दोहित वन भूमि का मूल्य	27000	27000	27000
	केम्पा के अन्तर्गत वैट भुगतान (अलावय दैय लावार)	9000	9000	9000
	केम्पा के अन्तर्गत प्रशिक्षित जन एवं भूमि प्रबन्धन कार्यालय	200	0	0
	केम्पा के अतिरिक्त भवन के व्यय	3000	2000	1000
	केम्पा के अन्तर्गत अन्य कृत्यालेख, मूल्यांकन फीस विज्ञापन, पूर्ति का प्रकाशन एवं रॉयल्टी	1500	1500	1500
योग		44200	44000	44000

11.1.25 राज्य में इसके अतिरिक्त वन एवं पर्यावरण सुधार हेतु निम्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम भी संचालित किये जा रहे है:–

1. जीवों के साथ मानवी विवाद योजना।
2. ज्ञात एवं संभावित प्रजातियों का योजना योजना।
3. अतिक्रांत पौधों का संरक्षण, संवर्द्धन योजना।
4. वनों की सुरक्षा योजना।
5. सुलझेड में रहने वाले लोगों के लिए योजना।
6. वन्य पशु संरक्षण योजना।
7. मानव–बानर संघर्ष (Man-Monkey Conflict) न्यूनीकरण योजना
8. जंगली सुअरों के आखेट हेतु कारतूसों का वितरण योजना।

वानिकी एवं वन्य जीव संरक्षण के नीतिगत पहल (Initiatives)

1. मुआवजा कार्यों में पारदर्शिता एवं सहयोग लाने के उद्देश्य से वन पंचायतों का सशक्तिकरण करने हेतु प्रयास किया जा रहा है।
2. वन पंचायत सदस्यों एवं प्रतिभागी दो वन पंचायतों में अधिक जागरूकता उत्पन्न करना।
3. पेड़ खेतीबाड़ी से संबंधित (साथी) में 'पेड़' तथा 'खेत' इंडो-पार्क का विकास।
4. लच्छीवाला (देहरादून) में घटनास्थल पार्क की स्थापना।
5. 'विकास' का उपयोग 'लेक्चर-डिवेलप' निर्माण में करना।
6. ग्रामीणों के बच्चे के 'विकास' के 'पेड़-आम' बनाये गये।
7. टाईगर की बचाव हेतु 'डीमल-ट्रैप' प्रणाली का उपयोग कर नष्ट करना।
8. लालकुआँ तथा हल्द्वानी (देहरादून) के लिए 'कार्बन इन्फलेशन' (carbon-inflow) से संबंध के सम्बन्ध में संयुक्त सम्बन्धों के सहयोग से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव सम्बन्धी अनुसंधान कार्य एवं जागरूकता से सभी में संचित कार्बन का संरक्षण किया जा रहा है।
9. 'इंडो-तुर्किश' के अन्तर्गत Bird watching programme एवं कई प्रशिक्षण आयोजित किये गये जा रहे हैं।
10. स्कूली के बच्चों को पुनरावृत्ति हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रयास स्कूल इनका एक योजना प्रारम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत बच्चों को नि:शुल्क पौध, टीपन हेतु उपलब्ध कराई जाती है।
11. वर्ष 2014-15 में वहन्त पहाड़ियों के अन्तर्गत जंगलों जिला पौड़ि उत्तराखण्ड इस संरक्षण उपचार परियोजना प्रारम्भ की गयी है जिसके अन्तर्गत 04 वर्षों में 750 वन पंचायतों में 37,330 है0 में Eco Restoration किया जाना है।
12. फॉरेस्ट टाईगर रिजर्व के गवर्नर ज़ोन के अन्तर्गत 126.16 है0 में लगभग टाईगर सफारी की स्थापना की जा रही है।
13. उत्तराखण्ड वन प्रभाग की अन्तर्गत गोरेती राष्ट्रीय उद्यान से अन्तर्गत लंका नामक स्थान पर है दो करोड़ पचासी लाख लाख लाख रुपये की लागत से रामी लैंसडौं जगलवेदरन सेन्टर की स्थापना की जा रही है।
14. 2000 की गणना में बाघों की संख्या 178 थी जो गणना में बढ़कर 442 हो गयी है एवं हाथियों की संख्या 2020 में बढ़कर 2026 हो गयी है।
15. 1177 वर्ग कि.मी. को आरक्षित/सरक्षित क्षेत्रों के अन्तर्गत लगभग में दुर्ग क्षेत्र बना तथा 824 वर्ग कि.मी. का परिक्षेत्रण किया गया।
16. देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत झाजरा में 'जगजीत वन' विकसित किया गया है, जिसका लोकार्पण माह मुख्यमंत्री श्री द्वारा 22 सितम्बर 2020 को किया गया। राजाजीवन में ऐसा की पहली ईको पार्क की स्थापना की गयी।

17. हरिद्वार वन प्रभाग के अन्तर्गत 15 सुरक्षाटी का 'Capturing and collaring, handling and health assessment की कार्यवाही प्रस्तावित। दो सुरक्षाटा (टी–1, टी–2) की वैधिक सीमा तथा एक टस्कर को रेडियो कॉलर कर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।

18. हिम तेन्दुओं की संख्या के आंकलन का कार्य प्रगति पर।

19. जलागमवार का अर्थ "गंगा व यमुना" 19 वेह में अनुसंधान कुल द्वारा निर्धारित किया गया।

11.1.26 वायु गुणवत्ता की निगरानी — राज्य के चार बड़े औद्योगिक हरिद्वार, पंतनगर तथा आसपास क्षेत्र में वायु गुणवत्ता मापन केन्द्र स्थापित हैं। जहाँ पर निर्धारित मान से विशेषत: PM, PM10, 2.5, सल्फर डाई ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड की मूल निर्धारित मात्रों के साथ वैधिक मापन पर वायु की गुणवत्ता का मापन किया जाता है। राज्य में वायु गुणवत्ता के मापक औद्योगिक / व्यावसायिक क्षेत्रों वायु गुणवत्ता–गुणवत्ता निर्धारित है : राज्य इन केन्द्रों से वर्ष 2021 के औसत वायु गुणवत्ता का विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है–

तालिका 11.10

Standard Stations	P.M 10 (µg/m3)	S.P.M (µg/m3)	P.M. 2.5 (µg/m3)	SO2 (µg/m3)	NO2 (µg/m3)
Standard(Annual)	60	-		20	40
Standard (24 hours)	100	-		80	80
Clock Tower Dehradun	153.61	-	85.75	31.46	35.55
Rajpur Road Dehradun	134.85	-	80.55	29.36	34.71
Himalayan drug, ISBT	151.34	-	91.89	22.12	25.42
Nagar Nigam, Rishikesh	128.65	-	73.35	19.94	26.00
SPS, Hospital, Rishikesh	132.80	-	76.30	20.14	26.01
Sidcul, Haridwar	111.98	-	76.97	12.61	20.11
Rishikul, Haridwar	123.54	-	93.79	12.80	20.07
Govt. Hospital Jal Sansthan, haldwani	110.03	176.92	35.05	7.40	25.09
Govt. Hospital, Kashipur	116.53	173.16	-	17.26	21.02
Govt. Hospital, Rudrapur	123.38	208.86	-	18.04	22.16

अनिलग्नक 11.11

Forest Carbon Stock of State & UTs

(in'000 tonnes)

S. No.	State/UTs	Area sq km	AGB	BGB	Dead Wood	Litter	SOC	Total
1	Arunchal Pardesh	66,431	3,40,253 (51.23)	1,02,229 (15.39)	9,163 (1.38)	11,802 (1.78)	5,02,296 (86.34)	10,23,943 (154.13)
2	Assam	28,312	87,070 (30.75)	21,695 (7.59)	1,875 (0.66)	4,883 (1.73)	1,56,049 (55.12)	2,71,572 (95.85)
3	Himachal Pardesh	15,844	1,14,289 (72.09)	31,880 (20.64)	2,657 (1.72)	3,328 (2.15)	1,09,857 (69.80)	2,58,071 (167.10)
4	Manipur	15,598	47,593 (28.67)	13,331 (8.30)	880 (0.56)	2,652 (1.69)	1,11,780 (67.80)	1,76,931 (106.80)
5	Meghalaya	17,048	55,241 (32.43)	15,820 (9.28)	1,288 (0.75)	3,075 (1.80)	1,08,014 (63.37)	1,83,588 (102.59)
6	Mizoram	17,823	48,157 (27.02)	10,622 (5.96)	758 (0.43)	3,143 (1.76)	95,961 (58.85)	1,58,635 (89.02)
7	Nagaland	12,251	39,339 (32.13)	10,818 (8.67)	954 (0.78)	2,008 (1.64)	82,115 (67.03)	1,35,932 (110.14)
8	Sikkim	3,841	18,024 (53.95)	5,466 (16.36)	488 (1.46)	827 (2.50)	32,944 (92.62)	55,559 (166.24)
9	Tripura	7732	24,349 (31.35)	5,456 (9.24)	477 (0.62)	1,486 (2.30)	43,304 (56.03)	75,075 (97.09)
10	Uttarakhand	24,305	1,35,670 (80.78)	42,850 (27.85)	3,361 (1.46)	5,334 (2.18)	1,06,847 (68.68)	3,78,159 (155.59)
11	Jammu & Kashmir	21,557	1,03,897 (70.83)	45,864 (21.45)	3,586 (1.56)	4,951 (2.32)	1,52,772 (71.42)	3,70,870 (173.41)
Total - India		7,13,789	23,19,930 (32.59)	7,18,852 (30.07)	47,665 (0.67)	3,07,251 (3.50)	40,10,168 (56.19)	72,03,846 (100.92)

(Source: Forest Survey Report 2021) AGB-Above Ground Biomass, BGB- Below Ground Biomass, SOC- Soil Organic Carbon

The above table shows that Arunchal Pardesh has maximum carbon stock of 1,023.94 million tonnes followed by Uttarakhand (378.16 million tonnes) Jammu & Kashmir (370.87 million tonnes) and Assam (271.57 million tonnes). The per hectare carbon stock among different States/UTs indicates that Jammu & Kashmir is contributing maximum per hectare carbon stock of 173.41 tonnes/ha. followed by Himachal Pradesh (167.10 tonnes/ha), Sikkim (166.24 tonnes/ha) and Uttarakhand (155.59 tonnes/ha). At national level 32% of carbon stock is in AGB whereas about 56% in SOC.

अध्याय - 17

जल संसाधन एवं प्रबन्धन

Water Resources & Management

"पानी के बिना हम, पानी को जाने बिना न रहें, इसके लिये बरसात बचाने, संग्रह करने की आदत डालनी होगी। हमारा प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। इस अभियान को अपने-अपने गाँवों में हमें ही आगे बढ़ाना है।"

(माननीय श्री नरेन्द्र मोदी)

12.1 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ग्रामीण भारत में पेयजल एवं स्वच्छता के लिये जल शक्ति मंत्रालय के तहत मंत्रालय विभाग है। वर्ष 2019 से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग देश एवं राज्य की ग्रामीण आबादी को पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी/ NRDWP) एवं केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम को कार्यान्वित करता रहा है। वर्ष 2019 तक देश के 6.7 लाख बस्तियों के लगभग 18.93 करोड़ घरों में से 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) में पाइप जल कनेक्शन थे। शेष घर स्वच्छ पेयजल तक पहुँच न होने के कारण महिलाओं का अधिकांश समय इन कार्यों पानी की व्यवस्था करने में लग जाता है।

जल पेयजल तक सबकी पहुँच और सबकी को उद्देश्य में रखते हुए सभी के सुचारु हल है, लोग जल का सही तरीकों से संरक्षण करें एवं पुरानी कुरीतियों जैसे खराब सुविधा, गैस, रखरखाव, लगातार देखरेख, तकनीकी सुरक्षा, मिलावटी आदि उपायों होने के कारण पाइप जल की व्यवस्था प्राप्त करने के लिये सतर्क कर से प्रयासरत है। इन सभी कुरीतियों का एक साथ तथा सकने लिये निवारण करते हुए वर्ष 2019 में 'जल जीवन मिशन- हर घर जल' योजना प्रारम्भ की गई, जिसके अंतर्गत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को सुनिश्चित नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना है। वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में सुनिश्चित पेय जल आपूर्ति प्रदान करने 'जल जीवन मिशन (एनजेजीएम/JJM)' के तहत तक 6 वर्ष पहले ही पहुँच जायेगा।

चैरिटी कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार SDG INDIA INDEX में उत्तराखण्ड राज्य ने देश के प्रथम तीन राज्यों में 72 अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया है एवं SDG-6 (CLEAN WATER AND SANITATION) के अंतर्गत उत्तराखण्ड 65 अंक प्राप्त कर Front Runner (65-99) की श्रेणी में है।

जल जीवन मिशन के घटक

1- प्रत्येक ग्रामीण घर को नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिये, पेय के लगभग पहुंच से जल आपूर्ति अवसंरचना का विकास।

2- जल आपूर्ति प्रणाली को दीर्घकालिक स्थायीत्व प्रदान करने के लिये वैकल्पिक पेयजल योजनाओं का विकास एवं मौजूदा स्रोतों का संरक्षण।

3- सभी स्कूलों आंगनवाड़ी को पानी का कनेक्शन (JJM), संस्थान शौचालय तथा विद्यालय मेंसतत उपलब्धता का प्रावधान रखा जा सके।

4- सभी जल की गुणवत्ता एक गुणवत्ता की सभी समस्याओं को दूर करने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग।

5- 55 एलपीसीडी/डी के न्यूनतम सेवा स्तर पर

नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिये पूरी हो चुकी और चालू संचालनों को रेट्रोफिटिंग।

ब– ई–गवर्नेंस प्रबंधन।

स– सर्वेक्षण गतिविधियों (mobile applications) एवं कार्य (e) प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ, जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं के विकास, जल गुणवत्ता जाँच और निगरानी, आर एण्ड डी, जलभराई केन्द्र (recharge structures) की स्थापना निर्माण लागत।

द– वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर को पेय जल कनेक्शन के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली प्रादेशिक जलापूर्ति योजनाओं / परियोजनाओं के संचालन होने वाली कोई दूसरी अप्रत्याशित मुसीबतों / मुद्दों।

जल जीवन मिशन के लाभ :–

A	स्वास्थ्य	पेय जनित बीमारियों की जगह में सभी जिलों में सीमित संसाधनों के लिए स्वास्थ्य सरोकारों में सुधार होगा।
B	सामाजिक	महिलाओं, लड़कियों को कई घंटों में सभी और महिलाओं का सशक्तिकरण।
C	आर्थिक	ग्रामीण समुदायों के लिये गाँव के अन्दर जल आपूर्ति अवसंरचना, जिसके लिये लाई–गुजरात और गुजरात राज्य संसाधन विकसित करने में आय सृजन अवसरों में वृद्धि।

12.1.1 **ग्रामीण पेयजल:** भारत सरकार द्वारा संचालित आई एम आई एस पेयजलापूर्ति से अनुसार राज्य में दिनांक 01–04–2021 को कुल 28,750 बस्तियां हैं, जिसमें पेयजल से 18,408 बस्तियां आंशिक रूपेण (Partially Covered), 10,289 बस्तियां पूर्णत: सेवित (Fully Covered), एवं 53 बस्तियां जल गुणवत्ता प्रभावित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नानुसार परिवेक्षण निर्धारित कराई जा रही है:–

12.1.2 **जल जीवन मिशन:** भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना "जल जीवन मिशन" में हर घर नल से जल" के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक जलापूर्ति प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील परंतु जल संयोजन (FHTCs (Functional Household Tap Connections) उपलब्ध कराना लक्षित है। उपर्युक्त के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को निर्धारित मापदण्ड पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जाना है।

उपलब्धता: राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के 19,18,115 परिवारों को माह दिसम्बर 2021 तक परंतु क्रियाशील नल संयोजन (Functional Household Tap Connections-FHTCs) के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति की दर एवं BIS-10500 (Bureau of Indian Standards) द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पेयजल आपूर्ति की जाती है। MIS (Integrated Management Information System) पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिनांक 31.03.2021 तक 9,48,421 परिवारों को परंतु क्रियाशील नल संयोजन (FHTCs) उपलब्ध कराये जा चुके थे। वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिनांक 31.03.2022 तक 2,80,785 FHTCs दिए जा चुके हैं। इस प्रकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को कुल 8,30,306 FHTCs (51.37%) प्रदान किए जा चुके हैं तथा 5,87,809 परिवारों को FHTCs से जोड़कर पेयजल उपलब्ध कराना शेष है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु परियोजना पर कुल अनुमोदित परिव्यय ₹ 1093.82 करोड़ के सापेक्ष दिनांक 31.10.2022 तक रिट/SS/SS/200 के भुगतान से ₹ 737.68 करोड़ की धनराशि परियोजना पर व्यय की जा चुकी है।

तालिका 12.1

दिनांक 31.03.2022 तक जनपदवार दिए गए संभावित पेयजल जल संयोजनों की संख्या

जनपद	31.04.2021 को कुल घरेलू परिवारों की संख्या	31.04.2021 तक दिए गए पेयजल जल संयोजनों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिए गए पेयजल जल संयोजनों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2021–22 में डाईवेट/स्वंय की संस्थानों से पेयजल जल संयोजनों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य में कुल दिए गए पेयजल जल संयोजनों की संख्या	राज्य में 31.3.2022 तक कुल दिए गये पेयजल जल संयोजनों की संख्या
[illegible]	126200	103011	12471	367	12838	122449
[illegible]	268852	35078	59589	6247	65835	134311
[illegible]	116302	50561	21615	0	21615	72182
[illegible]	143821	69262	20999	0	20999	88971
[illegible]	72802	47036	6281	0	6281	56329
[illegible]	80157	63806	8158	0	8158	72164
[illegible]	99052	31734	6337	0	6337	48041
[illegible]	131238	80316	28531	1	28532	88864
[illegible]	53943	46727	3839	0	3839	59385
[illegible]	43047	26326	8396	0	8396	33725
[illegible]	131350	51402	14152	1	14153	65569
[illegible]	90103	52043	14408	0	14408	66451
[illegible]	208466	34807	3349	65642	68991	99798
कुल	1516115	649471	218827	78758	297585	939056

स्रोत: जलापूर्ति विभाग सोनभद्र वेबसाइट (डाटा उपलब्ध नहीं)

चार्ट – 12.1

स्रोत: जलापूर्ति विभाग उत्तराखण्ड शासन एवं निर्माण निगम।

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण परिवारों को घर पर पेयजल उपलब्ध कराने के साथ–साथ राज्य के शिक्षालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराया जा रहा है।

तालिका 12.2

Status of pipe Water Supply in School / Anganwadi

S.NO.	District	No. of Schools		No. of anganwadi	
		Total Entry Done	Availability of drinking water through tap connection	Total Entry Done	Availability of drinking water through tap connection
1	Almora	2212	2212	1861	1861
2	Bageshwar	867	867	829	805
3	Chamoli	1512	1512	966	966
4	Champawat	825	825	659	659
5	Dehradun	1826	1826	1161	1161
6	Haridwar	1801	1879	2604	2603
7	Nainital	1492	1398	1032	1004
8	Pauri Garhwal	2231	2227	1717	1717
9	Pithoragarh	1936	1825	1082	1050
10	Rudraprayag	507	507	655	655
11	Tehri Garhwal	2441	2411	2033	2003
12	Udham singh Nagar	1577	1570	1510	1510
13	Uttarkashi	1490	1421	1022	1017
Total		20819	20542	17139	17038

स्रोत: जलापूर्ति विभाग उत्तराखण्ड शासन एवं निर्माण निगम।

12.1.3 चालू महत्वाकांक्षी योजनायें (चयनित नगरीय क्षेत्र): उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा 15 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है, जबकि 8 योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य उत्तराखण्ड जल संस्थान के अन्तर्गत है। उत्तराखण्ड पेयजल निगम की 15 योजनाओं के कार्य प्रारम्भ कर 03 योजनाएं पूर्ण कर ली गई है तथा वर्ष 2022 तक 2048 व्यक्तियों हेतु जल संयोजन प्रदान किए जा चुके है। इसी प्रकार उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा 07 योजनाओं के कार्य प्रारम्भ कर 03 योजनाएं पूर्ण कर ली गई है तथा 5308 व्यक्तियों हेतु जल संयोजन प्रदान किए जा चुके है। इन परियोजना के द्वारा कुल 07350 व्यक्तियों हेतु जल संयोजन प्रदान किया जाना लक्षित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु परियोजना का अनुमोदित परिव्यय ₹ 228.00 करोड़ की पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा ₹ 120.00 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

12.1.4 नगरीय पेयजल– पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक शहरी क्षेत्र में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (lpcd) है। उत्तराखण्ड में कुल 100 नगरीय निकाय है, जिनमें से 33 नगर निगम, 40 नगर पालिका परिषदें एवं 54 नगर पंचायतें है। इनमें से 79 नगरों में जहांपूर्ति 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (Ltre Per Capita Daily- LPCD) से कम है, जिसके सापेक्ष प्रथम चरण में प्राथमिकता के आधार पर उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा 39 नगरों हेतु बहुद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत ₹ 3833.05 करोड़ लागत की योजनायें प्रस्तावित है। साथ ही अतिरिक्त एमर्जेन्सी (Emergency Actins Plan) के अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण में पेयजल एवं सीवर से सम्बन्धित लगभग 2 एच.ए नगरों को 1800.00 करोड़ के अलग संयोजन स्वीकृत कराये गये है।

12.1.5 नगरीय जलोत्सारण– उत्तराखण्ड के कुल 100 नगरों में से 24 नगरों में कुल 387.22 एम.एल.डी. (मिलियन लीटर प्रति दिन) क्षमता के 66 सीवर सीवरेज कार्य प्रगतिरत है। जिनके अन्तर्गत कार्य लगभग 229.06 एम.एल.डी. सीवरेज का परिशोधन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शासन से 121.20 एम.एल.डी. क्षमता के 12 सीवर सीवरेज कार्य स्वीकृतिगत है।

तालिका 12.3
प्रदेश के अन्तर्गत जलोत्सारण व्यवस्था हेतु सीवरेज सीपेज संयंत्र

क्रमांक	नगर	मानू एसटीपीयों की संख्या	सीवर सीपेज संयंत्र (STP)			
			अधिष्ठापित क्षमता (एम एल.डी.)	स्थापित की जा रही क्षमता (एमएल.डी.)	निर्माणाधीन एसटीपी की संख्या	अधिष्ठापित क्षमता (एम एल.डी.)
1	देहरादून	5	105.00	121.24	0	0
2	ऋषिकेश	7	115.13	43.31	1	38.53
3	रुड़की	1	33.00	20.00	0	0
4	कोटद्वार	2	29.50	13.40	0	0
5	रानीखेत	5	7.57	1.49	0	0
6	श्रीनगर	4	4.63	2.08	0	0
7	पौड़ी (कैंट)	1	3.00	2.12	0	0
8	उत्तरकाशी	2	0.36	0.24	0	0

9	देवप्रयाग	1	1.68	0.23	0	0
10	जखनाली	1	2.00	1.783	0	0
11	गवोदी	1	1.00	0.30	0	0
12	पिलखा	1	1.70	0.70	1	17.50
13	पैसार	1	1.25	0.830	0	0
14	अन्यारेड	1	2.00	1.65	0	0
15	नई दिल्ली	1	5.00	2.50	0	0
16	मुनि की रेती	1	12.50	10.70	0	0
17	कर्णप्रयाग	5	0.35	0.19	0	0
18	पोखरी	5	4.37	1.135	0	0
19	जोशीमठ	1	1.08	0.421	1	2.70
20	श्री बद्रीनाथ	1	1.27	0.26	0	0
21	काशीपुर	0	0	0	5	31.50
22	हल्द्वानी	0	0	0	1	24.00
23	रानीखेत	2	8.50	2.65	0	0
24	रिषीकेश	1	6.25	1.80	0	0
25	रुद्रप्रयाग	6	0.53	0.47	0	0
26	गोपेश्वर	2	0.15	0.13	0	0
27	उत्तरकाशी नगर	0	0	0	0	0
28	रायपुर	0	0	0	0	0
29	सिल्ला	0	0	0	1	3.00
योग		66	387.22	229.09	12	121.20

स्रोत: उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विभाग एवं विभिन्न निगम।

12.1.6 नगरीय वर्षा (सीवरेज सिस्टम)- भारत सरकार की महत्वाकांक्षी नगरीय वर्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश भर की 29 वर्षा पर स्थित 15 नगरों जनपद हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मुनि की रेती, टिहरी नगर, चौरास, कीर्तिनगर, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गोपेश्वर, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ एवं जोशीमठ में वर्षा नदी की स्वच्छता एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु स्वीकृत है 915.71 करोड़ की 22 परियोजनाओं में से 20 परियोजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। इन 22 परियोजनाओं के अन्तर्गत 121.87 एम0एल0डी0 (मिलियन लीटर प्रति दिन) क्षमता के प्रस्तावित 32 वर्षा जोधक ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से लगभग 129.17 एम0एल0डी0 क्षमता के 31 वर्षाजल ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। पूर्व से स्थापित 57 एम0एल0डी0 क्षमता के 06 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के उन्नीकरण का कार्य पूर्ण किया गया एवं 01 योजना सहित प्रस्तावित क्षमता 35 एम0एल0डी0 (मिलियन लीटर प्रति दिन) क्षमता के कार्य पूर्ण किया गया है। शेष 2 निर्माणाधीन योजनाओं के अन्तर्गत क्रमशः जोशीमठ में 2.7 एम0एल0डी0 क्षमता के अन्तर्गत 01 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण कार्य तथा ऋषिकेश में अवशेष सीवेज नेटवर्क लाईनों के कार्य पूर्ण किया जाना शेष है।

इसके अतिरिक्त वर्षाये गये कार्यक्रम के अन्तर्गत 03 योजनाओं (रानीखेत, देहरादून एवं 06 मोतीचूर

किलोमीटर लंबाई है जिसका 2.80 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण एवं नाला की सफाई का कार्य पूर्ण किया गया। इसके अतिरिक्त नगर के 02 डीसिल्टिंग टैंकों का निर्माण कार्य पूर्ण किये गये। ट्रेंचलेस के निर्माण का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। वर्तमान में 01 नए 09 पम्पहाउस सिंक स्टेशन योजना स्वीकृत है जिसके निर्माण कार्य

समुदाय को प्रेषित किया जाता है। मुख्य कार्य निम्नानुसार है–

(अ) तरल अपशिष्ट प्रबन्धन– पी.वी.सी./पी.ई. पाइपों बिछाना, अभिलाप एवं सामुदायिक शौचालय पाइपलाइन, ई–वाटर ट्रीटमेन्ट इकाई इत्यादि।

(ब) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन– मुख्य सेनिटाई/ एकत्रीकरण केन्द्र, अभिलाप सहायता, पार्क/सार्वजनिक सुविधाएं, नैडेप/वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाना, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, सामुदायी जागरूकता के लिए नोडल संगठन, मुख्य सड़कों हेतु सुधार कार्य इत्यादि।

(स) सामाजिक– ग्राम पंचायत स्तरीय बैठकें, ग्राम–जनसभाएं, कार्यशाला, ग्राम पंचायतों/ समितियों/ आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का प्रशिक्षण, जागरूकता इत्यादि।

स्वच्छ गांव निधान– वर्गीकृत क्षेत्रों में विभाग द्वारा लक्षित कुल 6,000 ग्रामों की डी.पी.आर. तैयार की गयी है, जिसके लगभग 3,000 ग्रामों में कार्य पूर्ण, 2,000 ग्रामों में निर्माणाधीन, 65 ग्रामों में कार्य दीर्घ से प्रारम्भ किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु कुल 1652 ग्रामों को लक्षित किया गया है, जिसके सम्बन्ध विभाग द्वारा की निर्माणाधीन योजनाओं सहित कुल 1,00 ग्रामों में कार्य पूर्ण किये गये हैं। उक्त कार्य मनरेगा, द्वादश वित्त आयोग, पंचायती राज निधान, सांसद एवं स्वच्छ विद्यालय इत्यादि से कन्वर्जेन्स (Convergence) के माध्यम से भी कराये जा रहे हैं।

(घ) 'आर्थिक क्षमता प्रबन्धन इकाई– स्वच्छ गांव एवं सफाईकर्मी सहित विभाग के सहयोग से लगभग 25 जिलास्तरों में आर्थिक क्षमता प्रबन्धन इकाई स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। वर्तमान तक कुल 20 जिलास्तरों में उक्त इकाई कार्य कर रही है। जिनमें से कुल 04 जिलास्तरों में उनके सम्बद्ध विभाग (एजेन्सी) के अन्तर्गत सेल निधान पूर्ण कराया गया है। पंचायती राज विभाग के माध्यम से ब्लॉकलेवल स्थापना कर इन्हें सक्रियता किया जायेगा। 02 जिलास्तरों में कार्य गतिमान है। डिस्पोजल इकाति निधान निम्नानुसार है–

तालिका 12.4

जनपद	संख्या	इकाति
अलीगढ़	11	05(सिविल लाइन्स,सिकन्दरा,खैरेश्वरी, मैनिहारका एवं इगलास) स्थल विधिवत
आगरा	3	01 (बरौलिया, बाघपोत एवं एत्मादपुर) में स्थल विधिवत
इलाहाबाद	5	05 (उगापुर, जगदीशपुर, मेजारोड, पट्टी, इलाहाबाद एवं फूलपुर) में स्थल विधिवत
उन्नाव	4	04 (उन्नाव, बांगरमऊ एवं सोहरामऊ) स्थल विधिवत
कानपुर	05	04 (सिकन्दरा, कानपुर, रनियापुर एवं घाटमपुर) स्थल विधिवत
कौशाम्बी	6	03 (सिराथू, मंझनपुर, सरसवां, कोखराज, मनकापुर एवं गनपतपुर) निर्माणाधीन
गोरखपुर	8	07 (पीपराइच रामगढ़ ताल्लाह, इटहरी, बेलघाट, गोरखपुर एवं औरवाटाल्लाह) स्थल विधिवत
गौ.न.	10	10 04 (सुरजपुर, खलीलाबाद, पिपरा एवं एच) में पूर्ण 03 (मगहीर एवं धनघोरान एवं हर्षनगर) में निर्माणाधीन 03 (धनै, पैडी एवं मेनहना) में स्थल विधिवत
गोरखपुर	8	04 (बांसगांव, कल्याणपुर, रामकोला एवं चौरीचौरा) स्थल विधिवत
झांसी	3	02 (बबीना एवं झांसी) में स्थल विधिवत
देवरिया	9	04 (रुद्रपुर बरहज, लार, तमकुहीराज, सलेमपुर, सीसवा, देवरिया, पडरौना, भाटपाररानी) स्थल विधिवत
प्रयाग शिवधाम	7	07 (मेजारोड, कोरांवपुर, जसरापुर, गलापुर, मिलकगंज, खागिया एवं बारापुर) में स्थल विधिवत
बरेलीमंडी	06	03 (नवाबगंज, सिरौलीगौसपुर, पुरनपुर) में स्थल विधिवत

4. सूचना, शिक्षा एवं जंजार परिवर्तनियों का संचालन— वर्ष में औ.वै.प्र. अधिकार की स्थापना रखने हेतु ग्राम-स्तर पर विभिन्न ग्राम-आधारभूत कार्यक्रम (लाभार्थ पंचायी, पुस्तक पठन, रैलियों, स्कूल परियोजना कार्यक्रम, परिचर्चा एवं विचारसभाएं/संगठन/दर्शन आदि कार्यक्रमों का आयोजन इत्यादि किए गये हैं। निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष में 01 कार्यशाला, 2 प्रशिक्षणों, 1150 बैठकों का आयोजन किया गया, 4355 पोस्टर/ बैनर आदि का प्रदर्शन एवं वितरण, 8 रैली, 25 वीडियो शो/नाटक आदि जागरूकता गतिविधियां किये गये। इसके साथ-साथ ग्राम/ ब्लॉक/ जनपद स्तर पर 4711 विभिन्न आईईसी (Information Education and Communication) गतिविधियों का आयोजन किया गया तथा 35 स्वयंसेवी एवं संस्थाओं किए गये एवं 02 डिब्बाघर प्रकाशित किए गये।

12.1.7.3 वित्तीय वर्ष 2021-22 की वित्तीय प्रगति— वित्तीय वर्ष 2021-22 में परिवार कल्याण विभाग (खाता) हेतु है 131.214 करोड़ की धनराशि प्रावधानित किया गया है जिसमें प्रावधान लाभार्थ के साथ-साथ कार्यों एवं अन्य हेतु धन संबंधी में होना एवं तथा आवश्यक प्रबन्धन गतिविधियों के संचालन से आवश्यक-भूत दरों को निर्धारित करने पहले, आईईसी एवं प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमान पंचायती राज विभाग निर्देश एवं कोविड19 पाबंदियों के सम्बन्धित गतिविधियों सम्मिलित हैं। वर्ष 2020-21 की तुलना में अनुमोदित था वर्ष 2320-21 की तुलना में ₹ 2727.883 लाख, अनुमुक्त से-2210 ₹ 5425.00 लाख, अनुमुक्त कार्यालय ₹ 1662.333 लाख तथा अन्य वृद्धि ₹ 7196.750 लाख सहित कुल जारतार ₹ 11427.679 लाख से सापेक्ष 188 लाख, 2022 तक कुल ₹ 107183.32 लाख (शेष संस्थाओं एवं दिए गये अतिरिक्त सहित) व्यय किए गए।

12.1.7.4 पंचायि वर्गों (गया ब्लाक)— पंचायि राज के अन्तर्गत गया की अन्तर्गत 2 पंचायी संस्थाओं गतिविधियों के जिलार्थ जनसंख्या गणना गणना के कुल 07 पंचायतों की 122 ग्राम पंचायतों (दो नई ग्राम पंचायतों सहित कुल 124) में से 06 ग्राम पंचायतों नगरपालिका में आने के कारणवश आवंटित 120 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष कुल 124 ग्राम पंचायतों में कार्य एवं किया गया है, 02 ग्राम पंचायतों में कार्य गतिशील है। पंचायि राज अधिनियम के अन्तर्गत गत वर्ष की आवंटित धनराशि ₹ 555.539 लाख एवं वैध बैलेंस/अन्य प्राप्ति के रूप में प्राप्त धनराशि ₹ 185.123 लाख सहित कुल जारतार ₹ 740.662 लाख के सापेक्ष गया वर्ष, 2022 तक ₹ 179.111 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

12.1.7.5 नवजल आईकॉनिक स्थल –

स्थल का नाम	पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण
गयोदी (उत्तरकाशी)	• रेवाड़ एवं सलाखा विभाग, उत्तर वनिकि गंगोत्तरी पावा सलाखा द्वारा फेज-2 में गयोदी को नवजल आईकॉनिक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। उक्त हेतु ओडाकार्टोग्राफी को संविदोत्तरा संस्थान द्वारा कार्य के रूप में नियोजित किया गया है। • जिला प्रशासन उत्तरकाशी एवं ओडाकार्टोग्राफी द्वारा पर्यावटनीय गयोदी हेतु लगभग 1310 मीटर की ड्राफ्टिंग नक्शेबोधन तैयार की गयी है। उक्त में अनुमानत: 298 लाख के कार्य संविदित किये गये हैं (यूटिंग आईटिम, एम्फीथ्रीएटरिकल, सीमेंटिंग वेटिंग, बिना जार्ज वार्स, मिनी हॉस्पिटल, पेवमेन्ट टैक्स लाइनस, ड्राइंगुलिक टैक्स इक, सुरक्षादान इत्यादि कार्यों पूर्ण किये गये हैं एवं है 208 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। • वर्ष 2017-18 में गयोदी को फेज-2 हेतु उत्तम नवजल आईकॉनिक स्थल हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।
गमरीदी (उत्तरकाशी)	• रेवाड़ एवं सलाखा विभाग, उत्तर वनिकि गंगोत्तरी पावा सलाखा द्वारा फेज-2 में गमरीदी को नवजल आईकॉनिक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। उक्त हेतु गैस इनिशल ब्रदर्स को संविदोत्तरा संस्थान द्वारा कार्य के रूप में नियोजित किया गया है। • जिला प्रशासन उत्तरकाशी एवं गैस इनिशल ब्रदर्स द्वारा एक्सआईएस अनुसंधी हेतु लगभग ₹ 2222 लाख की आर्थिक व नियोजन तैयार की गयी है। • उक्त में अनुमानत: ₹ 519 लाख के कार्य संविदित किये गये हैं (ब्रासवर्क इन्फ्रास्ट्रेट, ऑर्डिनेशन सीमेंट गॉथ्रूट वेन 2 वैल आईसोबिड्रो पूर्णित, पेवमेन्ट व्यवस्था, बायोटिवेटर, अनुसंधी सोलरडीवरण कार्य, सलाखा कर्म-उपकरणता उक्त) पूर्ण किये गये हैं एवं ₹ 311 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।
कर्णप्रयाग (चौंदी)	• रेवाड़ एवं सलाखा विभाग, उत्तर वनिकि गंगोत्तरी पावा सलाखा द्वारा फेज-3 में कर्णप्रयाग को नवजल आईकॉनिक स्थल के रूप में विकसित किया गया है।
गरुड़ (बदरीनाथ) चमोली	• रेवाड़ एवं सलाखा विभाग, उत्तर वनिकि गंगोत्तरी पावा सलाखा द्वारा फेज-3 में गरुड़ पावा को नवजल आईकॉनिक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। • उक्त हेतु परियोजना स्वीकृत होने से विकिर किया जाना प्रस्तावित है। सलाखा द्वारा विकिर होने तक डीवा द्वारा संचालित चमोली द्वारा अलग मंगल विकास–112 तथा सीएसआईसी के अनुसंधी आर्थिक कार्यों को संचालन किया गया है। उक्त हेतु कुल ₹ 1348 लाख की आर्थिक कार्यान्वयन रेखाएं की गयी है। उक्त कार्यान्वयन के कार्यक्रम अन्तर्गत सामग्री चार्ज (कंक्रीटिंग सुदृढ़ीकरण, सिमेन्ट पवित्रता, ब्लाइ गड्ढा तथा वैकल्पिकीकरण के अन्तर्गत कारी गंगोत्री संविदि, स्वच्छताकिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स, बीम पुल का सोलरडीवरण तथा सीमेंटिक रंगिंग आदि कार्यों पूर्ण कर लिये गये है, एवं ₹ 2222 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। • वर्ष 2018–20 में गरुड़ को फेज-3 हेतु उत्तम नवजल आईकॉनिक स्थल हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

शीर्ष: उत्तराखण्ड रेवाड़ा सलाखा विभाग एवं निर्माण निगम।

12.1.7.6 संस्करण 2.0 में आकांक्षी अभिलाषी जनपदों (Aspirational Districts) में कवरेज

उत्तराखण्ड की दो जनपद हरिद्वार और उधम सिंह नगर विशिष्ट अभिलाषी जनपद हैं। इन दो जनपदों की कुल 12 सौर ऊर्जा संचित विभिन्न क्षमता वाली परियोजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विस्तृत इस प्रकार निम्नांकित है–

तालिका 12.5

क्र. सं.	जनपद	नेटवर्क योजना कार्य पक्ष	कार्य संपादन का वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना की लागत (₹ लाख में)	परियोजना अवधारण (₹ लाख में)	योजनाओं की प्रगति					टिप्पणी जहां लागू हो
							नवीनतम का कार्य	कम्प्लीशन	उत्पन्न स्वतन्त्रता	विद्युत प्रणाली	वित्तीय प्रगति	
1	हरिद्वार	बन्दरु	रानी	लक्सर	49.51	3	100%	130%	95%	100%	39.14	285
2	हरिद्वार	मंगलौर खास	मंगलौर खास	मंगलौर	48.93	3	100%	130%	100%	100%	43.12	287
3	हरिद्वार	मंगलौर	मंगलौर खास	मंगलौर	47.59	4.76	100%	80%	95%	100%	21.97	40
4	हरिद्वार	रोशनाबाद	रोशनाबाद	भगवानपुर	49.59	5	100%	130%	100%	100%	43.28	510
5	हरिद्वार	मिरोहपुर	हरदोली खेड़ा	रानीपुर	49.91	4.99	100%	130%	95%	90%	36.28	180
6	हरिद्वार	नवीनपुर पोखरपुरी	नवाब/ मुखता	रुड़की	48.97	5	100%	130%	98%	100%	37.01	179
		योग			297.48	25.75					211.83	1279
1	ऊधम सिंह नगर	रामपुर	रामपुर	रामपुर	47.81	4.78	100%	130%	95%	90%	37.87	285
2	ऊधम सिंह नगर	खटीमाबाद	खटीमाबाद	रामपुर	47.31	4.73	100%	130%	95%	90%	38.47	282
3	ऊधम सिंह नगर	बाजपुर	बाजपुर	बाजपुर	46.78	5.00	100%	90%	90%	90%	37.09	281
4	ऊधम सिंह नगर	डौरपुरी	डौरपुरी	बाजपुर	46.67	4.00	100%	90%	5%	60%	27.08	212
5	ऊधम सिंह नगर	जसपोरा	जसपोरा	बाजपुर	47.14	4.72	100%	95%	90%	90%	36.31	280
6	ऊधम सिंह नगर	जेजरामपुर	जेजरामपुर	गदरपुर	46.51	4.65	100%	80%	90%	90%	28.23	282
		योग			281.30	28.22					205.25	1204
		कुल योग			578.81	57.97					415.08	2513

राज्य के दूरवर्ती एवं विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में पेयजल सुविधा को व्यवस्थित रूप से सुदृढ़ करने हेतु निम्न प्रयास किए जा रहे हैं:-

1. नलकूपों का स्वचालितीकरण (Automation of Tubewells and SCADA):- आधुनिकतम तकनीक SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) अंतर्गत राज्य में कुल 600 नलकूप/ट्यूबवेलों का स्वचालितीकरण किया गया है, जिससे समयबद्ध पूर्व जल विद्युत व्यवस्थी त्रुटियों के कारण जलापूर्ति व्यवस्था के संचालन को अत्यन्त सुदृढ़ किया जा सका है।

2. जल गुणवत्ता मैनेजमेंट (Water Quality Management):- राज्य में पेयजल गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोग जलस्रोत सुनिश्चित करने हेतु 3 त्रिस्तरीय 37, 01 राज्य स्तरीय तथा पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित हैं जिनमें वित्तीय वर्ष 2020-21 में 69,974 तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 60,674 तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 80,200 एकत्रकीय एवं जैविक परीक्षण के नमूनों की जांच की गयी है। कुल 37 प्रयोगशालाओं में से 24 प्रयोगशालाओं को NABL(National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) से मान्यता प्राप्त कराया जा चुका है, शेष 03 प्रयोगशालाओं को दिनांक 30 जून 2022 से पूर्व NABL से मान्यता प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

3. हैण्ड पम्प: एक सफल वैकल्पिक स्त्रोतीय (Hand Pump: A Successful alternative Plan):- राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हैण्ड पम्प स्त्रोतीय कर पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष में 185 हैण्ड पम्पों की व्यवस्था की गयी है।

4. मिनी ट्यूबवेल: न्यून लागत, त्वरित उपचार (Mini Tubwell: Low Cost, Accelerated Treatment):- नलकूपों के संचालन में उत्पन्न होने वाली एवं समस्या की दृष्टि एवं छोटी बस्तियों के पेयजल संचालन के त्वरित निदान हेतु कम लागत के नलकूपों को एक अलग से अन्दर न्यूक्लिक आकार विधि से तैयार किया जाता है। अधिकतम तक 250 मिनी नलकूप स्थापित किये गये हैं।

5. जल स्रोत: परम्परा का पुनर्जीवन (Movement: Revival of the Traditional water source):- ग्राम समाज के सहयोग से विगत चार वर्षों में लगभग तक 1514 कुआं-खड़ंजा का निर्माण किया गया है।

6. रेनवाटर हार्वेस्टिंग योजना (Rain Water Harvesting):- वर्षा जल को एकत्र कर संग्रह करने तथा उसको स्वच्छ एवं संग्रहों के उपयोग में लाने तथा उसके भू-जल को रीचार्ज करना वर्षा जल का संचय करना (Rain Water Harvesting) है। एतदाशयक जल संचयन द्वारा वर्षा जल से संग्रहण हेतु प्रथम प्रयास जलापाबाद जल संसाधन मुख्यालय, "जल भवन" देहरादून में किया गया है जो संचालन रहा है। वर्षा जल संग्रहण हेतु विभाग द्वारा डायरेक्ट रिचार्ज एवं जल संग्रहण की उपयोगार्थ एक गाइड लिडिशिका भी प्रकाशित की गयी है जिसमें वर्षा जल संग्रहण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी गयी है। जोगीवाला तथा देहरादून नगर में सफलतापूर्वक कार्य वर्षा जल को रीचार्ज हेतु संरचनाएं बनाई जा चुकी हैं।

7. ऑनलाईन बिलिंग डिमाण्ड एवं कलेक्शन सिस्टम (Online Billing Demand and Collection System):- विभाग में उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने जाने हेतु ऑनलाईन बिलिंग डिमाण्ड कलेक्शन सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपभोक्ता को अपने बिलों की जानकारी, पेमेन्ट के ऑनलाईन भुगतान एवं नये कनेक्शन के लिए ऑनलाईन आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है।

8. शिकायत निवारण केन्द्र (Complain Centre):- विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से कार्य संचालित शिकायत निवारण केन्द्र स्थापित है। इस निवारण निवारण केन्द्र पर Toll free Number 1800-180-4100 है। उपभोक्ता से प्राप्त होने वाली शिकायत को दर्ज करने एवं निराकरण के सम्बन्ध में उपभोक्ता सम्बन्धित उपभोक्ता के मोबाईल पर SMS से भी प्रेषित की जाती है। उपभोक्ता स्वयं भी निर्धारित वेबसाईट के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वार्षिक कार्य योजना में कार्यान्वित स्वच्छता के लाभ को बनाये रखे जाने हेतु कुल ₹ 402.00 करोड़ एवं लाभ के अतिरिक्त ₹12.00 करोड़ जो कि उत्तराखण्ड सरकार से प्राकृतिक गैस हेतु लगाए से प्रस्तावित किया गया है की धनराशि का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है जिसमें 12124 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण/पुनरुद्धार प्रोत्साहन धनराशि हेतु ₹ 14.70 करोड़, ग्रेवाईटिंग हेतु ₹ 0.3428 करोड़, 2468 ग्रामों में सोस एवं लगत आधारित प्रबन्धन गतिविधियों के सहाय से आवास-मुक्त खुले को निर्मित करने जाने हेतु ₹ 40.61 करोड़, 73 विद्यालयकर्मों में पर्याप्तित जलापूर्ति प्रबन्धन इकाईयों की स्थापना हेतु ₹ 11.20 करोड़, 45 सीमक लगत प्रबन्धन इकाईयों हेतु ट्रैक्ट और विद्यालयकर्म एवं 2 एक्स्ट्रा ही) हेतु ₹ 5.578 करोड़ तथा 1148 कम्युनिटीज सामकर प्रोत्साहकों की नियुक्ति हेतु ₹ 24.104 करोड़, 08 कौमटाल इकाईयों हेतु ₹ 2.50 करोड़ मात्र शासन को प्रेषित किया गया है। वर्ष 2022–23 हेतु स्वच्छता निरीक्षालय के अन्तर्गत सामुदायिक शौचालय एवं सामुदायिक मिशन एवं स्वच्छता की इकाईयों हेतु सूचित पदों के प्रावधानित राशि हेतु ₹ 12.00 करोड़ की धनराशि का बजट प्रस्तावित किया गया है।

वार्षिक कार्य योजना 2022–23 में अनुमानित कुल 2,13,963 सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियों तथा क्षमता विकास एवं सामर्थ्य संवर्धन की कुल 163 गतिविधियों का संचालन किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। उक्त कार्यक्रमों के संचालन में जनभागीदारी के दीर्घकालिक व्यवहार को अपनाने हेतु कार्य करना है।

12.1.8 वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वीकृत परियोजना, अनुमत व्यय एवं प्राप्त राजस्व का विवरण: वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभिन्न पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों में शौचालय निर्माण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु कुल स्वीकृत परियोजना, अनुमत धनराशि, व्यय धनराशि एवं अर्जित राजस्व को निम्नवत् निम्नानुसार है:

तालिका 12.6

(धनराशि ₹ करोड़ में)

कुल स्वीकृत परियोजना	अनुमत	व्यय	अर्जित राजस्व
2074.36	2062.06	1224.26	251.73

स्रोत: उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विभाग एवं निर्माण निगम।

12.1.9 भविष्य की महत्वपूर्ण योजनाएं: वहन व्यवहारिक कार्यक्रम (ट्रेडएबिलिटी) के अन्तर्गत 38 नगरों को मध्यम नगरों के अनुरूप पेयजल व्यवस्था कराने हेतु व्यावहारिक पर्यावरण पेयजल परियोजना ₹ 1600.00 करोड़ के व्यय की मैट्रोलिंक व्यवस्थित भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

हरीद्वार एवं ऋषिकेश में शत-प्रतिशत सीवेजेशन व्यवस्थापन हेतु सीवरेजव्यवस्था, जर्मनी द्वारा लित परियोजना ₹ 1200.00 करोड़ लागत की परियोजना के निर्माण कार्यों को प्रारम्भ किए जाने की प्रक्रिया चलियान है।

12.2 सामाजिक सिंचाई – राज्य में सिंचाई विभाग का मुख्य कार्य नहरों, लघु नहरों, नलकूपों के निर्माण एवं व्यवस्थापन नियंत्रण व रखरखाव तथा बाढ़ सुरक्षा कार्यों का क्रियान्वयन करना है। राज्य में सिंचाई के तीन प्रमुख संसाधनों में नहरें, नलकूप तथा पम्प नहरें हैं। वर्ष मार्च 2022 तक विभाग के द्वारा 3069 छोटी परियोजनाएं पूर्ण कराई गई हैं, इसमें अतिरिक्त 1734 नलकूप व 282 उद्वहन नहरें निर्मित हैं। नहरों, नलकूपों एवं पम्प नहरों का कुल कमाण्ड 4.053 लाख हेक्टेयर है व वास्तविक लाभ वाली सिंचित क्षमता क्रमशः 2.598 लाख है व 2.222 लाख है। कुल सिंचित क्षमता 4.821 लाख है है, जिसमें सर्वाधिक भूजल 3.232 लाख है है निर्मित भूसिंचित क्षेत्रफल है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में वास्तविक सीमा में 2 सिंचन वृद्धि हो गयी है। वर्ष में संशोधन अनुमानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य का कुल बुद्ध बोया गया क्षेत्रफल लगभग 0.930 लाख है है, जिसमें सिंचाई विभाग के अधीन सिंचित क्षेत्रफल 0.232 लाख है है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सिंचाई की कुल ₹ 1,060.791 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में मार्च 2022 तक सिंचाई की कुल ₹ 1670.40 लाख का आवंटन प्राप्त होने का अनुमान है।

उत्तराखण्ड राज्य जल नीति, 2019

1. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा राष्ट्रीय जल नीति, 2012 में प्रतिपादित मूलभूत सिद्धान्तों के आधार पर तैयार उत्तराखण्ड राज्य जल नीति, 2019 दिनांक 23.12.2019 को अधिसूचित की गयी जिसका उद्देश्य जल संसाधनों की वर्तमान स्थिति का संज्ञान लेते हुये इनके नियोजन, विकास एवं प्रबन्धन हेतु कुशल ढांचा उपलब्धित कराना है।

2. राज्य जल नीति में विशेष तौर पर जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में इससे जुड़ी–प्रभाव की चुनौतियों का सामना करने हेतु सक्षम की जरूरतों को सम्मिलित किया गया है।

3. इसके अतिरिक्त जल संसाधनों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं परिरक्षण हेतु विभिन्न उपायों को भी राज्य जल नीति में समाहित किया गया है।

4. जल लेखा–परीक्षण, जागरूक उपभोक्ता तार्किक जल प्रभार तंत्र एवं प्रबन्धन सूचना तंत्र विकसित किये जाने सम्बन्धी प्रावधान भी सम्मिलित किये गये हैं।

5. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा घोषित जल नीति, 2019 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न 13 बिन्दुओं को निर्धारित अवधि कुल 18वीं, उपयोगकर्ता शासन के पत्र दिनांक 29.01.2020 से जारी किये जा चुके हैं।

तालिका 12.7

उत्तराखण्ड में वर्षवार सिंचन क्षमता एवं उपयोग

(हजार हेक्टेयर)

वर्ष Year	क्षमता Potential				उपयोग Uses			
	राजकीय लघु सिंचाई State Minor Irrigation	निजी लघु सिंचाई Minor Irrigation (Private)	वृहद एवं मध्यम सिंचाई Large & Medium Irrigation	योग Total	राजकीय लघु सिंचाई State Minor Irrigation	निजी लघु सिंचाई Minor Irrigation (Private)	वृहद एवं मध्यम सिंचाई Large & Medium Irrigation	योग Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014-15	388.9	509	82.2	908.1	251.5	182	37.2	672.5
2015-16	394.4	518	32.2	944.6	366.2	180	37.2	692.4
2016-17	370	514	74.8	958.8	251.6	393	62.6	707.2
2017-18	373.5	529	74.8	977.3	261.8	397	62.6	721.4
2018-19	382.6	514	74.8	981.4	252	401	62.6	715.6
2019-2020	388.3	539	74.8	956.7	199.1	404	62.6	665.9
2020-21	400.3	545	74.8	1020.10	260	409	63.1	732.1
2021-22	467.3	548	74.8	1090.1	278.1	411	65	734.1

स्रोत: राजकीय निर्माण/लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

तालिका 12.8

वर्षवार सुविधि सिंचन क्षमता

(हजार हेक्टेयर)

वर्ष Year	सिंचन क्षमता						उपयोग					
	कुल राजकीय सिंचाई Total State Irrigation			बृहत एवं मध्यम सिंचाई (कुल राजकीय सिंचाई में भी Largeâ Medium Irrigation			राजकीय सिंचाई State Irrigation			बृहत एवं मध्यम सिंचाई (कुल राजकीय सिंचाई में भी सम्मिलित है) Largeâ Medium Irrigation (Total state Irrigation		
	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
2014–15	2.990	1.841	4.831	0.422	0.326	0.748	1.467	1.435	2.902	0.319	0.307	0.626
2015–16	2.996	1.970	4.966	0.422	0.326	0.748	1.462	1.572	3.034	0.319	0.307	0.626
2016–17	2.997	2.041	4.448	0.422	0.326	0.748	1.525	1.601	3.142	0.319	0.307	0.626
2017–18	2.422	2.051	4.473	0.422	0.326	0.748	1.003	1.045	2.244	0.319	0.307	0.626
2018–19	2.452	2.052	4.574	0.422	0.326	0.748	1.547	1.626	3.144	0.320	0.308	0.628
2019–20	2.397	2.184	4.731	0.422	0.326	0.748	1.024	1.586	3.223	0.320	0.308	0.628
2020–21	2.376	2.173	4.751	0.422	0.326	0.748	1.436	1.593	3.331	0.320	0.309	0.631
2021–22	2.330	2.201	4.531	0.422	0.326	0.748	1.844	1.586	3.232	0.322	0.309	0.631

स्रोत: राजकीय सिंचाई योजना, राजस्व/कमान प्राधिकारियों/ कार्यालयों से संकलित

तालिका 12.9

उत्तराखण्ड में वर्षवार सिंचाई अवस्थापना

वर्ष Year	गहरी दी लम्बाई (किलोमीटर) Length of Canals (Km)	लिफ्टिंग गहरी की संख्या Number of Lift Canals (No)	ट्यूबवेल (संख्या) Tubewells (No.)	सिंचाई राजस्व संग्रहण (लाख रु) Revenue Collection By Irrigation (Lakh₹)
1	2	3	4	5
2014-15	12225	195	1370	1788.815
2015-16	12421	211	1503	2126.303
2016-17	12578	220	1529	20687.782
2017-18	12626	226	1628	23789.179
2018-19	13209	356	1679	18506.5
2019-20	13259	345	1680	1557.899
2020-21	13276	358	1700	1790.79
2021-22	13293	382	1709	1975.43 अनुमानित

स्रोत: राजकीय सिंचाई विभाग, राजस्व/कमान प्राधिकारियों/ कार्यालयों से संकलित

तालिका 12.10

गत सात वर्षों के अन्तर्गत क्रियान्वित कार्यक्रमों/योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	विवरण	वर्षवार क्रियान्वयन किये जाने वाले कार्यों /योजनाओं का विवरण						
		वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22
1	वित्तीय प्रगति (लाख ₹ में)	53258.45	64470.83	41562.91	28462.04	24532.62	21163.22	7815.54
2	वर्षवार निर्मित नहर (संख्या में)	43	60	45	25	8	34	18
3	वर्षवार निर्मित नहरों की लम्बाई पूरा (किलोमीटर में)	300.97	235.71	157.225	45.610	577.72	34.508	19.00
4	वर्षवार निर्मित नलकूप (संख्या में)	43	127	25	69	51	7	4
5	वर्षवार निर्मित लघुजलाशय पूरा (संख्या में)	12	19	9	6	9	11	14
6	कमाण्ड क्षेत्र में वर्षवार वृद्धि (लाख हे.)	0.062	0.206	0.170	0.040	0.059	0.007	0.050
7	वर्षवार भूमित सिंचन क्षमता (लाख हे.)	0.005	0.275	0.162	0.035	0.001	0.157	0.07

8	ग्रामीण पीपीए (लाख हैक्टे)	2.905	3.034	3.142	3.294	3.149	3.222	3.232
9	बाढ़ नवर्ष (लाख हैक्टे)	55	48	80	26	41	34	15
10	वर्ष के अंत में सम्भाव्य क्षेत्र (लाख हैक्टे)	3.432	3.648	3.919	3.800	3.914	3.921	4.063
11	वर्ष के अंत में सिंचित क्षमता (लाख हैक्टे)	3.991	4.200	4.440	4.493	4.574	4.731	4.821

स्रोत: उत्तराखंड सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग, उत्तराखंड।

12.2.1 सिंचाई सुविधाओं में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग– सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के अंतर्गत नवीन निर्माण एवं अनुरक्षण निर्माण की योजनाओं क्रियान्वयन अवधारणा में सिंचाई किये जाने हेतु जनपद देहरादून, चम्पावत एवं जनपद पौड़ी में क्रियान्वयन अवधारित Lift Scheme से सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने (लागत ₹ 22.74 करोड़) हेतु निर्माण कार्य किए जा रहा है।

12.2.2 वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन– राज्य के पर्वतीय जनपदों में प्राकृतिक स्रोतों को पुनर्जीवित एवं वर्षा जल का रिचार्ज एवं सिंचाई के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु तालाबों के निर्माण कार्य प्रगति पर्वारे पर है। विकासी आवासीय आवश्यकता में वैराज निर्माण कर जनपद अल्मोड़ा शहर की जल की व्यवस्था सुनिश्चित करायी गयी है। जनपद अल्मोड़ा के खैरना गांवरे में खैरनाडी रिचार्ज का निर्माण, मौजा गांवरे में रिचार्ज का निर्माण, जनपद बागेश्वर में वैराज्यल झील का निर्माण, जनपद देहरादून के अन्तर्गत गांव में अधूरपेरीय तालाब तथा चम्पावत देहरादून में जखन नदी में सुधार वैराज एवं निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है।

चम्पावत के लोहाघाट में कोलीडेरा में बहुउद्देशीय तालाब के निर्माण का कार्य जनपद नैनीताल में भवाली झील का निर्माण कर कार्य, जनपद अल्मोड़ा में नगर नदी में ब्यालाय तथा जनपद पौड़ी में स्थाने झील का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

तालीका से अतिरिक्त जनपद पौड़ी के अंतर्गत पुरोवेरी, खरकोला, खाखड़ोली, पैठाणी, खड़ही, बौरारौ, सतपुली व थकुनाडा कुल जल स्रोतों पर एवं देहरादून के सिलावाला सहस्त्रधारा की रावल प्रकाश सुरभनी (चालदुर्ग) जखवाला, जनपद उत्तरकाशी के गैरसैण में रामबेला नदी में ब्यालाय जनपद अल्मोड़ा में तल्लाताल झील, जनपद चम्पावत में रीगेलेक्स झील, कुर्मी सरोवर ब्यालाय, ब्यालाताल के निर्माण हेतु डीपीआर/एस्टीमेट तैयार कर कार्य किया जा रहा है।

1–जलापूर्ति बाँध बहुउद्देशीय परियोजना – अनुमानित लागत ₹ 2584.00 करोड़ परियोजना के लाभ :–

- जलापूर्ति नियोजित के उद्देश्यों हेतु 117 MLD पेयजल सुनिश्चित।
- 18 मेगावॉट विद्युत उत्पादन (63.4 Million Unit)।
- सागर प्रदेश एवं जलाशयक्षेत्र के 15662 हैक्टेयर जलाक्षेत्र में सागर प्रदेश में 47,927 हैक्टेयर एवं जलाशयक्षेत्र में 9,726 हैक्टेयर कुल 57685 हैक्टेयर कृषिभूमि सिंचाई सुविधा।
- पर्यटन तथा खेलकूद आयोजन।

2– बाँध बाँध पेयजल परियोजना :– अनुमानित लागत ₹ 1580.00 करोड़

- देवगढ़ एवं उस नगरीय क्षेत्र की वर्ष 2053 तक अनुमानित जलापूर्ति हेतु 150 MLD पेयजल जलापूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।
- योजना में समाहित समस्त तकनीकी कार्यवाही पूरक।

निर्मित/निर्माणाधीन जलाशय

- **जनपद जलाशय के कोलीडेक ब्रीज का निर्माण (लागत ₹ 30.70 करोड़)** :–
- लोकायुक्त मुख्य को पेयजल हेतु 3.024 एम.एल.डी. मात्रा जल उपलब्ध कराये जाने हेतु कोलीडेक ब्रीज का कार्य निर्माणाधीन है।
- योजना की परियोजना लाइ मार्च 2018 में प्रदान की गई।
- योजना में संशोधन लाख ₹ 23.87 करोड़ का लाख किया जा चुका है।
- योजना का निर्माण पूरा 2022 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।
- योजना के निर्माण से जल संग्रहण एवं संरक्षण तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- **जनपद सिविललाइ में मलवेरा ब्रीज का निर्माण (लागत ₹ 32.01 करोड़)** :–
- सिविललाइ शहर को पेयजल हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध कराये जाने हेतु वैकल्पिक निर्माण प्रस्तावित।
- योजना की परियोजना लाइ मार्च 2018 में प्रदान की गई।
- योजना में संशोधन लाख ₹ 13.31 करोड़ का लाख किया जा चुका है।
- योजना का निर्माण पूरा, 2022 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।
- योजना के निर्माण से जल संग्रहण एवं संरक्षण तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- **जनपद अल्मोड़ा में रामगंगा नदी में जलाशय का निर्माण (लागत ₹ 31.27 करोड़)** :–
- जलापूर्ति अल्मोड़ा में रामगंगा नदी पर जलाशय का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।
- योजना की परियोजना लाइ मार्च 2018 में प्रदान की गई।
- योजना के निर्माण से सिंचाई क्षेत्र को पेयजल हेतु 15 एम.एल.डी. जल उपलब्ध व 06 हैक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
- योजना में संशोधन लाख ₹ 9.58 करोड़ का लाख किया जा चुका है।

- योजना का निर्माण पूर्ण: 2022 तक पूर्ण लक्ष्य। लागत अनुमानित है।
- योजना के निर्माण की पूरा संचालन एवं संधारण तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- **अमरपद चौकी में ज्वाली ग्रीड का निर्माण (लागत ₹ 6.92 करोड़)**:–
- अमरपद चौकी में 132 केवी/ड्रेन एवं संचालन व पर्यटन हेतु 66 केवी ग्रीड निर्माणाधीन है।
- योजना की अनिवृत्ति जोड़ पूर्ण: 2019 में प्रदान की गई।
- योजना में लागत लाख ₹ 6.38 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।
- योजना का निर्माण पूर्ण: 2022 तक पूर्ण लक्ष्य। लक्ष्य अनुमानित है।
- योजना के निर्माण से पूरा संचालन एवं संधारण तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- **हरिपुरा एवं तुषरिका जलाशय पर 40 MW क्षमता के सौलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना:–**
- अमरपद जलविद्युतिगार्ड की हरिपुरा एवं तुषरिका जलाशय पर 40 MW क्षमता की सौलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही गतिमान।
- उक्त सौलर पावर प्लांट से प्रतिवर्ष अनुमान 68 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा।
- उक्त योजना की स्थापना से निम्न किसी बजट/वित्तीय जोन बाद से प्रतिवर्ष अनुमान 2.0 से ₹ 2.5 करोड़ का लाभांश प्राप्त होगा।
- **नवानि घर योजना**
- नवानि घर योजना जनवरी के अन्तर्गत उपलब्धता प्राप्त जिला तीन वर्षों में सर्वसिद्ध योजनाएँ पूर्ण कर देने में प्रयास लक्ष्य रखा है।
- **पूर्णकार्य**:–
- नवानि घरें योजना में 09 ग्राम एवं 13 हजारात घर का निर्माण कार्य–पूर्ण।
- योजना की कुल लागत– ₹ 56.67 लाख।
- **निर्माणाधीन कार्य**:–
- जनपद उपलब्धारी में स्थित भगेरी में सरस्वती शिशु मन्दिर के समीप नदी के दक्षिणे तट पर, सतत घाट एवं सोढ़ा घाट का निर्माण कार्य लागत– ₹ 7.12 करोड़।
- जनपद हरिद्वार में हर की पैड़ी के पुनर्निर्माण का कार्य लागत– ₹ 54.00 करोड़।

12.3 लघुसिंचाई— लघु सिंचाई खण्डों के अन्तर्गत माह मार्च 2022 तक 21 सौलर सिंचाई योजना, 48 सोलर-कंक्रीट पम्पसेट, 51800 सिंचित सिंचाई गुल, 41285 सिंचाई क्षेत्र, 1423 ग्रामीण, 50500 कंक्रिट पम्पसेट, 842 पुलपीय पम्पसेट, 731 पक्का / स्थायी क्षेत्रित, 41 छोटे गेटेड विंग एवं 819 अतिरिक्त भूमि का निर्माण कार्य, 548.94 हजार हैं। वित्तीय अन्तर का सृजन किया गया है।

वर्ष 2021–22 में माह मार्च 2022 तक 19 सौलर सिंचाई योजना, 46 सौलर पम्पसेट, 900 विद्युत मजदूर, 1561.52 सिंचित सिंचाई गुल, 526 सिंचाई क्षेत्र एवं 20 अतिरिक्त भूमि का निर्माण / स्थापना कार्य 4384 हैं वित्तीय अन्तर का सृजन किया गया है।

तालिका 12.11
उत्तराखण्ड में निजी लघु सिंचाई कार्यों की वर्षवार उपलब्धियाँ

वर्ष Year	बोरिंग पम्प सेट/ Boring Pump sets (No.)	बड़े/मध्यम नलकूप Deep/Medium Tubewells (No.)	हाईड्रम Hydrams (No.)	सोलर लिफ्ट Solar Lift Schemes (No.)	बोरिंग सबमर्सीबल सोलर Solar Boring Pumpsets (No.)	टैंक Tanks (No.)	सिंचाई गूल Irrigation Gale (Km)
1	2	3	4	5	6	7	8
2010–11	54515	708	1532	—	—	31511	24070
2011–12	54802	703	1547	—	—	32568	26366
2012–13	54870	708	1481	—	—	34444	27220
2013–14	55159	715	1479	—	—	36228	28101
2014–15	55406	721	1479	—	—	36761	28760
2015–16	55541	726	1477	—	—	37521	30217
2016–17	55621	731	1448	—	—	38906	30535
2017–18	55784	731	1448	—	—	38784	30711
2018–19	55979	731	1448	—	—	39411	30991
2019–20	56217	731	1433	—	—	40303	31212
2020–21	56431	731	1433	—	—	40569	31484
2021–22	56695	731	1433	21	46	41365	31600

स्रोत– लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड

12.3.1 आर्टीफिशल ग्रूपों का निर्माण – ट्यूबवेल एवं पहाड़ के आसपास अनुमुचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आर्टीफिशल ग्रूपों का निर्माण कर, सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹ 50.00 लाख का लक्ष्य रखते हुए 09 आर्टीफिशल ग्रूपों का निर्माण किया गया है।

12.3.2 गूल, हौज एवं पाईपलाईन निर्माण– 12.3.2.1 सपोजल कम्पोनेन्ट एवं प्लान–एस.सी. एस.पी.– वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में गूल एवं हौज पाईप लाईन आदि के निर्माण हेतु ₹ 406.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है। वर्ष 2021–22 में वर्ष मार्च 2022 तक 21.36 किमी0 सिंचाई गूल, 14 सिंचाई हौज का निर्माण कर 182.31 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

12.3.2.2 ट्राईबल सब प्लान–टी.एस.पी.– वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में गूल एवं हौज पाईप लाईन के निर्माण हेतु ₹ 93.05 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है। उक्त वित्तीयवर्ष तक मार्च 2022 तक 0.35 किमी0 सिंचाई गूल, 01 हौज का निर्माण कर, 175.14 हैक्टेयर सिंचाक्षमता का सृजन किया गया है।

12.3.3 नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजना का निर्माण– राज्य योजना के अन्तर्गत चयनित सिंचाईविहीन लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य नाबार्ड द्वारा RIDF-XXIV, RIDF-XXVI एवं RIDF-XXVII के अन्तर्गत रुपये ₹ 3885.83 लाख लागत की 82 योजनायें स्वीकृत हुई है। जिसके अन्तर्गत सोलर एनर्जाइज्ड, फ्लैट वैल केप, पक्का सिंचाई प्रणाली, सिंचाई गूल एवं क्रीटीकल लघु सिंचाई योजनाओं के

फीडर/बुस्टरलाइन/ट्रांसफॉर्मर का कार्य किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण मद में ₹ 1041.28 लाख का व्यय करते हुए 65 चैक डैम, 5.77 किमी॰ सिंचाई पूल, 39 हैड का निर्माण कर, 243.13 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

12.3.4 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम/ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: केन्द्रपोषित योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम/प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में 951 क्लस्टर/योजना चयन सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी थी जिसे योजना का कार्य मार्च 2022 में पूर्ण किया जा चुका है।

उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में मार्च 2022 तक प्रगतिरत ₹ 1580.20 लाख का व्यय करते हुए 1627 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

12.3.5 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–हर खेत को पानी–भूजल (Ground Water): इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 हेतु खेत के नीचली जलस्तर हाईड्रेट एवं अवसादित नगर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ₹ 13.80 करोड़ लागत के 186 सोलर ट्यूबवैल एवं 12 इलेक्ट्रिक ट्यूबवैल, कुल 200 ट्यूबवैल भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹ 263.33 लाख का व्यय करते हुए 51 सोलर पम्पसेट एवं 18 इलेक्ट्रिक ट्यूबवैल का निर्माण करते हुए 255 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

12.3.6 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–हर खेत को पानी : भारत सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–हर ड्रॉप को ज्यादा क्रप के अन्तर्गत मार्च 2021 में वर्ष 2021–26 हेतु ₹ 3498.38 लाख लागत की 422 लघु सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त योजनाओं से 16624 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन प्रस्तावित है।

12.3.7 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कार्यक्रम (कुसुम): उक्त योजना के कम्पोनेन्ट–बी के अन्तर्गत सैचित ईंधन आधारित जलों पर सिंचाई की कम किये जाने एवं सौर ऊर्जा से अतिरिक्त प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से लगाए अवसादित नगर एवं हरिद्वार में दूसरों के व्यक्तिगत स्वामित्व डीजल सिंचाई/ रगर के स्थान पर 7.5 एचपी॰ तक के सोलर रगर स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिस पर कार्यवाही क्रियाधीन है।

12.4 नवीन एवं नवीन– रुपये जनित ऐसे का उद्देश्य के आधार पर आपदा हेतु सम्पूर्ण विकास की योजना का निर्माण किया गया जिसमें हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के शेष 11 जनपदों की 1110 ग्राम सभाओं में विकास किया गया जिसका आधार वर्ष–2011 किया गया। उक्त 1110 ग्राम पंचायतों में से 188 ग्राम पंचायत क्षेत्र हिमालयावित आपदा अवसादन क्षेत्र में है, जिन्में उपचार नहीं किया जा सकता है। अवशेष 922 ग्राम पंचायत में से विभागीय बाह्य सहायतित तथा केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत 264 ग्राम पंचायत का उपचार उपचार प्रबन्ध निदेशालय द्वारा तथा 291 ग्राम पंचायत का उपचार ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वर्ष 2019 तक किया गया है। शासन ने आपदा प्रबन्ध की निर्माणेत्तर बाह्य सहायतित तथा केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत 161 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में उपचार निर्धारण के कार्य किये जा रहे हैं। शेष उपचारित एवं शासन ने उपचार किये जा रहे ग्राम पंचायत में से 142 ग्राम पंचायतों को मुक्त पंचायत किया गया। कलेवर में 274 ग्राम पंचायतों का उपचार किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है।

तालिका 12.12
जलसंवेद क्षेत्र, जलागम, उप जलागम एवं सूक्ष्म जलागमों का विवरण

क्रमांक	जलसंवेद क्षेत्र का नाम	जलागमों की संख्या	उप जलागमों की संख्या	सूक्ष्म जलागमों की संख्या
1	यमुना	5	18	181
2	गंग 'अ'	2	5	50
3	गंग 'ब'	2	12	88
4	गोमती	2	18	159
5	शारदा	5	22	267
6	घाघरा	3	11	87
7	सोन	4	13	117
8	बेतवा	3	16	225
	कुल	26	116	1110

स्रोत: जलागम विकास, उत्तरप्रदेश।

तालिका
12.13 जनपदवार सूक्ष्म जलागमों की वर्णनात्मक स्थिति

क्र.सं.	जनपद	कुल जलागम संख्या	कुल जलागम उपचार कार्यान्वित हुई	उपचार योग्य सूक्ष्म जलागम संख्या	कार्यान्वित सूक्ष्म जलागम			कार्यान्वित की गई सभी श्रेणियों में सूक्ष्म जलागम				पूर्ण सूक्ष्म जलागम विकास	उपचार शेष सूक्ष्म जलागम
					उपचार प्रगति	उपचार निकास	कुल	उपचार 1	उपचार दो/तीन	उपचार 4 या 5	कुल सूक्ष्म जलागम		
1	आगरा	88	1	88	28	31	62	9	0	0	9	9	26
2	अलीगढ़	59	2	57	27	12	39	11	2	4	16	7	16
3	इलाहाबाद	138	38	138	1	97	98	8	3	26	36	15	27
4	बलरामपुर	61	3	41	26	21	47	6	4	0	6	8	1
5	चित्रकूट	94	11	83	5	13	69	12	3	0	15	7	16
6	देवरिया	71	9	63	35	14	51	6	10	0	13	29	22
7	एटा एवं	139	14	139	66	38	119	1	3	0	12	44	27
8	फिरोजाबाद	133	42	87	42	32	47	8	0	10	18	8	23
9	गाजियाबाद	45	4	41	10	9	28	4	0	4	16	3	6

10	टिहरी गढ़वाल	1121	17	114	48	41	89	13	3	0	13	29	21
11	उत्तरकाशी	11	0	11	2	0	2	0	0	0	0	0	0
12	उधमसिंह नगर	132	42	117	12	28	44	17	3	0	20	7	24
योग		1112	166	903	354	201	645	62	22	47	161	148	89

वर्ष 2021 में पूर्व उत्तराखंड ऐसे कुल उद्यानत जिनमें रिपोर्ट के उद्यानत कुल उत्पादन की आपूर्णता करीब हुई उनका कुल उत्पादन जिनमें आपूर्ण का विवरण दिया गया है।

स्रोत: उद्यान विभाग, उत्तराखंड।

12.4.1 विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत पलायन विकास परियोजना द्वितीय चरण–परियोजना का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के चयनित ग्रामीण उद्यानत क्षेत्रों में प्रमाणित लघुउद्यम की सहायिका से सांस्कृतिक उत्पादों के उत्पादन की गुणवत्ता तथा बाजारी सूचि की उत्पादकता में वृद्धि करना है। 7 वर्षीय यह परियोजना दिनांक 19 जुलाई, 2314 से प्रभावी हुयी तथा जनवरी, 2022 में पूर्ण हो गई है। परियोजना की कुल लागत 166 मिलियन डॉ एवं डॉलर (लगभग ₹ 1610 करोड़) है, जिसमें विश्व बैंक का अंश 100.2 मिलियन डॉ (लगभग 46.2 मिलियन डॉ एवं डॉलर तथा उत्तराखंड अंश 6.6 मिलियन डॉ एवं डॉलर है। यह परियोजना प्रदेश के 6 पर्वतीय जनपदों (टिहरीगढ़, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं नैनीताल) के 82 ग्रामीण उद्यानत के 2828.37 वर्ग किमी क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है जो 527 ग्राम पंचायतों के 1057 राजस्व ग्रामों में आच्छादित है जिससे लगभग 66000 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

तालिका 12.14
परियोजना के अन्तर्गत चयनित क्षेत्र का विवरण

जनपद	विकास खण्ड	कुल ग्राम पंचायत संख्या	कुल राजस्व ग्राम संख्या	ग्राम पंचायत		राजस्व ग्राम		कुल भूमि		
				संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	निजि	अनिजि	योग
अल्मोड़ा	चौखुटिया, द्वाराहाट	9	2838	37	24421	135	24421	450	7712	8162
उत्तरकाशी	भटवाड़ी, बड़कोट, डुंडा	17	4813	64	5828	120	5828	1373	3227	4700
चमोली	कर्णप्रयाग, थराली	9	2546	30	21812	76	21237	518	3237	3855
चौड़ी	गौचर	13	3103	79	11852	143	17004	411	4524	4935
रुद्रप्रयाग	ऊखीमठ, जखोली, उत्तरसूचि	8	1501	61	7886	107	7886	574	4950	3824
पिथौरागढ़	मुनस्यारी, डीडीहाट, बेरीनाग	8	2859	64	21701	147	21701	747	3593	4340
बागेश्वर	कपकोट	11	3525	44	34466	78	34466	761	2762	4523
टिहरी	घोसली, प्रतापनगर	7	2873	62	12083	176	12083	985	4529	4714
नैनीताल पूर्ण उद्यानत	धारचूला	1	241	1	4023	23	4023	58	422	479
योग		82	19307	527	55278	1057	152239	5049	34276	39323

स्रोत: उद्यान विभाग, उत्तराखंड।

परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में ₹ 113.88 करोड़, वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 178.60 करोड़, वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹ 171.87 करोड़ तथा परियोजना प्रारम्भ से मार्च 2022 तक कुल ₹ 1416.75 करोड़ व्यय किये गये, जिसमें ₹ 750.74 करोड़ विभिन्न बैंक से ऋण ली जा चुकी है। शेष राशि संशोधन सहित परियोजना में मार्च 2022 तक कुल ₹ 1874.86 करोड़ व्यय किया गया, जिसमें विभिन्न बैंक का ऋण ₹ 754.33 करोड़ है।

तालिका 12.15
परियोजना परिलब्धि सूचक

परियोजना वित्तीय प्रदर्शन सूचक	परियोजना प्रारम्भ से नवमी छमाही मार्च 2022 तक
सूचक–1 कम खेतों में जल उपलब्धता वृद्धि – 25%	कार्यान्वयन एजेन्सी के आकलन के अनुसार परियोजना अन्तर्गत छोटानदिया 2054 लघु खेतों में जल उपलब्धता में औसतन कुल– 13.3% से 25.0% एवं मौसमवार खरीफ– 13.8% से 33.7% वृद्धि हुई। 10388 राज्य खाल व 662 गौण खेतीहर समेत 11050.660 एम.सी. जल भण्डारण क्षमता हेतु विभिन्न जल आहरण शिल्प व जल भण्डारण संरचनाओं का निर्माण
सूचक–2 सिंचाई में वृद्धि– 25%	सिंचाई में वृद्धि– 24.0%
सूचक–3 बागानी क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि– 1262 हे. से बढ़कर 2989 हेक्टेयर	बागानी क्षेत्र में 2258 हे. क्षेत्रफल वृद्धि से कुल सिंचित क्षेत्रफल 1062.13 हे. हुआ।
सूचक–4 किसान क्षेत्र उत्पादकता में वृद्धि – 30% एवं अन्तिम क्षेत्र उत्पादकता में वृद्धि– 20%	सिंचित फसल– 28.7% बागानी फसल– 31.5%
सूचक–5 परियोजना से प्रति लाभान्वित परिवार 43,000 रुपैया, जिसमें से महिलाओं का हिस्सा	लाभान्वित परिवार– 59,800 महिलाओं का हिस्सा– 17.3%

उपलब्धियाँ: विकेन्द्रीकृत जलग्रहण विकास परियोजना–पीतीसार खास व अन्तिम कार्य 1–मुख्य जलस्रोतों जीवंतता एवं जल स्रोतों का पुनर्भरण / जलसंचय वृद्धि:–

- चिन्हित लघु खेतों में से 2054 लघु खेतों में से मानसून तिमाहियों 13.3% से बढ़कर 25.0% हो गया है। खरीफ के बाद की अवधि में बाकर तिमाहियों में क्षमतावृद्धि 13.8% से 33.7% तक हुई है।
- प्रशिक्षित मुख्य उपजलग्रहों के तुलनात्मक क्षेत्र में कुल 248 हेक्टेयर वृद्धि हुई है, जिसमें से 215 हेक्टेयर वृद्धि उच्च व अतिरिक्ति मुख्य जलग्रहणों में आदी दारिय / दीदार बंजर भूमि में 433 हेक्टेयर की नयी पैदावी गई है। इन मुख्य जलग्रहणों में वृष्टि और रन में औसत वृद्धि क्रमशः 3.98%, तथा 11.88% है. 8 प्रशिक्षित मुख्य जलग्रहणों में बंजर भूमि में जोखार कमी 2.86% है।
- मुख्य जलग्रहण क्षेत्रों की औसत गहन उपलब्धता में लगभग 1.18 एम क्यूबिक की वृद्धि।
- 80% से अधिक मुख्य जलग्रहणों में उत्पादन के समानान्तर होने वाले चारे आदि में वृद्धि अंकलित की गई है।

- 35% सूक्ष्म जलाशयों में जलकृत पुनर्भरण में वृद्धि परिलक्षित हुई है।
- 25% कुल जलाशयों में जल उपलब्धि में वृद्धि आकलित की गई है, जो कि जीर्ण जलाशय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।
- विभिन्न सूक्ष्म जलाशयों की औसत जलधारण क्षमता में सर्वाधिक वृद्धि 17% की रही है, वेलाडहल में अति वर्षा और 71.6 टन की जलधारण क्षमता पटलम अति वर्षा 69.2 टन हो गई है।

2—जल संरक्षण, सम्मरण एवं जल खोजी का उपचार

- 10,05,500 एम घैट क्षमता की विभिन्न पारंपरिक जलकार्यों, सभा जलाशय पोरिय, गरम खाद, तिरुवनियेट, वनियाई आदि निर्मित होने से निर्मित 2054 प्रभावित जल खोजों में से 2024 जल खोजों तो जल उपलब्धि में 22 से 2 प्रतिशत वृद्धि।

3—बागानी कृषि क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा विकास एवं उत्पादकता वृद्धि

- सिंचाई हेतु विविध संसाधन संरचनाएँ निर्मित एवं 30651 एम घैट जल संसाधन क्षमता अर्जित की गई।
- बागानी कृषि क्षेत्रों में उन्नत सेवाओं एवं नवीन कृषि तकनीकों को अंगीकरण से कृषि उत्पादकता में 35.1 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

4—सिंचाई सुविधा हेतु सौर ऊर्जा का उपयोग

- परियोजना के माध्यम से 24 सौर ऊर्जा पम्प स्थापित किये जा चुके है, जिनके माध्यम से इन गांवों में लगभग 107.75 हेक्टेयर कृषि क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है।

5—परती भूमि का पुनरुद्धार

- परियोजना के अंतर्गत लगभग 2500 हेक्टेयर परती भूमि में कृषि तथा उद्यान आधारित गतिविधियों के माध्यम से कृषिगत भूमि में परिवर्तित की जा चुकी है।

6—वनरक्षित खोजी

- वेलेकमरी वनक्षेत्र सूक्ष्म जलकर्मी की सहायता देने हेतु खोजी हायल एवं हाथी उपचार का निर्माण किया जा रहा है, जिसके उपलब्धन अधिक होने एवं मनोरंजन के उपायों के चिह्नन से वनक्षेत्र की आसपास निवासित आम होना सुनिश्चित हुआ है। सूक्ष्म खोजी हायल में वेलेकमरी एवम् सूक्ष्म जलकर्मी, गुहाएँ एवं पेरेनी सरिताओं का उपयोग कर उनके विकास से ₹ 10,000 प्रतिमाह तक की आय प्राप्त कर रहे हैं।

7—कृषि क्षेत्र से आय में वृद्धि

- परियोजना से अंतर्गत सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाने से बागानी कृषि क्षेत्रों में वर्ष 2015—16 की तुलना में वर्ष 2021—22 में कृषकों की औसत वार्षिक आय 182 प्रतिशत बढ़कर ₹ 14,999 हो गई है।

8—प्रमाणित बीज उत्पादन

- परियोजना के अन्तर्गत उत्पाद में लगभग 20 इकाइयाँ सूक्ष्म जलकर्मी वाले सूक्ष्म जोन 'जलगलम कृषि बीज उत्पादक संघ, वेलाडहल' द्वारा वर्ष तक उत्पादन 110 टन प्रमाणित बीज उत्पादित कर लगभग ₹ 77.80 लाख विक्रय मूल्य प्राप्त किया है।

9—कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन

- परियोजना के अन्तर्गत 17,488 कृषकों को 1,400 इकाइयाँ सूक्ष्म समूहों में संगठित किया गया है।
- कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहित करने हेतु 1243 समूहों के 13,938 कृषकों को 21 सूक्ष्म जोनों में संगठित एवं व्यवसाय संकलनकेन्द्रों के रूप में पंजीकृत किया गया है।
- उक्त सूक्ष्म समूहों / इकाई द्वारा लगभग ₹ 105.998 करोड़ की कृषि उपजों का व्यवसाय किया गया है तथा ₹ 8.998 लाभांश की धनराशि अर्जित की गयी है।

10–जन्म आवश्यक गतिविधियाँ

• जिला दर दोष गतिविधि के अन्तर्गत ब्लाक एकल तथा 1040 समूहों द्वारा 14,148 सिंचित वर्ग एकियों को पैर कृषि अन्तर्गत अन्तर्गोत्रा गतिविधियों हेतु आर्थिक सहायता दी गयी तथा प्रति परिवार ₹ 20,000 से 25,000 की आर्थिक अनुदान जारी की गयी।

• विभिन्न गतिविधियों से महिलाओं को लगभग लाभान्वित राज्य 96,15,035 रूपया विभाग कृषित किये जा चुके हैं।

11–कृषि व्यवसाय दोष सेंटर की स्थापना

• उत्तराखण्ड सरकार की पुरस्कृती नीति के अनुरूप परिवेक्षण के अन्तर्गत दूरस्थ गांवों के सीमांत किसानों, छोटे काश्तकारों और लघु उद्यमियों को बाजार की मांग के अनुरूप कृषि उत्पादों की उन्नित, विकसित, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण आदि की जानकारी, व्यवसाय सलाही एवं सुविधाओं आदि के साथ साथ उन्हें को सम्बन्ध जैसी सही सुविधाएं, एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु जनपद के उद्देश्य से कृषि व्यवसाय दोष सेंटर की स्थापना की गई है।

खण्ड-2 परिशिष्ट के अन्तर्गत जिला 12 कृषि व्यवसाय दोष सेंटर उत्तराखण्ड सरकार की एग्रीकल्चर प्रमुख सचिव की अनुमोदन पश्चात स्थापित किये गये हैं-

1. टिहरी उत्पाद में खाली दोष सेंटर
2. पी.एच.यू. उत्पाद में सब्जियां पत्तेदार सलाई दोष सेंटर
3. बागेश्वर उत्पाद में मसाला दोष सेंटर
4. चिन्यालीसौड़ उत्पाद में गाजरी दोष सेंटर
5. देहरादून उत्पाद में पुनरुद्ध जैसी दोष सेन्टर
6. अल्मोड़ा उत्पाद में फलदार दोष सेंटर
7. पौड़ी उत्पाद में मिश्रितखाद दोष सेंटर
8. पौड़ी उत्पाद में आर्केज गूंद बोस सेंटर
9. गदरपाल उत्पाद में दोलिया दोष सेन्टर
10. उत्तरकाशी उत्पाद में मिला दोष सेन्टर

12.4.2 अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि वित्त पोषित (IFAD) एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना: उत्तराखण्ड राज्य निदेशालय परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विकास परिषद के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कराया जा रहा है जिसका उद्देश्य सर्वाधिक सूक्ष्म उद्यमशील क्षेत्रों में सामाजिक समूहन की सहभागिता से आजीविका संसाधनों के उपयोग की क्षमता में वृद्धि तथा कृषकों से सम्बन्धित कृषि आय, खाद्यान्न उत्पादन इत्यादि के अन्तर्गत उत्पादकता/क्षमता में वृद्धि कर जनजीविका विकास करना है।

परियोजना 2012 में प्रारम्भ की गयी थी जो मार्च 2021 में पूर्ण हो गई है। जिसकी कुल लागत ₹ 281 करोड़ है। जिसका कार्यान्वयन पौड़ी, चैनोलिया एवं उत्तरकाशी जनपदों के सात विकासखण्डों के अन्तर्गत 22 सूक्ष्म जलग्रहणों के 31,194 हितग्राहों में किया जाना है, जिसमें 150 ग्राम पंचायतों के 281 राजस्व ग्राम सम्बन्धित हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह दिसम्बर 2021 तक परियोजना कार्यकाल समाप्त किया गया।

तालिका 12.16
परियोजना के अंतर्गत चयनित क्षेत्र का विवरण

ब्लॉक का नाम	ग्रेविटेशनल ज़ोन का नाम	कुल जलग्रहण क्षेत्र की संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	ऊपरी क्षेत्र (हे.)	मध्य क्षेत्र (हे.)	निचला क्षेत्र (हे.)	उपचार योग्य क्षेत्र	उपचार हेतु चयनित क्षेत्र	कुल जनसंख्या
रोही	पर्वत, एस्केप	5	18470	11082	4619	1759	48	19	5388	21643
बगवाड़ा	बगवाड़ा, पाटी, उपवाड़ा	4	21011	12615	5255	2720	56	128	5856	36652
पैनीखाड़ा	मोखाखाड़, , खाड़ा	10	12715	10462	1512	1252	61	154	11045	5618
योग–		22	73194	42807	19069	9078	190	301	22450	137211

स्रोत: उपरोक्त विवरण, आंकलनानुसार।

परियोजना के अन्तर्गत दिसंबर 2021 तक कुल ₹ 276.99 करोड़ व्यय किये गये जिसमें ₹ 105.47 करोड़ प्रशिक्षित योगदान है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में यह दिसम्बर 2021 तक ₹ 5.50 करोड़ व्यय किया गया तथा परियोजना अवधि में दिसम्बर 2021 तक कुल ₹ 282.18 करोड़ व्यय किया गया। परियोजना के संचालन में केंद्र सरकार का भाग वित्तीय वर्ष से तथा परियोजना कार्यक्रमों तथा संचालन व्यय की अग्रिम राशि किस्तों के वर्ष के अनुसार दी जाती है।

12.4.3 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना समेकित जलग्रहण विकास कार्यक्रम:–

12.4.3.1 समेकित जलग्रहण विकास कार्यक्रम:–

समेकित जलग्रहण प्रबन्ध कार्यक्रम (IWMP) को वर्ष 2015–16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत जलग्रहण विकास घटक के रूप कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका वित्त पोषण 90 प्रतिशत केंद्र द्वारा तथा 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में आपदा प्रवण जनपदों हेतु स्वीकृत 7 परियोजनाओं के अन्तर्गत 47 कुल जलग्रहण क्षेत्र में परियोजना कार्य किये जा रहे हैं। जिसमें 284 ग्राम पंचायतें लाभान्वित हो रही हैं।

योजना के अन्तर्गत 2019–20 से 2021–22 तक पहाड़ डायवर्ट के अन्तर्गत अनुदान न होने से संचालन हेतु कोई धनराशि अवमुक्त नहीं हुई।

तालिका 12.17
आपदा प्रभावित जनपदों हेतु स्वीकृत
समेकित जलग्रहण प्रबन्ध कार्यक्रम का जनपदवार विवरण:

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कुल स्वीकृत ईकाई की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	सम्मिलित विकास खण्ड	कुल स्वीकृत धनराशि (रु0 लाख में)	कुल परियोजना लागत (रु0 लाख में)	स्वीकृत ग्राम पंचायतों की संख्या	प्रशिक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या
1	रुद्रप्रयाग	4	1	4	4025	4281.49	75	42
2	पौड़ी	20	3	कल्जीखाल, एकेश्वर, पौड़ी, रिखणीखाल	4837	7345.09	369	104

3	सिंदौरामऊ	63	1	बाबूखा	20157	3323.00	32	27
4	मऊखास	4	1	उमरीला	8124	1218.00	24	19
5	लालखाली	5	1	रतनाली	16572	2240.00	23	22
कुल		87	7		180272	27040.00	466	364

स्रोत: जलागम विभाग, हरदामपुरा।

उक्त योजना में 17 अनुसूचना के अन्तर्गत विभाग वर्ष की अवधि समाप्ति ₹ 7.00 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 4.72 करोड़ का वास्तविक उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2021–22 में वित्तीय वर्ष के 3 करोड़ रुपयादि आवंटित ₹ 3.63 करोड़ के सापेक्ष मार्च 2022 तक ₹ 0.82 करोड़ का उपयोग किया गया। दिनांक 31 मार्च, 2022 की परियोजना की समाप्ति अवधि पूर्ण होने पर खासा अवशेष धनराशि बैलेन्स के रूप में भारत सरकार को एवं राज्यांश राज्य सरकार को समर्पित किया जा चुका है।

12.4.3.2 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– जलागम विकास अन्तर्गत अनुसूचित जाति उप योजना: – ऐसे राजस्व ग्राम जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत से अधिक है इनमें अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत परियोजना कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कराया जायेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत 56 कृषक परिवारों अनुसूचित जाति उप योजना में आच्छादित हैं। योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में कोई धनराशि अनुमत नहीं हुई। वित्त वर्ष की अवशेष धनराशि ₹ 21.83 लाख का वास्तविक उपयोग किया गया। परियोजना की क्रियान्वयन अवधि मार्च 2021 में पूर्ण हो गई।

12.4.3.3 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– जलागम विकास के अन्तर्गत जन जाति उप योजना: – संयुक्त एकीकृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास के अन्तर्गत ऐसे राजस्व ग्राम जिनमें उक्त जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत से अधिक है इनमें उक्त जाति उप योजना के अन्तर्गत परियोजना कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कराया जायेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– जलागम विकास के अन्तर्गत 12 ग्राम पंचायतें जहां जाति उप योजना में आच्छादित हैं।

योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–19 से 2020–21 तक कोई धनराशि अनुमत नहीं हुई। परियोजना की क्रियान्वयन अवधि मार्च 2021 में पूर्ण हो गई।

12.4.4 राष्ट्रीय राष्ट्र खाद एवं कृषि संगठन वित्त पोषित डीएफ–6 वीन एग्रीकल्चर परियोजना (पर्यं योजना):– राष्ट्रीयकृत महत्वपूर्ण से उद्यानिक विकास की आवश्यकता पर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकी/पर्यावरण जलवायु और महत्वपूर्ण तीव्र विकेन्द्रता तथा कम कृ–दूरदृ के संसाधन की दिशा कृषि सेवाओं में सुधार/योजनाओं के दृष्टिगत राजस्व परिषि गठबंधन के राजकीय कार्यालय कम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स तथा कार्यालय तथा तीव्र परिदृश्य क्षेत्र में 5.87 मिलियन US$ (लगभग ₹ 41.20 करोड़) लागत की डीफ–6 वीन एग्रीकल्चर परियोजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2019–20 से किया जा रहा है, जो वर्ष 2325–26 में पूर्ण होगी। माह अगस्त 2019 में लिमार ₹ राष्ट्रीय राष्ट्र खाद एवं कृषि संगठन के प्रतिनिधि से मध्य डीफ–6 वीन एग्रीकल्चर परियोजना के अनुक्रम पर हस्ताक्षर हुए। परियोजना क्षेत्र की स्थापित स्वास्थ्यिकता अनुसार से कवरेज से होगी। परियोजना कार्यान्वयन तथा राजकीय राष्ट्रीय पार्कों के चौगानाई क्षेत्रों में भू–संरक्षण अवधारणा से कार्य करेंगे। वित्तीय वर्ष 2020–21 में परियोजना अन्तर्गत ₹ 11.88 लाख व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में परियोजना अन्तर्गत ₹ 93.04 लाख का व्यय हुआ है। परियोजना प्रारम्भ से माह मार्च, 2022 तक कुल व्यय ₹ 94.92 लाख हुआ है।

अध्याय–13

उद्योग एवं खनन

Industry & Mining

राज्य के आर्थिक विकास में उद्योग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। देश में राज्य निवेश दर वाले राज्यों में उत्तराखण्ड शामिल है और इसमें तीव्र औद्योगिक विकास की संभावित महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अधिसंरचना निवेश आकर्षित करने हेतु उच्चतम प्राथमिकता देने की दिशा में प्रस्तावित पैकेजों के क्रियान्वयन, सतत सतर्क औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के साथ विकास से इस क्षेत्र ने विशेष सफलता अर्जित की है और अवस्थापना क्षेत्र के औद्योगिक गलियारे में आगे निवेशकर्ताओं को आकर्षित करने में सफल रहा है।

पहाड़ी अवस्थापना में विकास बढ़ाने में एमएसएमई क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में स्थापित हुआ है। एमएसएमई क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत में बड़े रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। ये उद्योग आय और धन के असमान वितरण, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने, ग्रामीण और पारंपरिक क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण में सहायता करते हैं। यह क्षेत्र लगभग 8000 से अधिक उत्पादों के माध्यम से कुल विनिर्माण उत्पादन में 45 प्रतिशत और देश के निर्यात में 40 प्रतिशत से योगदान देने के साथ ही देश के समस्त औद्योगिक उत्पादन में भी लगभग 16 प्रतिशत का योगदान देता है। एमएसएमई क्षेत्र औद्योगिक विकास के साथ साथ ही सामाजिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी कारण से पृथक्कित भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में पहल, लघु एवं सक्षम उद्यम विकास अधिनियम पारित किया गया, जिससे सरकार से एमएसएमई के सांस्थानिक विकास को बढ़ावा मिले।

उत्तराखण्ड राज्य के आर्थिक विकास में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य गठन के समय 14163 इकाईयां स्थापित थी, जो वर्ष 2021–22 में बढ़कर 73861 हो गई हैं। राज्य गठन के इन 20 वर्षों में इनमें 5 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है, जबकि इनके माध्यम से रोजगार में 3 गुना तथा योगदान में 6 गुना की वृद्धि हुई है।

राज्य के कुल रजत्वर घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में जीएसडीपी सैक्टर का योगदान वर्ष 2021–2022 में 44.44 प्रतिशत अनुमानित है। इसमें विनिर्माण सैक्टर का योगदान लगभग 33.26 प्रतिशत अनुमानित है।

तालिका 13.1
उत्तराखण्ड राज्य में उद्योगों की स्थिति

वर्ष	उद्योगों की संख्या					पूंजी निवेश (करोड़ में)	रोजगार (संख्या में)
	वृहद उद्योग	मध्यम उद्योग	लघु उद्योग	सूक्ष्म उद्योग	योग		
2018–19	7	20	440	2705	3047	1530.47	20494
2019–20	28	35	501	3565	4131	1731.15	25709
2020–21	2	29	250	3990	4271	909.48	22387
2021–22	0	108	252	4715	5075	871.52	35980

13.1 जनवरी, 2022 तक कुल एम.एस.एम.ई. पंजीकृत इकाईयों की संख्या 73961 है, जिनमें ₹ 15334.56 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 382431 लोगों को रोजगार मिला है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

तालिका 13.2

विवरण	स्थापित औद्योगिक इकाईयों की संख्या		पूंजी निवेश (करोड़ रु में)		सृजित रोजगार	
	एम.एस.एम.ई.	कुल	एम.एस.एम.ई.	कुल	एम.एस.एम.ई.	कुल
पूर्ववर्ती राज्य के दिनांक 9-11-2000 तक पंजीकृत लघु, सहायक इकाईयां	44163	39	7002.29	8364.78	38589	29187
9-11-2000 से माह मार्च, 2022 तक पंजीकृत फूड, लघु एवं बृहत उद्योग	29798	290	14634.27	29908.16	343922	92254
योग:-	73961	329	15334.6	37987.9	382431	181451

13.2 उत्तराखण्ड निर्यात नीति (Export Policy of Uttarakhand):- राज्य से निर्यात वृद्धि हेतु सरकार द्वारा नई निर्यात नीति प्रख्यापित की गयी है। नीति के अन्तर्गत दवी एवं एरोमा, ट्यूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी, वैलनेस एवं आयुष, हैण्डलूम एवं हैण्डीक्राफ्ट, पार्क्स/इंडस्ट्रियल एस्टेट/क्लस्टर सहित टाउनशिप/हाउसिंग एवं एलाइड सैक्टर को निर्यात नीति में फोकस सैक्टर के रूप में चिन्हित किया गया है। निर्यातकों को विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन, एयर सुनि की दरों में छूट/रियायत, सूनि लागत पर क्रेडिटेड सहायता, सूनि परिवहन शुल्क की प्रतिपूर्ति, विपणन सहायता, फॉरेन डिलीगेशन एवं प्रोजेक्टिव असिस्टेन्स सहायता, अनुपालन एवं सिक्का के लिए असिस्टेन्स, प्रमाणन के लिए सहायता, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा आपकी की बिक्री हेतु सहायता, आंशिक पूंजी एवं ब्याज प्रतिपूर्ति की सहायता एवं निर्यात उत्तरदायित्व कार्यालय हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

13.2.1 उत्तराखण्ड से निर्यात की स्थिति (Status of Export from Uttarakhand):- औद्योगिक इकाईयों एवं सांस्थानिक कार्यालयों के माध्यमवृ की राज्य से वर्ष 2020-21 में ₹ 15000 करोड़ का निर्यात हुआ है। सम्पूर्ण भारत के परिदृश्य में निर्यात की वृद्धि दर वर्ष 2020-21 में उत्तराखण्ड की 16 वीं स्थान प्राप्त हुआ। प्रदेश का कुल निर्यात भारत में वर्ष 2020-21 के सम्पूर्ण निर्यात का 0.74 हिस्सा है। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत राज्य ने सकारात्मक कम्पाउण्ड वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 13.03 प्रतिशत प्राप्त की जबकि भारत की निर्यात दर इस अवधि में -1.23 प्रतिशत रही। जनवरी 2020 में नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी एस्पायरेंट डिस्ट्रिक्ट्स इंडेक्स (EDI) 2020

[illegible] से उत्तराखण्ड राज्य को हिमालयी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित भी गई है। यह दुनियाभर निवेश इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं, एक अनुकूल माहौल और व्यावसाय के सहज राज्य अपने निवेश प्रदर्शन से सम्मान हुआ है।

उत्तराखण्ड औद्योगिकीकृत एवं पलायन होने से निवेशक [illegible] को आकर्षित करने हेतु अनेक प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की जाती रही हैं। औद्योगिक, पुनर्स्थापित, वृद्धि एवं व्यापार प्रवर्तनकारी, जैविक उत्पाद, रोजगार एवं सेवा सुविधा, शराब एवं औषधीय पौध आधारित उद्योगों, फेब–टैक्सटाइल्स आदि राज्य के लिए निवेश सम्भावनाओं हेतु अन्य क्षेत्र प्रमुख हैं। राज्य में वर्तमान निवेश की स्थिति निम्न तालिका 13.3 में स्पष्ट है–

तालिका 13.3
वर्ष 2011–12 से 2020–21 की अवधि तक उत्तराखण्ड में निवेश की स्थिति

वर्ष	कुल निवेश (करोड़ ₹ में)
2011–12	3580
2012–13	6571
2013–14	6782
2014–15	8539
2015–16	7390
2016–17	8011
2017–18	10807
2018–19	16286
2019–20	10871
2020–21	15516
2021–22 (अप्रैल से दिसम्बर 21 तक)	10579

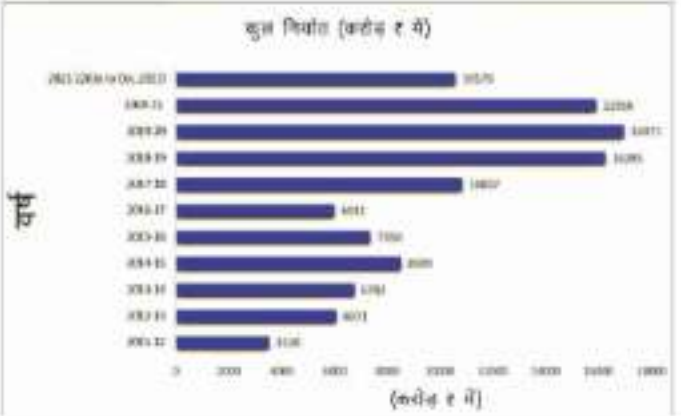

तालिका 13.4
वर्ष 2020–21 में राज्य से निर्यात का विवरण

Sector	Value in INR Cr		
	FY 20-21	FY 19 -20	FY 18 - 19
Pharmaceutical	1719.27	1228.03	1310.66
Engineering (Includes Automobile)	1225.45	1165.96	1583.82
Plastic	956.92	950.69	976.44
Agro & Allied	508.72	245.90	151.93
Overall Exports from the State	**15915.54**	**16,570.9**	**16,284.7**

Uttarakhand Export Figures for FY 2021-22 up to Dec, 2021

S.No	HS Codes	Commodity Section (In Crore)	Value In INR	% of Total Exports
1	01-05	Animals And Animals Products	118.38	1.12
2	06-14	Vegitable Products	235.46	2.23
3	15	An Imals Or Vegitables Fats	1.70	0.02
4	16-24	Prepared Foodstaffs	408.51	3.86
5	25-27	Mineral Products	147.45	1.39
6	28-38	Chemical Products	2348.35	22.20
7	39-40	Plastics & Rubber	1171.41	11.07
8	41-43	Hides & Skins	5.50	0.05
9	44-46	Wood & Wood Products	29.44	0.28
10	47-49	Wood Pulp Products	361.06	3.40
11	50-63	Textiles & Textile Articles	456.77	4.32
12	64-67	Footwear, Headgear	21.45	0.20
13	68-70	Articles Of Stone, Plaster, Cement, Asbestos	131.22	1.24
14	71	Pearls, Precious Or Semi - Precious Stones, Metals	1261.94	11.94
15	72-83	Base Metals & Articles Thereof	2075.41	19.60
16	84-85	Machinery & Mechanical Appliances	804.61	7.61
17	86-89	Transportation Equipment	753.48	7.12
18	90-92	Instruments - Measuring, Musical	98.56	0.93
19	93	Arms & Ammunition	51.58	0.49
20	94-95	Miscellaneous	118.89	1.12
21	97-98	Works Of Art	0.04	0.00
22	99	Others	0.00	0.00
		Grand Total	**10579.47**	**100.00**

13.5 ईमार्केटी कोविट आईन मालमी स्वीएं(ईलीएमएमीएस) – आलमिंग मामला विदेश के अलावि एमएमइई से जिसे अन्य इलाकेली जोविट आईन मालमी स्वीएं का लाभ सहित्यिक राज इलाकेली को सहुलते से जिसे राज सरकार, एमएमईएं, केन्द्र एवं जीआईएम मालमे से मदद मिलाना इसमें सेटर्स विकासकरण के लिये जारी रख रही है।

तालिका 13.5

Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS)

Phase-I up to Rs. 25 Crores (Progress as on 31.12.2021)

Eligible loan A/Cs		No. of accounts where information sent	No. of Accounts		Amount (in Crore)		Coverage Percentage %
No.	Amt. (in Crore)		Sanction	Disbursement	Sanctioned	Disbursement	
69747	2468.01	69747	67542	43865	1682.80	1661.34	67.31

Source-SLBC

Phase-II Above Rs. 25 to 50 Crores (Progress as on 31.12.2021)

Eligible Loan A/Cs		No. of accounts where information sent	No. of Accounts		Amount (in Crore)		Coverage Percentage %
No.	Amt. (in Crore)		Sanction	Disbursement	Sanction	Disbursement	
1026	226.47	1026	98	83	146.25	113.38	8.58

Source-SLBC

तालिका 13.6

Stressed Assets Subordinate Debt Fund Scheme

(Progress as on 31.12.2021)

Eligible Loan A/Cs		No. of accounts where information sent	No. of Accounts		Amount (in Crore)		Coverage Percentage %
No.	Amt.(in Crore)		Sanction	Disbursement	Sanction	Disbursement	
160021	2734.40	160021	67631	42844	1825.34	1771.34	67.68

Source-SLBC

13.3.1 एमएसएमई नीति 2015:– राज्य सरकार द्वारा खुल, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम श्रेणी के अन्तर्वेशन के पात्र को सेक्टर, स्थानीय सहायता का आकर्षित लाभों की प्रदायगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों के सृजन, आकांक्षित गुणियों के विकास तथा सहयोगात्मक को प्रोत्साहित करने के लिए 'खुल लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015' लागू की गई है। यह नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। एमएसएमई नीति के प्रभावी होने/अधिसूचना जारी होने की तिथि से पात्र औद्योगिक इकाइयों को उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2025 तक जो भी पहले हो, नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ प्रदत्तमय होगा। इस नीति में उद्योग को तीन श्रेणियों ए, बी, सी– की एवं डी में परिभाषित करते हुये विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन एवं पूंजी निवेश उपलब्ध, मशीन एवंउपकरण, स्थायी शुल्क में छूट, वित्तीय ब्याज प्रतिपूर्ति, विशेष राज्य अधिकरण उपलब्ध शहित विभिन्नता सुविधा के रूप में अवसंरचनात्मक सहायता एवं सुनम्यता, विनियमन व सहजीकरण आदि महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं।

एमएसएमई नीति–2015 के अंतर्गत वर्ष 2021–22 में सूक्ष्म उद्यम श्रेणी के तहत ₹ 57.60 करोड़ की प्रदायगी सहायता अनुमोदित की गई है।

तालिका 13.7
विजन 2030 के लिए एसएसएच0 सेक्टर के सूचक

क्र. सं.	सूचक	वर्तमान स्थिति	वर्ष अनुसार लक्ष्य निर्धारण	
			2023-24	2029-30
1	एसएसएच0 की क्षमता (लाख में)	718.17	34330	170330
2	कुल निवेश (करोड़ रु में)	5496.14	19400	36000
3	रोजगार सृजन (संख्या में)	365609	46000	85000

स्रोतः- उत्तराखण्ड सरकार (उत्तराखण्ड विजन – 2030)

13.4 वित्तीय प्रोत्साहन एवं छूट के रूप में विभिन्न गतिविधियों एवं क्रियाकलापों को निम्नलिखित सहायता/सुविधाएं प्रदान की गई हैं:-

तालिका 13.8
निवेश प्रोत्साहन सहायता (प्लांट व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन)/अनुदान/छूट

क्र. सं.	श्रेणी	निवेश प्रोत्साहन सहायता की मात्रा/सीमा	अनुदान की मात्रा/सीमा	छूट की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी-ए	40 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 40 लाख)	10 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 10 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)	शून्य प्रतिशत
2	श्रेणी-बी एवं बी+	35 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 35 लाख)	08 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 08 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)	शून्य प्रतिशत
3	श्रेणी-सी	30 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 30 लाख)	06 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 06 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)	शून्य प्रतिशत
4	श्रेणी-डी	15 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 15 लाख)	शून्य	50 प्रतिशत

तालिका 13.9
विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति

संस्थापित विद्युत भार	श्रेणी-"ए"	श्रेणी-"बी" व "बी+"
	प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा	प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा
100 केवीए	प्रथम 3 वर्ष के लिये शत् प्रतिशत तथा उपरान्त 75 प्रतिशत	प्रथम 3 वर्ष के लिये शत् प्रतिशत तथा उपरान्त 50 प्रतिशत
100 केवीए से ऊपर	65%	50%

13.5 महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना— राज्य के औद्योगिक विकास में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र ने महिलाओं की साहसिक क्षमताओं को सशक्त करने हेतु विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र के सूक्ष्म व लघु उद्यमों की स्थापना के लिए वैश्विक से सुलभ-आधुनिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए **"महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना"** दिनांक 15 मार्च, 2015 से लागू की गई है जिस हेतु निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे–

1. पूंजीगत उपादान सहायता: कुल स्थिर पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत अधिकतम ₹ 25 लाख।

2. ब्याज उपादान सहायता: बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण पर देय ब्याज में 5 प्रतिशत अधिकतम ₹ 5 लाख प्रतिवर्ष / की छमाई।

महिलाओं द्वारा स्थापित उद्यमों के लिए प्रोत्साहन पहलों के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुल 31 दावों के सापेक्ष ₹ 0.33 करोड़ की धनराशि भी वितरित की गई है।

13.6 क्षेत्रिटलेशन उपादानमाला— प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के लिये एक सुनियोजित योजना के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है। इस दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में ₹ 1.24 लाख करोड़ के पूंजी निवेश से कुल 831 एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये।

तालिका 13.10

सैक्टर	सम्पादित अनुबंधों की संख्या	प्रस्तावित पूंजी निवेश (करोड़ ₹ में)	प्रस्तावित रोजगार
ऊर्जा	19	21543	23489
खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, पशुपालन, बेवरी, फल प्रसंस्करण, मछुआपालन	91	9804	81889
[illegible]	71	19864	99373
दुग्ध प्रोसेसिंग एवं उत्पाद	10	3415	47100
[illegible]	18	20363	28000
विनिर्माण	233	11808	51704
सिंचन एवं सिंह	8	6021	20700
पर्यटन एवं आतिथ्य, सिनेमा मल्टिप्लेक्स	119	14363	25405
[illegible] एवं अन्य	72	5073	11070
योगफल	**661**	**120358**	**353824**

इसके अतिरिक्त वर्तमान वित्तवर्ष में दो माह दिसम्बर, 2021 तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, महिलाओं की अभिवृद्धि के संबंध में निम्नलिखित उपलब्धियों की जानकारी की जा चुकी है–

तालिका 13.11

परियोजना का प्रकार	जारी परियोजनायें	प्रस्तावित पूंजी निवेश (करोड़ ₹ में)	प्रस्तावित रोजगार
महिलाओं के द्वारा प्रस्तावित संचालित उद्यमों की कुल परियोजनायें	121	1892.84	4514
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	251	1230.45	3240
अभिवृद्धि की अभिवृद्धि के संबंध में निर्देश द्वारा प्रस्तावित परियोजनायें	3	1.91	275

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

राज्य की 'इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमिक जोन' के रूप में पहचान सुदृढ़ करने के उद्देश्य से डोईवाला स्थित औद्योगिक पैकेजों के पंजीयन व निवेशकों से निवेश संबंधित कार्य निवेश प्रोत्साहन के क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। परियोजनाओं को त्वरित गति से धरातल पर उतारने के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित राज्य प्रोत्साहन समिति द्वारा निवेश प्रस्ताव की गहन में दो बार समीक्षा की जा रही है।

13.7 उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुरक्षा और अनुज्ञापन व्यवस्था:- 'उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुरक्षा और अनुज्ञापन व्यवस्था' ऑनलाईन एक संयुक्त पोर्टल (www.investment uttarakhand.com) के रूप में विकसित किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रदायी एक ही पोर्टल पर सभी सूचनाएँ यथा- अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ एवं अनुज्ञाएँ निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत प्राप्त कर रहे हैं।

तालिका 13.12
विभाग विन्दों के माध्यम से अनुमोदित निवेश प्रस्ताव

	Unit Type	Total Unit Approved	Investment (INR. Crore)	Employment
April-2016 To March-2017	MSME	488	631.95	5422
	LARGE	15	1638.66	3134
April-2017 To March-2018	MSME	549	1344.81	9105
	LARGE	17	1412.19	5809
April-2018 To March-2019	MSME	1075	3591.74	16154
	LARGE	48	3554.96	8823
April-2019 to March-2020	MSME	1561	4350.05	35735
	LARGE	56	7858.05	8998
April-2020 to March, 2021	MSME	1495	2776.00	26412
	LARGE	41	1888.46	4417
April-2021 to March, 2022	MSME	1791	4740.56	32901
	LARGE	60	4088.38	13911
GRAND TOTAL FOR MSME UNITS		**6940**	**17257.11**	**134019**
GRAND TOTAL FOR LARGE UNITS		**240**	**22260.25**	**42542**
GRAND TOTAL (MSME + LARGE)		**7180**	**39477.36**	**176561**

अधिनियम के अन्तर्गत उच्चाधिकार समिति के निवेश प्रस्तावों (रू 50.00 करोड़ तक) पर टिप्पणियों की अपेक्षा से गठित जिला प्राधिकृत समिति तथा वृहद क्षेत्र के निवेश प्रस्तावों (रू 50.00 करोड़ से अधिक) पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है।

13.7.1 उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुरक्षा एवं अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 में संशोधन:- उत्तराखण्ड राज्य में उद्यम स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुज्ञापन, अनुज्ञायें व स्वीकृतियां प्राप्त करने हेतु एकीकृत व्यवस्था दिये जाने के उद्देश्य से, जहाँ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम की श्रेणियों एवं सुरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी, उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुरक्षा और

अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। इस संशोधन के द्वारा खान में खुले एवं लघु खनकों की स्थापना के लिए राज्य विधियों के अधीन प्रदत्त की जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों / अनुज्ञापनों / अनुज्ञप्तियों / अनुमतियों में सिंगलविन्डो / सुट प्रणाली पर खुले एवं लघु खनकों को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त सभी को विभिन्न विभागों से अपेक्षित स्वीकृतियां / अनापत्तियां / अनुज्ञप्ति द्वारा प्रदत्त करने के लिए तीन वर्ष का समय दिया जायेगा और कोई भी खुले व लघु खनक जारी स्थापना का कार्य पूर्ण कर लेने में इन स्वीकृतियों / अनुज्ञप्तियों को निर्धारित समयावधि में ले सकेंगे।

खनक प्रारंभ होने की अवधि व्यावसायिक उत्पादन की तिथि, जो भी पहले हो, तक स्वीकृतियों / अनापत्तियां प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रावधान से लघु होने से एमएसएमई क्षेत्र के खनकों को अपने खनन की स्थापना एवं संचालन आसान बनाने में अत्यन्त मूल्यवान होगी और एमएसएमई सैक्टर को प्रोत्साहित करने की दिशा में राज्य सरकार की यह एक आसान व्यवसायपूर्ण पहल है।

13.8 ईज ऑफ डूईंग बिजनेस:- विभिन्न विभागों में निवेश केन्द्रित सेवाओं की अवधि में निवेशकों को आने वाली व्यक्तिगतियों के चयन एवं निराकरण के लिये माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "ईज ऑफ डूईंग बिजनेस" कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य बिन्दु निर्धारित किये जाने के लिए एक समयों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। राज्यों द्वारा किये जाने वाले अनुपालन के आधार पर भारत सरकार द्वारा राज्यों की रैंकिंग की जाती है। **इज कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य की रैंकिंग शीर्ष 10 में सम्मिलित रही है।**

13.9 निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा केन्द्र की स्थापना:- निवेशकों को विभिन्न प्रकार की नीतियों की जानकारी उपलब्ध कराने, उद्योगपति तथा वित्तीय प्रोत्साहन के आवेदन पत्रों को समयबद्ध कराने तथा अन्य हेल्प डेस्क सर्विस देने वाले के उद्देश्य से उद्योग निदेशालय में **निवेश प्रोत्साहन** सुविधा की स्थापना की गई है। उद्यमियों की समस्याओं के निवारण हेतु उद्योग निदेशालय स्तर पर टोलफ्री नंबर भी **1800345022** की स्थापना की गई है।

13.10 स्टार्ट-अप एवं स्टैण्ड-अप उद्यमिता विकास योजना:- स्टार्ट-अप इंडिया सिस्टम को मजबूत किये जाने तथा नियोक्ता के सर्वांगीण क्षेत्रों की उन्नयन हेतु फरवरी, 2018 में स्टार्ट-अप नीति घोषित की गयी है। नीति का उद्देश्य उद्यमशीलता की भावना को गतिमान कर समाज एवं विकास हेतु समुचित इको सिस्टम तैयार करना है।

स्टार्टअप नीति के अन्तर्गत अभी तक 117 स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की जा चुकी है तथा 25 स्टार्टअप को वित्तीय प्रोत्साहन की उपलब्धता कराया जा चुका है। 6 इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु सैद्धान्तिक अनुमति जारी की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के स्टार्टअप यूट सीम अनुमोदित किये गये हैं, जिनमें लगभग 750 युवाओं द्वारा अतिरिक्त किया गया है। सर्वेक्षण 10 लाखित आईडियाज को ₹ 50 हजार का पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

"**आत्मनिर्भर**" बनने के लिए भारत को देश के में लाखों छोटे और खुले खननों के साथ बड़े पैमाने पर एकीकृत कार्यक्रम चलाना होगा, जो अंतरराज्य रूप से स्थानीय और वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तराखण्ड खनन, खनिज अन्वेषण और मध्य एशियाकेन्द्रीय (UAME) के साथ साझेदारी में, एकीकृत उत्तराखण्ड खनन उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र विकास (UEED) एजेंसी की दिशा में एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को और अधिक बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।

13.11 योग सेन्टर योजना:- उत्तराखण्ड आपदाग्रस्त एवं पर्वतीय क्षेत्रों में खुले एवं लघु विभिन्नप्रकार 1-4 हेक्टेयर के उद्योगों के संचार संचालन हेतु "**योग सेन्टर योजना**" लागू की गई है। माह फरवरी, 2022 तक विभिन्न जिलों में 112 योग सेन्टर स्थापित किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका 13.13
जनपदवार विभागवार स्वीकृत शोध केन्टर

जनपद का नाम	शोध केन्टर की संख्या	आगंतुकों की संख्या	विश्लेषण एजेन्सी
बिजौलगढ़	11	3131	आईटीडीए–1, आईएलएसी–4, फन बोर्ड–2, मत्स्य–1, पुरुषआरएलएम–1, जलागम–1, इन–1
रामेश्वर	10	3288	आईएलएसी–4, फन बोर्ड–1, मत्स्य–1, पुरुषआरएलएम–1, वेबसी–1, कृषि–1, उद्यान–1
आम्बेडा	9	6170	आईएलएसी–6, जलागम–1, एमएसएमई–1, एनजीओ–1
धमाधार	5	873	पुरुषआरएलएम–3, जलागम–2
गैरीगढ़	11	5140	खनी बोर्ड–1, पुरुषआरएलएम–6, एमएसएमई–1, जलागम–3
उमरदिंडालपर	7	2399	पुरुषआरएलएम–4, मत्स्य–1, पाम्य विभाग–1, एमएसएमई–1
पनेरी	15	4630	डेयरी–1, आईएलएसी–1, फन बोर्ड–2, मत्स्य–3, एमएसएमई–2, खनी बोर्ड–1, पुरुषआरएलएम–1
कछबगढ़	10	2512	डेयरी–1, आईएलएसी–2, फन बोर्ड–1, मत्स्य–1, उद्यान–1, जलागम–2, पुरुषआरएलएम–2
बलवाड़ी	10	2614	आईएलएसी–2, फन बोर्ड–3, मत्स्य–1, उद्यान–1, पर्यटन–1,जलागम–1, उद्योग/एमएसएमई–1
टिल्ली	8	2933	जलागम–1, आईएलसी–2, फन बोर्ड–1, मत्स्य–1, पुरुषआरएलएम–1
पीपरी	9	3903	जलागम–2, आईएलसी–1, पुरुषआरएलएम–3, एमआरएलएम–1
देवगढ़ुन	6	1260	उद्यागम–2, आईएलसी–1, डेयरी–1, पुरुषआरएलएम–1, आईटीडीए–1
झलिंद्रपर	3	122	पुरुषआरएलएम–1, मत्स्य–2
योग:–	112	38308	

तालिका 13.14
गतिविधिवार स्वीकृत प्रोग्रेस सेंटर

गतिविधि	स्वीकृत प्रोग्रेस सेंटर की संख्या	गतिविधि	स्वीकृत प्रोग्रेस सेंटर की संख्या	गतिविधि	स्वीकृत प्रोग्रेस सेंटर की संख्या
एवी डिजीज आवंटित	38	हाउस एवं शैड वेल्डर आवंटित	4	स्वीपर आवंटित	5
देखरी आवंटित	5	इलाईजी लाउंडर आवंटित	2	सफाई सेवक आवंटित	5
दोधी एवं दुग्ध वाहक आवंटित	6	वैल्डर आवंटित	5	जल प्रदायक आवंटित	8
भरण आवंटित	11	पुलम प्लंबिंगकी आवंटित	2	सफाई व मिस्त्री आवंटित	3
औद्योगिक टल आवंटित	10	ड्राईवर आवंटित	2	ट्रक्टर आवंटित	1
रिक्शा आवंटित	4	पूर्ति वाहन	1	ऐस मेकैनिक	1

13.12 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी): भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के सभी ब्लॉकों में पैनों के माध्यम से ब्लाक परियोजनाएं, जिनमें ₹ 10.00 करोड़ तक मार्जिन मनी सम्मिलित की गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से 64000 का रोजगार सृजन हुआ है।

मार्जिन मनी उपबंध के दृष्टि से राज्य औसत ही पीछे चल रहे से अभिलेख रहा है। यह लक्ष्यांक वर्ष 2336 में संचालित है। लक्ष्यांक-वार प्रगति निम्न प्रकार है:-

तालिका 13.15

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	डिमांड मार्जिन मनी (करोड़ ₹ में)	सृजित रोजगार
2016–19	2168	40.83	17344
2019–20	1915	34.00	15420
2020–21	2237	45.13	17576
2021–22	1632	39.60	14656
योग:–	**8052**	**159.56**	**64996**

13.13 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना— इस वर्ष कोविड-19 से बेरोजगार लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य में 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना' लागू की गई है। इस योजना में हिमोर्टीकल्चर, जैव एवं जड़ी-बूटी के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक संस्थानों के साथ संयुक्त उद्यमों के माध्यम से उद्यम स्थापित करने हेतु परियोजना पर 10 से 20 प्रतिशत इक्विटी सरकार के रूप में अनुदान उपलब्ध की जायेगी। 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना' में कोई नकारात्मक सूची (Negative List) नहीं है और योजना में हिमोर्टीकल्चर, जैव एवं जड़ी-बूटी के संरक्षण के लिए सभी गतिविधियां शामिल हैं। लेकिन सीधे कृषि कार्य (खेती-पशुपालन) पर योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा, किन्तु कृषि आधारित क्रियाकलापों एवं संरक्षित कृषि (Agriculture allied activities & Protected Agriculture) जैसे मशरूम उत्पादन, ग्रीनहाउस, पॉली हाउस में खरा-सब्जियाँ, इनके बीज उत्पादन जैसी योजनाएं, मुल्लूहट पालन, मुल्लर फार्मिंग, मैट-बास्केट पालन, दुग्ध उत्पादन (Dairy) आदि इस योजना में पात्र गतिविधियों में सम्मिलित हैं। योजनावर्ष वर्ष 2021-22 का प्रस्तावित विवरण निम्न प्रकार है:-

तालिका 13.16
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY)

क्रमांक	जनपद का नाम	लक्ष्य (संख्या में)	बैंकों द्वारा स्वीकृत (संख्या में)	बैंकों द्वारा वितरित (संख्या में)
1	चैम्पावत	425	402	343
2	उधमसिंहनगर	340	302	219
3	अल्मोड़ा	425	303	240
4	पिथौरागढ़	425	449	382
5	बागेश्वर	340	469	366
6	रुद्रप्रयाग	425	413	354
7	टिहरी गढ़वाल	340	440	300
8	पौड़ी	425	504	394
9	देहरादून	425	401	265
10	हरिद्वार	425	502	574
11	नैनीताल	425	403	262
12	उत्तरकाशी	340	336	268
13	चमोली	340	386	253
	योग:-	5100	5613	4314

13.13.1 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (मैंसी)— वैश्विक महामारी कोविड-19 तथा लॉकडाउन से कारण हजारों छात्र बड़ी संख्या में प्रवासी/ग्रामीण /एवं विस्थापितों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह छोटे व्यापारी/दुकानदार पर एक छोटे पूंजी उपाय के साथ काम करते हैं। लॉकडाउन की दैनिक इस पूंजी का उपयोग अपने दैनिक जरूरतों की व्यवस्था में करने के कारण व्यापार/दुकान के संचालन के लिए उनके पास पूंजी का अभाव बना हुआ है।

उत्तराखण्ड में छोटे व्यवसायियों एवं व्यक्तियों को मामूली बचत की दिशा में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (मैंसी) उधम योजना अगस्त, 2021 में लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत ₹ 25 हजार तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

इसमें ऐसी मूल दुकानें/व्यवसाय (Nano Enterprises) जैसे- सब्जी व फल विक्रेता, कपड़ा धुलाई, नाई, जनरेटर, बेड, अगरबत्ती आदि की बिक्री, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिचार्ज शॉप, पंक्चर शॉप, इमरजेंसी, सिलाई-बुनाई, कुल कढ़ाई, खाना पैकिंग, चूड़ी शॉप, पेपर बैगमेकर, शूज/जूताशॉप, सिलेंडर, डाइ निर्माण, सिंटल कार्ट, पेपर बैग निर्माण, कैनेडल निर्माण, पेंसी गाय पालन, मशरूम की खेती, छाता-छड़ी उत्पाद, गारमेंट चेतन, प्लास्टिक रिसाइक्लिंग, फूल सिलाई, ऑल राउंडर वर्मिंग, टेलर, बर्तन कलाकार, बिंग दीपक, खेती, बैकयार्ड पोल्ट्री फिशन/मीट शॉप, पोल्ट्री बेकरी, कारपेन्टर, लोहारगिरी, लॉन्ड्री आदि ऐसी अनुरूप गतिविधियां हैं, जो कोविड-19 के समय प्रभावित हुई हैं।

स्वरोजगार सहायता में न्यूनतम 20 प्रतिशत लाभार्थक का दी सकेंगे होगा; अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला तथा दिव्यांगजनों के लिए कुल स्वरोजगार सहायता के लाभार्थी न्यूनतम संख्या की लाभार्थक होना 10 प्रतिशत होगी।

लाभार्थी योगी के अन्तर्गत (अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला एवं दिव्यांगजन) के लिए कुल स्वरोजगार सहायता के सापेक्ष ₹ 10,000 का बैंक ऋण स्वीकृत किये जाने पर व्यक्ति सभी की कुल राशि ₹ 1000 से अधिक नहीं होगी।

लाभुक/छात्र का भुगतान सम्बन्धित बैंक शाखा को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से विकसित पोर्टल www.may.uk.gov.in से माध्यम से लाभार्थी के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (Direct Benefit Transfer) द्वारा किया जायेगा।

13.14 एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी)— राज्य के प्रत्येक जनपद में जो उत्पादों का विनिर्माण उत्पादन में उपलब्ध सम्भावनों, जैसे बागवानी, जनपद की जलवायु, विशेषज्ञता, हस्तशिल्पी एवं कुशलों की उपलब्धता एवं बेहतर सम्भावित मूल्यिकों को बेहतर उत्पाद हुए विकल्प रखा है। उत्तराखण्ड एक विशेष की पहचान बेहतर एक मुख्य उत्पादक पहाड़ियों के 13 जिलों में विभिन्न जनपदों के जलवायु, विशेषज्ञता, गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रान्डिंग एवं मार्केटिंग क्षेत्र में अनिवार्यता का जनपदों का चयनित जनपद है, जो विभिन्न जनपदों के उत्पादन को बढ़ावा देंगे और साथ ही जिलों की पहचान करेंगे एवं आर्थिक असमानता एवं क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करेंगे।

क्र. सं.	जिला	जिले में बनने वाले मुख्य उत्पाद	जिला स्तरीय वेबसाइट/ पोर्टल हुआ विभिन्न अन्य सुविधा	उद्योगमंत्री जिला हुआ वेबसाइट एवं पोर्टल की जानकारी
1	अजमेर	1. दुग्ध 2. दाल मिलाई 3. टेक्सटाइल 4. फिल्म्स एवं 5. हैण्डलूम व हस्तकला एवं हस्तशिल्प उद्योग 6. रत्न व्यापार 7. पेट्रोलियम पदार्थ	1. हेल्पलाईन पोर्टल 2. हैण्डलूम व हस्तकला एवं हस्तशिल्प उद्योग	1. दुग्ध (Dairy) 2. दाल मिलाई (Dal Mishali)
2	अलवर	1. ताम्र शिल्प उद्योग 2. अलवरपुरा मेवाती हस्तशिल्प 3. मण्डुआ मिलेट्स 4. हैण्डलूम एवं हैण्डीक्राफ्ट उद्योग 5. पर्यटन 6. खनिज उद्योग 7. ऐरा क्रीमेट्स	1. पर्यटन 2. हस्तशिल्प उद्योग	1. ताम्र शिल्प उद्योग (Copper Artefacts) 2. मण्डुआ मिलेट्स (Mandawa Rissaria)
3	भरतपुर	1. लौह शिल्प उद्योग 2. हाथ से बुने कपड़े 3. दुग्ध उत्पाद 4. शिक्षा 5. बुने हुए वस्त्र उद्योग	1. लौह शिल्प उद्योग 2. दुग्ध उत्पाद	1. लौह शिल्प उद्योग (Iron Crafts Products) 2. हाथ से बुने उत्पाद (Hand Knitted products)
4	बारां	1. हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग 2. फैशन एवं परिधान 3. पेट्रोलियम पदार्थ 4. रत्नाभूषण 5. एलोपैथिक दवा उद्योग 6. रत्न व्यापारियों व्यापार 7. शिक्षा 8. पुलिस सेवा 9. इंजीनियरिंग सेवा	1. एलोपैथिक 2. एरोमैटिक इत्रिम व्यापार	1. हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद (Handloom and Handicrafts Products) 2. एरोमैटिक इत्रिम व्यापार (Aromatic Herbal Products)
5	बांसवाड़ा	1. बेकरी व्यापार 2. रत्नाभूषण 3. फार्मसी 4. कार्बन प्रोडक्शन 5. ऐरोमैटिक एसेंशियल 6. सीमेंट उद्योग	1. बेकरी 2. कार्बन प्रोडक्शन	1. बेकरी उद्योग (Bakery Products) 2. मशरूम (Mushroom)

4.	हरियाणा	1. जरी 2. खेसवारी 3. दरी 4. गलीचे 5. पट्टी 6. पश्मीना शॉल	1. पश्मीना शॉल 2. हथकरघा	1. जरी (Jaggery) 2. दरी (Rugs)
5.	मणिपुर	1. बैम्बू क्राफ्ट 2. केन क्राफ्ट 3. सीतल फूल 4. हथकरघा उत्पाद	1. सीतल फूल 2. केन क्राफ्ट	1. बैम्बू क्राफ्ट (Bamboo Craft) 2. केन क्राफ्ट (Cane Craft)
6.	मेघालय	1. मूंगा रेशा 2. मुलबरी सिल्क 3. ऊनी कपड़ा 4. पशमीना शॉल 5. ऐन्थीन शॉल	1. मूंगा रेशा 2. मुलबरी सिल्क	1. ऊनी कपड़ा (Woolen Cloth) 2. मुलबरी सिल्क (Mulberry Silk)
7.	मिजोरम	1. हथकरघा 2. ऊनी एवं पुराना वस्त्रोद्योग 3. पुआल फर्नीचर 4. हथकरघा उत्पाद	1. हथकरघा 2. ऊनी एवं पुराना वस्त्रोद्योग	1. हथकरघा उत्पाद (Handicraft Products) 2. पुआल फर्नीचर (Wooden Furniture)
8.	नागालैण्ड	1. टोकोमाह जैसा उत्पाद 2. टोकोमाह उत्पाद 3. मणिपुरी हस्तशिल्प 4. लकड़ी उत्पाद 5. एकवाना उत्पाद 6. ऊनी वस्त्रोद्योग	1. टोकोमाह उत्पाद 2. हथकरघा उत्पाद	1. मणिपुरी हस्तशिल्प (Manipuri Handicrafts) 2. लकड़ी उत्पाद (Wood Products)
9.	ओडिशा	1. एकवाना जैसा उत्पाद 2. टोकोमाह उत्पाद 3. मणिपुरी हस्तशिल्प 4. लकड़ी उत्पाद 5. एकवाना उत्पाद 6. ऊनी वस्त्रोद्योग	1. एकवाना उत्पाद 2. टोकोमाह उत्पाद	1. मणिपुरी हस्तशिल्प (Manipuri Handicrafts) 2. लकड़ी उत्पाद (Wood Products)
10.	पंजाब	1. रेशम व सूती वस्त्रोद्योग 2. टेक्सटाइल 3. हथकरघा दुनिया 4. सिंथेटिक वस्त्रोद्योग 5. कपास उत्पाद	1. एकवाना दुनिया 2. टेक्सटाइल वस्त्रोद्योग	1. रेशम व सूती वस्त्रोद्योग (Natural Fiber Products) 2. टेक्सटाइल यार्न (Tabi Yarn) (Textiles/ Yarn Ring)
11.	उत्तराखंड राज्य	1. सिल्क उद्योग 2. पुआल उत्पाद उद्योग 3. ऊनन मिल्क उत्पाद 4. कुटीर वस्त्रोद्योग 5. चटाई एवं टोकरी 6. हथकरघा	1. चटाई एवं टोकरी 2. हथकरघा	1. सिल्क उद्योग (Mantra Oil) 2. पुआल उत्पाद उद्योग (Mooj Grass Products)
12.	उत्तरप्रदेश	1. ऊनी हस्तशिल्प (बैठी रजाई) 2. एपल फूट बेस उत्पाद 3. दरियां 4. पुआल वस्त्रोद्योग	1. एप्पल 2. दरियां 3. पुआल वस्त्रोद्योग	1. ऊनी हस्तशिल्प (बैठी रजाई) (Woolen Handicrafts (Baithi Rajai) Products) 2. एपल फूट बेस उत्पाद (Apple Fruit-based Products)

तालिका 13.17

क्र.सं.	औद्योगिक आलय	संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1.	राज्य स्तर के औद्योगिक आलय	20	140.00
2.	यूपीएसआईडीसी द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र	16	1000.00
	योग	46	2110.62

नई एग्रोकेमिकल नीति-2014 में पहली बार से लघु मेडिसिनल उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये भूमि की सीमित दरों पर व्यवस्था तथा भूमि बैंक तथा नए औद्योगिक आलयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त पहली से लघु उद्योगों के अवस्थापना सुविधाओं पूर्ण भूमि उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश भर में विकास के 10 नियो औद्योगिक आलयों में से 3 नियो औद्योगिक आलयों यथा रानीखेड़ी (हरदोई), लोनार्द (चेहरादून), किलपा (उधमसिंहनगर) तथा हैंडीखाल (पौ.गढ़वाल) में से 3 नियो औद्योगिक आलयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य पूर्ण तथा शिलान्यास व भीतरास में कार्यरत है।

पिछड़ेपन दूर करने विकसित औद्योगिक आलयों में भूमि की उपलब्धता सीमित होने के कारण अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा उद्योगों के लिये भूमि की सुनिश्चितता के लिये राज्य सरकार द्वारा विभि क्षेत्र को भी औद्योगिक आलयों के विकास हेतु प्रोत्साहित किया गया है। चूंकि 2003-24 एवंम भूमि पर 46 नियो औद्योगिक आलयन क्षेत्रों के विभिन्न आलयों में निजी उद्यमियों द्वारा विकसित किये गये हैं। वहे निवेशकों को भूमि की उपलब्धता में सहयोग करने के लिये भारत सरकार से विशेष औद्योगिक पैकेज के अन्तर्गत प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित भूमि में से 50 प्रतिशत से अधिक भूमि मिशन की मृदुल परियोजनाओं (Mega Projects) की स्थापना के लिये आवश्यकता के अनुसार भूमि क्रय करने की सुविधा देने तथा विशेष पैकज की अनुपलब्धता के लिये दिसम्बर, 2006 में विशेष औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने की नीति घोषित की गई, जिसके तहत 422.72 एकड़ भूमि विशेष औद्योगिक क्षेत्र में रूप में 24 कुल परियोजनाओं के लिये अधिसूचित किये गये हैं।

13.16.1 पाण्डे सरकार द्वारा चेहरादून के हरदोईगढ़ी, औद्योगिक में Central Institute of Petrochemicals and Engineering Technology (CIPET) स्थापना की गई है। सरकार में इसमें विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। सरकार की एसआईपीटी से सम्पर्क भी प्रारम्भ हो गई है। वर्तमान सत्र में 800 युवाओं को विभिन्न डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेशित किया जा रहा है। अवस्थापित 2/3 भाग के प्रशिक्षणोपरान्त 125 युवाओं को विभिन्न कंपनियों में सफिल चेन्स पर रोजगार भी प्रदान कराया जा रहा है। सिडकुल द्वारा विभिन्न उद्योगों को प्रदर्शित्व प्रोत्साहित, सुविधा, परामर्श एवं निर्देशन इत्यादि के क्षेत्र में अत्यधुनिक मशीनों द्वारा तकनीकी सेवायें भी प्रदान की गई हैं। सिडकुल प्रशिक्षण प्रोत्साहन की राष्ट्रीय परीक्षण और प्रशिक्षण प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) द्वारा मान्यता भी प्रदान की गई है।

13.16.2 नवार्ड की आधारभूतीकरण योजना के अन्तर्गत एसएसआई विकास द्वारा भार एसएसई हाट की स्थापना की जा रही है। ये हाट हमारे पहाड़ी राज्यों में पौराणिक (रुमोली), चेहरादून, मुनाक मण्डल में जैसीपुरखेत व रुद्रपुर (उधमसिंहनगर) में स्थापित की गई हैं। इनमें से प्रत्येक हाट 'ग्राम हाट' के नाम से आईटीए पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में स्थापित किया जा चुका है। इसका उद्घाटन माह मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर, 2016 को किया गया। वित्तीयवर्ष हाट में सेवर हैं। इन हाटों में प्रदेश के जिलियों एवं ब्लाकवासित ग्रामीण/लघु उद्यमियों को अपने उत्पादों के विक्रय में सेवाएं की सुविधा उपलब्ध होगी। इन हाट में इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि चेहरादून आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों को भी वहां आकर्षित किया जा सके।

13.16.3 एसएसई क्लस्टर विकास:– भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा एसएसई पंजीयन, उत्पाद एवं उन्नयन एवं आर्थिक व्यापार

नियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात व रसायन व पेट्रो रसायन निर्यात हेतु क्लस्टर विकास की संबंधित योजनाओं लागू की गयी है। राज्य में उपलब्ध एग्रो/एग्रो इकाइयों की संख्या बढ़ाने व लाभ अन्य क्षेत्रों हेतु आर्थिक रूप से व क्लस्टर– मैट क्लस्टर, कांगेपुर, मैट क्लस्टर, मंगलापुर, पुख एवं आनुषांगी उद्योग, रुड़की, कागी क्लस्टर, लोहारखेड़ा व गौरव क्लस्टर, हरिद्वारी की क्लस्टरवार संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कर इनकी डी.पी.आर. बनाए जाने हेतु भेजी गई है। मैट क्लस्टर की डी.पी.आर. तैयार है।

एम.एस.एम.ई. मंत्रालय, भारत सरकार की एम.एस.ई.–सी.डी.पी. योजना में ₹ 20.00 करोड़ तक के परियोजना प्रस्ताव अनुमोदन किये जाते हैं। एम.एस.ई. सी.डी.पी. योजना में हिस्सेदारी राज्यों हेतु योजना के दिशा निर्देश में 90:10 के अनुपात में राज्य सहय किए जाने का प्रावधान है।

1. मैट क्लस्टर, मंगलापुर, हरिद्वार

एसपीवी– Bilegeri Liba Packing Foundation (लेखन 8 कम्पनी)

क्र0 सं0	प्रोजेक्ट हेड	प्रोजेक्ट कॉस्ट (लाख ₹ में)
1	कुल परियोजना लागत	2369.07
2	कॉन्ट्रास (अ प्रतिशत)	1900.00
3	एसपीवी का अंश	344.07
4	प्रारम्भ	25.00

2. ओरी कृष्ण खाण्डसारी क्लस्टर, हरिद्वार
एसपीवी– निकालक ऑर्गेनिक फोडसुमर फेडरेशन (सेक्शन 8 कम्पनी)

क्र0 सं0	प्रोजेक्ट हेड	प्रोजेक्ट कॉस्ट (लाख ₹ में)
1	कुल परियोजना लागत	1963.15
2	कॉन्ट्रास (अ प्रतिशत)	1514.34
3	एसपीवी का अंश	169.29
4	प्रारम्भ	**259.52**

3. पौल्ड क्लस्टर, रुड़की
एसपीवी– पीताम्बरी ऑलमार्केट फेडरेशन (सेक्शन 8 कम्पनी)

क्र0 सं0	प्रोजेक्ट हेड	प्रोजेक्ट कॉस्ट (लाख ₹ में)
1	कुल परियोजना लागत	1141.72
2	कॉन्ट्रास (अ प्रतिशत)	382.09
3	एसपीवी का अंश	212.64
4	प्रारम्भ	**50.00**

4. पैन्था कलस्टर, इरौस पार्क, कासीपुर, उधमसिंह नगर एसपीवी- एल्पाइन लाईफ साईंसेज फाउण्डेशन (क्षेत्रफल 8 एकड़)

क्र0 सं0	प्रोजेक्ट हेड	प्रोजेक्ट कॉस्ट (लाख ₹ में)
1	कुल परियोजना लागत	2054.25
2	केन्द्रांश (60 प्रतिशत)	1800.00
3	एसपीवी का अंश	229.25
4	एलआर	**25.00**

उक्त परियोजनाओं एसपीवी के गठन के पश्चात् चलाई जायेगी, जिससे राज्य सरकार के भी इक्विटीपेये सम्मिलित होंगे।

13.16.4 उत्तिहार में 36 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाईसेस पार्क, भगवानपुर में 41 एकड़ भूमि में आईटी पार्क तथा हरिद्वार ऑथोरिटी के समीप 75 एकड़ भूमि में एक और एक्सक्लूसिव ही डिवाईसेस की कार्यवाही हिमपुरी के माध्यम से की जा रही है। राज्य सरकारी की ओर आह्वान एवं आशा को अनुसार से पूर्णिमा करने की पूर्णकालीन के साथ-साथ पुरुषार्थों की भी देखरेख से हरिद्वार जनपद में मेडिकल डिवाईसेस पार्क स्थापित किया जा रहा है। इस पार्क में राज्य में डिवाईस पार्क होने की इकाईयों के समन्वय करते हुये क्षेत्रीय जरूरतों के लिये स्थापित रूप से डिजिटल इकाईयों के निर्माण पर बल दिया गया है। मेडिकल डिवाईसेस पार्क में अत्याधुनिक कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सेंटर, प्लास एवं पार्क सुविधाएँ जैसे विकास, प्रोटोटाईपिंग और डी सी डिजाईनिंग, पार्क फैसिलिटी टेनेंट्स, इलेक्ट्रानिक सिस्टम डिजाईन, टेक्निकल व इन्फ्रास्ट्रक्चर सेंटर की सुविधा उपलब्ध होगी।

13.16.5 प्रदेश में पल्प क्षेत्र में निवेश के प्रोत्साहन हेतु एडेड्स एण्ड डिसेन्ट पॉलिसी अपनायी की गई है। बेस इन इनिशिएटिव से प्रोत्साहित विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति तथा इस क्षेत्र में भी एग्रोएण्ड्रस्ट्री इकाईयों की स्थापना के दृष्टिगत लेह जनक वैरम्ब सिंह पन्त की नियुक्ति की गयी है जो पल्प उत्पादन से जुड़ी इकाईयों से आवश्यक समन्वय व सहयोग प्रदान करेंगे।

13.17 हथकरघा एवं हस्तशिल्प सैक्टर:- शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले शिल्पियों को समुचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से "उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार" योजना के अन्तर्गत राज्य के 60 शिल्पियों को पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऐसे शिल्पी जो शारीरिक अक्षमता जिसमें से दृष्टिबाधा पीड़ित रूप से ग्रसित हैं वहाँ हैं तथा शिल्पी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, को सम्मान एवं प्रोत्साहन स्वरूप ₹ 400.00 प्रतिमाह की दर से शिल्पी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। पेंशनधारियों 300 से अधिक शिल्पियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

13.17.1 थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजाति की महिलाओं हेतु शिल्प प्रोत्साहन योजना:- थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजाति की महिलाओं को रोजगार से जोड़े जाने हेतु शिल्प शिल्पी से प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु योजना प्रारम्भ की गई है, जिसमें दो माह का शिल्प शिल्पी से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें पंजीकरण धनराशि एवं स्टीन शिल्पों से शिल्प डिजाईनों से नये उत्पाद विकसित कर लाभार्थियों को कौशल से अभिवृद्धि कर रोजगार से जोड़े जाने सुविधा दी गयी। वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक लाभार्थियों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

तालिका 13.16

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	जनपद	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	लाभार्थी महिलाओं की संख्या
1	2017 – 18	उधमसिंह नगर	01	20
2	2018 – 19	उधमसिंह नगर	04	80
		हरिद्वार	03	60
3	2019 – 20	अल्मोड़ा	02	40
		रुद्रप्रयाग (नियोजित)	02	40
		सोमेश्वर (अल्मोड़ा)	01	20
		गोपेश्वर (टिहरी गढ़वाल)	01	20
4	2020 – 21	सोमेश्वर (अल्मोड़ा)	05	100
		रुद्रप्रयाग (नियोजित)	01	20
		उधमसिंह नगर	02	40
5	2021– 22	चंपावत	02	40
		चिन्यालीसौड़	02	40
		उधमसिंह नगर	02	40
कुल योग			26	560

13.17.2 गंगा देवी सेंटर ऑफ इक्वीलेंस और डेवेलपमेंट एण्ड नेचुरल कंजर्वेशन– यूएस, यूके एवं भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में अल्मोड़ा जनपद अल्मोड़ा में इक्वालटी एवं डाइवर्सिटी जैसे के तकनीकी विषयक, प्रशिक्षण कार्यक्रम व शोध इत्यादि के संचालन के लिए 'गंगा देवी सेंटर ऑफ इक्वालेंस और डेवेलपमेंट एण्ड नेचुरल कंजर्वेशन' की स्थापना की गई है। जिसके माध्यम से अब से अनेक महिलाओं को एक ही स्थान पर उत्तराखंड का इक्वालटी कार्यक्रम/पोर्टफोलियो स्थापित की जा रही है। फाउंडेशन ने इस सेंटर का संचालन होम स्टेजमार्केटिंग के साझेदार से किया जा रहा है।

13.18 उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प परिषद्– हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्रों में राज्य में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों के सृजन एवं मार्केटिंग के साथ शिल्पों के विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद् के गठन से बेहतर सम्पर्क/राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। राज्य के उत्पादित सामग्री को 'शिल्पी' ब्राण्ड नेम से बेहतर विपणन किया जा रहा है। राज्य के उत्पादों को ऑनलाईन मार्केटिंग से जोड़ने के उद्देश्य से Amazon (अमेजन) एवं Flipkart पोर्टल के साथ टाईअप कर मार्केटिंग की जा रही है।

13.10.1 ग्राम संगठन (हस्तशिल्प) भारत सरकार की योजनाएँ:-

1. **एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना:-** भारत सरकार द्वारा राज्य के 11 जनपदों के 13 विकासखण्डों के अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी एवं विशेष वर्ग के शिल्पियों को विशिष्ट एवं एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना संचालित की गयी।

चयनित विकासखण्डों का विवरण निम्नवत है-

तालिका संख्या-13.10

क्रम संख्या	जनपद	विकासखण्ड	शिल्प
	अल्मोड़ा	ओहीगाँव	ऊन, कालीन, कार्पेट, प्राकृतिक रेशा
		जागेश्वर	पिलाई, लकड़ी कार्विंग, पूजन
	पिथौरागढ़	कुमलगाड़ी	पिलाई, शार्पेट
		थरकोट	कार्पेट
	उधमसिंहनगर	खटीमा	ऊन
		जसपुर	धातुक हैंडिक्राफ्ट, बिन्दी दरी
	उत्तरकाशी	डुण्डा	पिलाई, ऊन, कालीन
		भटवाड़ी	पिलाई, ऊन, पूजन, कार्पेट
	टिहरी गढ़वाल	नैनबाग	पिलाई
	नैनीताल	हल्द्वानी	ऊन, ऊन
	रुद्रप्रयाग	उखीमठ	पिलाई
	देहरादून	सहसपुर	ऊन
	बागेश्वर	बागेश्वर	लकड़ी पिलाई, कार्पेट
	चम्पावत	लोहाघाट	दरी, ऊन
	पौड़ी	द्वारीखाल	ऊन, हाथीखाल

योजना में शिल्पियों को निःशुल्क कार्यशालाओं, कार्यशैली उन्नयन, मास्टर क्राफ्ट्समैन, प्रशिक्षकों, सामान्य सुविधा केन्द्र एवं टूल किट वितरण आदि कार्यक्रमों के माध्यम से शिल्पियों को लाभान्वित किया गया। चयनित 13 विकासखण्डों में शिल्पियों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सामान्य सुविधा केन्द्रों में सम्मिलित एवं उपकरण स्थापित किये गये हैं। विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी इस प्रकार है-

तालिका 13.20

क्र0 सं0	कार्यक्रम का नाम	पूर्ण कार्यक्रमों की संख्या	लाभान्वित शिल्पियों की संख्या
1.	डिजाइन क्लीनिक	144	4278
2.	एकीकृत डिजाइन इंटरवेंशन स्कीम	38	1811
3.	सेमिनार लेक्चर कार्निवल वर्कशॉप	30	1581
4.	क्राफ्ट–डिजाइन मीट इन इंडिया	04	148
5.	राज्य स्तरीय डिजाइन कार्यशाला	01	83
6.	इंटर्नशिप	08	184
7.	इंटरनेशनल क्रॉस–कल्चरल एक्सपोजर	01	88
8.	टूल किट	7,700	7,700
	योग		15,563

2. ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं डिजाईन विकास योजना के अंतर्गत एकीकृत डिजाईन विकास कार्यक्रम– विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत सरकार द्वारा कराये गये विभिन्न ऐसे विभिन्न में प्रशिक्षण दिये जाने हेतु निम्नलिखित दिये जाने हेतु निम्नलिखित दिये जाने हेतु निम्नलिखित

13.19 खादी तथा बीई– खादी तथा बीई के अधीन उत्तराखण्ड–हरिद्वार, देहरादून एवं ऊधमसिंहनगर में खादी तथा ग्रामोद्योग में कार्य करने वाले कुम्हारों को लगे उक्त सूत्र 410 पेंशनर सम्मिलित भाकों का विवरण दिया गया।

13.20 खादी एवं ग्रामोद्योग (Khadi And Village Industries)– खादी ग्रामोद्योग परिषद की पहचान योजना के अन्तर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की गतिविधियों को राज्यस्तर की योजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर ही स्थानीय आवश्यकता एवं स्थानीय प्रतिभा का अभिज्ञान उपयोग किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कारीगर से सिद्धीकरण से लेकर कारीगरों के कौशल विकास, उत्पादन से विपणीकरण, प्राप्त होने वाले स्थानीय संसाधनों का अधिकतम दोहन एवं बाजार की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना है।

13.20.1 उत्तराखण्ड ऊन योजना– उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम 24 क्षेत्रीय कार्यालय कपकोट, डीडीहाट अल्मोड़ा रानीखेत, ऊखीमठ, चमोली, बेरीनाग, जयहरिखाल में स्थापित किये गये हैं। इन क्षेत्रीय कार्यालयों के क्रमशः 20 उत्पादन केन्द्रों में स्टाफ से वर्ष कार्यरत कारीगरों का चयन किया जाता है। 08 कारीगर केन्द्रों के माध्यम से खादी बुनाई कारीगरियों का प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। 12 जिले केन्द्रों के माध्यम से उत्पादित खादी वस्त्रों की बिक्री एवं वार्षे संचालित किया जाता है।

विभाग द्वारा पेंशन वालों में 84.00 कुन्तल ऊन क्रय की गयी है, जिससे प्रशिक्षण उपलब्ध कराकारों को कताई हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। अभी कारीगर से जुड़े कर्मकारीक कारीगरों विशेषकर महिलाओं को रोजगारपरक उपलब्ध कराने पहाड़ एवं पारम्परिक धरोहरों के संरक्षण हेतु वर्ष 2021–22 में 80 महिलाओं को विभिन्न जनपदों में ऊनी कताई का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

वर्ष 2021–22 में योजना की प्रगति निम्नवत है–

वर्ष	उत्पादन (लाख ₹ में)	बिक्री (लाख ₹ में)	रोजगार सृजित
2020–21	84.24	184.67	363
2021–22	169.03	203.99	240

13.20.2 खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट– अगस्त वर्ष 2 अक्टूबर की नीति नियमों के तहत अखादी खादी वस्त्रों की बिक्री पर 10% उपभोक्ता रियायती छूट देने हेतु प्रतिशत छूट प्रदान करना को उपलब्ध कराते हुये खादी वस्त्रों की पहुँच आम उपभोक्ता तक की गयी है। प्रदेश के 60 खादी दुकानों के लगभग 300 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से उक्त छूट का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्त वर्ष में उपभोक्ताओं को उक्त छूट की प्रतिपूर्ति हेतु लगभग ₹ 1480.00 लाख की धनराशि प्रावधान की गई है।

13.21 भूतल एवं खनिकर्म–

13.21.1 खनिज अन्वेषण/खनन प्रशासन/भूवैज्ञानिक कार्य– उत्तराखण्ड खनिज सम्पदाओं की खोज कर उनकी गुणवत्ता/मात्रात्मक सूचियाँ तथा खुले खदानों का समुचित विकास किया जाता है, और सम्बन्धित उद्योगों को आवश्यक खनिजों का सहयोग प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021–22 हेतु ड्रिलिंग का लक्ष्य 200 वर्ग मीटर/मीटर तथा ट्रेंचिंग/पीटिंग, ड्रिलिंग का लक्ष्य 4000 घनमीटर निर्धारित है। वर्ष 2021–22 हेतु अनुमोदित परिव्यय ₹ 1821.00 लाख के सापेक्ष माह मार्च 2022 तक ₹ 1166.00 लाख का व्यय किया गया है।

13.21.2 पर्यावरणीय प्रभाव आकलन व प्रबन्ध योजना– राज्य में ड्रिल तथा खनन के उपयोग उद्योग सुविधा किये जाने के दृष्टिगत खनन क्षेत्र एवं राज्य एवं उस क्षेत्र में उपलब्ध जैविक के संभित पर्यावरणीय क्षेत्रों की रक्षा/निर्धारित करते हुये ये संवेदनशील खनन क्षेत्रों तथा उपयोगानुसार ई–ऐप्लिकेशन के उपलब्ध स्वीकृत/आवेदित खनन क्षेत्रों में खनन/उत्पादनुसार पर्यावरणीय अध्ययन/मोनीटरिंग कराये जाने हेतु वर्ष 2021–22 में अनुमोदित परिव्यय ₹ 35.00 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक ₹ 0.24 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

13.21.3 खनन परिक्षेत्रण योजना– उत्तर

खनन/जलोढ़ परिक्षेत्रों की रोकथाम हेतु जनपदीय Surveillance दृष्टा पैक बोट खनन स्थलों एवं व्यापारिक स्थलों पर स्थापित किये जाने के प्रावधानों के दृष्टिगत नैशनल परमिट प्रपत्र के स्थान पर e-Rasanna प्रणाली लागू कर दी गई है तथा खनित परिक्षेत्र/खनन कार्यालय हेतु उपलब्ध ई-खनन वेब एप्लीकेशन के उपयोगकर्ता/सुपरवीजन के लॉगिन खनन कार्यकलापों की समस्त प्रविष्टियाँ जोन लाईन की जा रही हैं। वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित परिक्षेत्र ₹ 681.00 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक ₹ 43.12 लाख का भार किया गया है।

13.21.4 खनन से राजस्व प्राप्ति— वर्ष 2020-21 में खनिजों के मद में ₹ 1636.24 करोड़ का राजस्व तथा माह सितंबर वर्ष 2021-22 में ₹ 878.10 करोड़ का राजस्व अर्जित करते हुये खनन लेवटा/ अवैध में कई प्रयास/अभियान संचालित/पूर्णित करने गये।

13.21.5 वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 हेतु विजन तथा रणनीति का विवरण— वर्ष 2024-25 तक खनिजों से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य लगभग ₹ 2400 करोड़ होने का अनुमान है तथा उपलब्ध खनिज भण्डारों की खोज कर उनकी पुनरावृत्ति/पुनर्प्राप्ति हेतु लगभग 400 वर्ग किमी0 ई.सी.पी. व वर्ग किमी0 भास्कि का तथा ड्रोनिंग एवं ड्रिलिंग (खनन्वेषण/गुणवत्ता) किये जाने का लक्ष्य है। भूवैज्ञानिकीय डाटा में सम्पदाई/गैप डाटाबेस निर्माण से सम्बन्धी विकास जारी रखी पुल, मकान, पाइप, नाला, विद्युत लाईन इत्यादि लगभग 2000 संवेदित निर्देशन के प्रकरणों के निस्तारण का लक्ष्य है। खनन प्रशासन के अन्तर्गत संवेदित निर्देशन कार्यों एवं अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण के 11000 प्रकरणों के निस्तारण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

खनित खोज-पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत राजस्व वृद्धि तथा रोजगार के खनिज आधार सृजित किये जाने के दृष्टिगत जनपद स्तर का राजस्व एवं वन क्षेत्र में उपलब्ध अधिक से अधिक उपलब्धित क्षेत्रों की खोज/चिन्हित करते हुए उनका आंकलन कराये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे है। पूर्व से स्वीकृत खनन क्षेत्रों तथा उपलब्धतानुसार ई-टेण्डरिंग के उपरान्त स्वीकृत/आवंटित खनन क्षेत्रों में उत्खननकर्ता द्वारा पर्यावरणीय आंकलन कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। शासन से उपलब्धित क्षेत्रों के आंकलन हेतु ई-निविदा तथा ई-नीलामी प्रक्रिया के उपरान्त शासन द्वारा 04 उपलब्धित खंडों से खनिज कार्यों से 10 खंड निरस्त 45 खंडों को खनन पट्टा अवैधुत हेतु स्वीकृतादेश जारी किया गया है, जिसमें से 45 खनन पट्टे गठित हैं तथा 33 उपलब्धित खंडों में खनन पट्टा आवंटन की कार्यवाही गतिमान है। अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध भण्डारण की रोकथाम हेतु खनित परिक्षेत्र/खनन कार्यालय हेतु उपलब्ध ई-खनन वेब एप्लीकेशन के उपयोगकर्ता/सुपरवीजन खनन कार्यकलापों की समस्त प्रविष्टियाँ जोन लाईन किये जाने तथा अवैधुत खनन क्षेत्रों से होने वाले खनिजों विशेषत: निकासी कार्यों में पूर्ण स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

खनन से उपलब्धित क्षेत्रों के विकास एवं रूपान्तरण हेतु "उत्तराखण्ड खनिज क्षेत्र रूपान्तरण योजना" के अन्तर्गत विकास खनिज न्यास का गठन एवं तदोपरान्त नियमावली का प्रख्यापन किया गया है। खनन से उपलब्धित क्षेत्रों के विकास एवं रूपान्तरण हेतु राष्ट्रीय खनिज खनित न्यास में "उत्तराखण्ड खनिज रूपान्तरण योजना" की योजनावार (Project) समितियाँ है, जिसमें माह मार्च, 2022 तक कुल ₹ 240.10 करोड़ जमा हुआ है, जिसमें संवेदित जनपदों में विकास से सम्बन्धित कुल 144 योजनायें परीक्षित की गई हैं और योजनाओं के लाभों की पूर्ति हेतु लगभग ₹ 14.72 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

राष्ट्रीय खनित खोज न्यास (NMET) के कोष से खनन खनिजों के अन्वेषण कार्यों हेतु पट्टाधारकों से राशनी ली 2 खनित्र खनार्ति/अन्वेषण लाभ कमाया लाने के प्रावधान है। माह मार्च, 2022 तक एवा कोष से ₹ 457.28(00) की धनराशि जमा की हुयी है। शासन से खनिज कार्यों के सम्पादित खोज हेतु गठित संस्थान का उपक्रम NMET के साथ Seattle Agreement किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

खान एवं खनित (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 संशोधित 2015 के अनुसार कुछ खनिजों के निमित्त 3 खोको (लाइसेंसिंग एवं रेगुलेटिंग) की नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु शासन स्तरीय भवन संचालन किया जाकर की प्रक्रिया किया जाना है।

अध्याय–14

श्रम–रोजगार एवं कौशल विकास

Labour-Employment and Skill Development

14.1 सतत् विकास लक्ष्य 2030 में उक्त की प्रमुख हेतु सार्वजनिक रोजगार, व्यापारवाद और सामाजिक सुरक्षा नीतियों के माध्यम से अतिरिक्त परंतु कार्य करने वाले लोगों के योगदान को सीमित कर में मदद, महिलाओं को बराबरी वेतन, उचित और स्वास्थ्यकर जीवन में निवेश लेने और अस्पतालों में कार्यों की गारंटी और मातृत्व सुविधा सुनिश्चित करने बाल श्रम से निवेश और तस्करी समाप्त सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा उनकी के लिए संचालित की जा रही है।

14.1.1 श्रम में रोजगार की संरचना– जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में से 38.43 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या है जो इंगित करती है कि 62 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या अनुत्पादक श्रेणी में है। कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि रोजगार विकास हेतु महत्वपूर्ण है, जिस हेतु महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

तालिका 14.1.1 राज्य में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी
(Minimum Wages)

क्रमांक	पद	श्रेणी	दैनिक मजदूरी दर ₹ में
1	2	3	4
1		अकुशल	35490
2		अर्द्धकुशल	38390
3	अ अनुसूचित नियोजन	कुशल	39890
4		अतिकुशल	46290
5	ब्रुई नियोजन	अकुशल	37190
6	अनिल्यन नियोजन (छः से 500 तक व्यक्तियों के नियोजित करने वाले व्यवसाय)	अकुशल	38690
7		अर्द्धकुशल	40290
8		कुशल	44890
9	अनिल्यन नियोजन (500 से अधिक व्यक्तियों के नियोजित करने वाले व्यवसाय)	अकुशल	38490
10		अर्द्धकुशल	40290
11		कुशल	46890

14.1.2 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (National Child Labour Project)– श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह परियोजना 1988 में प्रारम्भ की गई। जिसका उद्देश्य कार्य करने वाले बालकों का पुनर्वासन करना, उन्हें काम से हटाकर विशेष स्कूलों में वैकल्पिक शिक्षा की सुविधा देना में लाने योग्य बनाना है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के संचालन हेतु कोरबा में वर्ष 1999 को जनगणना अनुसार राज्य के जनपद पंचायतपुर में दिनांक 17-03-2006 को दि विशेषज्ञ नेशनल असोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटी, पेलतपुर का गठन किया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के 8 जनपदों में भी सोसाइटी (सोसायटीज) का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार के माध्यम से सर्वेक्षण हेतु प्रति जनपद ₹ 4.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है, जिससे सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

14.1.3 बंधुआ श्रमिक पुनर्वास योजना– भारत सरकार द्वारा प्रायोजित बंधुआ श्रम से संबंधित योजना 'Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labour-2016' का प्रशासन उत्तराखण्ड राज्य में किया जा रहा है। उक्त योजना हेतु 100 प्रतिशत अनुदान श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा (अनुमन्य धनराशि) सीधे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत जनपद स्तरीय बाल श्रम परियोजना सोसाइटी को उपलब्ध की जायेगी। प्रदेश में उक्त के 13 जनपदों में सोसाइटी बाल श्रम परियोजना सोसाइटी का गठन किया जा चुका है।

उक्त योजना के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत श्रम एवं सेवा संगठन द्वारा श्रम से कम ₹ 10 लाख की धनराशि के संपद में Bonded Labour Rehabilitation Fund के Corpus fund का गठन उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक जनपद में किया गया है। Corpus fund के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में शासन द्वारा ₹ 1.30 करोड़ धनराशि आवंटित की गई है। शासन से धनराशि प्राप्त होने पर प्रत्येक जनपद में Corpus fund के गठन हेतु ₹ 10 लाख आवंटित की गयी है। इस निधि का उपयोग अनुमन्य बंधुआ श्रमिकों को तात्कालिक सहायता प्रदान करने तथा बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास किये जाने हेतु किया जायेगा। बंधुआ श्रमिकों के नियोक्तों से जैसी राशि जमा की जायेगी वैसी राशि इस निधि में जमा की जायेगी। इस निधि से बंधुआ श्रम के मामलों में लाभार्थियों को तात्कालिक आर्थिक सहायता ₹ 5000/– सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

14.1.4 श्रमयोगी धन योगी पेंशन योजना (PM-SYM) :– असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा श्रमयोगी धन योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) नाम एक सूक्ष्म पेंशन योजना, जिसमें असंगठित क्षेत्र के लगभग 127 मिलियन/कार्यकर्ताओं में कार्यरत श्रमिकों को लाभान्वित किया जा रहा है का लोकार्पण 05 मार्च, 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। पंजीयन एवं आवंटित प्रोत्साहन अवधि 60 वर्ष के श्रमिक हेतु है, जिनकी मासिक आय ₹ 15,000/– है। असंगठित क्षेत्र के अधिक जिनकी मासिक आय 15 तथा पंजीयन की आयु 40 वर्ष हो, इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक द्वारा एक छोटी/आजीवन मासिक धनराशि के योगदान से पंजीकरण आयु अवधि 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त निश्चित रूप से धनराशि ₹ 3,000/– की मासिक पेंशन प्रदान की जायेगी। दिनांक : 24.04.2022 तक PM-SYM में 35,061 श्रमिकों द्वारा अपना पंजीकरण कराया गया है, जिनका जनपदवार विवरण निम्नानुसार है:–

जनपद	पंजीकरण
अल्मोड़ा	2,153
बागेश्वर	867
चमोली	1,085
चम्पावत	1,661
देहरादून	6,545
हरिद्वार	3,560
नैनीताल	4,480
पौड़ी गढ़वाल	3,654
पिथौरागढ़	2,924
रुद्रप्रयाग	1,061
टिहरी गढ़वाल	2,855
उधमसिंहनगर	3,327
उत्तरकाशी	1,089
योग	**35,061**

14.1.5 एनपीएस ट्रेडर्स :– नेशनल पेंशन स्कीम के अन्तर्गत आयु अवधारियों तथा खुदरा व्यापारियों को उनकी वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु पेंशन योजना आरम्भ की गई है। ये व्यक्ति व्यापारी जिनकी वार्षिक टर्न ओवर ₹ 1.50 करोड़ से कम है योजना में आच्छादित किये जाते है। इस योजना के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा एक

योजना/अन्य सामाजिक सुरक्षाओं के अंतर्गत से अधिकांश लाभ उपलब्ध हो सके और लाभ पूर्ण करने के उपरान्त निर्धारित रूप से पेन्शनरों ₹ 3,000/– की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। दिनांक 24.04.2022 तक NPS-Traders में 855 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है, जिसका जनपदवार विवरण निम्नानुसार है–

जनपद	पंजीकरण
अम्बेडकर	16
बलरामपुर	6
बरेली	9
चन्दौली	81
देवरिया	280
हरदोई	49
फैजाबाद	55
पीलीभीत	41
सिद्धार्थनगर	6
सुल्तानपुर	2
टिहरी गढ़वाल	15
उन्नावकिलगंज	267
उत्तरकाशी	6
योग	**855**

14.1.6 ई-श्रम योजना:– श्रमिकों के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को योजनाओं का लाभ प्रदान किए जाने हेतु पोर्टल पर पंजीकरण किया जाना है। 16 वर्ष से ऊपर आयु के 59 वर्ष तक के असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण कराकर योजना का संचालन किया जा रहा है। सफलतापूर्वक पंजीकरण होने पर श्रमिकों को एक विशेष पहचान संख्या (UAN Number) दी जाती है। पंजीकरण के पश्चात श्रमिकों को दुर्घटना बीमा लाभ मिलेगा। श्रमिक के असामयिक मृत्यु होने पर उसके आश्रित को 2 लाख का दुर्घटना बीमा लाभ मिलेगा। श्रमिक के असंगठित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। भारत सरकार द्वारा निर्धारित पंजीकरण लक्ष्य (31.60.240) के सापेक्ष दिनांक 24.04.2022 तक 29.49.383 श्रमिकों का पंजीकरण कर 93.62% लक्ष्य की प्राप्ति की है, जिसका जनपदवार विवरण निम्नानुसार है–

जनपद	पंजीकृत श्रमिक
अम्बेडकर नगर	5.65.728
इटावा	5.09.546
देवरिया	3.85.189
मैनपुरी	2.74.938
हिमी गढ़वाल	2.22.898
प्रतापगढ़	1.88.176
पीली गढ़वाल	1.71.671
सिद्धार्थनगर	1.25.496
चन्दौली	1.22.728
उत्तरकाशी	1.21.349
[illegible]	88.290
[illegible]	80.541
रुद्रप्रयाग	78.224
योग	**29.49.383**

14.1.7 औद्योगिक सम्बन्ध:– औद्योगिक श्रमिकों के कल्याण हेतु प्रदेश में समस्त स्तर विभाग औद्योगिक विवादों के समाधान, औद्योगिक शान्ति तथा सामन्जस्य आदि हेतु कार्यरत है। सम्बन्धित इकाई/प्रबन्धक तथा श्रमिकों/संगठनों को श्रम न्यायालयों से संचालित किया जाता है। वर्तमान में प्रदेशभर में 24 औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय हरदोई में तथा 03 श्रम न्यायालय क्रमशः देवरिया, इटावा तथा अम्बेडकर में स्थित है।

राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त कानून — राज्य में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम 1970, कारखाना अधिनियम 1948, व्यापार अधिनियम 1922, राष्ट्रीय अवकाश अधिनियम 1881, वेतन संदाय अधिनियम 1936, दावा परिनिर्णय अधिनियम 1976, न्यूनतम अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, आनुतोषिक भुगतान अधिनियम 1972, एवार्ड आदेश अधिनियम 1946, बालश्रमिक पुनर्वास एवं कल्याण अधिनियम 1943, भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक 1996, बाल श्रम अधिनियम 1986, बंधुआ श्रमिकता उन्मूलन अधिनियम 1976, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979, कर्मचारी प्रतिनिधित्व अधिनियम, श्रम न्यायालय विधि अधिनियम 1926, मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961 तथा 2008, औद्योगिक विवाद अधिनियम–1948 के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है।

14.2 रोजगारोपण (Employment)— राज्य शिक्षण संस्थान 2020 के आंकड़ों के अनुसार रोजगार, शिक्षा संस्थ प्रशिक्षण प्रदान कर युवा बेरोजगारों के प्रशिक्षण की इच्छा रखने हेतु रोजगारोपण कार्यालय स्थापित हैं जिसकी संक्रिय पंजिका (Live Register) में कुल 836697 रोजगारार उम्मीदें पंजीकृत हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 88 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। इन मेलों के माध्यम से 1551 युवाओं को रोजगार/प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार हेतु चयन किया गया।

14.2.1 रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम (Employment Market Information Programme):- प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में कुल कारखानों की संख्या 205783 है, वहीं निजी क्षेत्र में कारखानों की संख्या 887003 है। सार्वजनिक क्षेत्र के नियोक्ताओं की संख्या 3096 है तो निजी क्षेत्र में कुल नियोक्ताओं की संख्या 8270 है।

14.2.2 कैरियर काउन्सिलिंग प्रोग्राम (Career Counselling Programme):- राज्यस्तर रोजगारोपण कार्यालयों के माध्यम से स्कूल/कॉलेज के छात्र-छात्राओं को अपनी योग्यता/अभिरुचि के अनुसार कैरियर चयन में सहायकार्थ कैरियर काउन्सिलिंग वार्ताओं का भी आयोजन किया जाता है, साथ ही इन कैरियर वार्ताओं के माध्यम से छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान की जाती है जिससे कि वे अपनी रुचि के क्षेत्र में भविष्य संवारने हेतु तथा उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके अलावा रोजगार कार्यालयों में स्थित लाईब्रेरी/शिक्षण संस्थानों में कैरियर कार्नर की स्थापना की जा चुकी है। राज्य के रोजगारोपण कार्यालयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में 440 कैरियर वार्ताओं का आयोजन किया गया। इस प्रकार आयोजित कैरियर वार्ताओं में 21287 अभ्यर्थियों द्वारा भाग लिया गया।

14.2.3 प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण (Training for Preparation of Competitive Examinations):- वर्ष 2021–22 में राज्य के 16 विकास एवं कार्य दर्शन केन्द्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को जिनमें हल्द्वानी, देहरादून, रुड़की, रामनगर, पौड़ी, श्रीनगर, पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, नैनीताल आदि जिलों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस वर्ष 648 छात्र-छात्राओं एवं बेरोजगार युवाओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

14.2.4 रोजगार पंजीयन सेवायें (Employment Registration Services):- रोजगारोपण विभाग द्वारा पंजीयन, नवीनीकरण एवं संशोधन सम्बन्धित समस्त प्रकार की सेवायें "आईने रोजगार" पोर्टल पर उपलब्ध है। इस ऑनलाइन पंजीयन कार्य से दूरवर्ती क्षेत्र के युवाओं को Common Service Center से पंजीयन हेतु विशेषरूप सेवाएं सुलभता से उपलब्ध है।

14.2.5 व्यावसायिक मार्ग निर्देशन/स्वत नियोजन (Vocational Guidance/Self-Employment):- इसके अन्तर्गत रोजगारोपण कार्यालयों में आने वाले अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के अनुरूपतम उनके हितार्थ रोजगार चुनने हेतु मार्गदर्शन दिया जाता है तथा आवेदनिक/ स्वरोजगारी योजनों में रोजगार के संक्रिय अवसरों को देखते हुए अभ्यर्थियों को स्वत रोजगार अपनाने हेतु प्रेरित किया जाता है एवं उन्हें जिलेवार विभिन्न संस्थाओं एवं बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु उपलब्धियों दी जाती है। रोजगार कार्यालयों के

करना) Online Platform Zoom Meet, Google Meet आदि के द्वारा अभ्यर्थियों को Counseling प्रदान की गयी।

14.2.6 योजनाओं की वित्तीय स्थिति–

1–रोजगार प्रतिष्ठान (Employment Establishment):- वर्ष 2021–22 में मार्गदर्शन गृह में 03 रोजगार कार्यालयों हेतु ₹ 11.00.00 लाख की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गयी स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ 975.13 लाख की धनराशि मार्च, 2022 तक व्यय की गयी।

2–शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र (Teaching & Guidance Centre):- समाज के कमजोर वर्ग यथा अनुसूचित जाति / जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी एवं निजी सेक्टर में उनकी योग्यता बढ़ाने के उद्देश्य से 09 जगहों में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों का संचालन किया जाता है। वर्ष 2021–22 में स्वीकृत ₹ 147.61 लाख की धनराशि के सापेक्ष मार्च, 2022 तक ₹ 84.29 लाख व्यय किया गया है।

3– केन्द्र परामर्श कार्य:- उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त उत्तराखण्ड के समस्त 23 रोजगार कार्यालयों/विनियोजनालय एवं स्वरोजगार केन्द्रों का संचालन के निर्देशानुसार रोजगार दिशा केन्द्रों के रूप में 2003 से क्रियान्वित किया गया है तथा तब से लगातार दिशा केन्द्रों को सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2019–20 में मार्गदर्शन गृह में ₹ 90.55 लाख की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गयी स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ 81.75 लाख की मार्च, 2022 तक व्यय की गयी।

4–निर्धन वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग व्यवस्था:- इस योजना के अन्तर्गत निर्धन वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग व्यवस्था हेतु सम्बन्धित शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र सहसपुरा, सितारगंज, हल्द्वानी हेतु प्रतिभावान छात्रों एवं छात्र छात्राओं 2+1 प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान करने के लिये वर्ष 2021–22 में मार्गदर्शन गृह में ₹ 09.23 लाख की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गयी स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ 07.73 लाख की धनराशि मार्च, 2022 तक व्यय की गयी।

5–पॉलिटेक्निक कैरियर सेन्टर:- इस योजना के अन्तर्गत पलपल अल्मोड़ा, हल्द्वानी एवं देहरादून को मॉडल कैरियर सेन्टर बनाने हेतु वर्ष 2021–22 में मार्गदर्शन गृह में ₹ 36.00 लाख की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गयी स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष मार्च, 2022 तक ₹ 13.04 लाख व्यय की गयी।

6– एसेसमेन्ट प्लान:- डिग्री एवं पार्ट टाईम कॉलेज देहरादून, हल्द्वानी, सहसपुरा, कमेडिया, पलपलट एवं सहसपुरा कालेज पर्वा में अनुमोदित जाति प्रमाणपत्र के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2021–22 में ₹ 62.76 लाख की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गयी स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ 54.32 लाख की धनराशि मार्च, 2022 तक व्यय की गयी।

7– ट्राइबल सब प्लान:- शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र सतखोल, धारकोट, सितारगंज का संचालन ट्राईब सब प्लान योजना के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2021–22 में मार्गदर्शन गृह में ₹ 44.13 लाख की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गयी स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ 40.89 लाख की धनराशि मार्च, 2022 तक व्यय की गयी।

8– जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये विशेष रोजगारोन्मुख कार्यालय कालसी:- इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को रोजगारोन्मुख व्यवसाय प्रदान करने के उद्देश्य से कालसी में एक विशेष रोजगारोन्मुख कार्यालय (जनजाति हेतु) की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 2021–22 में मार्गदर्शन गृह में ₹ 33.24 लाख की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गयी स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ 24.83 लाख की धनराशि मार्च, 2022 तक व्यय की जा चुकी है।

14.3 कौशल विकास (Skill Development)–

सामान्य विवरण:- राज्य विकास लक्ष्य 2030 के तहत की प्रगति हेतु तकनीकी और व्यावसायिक कौशल, रोजगार, कौशल और उद्यमिता आदि को बढ़ावा देने के लिये रु० प्रशिक्षण सुविधाओं और व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है।

14.3.1 उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन (Uttarakhand Skill Development Mission):- युवाओं को व्यावसायी बनाने हेतु

[illegible] के अन्तर्गत कुशिल कर्मचारियों एवं बेरोजगार युवाओं को उत्तराखण्ड स्किलिंग मिशन (UKSDM) के अन्तर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भूतल के एवं में संचालन की महत्वपूर्ण प्रशासनिक कौशल विकास योजना (स्किलएचएसडीएसवाई 3.0), राज्य पोषित मुख्यमंत्रीय इण्डस्ट्रीयल लिंकेज प्रोग्राम तथा विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड पर्वतीय डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

14.3.2 केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0:– (एण्ड पार्ट्स) जून 2021 से योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को 836 यूकाई को प्रशिक्षित करने हेतु लक्ष्य आवंटित किये गये थे जिसके सापेक्ष अक्टूबर तक इस योजना से अन्तर्गत 113 युवाओं को यूपी, टुरिज्म, हॉस्पिटेलिटी, एविएशन, रिटेल, ब्यूटी जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर प्रमाणित किया जा चुका है जिनमें से 45 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये तथा शेष को रोजगारोन्मुख किये जाने की कार्यवाही परिगणित है।

14.3.3 विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड पर्वतीय डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट:– वर्ष 2023 तक 32,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर प्रमाणित किये जाने का लक्ष्य के सापेक्ष अक्टूबर तक 12000 अभ्यर्थियों को डिस्टिंग्विश्ड कॉर्पोरेशन ने प्रशिक्षण प्रदान कर प्रमाणित किया जा चुका है, तथा जिनमें से 8000 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये तथा शेष को रोजगारोन्मुख किये जाने की कार्यवाही परिगणित है। अक्टूबर तक योजना के अन्तर्गत 124 कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है, जिनमें से वर्तमान में 55 कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

14.3.4 राज्य पोषित मुख्यमंत्री रोजगार एवं कौशल विकास योजना:– वर्ष 2023 तक 32,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर प्रमाणित किये जाने का लक्ष्य के सापेक्ष अक्टूबर तक 12000 अभ्यर्थियों को डिस्टिंग्विश्ड कॉर्पोरेशन ने प्रशिक्षण प्रदान कर प्रमाणित किया जा चुका है, तथा जिनमें से 8000 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये तथा शेष को रोजगारोन्मुख किये जाने की कार्यवाही परिगणित है। अक्टूबर तक योजना के अन्तर्गत 124 कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है, जिनमें से वर्तमान में 55 कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

चार्ट संख्या–14.1

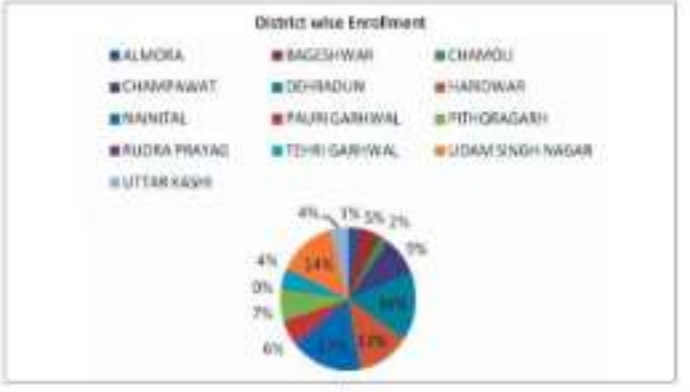

चार्ट 14.4(i)–14.2

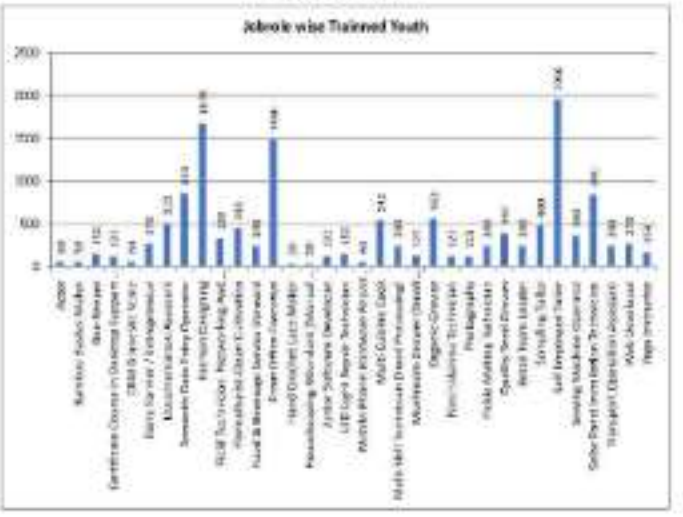

14.3.5 विशेष प्रशिक्षित – उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन द्वारा पुलवामा एवं शहीद आतंकी के परिवारों से विशेष प्रशिक्षित–दृष्टिहीन विशेष 2021 के अन्तर्गत 10 युवाओं ने क्षेत्रों में प्रशिक्षित का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षित प्रथम प्रयास में राज्य स्तर पर आयोजित की गई जिसमें नियोक्ताओं द्वारा ऑनलाइन में आयोजित क्षेत्रीय चयनित प्रशिक्षित में प्रशिक्षण किया गया। राज्य के 5 पुलवामें द्वारा शहीदों स्तर पर प्रशिक्षण किया गया। उपलब्धि 2022 में पेशेवरों में आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षित में प्रति एवं सहायक नियोक्तियों के क्षेत्र में राज्य के 2 पुलवामें द्वारा चयन प्रथम प्रयास किया गया। शेष नियोजनों द्वारा इस वर्ष मॉल के सम्पर्क स्तर में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता में प्रशिक्षण किया जायेगा।

अध्याय–15

विद्युत
Electricity

विद्युत आधुनिक सभ्यता आर्थिक गतिविधियों का आधार है तथा मानव जीवन के प्रत्येक विद्युत आपूर्ति से तीव्र एवं समावेशी विकास सम्भव है। वार्षिक विकास, जीवन की गुणवत्ता एवं विनिमय विकास हेतु अबाधगुण सम्पन्न एक महत्वपूर्ण घटक है जिसके दृष्टिगत विगत वर्षों में प्रदेश में विद्युत उत्पादन, पर्याप्त तथा विश्वसनीय प्रणाली विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन द्रुतगति से चल रहा है, परन्तु विकसित राज्यों में विद्युत उपलब्धता और खपत में अन्तर निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

राज्य में बिजली उत्पादन हेतु अपार नैसर्गिक स्रोतों की सम्भावनाओं के दृष्टिगत सघन योजनाओं तथा विभिन्न सौर–स्रोतों एवं पवन–स्रोतों की परियोजनाओं आदि को भी सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

तालिका 15.1
उत्तराखण्ड में वर्षवार विद्युत क्षमता, उत्पादन तथा मांग

वर्ष Year	स्थापित क्षमता (मेगावाट) Installed Capacity (MW)	कुल विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट) Total Electricity Production (MU)	कुल विद्युत मांग (मिलियन यूनिट) Total Electricity Demand (MU)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
2011-12	1306.25	5251.82	10571.10
2012-13	1306.25	4832.11	11424.06
2013-14	1288.85	4411.83	11909.21
2014-15	1284.85	4348.05	12440.06
2015-16	1284.85	4942.33	12908.07
2016-17	1284.85	4879.67	13080.81
2017-18	1289.35	4725.66	13465.00
2018-19	1318.56	4663.08	13842.00
2019-20	1318.56	5088.08	13852.00
2020-21	1322.56	553900	13135.00
2021-22	1322.59	5157.27	10879.00

Source: Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Ltd. & Uttarakhand Power Corporation Ltd. Statistical Diary

उपरोक्त तालिका चार्ट संख्या– 15.1 से स्पष्ट है कि राज्य में लगातार कुल विद्युत मांग की अपेक्षा कुल विद्युत उत्पादन अधिक रहा है. उदाहरण वर्ष 2021–22 के आंकड़ों से विश्लेषण से उजागर होता है कि कुल विद्युत मांग के सापेक्ष लगभग 42 प्रतिशत आपूर्तिकर्ता द्वारा विद्युत निगम से द्वारा पंजीकृत तथा अनुमति की गयी है तथा उपरोक्त रेंज की पूर्ति हेतु निष्पादन उस विद्युत परियोजना एवं केन्द्र से प्राप्त होता का महत्वपूर्ण योगदान है. इस मद से कुल विद्युत मांग का लगभग 43 प्रतिशत अंश की पूर्ति कर ली जाती है. शेष की लगभग 12 प्रतिशत की आपूर्ति एवं IEX Draw से तथा शेष की आपूर्ति अन्य स्रोतों से की जाती है।

तालिका 15.2
विगत वर्षों में एसजीए एण्ड सीए (वाणिज्यिक एवं तकनीकी हानियां) हानियों का विश्लेषण

वित्तीय वर्ष	एटीएण्ड सीए हानियां (वाणिज्यिक एवं तकनीकी हानियां)
2014-15	19.94%
2015-16	17.19%
2016-17	16.05%
2017-18	16.10%
2018-19	16.02%
2019-20	* 20.44%
2020-21	15.26%
2021-22	17.20%(provisional)

* में प्रदर्शित वर्ष में कोविड-19 महामारी के कारण लगभग पहले के वर्षों की तुलना में कम

उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (UPCL), उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL), पीटर हाईड्रोलिक कारपोरेशन उत्तराखण्ड लिमिटेड (PTCUL) तथा उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास अभिकरण (UREDA) विभागों के गठन से सम्बन्धित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं—

15.1 कालसण्ट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (Uttarakhand Power Corporation Limited, UPCL)—

15.1.1 33/11 केवी0 उपस्थापनों का निर्माण— वित्तीय वर्ष 2021–22 में 31 मार्च 2022 तक 250 एमवीए क्षमता के कुल 17 नये 33/11 केवी0 विद्युत उपस्थापनों एवं 151.90 कि.मी. नयी 33 केवी0 लाइनों का निर्माण किया जा चुका है।

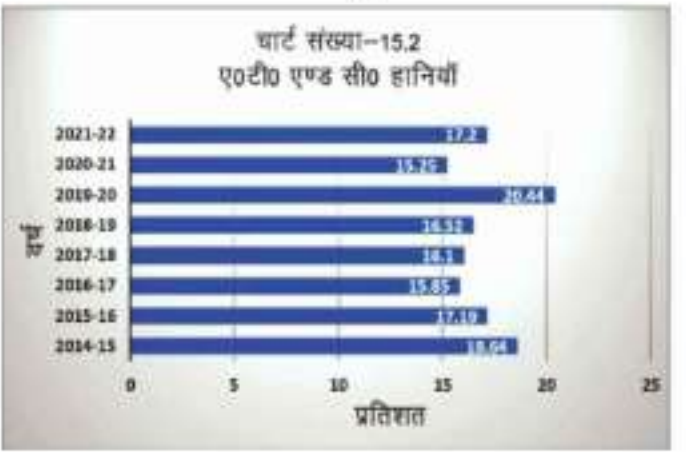

15.1.2 पुनर्गठित त्वरित ऊर्जा विकास और सुधार (Restructured Accelerated Power Development and Reforms Programme): Part-A— प्रदेश में 31 मार्च तक की विद्युत वितरण हानि को आधार पर ले 132/24 करोड़ की परियोजना अवधारित के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है एवं उनमें वेबसाल, नगर सरकार के कार्यों के अनुसार 24 घण्टा से अधिक अन्तराल एवं 36 करोड़ यूनिट से अधिक ऊर्जा वितरण खण्ड वाले वेबसाइट नगरीय क्षेत्र में ₹ 15.88 करोड़ की लागत से SCADA / DMS प्रणाली को विकसित किया गया। इस परियोजना का नवदेशय देहरादून नगर की वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं नियंत्रण हेतु कम्प्यूटर आधारित प्रणाली

को वित्तीय क्लोज दे। अब एपीडीसीएल, चरण-ए (आईपी) योजना का भौतिक एवं वित्तीय परिसमापन पूर्ण में ही लिया जा चुका है। योजना के अन्य भाग यानी (रिवाइज्ड) योजना का भौतिक एवं वित्तीय परिसमापन (Closure) पीएफसीसीएल के निर्देशानुसार माह जून, 2021 में कर लिया गया है। अब एपीडीसीएल, चरण-ए (आईपी) एवं स्मायक (रिवाइज्ड) योजना के अन्तर्गत प्राप्त ऋण ₹ 134.18 करोड़ के प्रति ₹ 134.07 करोड़ व्यय किये गये।

15.1.3 आरएपडीपीडीसीएसपी (Restructured Accelerated Power Development and Reforms Programme) Part-B– उत्तराखण्ड के 31 शहरों में विद्युत व्यवस्था के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और 33 केवीए तथा 11 केवीए लाइन के उपकेन्द्रों/परिवर्तकों, 11 केवीए तथा एलटीए लाईनों का निर्माण (ए.बी.सी. केबल का बिछाकर, कंडक्टर रिप्लेसमेन्ट, लोड बैलेन्सिंग, एच.टी. डी.एस. (11 केवीए), इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटर्स को इलेक्ट्रोनिक मीटर्स से प्रतिस्थापित करना, कैपेसिटर बैंक की स्थापना, मोबाईल सर्विस सेन्टर और 33 के.वी. या 66 के.वी. सबस्टेशनों को सुदृढ़ करना) प्रस्तावित था। अब-एपीडीसीएल, चरण-बी योजना के अन्तर्गत सभी 31 शहरों के नवीनीकरण प्रस्ताव पी0 पीएफसीसीएल, नई दिल्ली को प्रेषित किये जा चुके हैं। इस मद में अब-एपीडीसीएल, चरण-बी योजना के अन्तर्गत घोषित सभी कार्यों को पूर्ण करने हेतु योजना का नवीनीकरण (Closure) माह मार्च, 2021 में पूर्ण कर लिया गया है।

15.1.4 एकीकृत विद्युत विकास योजना Integrated Power Development Scheme (IPDS)– प्रदेश के 24 शहरी क्षेत्रों को एकीकृत विद्युत विकास योजना के तहत चयनित किया गया है। सेन्ट्रल सैक्टोरियल कमेटी द्वारा ₹ 180.66 करोड़ की डी.पी.आर. स्वीकृत की गयी। योजना हेतु 85% धनराशि भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में तथा शेष धनराशि राज्य सरकार/उ. प्र. पावर कॉर्प. द्वारा 0% धनराशि तथा शेष 15% की व्यवस्था वित्तीय संस्थानों/बैंकों से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जानी थी। चयनित सभी 24 शहरों (Nainital 10 Circles) के कार्यों को पूर्ण कर योजना के भौतिक एवं वित्तीय परिसमापन प्रस्ताव भारत सरकार की पी0 पीएफसीसीएल को प्रेषित कर दिये गये हैं। माह मार्च, 2022 तक कुल ₹ 166.80 लाख का योजना का भौतिक एवं वित्तीय परिसमापन कर लिया गया है।

15.1.5 एकीकृत विद्युत विकास योजना Integrated Power Development Scheme(IPDS): IT-Phase-II– (T-Phase-II योजना के अन्तर्गत चयनित 35 नगरों में सुधार प्रोजेक्टों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा ₹ 111.30 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी। योजनान्तर्गत प्रस्तावित मुख्य कार्य निम्नवत थे –

- 33 केवीए सब स्टेशन, डीएसएस सेण्टर एवं कमलापुर सेवर सेण्टर में परिवेक्षण एवं इंडीकेटर Upgradation।
- डालनवाला 36 नगरों के विद्युत कार्यालयों में कमलापुर, किच्छा, एसडीओएम एवं कमलापुर रेलवेकॉलोनी हेतु 33/0.433 किमी अर्थिंग प्रणालियों की स्थापना।
- वितरण परिवर्तकों एवं 33/11 केवीए पोलों में 100/100KVA हेतु फीडर्स प्रस्तावित करना।
- योजना के अन्तर्गत शहरों में विद्युत नेटवर्क एवं Assets की GIS Mapping पूर्ण की जा चुकी है।

योजनान्तर्गत समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

33 पी0 आई0 सी एस0 पावरों के साथ 11 केवीए पोलों का साथ मिलाकर पावर सेक्टर के जोड़ने का कार्य पूर्ण। इस प्रकार सभी 36 नगरों को Go-Live घोषित कर योजना के तहत पूर्ण किये जा चुके हैं। योजना का वित्तीय परिसमापन प्रस्ताव पी0 पीएफसीसीएल, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। कुल ₹ 111.30 करोड़ की राशि एवं योजना का भौतिक एवं वित्तीय परिसमापन कर लिया गया है।

15.1.6 सौभाग्य (सहज बिजली हर घर योजना) योजना– इसी संकल्प, भारत सरकार द्वारा सर्वत्रभारी सहज बिजली हर घर योजना "सौभाग्य" का उत्तराखण्ड राज्य में शुभारम्भ मार्च-2018 में किया गया। योजना के वित्तीय वर्ष 2018 मार्च-2019 में पूर्ण किये जा चुके हैं। योजनान्तर्गत

खण्ड के अन्तर्गत इच्छुक एवं पात्र कर्मी / परिवारों को बिजली उपभोग निर्गत कर विद्युतीकृत किया गया। इनमें गैलानी, पाकर सलखर एवं अन्य सरकार द्वारा अनुमत पंचायतों ₹ 48.26 करोड़ के सम्पोषित लागत प्रस्तावित का उपयोग कर लिया गया है। योजना का कार्यान्वयन उपभार पि० अपारंपरिकोर्जा लि० को सितम्बर 2020 तक प्रस्तावित कर वर्तमान एवं वित्तीय प्रबन्धकत्व कर लिया गया है।

15.1.7 एकीकृत विद्युत विकास योजना (IPDS): ERP (Enterprise Resource Planning)— कर्मी मंत्रालय, भारत सरकार की IPDS Monitoring Committee द्वारा ERP हेतु ₹ 21.78 करोड़ की स्वीकृत प्रदान की गयी। जिसके अन्तर्गत उपभोक्ताओं से वित्तीय प्रबन्धन एवं लेखा, सामग्र संसाधन प्रबन्धन एवं सामग्री प्रबन्धन में ERP सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सितंबर 2020 तक Project Management Agency नियुक्त किया गया था। अपारंपरिकोर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्वीकृति के पश्चात् पि० पीएफसी लि० द्वारा दिनांक 21.09.2020 को ईआरपी (ERP) योजना के अन्तर्गत अधिसिक्त धनराशि ₹ 7.14 करोड़ का स्वीकृति पत्र (Sanction Letter) जारी किया गया, जिसमें ERP योजना की कुल स्वीकृत लेखना लागत ₹ 21.78 करोड़ के सापेक्ष रा ₹ 28.92 करोड़ हो गयी है। AS-IS STUDY एवं Business Blue Print Documentation का कार्य पूर्ण। Realization का कार्य प्रगति पर है। IT Hardware की मंगवाना तथा Data Collection का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। verification/validation का कार्य प्रगति पर है। SIT (System Integration Testing) का कार्य पूर्ण। योजना के अन्त चरण User Acceptance Testing एवं End User Training का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

आईपीडीएस योजना हेतु मार्च, 2022 Sunset Date होने के कारण कर्मी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई. आर पी. योजना मार्च, 2022 तक में पूर्ण हो पूर्ण कार्यों का वित्तीय समापीकरण प्रस्ताव (Financial Closure Proposal) स्वीकृत कर लिया गया है तथा अवशेष कार्यों को अगामी RDSS (Revamped Distribution Sector Scheme) योजना के अन्तर्गत समावेशित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। मई माह, 2022 तक कुल ₹ 10.69 करोड़ व्यय किये गये।

15.1.8 सरकारी भवनों पर सौलर पैनल एवं रूफ टॉप सोलर की स्थापना का कार्य— केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना दि० 05.12.2019 को अधिसूचित की गयी। योजना के अन्तर्गत देशभर में इच्छुक घरों में सब्सिडी सहायता (Govt. buildings) पर रूफ टॉप सोलर पैनल स्थापित किये जाने के कार्य हेतु कुल ₹ 17.99 करोड़ की परियोजना (Additional) स्वीकृत की गयी। प्रस्तावित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु पि० पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड को परियोजना (Project Management Agency) तय किया गया। माननीय उपराष्ट्रपति देवभूमि को कार्यस्थली घोषित (हैरिटेज) के रूप में विकसित किया गया। 40 सरकारी भवनों पर सौलर रूफटॉप संयंत्रों (लगभग 2587 KWp) की स्थापना का कार्य पूर्ण कर योजना के भौतिक एवं वित्तीय क्रियाकलाप प्रगति पोर्टल एजेन्सी पि० पीएफसी को प्रेषित कर दिये गये हैं। मार्च माह, 2022 तक कुल ₹ 13.44 करोड़ व्यय कर योजना का भौतिक एवं वित्तीय क्रियान्वयन कर लिया गया है।

15.1.9 एकीकृत विद्युत विकास योजना Integrated Power Development Scheme (IPDS): मुख्य दौर, हरिद्वार में भूमिगत केबिल बिछाने का कार्य— पि० पावर फाइनेन्स कार्पोरेशन लि० (पीएफसी एवं-49) द्वारा दि० 13.04.2018 को उत्तराखण्ड पॉवर ट्रांसमिशन लि० को आई.पी.डी.एस. योजना के अन्तर्गत कुम्भ दौर हरिद्वार में विभिन्न विद्युत लाईनों को भूमिगत किये जाने के कार्य हेतु कुल ₹ 388.45 करोड़ दिनांक 13.04.2018 को ₹ 388.71 करोड़ एवं दि० 25.06.2018 को ₹ 389.74 करोड़) स्वीकृत किये गये। 294.870 कि. मी. HDPE (High Density Poly Ethylene) Pipe एवं 665.32 कि.मी. केबिल बिछाने के कार्य का पूर्ण करते हुये योजना के भौतिक एवं वित्तीय क्रियान्वयन 9.24 करोड़ एजेन्सी पि० पीएफसी को प्रेषित कर

दिये गये हैं। मार्च 2022 तक कुल ₹ 286.60 करोड़ लाभ वाले घोषणा पत्र भौतिक एवं वित्तीय रूपरेखा तय किया गया है।

15.1.10 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) :– ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषणा हेतु ₹ 40,000 करोड़ निर्धारित किये गये हैं। मार्च्य में कुल निर्गत 6488 गांव (लोगों/गांवों के सर्वेक्षण समाप्त होकर/गांवों का विद्युतीकरण/ग्रामीणीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही अनुमानित कुल 44 गांव 11 केवी0 फीडर-डीडीयूजी योजनों के पुनर्संरचना का कार्य पूर्ण। कुल स्वीकृत परियोजि के लागत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा ₹ 722.12 करोड़ परियोजि अनुमत की गयी, जिसमें संशोधन कुल ₹ 714.04 करोड़ लाभ किये जा चुके हैं। योजना के लाभार्थी भौतिक कार्यों को पूर्ण तथा योजना के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन मै0 आरईसीपीडीसी, नई दिल्ली एवं ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किए जा चुके हैं।

15.1.11 एकीकृत विद्युत विकास योजना Integrated Power Development Scheme (IPDS): RT-DAS (Real Time Data Acquisition System):– ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.12.2015 को आईपीडीएस योजना के अन्तर्गत सात राज्यों/संघ राज्य के नगरीय उपयोगों पर Real Time-Data Acquisition System (RT-DAS) की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। मै0 पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लि0 (पीएफसी) द्वारा कुल ₹ 4.28 करोड़ की धनराशि दी गयी है। योजना के लाभार्थि कार्यों का आवंटन दिनांक 15.12.2016 को किया गया तथा कार्यों हेतु मै0 सीएमएस इंफोसिस्टम्स लि0(सी. एम.आई.) को अनुमोदित किया गया। राज्य के 66 नोडों के 100 नग एप्लीकेशनों 385 नग नगरीय सेक्टरों (फीडरों) एवं 331 नग डोमेस्टिक सेक्टरों (फीडरों) को सम्मिलित किया गया। योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य पूर्ण किये गये:–

1. 66 नगरों के 100 नग एप्लीकेशनों के कार्य का कार्य पूर्ण।
2. कार्य रिपोर्ट/कंसाइनर हैंडओवर शीट के अनुमोदन का कार्य पूर्ण।
3. डेटा सेन्टर में स्थित लगे 3-नग इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना का कार्य पूर्ण।
4. Control Centre पीलखुवा में MPLS लिंक की स्थापना का कार्य पूर्ण।
5. कुल 66 नगरों के 100 नग एप्लीकेशनों में RMTU की स्थापना का कार्य पूर्ण।
6. कुल 66 नगरों के 100 एप्लीकेशनों के TRTU को RT-DAS Control Centre Dehradun से जोड़ने का कार्य पूर्ण।
7. अनुमोदनानुसार योजना के भौतिक कार्य माह मई, 2021 में पूर्ण होने का चुके हैं।
8. मै0 पीएफसीसीवी द्वारा गठित Third Party Inspection Agency द्वारा Third Party Inspection हेतु स्थल एवं डिवीस चयन पूर्ण कर लिया गया है।
9. डिवीस चयन के Third Party Inspection के उपरान्त अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना का स्थीरीकरण प्रगति पर है। कुल प्राप्त धनराशि ₹ 3.69 करोड़ के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2021 तक कुल ₹ 4.05 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

15.1.12 एकीकृत विद्युत विकास योजना Integrated Power Development Scheme (IPDS): Construction of 10 Nos. GIS (Gas Insulated Switchgear) Substations:– ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.12.2015 को आईपीडीएस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य को 10 नगरों (देहरादुन, मुनि-की-रेती, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर, हल्द्वानी, काशीपुर, किच्छा तथा सितारगंज) में 10 नग GIS (Gas Insulated Switchgear) आवंटित उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु ₹ 85.33 करोड़ की डीपीआर स्वीकृति की गयी। मुनि-की-रेती तथा सितारगंज नगरों में भूमि उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण मुनि-की-रेती के स्थान पर ऋषिकेश तथा सितारगंज के स्थान पर पंतनगर नगरों का स्थान किया गया। पीएफसी की ओर से मै0 एल्टाक कन्ट्रोल कारपोरेशन लि0 को भारत सरकार द्वारा नामित किया गया है। योजना हेतु कुल ₹ 85.33 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है

विभागों उत्तराखण्ड राज्य के लिये किया जाने वाला अनुदान 90% है। उत्तराखण्ड द्वारा दिया जाने वाला अंश 10% है जबकि 10% का दायित्व आई./एफ.आई./देवों से ऋण के रूप में प्रबन्ध किया जाना है। यह केवल टैक्नों कमर्शियल प्रयोजित, लाभार्थ को PMA (Project Management Agency) के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक सहायता एवं नव उत्तराखण्ड के कार्य पूर्ण का उत्तरदायित्व को उपलब्धित कर दिया गया है। योजना के वित्तीय एवं वित्तीय क्रियान्वयन उत्तर मैसर्स उत्तरेनी Fo रिसर्चएण्डडिट को प्रेषित कर दिये गये हैं। माह मार्च, 2022 तक कुल ₹ 19.85 करोड़ व्यय किया जा चुका है। योजना का वित्तीय एवं वित्तीय क्रियान्वयन कर लिया गया है।

15.2 उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL) – जल विद्युत के 24501 मेगावट क्षमता के दोहन हेतु अनुकूल नीतियों का निर्धारण सरकार द्वारा के अनुसार करना है। राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं की कुल दोहन क्षमता 24501 मेगावट है जिसमें परिचालन के अन्तर्गत 4002 मेगावट निर्माणाधीन परियोजनाओं के अन्तर्गत 2225 मेगावट, डीपीआर/एमओयू/स्वीकृति प्राप्त/ टेक्नोमीन के अन्तर्गत 7397 मेगावट तथा अन्य एवं इन्वेस्टीगेशन के अन्तर्गत 9469 मेगावट की परियोजनायें रुकी हुई हैं। कुलमिलाकर दिए द्वारा मार्च 2022 तक 5107.17 मिलियन का उत्पादन किया गया है।

उत्तराखण्ड जल–विद्युत की पर्यावरण नीति

- पर्यावरणीय प्रभाव प्रणाली का अनुपालन करते हुए जल विद्युत एवं अन्य प्रकार की ऊर्जा को प्रोत्साहन करना।
- संचित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियाओं एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के प्रभावी एवं उपयोगपरक पर जोर देने के साथ जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण एवं विकास करना।
- बेहतर पर्यावरणीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने हेतु सुनियोजित ढंग से जलाशय प्रक्रियाओं को लागू करवाते हुए पर्यावरण की रक्षा एवं प्रदूषण को नियन्त्रित करना।
- निर्माण तथा आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान होने वाले हादसे, विकास एवं जोखिमों के प्रभावित प्रबन्धन के प्रभावी नियंत्रण द्वारा न्यूनतम करना एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना।
- पर्यावरणीय उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को स्थापित करने एवं संचालित करने हेतु सहयोग प्रदान करना।
- सभी लागू विधिक, सांविधिक, विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन के साथ-साथ पर्यावरण संबंधी अन्य शर्तों को पूर्ण करना।
- संगठन का संधारणीय विकास करना एवं इसके पहले से बनाया जाना।

पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं की पूर्ण करने हेतु कर्मचारियों, ठेकेदारों, हितधारकों एवं आम जनसमुदाय के साथ पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ाना।

15.2.1 राज्य योजना के अन्तर्गत, पुराने जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण पुराने जल विद्युत परियोजनाओं का जीर्णोद्धार किया जाता है। गंगाजी द्वारा तीन योजना संचालनाधीन लघु जल विद्युत की परियोजनाओं के क्षेत्र में किया जा रहा है। राज्य योजना में चालनी (120 मेगावट) असिगंगा (200 मेगावट), बालन गंगाधार (300 मेगावट) पर अनुसूची के द्वारा निर्माण एवं सर्वे तथा अनुसंधान पर कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चन्द्र प्रयाग लघु (12 मेगावट), मिलवली गोरेल कलिंदीखाल (120 मेगावट), गोल डांगीन (202 मेगावट) पर भी अनुसंधान एवं निर्माण का कार्य तथा डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रक्रियान्वित है।

• **भाखी परियोजना (120 मेगावाट)**:– परियोजना के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा दिनांक 04.12.2021 को परियोजना का लोकार्पण कर दिया गया है, जिससे 375 मिलियन यूनिट वार्षिक उत्पादन प्राप्त होगा।

• **लखवाड़ परियोजना (300 मेगावाट)**:– यह एक बहुद्देशीय परियोजना है, जिसमें भण्डारण संरचना द्वारा वर्ष भर में 34 मिलियन क्यूबिक मीटर जल का उपयोग किया जायेगा। अधिकांश कार्यों की जिम्मेदारी कंपनी द्वारा दिनांक 15.12.2021 को कंपनी को हस्तांतरित कर दी गयी है। दिनांक 30.12.2021 को परियोजना निर्माण हेतु शिलान्यास का दिया गया है। परियोजना निर्माण हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है।

• **किसाउ परियोजना (660 मेगावाट)**:– संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा इस बहुद्देशीय परियोजना की परिकल्पित लागत 11,500 करोड़ है, जिसमें परियोजना से उत्पन्न कुल 66 प्रतिशत उत्पादन भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना है। यह परियोजना डोडासंतोष एवं डिमरकल खंडों की सीमा पर स्थित है, जिसके निर्माण हेतु 30–60 प्रतिशत की भागीदारी के आधार पर दिनांक 30.06.2015 को एनएचपीसी लिमिटेड, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ हो चुका है एवं जिसका कार्यारंभ दिनांक 16.01.2017 को किया गया है।

• **बायला चंदरवाल (300 मेगावाट)**:– इस परियोजना की डीपीआर/पीएफआर के लगी अथॉरिटी का सीईए/सीएसएमआरएस से अनुमोदन प्राप्त हो गया है एवं तकनीकी आर्थिक स्वीकृति कार्य प्रगति पर है। साथ ही साथ एवं एनर्जायन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जल पर्यावरणीय अध्ययन प्रारम्भ करने हेतु Term of Reference (ToR) निर्गत किया जाना शेष है, परियोजना एवं पर्यावरण मंत्रालय में लंबित है।

• **सुरिंगवाड़–II (5 मेगावाट)**:– पावर द्वारा जिला परिषद इस परियोजना के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा दिनांक 30.12.2021 को परियोजना का लोकार्पण कर दिया गया है।

• **कालीगंगा–I (4 मेगावाट), कालीगंगा–2 (4 मेगावाट) एवं मदमहेश्वर (15 मेगावाट)** निर्माणाधीन परियोजनाओं की कुल लागत क्रमशः ₹ 64.03 करोड़, ₹ 88.01 करोड़ एवं ₹ 212.46 करोड़ है, बहुत सहभागिता योजनाओं में एसडीएफ से वित्त पोषित परियोजना– I (4.0 मेगावाट) एवं मदमहेश्वर (15 मेगावाट) जबकि शेष परियोजनाओं का निर्माण स्वयं किया जा रहा है जबकि कालीगंगा– I से उत्पादन जुलाई 2020 से शुरू हो गया है।

• चयनित बहुसहायित योजनाओं में DRIP (Dam Rehabilitation Improvement Program) के द्वारा पुराने बैराज एवं बांधों का सुरक्षा की दृष्टि से पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें श्रीनगर बैराज, टुकाडी डैम, टीलवाड़ बैराज, डाकपत्थर बैराज एवं आलम बैराज शामिल है।

15.2.2 पूर्ण योजनाओं सम्बन्धी विवरण (Complete Project Detail):– निगम की वायु पूर्ण कर परियोजनाओं को व्यवस्थित प्रबंधन करने हेतु उत्पादनकर्ता के कार्य लेती से पूर्ण किये जा रहे हैं, जिसमें उत्पादन 33 प्रतिशत उत्पादन पूर्ति प्रदान पूर्ण है। इनमें अब से 51 मेगावाट के दो पूर्ण, 90 मेगावाट के हेतुबंध एवं 33.75 मेगावट के दामोदरी विद्युत्गृहों के कार्यान्वयन से कार्य जारी हैं। शेष हैं 144 मेगावाट के चौला विद्युत गृह के कार्यान्वयन कार्यों हेतु इंडिया बनीमन है।

कुर्मांचल लि. द्वारा अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) में 26 मेगावाट की क्षमतावाले सकलानी तथा रयाली में जलविद्युत संयंत्र परियोजनाओं से वर्ष 2019–20 में निर्गमित कर के 36 मिलियन का विद्युत उत्पादन किया जा रहा है।

15.2.3 भविष्य की योजनाएँ (Plans for future):–

बुलेटिन डी.ए में–

• 12 मेगावाट की तमकुहार, 15 मेगावाट की मेनाघाट, 12 मेगावाट की डिम्बाघाट, 4 मेगावाट की सोनोती एवं 1.2 मेगावाट की कुलसारघाट लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु प्रक्रिया सक्रियता है।

• 120 मेगावाट की तिरकालीमोरेल, कलीडाकगाड़ एवं 252 मेगावाट की उत्तरकाशीगंगा जल विद्युत परियोजनाएं अनुसंधान एवं निर्माण चरणों में हैं।

- पिथौरागढ़ क्षेत्र में—
- गंगोलीहाट क्षेत्र में स्थित लगभग द्वितीय 24 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का परीक्षणात्मक परिचालन है तथा शीघ्र ही नियमित कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- जोशीमठ-मलारी (उत्तरकाशी) तथा नन्दप्रयाग-लोहारीनाग पाला विद्युत परियोजनाओं के निर्माण सम्बन्धी कार्य प्रक्रिया परिचालन है।

उक्त के अतिरिक्त कुल 126 मेगावाट की परियोजना निम्नानुसार प्रस्तावित है—

क्रमांक	परियोजना का नाम	जनपद	स्थापित क्षमता(मेगावाट)	पूर्ण होने का अपेक्षित वर्ष
1.	कालीगंगा–II	रुद्रप्रयाग	4.5	2021–22
2.	सुरिगाड–II	पिथौरागढ़	5	2021–22
3.	मनमहेश्वर	रुद्रप्रयाग	18	2021–22
4.	भिलंगना–II A	टिहरी	24	2024–25
5.	टंगुनी	पिथौरागढ़	12	2024–25
6.	भिलंगना–II B	टिहरी	24	2025–26
7.	धौलगाड	पिथौरागढ़	15	2025–26
8.	शिन्कागाड	पिथौरागढ़	12	2025–26
9.	गुप्तकाशी	रुद्रप्रयाग	1.5	2024–25
10.	पुरोला	उत्तरकाशी	0.8	2024–25
11.	सुमडियाखाल	उत्तरकाशी	2	2024–25
12.	कपरीती SHP	पिथौरागढ़	4	2025–26
13.	धुलागाड SHP	पिथौरागढ़	1.2	2024–25
14.	तपोवन	चमोली	5	2024–25
कुल			126	

15.2.4 नवीनतम परियोजना (Innovative Project)— यूपेसीएल लिमिटेड एवं वैकल्पिक ऊर्जा ऊर्जा केन्द्र, पालीटेक्निक देहरादून राज्यभर, सहकारी के साथ सभी विद्युत उपकेन्द्रों के बीच एवं निकला हेतु समझौता प्रपत्र हस्ताक्षरित किया गया, जिसके तहत ये सभी उपकेन्द्रों उपलब्ध उत्पादन किया जायेगा।

सभी परियोजनाओं के लिए हेतु सभी संबन्धकों की आवश्यकता नहीं होती है और न ही इससे को कोई नुकसान होता है। इसमें प्राय: में पीला विद्युत पूर्व के आउटलेट्स से 100 मिलाने की हाइड्रोकार्बनिक टरबाइन फ्लाइट प्रोजेक्ट के रूप में लगाने की अनिवार्य परिणाम है।

उत्तरांचल राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की आईएसएस नीति

लाभ

- राष्ट्र के लिए स्वच्छ, पर्यावरण के अनुकूल, सस्ती, विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली का उत्पादन एवं निर्माण करने में रोजगार बढ़ाने वाला।

प्रतिबद्धताएँ

- कम्पनी उत्पादन में स्थापित तकनीकी, वैज्ञानिक, विनियामक एवं अन्य आवश्यकताओं का पालन करना।

- स्वास्थ्य संरक्षण, संरक्षण एवं सक्रियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संतुलन बनाये रखे विकास करना।
- उत्तराखण्ड, आपदा में कमी एवं पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधित परियोजनाओं में सुधार करने में संबंधित सुरक्षाएं, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा उद्देश्यों की स्थापना और सम्मेलन द्वारा एकीकृत प्रबंधन प्रणालियों की कार्यान्वितता में समन्वय सुधार करना।
- स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्यस्थल खतरों पर सहायता एवं मार्गदर्शन के लिए सभी श्रमिकों को शामिल करना। विद्युत परियोजनाओं के अन्वेषण, नियोजन, परिकल्पन एवं क्रियान्वयन के लिये पर्यावरण विशेषज्ञता एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी शामिल करना।

प्रवास

- विद्युत परियोजनाओं के अन्वेषण, नियोजन, परिकल्पन एवं क्रियान्वयन के लिये पर्यावरण विशेषज्ञता एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी शामिल करना।
- परियोजना प्रक्रियाओं एवं उपयोगकर्ता अनुकूलन पद्धतियों का सत्यापीकरण द्वारा संचालन को अधिकतम करना।
- खतरे परियोजनाओं को कीर्तिमान, मॉनीटरिंग एवं उन्नतीकरण द्वारा उपचालन को बढ़ाना।
- परियोजना के विकास के स्तरों पूर्ण करने की अनुकूलतम अवधि सुनिश्चित करना।
- सभी संभव संचालन विकास द्वारा संगठनात्मक उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- पर्यावरण प्रबंधकों को अपनाने हेतु यूनेसीएल लिमिटेड के पर्यावरण में बेहतर परिस्थितियां सुनिश्चित करना।
- डाटाटिक पर्यावरण को बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधनों का संरक्षण, खतरों को कम करना, प्रदूषण को रोकना एवं सभी संबंधी सुविधाओं और अवसंरचना की संरक्षण हेतु सुविधा कार्यकारी विधि प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रक्रियाओं को कम करना।
- कर्मचारी, ठेकेदार, विक्रेताओं और मेजबान समुदायों के बीच सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना।

15.3 उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (Uttarakhand Renewable Energy Development Agency "UREDA")– राज्य में अक्षय ऊर्जा विकास के क्षेत्र में शीर्ष ऊर्जा का विशेष पंजीयन एजेंसीहेतु की गठा है जिसके अन्तर्गत रिमोट क्षेत्रों / जंगलों / गांवों में विद्युत आपूर्ति हेतु सोलर पावर प्लांटों का लगाने, सोलर लाइटों का प्रयोग, सोलर सुलभ तथा सोलर पीवर का उपयोग करने बनाने में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हीटर्स, डाटाटिक सोलाइजिंग एवं सलाहें पावर के उत्पाद सौर सम्पन्न स्थापित किये जा सकते हैं। अक्षय स्रोतों पवन चीर, बायो, लघुतम विद्युत आदि के समुचित दोहन हेतु विभिन्न जानकारियों अर्जन राज्य में स्थापित है–

15.3.1 सौर ऊर्जा नीति (संशोधित) 2018 [Solar Energy Policy (Revised) 2018]– प्रदेश में 2100 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित करनी जा चुकी है तथा 200 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं प्रदेश के 282 विकासखण्डों को आवंटित की गई हैं। इनमें से 50-50 मेगावाट क्षमता की 02 परियोजनाएं स्थापित हो चुकी हैं एवं शेष प्रगति पर हैं।

15.3.2 सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम (Solar water heating plant)– वर्ष 2021-22 में राज्य को लक्ष्यांक भारत में 43500 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम की स्थापना की जानी है।

15.3.3 लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना (Establishment of Small Hydro Power Schemes)– 2 मेगावाट क्षमता तक संयुक्त एवं लघु जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना इस उद्देश्य से गठित की करने हेतु उत्तराखण्ड राज्य 25.25 मेगावाट क्षमतावाली क्षमता की 75 स्कीमों की डी.पी.आर./डी.एल.आई तैयार की जा चुकी है,

जिलों के 9 नगरपालिका क्षेत्रों की 15 बस्तियों/वार्डों को निर्माण हेतु आवंटित किया जा चुका है।

15.3.4 सोलर स्ट्रीट लाईट (Solar Street light)– प्रदेश के चुनाव क्षेत्रों एवं वार्डों में एम्पावर्ड/आकांक्षी (ट्राईबल और नॉक्सलाईट एरिया सहित) स्थानों पर विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत 12000 सोलर स्ट्रीट लाईटों को स्थापना लक्ष्य आवंटित है।

15.3.5 ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत एलईडी0 बल्ब लाईट योजना– एलईडी0 बल्ब लाईट योजना के अन्तर्गत प्रतिस्थापन द्वारा घरेलू उपभोक्ता समूहों को कुशल बल्ब द्वारा घरेलू मूल्य कम करने हेतु ₹ 00-00 दरावर की धनराशि डिस्काम्स कार्यक्रम के 9W में दिये जाने हेतु अब तक कुल 50 लाख उपभोक्ता समूहों को उपलब्ध कराने एवं वितरकों/कारीगरों के माध्यम से उपभोक्ता उपकरण की खरीदी उपलब्ध की गई है।

15.3.6 मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना (CM Solar Self-Employment Scheme)– प्रदेश के युवाओं, लघु उद्योग संस्थानों को योजनाओं के अन्तर्गत सूक्ष्म कारों के इच्छित संचालित 'मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना' में अपनी स्वयं की भूमि/भूमि लीज पर लेकर 25 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना की जा सकती है। इस योजना के अन्तर्गत स्थापना की कुल लागत का 70 प्रतिशत अर्थ 8 प्रतिशत सहज ऋण पर एवं/बिना राजकीय वैंक से ऋण से गठित से 15 वर्ष के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। 25 किलोवाट संयंत्रों से 38000 यूनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन सम्भावित है, जिससे लगभग ₹ 1760000 वार्षिक आमदनी की जा सकेगी। 25 किलोवाट के संयंत्र पर ₹ 40000 प्रति किलोवाट के आधार पर ₹ 10.00 लाख का उद्यम सम्भावित है। इस योजना के सूक्ष्म/लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) के अन्तर्गत अनुमोदन/मंजूरीन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। दिनांक 08 दिसम्बर 2020 से प्रारम्भ इस योजना में ऑनलाईन 1438 से अधिक पंजीयन हो चुके हैं।

15.3.7 पाईन निडिल एवं अन्य बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन नीति–2018– तीन वर्षों में कुल 1185 किलोवाट संचित क्षमता की 58 योजनाओं हेतु 4 डिवेलपर्स संयंत्र योजनाओं को स्थापना हेतु आवंटित किया जा चुका है। फलस्वरूप में 8 मिट्टा उत्पादन परियोजनाएं (100 मिग्रा.) एवं 1 ब्रिकेटिंग इकाई स्थापित हो चुके हैं, शेष पर कार्य प्रगति पर है।

15.3.8 सोलर रूफ टॉप कार्यक्रम– भारत सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बचत हेतु सोलर रूफ टॉप योजना यूपीनेडा/एनएसएम के माध्यम से संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ता 10 किग्रा. क्षमता तक का संयंत्र स्थापित कर सकता है। पहाड़ और नक्सैल्मस्तित ऊर्जा संकलन, भारत सरकार द्वारा सोलर रूफ टॉप योजना 3 किग्रा. क्षमता तक के संयंत्र पर 40 प्रतिशत तथा 3–10 किग्रा. के संयंत्र पर 20 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान तक 1832 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं एवं प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष उपजिलाधिकारी द्वारा कार्योदेश डिस्कॉम द्वारा 1344 एन.ओ.सी. जारी कर दी गई है तथा कुल 902 संयंत्रों की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है।

15.4 पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (PTCUL)– पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का उद्देश्य विद्युत सेक्टर प्रणाली जो मजबूत करना है। 132 केवी0 की क्षमता से ऊपर की पारेषण लाईनों व विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण करने के साथ–साथ विद्युत कॉरपोरेशन में सुधार, मर्जीनल संचार, ग्रामों में सम्पर्क व मजबूती प्रदान करने तथा विद्युत ऊर्जावहन केन्द्रों व पारेषण लाईनों का निर्माण करते हुए प्रदेश को सशक्त पारेषण संचार प्रदान की लागू करना है।

- वर्तमान में पनविद्युत द्वारा विद्युत विकास हेतु निम्न प्रोजेक्ट परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

15.4.1 220 केवी0 डबल सर्किट रूद्रपुर (सहस्त्रधारी)–पनचक्की–श्रीनगर लाईन (150 किमी0)– पारेषणलाईन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, एवं पारेषण लाईन को दिनांक 02 जून, 2020 को व्यावसायिक किया जा चुका है।

15.4.2 132 केवी0 पुरकुल–बिन्दाल लिंक लाईन (10.73 किमी0)– इस पारेषण लाईन का पार्क रूद्रपुर के सहारे क्षेत्र में विकास नगरों के लिये सेवा की सुविधा उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण से पुरकुल के कार्य व्यावसायिक, व्यावसायिक एवं पर्यटन संस्थानों के अलावा गांव से विकास पाता है। निर्माणीय पर्व

2021–22 में दिसम्बर 2021 तक कुल ₹ 1464.21 लाख व्यय कर 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है।

15.4.3 400 केवी डबल सर्किट लघोअ बिष्णुगढ़–पीपलकोटी लाईन:– प्रस्तावित बिष्णुगढ़ पैपलकोटी लाईन की कुल लम्बाई 36 सर्किट किलोमीटर है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक कुल ₹ 2332.15 लाख व्यय कर 31 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है।

15.4.4 400 केवी डबल सर्किट पीपलकोटी–कर्णप्रयाग–श्रीनगर लाईन:– डबल सर्किट पीपलकोटी–कर्णप्रयाग–श्रीनगर लाईन की कुल लम्बाई 188 सर्किट किलोमीटर है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक कुल ₹ 18781.06 लाख व्यय कर 48 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है।

15.4.5 220 केवी डबल सर्किट लखवाड़–व्यासी–देहरादून लाईन तथा व्यासी पर जीओ लाईन:– लखवाड़–व्यासी–देहरादून लाईन तथा व्यासी पर जीओ लाईन की कुल लम्बाई 71 सर्किट किलोमीटर है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक कुल ₹ 9432.75 लाख व्यय कर 83 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है।

15.5.6 132/33 केवी उपस्थान पत्थरी, पान्धली, हरिद्वार (2x40 एमवीए):– उपस्थान पत्थरी, पान्धली, हरिद्वार लाईन की कुल लम्बाई 80 सर्किट किलोमीटर है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर 2021 तक कुल ₹ 3878.59 लाख व्यय कर 56 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है। रानी गराडघेरा, उपकेन्द्रों के सुदृढ़ीकरण का कार्य, डिजिटल एवं आई लाभ कन्ट्रोल कम प्रोटेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उपस्थान ऊर्जीकृत करने हेतु पूर्ण रूप से तैयार है, पावरिंग लाईन के निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उपस्थान को ऊर्जीकृत किया जायेगा।

15.4.7 132 केवी सिंग–नजीबाबाद लाईन का 132 केवी उपस्थान पत्थरी पतन्जलि पर जीओ लाईन:– प्रस्तावित की कुल लम्बाई 13.64 सर्किट किलोमीटर है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक कुल ₹ 1214.98 लाख व्यय कर 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है।

15.4.8 220 केवी काशीपुर–पन्तनगर जीओ लाईन:– प्रस्तावित की कुल लम्बाई 60 सर्किट किलोमीटर है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रस्तावित निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। प्रस्तावित की कुल लागत ₹ 4500.00 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2021 तक कुल दिनांक प्रगति ₹ 4493.19 लाख प्राप्त की गयी है।

15.4.9 132 केवी डबल सर्किट सितौरगढ़ (पीजीसीआईएल)–सोहावल लाईन:– प्रस्तावित की कुल लम्बाई 41.55 सर्किट किलोमीटर है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक कुल ₹ 3652.89 लाख व्यय कर 93 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है।

15.4.10 220 केवी जी.आई.एस. उपस्थान बरगी (2x25 एमवीए):– प्रस्तावित की कुल क्षमता 50 एमवीए है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक कुल ₹ 7027.26 लाख व्यय कर 93 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है।

15.4.11 220 केवी उपस्थान बरगी पर 220 केवी मौलीगंज–रिंगौदानगढ़ (पीजीसीआईएल) लाईन का जीओ कार्य:– प्रस्तावित की कुल लम्बाई 21.66 सर्किट किलोमीटर है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक कुल ₹ 450.26 लाख व्यय कर 67 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है।

15.4.12 220/33 केवी उपस्थान जाफरपुर (2x50 एमवीए03) का निर्माण कार्य:– परियोजना निर्माण का कार्य जुलाई, 2020 में पूर्ण हो चुका है तथा 31.03.2021 को व्यवसायोपयुक्त घोषित किया जा चुका है, जिसकी कुल लागत ₹ 74.01 करोड़ है।

15.4.13 220 केवी डबल सर्किट लाईन:– सिंगाली पटवाडांडे जल विद्युत परियोजना से इनर कनेक्शन चाईद से प्रस्तावित स्वयम्भु (ब्रह्मकोटी) उपस्थान तक परियोजना लाईन का निर्माण कार्य प्रगति पर है, परियोजना की कुल लम्बाई 30.00 सर्किट किलोमीटर है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक कुल ₹ 7080.23 लाख व्यय कर 23 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है।

अध्याय - 16
परिवहन एवं संचार
Transport and Communication

सड़क तथा रेलवे के पर्याप्त आधारतन्त्र में तीव्र पूंजी निर्माण का आर्थिक विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसी अर्थव्यवस्था के सम्मिलित और आर्थिक कार्यकुशलता की सम्भावना ही लोगों को यात्राओं और संचालित अवसरों की सुविधाएं उपलब्ध कराने में निहित होती है और आर्थिक समृद्धि की गति इस बात पर निर्भर करती है कि अर्थव्यवस्था किसी दक्षता और विश्वसनीय रूप से अपेक्षाओं सम्बन्धी अड़चनों को दूर करने में सक्षम है। देश में लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा आधारभूत अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाईन (National Infrastructure Pipeline-NIP) जैसी महत्त्वाकांक्षी परियोजना प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25 तक 1.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न क्षेत्रों की 6500 से अधिक नई परियोजनाएं चिन्हित की गयी हैं। इन परियोजनाओं में हाईवेज, ब्रॉडबैंड नेटवर्क, रेलवे और सभी मौसम के लिए सड़कों हेतु रोपवे, जैसे सार्वजनिक परिवहन, आधुनिक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, मेट्रो और रेल यातायात, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग, सिंचाई परियोजनाएं आदि सम्मिलित हैं।

अर्थव्यवस्था में सामाजिक उपरिमानद पूंजी निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के उद्यमियों को अधिक पूंजी निवेश के अवसर प्रदान करता है, जिससे उच्च पूंजी निवेश दरों से सम्बन्धित होता है तथा रोजगार अवसरों का सृजन होता है। भारत के सम्बन्ध में अवसंरचना क्षेत्र के निवेश तथा आर्थिक विकास के मध्य उच्च सहसम्बन्ध है। कोविड-19 के कारण वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से चूंकि देशव्यापी स्तर लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में भीषण गिरावट देखी गई परन्तु रेलवे तथा सड़क यातायात के विस्तार कार्यों में संलग्नकों द्वारा अवधिवसान से निरन्तर कार्य किये जा रहे हैं।

सड़क परिवहन– सड़कें अर्थव्यवस्था के अविभाज्य अंगों के लिए आवश्यक घटक हैं। इस कारण तथा रेलवे जैसी सेवाओं के विशेष उपयुक्त साधन न होने के कारण सड़कें ही अल्पदूरी, जैसे 500 किमी. की आर्थिक दूरियों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उत्तराखण्ड राज्य में रेल सुविधा की उपेक्षित के कारण सड़क परिवहन यात्री तथा वस्तुओं के यातायात का मुख्य साधन है। राज्य में निर्मित सड़कों की कुल लम्बाई 46371 किमी० से अधिक है तथा प्रति लाख जनसंख्या पर 461.05 किलोमीटर की सड़कें निर्मित हैं। राज्य में औसतन एक्सप्रेस वाहनों की संख्या 32.94 लाख से अधिक है।

चार्ट–16.1

आबादी एवं क्षेत्रफल के अनुसार जनपदवार सड़कें

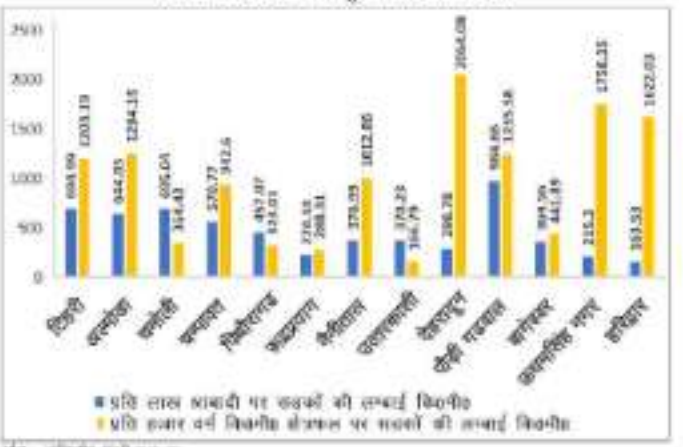

स्रोत– लोकनिर्माण विभाग उत्तराखण्ड

जनपदवार आबादी एवं क्षेत्रफल के आधार सड़कें– राज्य में जनपदवार जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के अनुसार सड़कों की स्थिति में काफी अन्तर है। प्रतिलाख जनसंख्या पर सर्वाधिक सड़कें टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी तथा रुद्रप्रयाग में है जो क्रमशः रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं चम्पावत में हैं। दूसरी ओर प्रतिहजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सर्वाधिक सड़कें देहरादून, उधमसिंह नगर तथा हरिद्वार जनपद में हैं, जो क्रमशः रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ तथा टिहरी में हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में फरवरी माहतक की स्थिति सर्वाधिक देहरादून, मुख्यालय नगर व हरिद्वार में है तथा सबसे कम चम्पावत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व टिहरी में है।

चार्ट–16.2

जनपदवार पक्की सड़कों की लम्बाई किलोमीटर (मार्च 2020 तक)

स्रोत– लोकनिर्माण मन्त्रालय उत्तराखण्ड एवं कुमाऊं मण्डल

उत्तराखण्ड में सड़क अवसंरचना– राज्य में सड़कों की कुल लम्बाई अप्रैल 2020 में 46471.56 किलोमीटर थी जिसमें 31 मार्च 2021 तक लोक निर्माण विभाग 28404 किलोमीटर लम्बाई वाली सड़कों जिसमें जीर्ण एवं टूटी हुई सम्मिलित हैं की देख-रेख करती है। लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत तथा अन्य स्थानीय निकाय, सिंचाई विभाग, पन्ना विभाग, वन विभाग, बी0आर0ओ0 तथा उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड द्वारा भी सड़क निर्माण कार्य किया जाता है। निम्नवत् विभिन्न सड़कों का विवरण सारणी 10.3 में अंकित है।

चार्ट–10.3
अप्रैल 2020 तक उत्तराखण्ड राज्य में विभागवार सड़कों की लम्बाई (किलोमीटर)

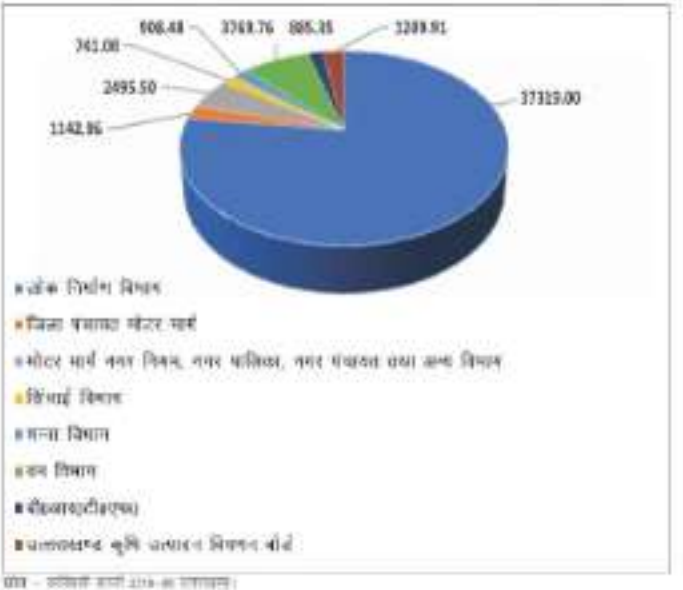

स्रोत – उत्तराखण्ड सरकार 2019-20 एवं उत्तराखण्ड।

लोक निर्माण विभाग के नियन्त्रणाधीन सड़कें – लोक निर्माण विभाग से अप्रैल 31 मार्च 2021 तक कुल 29404 किलोमीटर की सड़कें है जिसमें 33366 किलोमीटर पक्का मोटर मार्ग तथा 8468 किलोमीटर कच्चा मोटर मार्ग है। पैदलपुरी के विभिन्न खण्डों के नियन्त्रणाधीन सड़कों की स्थिति सारणी संख्या 10.4 में अंकित है।

चित्र 16.4
पीडब्लूडी के विभिन्न खण्डों के नियन्त्रणाधीन सड़कों की लम्बाई (किलोमीटर)

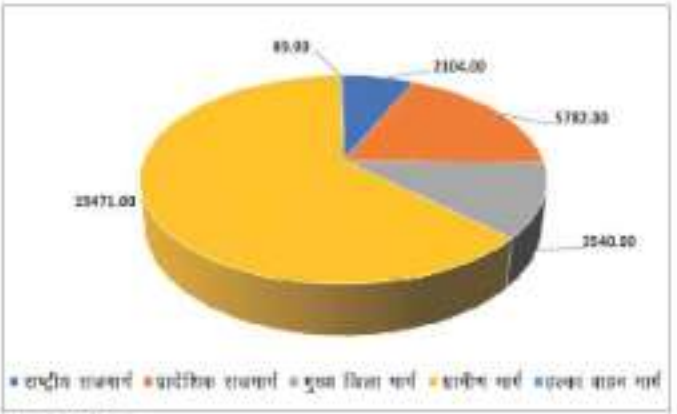

स्रोत : लोक निर्माण विभाग

16.1 लोक निर्माण विभाग– लोक निर्माण विभाग राज्य मुख्य मार्ग ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराता है। प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 16765 क्षेत्रफल दर्ज है, जिसमें सम्पर्क पहुंच मार्ग, 2022 तक 13312 ग्रामों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। Treatment of Chronic Slides Zones में मैकेनाइज्ड टेक्नीक्स एवं इन्फ्रेक्ट किया जा रहा है, जैसे Geogrid, Gabbion, Soil Nailing/ Anchoring, Netting etc. इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक कार्य हेतु लोक्ल इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग किया जा रहा है। उत्तराखण्ड में लोक निर्माण विभाग की अनुमति 31 मार्च 2021 तक 20166.25 किमी० सड़क संबंधी योजनाओं को निर्माण कार्य किया है। वर्ष 2021–22 के लिए जिला योजना, राज्य योजना तथा केन्द्र पुरोनिधानित के तहत कार्य हेतु लक्षित 621.09 किमी० के सापेक्ष वर्ष, 2022 तक 737.58 किमी० का निर्माण हुआ तथा वर्षों पुनर्निर्माण कार्यों में 644.45 किमी० लक्षित सड़कों के सापेक्ष 882.30 किमी० का निर्माण हुआ। नियोजित वर्ष में मार्च, 2022 तक 28 सेतुओं के लक्ष्य के सापेक्ष 29 सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

उत्तराखण्ड में पर्वतीय सड़कों से आवागमन सरलीकरण लोक निर्माण विभाग ने 31 मार्च 2021 तक 29456.41 किमी० पर्वतीय सड़कों कोल्ड सड़कों (जिसमें लीन पोत्य सम्मिलित हैं) 9998.16 किमी० की अभिवृद्धि की है, का निर्माण का किया है। इस प्रकार सम्पर्क सड़कों के निर्माण को अन्तर्निहित 5.5मीटर्स से बढ़ी है। वर्ष 2021–22 के लिए सड़क निर्माण हेतु ₹ 2850.43 लाख का बजट प्रावधान निर्माण किया गया। वर्ष 2021–22 का लक्ष्य एवं मार्च 2022 तक की उपलब्धियों का ब्यौरा तालिका संख्या 16.1 में दर्शाया गया है–

तालिका 16.1

क्षेत्र	मद	इकाई	लक्ष्य 2020-21	वर्ष 2020-21 की उपलब्धियां (माह मार्च 2021 तक)	लक्ष्य 2021-22	31.03.2022 तक की वास्तविक उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7
राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय राजमार्ग योग्य सड़कें	किलोमीटर	659.86	782.74	621.08	737.08
	जोड़	किलोमीटर	659.86	782.74	621.08	737.08
	अन्य राज्य विकास सड़कें	किलोमीटर	737.38	742.51	583.46	799.53
	नई बनने योग्य सड़कें	किलोमीटर	-	-	-	-
	पुल	संख्या	48	32	34	29
	पाँच जुड़े	संख्या	100	97	97	116

अरुणाचल में दिनांक 31.03.2022 तक 15372 मील सड़कों से जोड़े गये विभिन्न विकास खंडों/ब्लॉक की सूची 16.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 16.2

क्र0 सं0	सड़कों से जुड़े पाँच	31 मार्च एक संख्या (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)			31.03.2022 तक की वास्तविक उपलब्धियां
		2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6
1	1500 से अधिक आबादी वाले पाँच	820	820	820	820
2	1000–1499	507	554	554	567
3	500–999	1665	1707	1726	1738
4	250–499	2809	2990	3035	3075
5	250 से कम	6481	7059	7092	7150
कुल योग		12345	13159	13256	13372

राष्ट्रीय राज मार्ग (केन्द्रीय क्षेत्र)

प्रदेश में वर्तमान में 2854 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसमें राष्ट्रीय चिन्ह क्षेत्र तथा राष्ट्रीयकृत सम्मिलित है। इनमें से लोक निर्माण विभाग के तकरीब 2304 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिनके पुनरुद्धार के कार्य हुए वर्ष भी जारी रहे। वर्ष 2022 तक ₹ 930.52 करोड़ का व्यय किया गया।

विभाग द्वारा कराये जा रहे विभिन्न कार्यों का विवरण निम्नवत है:

10.1.1 ब्रॉड गेज सेक्टर रोड– माननीय रक्षामंत्री की महत्वाकांक्षी राज्य सड़क परियोजना के अन्तर्गत राज्य में चार धामों को जोड़ने वाले राजमार्गों के रीकंस्ट्रक्शन एवं चौड़ीकरण का कार्य किया जाना है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में ब्रॉड गेज रोड की अनुमानित कुल 41 कार्य (Job) सड़क निर्माण लम्बाई लगभग 2 हजार करोड़ के स्वीकृत हैं। स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष कार्यों का पावंटन निम्न विभागों के पास है:-

- लोक निर्माण विभाग (P.W.D.)
- पी.आई.यू. सीमा (Project Implementation Unit- Ministry of Road Transport and Highway)
- बी.आर.ओ. (Border Road Organisation)
- एन.एच.आई.डी.सी.एल. (National Highway and Infrastructure Development Corporation Ltd.)

इस परियोजना के अन्तर्गत कुल 889 किलोमीटर लम्बाई में कार्यों का 02 लेन चौड़ाई में पक्कीकरण सहित निर्माण कार्य किया जाना है। जिसके अन्तर्गत कुल 15 कार्य (Job) सीमा संसुक्ति, कुल 03 कार्य (Job) सुरंग मार्ग (लम्बाई एवं दोनों ट्यूब) एवं कुल 03 कार्य (Job), एलिवेटेड कार्य (लम्बाई– लम्बाई 775 मीटर, सहित कुलयुक्त– लम्बाई 975 मीटर एवं फ्लाई– लम्बाई 600 मीटर) का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

उक्त परियोजना के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2022 तक कुल 19 कार्य (Job) कार्य, लम्बाई 262 किलोमीटर, लागत ₹ 3880 करोड़ के पूर्ण हो चुके हैं, एवं कुल 19 कार्य (Job) कार्य, लम्बाई 382 किमी०, लागत ₹ 5469 करोड़ के आवंटित हैं। परियोजना की पूर्णता की अवधि वर्ष 2022-23 तय की गयी है।

10.1.2 सेतु भारतम योजना– सेतु भारतम योजना के अन्तर्गत देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निदान हेतु आर.ओ.बी. के निर्माण का प्रावधान भारत सरकार द्वारा किया गया है। योजनान्तर्गत प्रदेश में स्थित रेलवे क्रासिंग पर आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य लिया जा रहा है, जिसको वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्ण किया जाना लक्षित है:-

- राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-74 पर बाजपुर के निकट दो लेन आर.ओ.बी. का निर्माण – लागत ₹ 56.76 करोड़।
- राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-121 पर काशीपुर के निकट चार लेन आर.ओ.बी. का निर्माण – लागत ₹ 76.52 करोड़।

10.1.3 रेलवे ऊपरगामी सेतु का निर्माण– राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्तर्गत स्वीकृत रुद्रपुर शहर में काशीपुर रेलवे स्टेशन के आर.ओ.बी. का निर्माण लागत ₹ 69.50 करोड़ का कार्य माह मार्च 2019 में पूर्ण किया जा चुका है। लम्बवत स्टेशन में सीतापुर मुरादाबाद पर 02 लेन आर.ओ.बी., लागत ₹ 29.02 करोड़ का कार्य माह मार्च 2019 में पूर्ण किया जा चुका है।

10.1.4 मसूरी में पार्किंग– मसूरी में पार्किंग का निर्माण कार्य लागत ₹ 31.55 करोड़ माह नवम्बर, 2021 में पूर्ण कर लिया गया है।

10.1.5 बाईपास एवं रिंग रोड का निर्माण– प्रदेश के मुख्य शहरों में शहर के अन्दर यातायात घनत्व कम करने हेतु बड़ी रिंग रोड का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार द्वारा मेहतपुर, हरिद्वार एवं हल्द्वानी में रिंग रोड का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है, जिसमें महोबा हल्द्वानी रिंग रोड की प्रथम चरण के कार्य की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

10.1.6 फ्लाई ओवरों का निर्माण– देहरादून शहर में आई.एस.बी.टी. के समीप 02 लेन अतिरिक्त फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य लागत ₹ 29.03 करोड़ का माह मार्च 2018 में पूर्ण किया जा चुका है।

10.1.7 श्री केदारनाथ धाम के पुनरोद्धार कार्य– माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार की पूजा प्रायोजनाओं में सम्मिलित श्री केदारनाथ धाम में निर्माण द्वारा सुगम यातायात के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अधिकाधिक पुण्योदय कार्य पूर्ण किये

जा चुके हैं तथा शीतकालीन के अन्तर्गत लक्षित ₹ 187 करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं।

16.1.8 अगस्त दिल्ली में "लोक–पार्क" का निर्माण– उत्तराखंड दिल्ली में दिल्ली प्रांत के उत्तर क्षेत्र का सबसे लम्बा 442 मीटर झूला पुल "लोक–पार्क लम्बाई 442 मीटर स्थान" का निर्माण कार्य पूर्ण कर पर्यटकों हेतु उपलब्ध करा दिया गया है।

16.1.9 अगस्त दिल्ली में "चमकी सेतु" का निर्माण– उत्तराखंड दिल्ली सड़कपार के पुनि की दोनों ने "कीलाड़ रोड से सबसे लंबा नदी के ऊपर 240 मीटर स्थान से जोगती सेतु" का कार्य पूर्ण कर सहायता हेतु उपलब्ध करा दिया गया है।

16.1.10 लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित कराये जा रहे अन्य महत्वपूर्ण कार्य– उत्तराखंड देहरादून से चंडीगढ़ खंड में 82 लेन आद्यतनीकरण लगभग ₹ 42 करोड़ का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे दिसम्बर, 2022 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण किये गये कार्य

- पुराने लक्ष्मण झूला पुल के निकट नया झूला पुल निर्माण लागत ₹ 69.282 करोड़ लम्बाई 132.50 मी0
- ऋषीकेश से देवप्रयाग तक दो लेन मार्ग हेतु बीओटी एवं निर्माण लागत ₹ 293.24 करोड़ लम्बाई 25.615 किमी0
- देवप्रयाग से चौरेखंट तक दो लेन मार्ग हेतु बीओटी एवं निर्माण लागत ₹ 257.34 करोड़ लम्बाई 26.90 किमी0
- कानाताल, देवप्रयाग एवं चौरेखंट में पुनर्वासन क्षेत्र का डीपीआर कार्य लागत ₹ 70.80 करोड़ लम्बाई 1.1 किमी0

• ऋषिकेश 2022 में गंगा नदी पर प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला पुल के निर्माण के तीन पर पहले का पहला पक्षक रज्जु संयोजक सेतु का निर्माण कार्य लागत ₹ 84 करोड़ का प्रगति पर है, जिसे माह जुलाई 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

16.1.11 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना– प्रत्येक जनसंख्या को सहजकारी पक्की सड़कों से जोड़ने हेतु वर्ष 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) संचालित की जा रही है। राज्य में इस योजना की कार्यान्वयी संस्था ग्रामीण विकास विभाग के अधीन उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (Uttarakhand Rural Roads Development Agency-URRDA) है। योजना के तहत राज्यवार क्रम से मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक की आबादी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी की बस्तियों को स्थायी सड़कों से जोड़ा जा रहा है। राज्य में योजना अंतर्गत से मार्च, 2022 तक कुल ₹ 7887.21 करोड़ के व्यय करते हुए कुल 18826.76 किमी0 की सड़क के 1884 कार्य पूर्ण किये गये। इनमें से 250 से अधिक आबादी वाली 1867 बस्तियों के लक्ष्य के सापेक्ष गत्ते, 2022 तक 1812 बस्तियों को सर्वसुलभ सड़क से जोड़ दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹ 1218 करोड़ व्यय करते हुए 298 कार्य पूर्ण किये गये और 150 बस्तियाँ जोड़ी गईं। पर्वतीय राज्यक्षेत्रों के हेतु वर्ष 2017–18 से मार्च, 2322 तक कुल 3028.50 किमी0 लम्बाई में मार्ग का निर्माण कराया गया है। सड़क निर्माण कार्य में लेजिस्ट कार्य आदेश एवं पारदर्शिता निर्माण सामग्री की सम उपलब्धता को लक्ष्य में रखते हुए वीम टेक्नोलॉजी के अन्तर्गत जियो सिंक, सीमेन्ट स्टेबिलाइजेशन, आरबीएम 81, वेस्ट प्लास्टिक एवं नैनो टेक्नालॉजी का उपयोग करते भी मार्ग निर्माण किया जा रहा है।

16.2 जलवायु परिवर्तन निगम–

16.2.1 राज्य के सड़क यातायात में जलवायु परिवर्तन निगत की अहम भूमिका है। राज्य में

परिवहन निगम तीन डिपो/डाउन कार्यालय तथा 10 डिपो के साथ लोगों को राज्य में तथा राज्य के बाहर अन्य प्रतियोगी राज्यों में यात्रायात की सुविधाएं प्रदान करता है। निगम 353 रूटों पर 984 गैरेजों संचालन कर रहा है। वर्ष 2020–21 में निगम की 1265 बसों द्वारा कुल 681.14 लाख किलोमीटर किमी तय द्वारा 195.67 लाख यात्रियों द्वारा यात्रायें की गयी। 2003–04 में परिवहन निगम की 1024 यात्रायात बसों तथा 40 रेगी डीलक्स बसों में 347.89 लाख यात्रियों द्वारा यात्रा की गई वहीं वित्तीय वर्ष 2021–22 में लॉकडाउन-19 की लागत यात्रा यातायात बाधित रहा और निगम द्वारा संचालित 1247 यात्री बसों में 1213.12 लाख किमी0 की संचालन से 346.78 लाख यात्रियों ने यात्रायें की। वर्तमान में निगम की 1271 बसों में से 629 बसों एसीयेय एवं 601 बसें सेमीसी डीलक्स से संचालित हो रही हैं। इन बसों में 1107– साधारण बसें, 23–एसी0 बसें एवं 31–डीलक्स बसें सम्मिलित हैं। बसों के संचालन में कुल 1936 चालक एवं 2016 परिचालक हैं; 12 चालक तथा 16 परिचालक अधीन हैं। वर्तमान में कुल 1460 राज्य विभिन्न श्रेणी यात्रायातों में नियोजित हैं जिनमें 818 यात्र सेना सम्बन्धी तथा 642 गत दुर्घटना सम्बन्धी हैं।

16.2.2 वर्ष 2003–04 में परिवहन निगम का कुल व्यय तथा आयिनां क्रमशः ₹ 5213.82 लाख तथा ₹ 4128.56 लाख रूपये थी। शेष वर्षों में आयिनों तथा व्यय दोनों में तेजी वृद्धि हुई परन्तु 2006–07 के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष में परिवहन निगम को हानि में वर्ष का संचालन करना पड़ा है। 2018–19 तक निगम की हानियां बढ़कर ₹ 6005.27 लाख तक पहुंच गई थी। पहले तक में कमी के फलस्वरूप 2019–20 में यह घाटा घटा कम होकर ₹ 4277.47 लाख हुआ परन्तु कोविड–19 के संक्रमण जनित गतिविधियों का व्यापक प्रभाव परिवहन सेवाओं पर पड़ने से वित्तीय वर्ष 2021–22 तक निगम का कुल घाटा ₹ 7480.08 लाख तक पहुंच गया। परिवहन निगम की संचालन आय, व्यय तथा लाभ/हानि की स्थिति तालिका 16.3 तथा चार्ट संख्या 16.5 में प्रदर्शित किये गये हैं।

तालिका 16.3

उत्तराखण्ड परिवहन निगम की वर्षवार प्राप्तियां एवं व्यय एवं लाभ/हानि (लाख में)

वर्ष	आय	व्यय	लाभ (+)/हानि(-)
2003-04	5213.82	4126.56	+1087.26
2004-05	12167.27	13656.21	-1511.06
2005-06	15295.68	14113.53	+1089.45
2006-07	16863.49	17156.09	-274.60
2007-08	18775.10	18787.00	-11.90
2008-09	21037.53	18950.62	+2086.91
2009-10	22438.75	21286.03	+1152.33
2010-11	20406.25	23370.34	-2933.31
2011-12	26259.64	29583.65	-3324.01
2012-13	28634.40	32181.57	-3546.83
2013-14	40864.25	39464.25	+1399.33
2014-15	43617.93	54980.26	-11362.33
2015-16	44209.90	43140.20	+1069.69
2016-17	48153.40	44150.27	+3995.13
2017-18	51750.68	51481.30	+269.38
2018-19	54812.88	55607.51	-794.63
2019-20	52311.89	56589.42	-4277.47

2020-21	4238733	2841103	13972.54
2021-22	54085.42	47461.34	7490.08

स्रोत: [illegible]

ग्राफ–16.5
वर्ष 2003–04 से 2021–22 तक चय के सापेक्ष उपलब्धियों का प्रतिशत
प्रति ₹100 के खर्च पर राजस्व अर्जन।

ग्राफ–16.6
वर्ष 2014–15 से 2021–22 तक परिचालन निवल जी लाभिया (लाख ₹ में)

- **परिवहन निगम की मुख्य उपलब्धियां**– वित्तीय वर्ष 2021–22 में परिवहन निगम की बसों की कुल उपयोगिता 311, 974 किलोमीटर 74 प्रतिशत तथा प्रतिबस प्रतिदिन आय ₹. 11114 रही जबकि नवंबर 2020 से मई 2021 में कोविड–19 के कारण संचालन स्थगित रहा।

10.2.3 राज्य परिवहन निगम द्वारा अन्तर्राज्यीय मार्गों के बसों के सुचारु संचालन हेतु पड़ोसी राज्यों से अनिवार्य समझौते कराए गये हैं। हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तथा पुडुचेरी राज्य उल्लेखनीय, जो वर्तमान में परिवहन संचार हो चुका है तथा हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर तथा केन्द्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से परिवहन समझौता करार प्रस्तावित है। मौजूदा देश नेपाल से सोनबरसा से रेक्सौल एवं दिल्ली और नेपालगंज से हरिद्वार तक बस संचालन का करार सरकार से अनुमति प्राप्त हुई है।

10.2.4 **परिवहन निगम द्वारा संचालित योजनाएं**– परिवहन निगम विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों हेतु निम्न योजनाओं संचालित करता है–

i) मासिक पास योजना– परिवहन निगम की बसों में दैनिक यात्रा करने वाले यात्रियों हेतु माह में 30 ट्रिप बाबली मासिक पास योजना के तहत 2020–21 में 6066 पास जारी हुए थे तथा चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में कोविड –19 के कारण 4038 पास जारी किये गये।

ii) छात्राओं हेतु निःशुल्क यात्रा– निगम की बसों में छात्राओं को करने वर्ष से विद्यालय तक आवागमन की यात्रा हेतु 2020–21 में 82208 छात्राओं को तथा चालू वित्तीय वर्ष में कोविड– 19 के कारण फरवरी 2022 तक मात्र 154737 छात्राओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्राप्त हुई।

iii) रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को निःशुल्क यात्रा– महिलाओं को उक्त अवसर पर निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा 2008 से प्रारम्भ की गई है। अगस्त 2020 में 41221 महिलाओं को तथा चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त 2021 में 42654 महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्राप्त हुई।

iv) दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा– निगम द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के व्यक्तियों को निगम की साधारण बसों में प्रदेश के भीतर निःशुल्क यात्रा सुविधा 2009 से संचालित है। 2020–21 में 100423 तथा चालू वित्तीय वर्ष में फरवरी 2022 तक 90122 विकलांग व्यक्तियों को निःशुल्क सुविधा प्राप्त हुई।

v) वरिष्ठ नागरिकों हेतु निःशुल्क यात्रा सुविधा– निगम की साधारण बसों में प्रदेश के वैध वरिष्ठ नागरिकों को प्रदेश के भीतर निःशुल्क यात्रा की सुविधा वर्ष 2016 से प्रारम्भ की गई। वर्ष 2020–21 में 702764 व्यक्तियों को तथा चालू वित्तीय वर्ष में फरवरी 2022 तक 1254784 व्यक्तियों को सुविधा प्राप्त हुई।

vi) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा दिवंगत हुये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं एवं उनके श्रवण पीढ़ी के पतिव्रतियों/पत्नियों को परिवहन निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा– वर्ष 2020–21 में 10838 व्यक्तियों को सुविधा प्राप्त हुयी तथा चालू वित्तीय वर्ष में माह फरवरी 2022 तक 8821 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

vii) उत्तराखण्ड राज्य के आंदोलनकारियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा– वर्ष 2020–21 में 41881 तथा चालू वित्तीय वर्ष के माह फरवरी 2022 तक 80017 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

viii) भारत प्रशासन सेवकों को निःशुल्क यात्रा– यह सुविधा वर्ष 2006 से प्रारम्भ हुयी वर्ष 2019–20 में कुल लाभार्थी द्वारा 7438 तथा चालू वित्तीय वर्ष के माह फरवरी 2022 तक 7432 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

ix) ऑनलाईन टिकिट की सुविधा– उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में ऑन लाईन टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान की गयी है।

c) कम्प्यूटरीकरण— सभी संचालन कार्यों का कम्प्यूटरीकरण कार्य किया जा रहा है। इस हेतु निगम के 19 जिलों तथा तीन विभिन्नकृत कार्यालय एवं मुख्यालय को USWAN से जोड़ा जायेगा।

16.3 उल्लेखनीय परिवर्तन विवरण—

राज्य सरकार के समान वाहन में ओवरलैप परिवर्तित वाहनों की संख्या 2,63,016 थी जो दिनांक 28 मार्च में निरस्त करते हुए मार्च 2022 तक घटकर 3315159 हो गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 134076 वाहन परिवर्तित हुए। विभिन्न परिवर्तित वाहनों का विवरण निम्न प्रकार है।

तालिका 16.4

वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह मार्च-2021 तक संभाग/उप संभाग के अन्तर्गत परिवर्तित वाहनों का विवरण

क्र. सं.	परिवर्तित वाहन/ उप संभाग/ संभाग/ राज्य स्तर/ पंजीयन/ परमिट/ फिटनेस/ परमिट/ टैक्स	वाहन परिवर्तित/ अनुमोदित क्षमता/ संख्या/ संख्या का अनुमति/ अनुमोदित संख्या/ एवं परिवर्तित की गई											

[illegible]	04	1	1	111	8	1151	634	2	10	6	19	10	2579
[illegible]	111	3	3	27	27	5407	3033	2	103	8	11	201	12788
[illegible]	20	4	1	51	3	4.02	419	2	10	14	12	15	1025
[illegible]	85	1	1	100	8	1044	411	1	10	0	10	8	2064
[illegible]	01	2	1	24	8	1219	81	2	2	0	47	2	4027
[illegible]	10	1	1	17	8	1102	204	2	8	0	12	2	1394
कुल	4268	815	251	1237	681	114799	36691	1	1102	201	906	1616	164976

स्रोत: [illegible]

डायग्राम 16.7
राज्य में जनपदवार वाहनों की संख्या (दिसम्बर 2021 तक)
वित्तीय वर्ष 2020-21 (दिसम्बर, 2021) तक संचालित वाहनों की संख्या

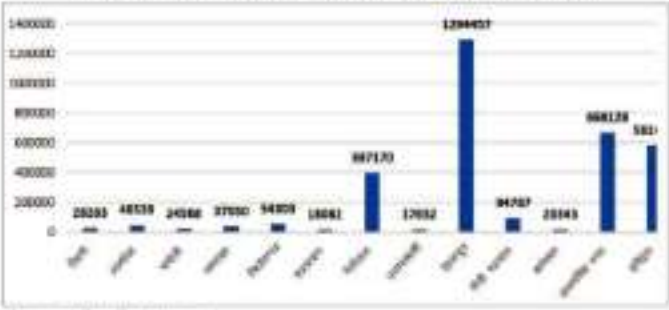

स्रोत: [illegible]

परिवहन विभाग की वित्तीय प्राप्तियां:- वर्ष 2021-22 में राज्य में रुपए 2.66.48 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां थी। राज्य में कर ढांचे में सरलीकरण एवं ई-गवर्नेंस के माध्यम से राजस्व प्राप्तियों में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक राजस्व अर्जन की प्राप्तियां निर्धारित लक्ष्यों से अधिक अर्जित नहीं की परन्तु वर्ष 2016-19 से राजस्व अर्जन लक्ष्यों की तुलना में अग्र रहा है। 2019-20 में राजस्व प्राप्तियों लक्ष्य का 94 प्रतिशत तथा 2019-20 में 91 प्रतिशत रही। कोविड-19 की महामारी के कारण परिवहन आस्थि गतिविधियों में लम्बित का अतिरिक्त प्रभाव परिवहन विभाग के राजस्व अर्जन पर भी पड़ा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 11250 करोड़ थी, जो लक्ष्य का 70.80 प्रतिशत थीं। जबकि चालू वर्ष 2021-22 (दिसम्बर, 2021 तक) की अवधि में यह प्राप्तियाँ लक्ष्यों का मात्र 37.50 प्रतिशत रही है। वर्ष 2010-11 से माह दिसम्बर, 2021 तक के राज्य एवं प्राप्तियां इस डी9-16.8 में प्रदर्शित है।

ग्राफ 16.8
परिवहन निगम के राजस्व अर्जन के लक्ष्य एवं प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)

स्रोत- अनुज परिवहन निगम उत्तराखण्ड।

ग्राफ–16.9
2- प्रवर्तन सम्बन्धी कार्य
परिवहन निगम द्वारा किये गये चालान एवं निरूद्ध वाहनों की संख्या

स्रोत- अनुज परिवहन निगम उत्तराखण्ड।

ग्राफ 16.10
राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण

स्रोत– अनुरूप परिवहन विभाग उत्तराखण्ड।

तालिका 16.5
उत्तराखण्ड में संचालित व्यवसायिक एवं निजी वाहनों की कुल संख्या–

वाहन का प्रकार	वर्ष			
	2001	2010	2020–21	2021–22
1	2	3	4	5
व्यवसायिक वाहन	30483	81266	257569	313321
निजी वाहन	333435	930820	2864231	3002118
योग	**363918**	**1012088**	**3145791**	**3315139**

स्रोत– अनुरूप परिवहन विभाग उत्तराखण्ड।

16.3.1 उल्लेखनीय कार्य–

- वित्तीय वर्ष 2019–20 में 1243387 वाहनों का रोड कर 92286 वाहनों का संचालन एवं 8086 वाहनों को स्थाई में निरस्त किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 में 625262 वाहनों को रोड कर 62812 वाहनों का संचालन एवं 2722 वाहनों को स्थाई में निरस्त किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 में 656606 वाहनों को रोड कर 62582 वाहनों का संचालन एवं 4410 वाहनों को स्थाई में निरस्त किया गया है।

16.3.2 राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण–

तालिका 16.6

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या	दुर्घटना की गम्भीरता (प्रतिशत में)
2018	1468	1047	1571	71.30
2019	1353	866	1459	64.01
2020	1041	674	856	64.74
2021	1405	820	1091	58.36

स्रोत- अनुज परिवहन विभाग उत्तराखण्ड। तालिका 16.6 दुर्घटनाओं एवं मृतकों की संख्या

16.3.3 सड़क परिवहन में नवीन नवी-मेशन एवं तौयात्रिकी आधारित सेवायें

(3.1) उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है, जिसने द्वारा एनआईसी के सहयोग से भारत सरकार के मानकों के अनुरूप वेबसाइड डाइनामिक बनाया गया है।

(3.2) भारत सरकार द्वारा निर्भया फण्ड के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से कण्ट्रोल रूम की स्थापना, सीसीटीवी डेशबोर्ड एवं अन्य कार्य हेतु लगभग ₹ 5.35 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जबकि राज्य सरकार स्तर से इस हेतु ₹ 1.34 करोड़ की धनराशि प्रदान की गयी है।

(3.3) स्मार्टफोन/ टैबलेट पर प्राप्त की गई एसएमएस 112 पर प्रेषित किये जा रहे हैं, जिनके आधार कार्यवाही पुलिस विभाग स्तर से की जा रही है।

(3.4) राज्य में वाहनों में वीएलटी (Vehicle Location Tracking Device & Panic button) स्थापित करने हेतु 16 कम्पनियों को अधिकृत किया गया है। अभी तक लगभग 14749 वाहनों में वीएलटी डिवाईस की स्थापना की गयी है।

16.3.4 कोविड-19 के दौरान किये गये कार्य-

(1) **प्रवासी नागरिकों को घनराव्य वापस पहुँचाना :-**

(1.1) परिवहन विभाग द्वारा कोविड-19 के दौरान बीते हुए परिवारों को राज्य वापस पहुचाने के लिये राज्यों की व्यवस्था की गयी थी। इस कार्य में लगे वाहनों को किराया भुगतान हेतु ₹ 180.00 लाख की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत करते हुए संभागीय/जनपद संभागीय परिवहन अधिकारियों को उपलब्ध की गयी थी।

(2) **वाहन स्वामियों एवं चालकों को मोटरयान कर एवं शुल्क में छूट-**

(2.1) राहत परिवहन एवं राजस्वार्थ संचालन, भारत सरकार द्वारा वाहनों के ऐसे प्रपत्र (चालक लाईसेन्स, पंजीयन प्रमाणपत्र, फिटनेस सर्टिफिट आदि), जिनकी वैधता दिनांक 01-02-2020 को अथवा उसके पश्चात समाप्त हो रही है, को वैधता दिनांक 31-10-2021 तक बढ़ाई गयी है।

(2.2) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020 में राज्य में रजिस्ट्रेशन वाली प्रकार के कार्यरत्मिक सेवायानों (स्टेज कैरेज/कन्ट्रेक्ट कैरेज बस, टैक्सी, विक्टी कैब, ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा) को छः माह के लिये तथा चार वाहनों को दो माह के लिये मोटरयान कर से भुगतान से छूट प्रदान की गयी थी।

(2.3) वर्ष जनवरी 2021 में पुनः अनुरोध करने पर सार्वजनिक सेवायानों को एक माह के लिये मोटरयान से भुगतान से छूट प्रदान की गयी थी।

(2.4) सभी प्रकार के सर्वेक्षणीय सेवाकार्य (सर्वेक्षण डीड/कार्यादेश दीवार बाद, टैक्सी, निजी तौर आदि, डिजाइन) को वर्ष 2023-24 में एक बार जारी ऑनलाइन के स्थान पर ऑफलाइन मुद्रण पुनरारंभ से पूर्व प्रदान की गयी थी।

(2.5) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01-10-2021 से 31-03-2022 तक परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाएँ जैसे फिटनेस, रिन्यूअल ऑफ परमिट, राज्यव्यापी, लाईसेन्स आदि के ऑनलाईनकरण एवं विलम्ब शुल्क से मुक्तिदान से पूर्व प्रदान की गयी।

(2.6) सभी सर्वेक्षणीय सेवाकार्य के पात्र याचकों/परिवादकों एवं व्यक्तियों को अतिरिक्त ₹ 2000.00 की दर से 30 मार्च तक अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु सुविधाजनक राशि लगभग ₹ 123.68 करोड़ की धनराशि रोकी गयी। जिसके सापेक्ष प्रथम चरण में कुल मात्र रू. 20% अर्थात ₹ 30.81 करोड़ की धनराशि परिवहन आयुक्त कार्यालय में प्राप्त हुई है जिसमें से ₹ 23.82 करोड़ की धनराशि प्रदेश के जनता जिलाधिकारियों के माध्यम से लाभार्थियों को वितरित की जा चुकी है। उक्त योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या 43977 है।

(3) **कोविड-19 प्रबन्धन में योगदान–**

(3.1) परिवहन विभाग द्वारा कोविड-19 के दौरान विभिन्न जनहितों में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं विभिन्न विभाग द्वारा की गयी मांग के सापेक्ष 1943 वाहनों (टैक्सी, पैसेंजर, बस, गहन वाहन, एम्बुलेन्स एवं सम्बन्धी वाहनों को अधिगृहित की गयी।

(3.2) उक्त वाहनों से रोगियों एवं से लाने, खाद्यान्न की आपूर्ति से अतिरिक्त लॉकडाउन के कारण फँसे हुए व्यक्तियों को सम्बन्धित एवं जहुँचाने का कार्य किया गया।

(3.3) कोविड-19 की दूसरी लहर में विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से परिवहन विभाग द्वारा ऑक्सीजन टैंकरों की ट्रैकिंग संबंधी जानकारी की गयी और समय से ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करायी गयी।

16.3.5 सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु किये गये कार्य

(1) **प्रवर्तन कार्य का सुदृढ़ीकरण–** परिवहन विभाग हेतु 04 इन्टरसेप्टर वाहन तथा 18 स्पीड राडार गन का क्रय किया गया है।

(2) **नशे की हालत में वाहन चलाने की जाँच हेतु–** नशे की हालत में वाहन संचालित करने वाले चालकों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु 40 एल्कोमीटर क्रय कर प्रवर्तन दलों को आवंटित किये गये हैं।

(3) **स्पीड गवर्नर–** ओवरलोडिंग के कारण होने वाले दुर्घटनाओं पर रोक लगाने हेतु व्यावसायिक वाहनों में गति नियन्त्रक उपकरण की स्थिरीकरण की गयी है, जो तक लगभग 1,82,210 वाहनों में गति नियन्त्रक उपकरण संस्थापित किये हैं।

(4) **ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्ट ट्रैक्स की स्थापना–** राज्य सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा राज्य में सभी क्षेत्रीय/प्रादेशिक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में ऑटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक के निर्माण का निर्णय लिया गया है। जनपद में हरिद्वार में टेस्ट ट्रैक का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा मुजफ्फरनगर का निर्माण प्रगति पर है। खेड़ापुल में लर्निंग/ड्राईविंग लाइसेन्स के ऑटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक का निर्माण प्रक्रियाधीन है। एमबीपी हल्द्वानी, काशीपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, रुड़की, नरेन्द्रनगर एवं श्रीनगर में भूमि उपलब्ध हो गयी है।

(5) **ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग लेन की स्थापना–** राज्य सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा हरिद्वार एवं हल्द्वानी में MORTH के सहयोग से ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग लेन के निर्माण का निर्णय लिया गया जिस हेतु ₹ 12.50 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा प्रथम किस्त के रूप में ₹ 2.50 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। एआरटीओ पूर्व को कम्प्यूटराईज्ड इन्जनों तथा सुचि उपयोग विभाग कोर्ट को अवगत कराया गया है। इसके अतिरिक्त सेलाकुई एवं रुद्रपुर में लोक निजी सहभागिता के आधार पर तथा एमबीपी/ रुड़की क्षेत्रों

के लिये मंत्रालय तेल की समाक्ष लिया जाना प्रस्तावित है।

(6) **रिंग ट्रैक का निर्माण**– प्रशिक्षण कार्यों पर वाहन चालकों की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से साईकिलोट्रैकवाय, देहरादून में रिंग ट्रैक का निर्माण।

(7) **चालक प्रशिक्षण संस्थान** :– जम्मू एवं कश्मीर के हंदवाड़ा में भारत सरकार की सीमा के अन्तर्गत चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है। चालक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को ₹ 20.00 करोड़ का प्रस्ताव वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा वे स्वीकृति प्रतीक्षित है।

(8) सार्वजनिक सेवायान से होने वाली दुर्घटनाओं में मृत व्यक्ति के आश्रितों/कानूनी वारिसानों/ साधारण यात्रा को दी जाने वाली अधिक राहायता को दृष्टिगत रखते हुए मृतक व्यक्ति को ₹ 1,00,000.00 एवम्‌ गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को ₹ 40,000.00 एवं साधारण रूप से घायल व्यक्ति को ₹ 10,000.00 राहत राशि प्रदान की जा रही है।

16.3.6 रोजगार सृजन–

(1) **प्रत्यक्ष रोजगार**– वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में 125 नियमित नियुक्तियों एवं 28 आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुल 145 नियुक्तियां प्रदान की गयी हैं।

(2) **अप्रत्यक्ष रोजगार**– वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में क्रमशः 24488, 23802, 17165, 13497 एवं 18017 (कुल 97430) व्यक्ति–माहों दिये गये हैं, जिनके मानक से लगभग 1,46,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुए हैं।

16.4 रेल यातायात

प्रस्तावित राज्य होने से वर्तमान उत्तराखण्ड में रेलवे का विकास अपेक्षानुरूप नहीं हुआ है। राज्य में कुल लम्बाई 344.01 किमी0 की संचालित रेल लाइनें है। इसमें से रेलवे यात्रायात को बढ़ाने हेतु मात्र राजधानी मात्र बाग्य लम्बाई दोहरे प्रस्तावित है जिसके फलस्वरूप 125.28 किमी0 की ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना, 27.45 किमी0 लम्बाई की देहरादून–कण्डली रेलवे लाईन तथा भारत में रेलवे परियोजनाओं का सर्वे सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त माo प्रधानमंत्री ने चारों धामों को रेल मार्ग से जोड़ने का विचार 2014 में दिया था, जिसमें चारों धामों को चार सुरक्षित, सुगम, आरामदायक व सभी के ही सके तथा पर्यावरण को भी पुनर्जीवन न पहुँचे इस रेल परियोजनाओं के पूरा होने पर राज्य के विकास की दर को त्वरित गति प्रदान की जायेगी।

16.4.1 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना– ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच नई ब्रॉडगेज (Broad Gauge-1676 mm) रेल लाइन उत्तराखण्ड राज्य में एक बहुत महत्वपूर्ण विकास परियोजना है। ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच रेल खंड पहाड़ियों से होकर 125.28 किमी0 की दूरी में लिए लगभग 17 सुरंगों, विशाल पुलों का निर्माण करने एवं लगभग 15 छोटे बड़े स्टेशनों को जोड़ने, जिससे क्षेत्रों का विकास करने एवं क्षेत्र में रहने वाली जनता को रोजगार प्रदान करना है। इस रेल परियोजना से यह सम्भावित है कि इससे पहाड़ के लोग और तीर्थ में सहायक कनेक्टिविटी, होने में सीमेंटेड, जिससे तीर्थ यात्रियों को सुविधा प्रदान

इस रेल परियोजना के तहत ऋषिकेश (वीरभद्र) तथा कर्णप्रयाग के मध्य नए ऋषिकेश, शिवपुरी, मरोडी, देवप्रयाग, ऑक्टाडांडी (मुनि की), श्रीनगर, पौरी देवी, सिरनी, पोखलिंग, मोखर तथा सिरोई सहित कुल 12 रेलवे स्टेशन बनाये जायेंगे। इनमें से दो पहले रेलवे स्टेशन नए ऋषिकेश स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

तालिका 16.7
Salient Features of Rishikesh Karnprayag Rail Project

S.No.	Station	No of High Level Platforms	Total No of Line	Remarks
0	Virbhadra (Existing station)	01	04	1st Station Commissioned with CRS inspection on 17-03-2020
1	Yog Nagari Rishikesh (old name New Rishikesh)	01	10	
2	Shivpuri	02	05	Partly in Tunnel and Bridge (ESP Approved by N. Railway)
3	Dyasi	02	05	Partly in Tunnel and Bridge (ESP Approved by N. Railway)
4	Devprayag	02	02	Partly in Tunnel (ESP Approved by N. Railway)
5	Jhakan (Auxiliary)	01	02	Partly in Tunnel (ESP Approved by N. Railway)
6	Maletha	02	03	Partly in Tunnel (ESP Approved by N. Railway)
7	Srinagar	3 Passengers + 2 Goods	07	In Over (ESP Approved by N. Railway)
8	Dhari Devi	02	04	Partly in Bridge (ESP Approved by N. Railway)
9	Tilwa	02	03	Partly in Tunnel (ESP Approved by N. Railway)
10	Ghaldi	02	03	Partly in Tunnel (ESP Approved by N. Railway)
11	Gauchar	02	04	In Over (ESP Approved by N. Railway)
12	Sirai (Karnprayag)	3 Passengers + 1 Goods	10	Partly in Tunnel (ESP Approved by N. Railway)

16.4.2 परियोजना की वर्तमान स्थिति–

1 – परियोजना के तहत ऋषिकेश वीरभद्र स्टेशन तथा नए योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन (NG-1) के बीच 5.7 किलोमीटर के ब्रॉड गेज सेक्शन 17 मार्च 2020 में सम्पन्न प्रारम्भ हो गया। इसके तहत ऋषिकेश के कार्यालय में एक रेलवे स्टेशन बिल तथा ऋषिकेश–देवप्रयाग मार्ग में एक रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य शामिल है। योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन में दूसरी ओर सम्पर्क की सुविधाओं का विकास कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत 17 सुरंगों का निर्माण किया जाना है। इस वर्ष 10 पैकेज में संचालित है।

2 रेलवे ब्रिज – मन्दाकिनी नदी पर एक ओवर ब्रिज का निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है तथा अलकनन्दा नदी में लामबगड़ तथा श्रीनगर में कार्य अन्तिम चरण में चल रहे हैं।

वर्ष 2015 की लागत के अनुसार परियोजना की लागत ₹ 16218 करोड़ अनुमानित है। वर्तमान 5 प्रतिशत तार्किक मुद्रास्फीति को लगाने अलावा लोक की वैधता करने की लागत वर्ष 2026 तक परियोजना की वास्तविक लागत ₹ 24000 करोड़ अनुमानित की गयी है। विवरण विवरण निम्न तालिका संख्या–16.8 में दिया गया है–

तालिका 16.8

वित्तीय वर्ष	धनराशि की आवश्यकता ₹ करोड़ में
31 मार्च, 2021 तक व्यय	3879
वर्ष 2021-22 में धन की आवश्यकता	4200
वर्ष 2022–23 में धन की आवश्यकता	4200
वर्ष 2023–24 में धन की आवश्यकता	5000
वर्ष 2024–25 में धन की आवश्यकता	4500
वर्ष 2025–26 में धन की आवश्यकता	2780
कुल आवश्यक धनराशि	**24559**

तालिका 16.9
Salient Features of Rishikesh Karnprayag Rail Project

S.No.	Parameters	Final Alignment
1	Total Length (km)	125.20
2	No. of New Stations (Nos.)	12
3	No. of tunnels (Nos.as per list of tunnels)	17
4	Total Length of Tunnels (kms)	105.47
5	Escape tunnel (Kms)	88.54
6	Total Length of tunnelling involved (kms)	210
7	Max length of the tunnel (km)	15.30
8	Percentage of route in tunnel Length	84.24%
9	No. of important bridges (Nos.)	10
10	Total Length of bridges (mtr)	3885
11	Max length of bridge(mtr)	50
12	Min. length of bridge (mtr)	400
13	Percentage of bridge length	2.26%
14	Length of open cutting/ Embankment (kms)	16.89
15	Percentage of open cutting/ Embankment (%)	13.48%
16	Total Cost (INR) as per Detailed Estimate (2016)	₹ 16216 Cr.

Source: Rail Vikas Nigam Ltd.

16.6.3 भागमती रेलवे – भारत से उत्पन्न में पहाड़ी राज्य उत्तराखण्ड में स्थित भारतभर रेल परियोजना में कुल 327 किमी लम्बाई वाली चार अंतर-जनपद रेल लाइन शामिल हैं। यह रेल लाइन पौड़ी, गढ़वाल, चमोली और रुद्रप्रयाग जनपदों से गुजरेगी जो हिंदू धर्म के चार पवित्र धामों में उत्तर दिशा के धाम हैं। उत्तर रेलवे के एक में 150 किलोमीटर लम्बी भागमती रेल परियोजना (पौड़ी तक दशुलीगंगा) विशाल ब्रॉड गेज (Broad Gauge-1676 mm) जिस रेल कनेक्टिविटी तथा द्वितीय रेलवे से जुड़ने में 174 किलोमीटर लम्बी कटिनाम तथा रुद्रप्रयाग विशाल ब्रॉड गेज रेल लाइन रेल कनेक्टिविटी का निर्माण प्रस्तावित है।

सेक्टर से जोड़ना है। ऋषिकेश तक रेल संचालन में 20 मार्च 2020 को लगभग 670 दिन हो गए तथा परियोजना दिसम्बर, 2024 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। प्रस्तावित नई रेल परियोजना का उद्देश्य चार धाम यात्रा के लिए विभिन्न प्रमुख केंद्रों में रोजगारोन्मुखी एवं आजीविकोन्मुख और सुविधा परिवहन, नए पहाड़ी केंद्रों से कनेक्शन और मैदानी क्षेत्रों से सामाजिक और आर्थिक विकास के बेहतरीन लेन में रहने वाली आबादी की सेवा करना है। इस परियोजना से गंगा/अलकनंदा घाटी में कनेक्टिविटी में सुधार होगा और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और कमतर करने में सहायक होगा।

16.4.4 पैट्टी परियोजना की अद्यतन स्थिति

1. देहरादून शहर में पैट्टी लिंक परियोजना:– उक्त परियोजना की डीपीआर नेशनल के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 24.02.2021 को अनुमोदित करते हुए उत्तराखण्ड शासन को यह नई मण्डल की परियोजि हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो कि वर्तमान समय पर विचाराधीन है। उक्त परियोजना में दो कॉरिडोर्स जनपद अर्थात्0 टैप से गांधी पार्क एवं एफआरआईडी से धामपुर तिराहे तक लम्बाई 22.50 किलोमीटर डीपी एवं कुल 25 स्टेशन होंगे। उक्त परियोजना के पूर्ण होने की कुल लागत लगभग ₹ 1800 करोड़ है।

2. हरिद्वार–ऋषिकेश पैट्टी लिंक परियोजना:– उक्त परियोजना गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से ऋषिकेश तक प्रस्तावित है, जिसकी कुल लम्बाई लगभग 35 किलोमीटर एवं कुल स्टेशनों की संख्या 20 है। उक्त परियोजना के पूर्ण होने की कुल लागत लगभग ₹ 2700 करोड़ है।

3. हर की पैड़ी से चण्डी देवी मंदिर तोपने परियोजना:– उक्त परियोजना की कुल लम्बाई 2.3 किलोमीटर एवं कुल लागत ₹ 150 करोड़ है, जिसमें कुल दो स्टेशन, 13 टावर होंगे।

4. हरिद्वार शहर में "हरिद्वार दर्शन" के नाम से पॉड टैक्सी:– उक्त परियोजना में कुल 4 कॉरिडोर है। जिसकी कुल लम्बाई लगभग 21 किलोमीटर है एवं परियोजना की कुल लागत ₹ 1884 करोड़ है, जिसमें 21 स्टेशन होंगे। इस परियोजना का निर्माण पीपीपीपी मॉडल पर प्रस्तावित है।

5. हरिद्वार शहर में रोपवे प्रणाली:– हरिद्वार शहर में रोपवे प्रणाली को क्रियान्वित किये जाने हेतु पी0 पी0 पी0 मोड़ पर निर्गुलट किया गया सुधार एवं पुनर्गठन प्रक्रिया पर है।

6. ऋषिकेश से नीलकण्ठ महादेव मन्दिर तक रोपवे परियोजना:– उक्त परियोजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट मै0 आईएमएसएलएल द्वारा तैयार की जा चुकी है। इस परियोजना का निर्माण पी0 पी0 पी0 मोड़ पर प्रस्तावित है।

अध्याय–17

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन
Tourism and Civil Aviation

17.1 पर्यटन– पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक संवृद्धि और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यटन देश का मुख्य सेवा उद्योग है। यह एक महत्वपूर्ण सेवा निर्यात क्षेत्र है, जो सकल राजस्व और विदेशी मुद्रा के अर्जन की दृष्टि से अर्जित विकास करता है। यह क्षेत्र प्रवासियों का सम्मिलन है, जिसमें सरकारी एवं निजी क्षेत्रों की सहभागिता है। पर्यटन मिलों देश में घूमने वाले लोगों के भोजन तथा उनके ठहरने की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाने वाले के साथ ही रोजगार सृजन का भी महत्वपूर्ण कार्य करता है। पर्यटन से सम्बन्धित कार्य क्रियाओं के रूप में अर्थव्यवस्था को उन तमाम लोगों से जोड़ते हैं जैसे– होटल, रिसॉर्ट, रेस्तरां, भोजनालय, ट्रेवल एवं टूरिज्म, गाइडेन्स आदि अत्यन्तपूर्ण सेवाओं की जानकारियों को प्रदान करता है। यही नहीं अपितु सहायक व्यवसायों जैसे दूर संचार की दृष्टि से भी पर्यटन उल्लेखनीय प्रभाव डालता है। पर्यटन पर्यावरण की सुरक्षा बढ़ाने, अधिक रोजगार सृजन करने में तेजी लाने वाला क्षेत्र है, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के विकास को भी प्रोत्साहित करता है।

पर्यटन विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 11 प्रतिशत योगदान देता है परन्तु भारत में यह अभी भी 6.7 प्रतिशत ही है, जबकि चीन (9.0 प्रतिशत), मैलेशिया (13.6 प्रतिशत), इण्डोनेशिया (9.2 प्रतिशत), मलेशिया (12.9 प्रतिशत) तथा थाईलैण्ड में यह 12.9 प्रतिशत है। प्रथम एनडीए सरकार के समय भारत में केवल 17 लाख विदेशी पर्यटक आते थे, जो वर्ष 2017 तक लगभग 10 लाख विदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष तक पहुंच गया।

पर्यटन मन्त्रालय का सबसे विशाल सेवा उद्योग है। देश में सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का प्रत्यक्ष योगदान 2.1 प्रतिशत है जबकि कुल प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष योगदान 6.2 प्रतिशत है। देश के रोजगार में पर्यटन क्षेत्र का प्रत्यक्ष योगदान 4.4 प्रतिशत है, जबकि कुल प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष योगदान 13.2 प्रतिशत है। यह क्षेत्र सर्वाधिक कार्यों को भी रोजगार योगदान उपलब्ध कराता है।

देश एवं राज्य में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं परन्तु इन सम्भावनाओं का पूर्ण रूप से दोहन नहीं हो पा रहा है। इसका देश बहुसांस्कृतिक और बहु सांस्कृतिक देश है, जहां पर्यटन स्थलों की भी भरमार है, परन्तु विश्व के पर्यटन व्यवसाय में देश का हिस्सा नगण्य ही लगभग 1% बताया है। पर्यटन की दृष्टि से देश एवं राज्य के विकासकर्ता को कई कदम हैं। जिसमें से प्रमुख है पर्यटकों को आकर्षित करने वाली सुविधाओं का अभाव, देश/राज्य में सुदृढ़ जनशक्तिपूर्ण ढांचे का अधिकांशित होना आदि समस्याएं पर्यटन व्यवसाय को प्रतिकूलित करती है। विश्व कुल वर्षों से देश एवं राज्य सरकारें आकर्षणपूर्ण ढांचे को बढ़ाने के साथ साथ पर्यटकों हेतु आकर्षक सुविधाओं को बढ़ाने हेतु निरन्तर प्रयासरत हैं। राज्य में देश भागों का निर्माण, अंतिम छोर रोड का निर्माण, पीने पीने पैने मौजूद पर सेतु से का निर्माण किया जा रहा है। विभिन्न पर्यटक स्थलों में पर्याप्त स्तर के साथ-साथ विभिन्न सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड सरकार ने दो देश–विदेश के पर्यटकों/ श्रद्धालुओं को आकर्षित करना रहा है। जिसमें प्रमुख पर्यटन की हरीनगर–केदारनाथ–गंगोत्री–यमुनोत्री तथा हेमकुण्ड–लोकपाल, पालकण्डा, पौना–पौना साहिब एवं विश्व प्रसिद्ध धार्मिक विभिन्न धर्मों के धर्मिक तीर्थ स्थलों हुआ इस प्रदेश में पर्यटन की प्रमुख विश्व, पर्यावरण प्रभावित स्थल से भी

प्रमुखी रही है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक, पैकेजिंग, साहसिक, इको-टूरिज्म इत्यादि पर्यटन स्थलों (आवेड जलेट) आदि अनेक विभागों से जिले संबंधित जानकारी है। राज्य के उत्तरी भू-भाग को हरा-भरा करने वाली पवित्र पावनी गंगा-यमुना के उद्गम स्थलों के इस प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक / पैकेजिंग सौन्दर्य तथा शीतल व जलवायुवीय सुख लालायित पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये प्रचुर संसाधन है।

वर्ष 2021 में कोरोना महामारी की लहर सितम्बर में पर्यटन व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राज्य के पर्यटन व्यवसाय मुख्य रूप से फरवरी माह में भी कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव परिलक्षित होता है। इस महामारी के प्रभाव काल की तारीखों के साथ-साथ पर्यटन में रोजगार / आजीविका सृजन में भी स्पष्ट रूप से हुआ नकारात्मक प्रभाव होता है।

17.1.1 पर्यटन विभाग के बजट परिव्यय का कुल बजट एवं GSDP में प्रतिशत:- वर्ष 2334-35 में पर्यटन विभाग का बजट परिव्यय कुल बजट का 0.67 प्रतिशत जो संशोधित वर्ष 2020-21 में घटकर 0.46 प्रतिशत है। जबकि वर्ष 2014-20 के बजट में इसमें सुधार हुआ है। GSDP में पर्यटन विभाग का योगदान वर्ष 2004-05 में 0.10 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2020-21 में घटकर 0.10 प्रतिशत है। जबकि वर्ष 2019-20 की तुलना में थोड़ा सुधार हुआ है इसे चार्ट 17.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट–17.1

Comparison Chart of Budget Allocation to Tourism with Respect to Total Budget & GSDP

17.1.2 पर्यटन स्वरोजगार योजनायें:- प्रदेश के स्थानीय निवासियों को पर्यटन सेक्टर में व्यवसाय/रोजगार उपलब्ध कराने वाले की दृष्टि से राज्यों में **"वीर चन्द सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना"** तथा **"दीन दयाल उपाध्याय होमस्टे अनुदान योजना"** संचालित की जा रही है।

वीर चन्द सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना– यह योजना राज्य गठन के पश्चात् प्रारम्भ की गई सुरक्षाओं स्वरोजगार योजनाओं में से एक है, जिसमें आय तक लाभार्थी स्वयं द्वारा स्वरोजगार परियोजनों को प्रारम्भ करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है। इन परियोजनों द्वारा सृजित की गई पर्यटन इकाईयों / होटलों में कई अन्य व्यक्तियों को लाभप्रद रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है। उत्तराखण्ड राज्य की **'वीर चन्द सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना'** योजना राज्य में युवाओं के रोजगार के अवसर उपलब्ध में महत्वपूर्ण योजना सिद्ध हो रही है। इस योजना में पैकेजिंग यह के लिये राजस्वीकृत की धनराशि को परियोजना लिये में 33% अधिकतम ₹ 10.00 लाख से बढ़ाकर ₹ 33.00 लाख

तथा पिछली श्रेणी में 200, अधिकतम ₹ 1000 तथा दो बहनों ₹ 2500 तक दिया गया है। बजट मद में ₹ 2 लाख / लाभार्थी तक हेतु भी व्यवस्थापन 33% अधिकतम ₹ 20000 तक की गई है।

तालिका 17.1

वीर चन्द सिंह गढ़वाली वर्मीटेक स्वरोजगार योजना के तहत 2021-22 में माह मार्च 2022 तक जनपदवार कुल इकाईयां प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या

क्रमांक	जनपद का नाम	2020-21 में लाभार्थियों की संख्या	2021-22 में लाभार्थियों की संख्या (मार्च-2022 तक)
1.	देहरादून	22	07
2.	उत्तरकाशी	15	07
3.	हरिद्वार	11	09
4.	टिहरी गढ़वाल	11	07
5.	पौड़ी गढ़वाल	15	21
6.	चमोली	31	19
7.	रुद्रप्रयाग	05	02
8.	अल्मोड़ा	21	24
9.	बागेश्वर	11	24
10.	पिथौरागढ़	19	23
11.	चम्पावत	02	06
12.	नैनीताल	13	22
13.	उधमसिंहनगर	10	05
	कुल योग	**196**	**176**

स्रोत:- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

17.1.3 अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) योजना– होम स्टे योजना की शुरुआत को स्वरोजगार के जरिये एवं सुख चैन से जीवनी में ही रहे पलायन को रोकने में एक प्रमुख रोजगारपरक योजना साबित हो रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य टिहरी और घनघोर पर्यटकों के लिये एक घर और जिम्मेदारी तक ठहरने सेवा तक उन्हें हेतु आवासीय सुविधा प्रदान करना है। इसमें टिहरी पर्यटकों को भी इस स्थानीय परिवार के साथ रहने, उनकी संस्कृति एवं परंपराओं को समझने और साथ ही साथ के साथ होने का उपयुक्त अवसर प्राप्त होगा है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1002 होमस्टे पंजीकृत किये गये वर्ष 2020-21 में 980 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह मार्च, 2022 तक 657 होमस्टे पंजीकृत किये गये।

तालिका 17.2

उत्तराखण्ड गृह आधार (होम-स्टे) पंजीकरण योजना का जनपदवार विवरण

क्रमांक	जनपद	वित्तीय वर्ष (2018-19)	वित्तीय वर्ष (2019-20)	वित्तीय वर्ष (2020-21)	वित्तीय वर्ष (2021-22) मार्च 2022 तक
1	देहरादून	211	220	112	71
2	हरिद्वार	13	5	06	10
3	टिहरी	93	51	42	50
4	उत्तरकाशी	60	105	107	217
5	रुद्रप्रयाग	57	69	38	46
6	पौड़ी	19	79	19	67
7	चमोली	125	190	95	44
8	पिथौरागढ़	149	127	126	114
9	अल्मोड़ा	59	83	37	117
10	बागेश्वर	141	177	193	70
11	चम्पावत	5	29	62	36
12	ऊधमसिंहनगर	2	0	00	0
13	नैनीताल	29	27	43	15
	योग	**965**	**1262**	**880**	**857**

स्रोत- पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड

तालिका 17.3

उत्तराखण्ड राज्य में जनपदवार कुल पंजीकृत होटलों, पर्वतावासों एवं गैस्ट हाउस की संख्या

पंजीकृत होटलों की संख्या	7622
पंजीकृत पर्वतावासों की संख्या	572
पंजीकृत गैस्ट हाउसों की संख्या	362

तालिका 17.4
उत्तराखण्ड में उपलब्ध आवासीय सुविधाओं का जनपदवार वितरण

क्र० सं०	जनपद का नाम	निजी होटल/ लॉज/ होम-स्टे आदि		धर्मशाला कुटीरास / आश्रम आदि		पर्यटन विभाग के अतिरिक्त अन्य सरकारी विभागों के रेस्ट हाउस / गेस्ट हाउस		पर्यटक आवास गृह, रैन बसेरा, जनता बाजी निवास व एफ0आर0सी0 ट्रस्ट्स	
		संख्या	शैय्या	संख्या	क्षमता	संख्या	शैय्या	संख्या	शैय्या
1	पिथौरागढ़	851	4933	1	70	22	114	25	410
2	बागेश्वर	131	1679	9	4220	22	45	06	202
3	अल्मोड़ा	410	6110	5	155	41	218	17	456
4	बागेश्वर	137	1969	1	15	24	283	05	102
5	नैनीताल	1536	47666	18	1706	39	163	20	630
6	खानसिंह नगर	131	3725	12	2470	15	26	04	58
7	चमोली	852	24888	44	5062	22	111	31	1741
8	पौड़ी	421	8055	21	12042	27	116	20	936
9	रुद्रप्रयाग	476	10084	14	204	18	205	18	1344
10	देहरादून	1376	31731	83	3456	83	452	09	556
11	हरिद्वार	536	16025	660	56760	21	224	02	78
12	टिहरी	767	14838	26	9960	20	153	15	626
13	उत्तरकाशी	559	13237	10	410	26	92	10	559
	कुल योग	**7922**	**188969**	**872**	**135162**	**362**	**2763**	**208**	**7769**

स्रोत:– [illegible]

वार्षिक पर्यटन

17.1.4 उत्तराखण्ड वर्ष 2021 का संचालन:– कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष उत्तराखण्ड राज्य अधिक रूप से ही प्रभावित हो सकी जिससे पर्यटन राज्य मार्च एवं अप्रैल माह में लगभग बंद अधिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए। सामान्यतः अधिक संख्या में प्रारम्भ होने वाली पर्यटन यात्रा इस वर्ष सीमित अनियमित प्रतिबन्धों एवं सीमित संख्या के साथ माह सितम्बर 2021 से ही प्रारम्भ की जा सकी। वर्ष 2021 में मानसून यात्रा के अन्तर्गत केदारनाथ में 1,90,000, केदारनाथ में 2,43 लाख, गंगोत्री में 35,771, यमुनोत्री में 33,511 एवं हेमकुण्ड साहिब में 30,000 तीर्थयात्रियों द्वारा यात्रायन एवं हेमकुण्ड साहिब दर्शन की गई जो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी अधिक रही।

तालिका 17.5

पर्यावरण एवं वेलनेस सहित यात्रा में आये घरेलू पर्यटकों/यात्रियों की संख्या

क्रमांक	स्थान का नाम	वर्ष 2019 में आये कुल घरेलू पर्यटकों की संख्या	वर्ष 2020 में आये कुल घरेलू पर्यटकों की संख्या	वर्ष 2021 में आये कुल घरेलू पर्यटकों की संख्या
1	केदारनाथ	990956	135287	242985
2	बदरीनाथ	1244100	155009	199406
3	गंगोत्री	529880	23736	83771
4	यमुनोत्री	465111	7717	83811
5	वेलनेस सहित	239918	8250	19909
कुल योग		**3477957**	**330039**	**529302**

स्रोत– पर्यटन विभाग

चार्ट– 17.2

पर्यावरण एवं वेलनेस सहित यात्रा में आये घरेलू पर्यटकों/यात्रियों की संख्या

तालिका 17.6
धारचूला एवं हेमकुण्ड साहिब यात्रा में आये विदेशी पर्यटकों/यात्रियों की संख्या:-

क्रमांक	स्थान का नाम	वर्ष 2019 में आये कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या	वर्ष 2020 में आये कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या	वर्ष 2021 में आये कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या
1	केदारनाथ	1065	62	27
2	बदरीनाथ	893	46	03
3	गंगोत्री	454	50	00
4	यमुनोत्री	423	11	00
5	हेमकुण्ड साहिब	223	00	00
	कुल योग	3058	157	30

स्रोत:- संबंधित विभाग

चार्ट–17.3
धारचूला एवं हेमकुण्ड साहिब यात्रा में आये विदेशी पर्यटकों/यात्रियों की संख्या:-

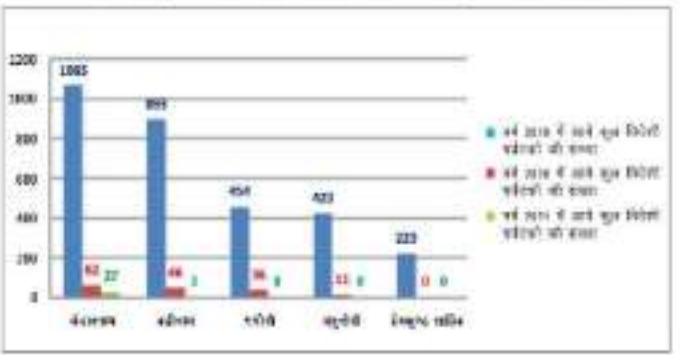

17.13 केदारनाथ धाम का मास्टर प्लान:- केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्य हेतु मास्टर प्लान तैयार कर "श्री केदारनाथ धामवाद डैवेलपमेंट अथॉरिटी" की स्थापना की गयी है। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों के अन्तर्गत पीडब्लूडब्लू एवं अन्य मद में मास्टर प्लान के अनुरूप लगभग ₹ 500.00 करोड़ के कार्य अब तक पूर्ण किये जा चुके हैं, जबकि लगभग ₹ 170.00

कार्यों के लिए राज्यों को अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराई जाएगी। योजनाओं में पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ पर्यटन से संबंधित सेवाओं के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया है।

• **बद्रीनाथ महानिर्वाण योजना**– बद्रीनाथ महानिर्वाण योजना पर ₹ 424 करोड़ का बजट प्रस्तावित है, जिसमें स्वामीजी की मूर्ति को लेकर पहुंचेगा तथा बद्रीनाथ धाम में दानी सुविधाओं में वृद्धि होगी। दानी सुविधाओं हेतु पहला चरण तीन वर्षों में प्रस्तावित है। पहले चरण में होटल जैसे आवासीय ब्लॉक का सौंदर्यीकरण प्रस्तावित है। दूसरे चरण में बद्रीनाथ धाम परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण तथा मिलेनियम द्वीप है तथा तीसरे चरण में होटल सेवा से बद्रीनाथ मंदिर तक आवागमन नियोजित प्रस्तावित है।

• **चारधाम कॉरिडोर शोक**– चारधाम कॉरिडोर शोक प्रस्तावित गहरेड मोटी जी का चारधामयात्री प्रोजेक्ट है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। यहां बनने वाली सड़कों को हर मौसम के हिसाब से बनाया जा रहा। हिमालयी क्षेत्रों में चारधाम के चौड़ान में अक्सर पहाड़ों के दरकने से सड़कें टूट जाती हैं और जहां पड़ जाते हैं। लेकिन यह समस्या सड़क की नहीं पहाड़ों की है। इस प्रोजेक्ट में करीब 900 किलोमीटर लंबी सड़क को मौजूद किया जाना है। यह सड़क उत्तराखण्ड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के साथ ही रुद्रप्रयाग-तिनीधनाह की कनेक्टिविटी देगी सड़क है। जो कैलाश मानसरोवर तक भी जाती है।

स्रोत– विभाग रहित प्रकाश

17.1.6 ग्रामीण पर्यटन का विकास– ग्रामीण पर्यटन विकसित करने तथा रोजगार को बढ़ाने के उद्देश्य से **'पहाड़ी दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (डीएचएच) विकास योजना'** प्रारंभ की गई है। इस योजनान्तर्गत प्रदेश के विधिवत को होमस्टे निर्माण हेतु 50% अधिकतम ₹ 10.00 लाख की पूंजी अनुदान तथा अधम छः वर्षों तक अधिकतम 5) प्रतिशत अधिकतम ₹ 1.50 लाख की दर से ब्याज अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है। अब तक 310 व्यक्तियों को इस योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

17.1.7 नई पर्यटन नियमों का विकास– प्रदेश में नई पर्यटन नियमों के अन्तर्गत हेरिटेज टूरिज्म तथा एडवेंचर टूरिज्म में कार्य किया जा रहा है। एडवेंचर टूरिज्म के अन्तर्गत मेनेजिंग (स्कीयिंग) तथा ट्रेकिंग (माउंटेनियरिंग) में प्रशिक्षण दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

17.1.8 पर्यटकों/यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा हेतु पंजीकरण की व्यवस्था– पर्यटकों एवं यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा हेतु ऑनलाईन एवं ऑफलाईन पंजीकरण के लिये 'Tourist Safety Management System' विकसित किया गया है। इसी प्रकार रिवर राफ्टिंग हेतु की 'River Rafting Management System' संचालित की जायेगी। नियोजित है।

17.1.9 13 डिस्ट्रिक्ट 13 प्लेस वीमेंसेस डेस्टीनेशन– 13 डिस्ट्रिक्ट 13 प्लेस वीमेंसेस डेस्टीनेशन के अन्तर्गत लक्षणों में आधुनिक महिला डेस्टीनेशन की विकसित करने के लिये यह योजना प्रारम्भ की गई है। जिसके अन्तर्गत जम्मू में मेनेजिंग में ₹ 256.81 लाख, टिहरी में ₹ 31.92 लाख, नरसिंगढ़ी में ₹ 34.33 लाख, देहरादून में ₹ 112.00 लाख, सिंगोलगढ़ में ₹ 30.14 लाख, अल्मोड़ा में ₹ 75.33 लाख तथा ऑलमिंड नगर में ₹ 200.00 लाख के विकास कार्य किये जा रहे हैं।

17.1.10–पर्यटन हेतु विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश में वृद्धि:– पर्यटन सेक्टर की विभिन्न योजनाओं को पीपीपी मोड में (लोक–निजी–साझेदारी) सफलतापूर्वक करने की कार्यवाही गतिमान है। 'मुख्यमन्त्री पेयरी' होमे गत वर्ष 2022 से चालू हो गया है। जिसका सफल ट्रायल भी किया जा चुका है। सीमा से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित होमे चालू हो चुके हैं। इसी क्रमिकता में देहरादून से मसूरी तक रोपवे पीपीपीमोड में विकसित किये जाने हेतु निजी निवेशक का चयन किया गया है। ₹ 250.00 करोड़ के निवेश से होने वाले निर्माण कार्य की कम्पनी "सीमा इन्टरनेशनल" के सहयोग से किया जायेगा।

17.1.11 निजी क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि:– पर्यटन के विकास हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता महत्वपूर्ण है। इसमें नवा एवं बड़ी परियोजनाओं में निजी सहभागिता से पूंजी निवेश होता है जहां पर्यटन सेक्टर में रोजगार के अवसर भी सृजन होते हैं। पर्यटन विभाग के अन्तर्गत देहरादून से मसूरी तक रोपवे को पीपीपीमोड में विकसित किये जाने हेतु निजी निवेशक का चयन किया गया है। पर्यटकीय होमे इस हेलेकुप्टर सहित रोपवे के लिये भी निजी निवेशकों का चयन किया गया है। हिमाली क्षेत्र में चुनिंदा ऊंचाईयों पर भी 30 सीटों तक हेलीपैड हेतु निजी निवेशक को दिया गया है। इसके अतिरिक्त कई अन्य योजनायें भी पीपीपीमोड में संचालित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। इससे स्पष्ट है कि पर्यटन में निजी क्षेत्र की सहभागिता में लगातार वृद्धि हो रही है।

17.1.12–बाह्य सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत विकास:– बाह्य सहायतित योजना के अन्तर्गत Asian Development Bank (ADB) से

मामले में मुलभूत सुविधाओं की व्यवस्था) उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण की दिशाओं में कार्यवाही की गई है। यह सड़क स्वर्णिम चौकड़ी पूर्ण हो चुकी है।

सड़क संरचनाओं योजनाओं के अंतर्गत गत वर्ष Department of Economic Affairs मंत्रालय से दिल्ली क्षेत्र के लगभग पंजीयन लिखाने हेतु ₹ 1210 करोड़ के ऋण प्रदान किये जाने का सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

तालिका 17.8
सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के (पीपीपीएम) के अन्तर्गत प्रस्तावित/संचालित लम्बवत योजनाओं का विवरण (वर्ष 2021–22)

क्र0 सं0	योजना का नाम	कार्यान्वयन का वर्ष	अनुमानित लागत ₹	लम्बाई	अभिदृष्टि
1.	मुरैना से पुरुषोत्तमी रोप–वे परियोजना (मध्यप्रदेश)	2012	26.00 करोड़	903 मीटर	कार्यप्रक्रिया गतिमान।
2.	कादरपुल से सुरजपुरा पेरी रोप–वे परियोजना। (दिल्ली सरकार)	2012	3.00 करोड़	502 मीटर	समाप्त
3.	देहरादून (सुभाषपुर से मसूरी) रोप–वे परियोजना	2018	280.00 करोड़	5.5 किलोमीटर	कार्यप्रक्रिया गतिमान।
4.	खरकली से पमुनोत्री रोप–वे परियोजना	2021	167.00 करोड़	3.35 किलोमीटर	निविदा कार्यप्रक्रिया गतिमान।

स्रोत– उपरोक्तानुसार संगठन विवरण

17.1.13 MHAI के साथ EPC/PPP मोड हेतु प्रस्तावित रोप–वे परियोजनाएं– National Highways Logistics Management Limited (NHLML), संगठन के मंत्रालयों एवं परियोजना मंत्रालय, भारत सरकार के साथ अनुबंध सम्पादित करते हुए प्रदेश में चार रोपवे परियोजनाओं की जांच तथा निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है विस्तार निम्नवत् है:-

1. गौरी कुण्ड से केदारनाथ
2. त्रियुगीनारायण से केदारनाथ
3. गोविन्द घाट से श्रीहेमकुण्ड साहिब
4. पांडुकेश्वर से फूलों घाटी
5. उत्तरकाशी से गंगोत्री
6. सहस्त्रधारा से मसूरी तक
7. औली से जोशीमठ

17.1.14 आगामिक कार्यक्रम– उत्तराखंड वर्ष 01 से 07 वर्ष तक आगामिक योजना पहाड़ों का अध्ययन किया जाना है। दीर्घ मूल्यांकन के लिये वित्तीय वर्ष 2021–22 में संशोधित परिव्यय ₹ 200.00 लाख के सापेक्ष 21 वर्ष, 2022 तक उपयोग की गयी धनराशि ₹ 100.00 लाख है।

पर्वतन गतिविधियों का सतत सुनियोजित विकास– अधिकांश में अर्थव्यवस्था कृषिपशुधन क्षेत्र तथा वैकल्पिक विकास हेतु तकनीकी सम्भावनाओं से सम्पन्न पहाड़ तैयार कराया जा रहा है, पहाड़ी क्षेत्रीय धरने में है। औली सहित, उत्तरदेवताल के सुनियोजित विकास हेतु तकनीकी सम्भावनाओं की नियुक्ति की जा चुकी है। अधिकांश–पहाड़ियां तथा उपत्यका क्षेत्र में पर्यटनोन्मुख इकाई क्षेत्र स्थापित करने हेतु तकनीकी सम्भावनाओं के सम्बन्ध में विभिन्नविधि सर्वे का कार्य कराया जा रहा है।

17.1.15 आर्म ऐसेसरी इत्यादि वस्तुओं का जीर्णोद्धार– सरहद के अलग-अलग चौकियों पर तैनात एसएसबी जवानों को आर्म ऐसेसरी इत्यादि वस्तुओं का जीर्णोद्धार करते हुए सुनिश्चित की जानकारी दी जा रही है। इस संबंध में भारतीय संविधान निर्माण का भी संक्षेप में विवरण दिया जा रहा है। परिषद ने इन सूचियों का उक्त लोकसभाओं संबंधित ही पर्याप्तता एवं वर्तमानों को स्थान कर दे प्रश्न ही उठाएगा।

सामाजिक पर्यटन

17.1.16 सामाजिक पर्यटन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विंग का गठन– सामाजिक पर्यटन की गतिविधियों को विकसित किये जाने हेतु पूरक से सामाजिक पर्यटन विंग का गठन किया गया साथ आवश्यकतानुसार सुविधाओं के विकास हेतु 'इन्फ्रास्ट्रक्चर विंग' का गठन भी किया गया है। प्रदेश में घर-घर महने वाली उत्तराखण्ड की नदियों में सामाजिक क्रियाकलापों के अन्तर्गत गंगा नदी में वर्ष 2021–22 में कुल 261 शिविर साईटों पर्यों एवं संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।

वर्ष 2020 में 'ट्रैकिंग इक्वान बॉटर होम–स्टे अनुदान योजना' प्रारम्भ की गई है इस योजना के अन्तर्गत ट्रैकिंग इक्वान सिंटर मुख्य मार्ग से दूर ऐसे स्थानों पर विकसित किये जायेंगे जहां के अधिकतम ट्रैकिंग मार्ग पुराने हों। इन सेंटरों से गुजरने वाले ट्रैकिंग मार्गों पर स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु ट्रैकिंग इक्वान सेंटर में 02 हिमैट की परिधि में ट्रैकिंग मार्ग पर होमस्टे बनाये जाने पर आवेदक द्वारा स्थानीय आवास सेवायें दी जा रही है। इस योजना से 5 जिलों में 13 ट्रैकिंग सेन्टर से 23 गाँव लाभान्वित किये गये है।

17.1.17 पर्यटन एवं अन्य सामाजिक गतिविधियों से सम्बन्धित नीतियां– नई पर्यटन नीति गतिशीलता की नई दिशायें पर्यटन क्षेत्र को प्रदान का रास्ता प्रदान किया गया है जिससे वह विभिन्न सहयोगी की स्थापना हेतु प्रदत्त विविध अवसरों एवं अन्य चुनौतियों का लाभ पर्यटन क्षेत्र को भी अनुमन्य होगा।

सामाजिक पर्यटन गतिविधियों को सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित रूप से संचालित किये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग (संशोधन) नियमावली तथा उत्तराखण्ड कूल लॉज, एवरी स्पोर्ट्स (संशोधन) नियमावली को अधिसूचित किया गया है।

तालिका 17.9
सामाजिक पर्यटन गतिविधियों

क्र0 सं0	योजना का नाम	वर्ष	संख्या	राफ्टों की संख्या
1.	सामाजिक पर्यटन (गंग नदी हेतु परमिट अनुज्ञा प्रदत्त की)	2018–19	261	976
2.	सामाजिक पर्यटन (गंग नदी हेतु परमिट अनुज्ञा प्रदत्त की)	2019–20	259	992
3.	सामाजिक पर्यटन (गंग नदी हेतु परमिट अनुज्ञा प्रदत्त की)	2020–21	253	901
4.	सामाजिक पर्यटन (गंग नदी हेतु परमिट अनुज्ञा प्रदत्त की)	2021–22	261	970
	कुल पर्यों की संख्या		**1033**	**2269**

तालिका 17.10
सामाजिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले क्रियाकलापों की संख्या

क्रमांक0	योजना का नाम	वर्ष	संख्या
1.	सामाजिक क्रियाकलाप	2019–20	949
2.	सामाजिक क्रियाकलाप	2020–21	00
3.	सामाजिक क्रियाकलाप	2021–22	327

17.2 नागरिक उड्डयन

उत्तराखण्ड राज्य में पर्वतीय भौगोलिक स्थिति के कारण अवागमन हेतु सड़क मार्ग पर ही जनता को निर्भर रहना पड़ता है, आपदा के समय राहत कार्य हेतु एवं आवागमन सुगम तथा पर्यटकों सहित देने के लिये राज्य में हवाई मार्ग अति आवश्यक है। इस उद्देश्य की दृष्टिगत राज्य में नये हेलीपैडों का निर्माण तथा चौदह हेलीपैडों एवं हवाई पट्टी का पुनरीक्षण एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। राज्य में उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास अधिकरण की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा मुख्य उद्देश्य चौदह हेलीपैडों का सुदृढ़ीकरण, नये हेलीपैडों का निर्माण राज्य के पर्यटन स्थल हेतु पर्यटन के क्षेत्र-2 पर्यटन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं निवेश को बढ़ावा देने, हवाई सुरक्षा सेवा उपलब्ध कराना है।

तालिका 17.11
राज्य की हवाई पट्टियों की अवस्थान स्थिति

क्रमांक	हवाई पट्टी/एयरपोर्ट	रनवे की लम्बाई एवं चौड़ाई
1	जौलीग्रांट, देहरादून	1150 मी0 एवं 30 मी0
2	नैनीसैनी, पिथौरागढ़	1508 मी0 एवं 30 मी0
3	गौचर, चमोली	1310 मी0 एवं 25 मी0
4	पन्तनगर एयरपोर्ट, उधमसिंह नगर	1372 मी0 एवं 30 मी0
5	जौलीग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून	2149 मी0 एवं 46 मी0

17.2.1 क्षेत्रीय सम्पर्क योजना– उत्तराखण्ड के तीसरे स्तरों में दौरे (अनावीक्षण) यात्रियों एवं पर्यटकों को राज्यवार से अन्य राज्यों से जोड़ने के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने जाने हेतु क्षेत्रीय सम्पर्क योजना कार्यरत है, इस योजना उत्तराखण्ड राज्य में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक पर्यटकों/दौरे पर्यटकों को बढ़ावा मिला है, इसमें अतिरिक्त और पर्यटकों को आवागमन किये जाने हेतु उपलब्धता परिलक्षित है।

17.2.2 क्षेत्रीय सम्पर्क योजना– (RCS) के अन्तर्गत देहरादून से पन्तनगर एवं देहरादून से सिंगरौली के बीच नियमित हवाई सेवा क्रमशः दिनांक 24 जनवरी, 2019 तथा 17 जनवरी, 2019 से आरम्भ कर दी गई है वर्ष 2020 में स्वास्थ्य से पौड़ी एवं जौलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून से टिहरी, औली एवं गौचर के लिये सस्ती हवाई सेवायें प्रारम्भ की गयी है।

- राज्य में 24 हेलीपोर्ट एवं 27 हेलिपोर्ट्स द्वारा 10 हेलीपैड के सहयोग से निर्मित हेलीपैड का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसका उपयोग वैकल्पिक व्यवस्था तथा क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (RCS उड़ान) के अन्तर्गत गौचर, सिंगरौलीखेत, बागेश्वर, अल्मोड़ा एवं चैनसैल के लिये शासी हवाई सेवाओं एवं स्वदेशी एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु किया जायेगा।
- बहुउद्देश्य/हेलीकाप्टर अनुकूलन के लिए 05 हेलिपैड (सहस्त्रधारा, चौबेर एवं मिलाऊखोड़ी में निर्मित किये गये है।

उत्तराखण्ड राज्य में Project Implementation Unit Civil Aviation के अन्तर्गत 31 हेलीपैड निर्मित है। जिस पर उड़ानों के परिचालन की योजना बनाई गयी / राज्य में 27 नये हेलीपैड का निर्माण किया जा चुका है जिससे आपदा प्रबन्धन अतिरिक्त से लाभ अन्य स्थानों को शीघ्र पहुँचाई जा सके।

अध्याय–18
शिक्षा
(Education)

18.1 प्राथमिक शिक्षा (Primary Education) प्रारम्भिक शिक्षा विकास एवं कुशल संचालन प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था, उनका संचालन, प्रशासन करवाना जो सही शिक्षा एवं मूल्यांकन तथा उसके स्तर में अभिवृद्धि के लिए प्रशिक्षणार्थी विभिन्न प्रकार से प्रशासन एवं पर्यवेक्षण करना है। इसके अतिरिक्त विद्यालय से बाहर छूट गये बच्चों को पुनर्प्रवेश से जोड़ने हेतु प्रयास करना है। प्रदेश में 14189 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें 441457 विद्यार्थी नामांकित हैं तथा 21034 शिक्षक कार्यरत हैं, उच्चतर निचली/प्राथमिक विद्यालय 4513 हैं, जिनमें 53849 विद्यार्थी नामांकित हैं तथा 3142 शिक्षक कार्यरत हैं। राज्य में प्राथमिक शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात 99.11 प्रतिशत है।

तालिका 18.1

जिला	शिक्षकों की संख्या	विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थी संख्या			विद्यालयों में शिक्षण की दशा			विद्यार्थी में सकल नामांकन अनुपात
		बालक	बालिका	कुल	पुरुष शिक्षक	महिला शिक्षक	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
प्राथमिक विद्यालय	14189	215381	226076	441457	18340	16694	21034	99.11
निम्न/प्राथमिक विद्यालय	4513	24874	28975	53849	2069	2750	3142	

स्रोत: UDISE 2020-21

18.1.1 समग्र शिक्षा योजना– समग्र शिक्षा योजना निम्नलिखित कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु संचालित की जा रही है–

- शिक्षार्थी शिक्षा की सार्वभौम पहुँच।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान एवं छात्रों के सीखने के प्रतिफल (Learning Outcomes) सुनिश्चित करना।
- शिक्षार्थी शिक्षा के अन्तर्गत समावेशित एवं लैंगिक रूप हासपूर्ण करना।
- शिक्षार्थी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर समावेशन (Inclusion) एवं समता (Equity) सुनिश्चित करना।
- शिक्षार्थी शिक्षा के अन्तर्गत न्यूनतम गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा शिक्षालय प्रबन्ध, प्रबन्ध एवं प्रशासनिकों का सुदृढ़ीकरण, क्षमतावर्द्धन, नेतृत्व, विशेषज्ञता, वैभव–देखिए आदि।
- प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में राज्यों को सहायता करना।
- शिक्षक शिक्षा के लिए गठित एजेंसी के रूप में DIET एवं SCERT के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन।

समग्र शिक्षा की विशेषताएँ

- वर्ष 2018–19 से सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षा का एकीकरण करते हुए समग्र शिक्षा अभियान योजना प्रारम्भ की गयी है।
- केन्द्र एवं राज्य सरकार की हिस्सा 60:40 के

प्रयोजन से निर्धारित है।

- पोषाहार एवं प्रशासनिक सहायकों से लेकर अन्य एजेंसी तक के लिए प्रावधान की गयी है।
- शिक्षकगणों के मानदेय को शामिल किया।
- माध्यमिक स्तर पर शिक्षकगणों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना।
- शिक्षकगणों में शिक्षण में तकनीकी का एकीकरण किये जाने हेतु ICT की सुविधा द्वारा से लागू करना।

अन्य शिक्षा योजना के क्रियान्वयन के संस्थानों का समुचित एवं बेहतर उपयोग के साथ ही साथ भी सम्पन्न किया जा सकेगा।

शिक्षण की वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य— विभाग द्वारा भारत सरकार समर्थित योजनाओं, संस्थानों तथा अभियानों के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में संचालन एवं उपयोग की व्यवस्थित वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तालिका में दर्शाया

तालिका 18.2
वर्ष 2021-22 के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य

S. No.	Activity	Approved		Progress (Upto March 2022)	
		Phy.	Fin. (in Rakh)	Phy.	Fin. . (in Rakh)
1	Residential Hostel for 50 children	3	328.91	3	54.21
2	Residential Hostel for 100 children	4	219.7	4	118.41
3	Transport/Escort Facility	2971	89.13	368	80.37
4	Reimbursement of Fee against admission under RTE	152795	13690.75	152795	13690.75
5	Out-of-School Children	3222	129.25	2278	94.98
6	Free Text Book	694156	2156.16	636823	1994.10
7	Provision of 2 sets of Uniform	551915	3311.49	545859	3275.12
8	Media and Community	141682	637.61	141682	475.87
9	Support to SCPCR	14100	7.05	8464	4.24
10	Quality (LEP, Innovation, Guidance etc)	566637	1698.06	44270	426.517
11	Formation of TMU (Elementary)	14	300.00	7	11.37
12	Foundational Literacy and Numeracy	410670	1469.09	224437	683.21
13	Support at Pre-Primary Level	65	131.91	10	36.91

14	Composite School Grant	54100	2264.25	13970	2219.20
15	Library (upto Highest Class VIII)	14100	912.34	7185	482.69
16	Rashtriya Aavishkar Abhiyaan (Elementary)	156	11.70	15	1.08
17	Smart Classroom	709	1701.60	0	0
18	Academic support through BRC	95	262.38	95	195.91
19	Academic Support through CRC	870	134.00	348	34.04
20	Sports & Physical Education	14106	834.70	4057	234.45
21	Teachers Salary	1	10036.20	1	10036.20
22	Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya	28	1377.11	28	740.53
23	Rani Laxmibai Aima Rakshak Parikshan	1588	76.40	990	49.45
24	Special Project for Equity	420	139.66	0	0
25	Interventions for CWSN	8680	169.93	5397	129.69
26	Management Information System	2339870	46.80	0	0
27	Civil Works		5526.62	0	1315.25
28	Solar Pannel		741.00	0	0
29	Program Management (NIVER)	1	2068.49	1	2019.48
	Grand Total		**50636.46**		**38606.817**

स्रोत– जिलाधिकारी, जिला शिक्षा, अल्मोड़ा

10.2 माध्यमिक शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा विभाग का मुख्य कार्य माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था करना, उनका संचालन करना, उनमें कार्यरत शिक्षकों का नहीं शिक्षा का सुचारुरूप करना तथा उनके स्तर में अभिवृद्धि के लिए प्रशिक्षणादि विभिन्न प्रकार से व्यवस्था करना इसे व्यवस्थित करना है। मुख्यमें अतिरिक्त विद्यालय के बाहर छूट गये बच्चों को पुनःधारा में लाने हेतु प्रयास करना है।

जनपद में माध्यमिक शिक्षा के अनुदान प्राप्त 14 इण्टर कालेज, 339 माध्यमिक अनुदान इण्टर कालेज, 612 माध्यमिक हाईस्कूल, 61 माध्यमिक अनुदान हाईस्कूल तथा 1663 अनुदानित प्राथमिक विद्यालय इस प्रकार कुल 3801 माध्यमिक विद्यालय सम्बन्धित हैं। इनमें से कुल 529822 विद्यार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें से 551627 विद्यार्थी पंजीकृत व पढ़ायत क्षेत्र विद्यालयों में तथा 353696 निजी/प्राईवेट विद्यालयों में पंजीकृत हैं। इनमें से 2758 माध्यमिक विद्यालयों में 20160 शिक्षक कार्यरत हैं। पंजीयन में माध्यमिक विद्यालयों में सकल पंजीयन अनुपात (GER) 87.87 प्रतिशत तथा कुल सकल रेट 93.00 प्रतिशत है, माध्यमिक शिक्षा में लगभग पैरिटी सुधारक दर है।

तालिका 18.3

विवरण	विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या			विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या			विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात	कुल नामांकन में	प्रौढ़ साक्षरता दर
		बालक	बालिका	कुल	पुरुष शिक्षक	महिला शिक्षक	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
प्राथमिक/ सहायक प्रा० विद्यालय	2958	256727	262259	518977	10669	10230	20899	47.57	53	0.03
निर्धन/ सहायक विद्यालय	1901	374128	272067	653941	6525	17008	23734			

स्रोत: जिलाधिकारी शिक्षा विभाग, अल्मोड़ा (उ)

तालिका 18.4

S. NO.	Item	Unit	Year	Uttarakhand	India
1	**Number of Education Institutions**				
	Higher Secondary School	No	2020-21	2541	139520
	Secondary School	No	2020-21	1389	151946
	Upper Primary School	No	2020-21	5403	44228
	Primary School	No	2020-21	13756	774742
2	**No. of Enrollment in School**				
	Higher Secondary School	No	2020-21	311585	26922596
	Secondary School	No	2020-21	378668	39006375
	Upper Primary School	No	2020-21	594201	65854199
	Primary School	No	2020-21	1049611	122021291
3	**Enrollment Ratio (GER)**				
	Primary	No	2020-21	116.4	103.3
	Uper primary	No	2020-21	100.2	92.2
	Secondary	No	2020-21	91.5	79.5
	Higher Secondary	No	2020-21	72.7	53.8
4	**Net Enrollment Ratio (NER)**				
	Primary	No	2020-21	99.8	92.7
	Uper primary	No	2020-21	74.9	74.1
	Second	No	2020-21	56.1	52.5
	Higher Secondary	No	2020-21	44	34.7

5	**Gender Parity Index**				
	Primary	No	2020 21	1.03	1.02
	Uper primary	No	2020-21	1.02	1.01
	Second	No	2020-21	1	0.99
	Higher Secondary	No	2020-21	1.09	1.03
6	**Dropout Rate**				
	Primary	No	2020-21	1.7	0.8
	Uper primary	No	2020-21	1.4	1.9
	Second	No	2020-21	9.1	14.6
Source: Ministry of Eduction, GoI, AISHE 2019-20 and UDICE 2020-21					

18.2.1 प्रायोगिक कार्यक्रम– दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षण व्यवस्थान का प्रयास

• कोविड अवधि में शाला की गतिविधियों एवं छात्र-छात्राओं के घर ऑनलाइन अधिगम (Learning) तथा Digital Learning के लिए Devices जैसे Smartphone, Laptop, Desktop की अनुपलब्धता के कारण ही इण्टरनेट सुविधा के अभाव आदि को देखते हुए कम्पोजिट एवं जनजातीय वर्ग के छात्रों को अधिगम सुविधा उपलब्ध कराने जाने के उद्देश्य से प्रायोगिक तौर्यक्रम दूरदर्शन केन्द्रपुर के सहयोग से संचालित किया गया। दूरदर्शन को कि सर्वसुलभ एवं विश्वसुलभ टीवी सेवाल है तथा राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक इसकी पहुँच है, के माध्यम से कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षण व्यवस्थान प्रस्तावित किये गये।

• राज्य स्तर पर दूरदर्शन के साथ विस्तृत व्यवस्थान प्रस्तावित किये जाने हेतु MoU किया गया। इसके तहत दि०-दि० 24 दिसम्बर 2020 से व्यवस्थान कक्षा 10 एवं 12वीं के छात्रों के लिए 03 एपीसोड में प्रत्येक दिवसे गये प्रेसेटिंग 1:00 घण्टे से 2:30 घण्टाहन तक प्रत्येक लगभग 30 मिनट) तथा पुनरावृत्ति क्रम में 03 एपीसोड से 07 एपीसोड करते हुए पहले कक्षा 9–12वीं तक बाद में कक्षा 6–12वीं (कक्षा 6 से छठी के लिए इसारत 05 सितम्बर 2021 से प्रारम्भ किया गया) तक के छात्रों के लिए उपलब्ध व्यवस्थान प्रसारित किये गये। प्रसारण के लिए DD Uttarakhand/UP platform का उपयोग किया गया इसे DD Free Dish-41, Dish TV-229, Dish-137, Airtel-430, Videocon-869, Tata Sky-1195, Hathway-453, City cable-671, Lucknow-237, Big TV-250, Nel Vision-138 से भी छात्रों को उपलब्ध कराया गया। छात्रों की सुविधा के लिए व्यवस्थान दूरदर्शन के निम्नलिखित You Tube link पर भी उपलब्ध रहे– https://www.youtube.com/channel/UCx55teMzKkaA6uDmjlgZXAl.

• दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित किये गये नये व्यवस्थान पूर्व निर्धारित पाठ्य-सहगामी के आधार पर प्रसारित किये गये, जिससे छात्र-छात्रा निर्धारित समय पर अपनी कक्षा में सम्बन्धित प्रसारण का लाभ उठा सकें।

18.2.2 वर्तुलक व्यवस्थान के माध्यम से शिक्षण अधिगम– राज्य में शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने जाने के लिए राज्य स्तर पर 04 केन्द्रीय वर्तुलकों स्थापित किये गये हैं तथा 806 विद्यालयों में वर्तुलक सेवाएँ स्थापित की गयी हैं। वर्तुलक सेवाओं के माध्यम से जनवरी 2021 से दिसम्बर 2021 अवधि अधिगम स्तर व्यवस्थान प्रस्तावित किये गये। वर्तुलक सेवाओं के माध्यम से शिक्षा अव्यवस्थों की सभी गतिविधियों में विद्यालय व्यवस्थान से जोड़ा जा सकेगा।

• समुचित (आवश्यकतानुसार) संख्या–वार के आधार पर प्रशिक्षित किये गए सभी शिक्षक व्यावसायिक से सम्पर्क को सीमित (लाइव) प्रशिक्षण प्रदान की सुविधा है तथा ये शिक्षक भी प्रशिक्षण अवधि में भी प्रश्न पूछ सकते हैं जिसे कहते हैं Two Way Communication है।

• समुचित(आवश्यकतानुसार) संस्थाओं के द्वारा प्रशिक्षित व्यावसायों से संबंध बढ़ा गए भी प्रशिक्षित हो सकें, इसके लिए इन व्यावसायों के चयनित (Live) प्रशिक्षणों को You Tube लिंक भी दिया गया है।

• समुचित व्यावसायिक के व्यवसाय से जिन सभी को लाइव प्रसारण नहीं मिलता है वे प्रश्नों को SMS से माध्यम से भी शिक्षक को भेज सकते हैं।

• समुचित संख्या के आधार से प्रशिक्षित किये गए सभी व्यावसायिक पूर्व निर्धारित संख्या–सारणी के आधार पर प्रशिक्षित किये गए हैं, जिनको सिद्धान्त/प्रयोग–व्यावसायों के माध्यम प्रदान किया गया है, साथी साथ निर्धारित समय पर अपनी संख्या से सम्बन्धित प्रशिक्षण का लाभ उठा सकें।

18.2.3 समुचित स्टूडियो से शिक्षण अधिगम के अतिरिक्त अन्य सम्बन्धित कार्यक्रम– शिक्षण अधिगम से अतिरिक्त कोविड लॉकडाउन अवधि में समुचित स्टूडियो/व्यवसायों का प्रमुखी एवंसेट निम्नलिखित गतिविधियों के लिए किया गया–

• दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित व्यवसायों का आयोजन तथा 6–12 तक की कक्षाओं के लिए विभागीय शिक्षकों के सहयोग से लाइव व्यवसाय सिखाई किये गये।

• 1820 शिक्षण शिक्षकों (व्यवसाय योजनाओं) को शिक्षकवार ऑनलाइन प्रशिक्षण।

• शिक्षकों को व्यावसाय पाठ्यचर्याओं से सम्बन्धित ऑनलाइन प्रशिक्षण।

• 1570 शिक्षकों (प्रथम चैनल–प्रथम) को व्यवसाय/तीन शिक्षण का शिक्षकवार ऑनलाइन प्रशिक्षण।

• 1866 शिक्षकों को गाना (हिन्दी/अंग्रेजी) का शिक्षकवार ऑनलाइन प्रशिक्षण।

• राजीव आवास में कार्य जैसे व्यवसाय एवं तैयार संचालन का 300 शिक्षा अधिकारियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण।

• 1200 प्रधानाचार्यों एवं 500 जिलेधिकारियों स्टाफ से सदस्यों का ऑनलाइन प्रशिक्षण।

• केन्द्रीय प्रधानमंत्री पी के ई–विद्या (PM eVidya) कार्यक्रम का व्यापक प्रचार एवं आयोजन से सभी इसके लिए लगभग 40 हजार से अधिक व्यवसायों का प्रशिक्षण।

• केन्द्रीय मुख्यमंत्री की न्यायिक शिक्षा नीति की एवं शिक्षा अधिकारियों का व्यवसायों, आयोजनों एवं कार्यों से संबंधित संचार एवं सम्बन्धी प्रश्नों का व्यापक रोल। साथ ही कार्यों के माता–पिता/अभिभावकों से बच्चों की सुरक्षा एवं शिक्षण व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उनसे सिक्का–विचारों एवं सुझाव लेना।

• सविध विश्वविद्यालय शिक्षा एलाहाबाद द्वारा कोविड महामारी की अवधि में कोर्स प्रोग्रामों के संचालन हेतु प्रशासकार्यों से संवाद।

• Google एवं गूगलिंक की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र–छात्राओं के लिए समुचित व्यवसाय के माध्यम से शिक्षा प्रशिक्षण आयोजित।

18.2.4 WhatsApp Group – वर्ष 2020–21 में कोविड अवधि में सभी को ऑनलाइन शिक्षण अधिगम की सुविधा पर एक व्यापक करने वालों की दृष्टि से छात्रों एवं अध्यापकों, पालों के आधार में एक व्यवसाय के अन्तर्गत WhatsApp Group बनाये गये। WhatsApp Group के माध्यम से छात्रों को व्यवसायों के द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री देने के साथ ही पूछ करने का सुझावन किया गया। आवश्यकता होने पर व्यवसायों के द्वारा छात्रों के साथ वीडियो कॉल से भी सहयोग दिया गया।

18.2.5 ई–पोर्टल का उपयोग– कोविड अवधि में शिक्षण अधिगम सामग्री की संख्या एवं ऑनलाइन उपलब्धता के लिए विभागीय ई–पोर्टल के माध्यम से व्यवसायों शिक्षण अधिगम सामग्री संख्या

करने, शाला-प्रवेश उत्सव की नवीन मुहिम दी गयी तथा वर्ष 2005-21 में शैक्षणिक भ्रमण से इसका उपयोग करने वाली भी संख्या लगभग 88000 थी जबकि सम्पूर्ण के माध्यम से इसका उपयोग करने वालों की संख्या लगभग 13000 थी।

18.2.6 गतिविधि पुस्तिकायें एवं वर्कशीट– डाईसेट द्वारा एवं अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को पत्र पर विज्ञान–गणित के लिए गतिविधि पुस्तिकाएँ शाला वार से पूर्वांक का उपलब्ध कराई गयी हैं। गतिविधि पुस्तिकाएँ (वर्कशीट) कक्षावार तथा विषयवार (कक्षा 1–3 के लिए अंग्रेजी, गणित एवं हिन्दी, कक्षा 3–5 गणित, गणित एवं इंग्लिश/एन्व, कक्षा 6–8 के लिए विज्ञान एवं सोशल) तैयार की गयी हैं जिन्हें प्रारंभिक प्रशिक्षणों में वितरित किया गया है। तत्पश्चात् शाला एवं छात्रों के द्वारा डिजाइनों के माध्यम से तैयार की गयी वर्कशीट छात्र-छात्राओं एवं शाला पर भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे शाला के सूचना बोर्ड भरा हुआ है। प्रत्येक प्रारंभिक शाला में छात्र-छात्राओं की विशेष रुचि छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराई जाती है तथा अपनी विशेष रुचि को स्वयं संचालित करते हुए छात्र-छात्राओं द्वारा सहयोग किया जाता है।

18.2.7 कम्युनिटी रेडियो– राज्य में 25 जनपदों (डिंडोरी, कटघोरा, मैनेपाट, सिंहरी एवं उपरोक्त नगर) के 12 स्थानों पर कम्युनिटी रेडियो की सुविधा उपलब्ध है। प्रारम्भिक स्तर (कक्षा 1 से 5) के छात्र-छात्राओं की क्षमता वृद्धता के लिए जनपदों, ब्लाक संसाधन सदस्यों एवं सहयोगी संस्थाओं (NGO) के सहयोगी द्वारा विकसित ऑडियो सिक्वेंस/जिंगल्स/ऑडकास्ट/ब्रुलेटिन आदि Community Radio के माध्यम से प्रसारित किये गये हैं। इस प्रसारण से लगभग 5 लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित हुये हैं।

18.2.8 स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग– राज्य में स्कूल कार्य एवं सहयोगी स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग से ऑनलाइन शिक्षण अधिगम को सुदृढ़ बनाने हेतु शाला स्तर पर- जनपदों परामर्शदाताओं द्वारा विकसित पाठकों एवं, क्रास-टू-डेस द्वारा विकसित सामग्री तथा आइसीटी@ स्कूलस का विकास सेक्टेक आदि का उपयोग कराया गया। अलग-अलग संस्थाओं के द्वारा कक्षा 1 से 12वीं तक की अतिरिक्त सामग्री बच्चों एवं शिक्षकों को मोबाइल एप, ऑनलाइन लिंक आदि के माध्यम से उपलब्ध कराई गयी। इस सामग्री के उपयोग के लिए उमगद एवं विद्यालयकक्ष शासित अधिकारियों के माध्यम से शिक्षकों का ओरियुटेशन भी कराया गया।

> कोविड-19 महामारी से संक्रमण अभिभावकों से संक्रमण के कारण ही बच्चों का भी पलायन हुआ है। इसी के अन्तर्गत बस्तर संभाग से 1920 बच्चों का शाला से अन्तर्गत पलायन हुआ, जबकि 388 बच्चे शाला से बाहर गये। शाला से बाहर जाने वाले बच्चों की जानकारी सम्बन्धित शाला को दी गयी, जबकि शाला से पलायित बच्चे उसके बाद की शिक्षालय में प्रवेशिका के आधार पर प्रवेश दिया गया तथा उन्हें शालाभिन शिक्षासाथी से पढ़ने वाले बच्चों के समान लाभ दिये गये।

18.2.9 निष्पत्ति की विशिष्ट चौकाईं–

18.2.9.1 कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय/आवासीय/अनावास (केजीबीवी/एनवी)– कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय आवासों के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग एवं बी0पी0एल0 परिवारों की बालिकाओं हेतु शिक्षा व्यवस्था के लिए 42 के0जी0बी0वी0 संचालित हैं। के0जी0बी0वी0 में बालिकाओं की नियुक्ति भोजन, आवास एवं शिक्षा व्यवस्था की गयी है। विद्यालयी शिक्षा से वंचित बालिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है।

18.2.9.2 आवासीय एवं गैर आवासीय विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम– जेआरसी शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु गैर आवासीय एवं आवासीय विशिष्ट प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से बच्चों को आयु उपयोगिता स्तर में प्रवेश हेतु तैयार किया जा रहा है।

18.2.9.3 इकार्ट्रो सुविधा– आदेश मौलिक रीति से विद्यालय 2015 पहले बच्चों को इकार्ट्रो सुविधा प्रदान की जा रही है।

18.2.9.4 दिव्यांग बच्चों (CWSN- Children with Special Needs) हेतु कार्यक्रम– दिव्यांग बच्चों को विद्यालयी शिक्षा की मुख्यधारा में बनाये रखने एवं उनकी आवश्यकताओं को देखते हुये उन्हें प्रशिक्षण परीक्षण शिविर, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम, एनरोल्ड सुविधा, एडमिशन योजना, अभिभावक जागरूकता शिविर आदि आयोजित किये जा रहे हैं।

18.2.9.5 शिक्षा का अधिकार अधिनियम– शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत समान पड़ोसपास शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत एकार्डेस एवं अनर्कवर्ड वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों की सभी सीटों तक में जनपदवार लगभग 25 प्रतिशत सीटों पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अन्तर्गत प्रवेश दिया जा रहा है।

- राज्य में **माध्यमिक** स्तर पर राजकीय विद्यालयों में आवासरहित बच्चों को आवासगृह / आश्रितिक छात्रावास से जोड़ने तथा उनके विद्यालयों में उपस्थिति को सुनिश्चित किये जाने हेतु 200 विद्यालयों में 88 ड्रेस (यूनि. आवश्यकता, शूटी एण्ड नेसलेस, पार्कर, इलेक्ट्रानिक एण्ड डायरेक्ट, पैरेल, वाईटनर, पानचर) प्रदान किये गये हैं।
- डिजिटल लर्निंग के प्रचार-प्रसार हेतु 500 माध्यमिक स्तर के राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज एवं 200 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज स्थापित की गयी हैं।
- भारत सरकार द्वारा दिनांक मार्च 2018-19 से **समग्र शिक्षा योजना** प्रारम्भ की गयी है। इस योजना को दो शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षा के एकीकरण के परामर्शदात्री प्रारम्भ किया गया है। समग्र शिक्षा के तीन घटक – प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा हैं। समग्र शिक्षा (प्रारम्भिक) के अन्तर्गत 6 से 14 आयु वर्ग एवं माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 14 से 18 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की सार्वभौम पहुँच एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रावधान एवं हस्तक्षेप रखे गये हैं, जबकि शिक्षक शिक्षा के अन्तर्गत सेवारत, सेवापूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, प्रारम्भ-प्रारम्भों के सम्बन्धित क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार हेतु प्रावधान एवं गतिविधियाँ रखी गये हैं।

अटल उत्कृष्ट विद्यालयः अद्यतन प्रगति

- प्रारम्भिक 100 विद्यालयों का CBSE से सम्बद्धता हेतु 30 मार्च, 2021 से online पंजीयन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा 101 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को CBSE से सम्बद्धता प्राप्त।
- सेट 5 विद्यालय हेतु कार्यवाही पूर्णतोन।
- कक्षा 6 में 4721 कक्षा 9 में 11467 तथा कक्षा 11 में लगभग 14605 प्रवेश।
- 120 नवीन विद्यालयों का चिह्नीकरण प्रक्रिया पूर्णतोन।
- 140 प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों हेतु रिक्तियाँ प्रकाशित।
- अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत प्रदेश के 95 विद्यालयों में दो-दो अटल उत्कृष्ट विद्यालय प्रस्तावित।
- डॉ0 विवेकानन्द मौलिक पाठ्यपुस्तक एवं खाका योजना (की टेस्ट सुपर0 पाठ्यपुस्तक योजना

संचालन—

- शिक्षानगरी शिक्षा विभाग, वत्सलखण्ड सरकार द्वारा।

मुख्य छात्रवृत्तियाँ—

- डीह विद्यानन्द मेरिटोरस छात्रवृत्ति— ११ छात्रवृत्तियाँ

(उच्चतम मंडल हेतु ६ एवं सुलालू मंडल हेतु ५ छात्रवृत्तियाँ)।

- छात्र सोपान (सी टेन पूरण) छात्रवृत्ति— 475 छात्रवृत्तियाँ (प्रत्येक शिक्षण सत्र के लिए ९ छात्रवृत्तियाँ)।

छात्र चयनित छात्रवृत्ति चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर डीह विद्यानन्द मेरिटोरस छात्रवृत्ति हेतु कक्षावार मेरिटोरस सूची के आधार पर सर्वोच्च डीह प्राप्त करने के पश्चात् तथा सोपान छात्रवृत्ति हेतु विद्यालयवार मेरिटोरस सूची के आधार पर प्रत्येक विद्यालयवार से 3–5 छात्र/छात्राओं का चयन।

शिक्षा सत्र तक— योजना के अन्तर्गत वार्षिक अवधियाँ हो—

- कक्षा 6 से कक्षा 12 तक (छात्रवृत्ति जारी रखने हेतु निर्धारित शर्तें पूर्ण करने पर)।

छात्रवृत्ति की वर्तमान दर—

- डीह विद्यानन्द मेरिटोरस छात्रवृत्ति— ₹ 200.00 (दो सौ रुपए) प्रतिमाह। वर्ष 2022–23 के लिए छात्रवृत्ति ₹ 250 (दो सौ पचास रु मात्र) प्रतिमाह से बढ़ कर ₹ 1200 (एक हजार बीस पाँ रुपए) प्रतिवर्ष कर दी गयी है।

- छात्र सोपान छात्रवृत्ति— छात्राओं के लिए ₹ 200.00 (दो सौ रुपए) एवं छात्राओं के लिए ₹ 150.00 (एक सौ पचास रुपए) प्रतिमाह। वर्ष 2022-23 के लिये छात्रवृत्ति ₹ 200 (दो सौ रुपए) प्रतिमाह से बढ़ा कर ₹ 1000 (एक हजार रुपए) प्रतिवर्ष कर दी गयी है।

- छात्रवृत्ति का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक्स डेबिट की सहायता से खुले बैंक खाते में दो किस्तों में।

चयन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अहर्ता—

- अभ्यर्थी राज्य में संचालित राजकीय, स्थानीय निकाय या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय संस्थाओं (केंद्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) की कक्षा 5 में सत्रारम्भ छात्र-छात्रा के रूप में अध्ययनरत हो।

- अभ्यर्थी ने कक्षा 5 की वार्षिक परीक्षा न्यूनतम 50% (आरक्षित वर्ग के लिए 40%) अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।

- अभ्यर्थी को भत्ता-सिता या अभिभावक की आय सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है।

छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए अहर्ता—

- माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 12 तक) छात्रवृत्ति नवीनीकरण वाद वर्षों के लिए देय। किसी भी विषयेक्ष/पार्टिसिपेंट कोर्स के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति देय नहीं है।

- छात्र/छात्रा ने कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा न्यूनतम 55% (आरक्षित वर्ग के लिए 45%) अंकों के साथ उत्तीर्ण एवं प्रोन्नतांकन सत्र में संचालित किसी राजकीय, स्थानीय निकाय या राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय संस्था (आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) में संचालित छात्र-छात्रा के रूप में कक्षा 9 में प्रवेश लिया हो।

- छात्रवृत्ति की कोई अन्य छात्रवृत्ति न मिलती हो।
- छात्रवृत्ति पाने हेतु कक्षा 9 एवं कक्षा 11 की परीक्षा में न्यूनतम 50% (अनुसूचित वर्ग के लिए 40%) अंक तथा कक्षा 10, परीक्षा में न्यूनतम 55% (अनुसूचित वर्ग के लिए 45%) अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
- छात्रवृत्ति किसी भी कारण (जैसे अनुपस्थित होने, विद्यालय छोड़ देने, निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत उपस्थिति प्राप्त न करने आदि) से एक बार बंद होने की स्थिति में पुनः किसी भी दशा में जारी नहीं होगी।

उपस्वास्थ्य की टैबलेट योजना

- 16 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के दिन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के सभी सरकारी स्कूल के 10वीं व 12वीं के छात्रों को मुफ्त टैबलेट सम्पूर्ण बजट किया जायेगा।
- वर्ष 2021–22 में 5402231 छात्रों के सापेक्ष आवंटित राशि 12363 छात्रों को ₹ 12000/– (प्रति छात्र) डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से धनराशि उनके खातों में ट्रांसफर की गयी है।

18.2.10 प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा की स्थिति – देश में बच्चों की शिक्षा की दशा-दिशा का विश्लेषण प्रस्तुत करने वाली वार्षिक स्थिति रिपोर्ट-नास, 2020 (यानीन) 4 से 12 वर्ष के बच्चों के बारे में किये गया है। यह सर्वेक्षण उत्तराखण्ड के सभी ग्रामीणों में किया गया। इस वर्ष अक्टूबर सर्वेक्षण का विषय कोविड-19 के दौरान घर पर ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के संबंध में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों पर की गयी है।

तालिका 18.5

%Enrolled children who receive help from family members while studying at home. By grade and school type, 2020

Std	Govt	Pvt	Govt & Pvt
Std I -V	78.8	80.6	79.7
Std VI -XII	61.7	78.4	68.3
All	67.7	79.5	73.1

स्रोत : नास 2020

तालिका 18.5 दर्शाती है कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए घर पर सहायता प्राप्त करने वाले बच्चों के अनुपात को दर्शाती है।

अलग–अलग ग्रेड के लिये बच्चों को एक रूप सिलेबस, सभी बच्चों में से लगभग तीन चौथाई को ट्यूशन की सहायता से बढ़त मिलती है।

दोनों प्रकार के स्कूलों के लिए, बड़े बच्चों की तुलना में अधिक छोटे बच्चों को परिवार से सहायता प्राप्त होती है। कुल मिलाकर, कक्षा I–V में 79.7% बच्चे ट्यूशन की सहायता से सहायता प्राप्त करते हैं, जबकि कक्षा VI–XII में 68.3% बच्चे सहायता प्राप्त करते हैं। प्रत्येक ग्रेड स्तर के लिए, निजी स्कूल के बच्चों को सरकारी स्कूल के बच्चों की तुलना में अधिक सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए, छोटे–छात्रों (कक्षा I–V) के लिये, 81.7% सरकारी स्कूल, निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 78.4% बच्चों की तुलना में बच्चों को सहायता प्राप्त होती है।

तालिका 18.6

%Enrolled Children Who Receive Learning Materials/Activities in the Reference Week, by Grade & School Type, 2020

Std	Govt	Pvt	Govt & Pvt
Std I-V	74.8	75.5	75.1
Std VI-XII	78.3	70.3	75.1
All	77.0	72.9	75.1

स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय

तालिका 18.7

%Of Enrolled Children Who Receive Learning Materials/ Activities, % Children Who Receive These Through Different Mediums. By School Type And Medium, 2020

School type	Whats App	Phone call	Personal visit	Other
Govt.	88.2	5.9	2.8	3.5
Pvt.	87.5	9.5	4.3	1.8
Govt.& Pvt.	92.6	7.5	5.8	2.8

स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय

कुल मिलाकर, नामांकित सभी बच्चों में से 75.1% ने संदर्भ सप्ताह (तालिका 18.6) के दौरान उपयुक्त शिक्षकों से किसी न किसी स्रोत की सीखने की सामग्री/गतिविधियाँ प्राप्त कीं। कक्षा VI-XII में निजी स्कूली बच्चों की तुलना में सरकारी स्कूली बच्चों का एक उच्च प्रतिशत शिक्षण सामग्री/ गतिविधियाँ प्राप्त करता है। स्कूल के प्रकार के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में सीखने की सामग्री/ गतिविधियों को साझा करने के लिए शिक्षक जाते थे। निजी स्कूलों में नामांकित बच्चों के एक उच्च अनुपात ने व्हाट्सएप से सामग्री प्राप्त की, और सरकारी स्कूली बच्चों के बीच नामांकित साथियों से मुलाकात से सामग्री तक पहुँच अधिक प्रबल थी।

तालिका 18.8

%Of Enrolled Children Who Did Not Receive Learning Materials/Activities During The Reference Week Reasons Given By Parents. By School Type And Reason, 2020

School type	School not sending	No internet	No smartphone	Connectivity issues	Other
Govt	46.3	20.8	48.1	2.1	0.6
Pvt	59.4	22.6	27.7	0.0	0.7
Govt & Pvt	53.0	21.7	37.7	1.1	0.7

नोट: एक से अधिक कारण का संकेत दे।

स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय

नामांकित बच्चों में, जिन्होंने संदर्भ सप्ताह के दौरान शिक्षण सामग्री या गतिविधियों का प्रयोग नहीं किया, मात्र-पिता द्वारा उद्धृत सबसे सामान्य कारण था कि स्कूल द्वारा शिक्षण सामग्री (53%) नहीं भेजी गयी थी। कुल मिलाकर, 37.7% मात्र-पिता ने एक कारण के रूप में स्मार्टफोन नहीं होने का उल्लेख किया, क्योंकि सरकारी स्कूल में नामांकित बच्चों के मात्र-पिता (48.1%) निजी स्कूल (27.7%) में नामांकित बच्चों की तुलना में अधिक थे।

तालिका 18.9

%Enrolled Children Who Did Learning Activities During The Reference Week. By School Type And Type of Material. 2020

School type	Trandtional		Broadcast		Online	
	Text book	Work sheet	TV	Radio	Videos/recorded classes	Live online classes
Govt	58.9	35.9	21.1	0.4	24.8	10.9
Pvt	70.6	45.3	9.5	0.5	38.0	20.3
Govt & Pvt	64.2	40.2	15.8	0.5	30.9	15.3

स्रोत- [illegible]

तालिका 18.10

%Enrolled Children By The Number Of Learning Activities Done During The Reference Week. By School Type And Number Of Activities. 2020

School type	No activity	1 Activity	2	3 or more	Total
Govt	29.1	25.9	20.6	24.4	100
Pvt	24.0	19.8	21.0	35.2	100
Govt & Pvt	26.8	23.1	20.8	29.4	100

स्रोत- [illegible]

रहने वाले बच्चों का अनुपात अधिक है। निजी स्कूलों में नामांकित बच्चों के ऑनलाइन माध्यमों और सिर्फ़ इसी तरह की गतिविधियों के जुड़े होने की संभावना थी।

अवलोकन के लिए

• सरकारी स्कूलों के 58.9% बच्चों ने संदर्भ सप्ताह के दौरान सिर्फ़ पाठ्य से 70.6 प्रतिशत बच्चों की तुलना में पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करने की सूचना दी।

• सरकारी स्कूलों के 24.8% बच्चों के विपरीत, 38% निजी स्कूली बच्चे ने सिखने लिए गए वीडियो रिकॉर्डों का उपयोग करने की सूचना दी।

• इसके अलावा, सरकारी स्कूल की 15.9% बच्चों की तुलना में निजी स्कूलों में 20.3% बच्चों ने संदर्भ सप्ताह के दौरान ऑडियो-विजुअल स्त्रोतों का उपयोग किया (तालिका 18.9)।

घर से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर, सरकारी स्कूलों में 26.1% बच्चों और निजी स्कूलों में 24% बच्चों ने संदर्भ सप्ताह से पहले इनमें से कोई भी गतिविधि नहीं की।

सभी बच्चों में से लगभग 20% ने तीन या अधिक गतिविधियों की। इस श्रेणी में सरकारी स्कूली बच्चों (24.4%) की तुलना में निजी स्कूली बच्चों (36.2%) का अनुपात अधिक है।

तालिका 18.11

%Enrolled children in contact with school, By school type and type of contact, 2020

School Type	Contact to discuss learning materials/activities or child's progress/wellbeing			Contact for administrative purposes
	Teacher visited or called parent/child in the relevant week	Parent/child visited or called teacher in the relevant week	Of those who had no contact in the relevant week, teacher or parent/child called or visited each other at least once since the lockdown	Teacher or parent/child contacted each other at least once since the lockdown
Govt	55.1	48.9	46.9	63
Pvt	61.6	58.4	39.5	69.2
Govt & Pvt	57.4	49.6	43.1	59.2

स्रोत– असर 2020

स्कूल बंद होने पर भी घर और स्कूल के बीच संपर्क बनी रही। ASER 2020 ने इस मुद्दे को दो तरीकों के जरिए – क्या माता-पिता और शिक्षक संदर्भ सप्ताह के दौरान संपर्क में थे (फोन या मुलाकात) और यदि नहीं, तो क्या मार्च 2020 में लॉकडाउन शुरू होने के बाद से संपर्क किया गया था। डेटा इंगित करता है कि स्कूल शिक्षकों, सभी बच्चों के लिहाज से लगभग 60% ने संदर्भ सप्ताह के दौरान माता-पिता / परिवारों से संपर्क किया। यह अनुपात सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों के परिवारों में अधिक है (तालिका 18.11)।

18.5 उच्च शिक्षा (HIGHER EDUCATION)

देशभर में राज्य में 120 सरकारीय महाविद्यालय संबद्धित है जिनमें से अधिकांश महाविद्यालय पिछले 5 दशकों के दौरान स्थापित हो गए हैं। राज्य की 5.53 में 30 अन्य संबंधित कार्यक्रम प्रदान महाविद्यालय भी संबद्धित हैं। राज्य शिक्षा विभाग से संबद्धित 65 राज्य विश्वविद्यालय संबद्धित हो रहे हैं। सरकारीय महाविद्यालयों में कुल शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के 4827 पद सृजित है, जिसमें संबंध कुल 2388 नियमित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों की तैनाती की गयी है। उच्च शिक्षा शिक्षणसंस्थानों कुल संबद्धित 140 सरकारीय 5 सरकारीय महाविद्यालयों में कुल 2636 नियमित शिक्षक कार्यरत

है, जिसमें 1165 पूर्णकालिक शिक्षक एवं 8311 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। वर्ष 2021-22 में 04 स्नातकोत्तर डिग्रियाँ एवं 15 स्नातक स्तर में डिग्री/डिप्लोमा डिग्रियाँ की शैक्षणी की गयी है। महाविद्यालयों में 180 दिन शिक्षण कार्य की अनिवार्यता के सुनिश्चित शैक्षणिकैलेण्डर द्वारा ऐकेडमिक कैलेण्डर जारी किया गया है। केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना समग्र शिक्षा अभियान को महाविद्यालयों में एकीकृत/एकरूप कार्यक्रमों के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं हेतु एक समग्र वैश्य छात्रवृत्ति योजना लागू की गयी है। वर्ष 2021 में 34 नवीन शिक्षक संवर्ग पूर्ण कर महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों में भरे गये हैं। 18 नये संवर्ग सृजित कराये जाने हेतु लिखे गये हैं। परिसदन में 02 महाविद्यालयों (शासकीय एवं अशासकीय) में पार्ट कोर्स की परिसदनों को कला परिसदनों के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है (कक्षा निर्माण एवं अन्य सुविधाओं हेतु)। छात्र शिक्षा को रोजगार परक बनाने एवं गुणवत्ता लाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा ई-कुलपति/ई-कॉलेज/ई-लर्निंग योजना को प्रारम्भ किया गया है जिसे दूरस्थ महाविद्यालयों के छात्र-छात्राएँ महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले व्याख्यान और नई जानकारियों से लाभान्वित हो सकें। छात्र शिक्षा विभाग के कार्यों को सरिदेशालय प्रदान किये जाने के उद्देश्य से निदेशालय एवं सहायक के स्थान सृजनाय स्वीकृत किये जाने के उद्देश्य से पोखरपुर में संचालित सम्पर्कालय की स्थापना की जा चुकी है।

वर्तमान में 120 सरकारी महाविद्यालय हैं, जिनमें से 75 महाविद्यालयों के पास अपने भवन हैं। 29 महाविद्यालयों में भवन निर्माण निर्माणाधीन हैं। 16 भूमि विहीन महाविद्यालयों हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 20 महाविद्यालयों में निर्माण कार्य संचालित हैं, जिनमें से 05 राजकीय महाविद्यालयों में निर्माण कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है।

18.3.1 उच्च शिक्षा हेतु आयु जनजातीय योजनायें महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति समय छात्रवास निर्माण द्वारा दीपे निर्मित की जाती है। निर्देशालय स्तर से छात्रवृत्ति की प्रत्न कोई योजना नहीं है। छात्रावास में संचालित विद्यार्थ रहने वाले छात्रों का भरण एकमेसीएस/आईएसएस/ओबीसीएस/डिप्लिकेन नेपाल एकेडमी/इंडियन एयर फोर्स में होने के फलस्वरूप पुरस्कार राशि हेतु ₹ 25.00 लाख की प्रतिपूरण के सापेक्ष ₹ 7.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसे सम्बन्धित छात्राधिकारियों को वितरित किया जा चुका है तथा रक्षा सेवाओं (भारतीय/थलसेना/वायु सेना/नौ सेना अकादमी एवं वैज्ञ संस्थानों (NDA, CDS, OTA, Indian Naval Academy, Indian Air Force Academy etc) की मुख्य परीक्षाओं की कोचिंग हेतु चेयरी छात्र-छात्राओं को दिनेर अतिरिक्त सहायता योजना हेतु 20.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

18.3.2 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)— वर्ष 2013 से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य स्तर पर निर्धारित दिशा में सरकार से उच्च शिक्षा में पहुँच, समानता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु राज्य के सीमित संसाधनों को विस्तारित प्रयास करना है। राज्य की परियोजना स्वीकृति बोर्ड ने दिसम्बर 2014 में उच्चतरतम हेतु 83.15 के आधार पर सभी प्रथम चरण में ₹ 168.46 करोड़ की संस्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश ₹ 142.610 करोड़ एवं राज्यांश 15.886 करोड़ स्वीकृत किया गया है तथा द्वितीय चरण में ₹ 137.00 करोड़ की संस्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश ₹ 123.30 करोड़ एवं राज्यांश ₹ 13.7 करोड़ स्वीकृत किया गया है। अभी तक अनुमोदित एवं अनुमोदित धनराशि का विवरण तालिका 18.12 व 18.13 में दर्शाया गया है:-

तालिका 18.12
मध्य फेज-1

(करोड़ रुपये में)

क्र सं	मद/परियोजना	परियोजना की संख्या	कुल अनुमोदित प्रावधान	केन्द्रांश	वर्ष 24- अनुमान प्रावधान			उपलब्धि प्रावधान	उपलब्धि प्रतिशत
					केन्द्रांश	राज्यांश	कुल		
1	विश्वविद्यालयों की संस्थागत अनुदान	4	70.36	55.852	09.51825	5.002925	09.583175	62.64156486	27.45
2	नये फेज महाविद्यालय हेतु	1	10.25	9.261	9.261	1.2116	10.4726	10.257	98.00
3	अभियन्त्रण कॉलेज का फेज कॉलेज से सब में उन्नयीकरण	4	12.00	11.574	11.574	1.2843	12.8583	11.5707	89.97
4	महाविद्यालयों की संस्थागत अनुदान	21	61.54	50.630	54.300	0.2003053	63.0528053	54.724782	86.30
5	तकनी पुस्तक	1	2.49	2.241	2.241	0.2696	2.4916	2.4916	100.00
	कुल	41	158.40	143.614	136.80225	15.0865269	152.7787769	143.0916033	93.65

नोट- एक सिंह सिंह, अनावश्यक

तालिका 18.13
मध्य फेज-2

(करोड़ रुपये में)

क्र सं	मद/परियोजना	परियोजना की संख्या	कुल अनुमोदित प्रावधान	केन्द्रांश	वर्ष 24- अनुमान प्रावधान			उपलब्धि प्रावधान	उपलब्धि प्रतिशत
					केन्द्रांश	राज्यांश	कुल		
1.	विश्वविद्यालयों की संस्थागत अनुदान	3	40.00	28.00	0	0	0	0	0
2.	नये फेज महाविद्यालय हेतु	2	24.00	21.00	19.20	1.02	19.08	19.08	82.0
3.	अभियन्त्रण कॉलेज का फेज कॉलेज से सब में उन्नयीकरण	2	9.00	7.29	3.40	0.00	0.00	5.00	00.00
4.	नये प्रौद्योगिकी कॉलेज	1	25.00	23.40	17.00	1.00	18.00	19.00	75.00
5.	महाविद्यालयों की संस्थागत अनुदान	11	34.00	30.00	25.25	2.0	25.00	20.00 0000	62.00

8.	[illegible]	2	0.60	4.00	2.20	0.20	2.50	2.50	75.00
कुल		28	137.00	123.30	66.60	7.40	74.00	66.06/10537	79.37

स्रोत– उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़

तालिका 18.14

विवरण	संख्या	पंजीकृत विद्यार्थी (संख्या)			शिक्षकों की संख्या		
		छात्र	छात्राएँ	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल
राजकीय/अशासकीय महाविद्यालय	140	52527	85616	138143	1165	871	2036
विश्वविद्यालय एवं निजी महाविद्यालय	–	–	–	255498	–	–	–

स्रोत– उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़

वर्ष 2021–22 प्रमुख योजनाओं का विवरण

- **राजकीय जनजाति महाविद्यालय**– राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना/नये संकायों, विषयों/पाठ्यों का सृजन एवं व्यवसायिकता; सुनिश्चित करें कि नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करते हुए शिक्षक विहीन अनुपात वर्तमान में जो 40 छात्रों पर एक शिक्षक है उसको घटाकर 30 छात्रों पर एक शिक्षक किया जा रहा है।
- **मनत दर्शन पुरस्कार योजना** –उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत प्रत्येक वर्ष 05 उत्कृष्ट शिक्षकों को मनत दर्शन उच्च शिक्षा शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इस हेतु शासन द्वारा प्रति शिक्षक को ₹ 50,000/– की दर से पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति प्रदान की गयी है।
- **राजकीय महाविद्यालयों में वर्तमान प्राचार्य/ प्राध्यापकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम** :– उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत प्राचार्य एवं निदेशालय से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित प्रदान करने के लक्ष्य की पूर्ति प्रबन्धन, रुसा व सर्वेक्षण, पुस्तकालय, वित्तीय प्रबन्धन एवं लेखा नियमों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा सम्बन्धितों में क्षमता बढ़ाने हुआ है।
- **एन.सी.ई.आर.टी तथा आई.जी.एन.ओ.यू में चयनित छात्र– छात्राओं को पुरस्कार** – एन.सी.ई.आर.टी तथा आई.जी.एन.ओ.यू में चयनित छात्र/छात्राओं को नेशनल लाल छात्रवृत्ति को अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में ₹ 50000/– की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।
- **महाविद्यालयों को नैक प्रत्यायन के स्तर तक सुदृढ़ीकरण**– यूजीसी से अनुदान प्राप्त करने हेतु नैक प्रत्यायन के लिये निर्धारित मानकों को पूर्तता हेतु महाविद्यालय को सहायता राशि प्रदान करना। वित्तीय वर्ष 2021–22 में महाविद्यालयों को नैक NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL (NAAC) प्रत्यायन के सुदृढ़ीकरण योजना में कुल ₹ 50.00 लाख का वार्षिक प्रशिक्षण किया गया।
- **राजकीय महाविद्यालयों/ विश्वि० को एडुसैट के माध्यम से शिक्षा एवं ई संचालय की स्थापना**– उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत समस्त राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को एडुसैट

योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रदान किये जाने हेतु एसआईटी (Satellite Interactive Terminal) / उच्च प्रौद्योगिकी कार्यशाला की स्थापना की गयी है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा 'सभी महाविद्यालयों में 'ई-एम्पावर्ड लैब स्थापना की जायेगी' के अनुपालन में इस शिक्षा विभागाधीन प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में एसआईटी/ भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा विकसित ई-एम्पावर्ड की स्थापना की गयी है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 80.00 लाख का वित्तीय प्रावधान किया गया था।

- **मुख्यमंत्री नवाचार योजना**– उत्तराखण्ड राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रावासों और छात्र-छात्राओं को नया नवोन्मेष (Innovation) करने प्रेरित किया जा रहा है। 'मुख्यमंत्री नवाचार योजना' के अन्तर्गत रु 01 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया जिसमें सभी राजकीय महाविद्यालयों में नवोन्मेषी सोच को बढ़ावा देने हेतु किया गया है, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति से सम्बन्धित विषयों पर वाद-विवाद करने की पहल कर दी गयी है।
- **एक भारत श्रेष्ठ भारत**– राज्य सरकार विकास एवं शिक्षा मंत्री द्वारा भारत सरकार द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के अन्तर्गत राज्यों की सांस्कृतिक ज्ञान- धन एवं संस्कृति का आदान-प्रदान करने हेतु बजट आवंटित किया गया है। इसमें उत्तराखण्ड राज्य एवं कर्नाटक राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा संस्कृति का आदान-प्रदान किया गया। जिसमें कर्नाटक राज्य से आये 30 छात्र-छात्राओं के दल ने प्रतिभाग किया। उत्तराखण्ड राज्य द्वारा छात्र-छात्राओं को Parent State कर्नाटक राज्य में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक भ्रमण हेतु ₹ 25.00 लाख का प्रावधान किया गया।
- **राज्य के बेरोजगार छात्र/छात्राओं हेतु प्रोत्साहन योजना**– राजकीय महाविद्यालयों में यूजीसी प्रायोजित स्कीम के तहत् द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप नगदराशि प्रदान की जाती है, जबकि दो प्रयास वर्ष की निर्धारित परिधि में किसी छात्र-छात्राओं को भी पुरस्कृत किया गया है।
- **सेफ स्कील जैसा कार्यक्रम एवं उत्तराखण्ड राज्य ओपन बोर्ड जैसा आयोग की मुख्य परीक्षाओं की कोचिंग हेतु बेरोजगार छात्र-छात्राओं को वित्तीय आर्थिक सहायता**– उक्त सिक्ष विभागान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पेन्डिंग छात्र/छात्राओं जिन्होंने उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी राज्य विशेष से स्नातक / स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है, को आवेदन मांगकर निर्धारित किया गया। शासित एवं पीसीएस(जे) / यूपीएससी प्रदेश परीक्षाओं एवं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न सेवाओं की प्रवेश परीक्षाओं की प्रतिभाग / कॉलिंग हेतु वित्तीय आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। चयनित 25 छात्र-छात्राओं को पचास हजार वित्तीय की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
- **राजस्थली विद्यापीठ में उत्तराखण्ड के छात्रों को छात्रावास की सुविधा**– राजस्थली विद्यापीठ राजस्थान में उत्तराखण्ड की छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है।
- **अनुसूचित जनजाति उपयोजना**– अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को अपेक्षित सुविधाएं एवं पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु अनुसूचित जनजाति उपयोजना लागायित की जा रही है। विद्यार्थियों को रोजगारपरक व आर्थिक सुदृढ़ प्रदान करने के उद्देश्य से स्वरोजगार विभाग द्वारा कार्यशाला प्रदान की जाती है।

- **विकासखण्ड स्तर पर महाविद्यालय की स्थापना**:– राज्य के प्रत्येक विकासखण्ड में उच्च शिक्षा के दृष्टिगत न्यूनतम एक महाविद्यालय की स्थापना हेतु प्रक्रिया गतिमान है।
- **महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के पदों की नियुक्ति**:– राज्य के 30 जिलों से प्रत्येक महाविद्यालयों में स्थायी प्राध्यापकों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा शेष 13 जिलों पर प्रक्रिया गतिमान है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लगभग 52 शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत योग्यता प्राप्त अतिथि प्राध्यापकों का संविलयन किया गया।
- **शासकीय भूखण्डों**, जो विकासखण्ड मुख्यालय द्वारा शासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु चिन्हित किये गये हैं, पर कॉलेज एवं छात्रावास भवनों को बनाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग के लिये वर्ष 2021-22 में ₹ 10.00 करोड़ की राशि प्रावधानित किया गया है।
- पी.एम. मोदी सरकार द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एवं विदिशा स्थित शासकीय बेतवा महाविद्यालय को परिसर स्तर में स्थानान्तरित प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है।
- **कोविड-19 के कारण विभागीय कार्यों में विशेष प्रभाव का विवरण**:– दिनांक 31 मार्च, 2020 से लॉकडाउन की अवधि में कोविड-19 महामारी एवं अन्य दैनन्दिनियों से स्नातक/विधि/शिक्षक की मृत्यु के कारण 18 से 21 वर्ष तक के उनकी/उनके बच्चों को छात्रवृत्ति, पुस्तकालय, पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रम एवं प्रायोगिकी एवं विविध अधिकारों के संबंधित हेतु मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन प्रदेश के प्रत्येक शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय एवं महाविद्यालयों में छात्र/छात्राओं द्वारा किसी भी प्रकार/छात्रवृत्ति में प्रवेश हेतु प्रवेशिका शुल्क (अधिकतम ₹ 5/-) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। कोविड-19 के दौरान अधिकांश महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं एवं ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा प्रवेश दिया जाना।
- उच्च शिक्षा विभाग-अंतर्गत सभी शासकीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी/डिजिटल लाइब्रेरिज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
- उच्च शिक्षा विभाग-अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में 4 जी इन्टरनेट कनेक्टिविटी की सुविधाएं की गई एवं आई-गई की सुविधा प्रदेश स्तर/संकायों को कि सुलभ उपलब्ध कराई गई है।
- उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत जारी/प्रस्तुत एडुसैट परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों के प्राध्यापकों द्वारा एलएमएस टेली-एजुकेशन नेटवर्क नाम से एक टू-वे वीडियो के माध्यम से विभिन्न जिलों के व्याख्यानों के छात्र-छात्राओं को उपलब्धित किया गया। विभाग द्वारा सभी छात्र-छात्राओं को महाविद्यालयों के स्तर पर ऑनलाइन एजुकेशन विभिन्न माध्यमों से प्रदान की गई यथा TCS ION, Whatsapp, Google Meet, Zoom etc. इस परियोजना हेतु ₹ 50.00 लाख का प्रावधान किसीत प्रावधान किया गया है।
- उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में नियमित रूप से पंजीकृत छात्र/छात्राओं को टैबलेट प्रदान करने की प्रक्रिया गतिमान है।
- वर्तमान में प्रदेश के 44 शासकीय महाविद्यालयों में पूर्णकाल इकोनॉमी होने से अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मेहनत मजदूरी देने की व्यवस्था के मूल्य कार्यक्रम राजकीयकरण पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

Annual Status of Higher Education in state
(ASHE 2020)

Uttarakhand
key Indicator

Indicator	total	Male	Female
Total state population (in lakh)	100.9	51.4	49.5
Literacy rate	78.8%	87.4%	70.0%
Population in the 18-23 age group (in lakh)	12.2	6.2	5.9
share in the total state population (%)	(12.1%)	(12.2%)	(12%)
share of state in the 18-23 population to the all-India 18-23 population	0.90%	0.90%	0.90%
Gross Enrolment Ratio	39.1	39.2	39.1

Source: 1. Census 2011; 2. All India Survey of Higher Education, MHRD 2018-19

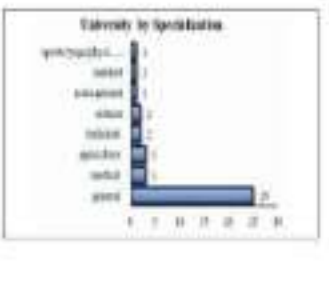

Education Infrastructure

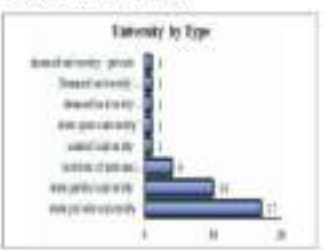

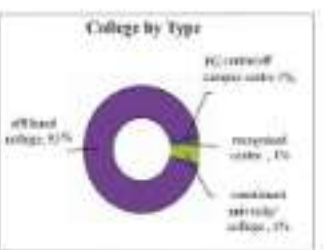

college and institution indicators

Indicator	Universities	Colleges	Standalone
Total number of institutions	16	454	161
Average enrolment per institution	5274	571	168
Total estimated enrolment (in lakh)	1.9	2.55	0.25

College Indicators

College type	Uttarakhand	Share in India
Affiliated colleges	422	1.1%
Recognized center	3	0.2%
Constituent/ university college	24	1.4%
PG/off campus Center	3	1.6%

Management of colleges

Type of management	Share of colleges	Share of enrolment (%)	Average enrolment per college
Private unaided	47.8%	30.9%	418
Private aided	14.2%	18.5%	835
Government	38.1%	50.6%	849

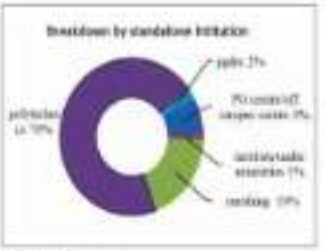

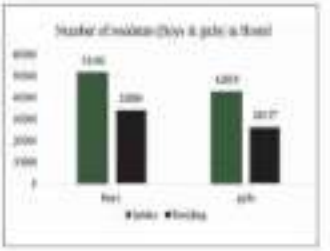

Student Enrollment

Enrollment at various levels through regular mode

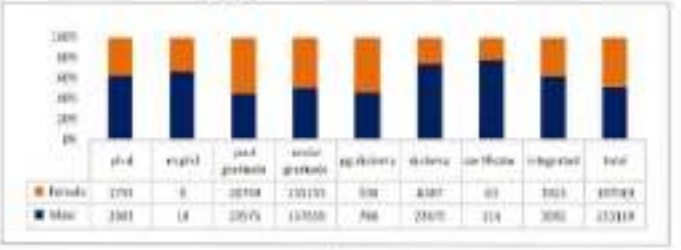

Out turn at various levels

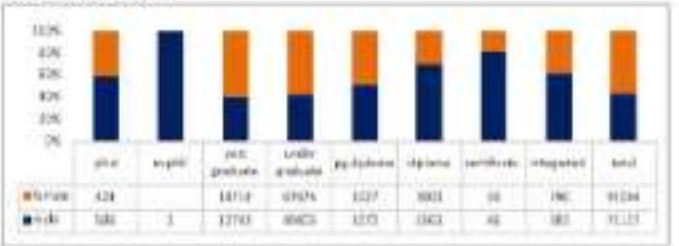

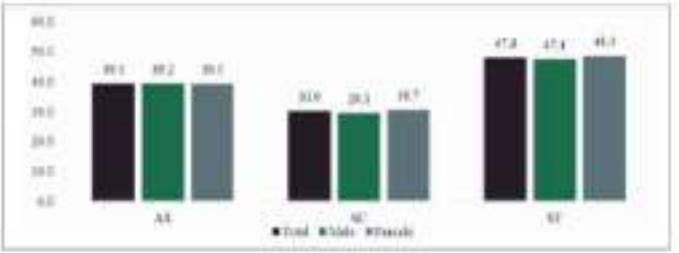

Faculty and Staff Indicators

key indicators	Uttarakhand	India
Pupil Teacher Ratio (PTR)	23	24
Teacher per college	38.7	33.8
Non-teaching staff per college	49.1	29

Calculation is based on the total number of responses as given in the AISHE 2018-19 survey Student, faculty, and staff: Gender and Social representation

Indicator	Male	Female	SC	ST	OBC	PWD	Muslim	Other minority
Share of population	51.3%	48.7%	18.8%	2.9%	18.3%	1.8%	13.9%	1.4%
Share of enrollment	51.5%	48.5%	14.9%	3.9%	17.5%	0.4%	2.1%	0.6%

Share of teaching staff	62.3%	37.7%	6.6%	0.8%	10.9%	0.5%	3.3%	2.4%
Share of non-teaching staff	69.1%	30.9%	12.6%	1.7%	10.3%	0.3%	1.0%	0.4%

Source: share of population census 2011 and India Human Development report 2011; calculation of teaching and non-teaching staff using data from all India survey of higher education, MHRD 2018-19

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

आलमारी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई, 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। नीति मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की भी सिफारिश करती है। इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को संशोधित किया गया था। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित समिति ने 31 मई, 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर आम लोगों से सुझाव मांगे थे। इसके लिए 2 जून, 2019 को ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी की गई थी। इसके बाद 30 जुलाई, 2019 तक करीब 2 लाख सुझाव मिले थे। इसके बाद समिति ने 31 अगस्त, 2019 को अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी थी। इसके बाद 27 अक्टूबर, 2019 को इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए समिति ने 31 दिसंबर, 2018 को अपना सौंपा था। इसके बाद मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया था

खाद्य की सहूलियत, या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा होगी। तीन भाषा सूत्र उन स्कूलों में लागू होता रहेगा, जहां तीन में से दो माध्यम भाषा की तुला की होगी।

8. यह नीति देश भर में भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए मानकों का विकास और मानकीकृत करने का प्रयास करती है।

9. भारत सरकार सभी शिक्षकों और शिक्षकेतर भाषी को समग्र और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक 'टीचर–इनहेंसमेंट फंड' का गठन करेगी। राज्य इस फंड का उपयोग महिला और हाशिये पर भाषी की सहायता के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए करेंगे, जैसे छात्रवृत्ति और सहायता के प्रावधान, रास्ते सबके इंफ्रास्ट्रक्चर और साइकिल। यह फंड राज्यों को 'सहूलियत–आधारित' इनाडेंगों का समर्थन करने में सहायक बनाएगा।

10. नीति में 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में 'सहज परिसर' स्थापित करने का सुझाव दिया गया है जिसमें बालवाटिका, प्रारंभिक विद्यालय और अन्य सहज सुविधाएं हों जो शिक्षा के लिए 'हब-आधारभूत संरचना सहित' की व्यवस्था करते हैं। इस तरह के एक परिसर में 'अधिक स्टाफ, ज्यादा और अधिक अच्छी बालवाटिका, प्रारंभिक, मंत्रालय, सामान और एक कार्यालय में सहूलियत एवं प्रबंधन' होगा।

11. इस नीति के अनुसार, सभी शिक्षा संस्थानों को 'गैर–लाभकारी' इकाई के रूप में ऑडिट और रजिस्ट्रेशन के संचालन मानकों पर रखा जाएगा। यदि संस्था अनियमित पायमान करती है, तो इसे सीमित क्षेत्र में पुनर्संचालन किया जाएगा।

12. नीति कहती है कि हर्षी 'उच्च शिक्षा संस्थानों' (Higher Education Institution एचईआई) का लक्ष्य 2040 तक बहु–विषयक होना होगा। 2030 तक, प्रत्येक जिले में या उसके पास कम से कम एक बहु–विषयक एचईआई होगा। नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2018 में 26.3 प्रतिशत से 2035 तक बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना है।

13. Higher Education Institution (एचईआई) के चाहे एक छात्रों के लिए दो साल के भीतर कार्यक्रमों की विश्वसनीय करने की व्यवस्था होगी, जिसमें तीन साल का स्नातक कार्यक्रम पूरा किया है, एक साल का एम छात्रों के लिए जिसने चार साल का स्नातक कार्यक्रम पूरा किया है, या पांच जनित एकीकृत स्नातक और मास्टर कार्यक्रम।

14. एम.फिल. कार्यक्रमों को बंद कर दिया जाएगा।

15. नीति कहती है कि 'उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी तरह, वैश्विक विश्वविद्यालयों—जैसे कि दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से – को भारत में संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

16. 'पोषणा–आधारित अंतिम न्यायालय' मानकों—संशोधित अनुमोदन नियमों की पूर्तियों के लिए एक वार्षिक अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी।

17. नीति कहती है कि शिक्षा में कार्यात्मक निवेश को मौजूदा 4.43 प्रतिशत से बढ़ाकर जल्द संभव 6 प्रतिशत करने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे।

18.4 पॉलिटेक्निक/तकनीकी शिक्षा (Technical Education):– उत्तराखण्ड राज्य देश में तकनीकी शिक्षा का उद्गम स्थल माना जाता है। राज्य में प्रथम इंजीनियरिंग संस्था रुड़की में वर्ष 1847 में (थॉमसन इंजीनियरिंग महाविद्यालय) तिलिज इंजीनियरिंग को प्रशिक्षित देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था जो कि अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी रुड़की) के रूप में स्थापित है।

नवगठित उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तकनीकी शिक्षा के विकास एवं विशेष बल देने, प्रशिक्षित बेरोजगारों को अधिक आधुनिक तकनीकी एवं कुशल प्रौद्योगिकी शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पॉलिटेक्निक शिक्षा निदेशालय की स्थापना फरवरी में की गई।

18.4.1 पॉलीटेक्निक एवं फार्मेसी

राज्य में वर्ष 2022–23 में 30 पॉलीटेक्निक संचालित थे जहाँ प्रवेशित हैं 21 राजकीय, 01 स्वायत्त प्रकार तथा 08 निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक संस्थान संचालित हो रहे हैं। 08 संस्थानों में संचालन हेतु प्रवेश परिषद है। राज्य में 09 फार्मेसी संस्थान संचालित क्षेत्र में एवं 40 संस्थान निजी क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं।

18.4.1.1 प्रवेशन (Admission):– वर्ष 2022–23 में राज्य के पॉलीटेक्निक संस्थानों में कुल 2702 छात्र-छात्राओं ने जारी 31 मार्च 2022 तक प्रवेशित 4666 राजकीय सीटों के सापेक्ष 3293 एवं निजी संस्थानों में प्रवेशित 2022 सीटों के सापेक्ष 1288 छात्र-छात्राओं ने लिया एवं सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक में प्रवेशित 270 के सापेक्ष 241 छात्र-छात्राओं ने लिया। फार्मेसी संस्थानों में इसी अवधि में प्रवेशित 480 राजकीय सीटों के सापेक्ष 472 एवं निजी संस्थानों में प्रवेशित 2400 सीटों के सापेक्ष 2366 छात्र-छात्राओं ने लिया।

18.4.1.2 कार्यरत शिक्षक (Posted Teacher):

राज्य के पॉलीटेक्निक संस्थानों में 31 मार्च, 2022 तक स्वीकृत कुल पदों के सापेक्ष 364 शिक्षक एवं फार्मेसी संस्थानों में स्वीकृत 40 पदों के सापेक्ष 25 शिक्षक कार्यरत हैं। पॉलीटेक्निक एवं फार्मेसी संस्थानों में संबंधित छात्रों एवं कार्यरत शिक्षक की संख्या तालिका में दर्शायी गयी है:–

तालिका 18.15

विवरण	संस्थानों की संख्या			छात्र संख्या			नामांकित छात्र संख्या			शिक्षकों की संख्या	
	राजकीय संस्थान	निजी संस्थान	सहायता प्राप्त	राजकीय संस्थान	निजी संस्थान	सहायता प्राप्त	राजकीय संस्थान	निजी संस्थान	सहायता प्राप्त	स्वीकृत	कार्यरत
पॉलीटेक्निक	21	08	1	4800	2002	270	1293	1541	241	312	204
फार्मेसी	11	40	–	480	2400	–	472	2366	–	40	25

स्रोत– प्राविधिक शिक्षा निदेशक, उत्तराखण्ड।

18.4.1.3 आधारभूत संरचना (Infrastructure):– वर्तमान में राज्य में कुल 31 राजकीय पॉलीटेक्निक इकाइयों में से 01 को छोड़ कर शेष सभी संस्थानों के भवन हैं। वर्ष 14 संस्थानों में से 08 किराये के भवन में तथा 10 निर्माणाधीन भवन में संचालित हो रहे हैं। कोविड–19 महामारी के दौरान भारत सरकार/राज्य सरकार के जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन राजकीय पॉलीटेक्निकों संस्थानों में Class app, Zoom app, Google Meet के माध्यम से ऑनलाईन कक्षाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया गया तथा प्रशिक्षक उपलब्धता पूर्ण हो चुका है।

18.4.2 इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी:– प्रौद्योगिकीय तकनीकी शिक्षा के सभी–तरह टेक्निक खंड के अनुरूप रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा एप्लीकेशन, बैचलर्स/मास्टर्स डिग्री, डिप्लोमा स्तर पर व्यवहार किये जाने के प्रशिक्षित शैक्षणिक

शिक्षा की व्यवस्था देने का कार्य किया जाता है।

राज्य में वर्ष 2021-22 में कुल 13 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। जिसमें केवल कॉलेज में इंजीनियरिंग शिक्षा के 07 स्नातक एवं 06 स्नातकोत्तर शासकीय संस्थान संचालित होते थे तथा 19 स्नातक एवं 07 स्नातकोत्तर शासकीय संस्थान निजी क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। जबकि शिक्षा स्तर पर 01 स्नातकोत्तर शासकीय संस्थान शासकीय क्षेत्र में तथा 21 स्नातक निजी शासकीय संस्थान निजी क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं।

10.4.2.1 नामांकन (Admission):- वर्ष के इंजीनियरिंग संस्थानों में 31 मार्च, 2022 तक स्नातक स्तरीय इंजीनियरिंग संस्थानों में स्वीकृत 1966 सरकारी सीटों के सापेक्ष 930 एवं निजी संस्थानों में सृजित 4653 सीटों के सापेक्ष 1530 छात्र नामांकित हैं। निजी शासकीय संस्थानों में इसी अवधि में सृजित 1340 सीटों के सापेक्ष 1250 छात्र नामांकित हैं।

राज्य के स्नातकोत्तर शासकीय इंजीनियरिंग संस्थानों में 31 मार्च, 2022 तक स्वीकृत 620 सरकारी सीटों के सापेक्ष 121 एवं निजी संस्थानों में सृजित 279 सीटों के सापेक्ष 120 छात्र नामांकित हैं। सरकारी संस्थानों में इसी अवधि में स्वीकृत 12 सरकारी सीटों के सापेक्ष 12 एवं निजी संस्थानों में सृजित 2283 सीटों के सापेक्ष 520 छात्र नामांकित हैं।

10.4.2.2 कार्यरत शिक्षक (Posted teacher):- 31 मार्च, 2022 तक राज्य के स्नातक स्तरीय इंजीनियरिंग संस्थानों में से शासकीय संस्थानों में कुल 153 शिक्षक एवं निजी संस्थानों में 1022 शिक्षक कार्यरत हैं। राज्य के स्नातक स्तरीय निजी शासकीय संस्थानों में 31 मार्च, 2022 तक कुल 392 शिक्षक कार्यरत हैं। इसी अवधि में निजी टियर (VI) संस्थानों में कुल 188 शिक्षक कार्यरत हैं। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरीय इंजीनियरिंग तथा शासकीय संस्थानों में नामांकित छात्रों एवं कार्यरत शिक्षकों की संख्या तालिका 10.16 में दर्शायी गयी है:-

तालिका 10.16

शिक्षा का प्रकार		संस्थानों की संख्या		प्रवेश क्षमता		नामांकित छात्र		शिक्षकों की संख्या	
		सरकारी संस्थान	निजी संस्थान	सरकारी संस्थान	निजी संस्थान	सरकारी संस्थान	निजी संस्थान	सरकारी संस्थान	निजी संस्थान
इंजीनियरिंग	स्नातक	7	19	1966	4653	930	1530	153	1022
	स्नातकोत्तर	3	7	696	279	121	120		
उपयोगी	स्नातक	0	21	0	1340	0	1250	0	332
	स्नातकोत्तर	1	0	12	0	12	0	1	
योग		0	16		2283		520	0	188

स्रोत:- उपरोक्त शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।

नोट:- उपरोक्त संस्थानों में नियुक्त शिक्षकों द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों पाठ्यक्रमों में अध्यापन कार्य / छात्रों को पढ़ाने-लिखाने का कार्य किया जाता है।

तकनीकी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत महाविद्यालय में संचालित होने वाले पाठ्यक्रम:-

स्नातक:-

I. बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी

II. बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर

III. बैचलर ऑफ फार्मेसी

IV. बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन

V. एजुकेशन बी.

VI. [illegible]

VII. [illegible]

VIII. [illegible]

परामर्शदाता :-

I. [illegible]

II. [illegible]

III. [illegible]

IV. [illegible]

V. [illegible]

VI. [illegible]

• **अध्ययनरत छात्रों की संख्या :-**

तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रम - लगभग- 89,000

• **तकनीकी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 10 शासकीय संस्थानों का विवरण :-**

1. नवी पटी सीमान्त तकनीकी संस्थान, सिवैनगढ़

2. [illegible]-[illegible], नई दिल्ली

3. महिला [illegible] संस्थान, देहरादून

4. इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, गोरेखपर

5. एडिशनेल थर्मल [illegible] इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, [illegible]

6. इन्स्टीट्यूट ऑफ [illegible] इन्फ्रा [illegible] टैक्नोलॉजी, नई दिल्ली

7. फैकल्टी ऑफ टैक्नोलॉजी, पैट्रोलियम, [illegible] यौ सिंह, देहरादून

8. फैकल्टी ऑफ मार्गेसी, पैट्रोलियम, [illegible] यौ सिंह, देहरादून

9. [illegible] सिंह सिंह, [illegible] इन्स्टीट्यूट ऑफ [illegible] [illegible]

10. [illegible] इन्स्टीट्यूट ऑफ [illegible] टैक्नोलॉजी, [illegible], देहरादून।

• **तकनीकी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित स्वायत्तशासी (Autonomous) संस्थान :-**

1. पौड़ीगढ़ीइंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, पौड़ी, गढ़वाल

2. पैट्रोलियम [illegible], [illegible]

उक्त [illegible] में डिप्लोमा तकनीकी स्तर पर [illegible] की गई है, जबकि [illegible] स्नातक स्तर के तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले छात्र / छात्राओं को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान की गई इसलिए [illegible] के लिखित [illegible] के [illegible] के [illegible] व्यवस्था के द्वारा ये विश्वविद्यालय के [illegible] से जोड़ा जाकर [illegible] का [illegible] है।

तकनीकी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत सम्बद्धित निजी सम्बद्ध संस्थान / प्रवेश क्षमता :-

संस्थानों की कुल संख्या	संचालित पाठ्यक्रम	प्रवेश क्षमता
70	बी.टैक / एम.टैक	9115
	बी.फार्म / एम.फार्म	942
	एम.बी.ए.	2910
	एम.सी.ए.	900
	बी.[illegible]/एम.सी.टी.ए.	300

18.4.3 वर्तमान सरकार के कार्यकाल में तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा किये गये अतिरिक्त महत्वपूर्ण कार्य / उपलब्धियां :-

• [illegible] राज्य में दीन दयाल सिंह भण्डारी [illegible] विश्वविद्यालय, देहरादून दिनांक 30 जून, 2021 को कम्प्यूटर के [illegible] [illegible] [illegible]

एक तकनीकी संस्थान है तथा राज्य में तकनीकी शाखों को संचालन पूर्वक संचालित करते हुए प्रदेश के संस्था पहली बार राज्य 2021-22 से ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम पूर्व कार्यवाही होने सम्बन्धित समस्यों समाप्त करें।

• गोवे का ऑनलाइन एवं उत्तम शिक्षण:- यह माननीय महोदय की अनेक अनुसार उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा गोवा लिए गये पांच विद्यार्थियों को एकदो विदेश बनने हेतु उत्तर विश्वविद्यालय के संचालक व सम्बद्ध संस्थानों द्वारा प्रदेश के एक-एक गांव को गोद लेने का निर्णय हाल 2021-22 से लिया गया है। अधिकृत किये गये गांवों के आर्थिक विकास के लिए वहां से संसाधन-संसाधन का संग्रहण उपयोगकर्ता आयोजन, सामाजिक अभियान, सामाजिक अभियान आदि कार्यक्रम आयोजनकर्ता, छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा आयोजित कर प्रयास किये जा रहे हैं ताकि गांव के लोगों को गांवों के विकास में सहयोग दिये जाने हेतु जागरूक किया जा रहा है।

10.4.4 गंधवाणी छात्रों को पुरस्कार धनराशि का वितरण:- यह मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में उत्तरांचल के मेधावी छात्रों (अंडरग्रेजुएट/ एक्सग्रेजुएट/अंडरग्रेजुएट) को ₹ 50000/- (तीन लाख) की दर से कुल 329 छात्र-छात्राओं को ₹ 164.50 लाख (एक करोड़ चौंसठ लाख पचास हजार मात्र) पुरस्कार धनराशि का वितरण किया गया है तथा अन्तिम तिथि वर्ष 2021-22 में कुल ₹ 80.00 लाख की धनराशि शेष है। इसके वितरण हेतु आयोजन शीघ्र अन्त में किये गये हैं तथा मैरिट नैमेन में उक्त धनराशि शीघ्र ही वितरण किया जाना है।

• ICTE Model Curriculum को वर्ष 2018-19 के अनुसार पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

• यह मुख्यमंत्री जी द्वारा विश्वविद्यालय की चौथे दीक्षा का आयोजन एवं Academia Industry forum की स्थापना तथा Industrial Expo का आयोजन किया गया।

• विश्वविद्यालय एकेडेमिक आयुक्त से केन्द्रीकृत (Centralized) 65 कम्प्यूटर लैब की स्थापना पूर्वक स्थापना।

• विश्वविद्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय एकेडेमिक निकाय द्वारा IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Student Branch and Special Interest Group on Humanitarian Technology Cell की स्थापना की गयी।

• विश्वविद्यालय परिसर को छात्रों हेतु होस्टल सुविधा-सहित से अन्तर्राष्ट्रीय किया गया है।

• तकनीकी शिक्षा एवं गुणवत्ता सुधार परियोजना (Technical Education Quality Improvement Programme-TEQIP-III) – भारत सरकार मानव संसाधन, भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा एवं गुणवत्ता सुधार परियोजना (TEQIP-III) का सफलतापूर्वक संचालन किया गया।

• विदेश आयोजनालय संस्थान अन्तर्गत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों में से तकनीकी संस्थान, फार्मेसी एवं महिला संस्थानों की संस्थान, मुजीबाबाद के निरीक्षण कार्य पूर्ण हो चुके है। जबकि शेष नवीं पर सीमांत तकनीकी संस्थान, सिंहपाल का 55 प्रतिशत कार्य तथा पौड़ी गढ़वाल जनपद सर्वोत्तम तकनीकी संस्थान, टनकपुर का 75 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य मार्च, 2022 तक पूर्ण किये जाने प्रस्तावित है। उक्त चारों संस्थानों में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालित हो रहे है।

• उपयोगों की मांग के अनुसार पाठ्यक्रमों का विकास किया जा रहा है।

• कोविड-19 महामारी के कारण विश्वविद्यालय, संचालन संस्थानों एवं सम्बद्ध संस्थानों में ऑनलाईन एजेंडा प्रणाली द्वारा, उनके शिक्षण हेतु नई तकनीक का समावेश करते हुए ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

• विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्य नियंत्रण से संबंधित से केन्द्रीकृत मूल्यांकन कार्यों को और अधिक की आवश्यकता को कुछ विशेष परिणाम समय पर

नियोजन कर छात्रों एवं सुविधा प्रदाता की जा सकें, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई।

10.4.5 वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का विवरण

1. विश्वविद्यालय द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्य:–

- शासकीय परिषद का क्रियान्वयन।
- सम्बद्ध संस्थानों में ऑनलाईन मोड में प्रवेशित करना।
- ऑनलाईन परीक्षाएं आयोजित करने वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय।
- भारतीय सेना के सहयोग एवं उनकी सम्बन्धित विभिन्न कार्यों हेतु कार्यशैली।
- नेशनल एकेडेमिक डिपोजिटरी (एन.ए.डी.) में उपाधियों को संग्रहित करने हेतु राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय।
- विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों व इंजीनियरिंग संस्थान जैसा- मोहित प्रौद्योगिकी संस्थान, रानी पोखरी (चमोली), इंजीनियर, देहरादून(डीई) पौड़ी–कर्णप्रयाग(डीपी) टिहरी के लिए निदेशकों की नियमित नियुक्ति हेतु कार्यवाही।
- मोहित इंजीनियरिंग संस्थान, देहरादून का निर्माण कार्य पूर्ण।

2. विश्वविद्यालय की अब तक की महत्वपूर्ण उपलब्धियां–

- उत्तराखण्ड राज्य में वीर माधो सिंह भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राज्य में ऑनलाईन परीक्षाएं आयोजित करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय।
- वीर माधो सिंह भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में तकनीकी छात्रों को उपलब्ध पूर्वोक्त सम्बन्धित कमी दूर करने के मध्यनजर पहली बार सत्र 2021–22 से ऑनलाईन प्रवेश से सम्बन्धित एवं परीक्षाओं हेतु सम्बद्ध संस्थानों में।
- नवीन छात्र अभिग्रहण एवं उनका विवरण। एआईसीटीई/एनएआईआरएफ/आईआईआरएफ रैंकिंग में प्रतिवेदित उत्तराखण्ड के कुल निजी 323 तकनीकी संस्थानों में से वर्तमान में 128 तकनीकी संस्थानों में 184.03 लाख की प्रोत्साहन धनराशि का वितरण।
- तकनीकी संस्थानों में 218 विश्वविद्यालय की मोनेथ टीचर एवं इण्डस्ट्री एवं Academia Industry Forum की स्थापित तथा Industrial Expo का आयोजन किया गया।
- विश्वविद्यालय परिसर में हाई स्पीड इण्टरनेट 1 जी–1 जी से आच्छादित किया गया है।
- तकनीकी शिक्षा एवं गुणवत्ता सुधार परियोजना (TEQIP-I)– मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा एवं गुणवत्ता सुधार परियोजना (TEQIP-II) का सफलतापूर्वक संचालन किया गया।
- उद्योगों की मांग के अनुसार पाठ्यक्रमों का विकास किया जा रहा है।
- भारतीय सेना के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु Emerging Technology जैसे– आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स से सम्बन्धित सर्टिफिकेट कोर्सों के संचालन की संस्तुति।
- भारतीय सेना से सम्बन्धित विभिन्न प्रोजेक्ट/कार्य आदि की समस्याओं के दृष्टिगत उनकी डिमाण्ड बेसी के साथ एमओयू का निष्पादन।
- ARTH-Seek से साथ कार्य एवं उत्तराखण्ड से सम्बन्धित समस्याएं जैसे- Predictive Analysis, Artificial Intelligence, Robotics, Drone Technology से सम्बन्धित कार्यों हेतु एमओयू का निष्पादन।

3. भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण एवं उल्लेखनीय उपलब्धियां– मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग

से उत्तराखण्ड राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय राजकीय राजधानी की स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदण्डों हेतु 100.5 करोड़ की परियोजना, इसमें अत्याधिक सुविधा युक्त, विशिष्ट सेवाओं की स्थापना, आवश्यकता की मांग के अनुसार शैक्षिक, स्टाफ-संख्या आदि की अभिवृद्धि की गयी है।

18.5 चिकित्सा शिक्षा– चिकित्सा शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य उच्च कोटि की चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना, शोध एवं अनुप्रयोजन की व्यवस्था करना एवं व्यावसायानुसार जनहित में चिकित्सा सम्बन्धी सेवाओं के चिकित्सा संस्थानों की स्थापना किया जाना है। उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय राजकीय क्षेत्र में कोई भी मेडिकल कालेज नहीं था, साथ ही चरित्र क्षेत्र में उच्च प्रशिक्षण के कोई व्यवस्था नहीं थी ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा जनता के लिए पर्याप्त सुविधाएं सुलभ कराने हेतु वर्ष 2002 में श्रीनगर, दूनी सरकार ने तीन नये विशेष बहुउद्देशी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया एवं वर्ष 2008 में इस संस्थान की स्थापना की गई।

चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधीन संचालित राजकीय मेडिकल कालेजों को निम्नानुसार

18.5.1 वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल– राज्य में उच्च चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा एक आदर्श चिकित्सालय विकसित करने के लिये पैरा चिकित्सालय श्रीनगर को कि एडवांस्ड कार्डियक सेवा में एक नया मेडिकल चिकित्सालय का उच्च स्तरीकरण द्वारा वर्ष वर्ष 2007 में मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया था। इस प्रकार वर्ष 2008 में श्रीनगर गढ़वाल में प्रथम राजकीय मेडिकल कॉलेज "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान" की स्थापना की गई तथा वर्ष 2008 से ही एमबीबीएस(एम) विधि कोर्स प्रारम्भ किया गया।

वर्तमान में संस्थान में कुल 08 जैसे एमबीबीएस(एम) के पाठ्यक्रम हो चुके हैं। मेडिकल कॉलेज के एनेटमी विभाग में एमबीबीएस प्रवेशित हो 04 सीटें उपलब्ध हैं, साथ ही सीटों को स्थायित्व प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 07 विशेषज्ञताओं (Anaesthesia, obstetrics & Gynaecology, Radiodiagnosis, Paediatric, Ophthalmology, ENT, Family Medicine) में 02 सीटीय Post MBBS Diploma कार्यक्रम संचालित करने की अनुमति वर्ष 2020 में प्रदान की गयी है। वर्तमान में सभी एमबीबीएस की कुल 125 सीटें स्वीकृत है।

टीचिंग चिकित्सालय में उपस्थित मूल भूत सुविधायें–

विभाग	शैयाओं की संख्या
आर्थोपेडिक्स	4
आर्थोपेडिक्स मेडिसिन	6
मेडिसिन आर्थोपेडिक्स	13
गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी	5
एनेस्थेटियोलॉजी	24
इमरजेन्सी	12 (05 महिला, 07 पुरूष)
योग	62

विभाग	ऑपरेशन थियेटर्स की संख्या
सर्जरी (मेजर)	2
सर्जरी (माइनर)	1
ऑर्थो	2
गायनी / ऑब्स	2
ई०एन०टी०	1
ऑफ्थाल्मोलोजी	1
इमरजेन्सी	1
योग	10

10.5.2 राजकीय मेडिकल कालेज, इन्दुपुरी– दुर्गम क्षेत्र के निवासियों को उच्च चिकित्सीय सुविधाएं के लिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमन्त्री द्वारा 17 जनवरी, 1983 को इन्दुपुरी में आधुनिक और विशिष्ट सुविधाओं युक्त चिकित्सालयों की नींव रखी गयी। कालान्तर में जिसे जो सुविधाएं दिखायी दी वे नाम रख 'जोड़ सुविधा दिखायी स्थापना का चिकित्सालय, इन्दुपुरी' नाम दिया गया। उपलब्ध में दुर्ग से तत्कालीन में स्थापित नया चिकित्सालय की सुविधाएं 140 शैय्याओं से साथ हुई थी और वर्तमान में इसकी संख्या 600 शैय्याओं की हो गयी है।

दुर्गम क्षेत्र हेतु उच्च स्तरीय चिकित्सा की पूर्ण सुविधाओं के लिए उत्तरांचलाध्य कॉलेज डीसिलटा द्वारा का राजकीयकरण कर दिया गया और अब यह चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन कार्य करने लगा।

मेडिकल कालेज स्थापित किया गया है।

कॉलेज में संलग्न में 125 एम्बुलेंस/एनएस की सीटें उपलब्ध है तथा कॉलेज के विभिन्न/पैरा-मेडिकल/पैरा-मेडिकल विभागों कुल 65 एम्बुलेंस/एम्बुलेंस सीटें उपलब्ध हैं।

कॉलेज के चीफ सुपरिन्टेन्डेन्ट डॉ० सुनील तिवारी महोदय द्वारा चिकित्सालय में स्थापित ऑपरेशन थियेटरों व इन्टेन्सिव केयर यूनिट का विवरण निम्नानुसार है–

1.ऑपरेशन थियेटर्स का विवरण–

विभाग	थियेटर्स की संख्या
सर्जरी (मुख्य एवं स्पेशियल सर्जरी सहित)	5
ऑर्थो	2
गायनी / ऑब्स	2
ई०एन०टी०	1
ऑफ्थाल्मोलोजी	1
इमरजेन्सी	2
योग	13

2.इन्टेर्निशिप कॅन्सर यूनिट का विवरण:-

विभाग	सिसेटर्स की संख्या
एमआईसीयू	11
आईसीयू ऑफ कार्डियक यूनिट	6
ट्रामा आईसीयू	20
पेडियाट्रिक आईसीयू	6
एआईसीयू	6
पीआईसीयू	12
एचडीयूसीयू	24
हाई डिपेन्डेन्सी	19
कुल	103

18.5.3 राजकीय दून मेडिकल कालेज, देहरादून:- राजकीय दून मेडिकल कालेज, देहरादून द्वारा का दौरान राजकीय मेडिकल कॉलेज से विलय दिनांक 30 जून 2016 को एमबीबीएस द्वारा होने के सम्बन्ध से वी 150 विद्यार्थियों के लिए प्रवेश कर दिया गया था तथा सत्र वर्ष 2022 से कम आयात की जायेगा।

18.5.4 सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान अल्मोड़ा:- जनपद अल्मोड़ा जीना राजकीय मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया है, मेडिकल कॉलेज से निर्माण से कुमाऊं क्षेत्र के जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर तथा जनपद चमोली के पर्वतीय क्षेत्रों से निवासियों को गुणित स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। भारतीय आयुर्वेदिक परिषद, नई दिल्ली के मानकानुसार संचालन हेतु कुल 620 पदों का सृजन किया गया है तथा सत्र 2021-22 से एमबीबीएस(आ) पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रारम्भ किये जाने हेतु LOP (Letter of Permission) प्राप्त हुई है।

18.5.5 पं0 राम खुमेर शुक्ला स्मृति राजकीय मेडिकल कालेज रुद्रपुर:- जिला चिकित्सालय रुद्रपुर, उपजिलालय के उन्नतीकरण तथा कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना की प्रथम चरण में 120 सीटकों को उन्नतीकृत करते हुये 300 बैठकानुसार किये जाने की कार्यवाही अग्रिम चरण में है। उपरोक्त कार्य हेतु शासन की ऋण वित्त संस्थिति द्वारा ₹ 562.04 लाख की स्वीकृति दी गई थी जिसके सापेक्ष लगभग ₹ 4291.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2018-20 में शेष राशि संकल्प के अनुसार रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वर्ष जनवरी 2021 में शासन द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर हेतु कुल 502 पदों का सृजन किया जा चुका है।

18.5.6 राजकीय मेडिकल कालेज हरिद्वार (पिरानीपुर/भगवानपुर):- केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत जिला हरिद्वार के ग्राम पिरानीपुर/भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जानी प्रस्तावित है जिस हेतु 25 एकड़ भूमि चयन की जा चुकी है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु प्रस्ताव भारत सरकार प्रेषित किया जा चुका है एवं कार्यदेय की संस्था गठित किये जाने का भी अनुरोध किया जा चुका है। मेडिकल कॉलेज हरिद्वार की स्थापना से जनपद हरिद्वार एवं रोहतकी

क्षेत्र के नागरिकों को तृतीय स्तर की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2020 में राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार हेतु 05 पदों का सृजन किया गया है। वर्ष 2021 में राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार हेतु कुल 557 पदों के सृजन का प्रस्ताव परिषद्‌ हेतु प्रेषित किया गया है।

18.5.7 स्व0 जगजीवन राम राजकीय मेडिकल कॉलेज, किच्छा– राज्य सरकार द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के किच्छा में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति की गयी है। मेडिकल कॉलेज हेतु भूमि प्राप्त हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज का नाम स्व0 जगजीवन राम राजकीय मेडिकल कॉलेज, किच्छा रखा गया।

बर्न यूनिट– भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी एवं देहरादून में बर्न यूनिट की स्थापना हेतु 35–35 पदों का सृजन किया गया है।

ब्लड सैफ्टी इन्स्टीट्यूट– राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत ब्लड सैफ्टी की व्यवस्था हेतु धनराशि ₹ 103.8666 लाख भारतीय लोगों को दी गयी है, जिस हेतु शासन द्वारा 150 पदों का सृजन पृथक से किया जा चुका है।

सुपर स्पेशियलिटी

- राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में सुपर स्पेशियलिटी विभागों में 44 पदों का सृजन किया गया है।
- राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में सुपर स्पेशियलिटी विभागों में 44 पदों का सृजन किया गया है।
- प्रदेश के अन्य राज्य से विस्थापन प्रदेशों से आने वाले रोगियों को सुपर स्पेशियलिटी सेवा उपलब्ध कराने वाले के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कॉलेज, ऋषिकेश/श्रीनगर/हल्द्वानी में नई सर्जरी, गेस्ट्रोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी का विभागों का सृजन किया जा चुका है।

ट्रामा सेन्टर– सेन्ट्रल सरकार की योजना के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज, देहरादून एवं हल्द्वानी में ट्रामा सेन्टर स्थापित किये जाने की व्यवस्था प्रस्तावित है।

18.5.8 नर्सिंग संस्थान– 1 सेंटर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देहरादून–उत्तराखण्ड राज्य के प्रथम नर्सिंग कॉलेज 'सेंटर कॉलेज ऑफ नर्सिंग' की स्थापना दिनांक 18 जून, 2018 को देहरादून में हुई जो उत्तराखण्ड, देहरादून में स्थित है। यह नर्सिंग कॉलेज राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है एवं इसका संचालन भारतीय नर्सिंग परिषद् (इण्डियन नर्सिंग कौंसिल) के मानकों के अनुसार राज्य सरकार के लिए निर्देशानुसार किया जाता है। सम्पूर्ण भारत वर्ष से छात्रों को ली जाती है। कॉलेज में छात्रावास सहित 120 नर्सें संचालित हैं। स्वास्थ्यकर्मियों की भारी कमी को देखते हुए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सेंटर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की स्थापना वर्ष 2018 में की गयी है।

लक्ष्य एवं उद्देश्य:–

1. नर्सों को नर्सिंग सेवा प्रबन्धकों तथा व्यावसायिक शिक्षकों हेतु एक कुशल प्रशिक्षित दल के रूप में तथा स्वास्थ्य संबंधी कार्य करने के लिए तैयार करना जो कि स्वास्थ्य सम्बन्धी पुनर्स्थापनात्मक सेवा प्रदान कर सकें।

2. नर्सों का शिक्षित एवं व्यवसायिक रूप से विकास करना जिससे वे देश व प्रदेश के नागरिकों को वैज्ञानिक नर्सिंग के आधार पर कुशल एवं निपुण सेवा प्रदान करने में प्रगति लाकर से लाभान्वित हो सकें।

3. उत्तराखण्ड पहाड़ी राज्य के जिले दूरवर्ती व पहाड़ी में स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाना।

4. राज्य में महिला रोजगारपरक के लिए उपलब्धि करना।

संचालित पाठ्यक्रमों के नाम –

बेसिक वोकेशनाईजेशन (नर्सिंग)– जनपद में स्थित स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग में वोकेशनाईजेशन नर्सिंग पाठ्यक्रम के 86 सीटों में 310 छात्र छात्राओं को चुकी है। पूर्व में स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देहरादून में वोकेशनाईजेशन नर्सिंग पाठ्यक्रम में 60 सीट स्वीकृत थी, जो वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में बढ़ाकर 86 सीट की गयी है। जनपद के 10 प्रतिशत आरक्षण 06 सीट एवं अन्य राज्यों हेतु Prime minister Special Scholarship scheme के अन्तर्गत 05 सीट कुल मिलाकर 71 सीटें की गयी।

पोस्ट बेसिक वोकेशनाईजेशन (नर्सिंग)– उक्त कोर्स वर्ष 2010 में पंजीकृत वोकेशनाईजेशन नर्सिंग पाठ्यक्रम 20 सीटों के साथ प्रारम्भ किया गया जिसमें से 10 सीटें विकिलांगजनित में वर्तमान स्टाफ नर्स के लिए आरक्षित है। वर्तमान में पोस्ट बेसिक में आरक्षित रूप से जनपद हेतु की 10 प्रतिशत आरक्षण 02 सीट कुल मिलाकर 33 सीटें हो गयी।

एण्डटाकाईटिस नर्सिंग– राजकीय नर्सिंग कॉलेज, जनपद नगर, देहरादून में शैक्षणिक वर्ष 2013–14 से एण्डटाकाईटिस नर्सिंग पाठ्यक्रम 10 सीटों के साथ प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान में एण्डटाकाईटिस नर्सिंग में आरक्षित रूप से जनपद हेतु की 10 प्रतिशत आरक्षण 02 सीट कुल मिलाकर 22 सीट हो गयी।

वर्ष 2010 से वर्तमान तक स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग में बेसिक वोकेशनाईजेशन नर्सिंग पाठ्यक्रम के कुल 338 प्रतिशु पोस्ट बेसिक वोकेशनाईजेशन नर्सिंग के 103 प्रतिशु एवं एण्डटाकाईटिस नर्सिंग में 75 प्रतिशु उत्तीर्ण हो चुके हैं। दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। छात्र/छात्राओं को पढ़ाने आने हेतु भारतीय नर्सिंग परिषद् के मानकानुसार टीचिंग फैकल्टी की पूर्ण व्यवस्था तथा प्रयोगशाला आदि हेतु डिमेन्स उपकरण की प्रयोगशालायें एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। क्लीनिकल प्रैक्टिकल हेतु दून अस्पताल, दून महिला अस्पताल, सामुदायिक चिकित्सालय सेलाकुई एवं डिमेन्स संस्थाओं में आने जाने हेतु वाहनों की भी व्यवस्था है। महिला में स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग को विस्तारित कर एण्डटाकाईटिस एवं पोस्टबेसिक पाठ्यक्रम संचालित किये जा सकते है।

18.5.9 स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग, कनक नगर, देहरादून– यह नर्सिंग स्कूल राज्य सरकार द्वारा मिशन पोषित है। स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग में संचालित पाठ्यक्रमों विवरण एवं छात्रों स्कूल उद्देश्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

1. स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून में सत्र 2010–11 से दो पाठ्यक्रमों एएनएम एवं जीएनएम का संचालन किया जा रहा है। भारतीय नर्सिंग परिषद् से दोनों पाठ्यक्रमों में 5 सितों 50–50 प्रविष्टियों के प्रवेश की अनुमति है।

2. स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून में जीएनएम पाठ्यक्रम (सत्र 2015–16) में 37 मैल राज–आवट हुये है जिनमें से कुल 350 प्रतिशु राज–आवट हुए है।

3. स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग, देहरादून से एएनएम पाठ्यक्रम में 06 मैल राज–आवट हुए हैं जिनमें कुल 400 प्रतिशु प्रतिशत छात्र छात्रा आवट हुए है।

4. स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग को विद्यार्थियों द्वारा समय–समय पर सरकार द्वारा मांगी या सही डिमेन्स संस्थाओं से उपलब्धता योजनाओं को कार्यान्वित कराने के संबंध विभिन्न पत्रों/स्मरणों/रिमाइन्डरों आदि में जानकारियां दिलाए जाने के लिखे गये पत्रों को संकलन से सही जानकारी किया जा सके। इस हेतु संस्थान द्वारा विद्यार्थियों के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर व्यवस्था विद्यार्थि, पुस्तकें

पदक, एकाडमिक डिग्रियां, जब व्यावसायिक अभियान, देशी समाजों अभियान, एड्स के प्रति व्यावसायिक अभियान एवं विभिन्न व्यवसाय से सम्बन्धित अभियानों आदि का आयोजन किया जाता है।

5. स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग में अध्यापक पाठ्य-सामग्री एवं उपकरणों को व्यवस्था कर विद्यार्थियों को उत्तम गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना और स्टेट स्कूल को नर्सिंग में Centre of Excellence बनाना।

6. नर्सों को नई तकनीकी व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर एवं सुदृढ़ स्वास्थ्य दल के साथ रहने वाले के लिए तैयार करना जो कि स्वास्थ्य सम्बन्धी गुणवत्तापरक सेवा प्रदान कर सकें।

7. नर्सों को स्वास्थ्य सम्बन्धी दल के साथ सहयोग के रूप में इस प्रकार तैयार करना कि वो बीमारियों को रोकने में स्वास्थ्य दल से साथ सामाजिक क्षमतावर्धक स्वास्थ्य सिद्ध हो सकें।

8. नर्सों को एक व्यक्तिगत व्यवसाय में इस प्रकार से नियुक्त करना व इस योग्य बनाना कि वह व्यक्ति के व्यवहार, वेश व प्रवेश में सम्पर्क को वैज्ञानिक नर्स के रूप में सुदृढ़ एवं गुणवत्तापरक सेवा प्रदान कर सकें।

9. बेड के लिए एक आधार तैयार करना जो कि नर्सिंग में विशिष्टीकरण और भविष्य में व्यावसायिक विकास प्रदान कर सकें।

10. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में भाग लेने एवं सहायता देने के लिए तैयार करना।

11. राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय संस्थानों/निकायों से नर्सिंग शिक्षा एवं नर्सिंग सेवा में साथ-साथ मिलकर कार्य करने को तैयार करना।

12. डिप्लोमा नर्सें तैयार करना जो कि नर्सिंग व्यवसाय में राज्य एवं देश की जरूरत को पूर्ण कर सकें।

13. नये नर्सिंग व्यवसायिक मार्ग के लिए विद्यार्थियों को विशेष अभिरुचि पुरस्कार प्रदान।

14. नर्सिंग शिक्षा को उत्तम, आदर्श एवं विद्युतगतिकी बनाना।

15. उत्तराखण्ड राज्य में जिले स्तरीय इकाईयों में नर्सों में व्यावसायिक गतिशीलता को बढ़ावा देना।

16. राज्य की महिलाओं को रोजगारपरक से लिए प्रोत्साहित करना।

17. राज्य में आपदा के समय उत्तम सेवाएं प्रदान करना।

कार्यभार में स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग, देहरादून में संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण:–

जी0एन0एम0– यह पाठ्यक्रम तीन वर्षीय है। प्रवेशन में जी0एन0एम0 पाठ्यक्रम में 165 सीट–साठ्यां एवं पुरुषपाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित 265 सीट–साठ्यां उपलब्धता है।

एम0एस0सी0– यह पाठ्यक्रम दो वर्षीय है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी का इण्टरमीडिएट या उसके पश्चात उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

18.5.10 उच्च शिक्षा आयोग के अन्तर्गत 05 नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण– उत्तराखण्ड राज्य में नर्सों की आवश्यक संख्या है, जबकि 33 प्रतिशत नर्सें ही स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्य कर रही है इस परिदृश्य में नर्सिंग सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य में 05 नर्सिंग कॉलेज खोले गये हैं। (चिकित्सा, आरोग्य, शिक्षा, इन्द्रजी, एवी एवं फार्मेसी) उक्त नर्सिंग संस्थानों को भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली के द्वारा 250 सीटों की अनुमति वर्ष 2010 में दी गई एवं राजकीय नर्सिंग कॉलेज, देहरी का संचालन अगले शैक्षणिक सत्र में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। उक्त राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में वर्ष 2016 से छात्र-छात्राओं को प्रवेशन का कार्य कराया जा रहा है।

तालिका 18.17
नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण संबंधी विवरण

क्रमांक	विवरण	ईएफसीसी द्वारा अनुमोदित डीपीआर की धनराशि ₹ में	कोविड तक भारत सरकार से प्राप्त धनराशि ₹ में	कार्यदायी संस्था
1.	अम्बेडकर नर्सिंग कॉलेज	20.4258 करोड़	16.86 करोड़	उ0प्र0नि0नि0
2.	सिद्धार्थनगर नर्सिंग कॉलेज	20.0139 करोड़	17.71 करोड़	उ0प्र0नि0नि0
3.	फैजी नर्सिंग कॉलेज	20.7151 करोड़	16.71 करोड़	उ0प्र0नि0नि0
4.	सिद्धी नर्सिंग कॉलेज	19.44 करोड़	16.44 करोड़	एचबीटीयू0
5.	बलिया नर्सिंग कॉलेज	19.8481 करोड़	16.11 करोड़	उ0प्र0नि0नि0
6.	05 नर्सिंग कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण (Procurement)	7.24 करोड़	7.24 करोड़	₹ 4.045 करोड़ खर्च किया जा चुका है।
योग		107.7120 करोड़	97.59 करोड़	

18.8 संस्कृत शिक्षा

18.8.1 राज्य में संस्कृत शिक्षा की वर्तमान स्थिति संस्कृत शिक्षा एवं प्राचीनतम भाषा है, इसका साहित्य अन्य भाषाओं की तुलना में अत्यन्त समृद्ध है, इसका महत्व भाषा के रूप में नहीं अपितु इसमें वर्णित ज्ञानात्मक ज्ञान से है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह एक ऐसी समृद्ध भाषा है, जिसके ज्ञान से विश्व की किसी भी भाषा का ज्ञान सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। इसी दृष्टिकोण एवं उद्देश्य सहित से देवभूमि उत्तराखण्ड राज्य में देववाणी संस्कृत के समुचित विकास के उद्देश्य से पृथक संस्कृत शिक्षा विभाग का गठन किया गया है एवं राजकीय अधिसूचना दिनांक 03 जनवरी, 2010 द्वारा संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा घोषित की गयी। संस्कृत विद्यालयों को उच्च स्तर पर संस्कृत में एवं संस्कृत शिक्षा के संवर्धन के उद्देश्य से उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार की स्थापना की गई है। भारत की अमूल्य धरोहर संस्कृत की पाण्डुलिपियों तथा अभिलेखों को संरक्षित एवं डिजीटल विधियों से संरक्षित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी क्रियाशील है। संस्कृत राज्य में संस्कृत शिक्षा के नियोजन, क्रियान्वयन, संवीक्षण, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, एवं अनुश्रवण तथा विभिन्न पाठ्यों से स्तर सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से देहरादून में संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई है। राज्य में प्रथम से आचार्य स्तर तक की एवंसंस्कृत संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था राजकीय निदेशन का प्रबन्धन संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रभावी नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए

प्रायोजन राज्य एवं संस्थागत विभिन्न संस्कृत शिक्षा की नयी योजना प्रारंभ की है। संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा राज्य में अवस्थित संस्कृत महाविद्यालयों को शासकीय एवं आचार्य महाविद्यालयों की सम्बद्धता प्रदान करने के साथ ही विभिन्न पाठ्यक्रमों विषयों में आचार्य उपाधि एवं पी.एच.डी. डिग्रियां राष्ट्रपतियों में अध्ययन-अध्यापन जारी किया जा रहा है। उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु पाण्डुलिपियों का संकलन, प्रकाशन, संस्कृत भाषा प्रतियोगिता आदि की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जा रही है।

वर्तमान में संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 76 अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय, 14 अशासकीय असहायकाकार/स्वनाधारित संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय, 06 राजकीय संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय, 01 भारत सरकार द्वारा अनुदानित संस्कृत महाविद्यालय तथा 01 प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा अनुदानित प्रत्यक्षिक विद्यालय इस प्रकार कुल 97 विद्यालय संचालित हैं।

18.8.2 उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्

उत्तराखण्ड– उत्तराखण्ड राज्य में संस्कृत शिक्षा की परीक्षाओं की सुचिता, वैधिक गुणवत्ता प्रणाली मूल्यांकन की व्यवस्था तथा मान्यता/सम्बद्धता प्रदान किए जाने एवं परीक्षाओं का आयोजन किए जाने हेतु उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् की स्थापना हुई है।

उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किया जा रहा है

1– प्राथमिक से उत्तर माध्यम परीक्षा (कक्षा 01 से 12 तक) तक संस्कृत विद्यालयों की मान्यता/सम्बद्धता प्रदान किया जाना।

2– प्राथमिक से उत्तर माध्यम परीक्षा (कक्षा 01 से 12 तक) तक की परीक्षा एवं परीक्षा मूल्यांकन।

3– प्राथमिक से उत्तर माध्यम परीक्षा (कक्षा 01 से 12 तक) तक की उपाधियों हेतु पाठ्यक्रम निर्धारण तथा पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन।

4– संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत आचार्यों/प्राध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना।

5– संस्कृत कक्ष, संस्कृत विद्यालयों एवं संस्कृत विद्यार्थियों के सामाजिक विकास हेतु अन्य उपाय करने से सम्बन्धित कार्य करना।

18.8.3 विभाग परक

- राज्य में राजकीय संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालयों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण।
- संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा संस्कृत विद्यालयों की वर्ष 2016 की परीक्षाओं का आयोजन।
- प्रदेश से उत्तर स्तरीय सहित एक आधुनिक वातानुकूलित वैज्ञानिक, वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक विषयों का समावेश करते हुये पाठ्यक्रम का निर्धारित एवं प्रकाशन।
- कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करना।
- संस्कृत शिक्षा निदेशालय एवं संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालयों में समान शिक्षा स्तरों पर नियुक्ति।
- संस्कृत शिक्षा निदेशालय एवं विद्यालयों में अकादमिक विकास सुविधियों स्थापना।
- संस्कृत विद्यालयों में विद्यालय संचालन, छात्र प्रवेश तथा पाठ्यक्रम शैक्षिक, सह-शिक्षण संस्कृति एवं सांस्कृतिक तथा क्रीड़ा आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- माध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण छात्र वाले संस्कृत विद्यालयों को विद्यालयी शिक्षा की भांति माध्यमा पुरस्कार प्रदान करना।
- संस्कृत विद्यालयों में छात्र संख्या वृद्धि के लिये प्रयास तथा विद्यालयों को अनुश्रवण सूची में समन्वयित करना।
- संस्कृत विद्यालयों में पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं

सोनपांडियन से लिये कार्यक्रम संचालित करना तथा अनुभव विद्वानों को पुरस्कार की व्यवस्था।

- शिक्षकों को सेवाकाल प्रशिक्षण।
- स्नातक संस्कृत विद्यालयों को मान्यता देना।
- संस्कृत विद्यालयों के विकास हेतु भवन एवं अन्य सुविधाएँ।

18.8.4 राजकीय संस्कृत विद्यालयों का सदृढ़ीकरण

1- वर्तमान में राज्य में 08 राजकीय संस्कृत पाठशाला संचालित है, जिनमें से 02 प्राथमिक कक्षाओं(कक्षा 1 से कक्षा 5) तक पूर्व 04 पूर्व माध्यम (हाईस्कूल) तक संचालित हो रहे हैं। इनमें शिक्षक/शिक्षिकेत्तर कर्मचारियों के कुल 30 पद सृजित है।

2- राज्य में राजकीय तथा स्थानीय (म्युनिसीपिलिटी) स्तर तक के पाठशालाओं में कक्षा शिक्षण की व्यवस्था अपर्याप्त(अपर्याप्त) होने तथा 01 राजकीय पूर्व माध्यम (हाईस्कूल) स्तर के संस्कृत विद्यालयों में कक्षा शिक्षण की व्यवस्था नहीं होने (कमजोर) होने तथा छात्र है।

3- इन राजकीय संस्कृत विद्यालयों हेतु समय-समय पर आवश्यकता अनुसार भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु वित्तीय पाठशालाओं द्वारा आवंटित की जाती है।

4- राज्य में 32 अशासकीय संस्कृत विद्यालय संचालित किये जाने के संबंध में कुछ ऐसे ही कारणों जैसी संस्कृत महाविद्यालय, देवीपुरा इत्यादि तथा पाठशाला होने में भी विद्यालय संस्कृत महाविद्यालय देवीपुरा का नाम अवलोकित है।

संस्कृत पाठ्य-पुस्तकों के क्रय किये जाने हेतु राज्य सामान्यतया (डिब्रीवीटि) से संस्कृत से पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन-

वर्तमान में संस्कृत विद्यालयों में प्रवेशित(कक्षा 1) से उत्तर स्नातक (हुनरदा) स्तर तक के छात्रछात्रा पाठ्यक्रम विषयों हेतु संस्कृतांकर संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा पाठ्यक्रम एवं आधुनिक विषयों हेतु एसोसिएशन्सआफ्टो एडवरमेन्ट द्वारा तैयार किया गया पाठ्यक्रम लागू है। राजकीय एवं अशासकीय पाठशाला द्वारा संस्कृत विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के अभ्यर्थी छात्र-छात्राओं को पाठ्य पुस्तक क्रय किये जाने हेतु प्रत्यक्ष लाभान्तरण (डीबीटी) के माध्यम से धनराशि भुगतान किये जाने हेतु 20 राज्य स्तरीय मुख्य शिक्षा अधिकारी/राजकीय निदेशक संस्कृत शिक्षा एवं परीक्षण के स्तरों में अवलोकित किये गये है।

18.8.5 संस्कृत शिक्षा के सेवारी छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजनाएँ– राज्य में संचालित संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालयों की परिचालित परीक्षाओं के परिणाम परिक्षाफल के आधार पर पूर्व माध्यम द्वितीय श्रेणी (हाईस्कूल समकक्ष) एवं उत्तर माध्यम द्वितीय श्रेणी (इण्टरमीडिएट समकक्ष) के संस्कृत पाठ्यक्रम में उत्तम रहने पर उत्तीर्ण होने हुए करने वाले प्रत्येक 10-15 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

अध्याय - 19
स्वास्थ्य
Health

उत्तराखण्ड राज्य में कोविड-19 एक दृष्टि में

• प्रदेश में सक्रिय संक्रमित (06.05.2022 तक) कुल 427310 कोविड-19 पॉजिटिव केसेज पाये गये हैं, जिनमें से 420052 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत 98.05 प्रतिशत है।

• वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण के 119 सक्रिय मरीज है जिनका उपचार कोविड अस्पतालों/ कोविड केयर सेन्टर/ होम आइसोलेशन में हो रहा है। कुल मरीजों की संख्या 7022 तथा कुल कोविड मृत्यों की संख्या 9454 है।

वर्तमान में सरकारी चिकित्सालयों में आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, आईसीयू एवं वेन्टिलेटर की स्थिति

S. No.	Item	Dedicated Covid Hospital (DCH)		Dedicated Covid Health Centre (DCHC)		Dedicated Covid Care Centre (DCCC)	
		Total	Occupied	Total	Occupied	Total	Occupied
1	Isolation Bed	2918	0	4064	2	20185	0
2	Oxygen Supported Bed	2435	0	3361	0	1020	0
3	ICU Bed	672	0	988	1	-	-
4	Ventilator	552	0	424	0	-	-

• उत्तराखण्ड राज्य में (दिनांक 06.05.2022 तक) कुल Government Labs की संख्या 11, Private empanelled Labs की संख्या 28, True NAT Machines की संख्या 15 तथा कोविड-19 के लिए एनुमेरेशन की संख्या 602 है।

• उत्तराखण्ड राज्य में (दिनांक 06.05.2022 तक) कुल Oxygen cylinder की संख्या 24266, Oxygen concentrator की संख्या 3813 है। जिनो चिकित्सालयों में उपचार हेतु कुल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

• अतः आयुष्मान उत्तराखण्ड/आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत किसी चिकित्सालयों में कोविड-19 के रोगियों का केशलेस उपचार भी दिया जा रहा है।

• योजना के ऐसे लाभार्थी जिनका परीक्षण कार्य नहीं किया है, उनका निःशुल्क कोर्स कोविड-19

सहमत के उपरान्त ही सम्बन्धित अस्पताल में कार्य किया जा रहा है।

19.1 कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर

• राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के लक्षणयुक्त रोगियों के लिए कोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है जिसमें कोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में सम्बन्धित विभागों करते हुये उपलब्ध प्रदान किया जा रहा है।

• प्रदेश में (30.09.2022 तक) कुल 116 चयनित कोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में है।

• राज्य के चयनित चिकित्सालयों में एल-2 सपोर्ट, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस की व्यवस्थाओं के अनुसार चयनित केन्द्रों में उपलब्ध हैं।

• कोविड के उपचार हेतु आवश्यक औषधियां चयनित केन्द्रों में उपलब्ध हैं।

• रोकथाम सम्बन्धित भारत एवं राज्य सरकार के प्राप्त गाईड लाईन की अनुसार प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च स्तर पर उपचार हेतु आवश्यक औषधियों, उपकरण एवं अन्य व्यवस्थाओं जैसे पैरासिटामोल टिप, सरदा, एम्बुल, मेनिफोल्ड ऑक्सीजन की अतिरिक्त पूर्ति आपूर्ति प्रत्येक चिकित्सालय को की गयी है।

प्रशिक्षण

प्रदेश में कोविड-19 से प्रभावित परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सालयों में आईसीयू एवं वेन्टीलेटर के संचालन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदेश में चिकित्सा स्टाफ का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जिसमें चिकित्सकों, एनेस्थेटिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक, एमएस एण्ड, सुपरिन्टेन्डेन्ट/एडीशनल सुपरिन्टेन्डेन्ट, मेडिकल ऑफिसर, डेन्टल सर्जन फीजियोथैरेपिस्ट, लेबोरेट्री टैक्निक, एक्सरे/सोनोग्राफी एवं अन्य स्टाफ सम्मिलित है।

19.2 वैक्सीनेशन कार्यक्रम हेतु प्रारम्भिक तैयारी

कोविड 19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम की तैयारी के लिए निम्नलिखित गतिविधियां पूरी कर ली गई हैं:-

• सभी 13 जिलों के जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित कर ली गई है। साथ ही ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक भी आयोजित की जा रही है।

• राज्य सरकार के दिशा-निर्देशानुसार वर्तमान में 12 से 14 वर्ष की आयु के समस्त लाभार्थियों का कोविड-19 वैक्सीनेशन किया जा रहा है। राज्य द्वारा दिनांक 05 नवं, 2022 तक 1,67,67,804 वैक्सीन डोज लगायी जा चुकी है। जिसमें राज्य के 15 वर्ष से अधिक के कुल लाभार्थियों में 79.8% प्रतिशत प्रथम डोज एवं 71.1% प्रतिशत द्वितीय डोज सम्मिलित है एवं 12 से 14 वर्ष के कुल लाभार्थियों में 71.3% प्रतिशत प्रथम डोज एवं 46.2% प्रतिशत द्वितीय डोज सम्मिलित है।

• राज्य में दिनांक 10 जनवरी, 2022 से HCW, FLW एवं 60 वर्ष से अधिक सहरुग्णता के लाभार्थियों को कोविड-19 वैक्सीन की प्रीकॉशन डोज (द्वितीय डोज लगने के नौ महीने पूर्ण होने के उपरान्त) दी जा रही है। जिसमें दिनांक 09 मई, 2022 तक कुल 3,12,215 (59.91%) लाभार्थियों को कोविड-19 वैक्सीन की प्रीकॉशन डोज दी जा चुकी है।

कोविड 19 वैक्सीन हेतु कोल्ड चेन प्वाइंट का विवरण:- राज्य में कोविड-19 वैक्सीन हेतु कुल 310 कोल्ड चैन प्वाईंट उपलब्ध हैं जो निम्नलिखित संरचना के अनुसार है:-

1.	SVS (स्टेट वैक्सीन स्टोर)	1
2.	RVS (रीजनल वैक्सीन स्टोर)	3
3.	DVS (जनपद वैक्सीन स्टोर)	13
4.	ब्लॉक/सामुदायिक वैक्सीन स्टोर)	26
5.	Peripheral CCPs (कोल्ड चेन प्वाईंट)	269

• समस्त जनपदों में कोल्ड चेन सिस्टम को मजबूत बनाने हेतु एनएचएम सपोर्ट से कोविड 19 वैक्सीन के परिवहन एवं स्टोरेज हेतु आवश्यक उपकरण की व्यवस्था की जा चुकी है।

• राज्य में वर्तमान में ILR (Ice Line Refrigerator), Deep Freezers, Walk in Cooler and Walk in

Freezers की निम्नवत उपलब्धता है–

- ILR (Ice Lined Refrigerators) 585
- Deep Freezers 642
- Walk-in Cooler 37
- Walk-in Freezers 34

19.3 राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति– कुछ वर्षों पूर्व स्वास्थ्य अधिकांश आवश्यक के लिए आवश्यकता का विषय नहीं था। किन्तु वर्तमान समय में जीवन शैली में हो रहे अत्यधिक बदलाव एवं जलवायु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य सेवाओं के जीवन का मुख्य बिन्दु है। यही कारण है रखते हुये, सभी नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय है। स्वास्थ्य संरक्षण विकास का एक मुख्य पहलू है।

तालिका 19.1
उत्तराखण्ड विजन 2030 के अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र के कुछ संकेतांक

Sl No	Indicators	2016-17	2020-21
1	IMR	38 per 1000	27 per 1000
2	MMR	201 per 1,00,000 Live birth	99 per 1,00,000 Live birth
3	Institutional Delivery	69%	83.20%
4	Number of Medico	1081	2260
5	Children (12-23 Month) fully vaccinated	71%	86.60%
6	4 ANC Visits	30.90%	81.80%
7	HHs covered under Health Insurance	15.50%	62.50%
8	All women age 15-49 Years anemic	46.40%	40.90%
9	Sex Ratio(children)	888	964

Source :- Sample Registration System (SRS) Bulletin 2021

19.4 स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन– राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में दक्षतित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने चिकित्सा प्रवेशन एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में 2020 चिकित्सक विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत हैं। जबकि पूर्व में यही संख्या मात्र 1088 थी। कोविड–19 महामारी के नियंत्रण के लिए 635 कोविड चिकित्सालय / कोविड चिकित्सालयों की तैनाती की गयी तथा 200 वेन्टीलेटर के यही पर चिकित्सकों की तैनाती हेतु चिकित्सा शिक्षा प्रवेशन अनुभाग को अधिसूचना जारित किया गया था जिसके सापेक्ष मण्डल स्तरों से लगभग से 82 चिकित्सकों की तैनाती की गयी जिसमें से 66 चिकित्सकों द्वारा अपनी सेवायान पूर्णतया प्रदान की गयी। उत्तराखण्ड में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत वर्ष का विवरण तालिका 19.2 में उल्लेखित है।

तालिका 10.2
उत्तराखण्ड में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत संयुक्त क.ख.ग. एवं घ श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों का विवरण (01 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार)

वर्ग/श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
क	1323	880	643
ख	3014	1460	529
ग	11019	5833	5286
घ	810	269	351
योग	14076	8068	6008

10.5 चिकित्सा अवसंरचनाएं : राज्य में लोगों को सस्ती एवं सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उत्तराखण्ड राज्य ने चिकित्सा सुविधाओं को पुनर्गठित, सुधारने तथा चिकित्सा इकाईयों में एकरूपता स्थापित किये जाने हेतु राज्य में प्रदर्शित प्रिमियर चिकित्सा इकाईयों को अक्षैतिरएक्सएरए मानकानुसार स्थापित किया गया है। उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं,उत्तराखण्ड प्रांतीयसशस्त्र पुलिसबल, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास जैसी सेवाएं, 13 जिला चिकिस्साधिकारी, 21 जिला चिकित्सालय, 79 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 82 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी), 535 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी), 26 अन्य चिकित्सा इकाईयों तथा 1886 एलोपैथी के संस्थान से प्रदान की जा रही हैं। दून हास्पिटल व कमिण्ड अन्य स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सा कालेज के साथ जुड़े होने के कारण वर्तमान में राज्य में उच्चतम चिकित्सा सुविधाएं विद्यमान हैं। राज्य में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध एलोपैथ संस्थानों में अत्यावश्यक उपचारार्थ, मेडिकल तथा पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाकर कार्यरत डॉक्टरों को सुदृढ़ कर रही है।

• उत्तराखण्ड में समस्त चिकित्सालयों पर सभी रोगियों को निःशुल्क सस्ता स्वास्थ्य लाभ के लिए उपलब्ध कराया गया तथा इस सुविधा के लिए राज्य के प्रत्येक जनपद स्तर पर एक कोष आवंटित कर दिये गये हैं। इस योजना को सरल बनाने के लिए सभी स्तर पर ई-पत्र तथा अकाउंटो को जोड़ दिये गये हैं। यह राज्य सरकार के विजन 2030 के अन्तर्गत राज्य की पूर्ण इच्छा को रखो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

• सरकार द्वारा पुलिस एवं आर्मड बोर्ड में चिकित्सा सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए टेली फिजिशियन एवं टेली ऐम्बुलेंसों सेवाओं को देना प्रारम्भ कर दिया है। वर्तमान में सभी सुविधा राज्य के प्रमुख चिकित्सालयों एवं चिकित्सा चिकित्सक इकाईयों पर दी जा रही हैं।

• उत्तराखण्ड की सुविधा के लिए राज्य के सभी प्रमुख चिकित्सालयों में ऑन लाईन टेली कंसल्टेशन सुविधा प्रारम्भ कर दी गयी है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत मरीज अब लोगों को घर बैठे ही चिकित्सक का Appointment लेना है एवं लेना और उन्हें लाईन में लगकर इन्तजार करने की आवश्यकता नहीं होगी।

• राज्य सरकार द्वारा चिकित्सालयों में रोगियों को इलाज होने वाले उपचार एवं उन चिकित्सकों की सलाह निःशुल्क हेतु प्रत्येक प्रमुख चिकित्सालय में ऐम्बुलेंटोरियम बैन्च लगाये गये यह मुख्यमंत्री जी को फैक्स भेजे से ऑन लाईन जोड़ गया है जिसके फलस्वरूप चिकित्सा रोगों की निःशुल्क निगरानी होगी, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणात्मक सुधार परिलक्षित होगा।

10.6 उत्तराखण्ड में वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में निम्न तालिका 10.3 तैयार की गयी है।

तालिका 19.3
उत्तराखण्ड में वर्ष 2020-21 में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति

सूचक	उत्तराखण्ड
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	577
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	79
जिला चिकित्सालय/उप जिला चिकित्सालय एवं अन्य चिकित्सालयों की संख्या	50
प्रति लाख जनसंख्या पर सरकारी अस्पतालों में शैय्याओं की संख्या	83

19.7 स्वास्थ्य आवश्यकता राज्य की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता के अनुसार राशियां का बजट निरन्तर बढ़ाती रही है। वर्ष 2020-21 में राज्य का स्वास्थ्य (एलोपैथी) का बजट प्रावधान ₹ 194268.82 लाख था, जो कि 2020-21 में ₹ 183777.82 लाख एवं संशोधित होकर वर्ष 2021-22 में ₹ 272723.56 लाख हो गया है।

तालिका 19.4
उत्तराखण्ड में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-(एलोपैथी) हेतु अनुमोदित परिव्यय, अवमुक्त धनराशि तथा उपयोग की गयी धनराशि का विवरण

(₹ लाख में)

क्रमांक	सेक्टर	वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित परिव्यय	वर्ष 2021-22 के माह मार्च, 2022 तक अवमुक्त धनराशि	31.03.2022 तक उपयोग की गयी धनराशि
1	राज्य सेक्टर योजनायें	147565.61	144306.10	115071.69
2	केन्द्र पोषित योजनायें	105158.35	88535.63	82842.46
3	वाह्य सहायित योजनायें	20000.00	20000.00	20000.00
महायोग		272723.56	232513.76	199414.35

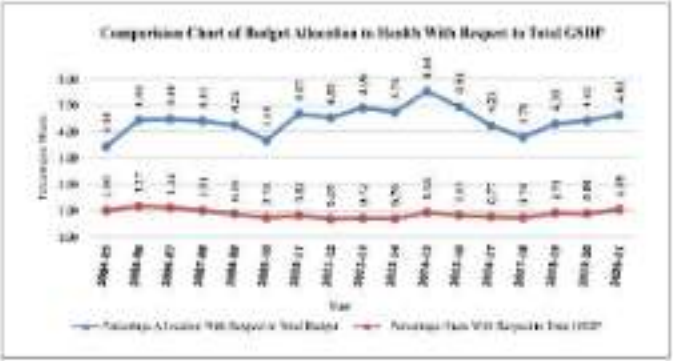

10.8 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission, NHM)— वर्ष 2021–22 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

10.8.1 राष्ट्रीय वैक्टर बॉर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम— वर्ष 2021–22 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 28605 रक्तस्राईकाओं का परीक्षण किया गया और इस अवधि में कोई भी मृत्यु का मामला प्रकाश में नहीं आया। गतवर्ष की अपेक्षा इस वर्ष मलेरिया के मात्र 13 केस ही सामने आये हैं।

10.8.2 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम— राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनवरी से दिसम्बर, 2021 में पटल 0.20 प्रति दस हजार रह गई है। 2021–22 में दौरान कुल 260 नए कुष्ठ रोगियों का पता लगाया गया जबकि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 265 गतवर्ष रोग कुष्ठ लिए गए थे। 274 कुष्ठ रोगी दवाइयाँ हैं जो विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से कुल में एम.डी.टी. इलाज ले रहे हैं।

10.8.3 राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (यू-नीवित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम)— स्वास्थ्य के अन्तर्गत प्रदेश में 13 जिला क्षय नियन्त्रक केन्द्र/सबसिन्टर 85 टीबीयू यूनिट्स, 154 माइक्रोस्कोपिक केन्द्र और 61 NAAT Site कार्यरत हैं। वर्ष 2022 में (एस जनवरी से मार्च) तक 9509 नए रोगियों को चिन्हित किया गया है। राज्य के सभी जनपदों में कार्यक्रम संचालित है। वर्ष 2021–22 में माह मार्च 2022 तक अभिसूचना स्तर पर 233 प्रति लाख आबादी से घटकर 216 प्रति लाख हुआ है।

10.8.4 राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम— यह कार्यक्रम प्रदेश में प्रारम्भ एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंग के रूप में दम्पत्युपेक्षित आवश्यकता निर्धारण पैरिति के आधार पर चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में 10870 स्थायीकरण, 34125 कुल नियोप और 0.0.सी.पी. व सी.सी. प्रयोगकर्ता क्रमशः 24941 व 47981 हैं।

10.8.5 टीकाकरण कार्यक्रम— वर्ष 2021–22 में कार्यक्रम की प्रगति निम्न तालिका–10.5 में दर्शायित है:

तालिका 19.5
टीकाकरण की उपलब्धि

(वर्ष 2021-2022)

क्र.सं.	वर्ष	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या) माह मार्च, 2022 तक	प्रतिशत
1	डीपीटी (वर्तमानी मात्रा)	204303	177015	86.6
2	पोलियो (O.P.V.)	183008	166155	90.79
3	पेन्टावेलेंट	183008	166628	91.02
4	पीसीवीटी	183008	171402	93.6
5	टैटनसटॉक्साइड	183008	118216	64.6
6	मीजिल्स वर्कोला	183000	172290	94.1

Source: HMIS (31 मार्च, 2022 तक अनंतिम डेटा पर है।)

19.5.6. रक्त सुरक्षा कार्यक्रम– प्रदेश में 51 ब्लडबैंक (ब्लड बैंक) और 19 ब्लड स्टोरेज केन्द्र स्थापित एवं कार्यशील हैं। मार्च 2022 तक राज्य में स्थापित ब्लडबैंकों द्वारा कुल 171062 यूनिट्स की एकत्रित किया गया जिसमें से 72.83 प्रतिशत यूनिट्स ब्लैकिंग एकत्रण द्वारा प्राप्त की गयी तथा कुल 1424 प्रतिशत स्वैच्छिक विधि से आयोजन किया गया।

19.5.7. कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS)– इसके अंतर्गत 52166 मधुमेह, 25227 एवम् रक्तचाप रोग से पीड़ित रोगी पाये गये। जिनका उपचार, रक्तमार्ग एवं आहरण की सुविधा प्रदान की गयी। 7737 रोगियों को रेडियोथेरेपी की सुविधा दी गयी।

19.5.8. यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ कॉमन एनसीडी (पैर सामारी रोग)– राज्य के समस्त 13 जनपदों में 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में पैर सामारी रोगों की जाँच हेतु Universal Screening For Common NCDs परियोजना का संचालन किया जा रहा है। जनपदों में समस्त चिकित्साधिकारी, सामान्यतः एएनएम एवं आशा कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है। आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा घर-घर जाकर 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में पैर सामारी रोग से सम्बन्धित लक्षणों की पहचान कर CBAC प्रपत्र में अंकित किया जा रहा है। जिसके पश्चात् उनकी स्क्रीनिंग हेतु निकटतम हेल्थकेयर केन्द्र (Health & Wellness Centre) पर भेजा जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा 49862 व्यक्तियों के CBAC प्रपत्र भरे गये हैं। जिनकी NLHP द्वारा पैर सामारी रोगों की स्क्रीनिंग की गयी तथा स्क्रीनिंग में 15237 एवम् हाइपरटेंशन, 8755 मधुमेह, 3708 कैंसर के रोग से ग्रसित मरीज पाये गये, जिन्हें उपचार हेतु उच्च चिकित्सा इकाई पर संदर्भित किया गया।

19.5.9. वृद्धजनों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE)– वृद्ध नागरिकों को मेडिसन (In-patient Departments (IPD) सेवायें उपलब्ध कराने हेतु मैनेजमेंट एवं चोट्टी महाराज के अतिरिक्त राज्य के 11 एम्सकों में 10 पेज में Geriatric Ward की स्थापना की गयी है। राज्य के 38 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रेडियोथेरेपी

पुनरिद्ध की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 28 अन्य राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों में रिमिटेंसटेरो पुनरिद्ध की व्यवस्था का कार्य गतिमान है। वर्ष 2021-22 में रिमिटेंसटेरो सुविधा के 33150 पूर्व नाविकों को ओरिएंटेड तथा 8660 पूर्व नाविकों को ओरिएंटेड तथा 695 पूर्व नाविकों को रिमिटेंसटेरो की सेवायें प्रदान की गई।

19.8.10 राष्ट्रीय औषध ज्ञान्य प्रोग्राम (NDHP):— वर्ष 2016-19 में डाक्स के व्यवस्था किया विभिन्नालयों में औषध पुनरिद्ध का शुभारंभ किया गया है तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत ज्ञान्य के 37 व्यवसायिक AIIMS बैंकों में औषध पुनरिद्ध का सुविधीकरण किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में मार्च, 2022 तक 13832 रोगियों को दवा एवं गुरुद्ध से सम्बन्धित सेवायें एवं उपचार प्रदान किया गया है।

19.8.11 मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP)— राज्य के लगभग 13 जनपदों के कुल-25 विभिन्नालयों को NIMHANS, Bangalore के सहयोग से AIIMS Rishikesh में मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में एक वर्षीय Training Program में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही जनपद में एनसीडीसी कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ (कुल-60) को AIIMS Rishikesh में NIMHANS, Bangalore के सहयोग से मानसिक स्वास्थ्य से सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 13 नये विभिन्नालयों को AIIMS Rishikesh एवं NIMHANS, Bangalore के सहयोग से मानसिक स्वास्थ्य में एक वर्षीय Training Program में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विभिन्नालयों द्वारा अपने सम्बन्धित जनपद में मानसिक रोग से पीड़ित रोगियों को उपचार प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में 8869 रोगियों को ओपीडी की सेवायें प्रदान की गयी हैं जबकि 9004 का परीक्षण किया गया।

19.8.12 महामारी की नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDI):— वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10210 व्यक्तियों के सहयोग का परीक्षण किया गया तथा 160 व्यक्तियों के प्रशिक्षण हेतु भर्ती की गयी।

19.8.13 राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम (NPCB):— वर्ष 2021-22 में मोतियाबिन्द ऑपरेशन के लक्ष्य 34055 के सापेक्ष 33812 ऑपरेशन किये गए। निःशुल्क चश्मा वितरण के अन्तर्गत स्कूल के छात्रों को 4216 व वृद्ध लोगों को 4446 चश्मे वितरित किये गये हैं।

19.8.14 राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम— वर्ष 2018 में लगाया तिहरी गवर्नर को पुनरीक्षण कुल शिक्षा परिषद किया गया तथा वर्ष 2019 में गाड़ी रक्षा को पुनरीक्षण कुल शक्ति विभाग गया। धारा लगाकर हुआ प्रश्न अध्यादेश 2019 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 को राज्य में E-Cigarette को प्रतिबन्धित किया गया है कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के लगभग जनपदों के लिए विभिन्नालयों में तम्बाकू उन्मूलन केन्द्रों की स्थापना की गयी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यालयिक अवधि पर पुनरीक्षण करते हुए चले गये 18041 व्यक्तियों का प्रावधान किया गया है, जिसमें ₹ 1168280.00 की धनराशि वसूल की गयी। इसके अतिरिक्त तम्बाकू त्याग उन्मूलन केन्द्र में पुनरीक्षण की दर से छुटकारा दिलाने हेतु कुल व्यक्तियों 1045 को परामर्श प्रदान किया गया तथा 4867 व्यक्तियों को निर्धारित विधान दिलाया गया।

19.8.15 पक्षाघातजी राष्ट्रीय आयोजिसिस कार्यक्रम— राज्यीय विभिन्नालयों में निःशुल्क व गुणवत्ता दवा से आयोजिसिस की सुविधा प्रदान कराने के उद्देश्य से अंतर्गतेनेशन विभिन्नालय, देहरादून एवं देव विभिन्नालय, हल्द्वानी में वर्ष 2017 में स्थापित दो आयोजिसिस केन्द्रों के अतिरिक्त राज्य के 08 जनपदों में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में 07 नये आयोजिसिस केन्द्रों (जिला विभिन्नालय, रुद्रपुर,

सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों, बीजापुर मलेथना कॉलेज, जिला चिकित्सालय सहदेवपाल, जिला चिकित्सालय जगदलपुर, जिला चिकित्सालय कोण्डागाँव एवं जिला चिकित्सालय नारायणपुर) की स्थापना का संचालन किया जा रहा है। राज्य के कुल 11 कार्यरत चिकित्सालयों (जिला चिकित्सालय कांकेर, टीकरापारा सर्वसुविधा (मर्यादित), जिला चिकित्सालय बालोद, दुर्ग जिला चिकित्सालय मोहभाटा (टिकरी रायपुर), जिला चिकित्सालय धमतरी, सामुदायिक चिकित्सालय रामानुजगंज, सामुदायिक चिकित्सालय प्रेमनगर (रेलवे), जीपीएम जिला चिकित्सालय गौरेला, जिला चिकित्सालय पेन्ड्रारोड (गौरेला-पेन्ड्रा), जिला चिकित्सालय कोरबा पहाड़ एवं जनरिक्त चिकित्सालय खरौना (जांजगीर चांपा) में भी डायलिसिस केन्द्रों को संचालित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुल 1209 रोगियों को डायलिसिस की सुविधा प्रदान की गयी। कुल 88247 डायलिसिस सेशन किये गये हैं।

19.8 हेल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर (Health and Wellness Center)– भारत सरकार की कार्ययोजना के अन्तर्गत राज्य उपकेन्द्रों एवं हेल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर में उपलब्ध किया जाता है। इस हेतु प्रत्येक हेल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर में एक मेल सेवा हेल्थ प्रैक्टीशनर को नियुक्त किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2021–22 तक 13 जनपदों में कुल 1402 हेल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टरों का उन्नयन/संचालन किया गया है, एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 में शेष दो जनपदों में कुल 1005 हेल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टरों को स्थापित किया जाना है। एनएचएम के अन्तर्गत कुल 1439 उपकेन्द्रों को हेल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर के रूप में वर्ष 2022–23 तक उपयोगकृत करने की प्रक्रिया गतिमान है। मार्च माह 2022 तक कुल 1005 मिड लेवल हेल्थ प्रोवाईडर (MLHP: Community Health Officer) कार्यरत हैं। संचालित 12 कार्टेगरीज में से क्रम सं 01 से 07 तक की कार्टेगरीज उपचार नहीं दी गई हैं। शेष कार्टेगरीज वित्तीय वर्ष 2022–23 से प्रारम्भ की जानी हैं।

19.9.1 आशा कार्यक्रम– वर्तमान में राज्य के अन्तर्गत कुल 12018 आशा कार्यकर्ती कार्यरत हैं। आशा सॉफ्ट स्टूडवेयर में आशा कार्यकर्तियों से जानकारी ले आवश्यकतानुसार सुधारित हेतु 808 आशा फैसिलिटेटर्स, 101 ब्लाक कोर्डिनेटर व 10 जिला कम्प्यूटर्स नोडिलाइजर का चयन किया गया है। आशा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में आशा कार्यकर्तियों व आशा फैसिलिटेटर्स को 6369 स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गये हैं जिसकी द्वारा सम्पूर्ण डेटा को ई-सर्वेलेन्स के द्वारा घर पर ही ऑनलाईन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

19.9.2 डीएचएमएचएनटीसी– राज्य के अन्तर्गत 14845 डीएचएमएचएनटीसी (ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति) का गठन किया गया है। एक ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति में लगभग 15 सदस्य रखे गये हैं। समिति की अध्यक्ष गांव की महिला सरपंच/पंच होती/ए व सचिव आंगन आशा कार्यकर्ती को बनाया गया है। ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की मासिक बैठकों में ग्राम स्वास्थ्य कार्ययोजना तैयार की जाती है, एवं स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धित काम दिये जाते हैं तथा समुदाय एवं पंचायत स्तर लोगों को सम्बोधित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कोविड–19 संक्रमण के दौरान डीएचएमएचएनटीसी के अन्तर्गत अनलाईन प्रणाली से समिति के सदस्यों के द्वारा गांव के संक्रमणग्रस्त लोगों को मास्क, सैनिटाईजर आदि सामग्री प्रदान की गई।

19.10 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (National Urban Health Mission-NUHM)– नगरीय क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। इसमें नगरीय क्षेत्र के चिकित्सालयों में रोगियों का बढ़ता बोझ कुछ हद तक

उन्हें निदानात्मक जांच एवं बेहतर चिकित्सक सुविधा दी जा रही है। उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कुल 38 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस केन्द्र द्वारा कम्युनिटेबल्स सैलीसिलिक एसिड एवं 11 पार्मेसेट संबंधी निम्नलिखित सेवायें पर 01 जून 2019 से संचालित किए गए हैं–

तालिका 19.9
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के संचालन केन्द्र

क्रमांक	शहर	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) राज्य के 38 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर संचालित किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नवत है–
1.	देहरादून	1. गढ़वाली (सेटलमेंट) 2. न्यू दिल्ली कॉलोनी 3. दूधली 4. दीनदयाल 5. स्वरूपनगर 6. चुक्खुवाला (आईडीपीएल) 7. रायपुरिया 8. नाहल/सहस्त्रधारा 9. करनी 10. नालापानी 11. तिब्बत नगरी 12. सीमाद्वार।
2.	ऋषिकेश	1. अरकंडाई 2. शक्ति नगर।
3.	हरिद्वार	1. ज्वालापुर-1, 2. ज्वालापुर-2, 3. रिवाली 4. रामनगर 5. भूपतवाला 6. रामनगर कालोनी
4.	रुड़की	1. अर्जुनपुरा 2. चन्द्रपुरी 3.रामपुर 4.महीडाक 5.पुरानी छावनी 6.सलेमपुर।
5.	कोटद्वार	1.कोटद्वार 2. सतपुल 3.नैनी खाल 4.दरबानपुल।
6.	डालनवाला	1.डालनवाला
7.	काठगोदाम	1.टी0 गैस 2. लालपुर 3. जेल
8.	अल्मोड़ा	1.मोहल्ला 2. अल्ड खेत
9.	नैनीताल	1.नैनीपुरा
10.	मोतीहारी	1.मोतीपुरा

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक कुल एएनसीएनसीसी की संख्या 38, कुल जनसंख्या लाभार्थी की संख्या 838318, कुल पंजीकृत एएनएम की कुल संख्या 28733, कुल जीव एकत्रित की संख्या 166818 तथा यूआरटी एनसीडी की कुल संख्या 8082 है।

19.11 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम: राज्य के सभी 13 जनपदों में 148 मोबाईल टीमें गठित कार्य कर रही हैं। मोबिल एवं बाल विवाह, विवाह तथा सामाजिक कलंकों के समस्या से संबंधित इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों को तृतीयक स्तरीय स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था के तहत हिन्दायन हॉस्पिटल एण्ड, सिमी सान्त, एम्स चिकित्सालय, ऋषिकेश, श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज, बरेली, दून चिकित्सालय, देहरादून, सिमा जॉइन्ट देहरादून, कार्डिट इंडिया देहरादून/हल्द्वानी में निशुल्क सुविधा दी जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 43 बच्चों के दिल का ऑपरेशन, 20 बच्चों का न्यूरल ट्यूब सिकेक्ट, 21 बच्चों को लम्बी

की गयीं, 42 बच्चों को आर्थोसेस में मोडिफाईड 43 बच्चों ने आर्थो हुआ एवं शामिल 241 टिके वे जाते बच्चों को Special Shoes पेयर विकलांग सुविधा उपलब्ध कराई गई।

तालिका 19.7
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) की प्रगति वर्ष 2021–22

राज्य	लक्ष्य	कवित जांचें	प्रतिशत
छत्तीसगढ़	1139555	802054	70
अन्य राज्य	956133	215282	27

19.12 राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाएं

19.12.1 लोक निजी सहभागिता (Public Private Partnership,PPP): राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक सुदृढ़ व प्रभावी बनाने हेतु लोक निजी सहभागिता (Public Private Partnership, PPP) के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्नांकित है–

19.12.1.1 गर्भनालछेदविहिन यूनिट:– राज्य में 02 विकिलालयों (03 दीन दयाल उपाध्याय विकिलालय देवपुर व बेल विकिलालय दन्तेवाड़ा) में गर्भनालछेदविहिन यूनिट वर्ष, 2017 से मां अनुबन्ध के अन्तर्गत संचालित की जा रही हैं। अनुबन्ध के अनुसार वीसीएलएम व एक्सलूडर्स से गर्भवती को पूरक जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में दोनों विकिलालयों में कुल 35504 गर्भवतियों की जा चुकी है, जिसमें 15252 वीएचएलएम गर्भवती को लाभ प्राप्त हुआ है।

19.12.1.2 कार्डियक केयर यूनिट:– राज्य के 03 विकिलालयों (03 दीन दयाल उपाध्याय विकिलालय देवपुर,बेल विकिलालय, दन्तेवाड़ा व एलएचवी मदर विकिलालय, कांकेर) में कार्डियक केयर यूनिट का संचालन किया जा रहा है।

19.12.1.3 दीन दयाल उपाध्याय विकिलालय देवपुर में कार्डियक सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है, वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस यूनिट में कुल 5,999 ओपीडी(ओ) तथा 142 सर्जरी की जा चुकी है।

एलएचवी मदर विकिलालय कांकेर में कार्डियक सुविधाओं प्रदान की जा रही है। उक्त यूनिट का संचालन दिनांक 22 नवम्बर2019 से किया जा रहा है।

19.12.1.3 100 आपातकालीन सेवा:– राज्य में आपातकालीन सेवा के अन्तर्गत कुल 271 एम्बुलेंस तथा 01 वॉटर एम्बुलेंस संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 31 मार्च 2022 तक कुल 158271 गर्भवतियों को 108 आपातकालीन सेवा का लाभ प्रदान किया जा चुका है।

19.12.1.4 राज्यीय एलोपैथिक विकिलालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपकेन्द्र:– राज्यीय एलोपैथिक विकिलालय छत्ती, जनरल कांसेप्ट का डी–बीमो आधार पर 'ए इस आरएसबीवाय' को हस्तान्तरित कर दिया गया एवं उनके द्वारा केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। राज्यीय एलोपैथिक विकिलालय धमतरी को डी–बीमो आधार पर एम्स–ऋषिकेश को हस्तान्तरित कर दिया गया एवं उनके द्वारा केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र– सारंगढ़ तथा पाली को भी डी–बीमो आधार पर एम्स–ऋषिकेश द्वारा संचालित किया जाना प्रस्तावित है। उप केन्द्र रामगढ़ खोला लालपुर देवपुर को भी डी–बीमो आधार पर एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित किया जाना है। अतः उक्त विकिलालयों हेतु अनुरक्षण हस्तान्तरित कर दिया गया है एवं विकिलालयों के संचालन की कार्यवाही जारीरत है।

19.12.1.5 राज्य स्तरीय सहायता निधि योजना वित्तीय वर्ष 2020–21 से प्रारम्भ की गयी है।

19.12.1.6 रैन बसेरा:– जिला विकिलालयों /

मेडिकल कॉलेजों/संयुक्त मेडिकल अस्पतालों के द्वारा किए गए सभी दावों को प्रदेश से बाहर नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान, सफदरजंग चिकित्सालय, जीबी पंत मेडिकल कॉलेज व अन्य चिकित्सालयों में उपचार कराये जाने हेतु उनके साथ उनके डॉक्टरों को अधिक खर्च की व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2007 से फरवरी, 2022 तक 6716 दीनदयाल/दीनी योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।

19.13 स्वास्थ्य बीमा योजना:- राज्य में निम्न बीमा योजना संचालित की जा रही है –

19.13.1 अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना:- उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों की बीमारी के इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती होने पर प्रत्येक प्रति परिवार ₹ 5 लाख तक का निःशुल्क चिकित्सा उपचार (जहाँ होने की दशा में) उपलब्ध कराया जा रहा है।

दिनांक 01 जनवरी 2021 से उत्तराखण्ड के राजकीय कार्मिक एवं पेंशनर एवं उनके आश्रितों के लिए "राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना" संचालित है जिसके अन्तर्गत प्रति वर्ष प्रति परिवार असीमित निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड राज्य देश का प्रथम राज्य है जिसने अपने सम्पूर्ण जनमानस को इस योजना में सम्मिलित करते हुए 'Universal Health Coverage' प्रदान की है।

19.13.2 गोल्डन कार्ड बनाये जाने की व्यवस्था लाभार्थियों के E-Card (Golden Card)/ गोल्डन कार्ड/ आयुष्मान कार्ड बनाये जाने वाले परिवारों का डेटा बेस तैयार किया जा रहा है। डेटा बेस के अनुसार प्रदेश के लगभग 25 लाख परिवारों में से BSL, ECHS तथा CGHS के लगभग 06 लाख परिवारों को छोड़कर 19 लाख परिवारों के गोल्डन कार्ड बनाये जाने हैं। 19 लाख परिवारों में से, जिनमें 03 लाख परिवार राजकीय सेवक/पेंशनर के सम्मिलित हैं, के सापेक्ष कुल 18.20 लाख परिवारों (कम से कम एक सदस्य) के 42.66 लाख गोल्डन कार्ड बनाये जा चुके हैं।

- प्रदेश के योजना के लागू होने से अभी तक 42.66 लाख गोल्डन कार्ड (18 लाख परिवारों के सदस्य) द्वारा विभिन्न अस्पतालों में गोल्डन कार्ड बना लिये गये हैं।
- राजकीय सेवकों/पेंशनरों एवं उनके आश्रित परिवारों को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत निःशुल्क चिकित्सा लाभ प्रदान करने हेतु दिनांक 18 नवम्बर 2020 से SGHS गोल्डन कार्ड बनाए जाने का कार्य वर्तमान तक संचालित है। अब तक 4.30 लाख राजकीय कार्मिक/पेंशनर एवं उनके आश्रितों के गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं।

19.13.3 गोल्डन कार्ड बनाये जाने में प्रदेश का देश में दूसरा स्थान:-

- प्रदेश के 36 जनपदों परिवारों के एक से अधिक सदस्यों के गोल्डन कार्ड बनाये जा चुके हैं। NHA के अनुसार SECC डेटा बेस के कुल परिवारों में से 80% परिवारों के गोल्डन कार्ड बना कर अधिकतम परिवारों के गोल्डन कार्ड बनाने में उत्तराखण्ड राज्य का केरल प्रदेश के बाद देश में दूसरा स्थान है।
- **19.13.4 गोल्डन कार्ड बनाये जाने में उत्तराखण्ड राष्ट्रीय औसत से कई गुना आगे:-**
- सम्पूर्ण देश में 12 करोड़ गोल्डन कार्ड बने हैं। उत्तराखंड में 43 लाख कार्ड बने हैं। प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की 1 प्रतिशत है। अतः इस दृष्टि से प्रदेश में बने कार्ड राष्ट्रीय औसत से 3 गुना अधिक हैं।
- इसी प्रकार सम्पूर्ण देश में 6 करोड़ परिवार गोल्डन कार्ड से आच्छादित हैं। प्रदेश में 18 लाख परिवार गोल्डन कार्ड से आच्छादित हैं। प्रदेश में परिवारों की संख्या देश के कुल परिवारों की संख्या का 1 प्रतिशत है। इस दृष्टि से प्रदेश में आच्छादित परिवार राष्ट्रीय औसत से 3 गुना अधिक हैं।

19.13.5 चिकित्साउपचार में उपचार व्यवस्था:–

• गम्भीर बीमारी जो उनकी माँ के गर्भधारण काल में उपचार की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

• इलाज के बाद इलाज कराने हेतु मेडिकल रीइम्बर्समेंट की सुविधा अब अनुमान्य खर्च-आयवर्ग तक लाभान्वित योजना/अटल आयुष्मान राजस्थान योजना एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना के समान पात्र लाभार्थियों हेतु अनुमान्य है।

• अस्पताल में भर्ती होने के लिए जारीकर्ता निकाय के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

19.13.6 लाभार्थियों को उपचार सुविधा:–

• लाभार्थियों को ₹ 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष कैशलेस पद्धति के तहत पैनलबद्ध में भर्ती होने पर अथवा डे केयर प्रोसीजर के लिए गुणवत्ता चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। यही राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत राजकीय चिकित्सालय/संस्थानों एवं उनके अधिकृत चिकित्सों हेतु अतिरिक्त गुणवत्ता चिकित्सा सुविधा का प्रावधान है।

• योजना के अन्तर्गत विभिन्न बीमारियों के लिए 1870 पैकेज निर्धारित हैं।

• यदि इन 1870 पैकेज के अतिरिक्त अन्य कोई बीमारी है तो उसके लिए ₹ 1.0 लाख की सीमा तक Unspecified Package का भी प्रावधान है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत राजकीय कार्मिकों/पेंशनरों एवं उनके अधिकृत परिवारों हेतु Unspecified Package की छूट नहीं है।

• पैकेज के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पूर्व से डिस्चार्ज होने के 15 दिन तक की दवाइयों सहित भर्ती के दौरान अस्पताल के सभी उपचार सम्बन्धी खर्च (ICU के सहित अतिरिक्त) सम्मिलित हैं।

19.13.7 योजना के अंतर्गत रोगियों को उपचार प्रदान करवाने में राज्य की उपलब्धियाँ:

• अटल आयुष्मान राजस्थान योजना से अगस्त 2019 तक 5.1 लाख परिवारों का विभिन्न डीसीज़ेज के लिए निःशुल्क इलाज संभव हुआ है, जिसमें ₹ 765 करोड़ की धनराशि निहित है।

• यह योजना 43 हजार से अधिक लाभार्थियों के लिए जीवन दायिनी साबित हुयी है। जिसमें हार्ट सैक, न्यूरो सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर, बर्न, एक्सिडेन्टल केस आदि का उपचार करवाकर रोगियों की जीवन रक्षा का कार्य किया गया है।

• 112454 लाभार्थियों को पेडियाट्रिक पैकेज जैसे हाइपरटेंशन, सेरिब्रोवेस्कुलर, एपिलेप्टिक फीवर, एक्यूट डायरहाल इलनेस, वर्टीगिनस सीजर, डेंगू फीवर, डीहाइड्रेटी, एनीमिया, निमोनिया, ब्रेन सम्बन्धी बीमारियां, आदि का उपचार उपलब्ध कराया गया है।

• 33773 लाभार्थियों को डायग्नोसिस का लाभ उपलब्ध कराया गया है। इसमें सोनोग्राफी, एकोकार्डियोग्राफी, एक्सरे, कार्डियोग्राम का उपयोग, सिटिस्कैन, हाइड्रोसीलेस, आदि की डायग्नोसिस की गयी है।

• 12280 इलेक्ट्रो रोगियों की स्क्रीन, एपिलेप्टोलाजी, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन, पेस मेकर तथा थ्रोम्बो फ्लेक्टमी का उपचार किया गया है।

• 4888 रोगियों को न्यूरो सर्जरी में ब्रेन ट्यूमर, क्रेनियोटामी, न्यूरोनल सीज आदि का उपचार दिया गया है।

• 4410 बुरी रोग से ग्रसित महिलाओं को 1.0 लाख से भी अधिक का कार्डियोलिस की सुविधा से रोगियों को जीवन दान दी है।

• 32880 कैन्सर रोगियों के लिए यह योजना जीवन दायिनी साबित हुयी है। इसमें रोगियों को ब्लोडोरेडी, रेडियोथेरेपी, कैन्सर सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर, स्किन ट्यूमर आदि का उपचार किया गया है।

• 17838 हड्डी रोग से ग्रसित लाभार्थियों को सुलझा एवं मुलक डिसलोकेशन, एम्प्यूटेशन, फ्रेक्चर, ऐसिड डिसलोकेशन आदि की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

• 15000 मरीजों को सिंगल डिजिटल, डिजिटल, लैपरोस्कोपी, एंडोस्कोपी आदि की सुविधा उपलब्ध कराकर रोग का निदान किया गया है।

• 11021 रोगियों को पुरोहोतों की विभिन्न बीमारियों से निजात दिलाई गयी है।

• 630 रोगियों को कर्क रोग से उपचार की सुविधा दी गयी है।

19.13.8 राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना– योजना के अंतर्गत दिनांक 01 जनवरी 2021 से 24334 लाभार्थियों का विभिन्न बीमारियों के लिए नियुक्त इलाज संपन्न हुआ है, जिसमें ₹ 53 करोड़ की धनराशि निहित है।

योजना से अंतर्गत गोल्डन कार्ड का प्रयोग पंजीयन राज्य के इस चयनित्त अस्पताल जायसा चिकित्सालय, रामपुरी, देहरी नंबर 01 द्वारा किया गया।

अस्पतालों में क्लेम भुगतान में उत्तराखण्ड देश में प्रथम

सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी अस्पतालों द्वारा भुगतान हेतु 4 लाख 40 हजार क्लेम फाइल किये गये। इनमें से 4 लाख 40 हजार क्लेम का भुगतान किया जा चुका है। अस्पतालों के साथ हुए अनुबंध के अनुसार 15 दिन में क्लेम के भुगतान की व्यवस्था है। जबकि हिमकेयर 7 दिनों के भीतर क्लेम का भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। 4 लाख 40 हजार में से केवल 20000 क्लेम ऐसे हैं जो जांच में होने के कारण 7 दिनों से अधिक अवधि में भुगतान हेतु लंबित है।

अस्पतालों को क्लेम की धनराशि का भुगतान करने की दृष्टि से उत्तराखंड संपूर्ण देश में प्रथम स्थान पर है।

19.14 उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट फैसिलिटेशन– उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्तीकरण हेतु उत्तराखण्ड हेल्थ सिस्टम डवलपमेंट फैसिलिटेशन की कुल लागत 375 मिलियन यूरो/रू. करीब ₹ 638 करोड़ है जिसमें से जिस में ₹ द्वारा 70 मिलियन यूरो/रू. करीब की जीपी की पूर्ति की गई है तथा शेष 175 मिलियन यूरो/रू. करीब उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इस परियोजना की कुल अवधि 6 वर्ष है। उक्त क्रम में भारत सरकार, उत्तराखण्ड सरकार तथा विश्व बैंक द्वारा दिनांक 23 मार्च 2017 को हस्ताक्षर किया गया।

उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट फैसिलिटेशन की कार्य योजना निम्न प्रकार तैयार की गई है।

19.14.1 प्रदेश के पर्वतीय तथा संसेवित क्षेत्रों में विशेषज्ञ सुविधायें उपलब्ध कराना– इस उपघटक में चिन्हित जनपदों में लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत जनपद के दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालय को एक पैकेज के रूप में संचालित किया जायेगा जिसमें चिन्हित चिकित्सकों को भर्तीकर हेतु मेडिकल हैल्थ टीम की सहयोग का एक हिस्सा होगी।

(अ) दिल्ली क्लस्टर– जनपद टिहरी के दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालय के संचालन हेतु निविदा के आधार पर सर्वोत्तम हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट के सहयोग से जिला चिकित्सालय, टिहरी गार्ड 23 को संचालित किया जा रहा है।

1. जिला चिकित्सालय, टिहरी जिसमें सभी में सामान्य रोग चिकित्सा में ऐसोसिएट मोड में चिकित्सालय के आने से पूर्व की अवधि में OPD की तुलना में दिनांक मार्च 2020-21 में 1328 तथा सितंबर

वर्ष 2021–22 में बढ़ कर 1748, वित्तीय वर्ष 2019–20 में 3 सीजेरियन प्रसव की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020–21 में 173 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में यह बढ़ कर 275 सिजेरियन प्रसव हुये हैं।

जिला चिकित्सालय, चौरासी, सिटी में सीएचसी स्केल वीसी आरक्षित यहां सुविधा की उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में 307 सीएचसी स्केल से संस्थागत डिलीवर वर्ष 2020–21 में 704 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में बढ़ कर 813 सीएचसी स्केल किये जा चुके हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवप्रयाग एवं बेतेलपर आदित 2018 से उपलब्ध किये गये।

2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेतेलपर में वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रथम बार 20 सिजेरियन प्रसव, तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में बढ़ कर 31 सिजेरियन प्रसव कराये गये हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेतेलपर में पीएमएसयू ब्लॉक में जाने से पूर्व शून्य अल्ट्रासाउन्ड के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में 2305 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में बढ़ कर 2695 अल्ट्रासाउन्ड किये गये हैं।

3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवप्रयाग में भी प्रथम बार 40 सीजेरियन प्रसव वित्तीय वर्ष 2020–21 में तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में बढ़ कर 51 सीजेरियन प्रसव कराये गये हैं। यहां भी क्रमशीय रूप से अल्ट्रासाउन्ड की सुविधा की उपलब्ध कराई जा रही है। इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवप्रयाग में पीएमएसयू यूनिट में जाने से पूर्व शून्य अल्ट्रासाउन्ड के माध्यम वित्तीय वर्ष 2020–21 में 561 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में बढ़ कर 226 अल्ट्रासाउन्ड किये गये हैं।

(ब) सामान्य क्लस्टर– सामान्य क्लस्टर के संचालन हेतु निविदा प्रक्रिया के आधार पर मेसर्स प्रयास के रूप में तृतीय संयोग संवेदना प्रोजेक्ट एलएलपीए को कार्यादेश दिया गया।

1 प्रथम क्लस्टर के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग को 1 जुलाई 2020 से हेलिकाप्टर किया जा चुका है। इस क्रम में अगस्तमुनि, अगुस्त्य चिकित्सालय में पीएमएसयू यूनिट में जाने से पूर्व की अवधि में माह जुलाई 2019 से जून 2020 में कराये गये 311 शून्य चिकित्सा के सापेक्ष जुलाई 2021 से माह जून 2021 तक 1883 संस्थागत शून्य चिकित्सा एवं माह जुलाई 2021 से मार्च 2022 तक जून 2023 शून्य चिकित्सा, संस्थागत प्रसव में माह जुलाई 2019 से जून 2020 में कराये गये 758 संस्थागत प्रसव के सापेक्ष जुलाई 2021 से माह जून 2021 तक 948 संस्थागत प्रसव एवं माह जुलाई 2021 से मार्च 2022 तक कुल 737 संस्थागत प्रसव, पीएमएसयू यूनिट में जाने से पूर्व प्रथम बार माह जुलाई 2020 से माह जून 2021 तक कुल 213 सीजेरियन प्रसव तथा जुलाई 2021 से मार्च 2022 तक कुल 264 सीजेरियन प्रसव किये गये हैं।

2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिरोड़ाखाल का लोक निर्माण विभाग/निविदा के आधार पर दिनांक 28 जनवरी 2021 से क्रियान्वित किया जा चुका है। जनवरी 2021 से मार्च 2022 तक उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में 21982 ओपीडी/ई, 788 आईपीडी/ई, 80 मेजर तथा 153 माइनर सर्जरी, 225 संस्थागत प्रसव, 44 सीजेरियन प्रसव, 2021 एक्स-रे तथा 13407 जैव रासायनी की जा चुकी हैं।

3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कीर्तिखाल का संचालन दिनांक 29 मार्च 2021 से किया जा रहा है। 29 मार्च 2021 से माह मार्च 2022 तक 12009 ओपीडी/ई, 268 आईपीडी/ई, 1631 एक्स-रे एवं 3323 जैव रासायनी एवं प्रथम बार मार्च 2021 से मार्च 2022 तक 253 गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउन्ड किये जा चुके हैं।

(स) चौथी क्लस्टर– चौथी क्लस्टर के संचालन हेतु निविदा प्रक्रिया के आधार पर मेसर्स प्रयास के रूप में की गयी एवं उक्त चिकित्सा संचालन को दायित्व वर्ष दिनांक 17.06.2020 अनुबन्ध को हस्ताक्षरित किया गया। उक्त क्लस्टर के अंतर्गत जिला चिकित्सालय चौबटा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रानी का रासायन होक निजी साझेदारीय के आधार पर 01 फरवरी, 2021 से तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

पत्रिकाओं एवं समाचार विभाग 05 फरवरी, 2021 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

1. जिला चिकित्सालय, बीड़ी में माह फरवरी 2021 से माह मार्च 2022 तक में 83827 ओ०पी०डी०, 2150 आई०पी०डी०, 322 मेजर तथा 643 माइनर सर्जरी, 623 सोनोग्राफी प्रकरण, 103 डीलीवरीज प्रकरण, 14664 एक्स-रे तथा 126118 टैब लाभ, 6212 अल्ट्रासाउण्ड तथा 670 पैथोलॉजी स्कीम किये जा चुके हैं।

2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाली में माह फरवरी 2021 से माह मार्च 2022 तक 17506 ओ०पी०डी०, 602 आई०पी०डी०, 278 सोनोग्राफी प्रकरण, 1023 एक्स-रे तथा 1999 टैब लाभ एवं प्रसव हेतु 257 गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउण्ड किये जा चुके हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटिलाल में माह फरवरी 2021 से माह मार्च 2022 तक 9041 ओ०पी०डी०, 227 आई०पी०डी०, 4600 लैब लाभ, तथा 224 डीलीवरीज एवं 1449 एक्स-रे एवं प्रसव हेतु 166 गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउण्ड किये जा चुके हैं।

10.14.2 स्वास्थ्य इकाईयों का सुदृढ़ीकरण:– इस घटक का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य केन्द्रों की परिचालन क्षमता बढ़ाने हेतु आवश्यक संसाधन यानी में एन0ए0बी0एच0 गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति, स्वास्थ्य सेवा प्रदान तथा राज्य के साथ एकीकरण की क्षमता से जिलों को लाने पर केन्द्रित होना तांकि प्रशिक्षण मेडिकल इकाईयों की राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उपलब्धता हो सके। इसमें अतिरिक्त राज्य की आवश्यकता के अनुसार प्राथमिक जरूरतों की सिद्धी में आपदा प्रबन्धन तंत्र, घटक पुर्नस्थापना की कम करने तथा जन्म पंजीकरण जैसे, रक्त जांचों तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों हेतु क्षमता के प्रावधान, आदा जलापूर्ति और आपातकाल प्रबन्धन आदि की उक्त सम्पादक का महत्वपूर्ण अंग होंगे।

1. National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers (NABH):– इस घटक के अन्तर्गत चयनित पीएम जनमंदिर सह चिकित्सालयों (जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, बालोतरा एवं जिला मेडिकल चिकित्सालय सिरोहगंज) NABH गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति के लिये उपरोक्त चिकित्सालयों को NABH मानीत मानकों तक लाने के लिये Gap Assessment के माध्यम से डीकमिशनिंग का अनुपालन सहज द्वारा कर प्रोजेक्शंस हेतु प्रक्रिया गतिमान है। जबकि NABH प्रमाणन एवं चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण लगभग ₹ 74.4 करोड़ की लागत से जुलाई, 2022 तक पूर्ण किये जाना है।

- चिकित्सालयों की Gap Assessment
- NABH Accreditation की कार्य योजना।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)
- Project Interim Report
- Project Draft Report

Gap Analysis Report के आधार पर NABH Accreditation तक पहुँचने के लिये Turn Key Basis पर कार्य प्रगतिमान है। इस क्रम में प्रत्येक जिला चिकित्सालय में 10 विशेषज्ञ चिकित्सक, 10 स्टाफ नर्स, 2 लैब टेक्नीशियन, 1 एक्स-रे टेक्नीशियन एवं 1 व्हीलचेयर (मैट्रन) दैनता किये जाने का प्रावधान है जिसके संबंध कार्यालय तक नियत किए जा चुके मेडिकल तथा पैरामेडिकल स्टॉफ का विवरण निम्नवत है।

जिला चिकित्सालय– जालोर, जिला चिकित्सालय –बालोतरा, जिला चिकित्सालय– सिरोहगंज जिला मेडिकल चिकित्सालय– सिरोहगंज, जिला चिकित्सालय –सदरबाजार में जिलेवार चिकित्सकों के 50 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 29 पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जा चुकी है। इसी प्रकार मैट्रन 34/05 एवं एक्स-रे टेक्नीशियन के स्वीकृत कुल 30/05 पदों के सापेक्ष क्रमशः की पूर्ण नियुक्ति की जा चुकी है। स्टाफ नर्स के स्वीकृत 55 पदों के सापेक्ष पूर्ण नियुक्ति की जा चुकी है। लैब टेक्नीशियन के 10 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 09 पदों पर पूर्ण नियुक्ति की जा चुकी है। इस समस्त रिक्त पदों को भरे जाने हेतु नियमित कार्यवाही गतिमान है जहां तक पीसीपीएनडीटी एक्ट प्रशिक्षण जिला जालोर है जिसमें यह चिकित्सालय गुणवत्ता के उपलब्ध मानक NABH प्रमाणन की प्राप्त कर सके। उक्त चिकित्सालयों में

कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों का एनएमसीएस्पायरेशनल मेडिसिन जिलों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा एनएमसीएचक्षेत्र के अधिकारियों द्वारा चार अक्टूबर, 2023 से जिला चिकित्सालय अलवर का ग्री एसोसाईट प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, एवं शेष 04 आकांक्षा जिला चिकित्सालयों से प्रशासित है, उपरोक्त एनएमसीएच0 प्रशासन प्रक्रिया पूर्ण किया जाना है।

2. ट्रेनिंग वीज एसोसियेन्ट– इस क्रम में बाईमेडिकल वेस्ट प्रबन्धन प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है। ट्रेनिंग कार्यशालाओं आयोजन के आधार पर सहायक स्टाफ को सभी वैज्ञान की बायोमेडिकल वेस्ट पृथक्करण प्रक्रियाओं के क्रम में एक ट्रेनिंग एजेन्सी का चयन पूर्ण कर लिया गया है, एवं प्रशिक्षण लगभग ₹ 15 लाख की लागत से जुलाई 2023 तक पूर्ण किया जाना है।

3. शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण– राजस्थान चिकित्सा के प्रशासनिक पदों (GMO, CMHO, ADMO आदि) के उन्नयन कौशल उन्नयन हेतु शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान IIHMR Jaipur एवं AIIH Hyderabad के माध्यम से 62 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

4. कम्यूनिकेशन स्किल्स कौशल– कम्यूनिकेशन स्किल्स प्रोग्राम संचालित राज्यों के माध्यम से लोक निजी उद्यमशीलता के अंतर्गत राजकीय चालक चिकित्सा इकाईयों में पूर्ण की जा चुकी है।

5. डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान अपडेट– इस हेतु संबंधित स्तर की जिला से विशिष्ट प्रक्रिया गठित है।

5. कोविड–19 पैकेज– इस पैकेज के अन्तर्गत कोविड–19 प्रबंधन में लगातार हेतु जिला वैद्य के स्तर से निम्नलिखित पैकेज में मेडिकल सहायी दिनांक 22.06.2020 को प्रारंभ हुई। इस पैकेज में कुल अनुमोदन ₹ 14850 लाख का प्रावधान है।

5.1 टेलीमेडिसिन– इस उपक्रम से अनुमानित ₹ 19.6 करोड़ की लागत से 4 मेडिकल कॉलेज (SMS) एवं 400 जिला CHC/PHC (सर्वेक्षण) की सहायता से दूरस्थ स्थानों पर निवेशित चिकित्सकों के परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। टेलीमेडिसिन हेतु ऐजेन्सी का चयन कर लिया गया है एवं ऐजेन्सी द्वारा 133 सर्वेक्षक का चयन कर निर्देशित किया जा चुका है। दूर मेडिकल कौंसेल से प्रशासन हब निर्धारित किया जा रहा है।

5.2 प्राईवेट लैब द्वारा कोविड–19 जांच की प्रतिपूर्ति– उक्त के क्रम में DGHS द्वारा घोषित/ (Empanelled) पीएम लैब के माध्यम प्रायोजन सह प्राईवेट लैब में RT PCR टेस्टिंग प्रतिपूर्ति का कार्य लगाई है। इस क्रम में अब तक 65 प्राईवेट लैबों के साथ अनुबन्ध से संबंधित 88850 टैस्ट एवं लगभग ₹ 10.00 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

ब्लैक फैंगस तथा प्रोजेक्ट सर्वेलेंस सम्बन्धी द्वारा अनुमोदित ₹ 20.75 करोड़ के कार्यों हेतु चिकित्सकीसेवाएँ सहित की अनुमोदन पर 2 निजी हॉस्पीटलों के साथ MOU/सिविलियंसकार्य लाभ लिये जाने के प्रावधान ₹ 11 करोड़ मूल्य के अनुबंध हस्ताक्षरित किये जा चुके है। उक्त के प्रावधान लगभग ₹ 2 करोड़ के लिए जाना हुई है जो कि भुगतान हेतु प्रक्रियाधीन है।

5.3 बायो सेफ्टी लैब (BSL) लैब स्थापना– राज्य हेतु भारत सरकार की योजना एम्पावरमेन्ट लाइफ सेंटर सिविलियंस एवं बाईसाफ्टी सहायता सहित किया गया है। BSL-III (लेवल–3) का स्थान चूरू में जिसिंग स्थल IDH, सेवानिवृत्त के आवासगृहीत कर राजकीय मेडिकल कॉलेज बीकानेर में लगभग ₹ 17 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। उक्त की डीपीआरआर द्वारा मेडिकल कौंसेल से सहमति हेतु भेजा की जा चुकी है। इसी क्रम में लगभग ₹ 12.88 करोड़ की लागत से दो BSL-II) स्तर की लैब का रीजनलेबोरेटरी सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर तथा गेस मेडिकलालय चिकित्सालय में किया जा रहा है। जिसकी DPR TAC से अनुमोदित होने के उपरांत एचएलसीसी के माध्यम प्रस्ताव की जानी शेष है।

5.4 गहन चिकित्सा इकाई (ICU) की स्थापना– जिला राजकीय चिकित्सालयों में एवं मेडिकल कॉलेजों में कुल ₹ 60 की लागत की जिला खनिज प्रतिष्ठान योजना जिला वेब के अनुमोदनोपरान्त M.L.D.T. द्वारा कुल 10 स्थानों पर कुल 100 बैडवाले कुल ICU को निर्मित किया जा रहा है।

19.15 होम्योपैथी चिकित्सा–

19.15.1 होम्योपैथिक पद्धति से लाभकारी चिकित्सा एवं पद्धति के सम्बन्ध में जनसामान्य को चिकित्सा-सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश स्तर पर होम्योपैथिक निदेशालय स्थापित है। जनवरी 1971 तक 19 जिला होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना हो चुकी है, जिसके अन्तर्गत निम्नवत् चिकित्सालय एवं जिला स्थित हैं :–

- सम्पूर्ण उत्तरप्रदेश में 111 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित हैं।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) के प्रदेश में कुल 28 होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 21 होम्योपैथिक चिकित्सालय प्रायमिक एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 7 होम्योपैथिक चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संचालित हो रहे हैं।
- कन्द पीड़ित क्षेत्रों के अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद, फतेहपुर, रायबरेली, सीतापुर, तथा पीलीभीत में एक-एक कुल छः जनसाधारण केन्द्र तथा जनपद देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल में एक-एक कुल चार जनजाति क्षेत्र केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं।

19.15.2 राष्ट्रीय आयुष मिशन– राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रथम चरण में 19 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों को उन्नयनोपरान्त हेल्थ एवं वैलनेस केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु धनराशि ₹ 1004 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है, जिसके परिवेक्ष्य में प्रथम चरण में 10 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों को हेल्थ एवं वैलनेस केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने की कार्यवाही परिगणित है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में द्वितीय चरण में 66 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों को हेल्थ एवं वैलनेस केन्द्र के रूप में उन्नयनोपरान्त किये जाने हेतु धनराशि ₹ 0.00 लाख स्वीकृत की चुकी है, जिनको उन्नयनोपरान्त किये जाने की कार्यवाही परिगणित है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश भर में होम्योपैथिक चिकित्सा से लाभान्वित 8,63,422 रोगियों का सर्वेक्षण किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह फरवरी, 2022 तक कुल 8,60,387 रोगियों का उपचार किया गया है।

कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव के लिये होम्योपैथिक विभाग द्वारा सलाह जारी एवं अभियान चलाकर बचाव सम्बन्धी सही जानकारी तथा मा0 मुख्यमन्त्री के निर्देशों के अनुपालन में कोविड-19 की रोकथाम में 13,31,181 होम्यो रक्षा वोटिस वितरण एवं दी गयी(दी), द्वितीय लहर में 11,78,812 तथा तृतीय लहर में 5,28,004 अभियानों को सफल प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि किये जाने हेतु होम्योपैथिक औषधि आर्सेनिक एल्बम-30 का वितरण किया गया। वैश्विक महामारी कोविड-19 से ग्रसित व्यक्तियों की कुल 1 हेतु कुल मात्र 100 व्यक्तियों पर्यवेक्षण एवं प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि किये जाने हेतु होम्योपैथिक औषधि डिफ्थेरिनम का कार्य निरन्तर किया जा रहा है।

तालिका संo–19.8

होम्योपैथिक चिकित्सालयों जनपद स्तर पर चिकित्साधिकारियों, फार्मासिस्टों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	जनपद	स्वीकृत पद	भरे गये पद	रिक्त
1	चिकित्साधिकारी	111	87	24
2	फार्मासिस्ट	111	107	4
3	अन्य स्टाफ	73	56	17
4	जनपद स्तर पोस्टिंग	32	28	3
5	अर्दली	8	5	3
6	चपरासी	13	11	2

तालिका 10.9

भारत सरकार की के-ट योजित योजनान्तर्गत स्थापित 05 आरजीएचएस एवं 04 नगर तीन केन्द्रों में स्वीकृत चिकित्सकों, फार्मासिस्टों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की तैनात वार्रिकों का विवरण:-

क्र.सं.	संस्थान	स्वीकृत पद	भरे गये पद	रिक्त
1	चिकित्सक	9	9	0
2	फार्मासिस्ट	9	8	1
3	चतुर्थ वर्ग	9	8	0
4	सफाई कर्मचारी	5	5	0

तालिका 10.10

होम्योपैथिक विभाग में भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत स्थापित चिकित्सालयों में स्वीकृत चिकित्सकों, कार्मासिस्टों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की तैनात वार्रिकों का विवरण:-

क्र.सं.	संस्थान	स्वीकृत पद	भरे गये पद	रिक्त
1	चिकित्सक	28	26	2
2	फार्मासिस्ट	28	27	1

10.10 आयुर्वेदिक

भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद) का प्रदेश में लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तराखण्ड राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिये 02 जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अस्पताल हैं। जिनके अलावा में कुल 544 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 05 यूनानी चिकित्सालय एवं 02 पैरामेडी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 36-जिला चिकित्सालय, 180-आयुष शिप तथा 29-सीएचसीएस एवं 154 पीएचसीएस में (एनएचएम) के अन्तर्गत आयुष शिपों की स्थापना की जा रही है।

10.10.1 राज्य की ब्लॉकवार चिकित्सालयों में आयुष शिपों की स्थापना:- सूदूर ग्रामीण क्षेत्र में (जहां पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय कार्य नहीं हो) आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक ही छत के नीचे सभी सुविधा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ब्लॉकवार चिकित्सालयों में 180 आयुष शिपों की स्थापना की गयी है।

10.10.2 जिला चिकित्सालयों की स्थापना:- जिला मुख्यालय में जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उपचार हेतु एक पुरुष शिप एवं एक महिला शिप कुल 36 आयुष शिप संचालित है।

10.10.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राजकीय आयुष शिपों की स्थापना:- भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 29 सीएचसीएस एवं 154 पीएचसीएस में सूदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उपचार हेतु आयुष शिपों की स्थापना की गयी है।

10.10.4 राष्ट्रीय आयुष मिशन:- केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत आयुष मिशन भारत सरकार द्वारा 544 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 05 यूनानी चिकित्सालय एवं 02 पैरामेडी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 36-जिला चिकित्सालय, 180-आयुष शिप तथा 29-सीएचसीएस एवं 154-पीएचसीएस में (एनएचएम) के अन्तर्गत आयुष शिपों में चौबीसों के लाभ हेतु चलायी जाय होती है। वर्तमान पैरामेडिक के स्वरूपों में 36 शैय्यायुक्त समन्वित चिकित्सालयों (जिला मुख्यालय स्तरीय में) स्थापना की जा रही है। आयुष विभाग भारत सरकार द्वारा 888.11 लाख की धनराशि आयुष्का की जा चुकी है, जबकि निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

प्रदेश के राज्य की राज-नवोदय, पहाड़ी जनपदीय, तिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी के टकनपुर में 53 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय की स्थापना हेतु

सामंजस्यी संस्था को ₹ 3.03 करोड़ की सालाना अनुकूल की जा चुकी है।

19.16.5 चूनकी चिकित्सा पद्धति – राज्य में साल 05 चूनकी चिकित्सालय संचालित हैं। चूनकी चिकित्सा को बढ़ावा देने हेतु शिविर मनोरंजन, उत्पाद–हरिद्वार में 50 शैय्याकुल चूनकी चिकित्सालय की स्थापना की जा रही है।

19.16.6 राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी– हरिद्वार जिलान्तर्गत ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी स्थापित है। फार्मेसी के माध्यम से दवियों को मूल औषधि निर्माण हेतु आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन किया जा रहा है।

19.16.7 राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला– हरिद्वार जनपद में राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है। जिसके द्वारा सरकारी एवं निजी फार्मेसियों के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है।

तालिका 19.11
आयुर्वेदिक विभाग में कुल स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे गये पद	रिक्त पद
1	चिकित्साधिकारी	763+90 = 853 (90 MOCH के पद शासन से सम्मिलित नहीं हैं, कार्यवाही प्रगतिन में है)	510	253
2	फार्मासिस्ट ग्रेड	808	734	74

नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में उत्तराखंड की स्थिति– 21 दिसंबर, 2021 को नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक का तीसरा संस्करण "आउटम सूचकांक 2019–20" जारी किया गया। जिसमें राज्य क्रम से राज्यवार प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय की गई है। **समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में सभी बड़े राज्यों के बीच उत्तराखण्ड 15वें स्थान पर है, जबकि केरल शीर्ष स्थान पर है।**

प्रमुख बिन्दु

1. रिपोर्ट को तीन भागों में बांटा गया था बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। छोटे राज्यों में मिजोरम सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा जबकि नागालैंड का स्थान सबसे नीचे रहा।

2. नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेशों में पांडिचेरी का स्थान सबसे ऊपर रहा उसके बाद दमन दीव और नगर हवेली दूसरे नंबर पर तथा दिल्ली तीसरे नंबर पर दिल्ली का स्थान रहा है।

3. बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में, सभी 19 राज्यों में 44.21 अंकों के साथ उत्तराखण्ड 15वें स्थान पर है 82.20 अंकों के साथ केरल पहले, तमिलनाडु 72.42 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है तथा तेलंगाना 69.96 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है।

अध्याय–20

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास
Women Empowerment & Child Development

20.1 सामान्य विवरण:– भारत में लगभग 50 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है अतएव देश के विकास के लिए महिलाओं को उपयुक्त होने की आवश्यकता है. तभी देश विकसित हो सकेगा हालांकि आधुनिक युग में महिलाएं महत्वपूर्ण तकनीकि एवं प्रशासनिक पदों पर आसीन होकर देश के विकास में योगदान दे रही है फिर भी देश में लैंगिक असमानता एक गंभीर विषय है. नैशनल हेल्थ प्रोफाइल द्वारा प्रकाशित एसडीजी इण्डिया इण्डेक्स 2018–19 के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात नहीं देश में 899 व राज्य में 950 था यही वर्ष 2020–21 में देश में सुधरकर 930 यही राज्य में घटकर 940 हो गया है (तालिका 20.1)। अतः इस दिशा में विशेष ध्यान देने और प्रयास किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

तालिका 20.1

सतत् विकास लक्ष्य एसडीजी- 5 में प्रदेश का वर्ष 2018, 2019, 2020 का विवरण

एसडीजी लक्ष्य का क्रम	सूचकांक (Indicator)	वर्ष 2018–19				वर्ष 2019–20				वर्ष 2020–21			
		लक्ष्य (लक्ष्य का 10% (स्कोर का)				लक्ष्य (लक्ष्य का 10% (स्कोर का)				लक्ष्य (लक्ष्य का 10% (स्कोर का)			
		भारत		उत्तराखण्ड		भारत		उत्तराखण्ड		भारत		उत्तराखण्ड	
		पूर्व कार्य	प्रगति स्कोर	पूर्व कार्य	प्रगति स्कोर	पूर्व कार्य	प्रगति स्कोर	पूर्व कार्य	प्रगति स्कोर	पूर्व कार्य	प्रगति स्कोर	पूर्व कार्य	प्रगति स्कोर
5.1	प्रत्येक 1000 लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिला)	899	36	950	55	899	32	940	7	899	34	940	0
5.2	कार्यरत कार्यों वर्षों में 20–49 आयु वर्ग के नियमित वेतन/ पारिश्रमिक हकदारी द्वारा प्रतिशत वार्षिक गतिविधि / सेवा का पीछा महिला से पुरुष अनुपात	0.79	48	0.83	56	0.78	47	0.78	38	0.74	48	0.73	36
5.5	राज्य विधान सभा में सभा पुरुषों में महिलाओं द्वारा सीटों पर कब्जे का प्रतिशत	0.79	11	1.14	11	0.82	17	1.14	14	0.86	17	0.89	17
5.6	महिला श्रम बल भागीदारी दर का पुरुष श्रम बल भागीदारी दर से अनुपात	0.33	31	0.33	17					0.33	29	0.33	29

8.1	प्रति 100000 महिला जनसंख्या पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर					47.48	48	54.5	73	42.48	49	44.5	74
Sm	रिक्तियां कुल लंबित विवरण					11.01	11	0.07	0	11.01	24	11.01	21

चार्ट - 20.1

Comparison Chart of Budget Allocation to Handicapped, Child Welfare, Women's Welfare, Welfare of Aged, Infirm and Destitute with Respect to Total Budget & GSDP

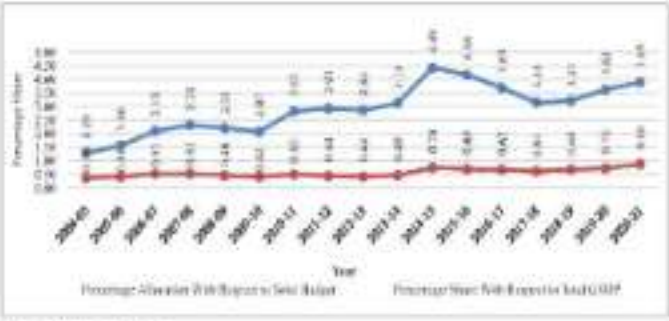

स्रोत : [illegible]

सिक्किम को सम्मान करने व महिलाओं की जरूरी चीजों पर ध्यान देने हेतु 'राज्य विकास लक्ष्य-6ह' को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा 2014-15 से लगातार बाल विकास, महिला कल्याण, दिव्यांग, वृद्ध, निराश्रित व्यक्तियों हेतु कुल बजट में वृद्धि की जाती रही है, जबकि वर्ष 2020-21 में सकल प्रदेश उत्पाद के सापेक्ष भी 4.46 की तिगिने विशिष्ट वर्ष में 0.36 प्रतिशत के सापेक्ष 0.88 प्रतिशत तक हो गई है।

देश में अभी भी लाखों महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। अधिकांश महिलाओं को शिक्षा एवं रोजगार के लिए बाहर जाने तथा निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। सिक्किम में ये देखने को नहीं मिलता है। सिक्किम में ये देखने को नहीं मिलता है। महिलाओं को शिक्षा की सुलभता में लाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलायी गयी है। इसमें से सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं जैसे- प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में महिलाओं के साथ आपात, महिला सशक्तता समूह, आदि जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा सुधार लाने किया गया है।

तालिका–20.2
National Family Health Survey-5 (2019-21)

Women Empowerment (Women age 15-49 years)			
	Indicators	NFHS-5 (2019-21)	NFHS-4 (2015-16)
1	Currently married women who usually participate in three household decision (%)	91.00	89.8
2	Women who worked in the last 12 months and were paid in cash (%)	21.6	15.5
3	Women owning a house and/ or land (alone or jointly with others) (%)	24.6	29.2
4	Women having a bank or saving account that they themselves use (%)	80.2	58.5
5	Women age 15 -24 years who use hygienic methods of protection during their menstrual period	01.2	69.9

Source & National Family Health Survey-5 (2019-21)

उपरोक्त एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एनएफएचएस-5 (2019–21) की रिपोर्ट से उपलब्ध [तालिका 20.2] उपरोक्तानुसार राज्य में विवाहित महिलाओं में निर्णय लेने का प्रतिशत एनएफएचएस-4 (2015–16) में 89.8% से बढ़कर एनएफएचएस-5 (2019–21) 91% हो गया है वही बैंक खाता/ बचत महिलाओं का प्रतिशत भी 58.5% से बढ़कर 80.2% हो गया है किन्तु महिलाओं के नाम एवं उ जमीन के प्रतिशत में लगभग 5% की कमी आयी है। उत्तराखण्ड में भारत सरकार व उत्तराखण्ड सरकार द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (Hygiene) हेतु चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं में मुख्यमंत्री महिला योजना योजना संचालित है व किशोरी बालिकाओं हेतु सैनेटरी नैपकिन की व्यवस्था जिसके अन्तर्गत जनपद चैमोली, उत्तरकाशी नगर व रुद्रप्रयाग में सैनेटरी नैपकिन इकाई की स्थापना की जा चुकी है, यदि किशोर बालिकाओं के सन्दर्भ के परिप्रेक्ष्य (15-24 आयु वर्ग की महिलाओं/ किशोरियों) स्वच्छता वर्ग के दौरान हाईजिनिक तरीकों का प्रयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 69.9% से घटकर 01.2% हो गया है।

नीति आयोग द्वारा Accelerating Progress on Nutrition in India (Third Progress Report, July 2020) प्रकाशित की गयी है। 'पोषण अभियान' भारत सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। प्रकाशित रिपोर्ट इसीके पोषण सिंगल की स्थिति एवं विभिन्न राज्यों पर कार्यान्वयन चुनौतियों का मूल्यांकन करने का प्रयास करती है। रिपोर्ट में देश के 27 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में पोषण अभियान डिजाइनर्स' के द्वारा प्राप्त (Pillar) ICDS-CAS (Common Application Software) के विश्लेषण की स्थिति विभिन्न मानकों में प्रदर्शित की गयी है। प्रदेश का अंगन्य दो पहलुओं राज्यों के साथ तुलनात्मक विवरण तालिका-20.3 में प्रदर्शित है–

तालिका 20.3

State	Anganwadi Worker Using ICDS-CAS	Opening of Anganwadi (No. of average days an AB-C was open)	Anganwadi Worker Using ICDS-CAS	District Covered (ICDS-CAS) (NB. Of districts using ICDS-CAS)		Home Visit by Anganwadi Workers	Pre-School Education	Distribution of Take Home Ration
	Rank	Rank	Rank	Total Districts	Launched Districts	Rank	Rank	Rank
Uttarakhand	10	2	10	13	13	18	17	9
Himachal Pradesh	4	10	4	12	12	7	12	1
Uttar Pradesh	22	5	22	35	25	17	21	17

Source: NIPCCD, Anganwadi Strengthening Programme for Nutrition in India (3rd Progress Report, July 2007)

तालिका–20.3 के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा ICDS-CAS(Common Application Software) का उपयोग करने में प्रदेश अपने पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से पीछे लेकिन उत्तर प्रदेश से बेहतर स्थिति में है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा होम विजिट में प्रदेश दोनों पहाड़ी राज्यों से पीछे है लेकिन समृद्ध पूर्व पीठ में हिमाचल प्रदेश से पीछे व उत्तर प्रदेश से उत्तर होकर से बेहतर स्थिति में है।

गतिविधियों, संसाधन व गतिविधियों को सुदृढ़ीकरण संगठन तथा आंगनवाड़ी कार्यक्रम प्रबंधन करने हेतु प्रदेश में कई योजनाएँ संचालित की गयी हैं। गतिविधि संचालित की सुविधा करने हेतु भी प्रदेश द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में प्रदेश में स्थित सामाजिकता एवं बाल विकास द्वारा निम्न सामाजिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं।

20.7 आंगनवाड़ी सुविधाएँ – वर्तमान में प्रदेश के 13 जनपदों में कुल 1305 बाल विकास परियोजनाएँ हैं। जिनमें से 58 शहरी क्षेत्रों में 57 ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं। परियोजनाओं के अनुसार कुल 20067 आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 1249 शहरी क्षेत्र व 18818 केन्द्र ग्रामीण हैं।

तालिका 20.4

क्रम सं०	जनपद	बाल विकास परियोजनायें	आंगनवाड़ी केन्द्र (संख्या)	मिनी आंगनवाड़ी (संख्या)	आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी में कार्यकर्त्री (संख्या)	आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी में सहायिका (संख्या)
1	अल्मोड़ा	6	1190	670	1843	1170
2	बागेश्वर	9	558	276	824	560
3	चम्पावत	9	724	354	1074	718
4	पिथौरागढ़	7	397	284	656	386

6	रेवाड़ी	15	1637	290	1800	1537
8	झज्जर	3	3036	123	2508	2748
7	गुरुग्राम	11	1032	384	1398	1018
8	पलवल	11	1082	771	1826	1084
9	मेवात	3	656	456	1086	633
10	फरीदाबाद	9	460	232	684	436
11	दिल्ली	10	1278	789	1967	1233
12	अम्बाला	8	2191	148	2278	2049
13	यमुनानगर	4	695	386	1020	624
	राज्यस्तर योग	105	14047	5129	19478	14227

स्रोत- महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

तालिका–20.4 के अनुसार राज्य में 20867 आंगनवाड़ी/मिनि केन्द्रों में कुल 33055 कार्यकर्ती /सहायिकाएं कार्यरत हैं। चार्ट 20.2 से अनुसार माह मार्च 2022 तक कुल 33055 स्वीकृत पदों की तुलना में 33155 कार्यकर्ती व 30014 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 30870 धात्री महिलाये लाभान्वित हुई हैं।

चार्ट–20.2
कार्यकर्ती एवं धात्री महिलाओं का वर्षवार विवरण

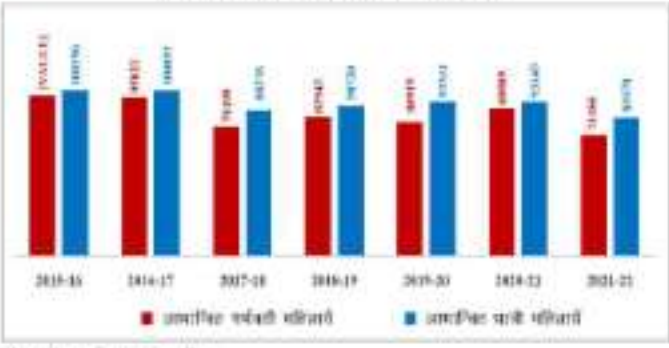

स्रोत- महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

20.3 कुपोषण की स्थिति– चार्ट 20.3 से स्पष्ट है कि राज्य में वर्ष 2015-16 में जहाँ 2830 अति कुपोषित बच्चे चिन्हित हुए वहीं राज्यवार द्वारा किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2021–22 में 1119 अति कुपोषित बच्चे चिन्हित हुए हैं, बच्चों को लम्बाई वाली में लाने हेतु "कलर" (लम्बाई नापनेवाली स्ट्राइप्स) योजना अंतर्गत वितरित किया जा रहा है।

बच्चों में कुपोषण दूर करने व महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु वर्ष 2021-22 में स्वीकृत ₹ 1095.30 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष ₹ 736.69 करोड़ व्यय किया गया है।

पात्र के आधार पर विभाग द्वारा संचालित पूरक पोषाहार का विवरण निम्नानुसार है–

20.4 केन्द्र पोषित योजनाएँ–

20.4.1 अनुपूरक पोषाहार– योजनान्तर्गत 06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, किशोरियों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को वर्ष में 300 दिवस अनुपूरक पोषाहार दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2021-22 में प्रस्तावित 913910 लाभार्थियों के सापेक्ष 702510 को लाभान्वित किया जा रहा है। अनुपूरक पोषाहार की राशि केन्द्र एवं राज्य सरकार के क्रमशः 50:50 के अनुपात में है। वर्ष 2021-22 में ₹ 210.02 करोड़ अनुपूरक पोषाहरि के सापेक्ष ₹ 191.49 करोड़ का व्यय किया गया।

20.4.2 खुराक फूड– योजनान्तर्गत 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्रों पर गरम सर्विंग के माध्यम से पका भोजन (hot cooked meal) एवं मोबाईल स्नैक्स (टेक होम राशन के रूप में) प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में कुल प्रस्तावित 202845 बच्चों के सापेक्ष 213027 बच्चों को लाभ दिया जा रहा है।

तालिका 20.3

राज्य में आंगनवाड़ी केन्द्रों में अनुपूरक पोषाहार प्राप्त करने वाले 06 माह से 06 वर्ष के बच्चों का वर्षवार विवरण

वर्ष	लाभार्थी	
	06 माह-3 वर्ष के बच्चे	3-6 वर्ष के बच्चे
2016-17	457231	2'74'05
2017-18	438000	188144
2018-19	439851	179100
2019-20	427231	171143
2020-21	417188	160817
2020-21	399380	258615
2021-22	332284	2'3827

20.4.3 टेक होम राशन– इस योजना के अन्तर्गत एकमुश्त तात्कालिक राशन (एक से अधिक 25 दिन) लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है। अति कुपोषित श्रेणी के बच्चों को स्वास्थ्य विभाग के परामर्श पर डीकुपित पोषाहार एवं उपयोग आधारित– Ready to Use Therapeutic Food (RUTF) पोषाहार दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2021-22 में प्रस्तावित 488231 लाभार्थियों के सापेक्ष 382264 लाभार्थियों को टेक होम राशन दिया जा रहा है। कोविड-19 के कारण कार्यकर्त्रियों द्वारा घर-घर जाकर टेक होम राशन का वितरण किया गया है।

20.4.4 स्वास्थ्य जाँच एवं टीकाकरण– इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर जोडेहिन्ट टेस्ट हेतु ₹ 1500/– एवं किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर किसी मेडिसिन किट हेतु ₹ 750/– दिये जाने का वार्षिक बजट राज्य सरकार से निर्धारित है। मेडिसिन किट में सामान्य रोगों की दवायें उपलब्ध करायी जाती है।

20.4.5 वृद्धि निगरानी एवं संदर्भ सेवाएं– इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर समस्त बच्चों का वजन लेकर उनकी वृद्धि की निगरानी की जाती है। गम्भीर कुपोषण हेतु नजदीक महिला, बालक के अस्पताल हेतु ब्लॉक मुख्यालय एवं महिलाओं को सही उपचार के लिये पर रेफरल हेतु खण्डमुख्यालय स्तर पर आंगनवाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध है। कोविड-19 के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रस्तावित 1201015 लाभार्थियों के सापेक्ष कुल 719445 लाभार्थियों का वजन का अनुश्रवण आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा घर-घर जाकर किया गया।

20.4.6 स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा– इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर गर्भवती/धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं तथा 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा दी जाती है। कोविड-19 के प्रकोप पर-घर जाकर कार्यकर्त्रियों एवं सुपरवाईजरों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में गर्भवतियों एवं किशोरियों को स्वास्थ्य एवं पोषण की जानकारी के पम्पलेट दिये गये।

20.4.7 स्कूल पूर्व शिक्षा– इस योजना के अन्तर्गत ₹ 3000/- प्रति आँगनवाड़ी केन्द्र तथा ₹ 5000/- प्रति मिनी केन्द्र का न्यूनतम मानक राजकोष से डी-बेसिक सिट एवं एसेसरीज युक्त जारी निर्गमित है। वर्ष 2021–22 में कुल 202865 मानक पर्यवेक्षित हुए। कोविड-19 के समय आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित नहीं हो पाने जिस कारण की स्कूल शिक्षा आंगनवाड़ी केन्द्रों से बाधित रही है।

20.4.8 प्रधानमन्त्री मातृ वन्दना योजना (60% केन्द्रांश) PMMVY– यह प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना, समाज कल्याणी में लागू है। केवल प्रथम बच्चे के होने पर ही इस योजना का लाभ दिया जाता है। योजनान्तर्गत महिला लाभार्थियों एवं बाल विकास विभाग के मानक के गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को गर्भावस्था, जन्मोपरान्त टीकाकरण, आईएफए टेबलेट वैक्सीन, आयरन एवं फोलिक एसिड सप्लीमेन्ट, कैल्शियम, जन्मी का टीकाकरण आदि मानकों को पूर्ति हेतु प्रति महिला को कुल ₹ 5000/- (प्रथम किस्त ₹ 1000/-, द्वितीय किस्त 2000 रु तृतीय किस्त ₹ 1500/-) की धनराशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2022 तक कुल 2020662 महिलाओं को लाभान्वित कर ₹ 88.21 करोड़ डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में हस्तान्तरण किया जा चुका है।

20.4.9 राष्ट्रीय पोषण मिशन "पोषण अभियान"– यह योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राज्य की समस्त आंगनवाड़ी में संचालित की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चे को कुपोषण मुक्त बनाना है। इस योजना के संचालन हेतु ICDS-CAS के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को टैबलेट वैक्सीन स्मार्ट फोन दिये गये हैं। पोषण अभियान के अन्तर्गत विभिन्न विभागों जैसे सिविल सप्लाय एवं पब्लिक वितरण, डाक विभाग, पंचायती राज, विद्युत, सूचना एवं जन सम्पर्क, कृषि, स्वास्थ्य, एकाउन्ट एवं ट्रेजरी, कृषि आदि विभागों से समन्वय कर योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹ 43.71 करोड़ सकल प्रावधान के सापेक्ष ₹ 31.79 करोड़ का व्यय किया गया है।

20.5 राज्य सेक्टर की योजनायें–

20.5.1 मातृशक्ति महिला समेकित विकास योजना– योजनान्तर्गत महिला पक्ष अन्तिम परियोजनाओं के संचालन हेतु 88 विकासखण्डों में 83 विभिन्न परियोजनाओं के लिये परिषद प्रदान किया गया तथा 1662 महिला स्वयं सहायता समूहों एवं 01474 महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

जूट निर्माण,
गवर्निंग कौशिलन संस्थान, पेलपुल

सशक्त उत्पादन, उपजिलीन
कृषि उत्पादन समिति, पैगोडाल

20.5.2 राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री महिला मातृ आपातिकाल योजना: योजनान्तर्गत राज्यस्तरपुरुष प्रतिष्ठानालय ₹ 1000/- की स्टाइपेंड एवं ₹ 50,000/- तक का चिकित्सकीय हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना के अन्तर्गत अप्रैल तक 3130 किशोरी व महिला लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल बजटीय ₹ 1.15 करोड़ में 2 सत्रशालों के प्रशिक्षण प्रस्तावित थे/कुल किये गये हैं, जिसमें कुल 2000 महिला लाभार्थियों को सम्मिलित करते हुए 08 प्रशिक्षण हैल्थ कार्ड–डेरी मैनेजमेन्ट, व्यक्तिगत पालन, हस्तकला, पशु उपचारण, कार्ड-बुनाई, सिलाई, साड़ी पालने, जड़ी बूटी उत्पादन से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

डेरी मैनेजमेन्ट प्रशिक्षण, देवभूमि फाउंडेशन

सिलाई प्रशिक्षण, क्षैतिक कार्यालय संचालन

20.5.3 आपातकाली महिला आश्रयगृह पर उपाय की व्यवस्था– आपातकाली महिलाओं एवं कुपोषित, एवं एवं सुविधायुक्त आपातिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद देहरादून एवं प्रतिष्ठान में आपातकाली महिला आश्रयगृह का निर्माण पूर्ण हो चुका है। जिसमें संचालन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

20.5.4 नन्दा गौरा योजना– इस योजना के अन्तर्गत कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर "नन्दा गौरा योजना" संचालित की गयी है। जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार की प्रथम 02 बालिकाओं को प्रथम किस्त में ₹ 11000 की धनराशि एवं द्वितीय किस्त में ₹ 31000 की धनराशि प्रदान करायी जाती है। वर्ष 2021-22 तक 1,43,732 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

20.5.5 मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना– राज्य में पुत्रियों जन्मदर को उन्नयन के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से गर्भवती महिला के प्रथम/द्वितीय एवं दुग्धा बालिकाओं के नाम पर पुत्रियां जन्मदर को दृष्टिगत **"मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना"** के अन्तर्गत महालक्ष्मी किट प्रदान की जाती है। महालक्ष्मी किट की प्रति किट लागत ₹ 2000 निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 43,148 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

20.5.6 किशोरी बालिकाओं हेतु सैनेटरी पैडकीन की व्यवस्था– किशोरियों को शारीरिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने एवं आवश्यक व्यवस्थाओं की आपूर्ति करने बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में बालिकाओं को सैनेटरी नैपकिन (ए पैड इजी पैकेट) उपलब्ध कराये जा रहे हैं। वर्तमान तक कुल ₹ 80.58 लाख के सैनेटरी नैपकिन किट समस्त बालिकाओं को वितरण हेतु उपलब्ध कराये गये हैं।

20.5.7 बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम (कम्प्यूटर टैबलेट का वितरण)– राज्य वित्त योजना मद कन्यान निधि के अन्तर्गत संचालित "बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम" के तहत बालिकाओं में शैक्षिक जागरूकता को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तराखण्ड बोर्ड में 10वीं व 12वीं में उत्तीर्ण सभी वर्ग एवं प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ में विकासखण्ड

स्तर पर प्रबंधन सहायता प्रदान करने वाली आजीविका सलाहकारों की तैनाती हेतु पुरस्कार राशि/प्रोत्साहन प्रदान किये जाते हैं। इसके अन्तर्गत वर्तमान तक 1385 महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

20.5.8 दीनदयाल ग्रामीण कौशल परियोजना– ग्रामीण परिवारों के विकास एवं विविधीकरण के लिये परिवारों के कौशलों को बेहतर बनाने के लिये विशेषज्ञ सलाहकार प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान तक 190 सिलेक्ट एवं विविधीकृत को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। मिशन वर्ष 2000-01 में लागू किये हैं। कार्यक्रम कार्यान्वयन के रूप में 6.67 हुई है। जिसकी भारत सरकारी से लगभग सहायता लिया जा रहा है।

20.6 अन्य योजनायें–

20.6.1 स्कीम फॉर एडोलसेन्ट गर्ल्स– भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-20 से लागू किया इस योजना में 11-14 आयु वर्ग की स्कूल छोड़ चुकी पात्र किशोरियों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। आईसीडीएस के अन्तर्गत स्वैच्छी और पंजी संस्थाओं को दिये जा रहे पोषाहार की तर्ज पर ही किशोरियों को वर्ष में 300 दिन प्रति लाभार्थी 600 कैलोरी प्रतिदिन (16-20 ग्राम प्रोटिन और सूक्ष्म पोषक तत्व) दिया जा रहा है।

20.6.2 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ– राज्य में कार्यरत जिलाधिकारी में सुधारात्मक प्रयास करने एवं बाल लिंगानुपात में विकास को रोकने की पहल की जा रही है। प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर पुरुष-पुरुषी बोर्ड लगाया गया है। समस्त आंगनवाड़ी द्वारा सुबह स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

20.6.3 वन स्टॉप सेन्टर– राज्य के विभिन्न जिलों जहा-पुर, लखनऊ एवं हरिद्वार अस्पताल, महिला चिकित्सा, राज्य मेडिकल सेवा प्रशिक्षण विभाग एवं साथ ही साथ राज्य से सम्बन्धित उन संस्थाओं के प्रति होने वाले अत्याचार/दुर्व्यवहार से प्रति एक ही परिसर में जरूरी चिकित्सीय सुविधा, कानूनी सलाह, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सेवायें देने के उद्देश्य से सहायक उपायों में संचालित किये जा रहे हैं।

तालिका 20.6

वर्ष	वन स्टॉप सेन्टर		महिला हेल्पलाईन (181)	
	प्रस्तावित	क्रियान्वित	प्रस्तावित	क्रियान्वित
2019–19	333	–	1935	–
2019–20	1761	1356	2961	2957
2020–21	3412	2939	4436	4425
2021–22	5397	5310	5939	5938

तालिका 20.6 से स्पष्ट है कि वर्ष 2021–22 में महिलाओं के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार/अत्याचार के संचालित मामलों में विगत वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है।

20.6.4 आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण/सत्यीकरण/अनुरक्षण– आईसीडीएस के केन्द्रों के पुनर्व्यवस्थापन तथा प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक आंगनवाड़ी भवन अवस्था हेतु वर्ष 2021–22 में आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु पुनर्व्यवस्थापन के भवन से ₹ 5.00 लाख, कॉन्क्रीट पोलपा से ₹ 2.00 लाख एवं भवन मरम्मत से ₹ 0.60 लाख कुल ₹ 7.60 लाख का प्रावधान है। इस वर्ष में 4,000 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

विभागीय प्रयास

- **मुख्यमंत्री बालिका पोषण योजना**– जिला के राहत शाखा से संबोधित पात्रकारी / आंगनबाड़ी केंद्रों में एनीमिक एवं कुपोषित किशोरी बालिकाओं को चिन्हित कर उन्हें पोषण स्तर में सुधार लाया जायेगा। चिन्हित एनीमिक की कमी को दूर करने के लिये लौह तत्व प्रोटीन से भरपूर अतिरिक्त भोजन (दो दिन अन्तर एवं दो दिन लेकर) उपलब्ध कराया जा रहा है।
- जनपद बेगीपाल, जनपदीय स्तर, आयोजन में डेनेन्टिष्ठ मेडिसीन इकाई की स्थापना की जा चुकी है। जनपद दोहरी पूर्व इकाइयों में डेनेन्टरी मेडिसीन इकाई की स्थापना हेतु बजट आवंटित किया जा चुका है। प्रशिक्षण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा घर-घर जाकर डेनेन्टरी मेडिसीन वितरित किया गया।
- **दीनू शौर्यता पुरस्कार**– यह पुरस्कार जो द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत 23 किशोरी/ बालिकाओं को दीनू शौर्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- **आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार**– यह पुरस्कार जो द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ** के अन्तर्गत Equal property Rights" विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- **बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना**– वर्ष 2021-22 जनपद की 182 दलित बालिकाओं को लाभान्वित किया गया।
- पोषित महाभों के द्वारा संचालित आंगनबाड़ी कार्यियों को पास राह प्रोत्साहन राशि ₹ 2500 के रूप में प्रतिमाह प्रदान की गयी। साथ ही ₹ 1000 खाता खोला एवं पोषित-10 से सम्बन्ध संचालित आंगनबाड़ी कार्यियों को कार्य करने हेतु ₹ 1000 प्रोत्साहन राशि निरन्तर द्वारा प्रदान की गयी।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी को देय मानदेय द्वार दी जा रही मासिक मानदेय दर में क्रमशः ₹ 1000, ₹ 1000, ₹ 1000 की वृद्धि की गई।
- पोषण अभियान के अन्तर्गत पोषण माह सितम्बर 2021 में दो चरणों (गुणवत्ता एवं गतिविधि) को व्यापक रूप पोषण जागरूकता गतिविधियों– पोषणशाई, अन्नप्राशन एवं जुड़वाँ एवं अतिकुपोषित बच्चों को चिन्हित किया गया एवं आयोजन को शासन-प्रशासन के सहयोग से पोषण के प्रति जागरूकता किया गया।
- राज्य में चयनित आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण वाटिका (पोषित महिलाओं के सहयोग से सामुदायिक के पोषण स्तर में सुधार लाने) का संचालन किया जा रहा है।
- जनवरी/फ्रीरा महीना दिनांक 08 मार्च 2021 को आंगनबाड़ी कार्यिकाओं की सहायता हेतु **'माह बलिदान स्तर पहचान'** प्रशिक्षणियों का आयोजन किया गया।
- बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु द्वार आउट का विश्लेषण, विद्यालय में पुनः पंजीकरण, एकाध सहायी का एकलव्या के साथ मिलकर मोटीवेट, बेटी पांच लेने वाले दम्पतियों का सम्मान, धर्म सुरक्षरी के माध्यम से बेटी के जन्म एवं संरक्षण हेतु जनुयाय में एक-व्यापकता, बालिकाओं को उनके क्षेत्र में सम्मान आयार की बेटी के साथ व्यवहारक प्रक्रिया, साहसिक चॉल जैसे कार्यक्रमों तथा विशेष रणनीति परिवहन, कोर्स पत्रिकाओं के माध्यमिक चॉल, कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बालिकाओं प्रदर्शन करने वाली मेधावी छात्राओं का सम्मान एवं प्रोत्साहन, खेल, कला, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, संगठनात्मक, स्थानीय प्रतिभूत कार्य करने वाली बालिकाओं को चिन्हित कर्मियों एवं बोर्ड रेजिस्टर बनाकर सम्मानित करना, अधूरा हुआ आउट बालिकाओं को जैसन संस्थान निवास प्रशिक्षण तथा डिजिटल साक्षरता, विद्यालयों एवं समुदाय में किशोर-किशोरियों को डीसिक कार्यशालाएँ, स्वच्छ प्रबन्धन, मासिक स्वच्छ प्रबन्धन, मासिक धर्म प्रबन्धन तथा सफाई, संस्कृतिक आदान, एनीमिक जांच एवं अन्यान्य हेतु विशेषज्ञ द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन, दायें को शुरू करने के उन्हें तथा सहायक हेल्प लाइन 1098 की जानकारी, एकमीत जनसंख्यिकी से अवगत कोई तथा स्थानीय स्तर में संचालन द्वारा घर की पहचान कंटेनरों के साथ कार्यक्रम का आयोजन।

अध्याय–21

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

Rural Development & Panchayati Raj

उत्तराखण्ड के ग्रामीणों विकास में योगदान देने के लिए ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं जैसे मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री पैंशनता सेवा विकास योजना, मुख्यमंत्री प्रावधान योजनाम योजना आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है।

21.1 केन्द्र पोषित योजनाएँ

21.1.1 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission-NRLM)– इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की क्षमता एवं सशक्त विकास बल उनकी आजीविका विकेंद्रों को सुदृढ़ एवं स्थाई आजीविका संवर्द्धन सुनिश्चित करना है।

विभाग से अन्तर्गत प्रशिक्षण वर्ष में 36050 स्वयं सहायता समूह की 2.88 लाख महिला परिवारों को महिलाओं को आच्छादित कर 4247 ग्राम संगठन तथा 258 क्लस्टर स्तरीय संगठन का गठन किया गया है। 33304 समूहों को अब तक कुल ₹ 3453.88 लाख रूपोंकृषी रिवोल्विंग फण्ड (रिवोल्विंग फण्ड) के रूप में उनकी छोटी गतिविधियों की पूर्ति तथा आजीवी क्षेत्र–वृद्धि करने हेतु उपलब्ध कराई गयी है। 31464 समूहों द्वारा समूहों की सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करते हुये कुल 13196 समूहों को समुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ/समुदाय फण्ड) के रूप में ₹ 10732.00 लाख आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने हेतु उपलब्ध कराई गयी है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए ₹ 88.40 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित किया है। आजीविका मिशन के अन्तर्गत 31.03.2022 तक उपलब्धता वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के अन्तर्गत उपलब्धियां निम्न प्रकार से है–

तालिका 21.1

एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत जिलावार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि

जिला	भौतिक (समूहों का बैंक से जुड़ाव)		वित्तीय (₹ लाखों में)	
	स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य	उपलब्धियां	ऋण का लक्ष्य	ऋण वितरण
अल्मोड़ा	700	755	579	639
बागेश्वर	151	169	147	189
चमोली	304	480	924	986
चम्पावत	150	190	242	303
पौड़ीगढ़वाल	150	201	800	817
हरिद्वार	150	197	1583	590

नेनीताल	266	348	1131	1267
पौड़ी	805	855	1148	1217
चिपोरागढ़	312	335	509	683
रुद्रप्रयाग	150	196	268	251
टिहरी	553	575	745	782
उधमसिंह नगर	150	476	1361	1338
उत्तरकाशी	150	311	533	1318
कुल योग	**4000**	**5186**	**10000**	**10990**

स्रोत: राज्य विभाग, रिपोर्ट, उत्तराखण्ड।

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2021–22 में माह मार्च, 2022 तक लक्ष्य के सापेक्ष 529 प्रतिशत अधिक लाभार्थी लाभ का गठन किया गया है। इसी प्रकार माह मार्च, 2022 तक ऋण की लक्ष्य के सापेक्ष 110 प्रतिशत ऋण वितरित किया जा चुका है।

21.1.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना– इस परियोजना के अंतर्गत माह मार्च, 2022 तक 25000 लाभार्थियों के सापेक्ष कुल 4416 लाभार्थियों का प्रशिक्षण प्रगति पर है, 8114 लाभार्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है जिसमें से 2274 लाभार्थी को रोजगार प्रदान किया जा चुका है।

21.1.3 प्रधानमन्त्री आवास योजना–ग्रामीण– इस योजनान्तर्गत द्वितीय चरण में आवास प्लस सूची में समिलित कुल 22868 परिवारों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 हेतु कुल 14472 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष 13012 लाभार्थियों को आवास स्वीकृति उपलब्ध नहा मार्च, 2022 के अन्त तक प्रथम स्वीकृति के सापेक्ष 60,000/– प्रति आवास की दर से 10843 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 40,000/– प्रति आवास की दर से 9626 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त एवं 30,000/– प्रति आवास की दर से 1219 लाभार्थियों को तृतीय किस्त उपलब्ध की गई है।

तालिका 21.2
प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वर्षवार लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण आवास

क्रमांक	वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृत	पूर्णआवास			व्यय धनराशि
				IAY	PMAY-G	योग	(लाख में)
1	2017–18	4088	4224	3230	5550	5803	8681.21
2	2018–19	—	2277	0	6054	6054	6696.20
3	2019–20	—	90	0	700	700	665.66
4	2020–21	13399	12712	0	2093	2093	11560.65
5	2021–22	3073	2600	0	53	53	1858.4
योग		**20558**	**22843**	**3250**	**14519**	**17769**	**29245.90**

उक्त खर्चसीमा से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में पहले वर्षों की तुलनामें लगभग 780 करोड़ रुपये तथा 2020-2021 में पिछले वर्ष से लगभग 16.5 प्रतिशत अधिकों का कार्य पूर्ण किया गया। साथ ही वर्ष 2021-22 में माह मार्च 2022 तक 83 करोड़ से भी पूर्ण कार्य हो चुका है।

21.1.4 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guaranty Act- MNREGA):–

[illegible]

वित्तीय वर्ष 2021-22 के माह मार्च, 2022 तक राज्य सरकार द्वारा ₹ 56.67 करोड़ तथा केंद्र सरकार के हस्तक्षेप द्वारा केन्द्र से कुल ₹ 32.22 करोड़ अनुदान द्वारा विकास कार्य पूर्ण कराकर जारी किये जा चुके हैं। 33662 परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराकर 343.22 लाख मानव दिवस सृजित किये गए हैं। कुल में कुल 1240 लाख परिवारों को जॉब कार्ड जारी किये गये, जिनमें से सक्रिय जॉब कार्डों की संख्या 7.46 लाख है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह मार्च, 2022 तक प्रति परिवार औसत लगभग 42.62 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

चार्ट–21.1
मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्षवार सृजित मानव दिवस का विवरण

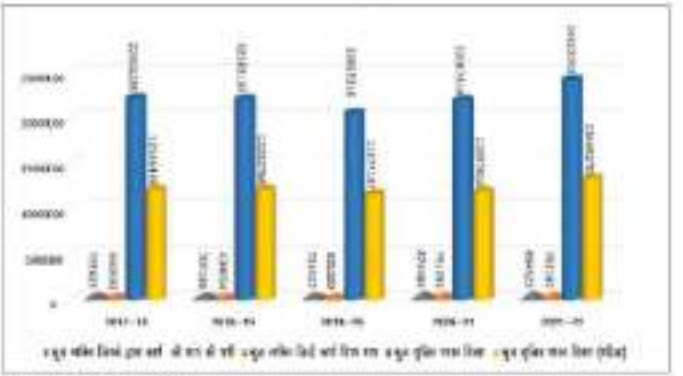

स्रोत: राज्य विकास मिशन, उत्तराखण्ड।

उक्त चार्ट 21.1 से ज्ञात होता है कि वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में कुल 3546205 श्रमिक दिनों का सृजन किया गया। का प्रतिशत क्रमशः 96.10 प्रतिशत, 90.27 प्रतिशत, 93 प्रतिशत, 80.46 प्रतिशत तथा 91.63 प्रतिशत रहा। सृजित मानव दिवस में महिलाओं का योगदान वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक 55 प्रतिशत से अधिक रहा जो उत्साहजनक है।

चार्ट–21.2
मनरेगा के अन्तर्गत वर्षवार कराये गये विभिन्न कार्य

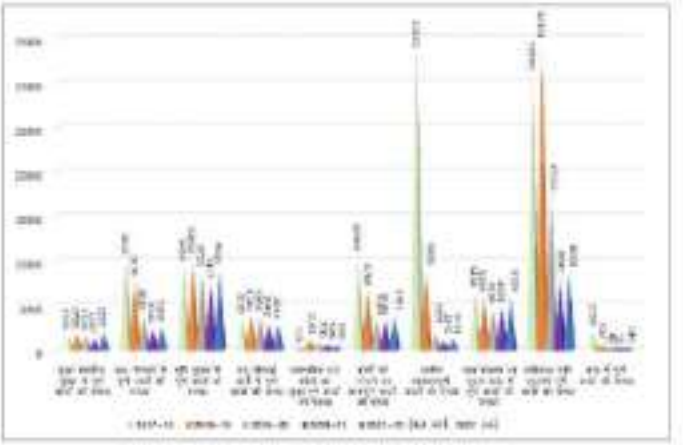

चार्ट–21.3
मनरेगा के अन्तर्गत वर्षवार कराये गये विभिन्न कार्यों में व्यय धनराशि (₹ लाख में)

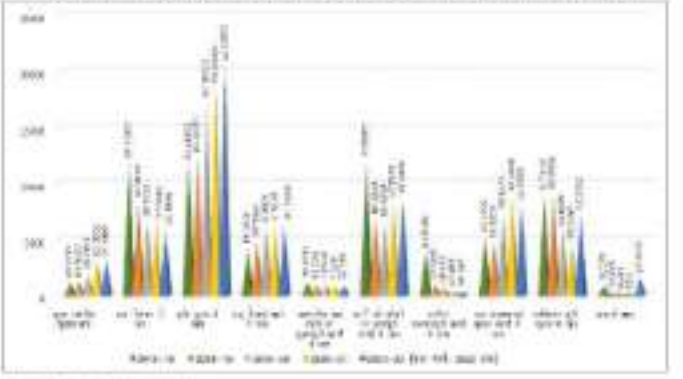

चार्ट 21.2 एवं 21.3 से अनुसार गन्नेश अस्पताल वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20, एवं 2020–21 में क्रमशः 10940, 30850, 40320 एवं 31700 कार्य पूर्ण किये गये तथा 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में क्रमशः ₹ 40357.28 लाख, ₹ 49116.12 लाख, ₹ 50461.0 एवं ₹ 57018.88 की धनराशि व्यय की गयी। वर्ष 2021–22 मार्च, 2022 तक 30251 कार्य पूर्ण किये गये तथा ₹ 68552.21 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

कोविड–19 महामारी की अवधि में किये गये विशेष प्रयास (20 अप्रैल, 2020 से)

- प्रवासियों के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
- अधिकारिक परिषदों को सेवारत किया जाना सुनिश्चित किया गया।
- सभी इच्छुक प्रवासियों का टीका लगाने हेतु शिविरों सुनिश्चित किया गया। इसके लिए परिवहन विशिष्ट उपाय गये।
- कार्य की गति को सुचारू बनाने के लिए कॉल सेंटर से संचालन में कार्य की गति तेज करने की योजना प्रारम्भ की गई।
- राज्य में 22 अप्रैल 2020 से लॉकडाउन पर कार्य प्रारम्भ किये गये और लॉक्ड डी अधिक श्रमिकों का रोजगार उपलब्ध कराया गया। अप्रैल तक 19026 नये श्रमिकों का पंजीकरण किया गया तथा 18804 नये श्रमिकों को सेवारत उपलब्ध कराया जा चुका है।

भविष्य की रणनीति

- अधिकारिक कार्य की गति प्रारम्भ करने हेतु कार्यालय समय बढ़ाया जाना।
- लॉकडाउन एवं के संचालन से पहले हटाया जाना।
- आपदा क्षेत्रों में अधिकारिक कार्य योजनों के विशेषज्ञ व्यवस्था हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाएगी।

चार्ट–21.4

गन्नेश से अन्तर्गत राज्य में 18 जनवरी 2022 तक श्रमिकों का विवरण

आजीविका पैकेज मॉडल:- जिन ग्रामीण परिवारों को प्राकृतिक दैविक सेवाओं के साथ आजीविका से जोड़ा गया उनका उद्देश्य से व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को पैकेज के रूप में उपलब्ध कराने हेतु आजीविका पैकेज मॉडल के तहत शामिल किए 38217 परिवारों का चयन किया जा चुका है तथा 38559 कार्य स्वीकृत किए गये हैं।

Giving life to Ponds:- उत्तराखण्ड जिलाधार से उद्घाटित से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध तालाबों/पोखर द्वारा 130 से अधिक ऐसे तालाब, जो अतिक्रमित और प्रदूषित थे, अतिक्रमण मुक्त कराकर पक्षकार गहरी तालाब के स्वरूप से पुनर्जीवित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में मनरेगा के अन्तर्गत एक तुलनात्मक आकलन टिप्पक
14 जनवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार

चार्ट–21.6
मनरेगा के अन्तर्गत वर्तमान वित्त तक्षिय प्रतिदिन औसत मजदूरी दर (₹ में)

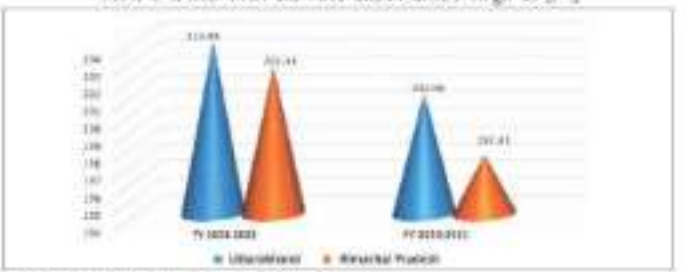

स्रोत: भारत सरकार मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय।

चार्ट 21.8
मनरेगा के अन्तर्गत वर्तमान चुल कार्यों में से एन्ड्राइड्स' अन्तर्गत किये गये कार्य पर व्यय का प्रतिशत (वार्षिकीय। व्यक्तिगत)

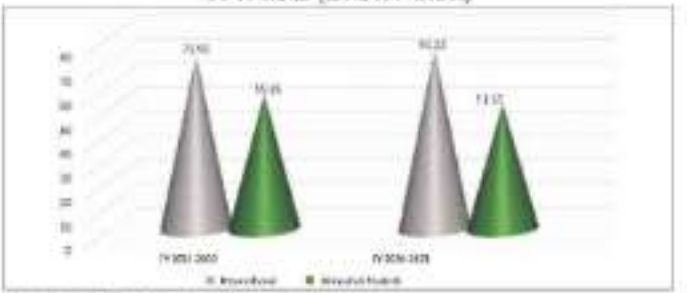

स्रोत: भारत सरकार मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय।
(Computed by: Rural Development)

21.1.5 प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)- ग्रामीणों तक सड़क पहुंचाने वाला सरकार की एक राष्ट्रव्यापी योजना है, जो ग्रामीण गांवों को अच्छी ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करती है। जिनमें 500 से अधिक की आबादी वाले एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले ऐसे गांवों के संयोजन हेतु यह योजना संचालित है। मार्च 2015 तक इस योजना के तहत वर्ष 2000-01 से मार्च, 2022 तक कुल 2500 किमी० लम्बाई में सड़कें का निर्माण कराया गया है।

तालिका 21.3
पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत जोड़े गये बसावटों की संख्या

वित्तीय वर्ष	वित्तीय प्रगति (₹ करोड़ में)		भौतिक प्रगति					
			कार्यों की संख्या		लम्बाई (किमी० में)		बसावटों की संख्या	
	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत लम्बाई	निर्मित लम्बाई	स्वीकृत	जोड़े गये
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019 – 20	3665.71	668.43	857	130	6200.05	1756.29	330	202
2020 – 21	760.43	1080.48	113	148	985.89	2039.49	0	154
2021 – 22	0.00	1492.50	0	223	0.00	3365.00	0	144
2022 – 23	1077.81	1218.85	284	206	1156.73	2100.27	0	150
कुल योग	5504.97	4496.86	1253	707	8271.65	9261.05	330	650

स्रोत: उपरा विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

21.1.6 सांसद आदर्श ग्राम योजना- माननीय सांसद आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी माननीय सांसद गण ने अपने संसदीय क्षेत्र से लोक 6 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत का चयन किया, जिसका विवरण तालिका 21.4 में दिया गया है–

तालिका 21.4
माननीय सांसदों द्वारा चयनित ग्रामों का विवरण

क्र. सं०	सं० सांसद का नाम	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम	चयनित आदर्श ग्राम का नाम	विकास खण्ड का नाम	जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6
चरण– 1 (वर्ष 2014–15)					
1.	श्री भगत सिंह कोश्यारी	नैनीताल	खनुड़ा (खनुड़ा ग्राम सौंज)	धारीरौ	अल्मोड़ा नगर
2.	भेजनीय भुवन चन्द्र खण्डूरी	पौड़ी	टेहरी नरेन्द्रनगर	अगस्त्य	रुद्रप्रयाग
3.	डॉ० रमेश पोखरियाल 'निशंक'	हरिद्वार	बोलनपुर	खानपुर	हरिद्वार

4.	श्रीमती पद्मा रावतआदित्य	टिहरी	सैन	कुल्हा	उत्तरकाशी
5.	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	पुर्ती	रामनगर	नागेश्वर
6.	श्री महेन्द्र भट्ट	राज्य स्था	पौलोमी	टाटी	धनपाल
7.	श्री राजकुमार	राज्य स्था	लालकुंड	पिलखेत	खतौली
			वर्ष– 2 (वर्ष 2017–18)		
1.	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	पुलना	धारचूला	सिरौलाख
2.	डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक	हरिद्वार	लक्सर कलान	हरिद्वार	हरिद्वार
3.	श्रीमती पद्मा रावतआदित्य	टिहरी	अटलाबाद	खतौली	देवप्रयाग
4.	श्री भगत सिंह कोश्यारी	नैनीताल	खेड़ाली	बेतालघाट	नैनीताल
5.	श्री तरुण विजय	राज्य स्था	तेवा	जौनपुर	टिहरी
6.	श्री प्रदीप टम्टा (श्री लक्ष्य शिविर के सहन पर)	राज्य स्था	रामनगर	रामनगर	नागेश्वर
			वर्ष– 3 (वर्ष 2018–19)		
1.	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	भराड़ी	धनपाल	धनपाल
2.	डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक	हरिद्वार	पोखरीसेकेहपुर	लंढौरी	हरिद्वार
3.	श्रीमती पद्मा रावतआदित्य	टिहरी	भरता कलान	जौनपुर	टिहरी
			वर्ष– 4 (वर्ष 2019–20)		
1.	श्री अजय भट्ट	नैनीताल-उधमसिंह नगर	धनरियाकोट	पीपलसाना	नैनीताल
2.	श्री तीरथ सिंह रावत	पौड़ी	खिरकोली	धारीसैंण	पौड़ी
3.	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	पुर्तोली	रामपुर	अल्मोड़ा
4.	श्रीमती पद्मा रावतआदित्य	टिहरी	धनार	रामपुर	देवप्रयाग
			वर्ष– 5 (वर्ष 2020–21)		
1	श्री अजय भट्ट	नैनीताल-उधमसिंह नगर	गंगीपुर	पीपलसाना	नैनीताल
2	श्री तीरथ सिंह रावत	पौड़ी	डोभाड़	कल्जीखाल	पौड़ी
3	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	बोरानी	टाटी	धनपाल
			वर्ष– 6 (वर्ष 2021–22)		
1	श्री अजय भट्ट	नैनीताल–उधमसिंह नगर	भिमपुर	रुद्रपुरी	नैनीताल
2	श्री तीरथ सिंह रावत	पौड़ी	स्यूर सोल	डाबरी	कर्णप्रयाग
3	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	बोगल	पेना	सिरौलाख
			वर्ष– 7 (वर्ष 2022–23)		
1	श्री तीरथ सिंह रावत	पौड़ी	सतपाल	जोशीमठ	खतौली
2	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	नानकोट	गरुड़	नागेश्वर
			वर्ष– 8 (वर्ष 2023–24)		
1	श्री तीरथ सिंह रावत	पौड़ी	भरता कलान	खातीमा	पौड़ी

21.1.7 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन (SPMRM)– इसके अन्तर्गत अन्तिम अर्थिक जिला को लगते राज्य, आवश्यक सुविधाओं में वृद्धि करना और रोजगारपरक दक्षिण से स्वयं उद्यमियों का सृजन करना है।

तालिका 21.5

श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत राज्य में तीन वर्षों में कुल 07 क्लस्टर चयनित किये गये हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र सं	जनपद का नाम	चयनित क्लस्टर का नाम	वर्ष	चयनित ग्राम पंचायतों की संख्या
1	हरिद्वार	मायापुर– आशियुर	1	7
2	देहरादून	सर्वेन्योदयी	1	11
3	टिहरी गढ़वाल	धनौल्टी	2	10
4	उत्तरकाशी	मुखवा	2	8
5	ऊधमसिंह नगर	पहेलिया	3	7
6	बागेश्वर	कौसानी	3	12
7	चिंकीसैण (पौड़ी)	खलासोल्यूट	3	7

स्रोत: राज्य विकास निदेश, उत्तराखण्ड।

योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त धन से स्थानीय स्तरों पर स्थानीय सुविधाओं से समझौता किये बिना समता और सम्पोषण पर जोर देते हुए ग्रामीण आजीविका के मूल सरोकार को ध्यान में रखते हुये गावों के क्लस्टर को 'स्वयं गावों' के रूप में विकसित करना है। मिशन के अन्तर्गत राज्य में तीन वर्षों में कुल 06 क्लस्टरों का चयन किया गया है, तथा 07 चयनित क्लस्टरों का चयन राज्य को आवंटित किया गया है। कुल चिन्हित 6 क्लस्टरों के लिये अब तक कुल प्रस्तावित ₹ 8250 करोड़ के सापेक्ष गत वर्ष, 2022 तक ₹ 7853 करोड़ की धनराशि राज्य को आ चुकी है तथा कुल 388 कार्यों में से 437 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं तथा शेष कार्य प्रगतिरत हैं।

21.1.8 सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.)– इस कार्यक्रम द्वारा 6 सीमान्त तहसीलों के 6 विकासखण्डों में अवस्थित आवश्यकताओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न आवश्यक सुरक्षा कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

तालिका 21.6

सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित जनपद एवं विकासखण्ड का विवरण–

क्र सं.	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम
1	चम्पावत	चम्पावत
		लोहाघाट
2	पिथौरागढ़	डीडीहाट
3		धारचूला
		मुनस्यारी
		मूनाकोट
		कनालीछीना
4	उधमसिंहनगर	खटीमा
5	उत्तरकाशी	भटवाड़ी

स्रोत: राज्य विकास निदेश, उत्तराखण्ड।

वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में भारत सरकार द्वारा कुल 4867.86 लाख रुपए में से 3361.10 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। माह मार्च, 2022 तक वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लंबित प्रकरण ₹ 4962.66 लाख तथा ₹ 1972.94 लाख की धनराशि विभिन्न बैंकों में जमा की जा चुकी है।

21.2 राज्य पोषित योजनायें:-

21.2.1 मैया मांय मैरी सड़क योजना:- इस हेतु योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक कुल अवमुक्त धनराशि ₹ 2483.92 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक ₹ 1520.24 लाख व्यय किया गया है। योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत 302 सड़कों में सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक 21 सड़कें पूर्ण एवं 62 सड़कों पर कार्य प्रगति पर है जिसमें 37.400 कि०मी० सड़क निर्मित की गई है।

21.2.2 इन्दिरा अम्मा योजनातर्गत:- महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित इस योजनाओं में गरीब एवं जरूरतमन्द वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 33.82 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक ₹ 35.35 लाख की धनराशि व्यय की गयी है तथा 518413 लाभार्थी द्वारा इन्दिरा अम्मा योजनाओं से भोजन किया गया।

21.2.3 एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (Integrated Livelihood Support Project- ILSP)

गरीबों के आजीविका सुधार हेतु संचालित की जा रही परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह दिसम्बर, 2021 तक 44 नये विकासखण्डों में कुल 3668 गाँवों में 14228 उपक्रम समूहों के माध्यम से 127103 परिवारों को विभिन्न गतिविधियों में सहयोग किया गया है।

परियोजना की उपलब्धियां निम्न प्रकार है:-

1- दिसम्बर तक कुल 12033 उपक्रम समूह गठित किये गये तथा 161 आजीविका सकलनों का गठन किया जा चुका है, जिससे 137109 कुशल लाभान्वित हो रहे हैं।

2- 75581.30 लाख की वृत्ति योजना पूंजी का उपलब्ध किया गया।

3- 152018 लघु पशुओं के शेड का निर्माण किया गया।

4- 8416 छप्पर संरक्षण टैंक का निर्माण किया गया।

5- 58 छोटी सामुदायिक सिंचाई योजना जैसे टयूबवेल-जोड़े कुओं का निर्माण एवं 100.034 कि०मी. सिंचाई पेयजल निर्माण कर भूमि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध की गयी।

6- 161 संग्रहण केन्द्रों (Collection Center) एवं 600 लघु संग्रहण केन्द्रों (Small Collection Center) का निर्माण किया गया।

7- दिसम्बर, 2021 तक 3388 पारंपरिक सिंचाई टैंक के निर्माण में आजीविका सलाहकारों को 65 प्रतिशत वित्तीय सहयोग दिया गया।

8- दिसम्बर, 2021 तक कुल 24396 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

9- दिसम्बर, 2021 तक लगभग युवाओं को इन प्रशिक्षणों से माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है।

10- 9616 युवाओं द्वारा स्वरोजगार किया जा रहा है।

11- परियोजना के अन्तर्गत जनपद पैनोरोम, पूर्वी सिंह मण्डला के 07 विकासखण्डों में 22 कुल उपक्रम समूह (कड़कनाथ मुर्गीपालन) को संचालित किया जा रहा है।

कार्य एवं सफल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा ILSP एवं ULIPH (Uttarakhand Livelihood Improvement Project in the Himalayas) द्वारा जिन गाँवों में कार्य किये जा रहे थे उनमें कराए गए "End-Term Evaluation of IFAD assisted Integrated Livelihood Support Project (ILSP)" से सम्बन्धित रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु

- सर्वेक्षण के अन्तर्गत यह पाया गया कि बैनीफिशरी परिवारों में 88 प्रतिशत से अधिक से सभी बैनीफिशरेज कार्ड उपलब्ध हैं।
- सर्वेक्षण के अन्तर्गत प्रत्येक ILSP (घटक 2) गांवों में कुल वित्तीय लाभार्थियों का 37% फण्ड्स प्राप्त हुये थे।
- सर्वेक्षण में ULIPH परियोजना क्षेत्र में ₹ 1.81 लाख प्रत्यक्षतः सीधा वार्षिक लाभ, इसके साथ ILSP (घटक 1) परियोजना क्षेत्र में ₹ 1.65 लाख परिलक्षित हुई।
- सर्वेक्षित किये गये परिवारों में से, परियोजना (घटक 1) 48%, ULIPH 60%, परियोजना (घटक 2) 77% द्वारा बताया गया था कि उनकी आय लगभग 10 वर्षों में संबंधित क्षेत्रों में दोगुनी हुई थी।
- ILSP के अन्तर्गत 74% परिवारों के पास पक्का मकान पाया गया।
- सर्वेक्षित परिवारों में से अधिकांश परिवारों में खाने का पूरा होने पहले पानी था।

* घटक 1 – Rural Diversity and Livelihood Enhancement
* घटक 2 – Participatory Watershed Development

सोर्स: End Term Evaluation of IFAD Assisted Integrated Livelihood Support Project (ILSP), ESS Eco Land

21.2.4 मुख्यमंत्री चौखम्भा क्षेत्र विकास योजना (एम.सी.ए.डी.वी.)

राज्य के 9 चौखम्भा विकासखण्डों में आच्छादित परिवारों को सतत आजीविका एवं स्वरोजगार के सृजन सम्बन्धित उपलब्ध कराते हुए चौखम्भा क्षेत्रों में पलायन रोकना तथा विकसे पलायन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना संचालित है। उक्त योजनान्तर्गत मुख्यतः कृषि के आजीविका के सम्बन्धित कार्यकलापों, पशुपालन, कृषि, सम्बन्धित विकास कार्य किये जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में संशोधित प्रावधान के सापेक्ष ₹ 1418.62 लाख की धनराशि की सापेक्ष चौखम्भा परिक्षेत्र के जनपदों को योजनान्तर्गत हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक ₹ 1322.47 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु ₹ 2000.00 लाख की धनराशि संशोधित उक्त जनपदों को योजनान्तर्गत हेतु अवमुक्त की गयी है जिसके सापेक्ष ₹ 532.24 लाख व्यय किया गया है तथा 128 कार्य पूर्ण किये गये हैं।

21.2.5 मुख्यमंत्री पलायन चौखम्भा योजना –

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक विपरित भौगोलिक परिस्थितियों में स्थित चौखम्भा क्षेत्र के गाँवों से पलायन को रोकना तथा विकसे पलायन को बढ़ावा देकर उक्त विकास अवरोध दूर करना विशेष रूप से अधिक पलायन का दंश झेल रही कुल 474 गांवों में स्वरोजगार उपलब्ध कराना है।

इसके अन्तर्गत कृषि, उद्यान तथा पशुपालन से सम्बन्धित स्वरोजगारोन्मुख / कौशल विकास की कियाओं को अभिप्रेरित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु माह मार्च, 2022 तक कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 3000.00 लाख में सापेक्ष ₹ 2113.80 लाख व्यय किया गया।

21.2.8 ग्रामीण व्यवसाय इन्क्यूबेटर (आरबीआई)

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों, व्यवसाय तथा आजीविका व्यवस्थों क्षेत्रों में उपलब्ध क्षेत्र में स्थित लघुओं के मुख्य उद्यम को बढ़ावा देकर उनके रोजगार एवं कार्यक्षमता हेतु व्यावसाय तैयार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक नई पहल के रूप में ग्रामीण व्यवसाय इन्क्यूबेटर की स्थापना करना प्रस्तावित पौड़ी के दुगड्डा विकास खंड के गोदड़ाखाल तथा जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट में की गयी है।

ब्लाक विकास एवं पंचायत अधीक्षण, उत्तराखण्ड, पौड़ी द्वारा जनपद अल्मोड़ा एवं नैनीताल के ग्राम पंचायतों में कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर प्रस्तावित सम्बन्धी रिपोर्ट से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु

मुख्य व्यवसाय

ग्राम पंचायतों का मुख्य व्यवसाय (राज्य औसत)							
राज्य का नाम	मजदूरी	खेती	पशुपालन	दैवी	कारीगरी सेवा	अन्य कार्य	पेशन
उत्तराखण्ड	32.22	43.59	2.11	2.64	10.62	8.63	100

पलायन की स्थिति

स्थायी और अस्थायी पलायन।

पिछले 10 वर्षों में ग्राम पंचायतों से हुए पलायन का विवरण				
राज्य/जनपद का नाम	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या जहां से व्यक्तियों ने पूर्ण रूपेण पलायन किया है/ या वे अंश-अंश रूप रहता है/ उनकाई एक से रोजगार के लिए बाहर गया हो	जिनसे 10 वर्ष से पलायन करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (जिनसे पूर्ण रूपेण पलायन किया है/ या वे अंश-अंश रूप रहता है/ काफी एक से रोजगार के लिए बाहर गया है)	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या जहां से व्यक्तियों ने पूर्ण रूप से पलायन कर पूरी हो या अपनी उपस्थिति बेच चुके हैं/ लेकिन भूमि बाकर पाती हो/ घरों पर ताले लगे हैं/ रहने वाला कोई न हो	जिनसे 10 वर्षों में पूर्ण पलायन करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (जो पूर्ण रूप से पलायन कर चुके हो या अपनी उपस्थिति बेच चुके हैं/ अथवा भूमि बाकर पाती हो/ घरों पर ताले लगे हों/ रहने वाला कोई न हो/ परिवार के सभी सदस्य स्थाई रूप से पलायन कर चुके हैं)
उत्तराखण्ड	6338	3,63,726	3648	1,19,481
अल्मोड़ा	316	23861	313	9273
नैनीताल	304	22332	254	7585

पलायन के मुख्य कारण
ग्राम पंचायत से पलायन के कारण (प्रतिशत में)

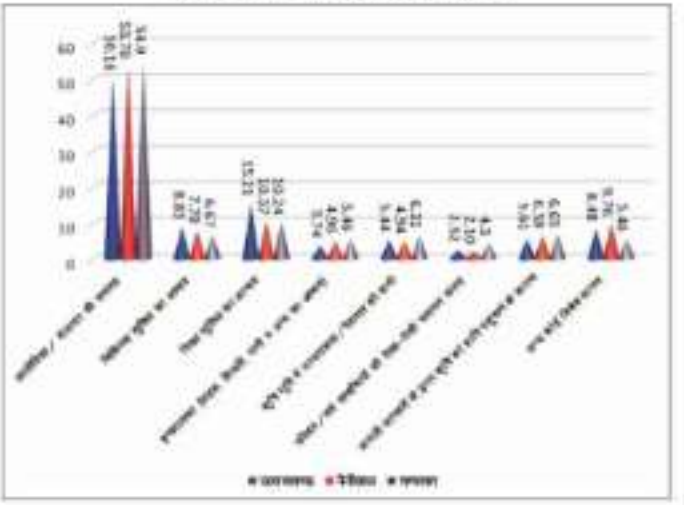

आयुवर्गवार पलायन

ग्राम पंचायतों से आयु वर्गवार पलायन का विवरण				
राज्य / जनपद का नाम	25 वर्ष से कम आयु वर्ग (प्रतिशत में)	26 से 35 आयु वर्ग (प्रतिशत में)	35 वर्ष से ऊपरिक आयु वर्ग (प्रतिशत में)	योग
उत्तराखण्ड	28.66	42.26	29.08	100
रोहीताश	29.44	34.57	35.98	100
सम्पकाल	25.23	45.40	29.25	100

पलायन के कारण

ग्राम पंचायत से हुए पलायन के कारणों का विवरण						
राज्य / जनपद का नाम	बेहतरीकी करवें ने	जनपद मुख्यालय	राज्य के अन्य जगहों में	राज्य से बाहर	देश से बाहर	योग
उत्तराखण्ड	15.48	15.18	35.80	28.72	0.98	100
रोहीताश	35.45	17.03	21.47	24.64	0.47	100
सम्पकाल	14.00	16.66	38.26	32.59	0.30	100

स्वामी राज – स्वामी राज जनपद में विकास का प्रकाश पिछले वर्ष से पूरी तरह की ओर बढ़ने के लिये वर्ष 2024 में स्वामी राज को अवर मंडलाय का दर्जा दिया गया। यहां से पंचायती राज के स्तर से उन्नत सहायता प्राप्त की आकांक्षा महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित है। यही की के शब्दों में

"सच्चा लोकतन्त्र दोन्द में बैठकर राज्य चलाने जैसा नहीं होता, बल्कि वह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है।"

21.3 स्वामी राज विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं का विवरण:–

21.3.1 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान – वर्ष 2017–18 में ग्राम–प्रतिभा केन्द्र सहित इस योजना को वर्ष 2018–19 में पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं आधारभूत संरचनाओं से सम्बन्धित घटकों को 80:10 के अनुपात में केन्द्रांश व राज्यांश के तहत संचालित केन्द्र की पुरानी योजनाओं तथा ई–पंचायतीकरण से सम्बन्धित योजनाओं को सह–प्रतीकात्मक केन्द्रांश के माध्यम से अन्तर्गठित किया जा रहा है।

✓ योजनागत मुख्यतः ग्राम विकास से सम्बन्धित है। जैसे–ई– जी ओ ई–गवर्नेन्स एवं स्वयंसेवी एवं पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों, दायित्वों, योजनाओं में लाभ पहुँचानेवाले, विकास योजनाओं के निर्माण आदि के सम्बन्ध में सहज प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

✓ वित्तीय वर्ष 2020–21 में उक्त योजनागतर्गत परिव्यय ₹ 36.37 करोड़ के सापेक्ष ₹ 30.39 करोड़ आवंटित हुआ, जिसके सापेक्ष ₹ 27.18 करोड़ की धनराशि का उपयोग (तालिका 21.7 के अनुसार) किया गया।

तालिका 21.7
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत स्वराज ग्राम धनराशि (₹ लाख में) का विवरण

क्रम सं0	घटक	ग्राम धनराशि (₹ लाख में)
1	GPDP एकीकरण	201.43
2	गुणवत्ता प्रशिक्षण	647.30
3	एसआरजी मिशन	30.00
4	एस पी आर ई अवार्डस्तर	75.00
5	एस पी आर ई अवार्ड अन्य	8.00
6	पंचायत भवन निर्माण	683.00
7	पंचायत भवन मरम्मत	363.00
8	सामिल सामिल सेंटर संचालनार्थ पंचायत भवन" में ऐसाटीएल डीलर	263.00
9	प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबंधन	6.80
10	प्रचार प्रसार	33.63
11	सीआरसी प्रबंधन	141.50

स्रोत: स्वामी राज विभाग, प्रशासकीय।

✓ Covid-19 महामारी के दृष्टिगत पंचायत प्रतिनिधियों / पंचायत कार्मिकों के क्षमता निर्माण हेतु दुरदर्शन सहायता पर अक्टूबर, 2021 में ऑनलाईन प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से आयोजित किया गया।

✓ ऑनलाईन प्रशिक्षणों हेतु आवश्यक आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए ऑनलाईन प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2020-21 में 42075 पंचायत प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया।

✓ वर्ष 2020-21 के दौरान जिला पंचायत एवं पंचायत समिति स्तर पर 02 दिवसीय जेण्डर ऑडिट/थैमेटिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण किया गया।

✓ पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु जनपद पंचायतवार, ब्लॉकवार, पंचायत व डिहरी गढ़वाल में D.P.R.C. निर्मित। उत्तरकाशी कार्यालय में D.P.R.C. निर्माणाधीन।

✓ **राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र (SPRC)**:- एकीकृत ग्राम सशक्तता अभियान वर्ष 2017-18 से अन्तर्गत राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु ₹ 100 लाख तथा आपरेशन हेतु वर्ष 2020-21 में ₹ 25 लाख आवंटित। संसाधन केन्द्र के निर्माण हेतु कुल 370.85 लाख ₹ की कार्योदेश स्वीकृत।

नवीनतम योजना:-

✓ **वर्ष 2019-20 में जनपद हरिद्वार में कॉक्स पेस्ट प्लास्टिक रिसाइक्लिंग प्लान्ट की स्थापना**:- कॉक्स पेस्ट प्लास्टिक रिसाइक्लिंग प्लान्ट की स्थापना के लिए कुल ₹ 179.83 लाख की कार्योदेश स्वीकृत, जबकि आंशिक धनराशि हेतु ₹ 20.14 लाख की धनराशि 2 लाख भार से पूर्व स्वीकृत की गयी है। सोलर एवं अक्षय ऊर्जा (Plant & Machinery) हेतु केन्द्र पोषित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में मशीनरी परिवेक्षण के शीर्ष में 2.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत/प्राप्त, जबकि अवशेष धनराशि का प्रस्ताव शासन स्तर पर वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में ग्राम पंचायतों/जिला पंचायतों को आवंटित राशि के सापेक्ष ऐसा आवंटित प्रावधान कर ₹ प्राप्त होने से अतिरिक्त की गणना के लिए अनुरोध।

✓ **वर्ष 2021-22 में हैल्प डैस्क प्रणाली**:- प्रशासकीय प्रशिक्षणों को गुणवत्तापरक बनाने तथा पंचायतों की सभी समस्याओं के समाधान हेतु उपयुक्त मंच उपलब्ध कराने की दृष्टि से हैल्प डैस्क प्रणाली का गठन – हैल्प डैस्क के माध्यम से दिसम्बर, 2020 से प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है।

✓ **वर्ष 2021-22 में Smart & Eco Friendly Office एवं Huddle Room**:- देश्य देवाल के माध्यम से ऑनलाईन प्रशिक्षण हेतु आवश्यकतानुसार जेण्डर जेण्डर बनाने के लिये निदेशालय भवन का आधुनिकीकरण कर Smart & Eco Friendly Office एवं Huddle Room तैयार किये गए हैं। विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पंचायतों को दी गई जाने वाली 29 विषयों से सम्बन्धित विभागों के साथ कार्य एवं 10000 तक पंचायत प्रतिनिधियों का एक साथ ऑनलाईन प्रशिक्षण आदि प्रदान किये जाने हेतु Huddle Room स्थापित किया गया है।

✓ वर्ष 2021-22 में कुल मद में ₹ 03.07 करोड़ की धनराशि स्वीकृत है, जिसमें एकीकृत जेण्डर पोषण अभियान 2021- सम्बन्धी पोषण अवधि विकास के अन्तर्गत दिनांक 27-28 सितम्बर, 2021 को राज्य स्तर एवं देहरादून में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है।

✓ 503 ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटीकरण हेतु प्रति ग्राम पंचायत ₹ 42 हजार की दर से धनराशि जनपदों को स्वीकृत की जा चुकी है।

✓ सम्भव, 2021 में जेण्डर पोषण अभियान 2021 के व्यापक प्रशिक्षणों एवं जागरूकता कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के क्षमता विकास हेतु राज्य स्तरीय एवं जिलेवार प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन क्रमशः दिनांक 22 नवम्बर, 2021 एवं 25 नवम्बर, 2021 को किया गया है।

✓ ग्रामीण योजना अभियान 2021 के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, हैदराबाद तथा राष्ट्रीयकृत बैंकाओं, भारत सरकार के सहयोग सहभागिता से जिलास्तरीय 20 दलों के लिये राष्ट्रीय स्तर की दो दिवसीय वेबीनार कार्यशाला का आयोजन 29-30 नवम्बर, 2021 को देहरादून में आयोजित किया गया है।

21.3.2 राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचवर्षीय आवंटन एवं उपयोग:- राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्यों को अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जाती है, जो राज्यों द्वारा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर खर्च की जाती है। उक्त धनराशि से पंचायतों द्वारा स्थानीय आवश्यकता के

अनुसार विकास/निर्माण कार्य कराये जाते हैं। राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतों हेतु गठबंधन धनराशि के संबंध में संस्तुतियाँ हेतु 20 प्रतिशत, क्षेत्र पंचायतों हेतु 30 प्रतिशत तथा जिला पंचायतों हेतु 20 प्रतिशत वार्षिक वेतनमान के मानक निर्धारित किये गये हैं।

पंचायतों के अनुमोदन संबंधित प्रस्तावों के प्रस्तावित निर्माणित उपयोगिताओं के भागदेय का भुगतान किया जाता है। शेष धनराशि में 50 प्रतिशत धनराशि भारसाधी पद तथा कार्यालय संबंधी सीमांकन तथा जीव अनुसंधित प्रबंधन, रीसेट प्रबंधन सहित तथा लेखापरी एवं सम्बन्धित कार्यकुशलित परिसम्पत्तियों का रख-रखाव, स्ट्रीट लाईट, आगन्तुकों स्थानों का निर्माण/अभिवृद्धि तथा-तथा इत्यादि का निर्माण एवं सामुदायिक भवन निर्माण आदि विकास कार्यों पर व्यय की जाती है।

चार्ट 21.7
राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटित एवं व्यय धनराशि का विवरण (₹ करोड़ में)

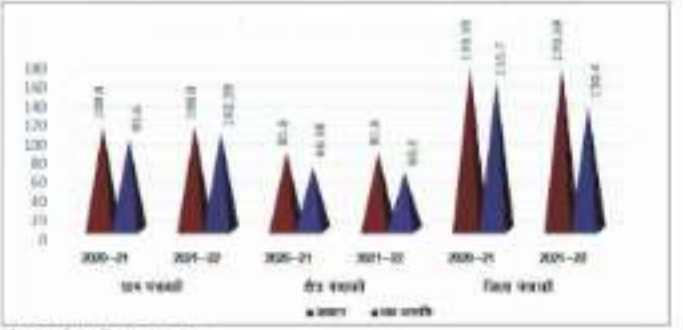

स्रोत: उपायुक्त एवं निदेशक, पंचायतीराज

21.3.3 राज्य वित्त आयोग: (वर्ष 2020-21 से 2025-26) राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 से पंचायती राजसंस्था (ग्राम पंचायतों को 75 प्रतिशत, क्षेत्र पंचायतों को 10 प्रतिशत एवं जिला पंचायतों को 15 प्रतिशत) वित्तमंत्रित पंचायतों को वितरित किया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ₹ 574.09 करोड़ की धनराशि वित्तमंत्रित पंचायतों हेतु आवंटित की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर राज्य के वित्तमंत्रित पंचायतों के लिए ₹ 425.00 करोड़ का आवंटन के सम्बन्ध अनटाईड फण्ड के रूप में दो किस्तों में ₹ 251.22 करोड़ (दो ताईद फण्ड के रूप में दो किस्तों में ₹ 167.48 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रतिवर्तित धनराशि ₹ 425.00 करोड़ के सापेक्ष ₹ 419.70 करोड़ का आवंटन वित्तमंत्रित पंचायतों को किया गया है। 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान को मूल अनुदान (80 प्रतिशत) एवं बंधन अनुदान (टाईड फण्ड) (20 प्रतिशत) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(क) मूल अनुदान (Untied Fund):- मूल अनुदान के अन्तर्गत वित्तमंत्रित पंचायतें अपनी स्थानीय प्रिरिऑरिटी आवश्यकताओं के अनुसार मूलभूत सेवाओं हेतु, मानदेय अथवा अन्य संचालन व्ययों को छोड़कर, उपयोग कर सकेंगी।

(ख) आबद्ध अनुदान (Tied Fund):- वाहित फन्ड के रूप में प्राप्त होने वाली राशि से (1) सफाई और खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति को बनाए रखने हेतु (2) पेयजल आपूर्ति, उसे जल संरक्षण एवं जल पुनर्चक्रण हेतु उपयोग कर सकेंगे।

21.3.4 डीएलपीसी/ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण योजना:- इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में चयनित 7791 ग्राम पंचायतों में पैरामीटर आधारित ग्राम योजनाएँ पंचायत स्तर पर आयोजित कर दी गई हैं।

21.3.5 ई-पंचायत:- जिलापरिषद पंचायतों में ही रहे विकास कार्यों में पारदर्शिता, तकनीकी का समावेश एवं जनसामान्य को इसकी जानकारी सुलभ कराने के लिए पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई पंचायत के अन्तर्गत निम्न एप्लीकेशनस तैयार किये गये हैं।

➢ **ई-द्वार स्वराज पोर्टल:-** इस पोर्टल के अन्तर्गत निम्न 33 एप्लीकेशनों को सम्मिलित किया गया है:-

1. **डिया सेवाएं:-** ई-पंचायत के अन्तर्गत पंचायतीराज इन्फरेस्ट्रक्चर एवार्ड्स पोर्टल तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं को अनुकूल वातावरण का सृजन एवं प्रोत्साहन करना है।

2. **प्लान प्लस:-** इसका उद्देश्य नियोजन का विकेन्द्रीकरण करना तथा जिला स्तर पर तैयार की योजनाओं के निर्माण को सरल बनाना है।

3. **एक्शन-सॉफ्ट:-** इसमें अन्तर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों, शहरी स्थानीय निकायों व जनपद निकायों द्वारा अनुमोदित एकीकृत प्लान के अन्तर्गत कराए जा रहे कार्यों का पंचायत एवं जिलेवार प्रगति के आंकड़ें रखे जाते है तथा इनका अनुश्रवण किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त निम्न एप्लीकेशन्स लागू है :-

➢ **इज.पी.बी.:-** पंचायत एकाउन्टिंग सॉफ्टवेयर्स का उद्देश्य विकसित पंचायतों की लेखांकन प्रक्रियाओं को ऑनलाईन करना है।

➢ **एरिया डोमाईनेन्स:-** इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविकीय लोक आवश्यकताएं, निर्माणकार्य एवं विनियोजित प्रतिक्रियाओं की सूचना को उपलब्धता करना है।

➢ **मैनेजमेन्ट एसेट सपोर्टसर्वे:-** इस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य राज्यों द्वारा निर्मित/संचालित/अनुरक्षित सम्पत्तियों का संधारण करना है। जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले सभी एसेटस्लिस्ट का भी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आँकड़ा संकलित किया जाता है।

➢ **सर्विस प्लस:-** इस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य विभिन्न विभागों को एक ही पोर्टल में संयोजित करना है। इस पोर्टल पर जाकर जन्मप्रमाण, निवास प्रमाण, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य उपलब्ध उपयोगी सेवाएं अर्जित हैं, जिन्हें आवेदन स्वयंसेवा लोकसेवा द्वारा किया जा सकता है।

➢ **सोशल ऑडिट एण्ड गीटिंग मैनेजमेन्ट:-** सामाजिक लेखा परीक्षा एवं अभिवेदन प्रबन्ध सॉफ्टवेयर का उद्देश्य सोशियल सोसायटीज/कार्यकर्त्ताओं का सामाजिक ऑडिट करना है।

➢ **पंचायत पंचायका पोर्टल:-** राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल समस्त पंचायत वेबसाइट के समूह का नाम है जिसका खर्ची पानपूर्ण पंचायत की पंचायतों जैसे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, न्यायपंची सहित मंत्रालय तथा राज्यों के पंचायती राज विभागों हेतु वेबसाइट / आंकड़े प्रदान है।

➢ **ट्रैकिंग मैनेजमेन्ट पोर्टल:-** इस पोर्टल का उद्देश्य सामाजिक अभिसिद्धि/निर्धारित कार्यक्रमों को सभी फील्ड कार्यकर्त्ताओं तथा इन्टिग्रेटर संस्थाओं हेतु मॉनिटरिंग करना है।

➢ **जी. आई. एस.:-** इसके अन्तर्गत जनसेवा संबंधित सेवाओं से संबंधित/संरक्षित डाटा/सूचनाओं को एक लेयर के माध्यम से अर्जित किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्थानीय द्वारा कार्यकर्त्ता के विकसित किया जा रहा है।

राशि से अतिरिक्त बजट व्यवस्था से पी0 एम0जी0एस0वाई0 योजनेतर की व्यवस्था से उत्तराखण्ड राज्य में पंचायती राज विभाग द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों के खर्चों में राज्य वित्त की व्यवस्थित का भुगतान किया जा रहा है।

21.3.6 पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना– विभागीय नियंत्रण, सतत मूल्यांकन द्वारा पंचायतों को सशक्त एवं उत्तरदायी बनाने हेतु वर्ष वित्तीय वर्ष 2011–12 से पंचायत सशक्तिकरण एवं उत्कृष्टता प्रोत्साहन योजना के रूप में प्रारम्भ की गयी है।

1. **दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (DDUPSP)**– इस पुरस्कार के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं के योजनाओं की प्रशासनी आदि में सुधार सम्बन्धी कार्यों के आधार पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत) को पुरस्कृत किया जाता है। चयनक्रम के आधार पर सम्मान श्रेणी एवं 03 प्रोत्साहित श्रेणियों क्रमशः प्रशासनिक सेटअप (विकास एवं प्रशासन, अवस्थापना) प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन (जल से जीविका एवं सेनिटेशन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति / दिव्यांगजन केन्द्रित योजनाएँ) सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा, आरोग्य, स्वास्थ्य, अनुसूचित जाति/जनजाति/ग्राम उत्थान) के सर्वेक्षण के लिए व्यक्तिगत प्रोत्साहन राशि, सदर्भ के आधार सूचि में चयनित एवं ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत पंचायतों को चयनित किया जाता है।

जिसमें 01 जिला पंचायत, 02 क्षेत्र पंचायतों एवं 04 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (DDUPSP) 2022 के अन्तर्गत चयनित पंचायतों को तालिका 21.8 के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है।

तालिका 21.8

क्रम सं0	पंचायत का स्तर	पंचायत का नाम	धनराशि (₹ लाख में)
1	जिला पंचायत	देहरादून	50.00
2	क्षेत्र पंचायत	प्रहलाद, टिहरी गढ़वाल	25.00
3		पुरोला, उत्तरकाशी	25.00
4	ग्राम पंचायत	ओरोखण्ड, हल्दवानी, नैनीताल	8.00
5		मेहराड़ी, गौरीख उत्तराखण्ड	8.00
6		खोखर, रामनगर, पौड़ी गढ़वाल	8.00
7		रिंगल, गोपेश्वर, उत्तराखण्ड	8.00
		कंडारखाल, रिखणीखाल, पौड़ीगढ़वाल	8.00
कुल			131.00

2. **नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (NDRGGSP)**– नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार एक ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा के द्वारा प्रति वर्ष ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने, सामाजिक सुधार के कार्य करने एवं ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा का चयन किया जाता है, जिसमें प्रत्येक राज्य की 01 ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जाता है। भारत सरकार द्वारा नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम

एवं पुरस्कार 2022 से ग्राम पंचायत केंचाधाम, नैनीताल, देहरादून को पुरस्कृत धन ₹ 10.00 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है।

3. **ग्राम वित्तीय प्रबंधन पुरस्कार (GFMPA)**:- ऐसी ग्राम पंचायत जिसके द्वारा बजटों के समीक्षा, विश्लेषण, जिसमें बजटों के अंतर्गत की गयी व्यय का अभिलेखन, रखरखाव, पोषण, लेखापरीक्षण, प्रत्यायित किए जाने संबंधी प्रक्रियाओं, प्रक्रियाओं, गतिविधियों, प्रक्रियाओं आदि क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त किया गया हो, को ग्राम वित्तीय प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसमें प्रत्येक राज्य की 01 ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष वित्तीय ग्राम पंचायत पुरस्कार 2021 में ग्राम पंचायत बाराकोट, विकासखण्ड, देहरादून को पुरस्कृत धन ₹ 5.00 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है।

4. **ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार (GPDP)**:- सामाजिक विकास तथा मूल भूत सेवा वर्गों के समावेश सोहदृढ़ और विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रहा है। यह पुरस्कार उत्तरदायी स्थानीय प्रशासन के लिए एक अवसर प्रदान करता है। आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाना, समेत एवं समावेशी वर्ग के लिए एक सर्वोत्कृष्ट गतिशील निर्धारण योजना तैयार करना एवं पंचायत के द्वारा कार्यान्वयन की दक्षता को बढ़ाने में 29 विषयों को सम्मिलित कर ऑनलाईन पोर्टल का निर्माण करना तथा अभिलेखन गाँव में निर्णयों का उत्तरदायित्व कार्यक्षेत्रण सिस्टम आदि की श्रेणी में ग्राम पंचायत के द्वारा किये उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2019-20 में पंचायत को प्रदान किया जाता है, जिसमें प्रत्येक राज्य की 01 ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जाता है। भारत सरकार द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार 2021 में ग्राम पंचायत अटकलपाई, सहसपुर, देहरादून को पुरस्कृत धन ₹ 5.00 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है।

21.3.7 जीरो अपशिष्ट प्रबन्धन नीति:- ग्राम पंचायतों में वार्षिकी की रक्षणशीलता को सुनिश्चित करते हुए "स्वच्छ गाँव समृद्धगाँव" के उद्देश्यों को प्राप्ति की जा सकती है। उत्तराखण्ड राज्य द्वारा पंचायतों में जीरो अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु पंचायतों के लिए उत्तराखण्ड जीरो अपशिष्ट प्रबन्धन नीति-2017 प्रख्यापित की गयी है। जीरो अपशिष्ट का प्रबन्धन पंचायतों द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान तथा अन्य के स्वयं के स्रोतों (OSR)/ संसाधनों से पूरा किया जाता है। Plastic Waste Management Rules, 2016 के अन्तर्गत Plastic Waste Management policy के द्वारा नियमित एवं कार्य परिचालन है।

जीरो अपशिष्ट प्रबन्धन नीति के तहत 06 ग्राम पंचायतों के भेलपुर खास्पट, जिला- ऊधम सिंहनगर, जनपद देहरादुर में हल्दवा इण्डिया बैंक के साथ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत सहयोग करार पर संचालित किया जा रहा है। सम्पूर्ण प्रदेश में उत्तराखण्ड जीरो अपशिष्ट प्रबन्धन नीति को दृष्टि करते हुए अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य पंचायतों स्तर में क्रियान्वित किया जा रहा है।

जीरो अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु सभी पंचायत प्रतिनिधियों/पंचायत सचिवों को मास्टर ट्रेनर के माध्यम से विकास खण्ड/जनपद मुख्यालय/राज्य मुख्यालय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

नियोजित प्रतिनिधियों को उनके दायित्वों एवं अधिकारों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

उत्तराखण्ड हरीतिमा में कॉमन वेस्ट प्लास्टिक मैनेजमेन्ट लिमिटेड की स्थापना का कार्य प्रगतिमान है।

कोविड-19 के दौरान पंचायतों द्वारा किये गये कार्य:-

1. कोविड-19 के दौरान पंचायतों द्वारा क्वारन्टाइन हेतु दैनिक उपयोग का बीज एंटिल, एक्सिस पुनर्वासकेन्द्र व होटल बैंकिंग के माध्यम से क्वारन्टाइन व्यक्तियों व्यवस्था गया।

2. ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों / कर्मचारियों के व्यवहार से शिकायतकर्ता को हुई असुविधा/नुकसान की प्रक्रिया को समाप्त किया गया।

3. पहान सेवाओं की गुणवत्ता में उन्नयनताओं को सहज बनाया गया।

4. ग्राम पंचायत कर्मचारियों के व्यवहार से सुधारने के द्वारा संतोषजनक डिलीवरिंग हेतु कोशिश की गयी।

5. जानकारी कार्यकर्ताओं आशा वर्कर, एएनएम, पुलिस/राजस्व कर्मचारियों को पंचायत प्रतिनिधियों के व्यवहार से जन शिकायतकर्ता व संबंधित व्यक्तियों को जानकारी हेतु सक्रिय रूप प्रोत्साहन प्रदान किया।

चैंपियन बनाकर प्लान

सर्विलांस से डाटाबेस 2020 की अनुसूची 11 की आवश्यक सामग्रीए 29 जिलों का चयनी कर जिलेवार जिलाधिकारी, मेडिकेल कॉलेजों एवं गुड़ गवर्नेन्स के सहयोग से ग्राम पंचायत जीएचडीसीएचसी, सीएचसीएचसी, पीएचसीएचसी के गठित प्लान किये गये हैं जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की स्थानीय संस्थाओं को सभी विभिन्न कोणों के व्यवहार में तैयार किया गया है।

कॉमन सर्विस सेंटर

कॉमन सर्विस सेंटर के व्यवहार से हैं- डिजिटल सेवाओं के तहत बनवाया जिसमें, डिजिलॉकर एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण एवं सेवानंद किया। को ग्राम प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधिय प्रमाण पत्र, जातीयता प्रमाण पत्र, आयकरदाता प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीय प्रमाण पत्र, विकलांग पेंशन प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था प्रमाण पत्र, सेवानंद पेंशनभोगी, सेवानंद पेंशनभोगी जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही है।

ग्राम पंचायतों के लिये कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाएँ: पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्रामीणों में विभिन्न सेवाओं हेतु CSC-SPV के साथ अनुबंध किया गया है, जिसके अनुपालन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्देश दिये गये हैं। उनके के क्रम में उत्तराखण्ड की सभी 982 ग्राम पंचायतों में "कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना" हेतु CSC-SPV के साथ समझौतापत्र किया द्वारा अनुबंध किया गया है। पंचायतीराज विभाग के साथ हुए अनुबंध के क्रम में CSC द्वारा ग्राम पंचायतों के लिये निम्न सेवाएं दिये जायेंगे—

- ई–ग्राम स्वराज पोर्टल (दिशा समिति, पंचायत पत्रा, एकाउंट सहित)
- एम. एकाउंट सॉफ्ट मोबाईल एप्लीकेशन (दिशा टैगिंग)
- ई एफ एम एस
- प्रशिक्षण ऑनलाईन
- इज ऑफ डू
- इम ए डी
- प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल
- इम एफ एम डैशबोर्ड
- स्वराज रोजगार पैकेजेज
- स्वराज डैशबोर्ड डैशबोर्ड
- पी एम डैशबोर्ड
- इसके अतिरिक्त भविष्य में होने वाली अन्य सेवाएँ सरकार की पंचायतों के ग्राम सभी को निम्न सेवाएँ भी उपलब्ध कराई जायेंगी:
- Online जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गमन।
- Digital सिग्नेचर सर्टिफिकेट की सेवाएं।
- पी एम हैल्थलाईन

अध्याय–22

शहरी विकास एवं आवास
Urban Development & Housing

22.1 शहरी विकास – राज्य सरकार द्वारा "सतत विकास लक्ष्य 2030" के अन्तर्गत शहरी विकास के कार्यक्रमों की पूर्ति हेतु 'सतत विकास लक्ष्य संख्या 11' विकास लक्ष्य शहरों एवं मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित एवं टिकाऊ बनाने पर केन्द्रित है। इसके तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये हैं। शहरी क्षेत्रों में आवासहीन विकास हेतु नवीन क्षेत्र में सुविधाओं का विकास, पार्कों का स्थापना, सौन्दर्यीकरण का निर्माण, विभिन्न आय वर्ग के लोगों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराना, रैन बसेरा का निर्माण, स्वच्छ भारत अभियान एवं स्मार्ट सिटी योजना जैसी कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

तालिका 22.1
कार्यालय में राज्य के स्थानीय निकायों की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र सं	मद	संख्या 2021	संख्या 2011	अन्तर/ परिवर्तन
1	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	81	72	09
2	नगर निगम (संख्या)	01	00	00
3	नगर पंचायत परिषद (संख्या)	31	28	+3
4	नगर पालिका (संख्या)	31	28	01
5	कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	21.12	20.03	09.04
6	नियमन अधिसूचनाओं की संख्या	00	00	00
7	विनियमित क्षेत्रों की संख्या	31	31	कुल नियमित स्थानीय निकायों में अन्तर विनियमित क्षेत्र संख्या में परिवर्तन
8	क्षेत्र आवास एवं नियमन योजना आदि की संख्या	31	31	01

स्रोत: शहरी विकास

तालिका 22.2
स्थानीय नगर निकायों/सेंसस टाउन में जनसंख्या की संभावी वार्षिक दर (CAGR)

शहरी : आवासहीन सांख्यिकी		
वर्ष	जनसंख्या	स्थानीय निकाय तथा संसद टाउन की संख्या (अनुमानित के आधार पर)
2021 (अनुमानित आंकड़े पर आधारित)	31.15 लाख (20.70%)	83
2011 (अनुमानित डेटा के अनुसार)	66.31 लाख (06.31%)	102

स्रोत : सेंसस

उपरोगला 2011 के आधार पर स्थानीय नगर निकायों तथा सेंसस टाउन में जनसंख्या की संभावी वार्षिक दर 3.42 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की संभावी वार्षिक दर मात्र 1.10 प्रतिशत है जिसका मुख्य कारण जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ता आकर्षण है।

शहरी अवसंरचना सुविधाओं पर बढ़ता दबाव

- जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कुल 81 शहरी स्थानीय निकायों में निवास करती है।
- वर्ष 2017–18 में प्रदेश में कुल 333.33 लाख पर्यटकों द्वारा पर्यटन हेतु भ्रमण किया गया जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का तीन गुने से भी अधिक है। वर्ष 2018–19 में अयोध्या धाम के कारण प्रदेश में कुल 26.05 लाख पर्यटकों द्वारा पर्यटन हेतु भ्रमण किया गया वर्ष 2017–18 में इतने अधिक जनसंख्या के कारण वे अवसंरचना सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में योग्य परिषद, योग्य परिषद एवं 16 प्रभावित पौराणपुरी परिसीमन हैं। इसकी अतिरिक्त कहुत स्थानीय योजनाओं के उपयोग उपलब्धता और स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) के तीसरे किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

वर्षों में राज्य में 8 नगर निगम, 42 नगर पालिका परिषद और 61 नगर पंचायतों सहित कुल 102 शहरी स्थानीय निकाय हैं। राज्य के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹ 3088.88 करोड़ रुपयों के प्रावधान की गई है और मार्च, 2022 तक ₹ 430.04 करोड़ का व्यय हुआ। स्थानीय नगर निकायों के आय–व्यय का वर्गीकरण निम्नलिखित है:–

तालिका 22.3
स्थानीय नगर निकायों के आय–व्यय का वर्गीकरण

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	आय		व्यय
		राज्य के स्रोत से	स्व-कर/गैर-कर से प्राप्त	
1	2017-18	14330.79	49216.37	59622.80
2	2018-19	21987.19	57641.00	76557.00
3	2019-20	11794.60	59448.00	72193.60
4	2020-21	12000.00	51782.34	73802.40
5	2021-22	12000.00	68033.71	80111.59

स्रोत: संबंधी विभाग

चार्ट–22.1
स्थानीय नगर निकायों के आय विश्लेषण
प्रतिशत में

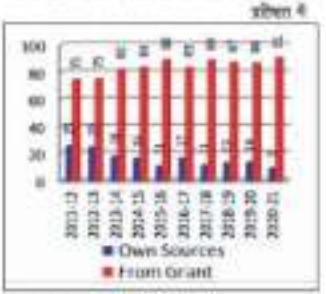

स्रोत: संबंधी विभाग

तालिका 22.3 एवं चार्ट 22.1 से स्पष्ट है:–

• स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा स्व के स्रोत एवं के स्रोतों से आय आय एवं व्यय है कि वर्ष 2019–10, 2019–20 एवं 2020–21 (अनुमानित) हेतु क्रमशः 17%, 19% एवं 15%।

• सात 13 वर्षों में स्थानीय नगरीय निकायों में राज्य के स्रोतों से आय आय वर्ष 2011–12 से वर्ष 2019–20 तक वृद्धि हुई है तथा ही राज्य/केन्द्र से प्राप्त सम्बन्धित में वृद्धि दर्ज की गयी है।

• वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 तक राज्य के स्रोतों से आये गये वर्षों से अधिकतर वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में कोविड–19 के कारण निकायों की राज्य के स्रोतों की आय में कमी दर्ज की गयी है।

• खण्ड परिषदों में स्थानीय नगर निकायों के अपने स्रोतों से भी वर्तमान में आय बढ़ाने हेतु विशेष किया जाना आवश्यक है।

• अभी तक संपदा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष उत्तराखण्ड के नगरीय निकायों की सेवाओं का विवरण प्राप्त कर रिपोर्ट तैयार किया जाता है। जिसमें आवास पर उपलब्धता दर्ज की वर्ष 2019–20 में कुल आय (वायु एवं पेयजल हेतु अतिरिक्त सम्मिलित) का प्रतिशत 80.75 है। चार्ट 22.2 के माध्यम से उपलब्धता उक्त विश्लेषण को दर्शाया गया है।

चार्ट–22.2
वर्ष 2019–20 में नगरीय निकायों का कुल आय के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत

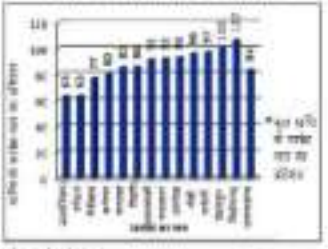

स्रोत: अपर निदेशक

आय के सापेक्ष में स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड नियोजनालय में आय के सापेक्ष कुल व्यय का प्रतिशत 107 है जो कि

[illegible] [illegible] [illegible] [

प्रति यूनिट सौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि:– भारत सरकार द्वारा ₹ 10800.00 तथा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम ₹ 1200.00 कुल ₹ 12,000.00 प्रति यूनिट प्रोत्साहन राशि दी जानी है।

सामुदायिक/सार्वजनिक सौचालय निर्माण हेतु संकेतित धनराशि (₹ में) पहला सरकार द्वारा ₹ 38000.00 तथा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम ₹ 58800.00 कुल ₹ 96,800.00 प्रति सीट अनुदान:

1– व्यक्तिगत घरेलू सौचालय के कुल लक्ष्य 27643 के सापेक्ष 23545 सौचालय पूर्ण निर्मित तथा 4098 सौचालय निर्माणाधीन है।

2– सामुदायिक/सार्वजनिक सौचालय के कुल लक्ष्य 2048 के सापेक्ष 1901 सीट के सामुदायिक/सार्वजनिक सौचालय पूर्ण निर्मित तथा 258 सीट के सामुदायिक/सार्वजनिक सौचालय निर्माणाधीन है।

3– सार्वजनिक मूत्रालय के कुल लक्ष्य 850 के सापेक्ष 823 सीट के सार्वजनिक मूत्रालय पूर्ण निर्मित तथा 237 सार्वजनिक मूत्रालय निर्माणाधीन है।

4– ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid waste management)

Support to the National Urban Sanitation Policy (SNUSP) के अन्तर्गत GIZ के तकनीकी सहयोग से राज्य के 14 शहरों (24 नैकायों) के Liquid & Solid Waste Management हेतु City SanitationPlan(CSP) निर्मित की जा चुकी है।

कुल 1152 वार्डों में से 1152 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण का कार्य प्रारम्भ तथा 1040 वार्डों में सोर्स सेग्रीगेशन का कार्य प्रारम्भ जिसमें 69 वैष्ठ बेर्ड सम्मिलित है।

• ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की 68 डीपीआर/डीपीआर हेतु ₹ 33,811.81 लाख की डीपीआर पर अनुमोदन प्राप्त हो चुका है तथा 69 निकायों हेतु 63 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन डीपीआर के सापेक्ष भारत सरकार से राशि प्राप्त है।

• योजना के अन्तर्गत कुल ₹ 14440.87 लाख की धनराशि प्राप्त हुई जिसमें सापेक्ष ₹ 11074.89 लाख निकायों को अवमुक्त की गई है।

• वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वच्छ भारत मिशन से प्राप्तांश कुल ₹ 5862.73 लाख का सापेक्ष प्रतिशत किया गया जिसके सापेक्ष वर्ष 2022 तक ₹ 4435.76 लाख व्यौपत हुआ है।

22.1.1.3 अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (Atal Mission For Rejuvenation and Urban Transformation, AMRUT):-

केन्द्र द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के स्थान पर एक नयी योजना प्रारम्भ की गयी है, जो 6 नगर निगमों देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, हल्द्वानी–काठगोदाम, कोशीपुर, रुद्रपुर) हेतु नगरीय परिवर्तन (मेगासिटी) में संचालित की जा रही है।

अमृत योजना के मुख्य उद्देश्य एवं परिचालन विधि:-

• प्रत्येक परिवार को विश्वसनीय जलापूर्ति व सीवरेज कनेक्शन सहित नल सुलभ कराना।

• वर्षाजल क्षेत्र और भूमध्यस्थित खुले मैदान (अर्बन पार्क) विकसित करके हरियाली की व्यवस्था में वृद्धि करना।

• वार्षिक वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹ 23267.00 लाख कुल परिव्यय से सापेक्ष मार्च मार्च 2022 तक ₹ 21067.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है, जिसे लाख किए गया है। योजना प्रारम्भ से मार्च 2022 तक अमृत योजना में अवमुक्त कुल धनराशि ₹ 59302.00 लाख की सापेक्ष ₹ 42795.65 लाख व्यय किया गया।

• योजना प्रारम्भ अवधारणा में लक्ष्य 47 के सापेक्ष 36 पूर्ण एवं 11 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

• सीवरेज में लक्ष्य 44 के सापेक्ष 33 योजनायें पूर्ण एवं 11 योजनाओं पर कार्य गया है।

• ड्रेनेज में लक्ष्य 55 योजनाओं के सापेक्ष 11 योजनायें पूर्ण एवं 5 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

• Green Space में लक्ष्य की कुल 40 योजनाओं के सापेक्ष 28 पूर्ण एवं 6 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

22.1.1.4 प्रधानमंत्री आवास योजना– उत्तराखंड आवास योजना के अन्तर्गत 2022 तक प्रत्येक नागरिक को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

• नागरिकों ने विभिन्न नगरी प्रशासन पोर्टल के माध्यम से 17 परियोजनाएँ (48pt लाखरों की लागत सामग्र हुआ) प्रस्तुत की। जिसमें से 4pt लाखरों पर कार्य पूर्ण कर लिए गये हैं व 24 लाखरों पर कार्य प्रगति पर है।

• सामर्थी जनसंख्या प्रारंभ योजना के अन्तर्गत 180 परियोजनाएँ स्वीकृत हैं, जिसमें से 9403 आवास स्वीकृत किये गये जिसमें से 8830 आवासों पर कार्य प्रगति पर है व 2170 आवास पूर्ण कर लिए गये हैं।

• राज्य में 51 निकायों में आवास मीन सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है जिसमें कुल आवास संख्या 93648 है।

वर्ष 2021-22 में ₹ 18000.00 लाख का बजट में आवंटन है वर्ष, 2022 तक ₹ 8845 लाख अनुमत हुए हैं, जिसमें व्यय किया गया है।

22.1.1.5 स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए चेतनपुर नगर का चयन किया गया है। परियोजना के अन्तर्गत चेतनपुर नगर के चयनित क्षेत्रों के सतत् विकास के लिए ₹ 1000.00 करोड़ प्रावैधानित है, जिसमें 50 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा तथा शेष जिला प्रशासन परिषद के परियोजना के अन्तर्गत इन्टीग्रेटेड कमाण्ड कन्ट्रोल सेन्टर जो यातायात की रियल टाईम समस्याओं जैसे सुरक्षा प्रबन्धन, यातायात, प्रदूषण, बेहतर समन्वयकों के समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित विभागों को सूचनाएं उपलब्ध करेगा, के स्थापित करने की कार्यवाही संचालित है, जिसके अगस्त 2022 स्थापित हो जायेगा। वर्ष 2021-22 में ₹ 20400.00 लाख का बजट में प्रावधान है, जिसमें से ₹ 11470.00 लाख स्मार्ट सिटी को उपलब्ध किया गया।

स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत चलाये जाने वाले कार्य—

1. स्मार्ट स्कूल, 2. वाटर एटीएम्स, 3. स्मार्ट रोड, 4. ट्रैफिक कमाण्ड एवं कन्ट्रोल सेन्टर, 5. स्मार्ट एप्लेस, 6. पेयजल आपूर्ति संवर्धन, 7. पर्यटन प्रोत्साहन जीर्णोद्धार, 8. पर्यटन बाजार पैसल मार्ग का विकास, 9. गलियों ट्रन लाइटेंस, 10. स्मार्ट पोल, 11. सीवर लाईन मार्ग, 12. जनसुविधा भवन कम्पलस, 13. वीम विलिंग, 14. इलैक्ट्रिक बस आदि।

1— **स्मार्ट स्कूल—** योजना के अन्तर्गत 03 राजकीय विद्यालयों (1. राजकीय कालेज, रामपुर पेन, 2. राजकीय बालवृन्द, 3. राजकीय जुनियर हाईस्कूल) में स्मार्ट क्लास रूम सुविधा प्रदान किये जाने की सुविधाएं जिसमें ट्रू स्मार्ट लाईनेस, ट्रू कम्प्यूटर लुक लैब आदि की व्यवस्था। कार्य की कुल लागत ₹ 3.50 करोड़ जिसमें व्यय मात्र ₹ 0.73 करोड़।

2— **वाटर एटीएम्स—** योजना के अन्तर्गत दून शहर में कुल 24 वाटर एटीएम्स लगाये जाने है जिसमें से 24 वाटर एटीएम्स लग चुके हैं। (बीबी पार्क, रौनकवाल पार्क, दून अस्पताल, कलक्ट्रेट परिसर, रिसपना पुल आदि)

3— **स्मार्ट रोड—** योजना के अन्तर्गत कुल 6.1 किलोमीटर के चार मार्ग (हिमकुट रोड, ईस्टर्न रोड, चकराता रोड व हाईवेर रोड) का विकास किया जाना प्रस्तावित है। कुल लागत ₹ 203.23 करोड़ के सापेक्ष व्यय ₹ 72.37 करोड़।

4— दून एप्लेस्टा कमाण्ड एवं कन्ट्रोल सेन्टर के अन्तर्गत पुलिस विभाग एवं निगरानी सम्बन्धित कार्यों व एकत्रित जानकारियों के संचालन में सहायक होगा। कार्य की कुल लागत ₹ 204.23 करोड़ के सापेक्ष व्यय ₹ 222.76 करोड़ है। (सिटीजनकैप सेन्टर / सीसीटीवीएमएस / स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम)

5— **स्मार्ट एप्लेस** योजना के अन्तर्गत 07 स्मार्ट एप्लेस स्कीमवार 101 निर्माण प्रस्तावित है। जिसमें से कलैक्ट्रेट परिसर व पर्यटन प्रोत्साहन का स्मार्ट एप्लेस सम्मिलित है। शेष 94 कार्य प्रगति पर है कुल लागत ₹ 1.61 करोड़ के सापेक्ष व्यय ₹ 0.73 करोड़ है।

6— **पेयजल आपूर्ति संवर्धन** के अन्तर्गत पहाड़ी इलाकों का सर्वे पहाड़ी एवं डिलीनेशन मेन का कार्य किया जाना है। कुल लागत ₹ 38.49 करोड़ के सापेक्ष व्यय ₹ 21.72 करोड़ है।

7— **पर्यटन प्रोत्साहन जीर्णोद्धार** के अन्तर्गत पर्यटक कार्य, ट्रैकिंग कार्य, कार्य जैसे पर्यटक रैस्ट हैडकार्टर, आर्ट एण्ड कलाकृतियां कार्य प्रस्तावित हैं। कुल लागत ₹ 21.00 करोड़ के सापेक्ष व्यय ₹ 5.26 करोड़ है।

8— पल्टन बाजार पैदल मार्ग का विकास योजना हेतु कुल लागत ₹ 13.81 करोड़ के सापेक्ष व्यय ₹ 3.27 करोड़ है।

9— घंटाघर टून लाईब्रेरी योजना के अन्तर्गत टून लाईब्रेरी के निकट सैलानीन चौक के सामने घंटाघर टून लाईब्रेरी का नाम (सह सुविधा) भवन (24 मीटर) प्रस्तावित है। कुल लागत ₹ 12.25 करोड़ के सापेक्ष व्यय ₹ 9.16 करोड़ है।

10— स्मार्ट पोल योजना के अन्तर्गत लोटस्मार्ट नेटवर्क (लगभग 10 किमी० के अंदर) इन्टेलीजेन्ट पोल (120 नग) लाई-काई पावर (30 नग) स्मार्ट एलाईटीज (93 नग) का कार्य प्रस्तावित है। कुल लगत 67.20 करोड़ के सापेक्ष व्यय ₹ 13.16 करोड़ है।

11— सीवर लाईन कार्य के अन्तर्गत एडीबीपी क्षेत्र में सीवर लाईन का कार्य प्रस्तावित है। (सहस्त्रधारा में ओल्ड एयरपोर्ट के पीछे और, दर्शन लाल चौक से गांधी रोड होते हुए सहस्त्रधारा चौक, सिद्धपुर रोड से सहस्त्रधारा चौक सुरिया मैदानतक में) कुल लागत ₹ 30.30 करोड़ के सापेक्ष व्यय ₹ 2.94 करोड़ है।

12— राष्ट्रीय ध्वज स्थापन के अन्तर्गत 100 फीट ऊचाई का राष्ट्रीय ध्वज दिलाराम चौक के निकट स्थापित किया गया है।

13— डी० बिल्डिंग योजना के अन्तर्गत बिल्डिंग कार्यालयों हेतु बहुमंजिला इमारत (सेलाकुई में कलैक्ट्रेट देहरादून की भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित है। इमारतों को Green Rating for Integrated Habitat Assessment के मानकानुसार बनाया जायेगा। कुल लागत ₹ 187.75 करोड़।

14— इंटीग्रेटिड बस योजना (Gross cost Contract Basis) के अन्तर्गत शहर में कुल 33 इंटीग्रेटिड बस डाई जानी प्रस्तावित है। 12 बस डांकन्स से शहर में तथा शेष 21 बसें सब्द जून से अन्य रास्ते शहर होना प्रस्तावित है। योजना की कुल लागत ₹ 23.10 करोड़ के सापेक्ष व्यय ₹ 4.45 करोड़ है।

15— स्मार्ट सिटी CITIS Project के अन्तर्गत स्मार्ट सिटी मिशन के संदर्भ बिंदुओं को पूरा में लाने सिस्टम लोगों के व्यवसायों के साथ व्यवस्थ और सुविधा नागरिकों के साथ एक टीम स्पर्धा और आर्थिक रूप से मौजूद शहर की परिकल्पना की गई है। जोरे बच्चों की रक्षा और सुरक्षा को संवेदित करने के लिए शहर के बच्चों के लिए अनुपूरक एक आयाम मोबिलिटी योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 ₹ 2644.00 लाख का परिव्यय स्वीकृत है, योजना हेतु लागी एजेन्सी प्रगत होगी है।

22.1.2 बाह्य सहायतित योजना—

22.1.2.1 नगरीय जलप्रबन्धन एवं सुदृढ़ीकरण आजकालिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान— इस परियोजनान्तर्गत निम्नांकित देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकी व रुद्रपुर में पीपलेन व पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यों से वर्षा के लोगों को बेहतर जिन्दगी व ड्रेनेज की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग ₹ 1000 करोड़ एवं कैपेसिटी सुविधाओं के लिये कुल निर्धारण किया गया है। योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में ₹ 152.76 करोड़ का प्रावधान है जिसके सापेक्ष वर्ष, 2022 तक ₹ 52.03 करोड़ का व्यय हुआ। योजनान्तर्गत विभिन्न शहरों में किये निर्माण निम्नानुसार है—

देहरादून शहर में 68 एमएलएसटी० डीसेंटेड सीवरेज सिस्टम का निर्माण पूर्ण, 126 किमी० सीवर लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण किया गया। पुरकुल ग्राम में 15 एमएलएसटी० जल शोधन संयंत्र का निर्माण एवं संचालनरत, सहस्त्रधारा में 14 एमएलएसटी० जल शोधन संयंत्र का पूर्णसंचालन, डिफरण में 7.5 एमएलएसटी० जल शोधन संयंत्र का निर्माण एवं 20 एमएलएसटी० जल शोधन संयंत्र का पूर्णसंचालन। बारात नदी पर जंक्शन चैम्बर का निर्माण, को पूर्ण, लगभग 25000 घरों में जलापूर्ति पहुंचे लाईन पर संयोजन।

रुड़की शहर में 201 किमी० सभी जलापूर्ति पाईप लाईन को बिछाने का कार्य, 03 उच्च जलाशयों का निर्माण एवं कमिशनिंग का कार्य पूर्ण, लगभग 10881 घरों में जलापूर्ति पाईप लाईन का संयोजन। 86 किमी० सीवर लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 33 एमएलडी सीवर शोधन संयंत्र

का निर्माण किया गया है। कुल 12100 लीनियर मीटर सीवरलाइनों का कार्य प्रगति पर है।

रामनगर शहर में 11 एसटीपी (एसटीपी) सहित सीवरेज नेटवर्क का निर्माण, 6 नयी जलापूर्ति का निर्माण, 74 किलोमीटर लम्बी जलापूर्ति पाईप लाईन बिछाने का कार्य, 7815 घरों में जलापूर्ति पाईप लाईन का संयोजन।

सल्वानी शहर में 18 ओवर जलाशयों एवं 1 पूर्तिगार जलाशय का निर्माण, 15.0 किलोमीटर ट्रांसमिशन मेन पाईप लाईन के बिछाने का कार्य, 2 नये पम्प हाउस का निर्माण एवं 1 पम्प हाउस का पुनर्निर्माण।

नैनीताल शहर में 48 फ्लैगिंग जलाशयों का पुनर्निर्माण एवं 4 नवीन्यूई का निर्माण, 127 किलोमीटर जल वितरण तंत्र का निर्माण, 12 एटीएम एवं 13 आरसीसीडीसी जलाशयों का निर्माण, 5 इलेक्ट्रोमैकेनिकी का स्थापन एवं अभिवर्धन, 4 नये पम्प हाउसों का निर्माण कार्य, 2 नये साथ टैंकों का निर्माण, 1 डायर सप्लाईंग प्वांट का निर्माण 10501 उपभोक्ताओं का संयोजन व 7064 एलएमसी वाटर मीटर लगाने गये हैं।

22.1.3.2 उत्तराखण्ड इन्टीग्रेटेड एंड सैस्टेनिब्लिटी अर्बन डेवेलपमेन्ट प्रोजेक्ट— उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (UUSDA) की ओर से प्रस्तावित 'उत्तराखण्ड इन्टीग्रेटेड एंड सैस्टेनिब्लिटी अर्बन डेवेलपमेन्ट प्रोजेक्ट (UIUDP)' के माध्यम से 24x7 वेसअप, सीवरेज नेटवर्क व ट्रीटमेन्ट प्लान्ट्स सहित का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना एशियन विकास बैंक से वित्त पोषणीकृत है। परियोजना हेतु डी.पी.आर के अनुसार ये केन्द्रीय व राज्यांश से योगदान किया जायेगा।

परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 8 शहरों में सीवर की लगभग 90 किलोमीटर लम्बी लाईन बिछाये जाने हैं। परियोजना से सम्बन्धित समस्त फिजिबी की रिपोर्टस अनुमोदित की जा चुकी हैं, संभवतः जून ही सभी प्रारम्भ भी कर दिये जायेंगे।

योजना के क्रियान्वयन से 24 घण्टे घरों में जलापूर्ति हो जायेगी, पानी साफ मीटरिंग द्वारा होगा, सीवरेज नेटवर्क व एसटीपीज की स्थापना व विकास व सीवरेज संयोजन किये जायेंगे। जिससे नदी जलीय जिम्मेदारियों में भी कमी आएगी तथा आम जनमानस को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा।

देहरादून के सेवरेजयुक्त व गोपालपुरा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति एसटीपीज निर्माण सहित सीवरेज नेटवर्क व ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के कार्य किये जायेंगे। वहीं हरिद्वार जोन के अन्तर्गत मंगलपुर, पोहलमपुर, लिक्सर, एरियर व रामपोवा क्षेत्र में सीवरेज नेटवर्क व एसटीपीज निर्माण कार्य कराये जायेंगे। ऋषिकेश कालोनी व टीएचडीसीसी कालोनी क्षेत्र में सीवरेज नेटवर्क बिछाया जायेगा।

नैनीताल में ट्रंक सीवरेज नेटवर्क व एसटीपीज निर्माण किया जायेगा।

22.1.3 राज्य वित्त पोषित योजनायें— राज्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में ₹ 4837.27 लाख धनराशि प्रावधानित की गई है जबकि 2222 तक ₹ 4375.76 लाख धनराशि व्यपगत हो चुकी है। राज्य सैक्टर द्वारा डोमेस्टिक सैक्टरवार पर दिये गये तथ्य का विवरण:

22.1.3.1 उत्तराखण्ड शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि (Urban Reform Incentive Programme, UA-URIP)— इस योजना में दीनदयाल अन्त्योदय शहरी पुनरूत्थान योजना के अन्तर्गत स्वच्छता के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा वेसअप 05 अन्तर्गत निर्धारित किये प्रावधान जो अन्यायकारक स्थापित करने हेतु पुरस्कृत किया जाता है, वर्ष 2021-22 में ₹ 150.00 लाख का बजट में प्रावधान है, धनराशि अनुमोदन की जानी है।

22.1.3.2 नगरीय अवसंरचना सुविधाओं का विकास (Urban Infrastructure Development)- इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय निकायों की सीवरलाईन मूल-भूत सामाजिक सुविधाएँ एवं ड्रेनेज व्यवस्था, रोड्स, गलियों, नालियों का निर्माण/पुनरूत्थान विकास परियोजनाएं आदि हेतु नगर निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। फलतीह हो रही नगर निकायों की निकास के साथ, अवसंरचना व्यवस्था व्यापक विकास कार्यों हेतु अनुदान की दरों के रखने प्रस्तावित किया जाता है।

वर्ष 2021–22 में ₹ 3,400.00 लाख का बजट में प्रावधान है, जिसमें संशोध ₹ 3,411.58 लाख से 35 नगर निकायों अलवर, किशनगढ़, खैरथल, डहरोज़, कोटपूतली, नीमराना, बांदीकुई, शिवाजीनगर, देवीनगर, नीमाज, बानसूर, नन्दगवन्द, खारोरा, मालपुरा, लालसोट, लवाल, करौलाद, पुरोला, जैसिंहपुर, सोलावुर, टोडाभीम, दौसा, लालसोट, सिकराय, गंगापुर सिटी, हिण्डौन, करौली, गुढ़ामालानी, सूरजगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम, सज्जनगढ़, भीलवाड़ा, मांडलगढ़, जहाजपुर, गंगापुर, बारां, अटरू, छबड़ा, छीपाबड़ौद, शाहबाद, किशनगंज, रामगंजमंडी, बारां, मनोहरथाना, झालरापाटन, पिपलू, रावतभाटा, केशवरायपाटन, सांगोद, अनन्तपुरा, कोटा, लाडपुरा, केशोरायपाटन, इन्द्रगढ़, लाखेरी, नैनवां, बूंदी, हिण्डोली, सुमेरगंज मण्डी, बिलाड़ा, जोधपुर, पीपाड़, लूणी, भोपालगढ़, बालेसर, शेरगढ़, सरदारपुरा, जोधपुर, ओसियां, मंडोर, बीलाड़ा, जैतारण, रोहट, पाली, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, बाली, रायपुर, सुमेरपुर, जैतारण, रोहट, पाली, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, बाली, रायपुर, सुमेरपुर, गुढ़ाभालानी, सूरजगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम, सज्जनगढ़, भीलवाड़ा, मांडलगढ़, जहाजपुर, गंगापुर, बारां, अटरू, छबड़ा, छीपाबड़ौद, शाहबाद, किशनगंज, रामगंजमंडी, बारां, मनोहरथाना, झालरापाटन, पिपलू, रावतभाटा, केशवरायपाटन, सांगोद, अनन्तपुरा, कोटा, लाडपुरा, केशोरायपाटन, इन्द्रगढ़, लाखेरी, नैनवां, बूंदी, हिण्डोली, सुमेरगंज मण्डी, बिलाड़ा, जोधपुर, पीपाड़, लूणी, भोपालगढ़, बालेसर, शेरगढ़, सरदारपुरा, जोधपुर, ओसियां, मंडोर, बीलाड़ा

मुक्त, भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया सिंगल/ सिंगिल विंडो, समस्त निर्माण नीति, रेट्रोफिट भवन मानकों से संबंधित, स्ट्रक्चर नीति, भू-उपयोग विनियम मुक्त की दरें में छमी तथा महिला उद्यमिता प्रोत्साहन नीति के अनुसार कार्य कराये जा रहे है।

• Ease of Doing Business कार्यक्रम के अनुसार राज्य में व्यापार नियंत्रण प्रणाली ऑनलाइन माध्यम से किये जाने हेतु मार्च 2020 का समय निर्धारित किया गया था, किन्तु भारत सरकार द्वारा लांचे Flagship Programme Ease of Doing Business के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये Business Reforms Action Plan (BRAP) के अनुसार Online Map Approval System लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, तदनुसार से स्मार्ट सेक्शनुल विकास प्राधिकरण द्वारा राजेधानित प्रारूप में ऑनलाइन मैप एप्रुवल सिस्टम प्रारम्भ किया जा चुका है। जन्य प्राधिकरणों में जिसमें निकाय क्षेत्र भी सम्मिलित है, ने उक्त प्रणाली को कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। भारत सरकार की अपूर्ण घोषणा से भी निकाय क्षेत्रों को वास्तविक रूपेक्षाति ऑनलाइन माध्यम से कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

• प्रोसाहन में प्रकाश पड़ने से सम्बन्धित प्रक्रियाओं में Online Map Approval System Module को सम्मिलित कर लिया गया है। दिसम्बर 2020 तक राज्य में ऑनलाइन माध्यम से कुल 6545 मानचित्र स्वीकृत किये गये है।

• आवास विभाग द्वारा विकास कार्यों के उपयोग हेतु 19 नगरों में महायोजना प्रस्तावित, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत LAP (Local Area Plan) तथा TPS (Town Planning Scheme) योजना के तहत, उपयोगिता, वाणिज्यिकों/व्यापारियों की स्वीकृति की व्यवस्था ऑनलाइन किया जाना।

22.2.2 महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन— निकाय द्वारा इस संबंध में किये जा रहे विशेष प्रयासों के अन्तर्गत राज्य में अब वैसे भवन जिसे मालिकाना भी अन्तर्गत छोटे व्यापारियों से जो महिलाओं को केवलमात्र व्यापार करने हेतु मुख्यतः ही महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें व्यक्तियों को निर्धारित क्षमाकार शुल्क सहित के किराये तथा व्यावसायिक गतिविधियों यथा होटल तथा लाइसेंस, मैरिजहाल, केटरिंगहाल, कॉलिंग आदि प्रमुख श्रेणियों में आवंटन किया जायेगा। आवंटन प्रिमियम को 5 साल किश्तों का निर्णय किये जाने का लाभ प्रदान किया गया है जिसे हेतु विभागीय, जनप्रतिनिधि आवास व नगर नियोजन प्राधिकरण (उद.) द्वारा लाइसेंस, मैरिजहाल, केटरिंगहाल, कॉलिंग आदि व्यक्तियों राज्य के अन्य नगरों के ऐसे स्थानों जो पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध है, में ऐसे विभागों निर्माण कर आवंटित किये जाने हेतु मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना दिनांक 02.12.2020 को लागू की गयी है।

राज्य में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन दिये जाने तथा महिला उद्यमियों को सशक्तिकरण प्रदान एवं स्वरोजगार दिये जाने के उद्देश्य से महिला उद्यमिता प्रोत्साहन नीति अधिसूचित की गयी, जिसके अन्तर्गत वर्तमान में 30 स्थानों पर चयन किया गया है, जिसमें महिला स्वयंसेवी संगठनों के 140 आवेदन प्राप्त हुए है। उक्त आवेदनों पर शीघ्र ही विचारकर लीज़ दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

22.2.3 राज्य में विभिन्न पार्षदीकरण क्षेत्रों में वाहन पार्किंग विकसित किये जाने हेतु पार्किंग नीति 2020— नियम— 2020 में वाहन पार्किंग विकसित किये जाने हेतु लोक—निजी भागीदारी में पार्किंग परियोजनाओं का निर्णय किये जाने हेतु उक्त निजी—भूस्वामियों को पार्किंग विकसित किये जाने हेतु प्रोत्साहन दिये जाने का उद्देश्य से वाहन पार्किंग नीति लागू की गयी है।

22.2.4 राज्य में समेकित विकास हेतु वर्ष 2021 तक विजन डॉक्यूमेंट— उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित व प्रस्तावित क्षेत्रों के एक समान अवस्थापनात्मक सुविधाओं, आवासीय सुविधाओं व पर्यटन सम्बन्धित सुविधाओं के विकास हेतु वर्ष 2021 तक विजन डॉक्यूमेंट एवं रोड मैप तैयार कराया गया है, विजन डाक्यूमेंट में वर्तमान क्षेत्रों में भी एकीकृत दृष्टिकोण विकास तथा आवासीय व पर्यटनपरक हेतु सुविधाओं

को निर्धारित किये जाने से सहायता प्राप्त होगी। इसके अन्तर्गत डैशबोर्ड होने से कुशल दायित्व निर्वहन हेतु सम्पत्ति प्लान निर्धारित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

22.2.5 उत्तराखण्ड राज्य में Real Estate कारोबार से जुड़े पूर्वत: किसी Builders हेतु भूमिगत (रिजिस्ट्रेशन एवं रिवाल्ट) अधिनियम, 2016 के तहत अभी तक कोई भी Builders को RERA के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन संख्या जारी नहीं किया गया है। RERA के अन्तर्गत राज्य में 289 परियोजनाओं तथा 314 एजेन्सियों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है तथा अब तक प्राय: 700 शिकायतों में से 470 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। आवेदन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

आवासन की सुविधा के दृष्टिकत रेरा के अन्तर्गत बिल्डरों व ऐजेन्टों के पंजीकरण किये जाने तथा आवासन इकाई शिकायतों किये जाने हेतु ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया गया है जिसमें भवन्न में ही परीक्षण व शिकायत समयित समाधान कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।

22.2.6 प्रधानमंत्री आवास योजना– राज्य में ग्रामीण आवासहीन परिवार को आवास उपलब्ध कराने जाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित है।

• ट्रांसहोर्ट नगर आवासीय परियोजना के अन्तर्गत 224 EWS आवास का निर्माण पूर्ण कर हस्तान्तरण की प्रक्रिया पूर्ण।

• आयाल राजा आवासीय परियोजना के अन्तर्गत 240 EWS आवास का निर्माण पूर्ण कर हस्तान्तरण की प्रक्रिया पूर्ण।

• सोलना आवासीय परियोजना के अन्तर्गत 240 EWS आवास का निर्माण परिपाल, एक खण्ड में 16 मकानों का निर्माण पूर्ण।

• पालकोट के अतिरिक्त इन्दिरेश आवासीय योजना हरिद्वार में 501 EWS आवास, रुद्रपुर आवासीय योजना में 1872 EWS आवास, नानकमत्ता आवासीय में 344 EWS आवास, काशीपुर रामदेव आवासीय योजना में 512 EWS आवास, हल्द्वानी काशीपुर आवासीय योजना में 1288 EWS आवास, बाजपुर किच्छा आवासीय योजना में 884 EWS आवास, किच्छा रुद्रपुर आवासीय योजना में 1144 EWS आवास, नानकमत्ता सितारगंज आवासीय योजना में 1988 EWS आवास, देवीपुरा गदरपुर रुद्रपुर आवासीय योजना में 1824 EWS आवास, ज्यालापुर-सहसपुरा आवासीय योजना (पीएमईपी मॉडल/आवास विकास परिषद) में 512 EWS आवास, अमेरी देहरादून आवासीय योजना में 1152 EWS आवास हेतु निर्माण कार्य पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

22.2.7 मेट्रो रेल योजना–

डीपीआर कार्य से निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित है–

1– हरिद्वार में पीआरटी (Personal Rapit Transit) (बिना टैक्सी) परियोजना

2 हर की पैड़ी से चण्डी देवी मन्दिर एवं रोपवे परियोजना पीएमईपी मोड पर अनुमोदित की जा चुकी है तथा इसकी निविदा की प्रक्रिया की जा चुकी है। परियोजना की कुल लम्बाई 2.3 किमी एवं कुल लागत ₹ 130 करोड़ है जिसमें कुल 02 स्टेशन एवं 13 टावर है।

3– ऋषिकेश से नीलकंठ रोपवे परियोजना

उत्तराखण्ड मेट्रो रेल निगम द्वारा माह दिसम्बर 2021 तक कुल ₹ 1000.00 लाख की धनराशि अनुमत की गयी जिसके सापेक्ष ₹ 878.16 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

अध्याय–23

सामाजिक कल्याण
Social Welfare

राज्य में विभिन्न सामाजिक वर्गों के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित, वृद्धों, विधवाओं, विधवाओं एवं महिलाओं हेतु संचालित की जा रही है, जिनमें से मुख्य योजनाएं निम्न-प्रकार है–

23.1 समाज कल्याण पेंशन योजनाएं:– विभाग द्वारा प्रदेश में वृद्धावस्था, विधवा, विशेषज्ञ पेंशन एवं दिव्यांग जन–योग अनुदान योजना संचालित की जा रही है, जिसकी वर्ष 2022 तक की प्रगति चार्ट 23.1 एवं 23.2 में निम्न प्रकार है–

चार्ट- 23.1

समाज कल्याण पेंशन योजनान्तर्गत वर्तमान कुल लाभार्थियों की संख्या

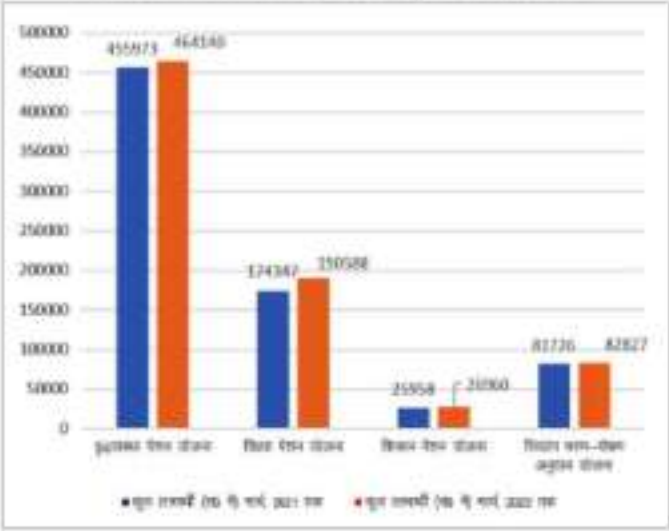

चार्ट–23.2

राष्ट्रीय कल्याण पेंशन योजनाएँ वर्ष 2022 के दौरान वर्षवार कुल व्यय (लाख ₹ में)

स्रोत: संबंधित मंत्रालय/विभाग से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित।

23.2 अनुसूचित जाति हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजनाएँ–

अनुसूचित जाति हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं की सूची तालिका 23.1 में दर्शायी गयी है–

तालिका 23.1

क्रम सं0	योजना का नाम	कुल लाभार्थी (संख्या में)	कुल व्यय वर्ष 2022 (लाख ₹ में)
1	अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना	13466	392.32
2	अनुसूचित जाति पूर्वदशम कक्षा 09 व 10 छात्रवृत्ति योजना	14353	431.81
3	अनुसूचित जाति उत्तरोत्तर छात्रवृत्ति	27423	776.00

स्रोत: संबंधित मंत्रालय/विभाग से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित।

यह पाया गया है PFMS Portal (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अनुसूचित जाति उत्तरोत्तर छात्रवृत्ति परियोजना के छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया था। यह अंतर ने ₹ 256.80 करोड़ की धनराशि अब तक लाभार्थी छात्र/छात्राओं को अभिनिर्धारित किया गया है।

23.3 अनुसूचित जाति के लिए अन्य योजनाएँ

23.3.1 अटल आवास योजना– इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के पैरामिलिट्री तथा 32,000 वार्षिक आय वाले ग्रामीण क्षेत्र के आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए राज्यीय क्षेत्रों में ₹ 16,000 एवं मैदानी क्षेत्रों में

₹ 35,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह मार्च, 2022 तक योजनान्तर्गत ₹ 12.29 लाख की छात्रवृत्ति राशि कुल 32 छात्राओं को स्वीकृत किया गया है।

23.3.2 पलैश पूर्व कोचिंग केन्द्रों का संचालन:– राज्यस्तरीयपुनर्गठित निःशुल्क कोचिंग हेतु 115 के अतिरिक्त की वार्षिक दर से 2.00 लाख निर्धारित है। कोचिंग अवधि में छात्र प्रोत्साहितों को ₹ 1000 प्रतिमाह तथा स्थानीय प्रोत्साहितों को ₹ 700 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में उक्त योजनान्तर्गत 8 कोचिंग संस्थानों का चयन उच्चस्तर स्तर पर गठित समिति द्वारा किया गया है। राज्य छात्रावासों में आवेदन प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 11 जनवरी, 2022 निर्धारित की गयी है। निर्धारित अवधि तिथि तक प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष 388 छात्र/छात्राओं का चयन कर 07 अनिवार्य संस्थानों का आवंटित कर दिनांक 02.03.2022 से क्लेरिंग जवाहर रामलिया कर दी गयी है।

23.3.3 आवर्ती/अनावर्तक अनुदान पर संचालित प्राईमरी पाठशालाओं, दुस्तकालय हेतु अनुदान:– वर्तमान में विभाग द्वारा 11 विद्यालय एवं 2 पाठशाला संचालित हैं, जिनमें 07 आवर्तक तथा 06 अनावर्तक अनुदान के अन्तर्गत अनुदानित हैं। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह मार्च, 2022 तक ₹ 254.70 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

23.3.4 राज्यीय अनुसूचित जाति आवासीय का संचालन:– विभाग द्वारा वर्तमान में 15 बालक/बालिका राज्यीय अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इनमें कुल छात्र की स्वीकृत क्षमता 650 है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹ 473.23 लाख व्यय प्रावधान किया गया है। माह मार्च, 2022 तक ₹ 251.51 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

23.3.5 राज्यीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान:– विभाग द्वारा व्यवसाय में 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजनान्तर्गत 458 प्रशिक्षार्थियों के लिए ₹ 394.26 लाख का प्रावधान परिकल्पित किया गया है। माह मार्च, 2022 तक ₹ 280.65 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

23.3.6 अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आवश्यकता-आधारित सुविधाओं का विकास:– योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आवश्यकता-आधारित सुविधाओं के विकास हेतु योजनायें प्रस्तावित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना के अन्तर्गत ₹ 2033.00 लाख का प्रावधान किया गया है। माह मार्च, 2022 तक ₹ 2026.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत की गई है।

23.3.7 आवर्ती आवासीय विद्यालयों की स्थापना:– अनुसूचित जाति के बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु एकलव्य प्रतिरूप में राज्यीय आवर्ती आवासीय विद्यालय की स्थापना की गयी है, जिसका संचालन वित्तीय वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह मार्च, 2022 तक योजनान्तर्गत ₹ 542.73 लाख की धनराशि व्यय कर 140 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

23.3.8 प्रधानमंत्री आवर्ती ग्राम योजना (PMAGY):– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना" (PMAGY) का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड राज्य हेतु 533 से अधिक जनसंख्या वाले ऐसे गाँव, जिनमें 60 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या हो, का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है, जिससे सम्पर्कित–आर्थिक विकास हेतु सभी आवश्यकता एवं आवश्यक–सामाजिक सेवाओं से युक्त हो। इन गाँवों में वह सब ऐसी बुनियादी सेवाएँ भी उपलब्ध कितनी जो एक समाजवादी जीवन जीने के लिए आवश्यक हो तथा प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा वातावरण मिले जहाँ वह अपनी सम्भावनाओं को पूरा कर सके। इस प्रकार योजना में आवासीय गाँवों को एक 'आदर्श ग्राम' के रूप में

स्थापित करना है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिए अन्तर-राशन (Gap-Filling) निधि के रूप में ₹ 20.00 लाख तथा प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों हेतु ₹ 1.00 लाख (केन्द्र, राज्य, जिला व ग्राम का भाग 1:1:1:2), कुल ₹ 21.00 लाख निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2021–22 से यह योजना प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के अन्तर्गत समाहित की गयी है।

तालिका 23.2
प्रदेश में योजनावार्षिक (PMAGY)
वर्षवार चयनित गांवों की संख्या

वित्तीय वर्ष	चयनित गांवों की संख्या
2018–19	120
2019–20	67
2020–21	46
2021–22	60
कुल योग	**293**

स्रोत– उपनल सलाहकार निदेशक, आजमगढ़।

23.4 अनुसूचित जनजाति कल्याण अभ्युदय योजनायें–

23.4.1 कक्षा 01 से 08 तक अभ्युदय– वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना के अन्तर्गत 1618 विद्यार्थियों के लिए ₹ 12.55 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया।

23.4.2 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के विकास हेतु योजना (कक्षा 09 व 10 तथा दशमोत्तर अभ्युदय)– अनुसूचित जनजाति के कक्षा 09 व 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना के अन्तर्गत शासन के द्वारा कुल ₹ 42.62 लाख की धनराशि का योजना के क्रियान्वयन हेतु बैंक में खोले गए Single Nodal Account में जमा किया गया है तथा Public Financial Management System के माध्यम से 1313 विद्यार्थियों को लाभान्वित करना किया प्रस्तावित है।

23.5 अनुसूचित जनजाति के लिए अन्य योजनाएं– अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत वित्तीय योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह मार्च, 2022 तक लाभार्थियों की संख्या तालिका 23.3 में प्रदर्शित है।

तालिका 23.3

क्रम संख्या	योजना का नाम	लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या
1	राजकीय आवास पद्धति विद्यालयों का संचालन	2007
2	राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावासों का संचालन	197
3	राजकीय कौशलोन्मुख प्रशिक्षण संस्थान	181
4	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालन	608

स्रोत– उपनिदेश, समाज विकास, आजमगढ़।

23.5.1 अटल आवासन योजना– इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में 300 लाभार्थियों के लिए ₹ 150.00 लाख का बजट आवंटित था। जनपदों में कोई भी आवंटन पत्र प्राप्त न होने के कारण योजनान्तर्गत धनराशि व्यय नहीं हुई है।

23.5.2 चयनित कुछ कोचिंग केन्द्रों का संचालन– योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति हेतु कोचिंग केन्द्रों में कक्षा विद्यार्थियों को ₹ 1000 प्रतिमाह तथा स्नातक विद्यार्थियों को ₹ 750 प्रतिमाह

उपलब्ध किये जाने का प्रावधान है। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजनान्तर्गत 9 जोड़ित छात्रावासों का भवन राज्य स्तर पर तहित समितियों द्वारा किया गया है। छात्र-छात्राओं से आवेदन प्राप्त किये जाने हेतु तिथि दिनांक 17 जनवरी, 2022 निर्धारित की गयी थी तथा छात्र-छात्राओं से प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुक्रम वरीयतानुसार छात्र-छात्राओं को आवंटित कोष्ठ आवंटित किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

23.5.3 वार्षिक/अनार्वाक अनुदान पर संचालित आईआरी छात्रावासों, सुधारगृह हेतु अनुदान— वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवर्तक अनुदान पर संचालित योजना के अन्तर्गत अनुमोदित धनराशि हेतु ₹ 681.86 लाख की धनराशि जारी की गयी है तथा राजकीय 25 आईआरी छात्रावासों एवं 1 सुधारित आईआरी में आवंटित अवासकों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया गया है।

23.5.4 राज्यीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन— अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु वर्तमान में 19 राज्यीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत कुल छात्र/छात्राओं की पंजीकृत संख्या 3265 है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 1837.99 लाख की धनराशि जारी कर 2337 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

23.5.5 राज्यीय अनुसूचित जनजाति छात्रावासों का संचालन— अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु वर्तमान में 05 आश्रम/बालिका छात्रावास अनुसूचित जाति जनजातियों का संचालन किया जा रहा है। इनमें कुल छात्र/छात्राओं की स्वीकृत संख्या 252 है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह मार्च, 2022 तक कुल ₹ 142.54 लाख की धनराशि जारी कर कुल 197 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

23.5.6 राज्यीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान— अनुसूचित जनजाति विकास द्वारा संचालित 02 राज्यीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह मार्च, 2022 तक कुल ₹ 356.22 लाख की धनराशि जारी कर कुल 381 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

23.5.7 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालन— राज्य में चुने गये संचालित तीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालन हेतुवृत्त के विकास खण्ड पानसेमल में द्वार महाराणा के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लीये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालन नीति के तहत में धनराशि हस्तान्तरित की जाती है एवं माह मार्च, 2022 तक 638 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

23.5.8 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आवश्यकता सुविधाओं का विकास— अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आवश्यकता सुविधाओं के विकास हेतु योजनायें क्रियान्वित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में मार्च, 2022 तक कुल ₹ 275.38 लाख की धनराशि व्यय कर 22 योजनाएँ क्रियान्वित की गई।

23.5.9 राज्यीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में आवश्यकता सुविधाओं का उन्नीकरण— योजनान्तर्गत 16 आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में मार्च, 2022 तक कुल ₹ 208.38 लाख की धनराशि व्यय कर 02 योजनाएँ क्रियान्वित की गई।

23.5.10 राज्यीय जनजाति छात्रावासों में आवश्यकता सुविधाओं का उन्नीकरण— योजनान्तर्गत 05 जनजाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में मार्च, 2022 तक कुल ₹ 43.37 लाख की धनराशि व्यय की गई।

23.5.11 संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत आर्थिक सहायता— अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक

विकास हेतु राज्य प्रायोजित केन्द्रीय क्षेत्रांतर्गत योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत अल्पसंख्यक बहुल जनपदों में विकास के अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासन से प्राप्त कुल ₹ 160.65 लाख को कोषागार से आहरित कर योजना से क्रियान्वयन हेतु बैंक में खोले गए Single Nodal Account में जमा किया गया है तथा Public Financial Management System के माध्यम से जनपदीय कार्य संचालन, भवन संस्थान द्वारा निर्मित परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

23.5.12 जनजातियों के लिए जनजाति उप योजना— योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य-क्षेत्रीय जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार एवं सामाजिक विकास हेतु वार्षिक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासन से प्राप्त कुल ₹ 104.33 लाख को कोषागार से आहरित कर योजना के क्रियान्वयन हेतु बैंक में खोले गए Single Nodal Account में जमा किया गया है तथा Public Financial Management System के माध्यम से जनपदीय कार्य संचालन, भवन संस्थान द्वारा निर्मित परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्य की गई।

23.6 अल्पसंख्यक कल्याण

23.6.1 अल्पसंख्यक छात्रों के कक्षा 1 से 10 तक छात्रवृत्ति योजना (शत-प्रतिशत राज्य पोषित)— वित्तीय वर्ष 2020-21 में 337 छात्र/छात्राओं को दीपावली का उपहार दिया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह मार्च, 2022 तक योजनान्तर्गत 51 अभिलेखों को ₹ 46.20 लाख का छात्रवृत्ति का भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में किया जायेगा।

23.6.2 मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना— उत्तराखण्ड के अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा 9 एवं 11 की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा सफलता के प्रोत्साहन स्वरूप उनके अभिभावकों के माध्यम से उनके द्वारा दिये गये ब्रोशर/पुस्तक के क्रय हेतु अधिकतम ₹ 15,000 तक की राशि प्रदान किये जाने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 01 अभ्यर्थियों को इस योजना में लाभान्वित लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह मार्च, 2022 तक योजनान्तर्गत 01 लाभार्थी को योजना का लाभ दिया गया है।

23.6.3 अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की बेटियों छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदान— इस योजना अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की बेटियों/छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदान देने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी है। ऐसी बालिकायें, जिन्होंने प्रायोजक राजकीय शिक्षा बोर्ड/प्रायोजक संस्था बोर्ड की कोई स्नातक एवं प्रोफेशनिंग पाठ्यक्रम/डिग्री, डिप्लोमा तथा आदेश 60 प्रतिशत से अधिक अंक से उत्तीर्ण की है, को प्रोत्साहन ₹ 25,000 की निश्चित सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस हेतु ₹ 213.60 लाख की धनराशि स्वत करते हुए 1261 छात्राओं को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के माह मार्च, 2022 तक योजनान्तर्गत ₹ 200.30 लाख की धनराशि जारी की गयी है जिससे 969 छात्राओं को लाभान्वित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

23.6.4 अल्पसंख्यक छात्रों के लिये उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति (शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित)— वित्तीय वर्ष 2020-21 में उक्त छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 3646 छात्र/छात्राओं का लाभ निर्गमित किया गया था जिसकी धनराशि 4604 छात्र/छात्राओं को ₹ 3.56 करोड़ की धनराशि भारत सरकार स्तर से छात्र/छात्राओं को सीधे खातों में हस्तान्तरित की गयी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजनान्तर्गत 5180 छात्र/छात्राओं को ₹ 3.76 करोड़ की धनराशि भारत सरकार स्तर से छात्र/छात्राओं को सीधे खातों में हस्तान्तरित की गयी।

23.6.5 अल्पसंख्यक छात्रों के लिये स्नातक एवं पेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति

(सह-वित्तपोषित केन्द्र योजना)— वित्तीय वर्ष 2020–21 में लघु आपूर्ति परियोजनाओं एवं डा एवं एकल त्रिपक्षीय सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 492 लाभ/लाभार्थी को ₹ 1.28 करोड़ की धनराशि भारत सरकार द्वारा से लाभ/लाभार्थी को स्वीकृत की गई। वित्तीय वर्ष 2021–22 में परियोजनाओं 822 लाभ/लाभार्थी को ₹ 1.86 करोड़ की धनराशि भारत सरकार स्तर से लाभ/लाभार्थी को स्वीकृत किये गये।

23.6.6 अल्पसंख्यक वर्ग के पूर्वजात् आपूर्ति (सह-वित्तपोषित केन्द्र योजना)— वित्तीय वर्ष 2020–21 में एकल लघुआपूर्ति परियोजनाओं 21814 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 19409 लाभ/लाभार्थी को ₹ 7.54 करोड़ की धनराशि भारत सरकार स्तर से लाभ/लाभार्थी को स्वीकृत की गई। वित्तीय वर्ष 2021–22 में परियोजनाओं 24000 लाभ/लाभार्थी को ₹ 10.49 करोड़ की धनराशि भारत सरकार स्तर से लाभ/लाभार्थी को स्वीकृत की गई।

23.7 दिव्यांग कल्याण

23.7.1 दिव्यांग आपूर्ति योजना— अधिक से अधिक 40 प्रतिशत दिव्यांग बच्चों, जिनकी आय 2,000 रुपए से कम है, को आपूर्ति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹ 13.00 लाख लाभार्थी लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में परियोजनाओं मुख्य 04 आवेदन प्राप्त हुये तकनीकि समस्या के कारण भुगतान नहीं हो पाया जिसके भुगतान वित्तीय वर्ष 2022–23 में किया जाना प्रस्तावित है।

23.7.2 दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग हेतु अनुदान— दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंगों की खरीद हेतु अधिकतम ₹ 5000 तक अनुदान या कृत्रिम अंग क्रय कर दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹ 75.00 लाख बजट प्रावधान किया गया है। यह मार्च, 2022 तक परियोजनाओं ₹ 10.62 लाख की धनराशि लाभ कर 214 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया है।

23.7.3 दिव्यांग उम्मीदवारों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना— दिव्यांग उम्मीदवारों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति द्वारा दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप ₹ 25000 की धनराशि दिव्यांग दम्पति को प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह मार्च, 2022 तक परियोजनाओं ₹ 13.53 लाख की धनराशि लाभ कर 62 दम्पतियों को लाभान्वित किया गया है।

23.7.4 सुगम्य भारत अभियान— यह योजना भारत सरकार, भारत सरकार द्वारा दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 को अंतर्विभागीय विभाग नियत की गयी है। राज्य में यह योजना सुगम्य उत्तराखण्ड अभियान के नाम से संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थलों, पुलिस स्टेशन, अस्पताल आदि को दिव्यांगजनों की सुविधानुसार सुलभ बनाया जा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में योजनान्तर्गत चिन्हित 26 राजकीय भवन/कार्यालयों की Retrofitting तथा विभागाओं हेतु सुगम्य बनाने हेतु कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान सन्दर्भ वर्ष इस योजनान्तर्गत ₹ 165.625 लाख की धनराशि व्यय कर 28 राजकीय भवनों को सुगम्य बनाया गया है। इसके अतिरिक्त 07 अन्य राजकीय भवनों को सुगम्य बनाये जाने हेतु वित्तीय वित्त के रूप में ₹ 223.77 लाख की धनराशि नियत समायोजन अवस्थापना अधिकारी, देहरादून को जारी कर दी गयी है। राज्य के समस्त समस्त 2142 संचालित SIPDA योजनान्तर्गत गठित एकल जिला निगम के 44 पंजीकृत विद्यालय गृहों को दिव्यांगजनों हेतु सुगम्य कार्य जाने हेतु ₹ 293.28 लाख की धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी है।

23.8 महिला कल्याण

23.8.1 परित्यक्ता निर्धारित महिला, वार्षिक ₹4 से विकृत/विशिष्ट पति अथवा पत्नी पूर्ण निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजना— इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह मार्च, 2022 तक ₹ 804.00 लाख की धनराशि व्यय कर 5213 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

23.8.2 निर्धारित विनवाओं की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान– वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह मार्च, 2022 तक योजनान्तर्गत ₹ 386.33 लाख की धनराशि व्यय कर 773 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

23.8.3 अनुसूचित जाति के परिवारों को पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान– वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह मार्च, 2022 तक योजनान्तर्गत ₹ 1013.33 लाख की धनराशि व्यय कर 2027 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

23.8.4 अनुसूचितवर्ग जनजातियों की पुत्रियों की शादी हेतु सहायता– योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के अभिभावो, जिनकी आय सीमा ₹ 10,000.00 वार्षिक हो/बीपीएल, बेवी/ अनवीदा कार्ड धारक हो, की अविवाहित दो पुत्रियो के विवाह हेतु अधिक धनराशि प्रदान ₹ 50,000.00 एक पुत्री के विवाह हेतु प्रदान की जाती है। वर्ष 2021–22 में अब तक ₹ 15,000.00 से ₹30,000 ₹ 40,000.00 अधिक व्यय हो गई है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में मार्च, 2022 तक ₹ 489.00 लाख की धनराशि व्यय कर कुल 326 लाभार्थियो को लाभान्वित किया गया है।

23.9 पिछडी जाति कल्याण

23.9.1 पिछडी जाति पूर्वाभ्यास छात्रवृत्ति योजना– इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 तक के समस्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्तियो के भुगतान योजना ऑनलाइन संचालित की जा रही है। छात्र के अभिभावक की वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह मार्च 2022 तक ₹ 2.57 लाख की धनराशि व्यय कर 171 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में छात्रवृत्ति का वितरण PFMS Portal के माध्यम से करने के निर्देश प्राप्त हुये थे, किन्तु माह मार्च 2022 में PFMS Portal तकनीकी समस्या के कारण भुगतान की कार्यवाही नहीं की जा सकी थी, जिसका भुगतान माह अप्रैल 2022 में PFMS Portal के माध्यम से कर ₹ 112.50 लाख की धनराशि व्यय कर 1444 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

23.9.2 पिछडी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति– इस योजना में उत्तीर्णोत्तर छात्रों में अत्यधिकता अन्य पिछड़ वर्ग के छात्र/छात्राओं को चार्ट बनाकर द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्र के अभिभावक की वार्षिक आय ₹ 1.50 लाख निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में छात्रवृत्ति का वितरण PFMS Portal के माध्यम से करने के निर्देश प्राप्त हुये थे, किन्तु माह मार्च 2022 में PFMS Portal तकनीकी समस्या के कारण भुगतान की कार्यवाही नहीं की जा सकी थी, जिसका भुगतान माह अप्रैल 2022 में PFMS Portal के माध्यम से कर ₹ 733.95 लाख की धनराशि व्यय कर 3218 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

23.10 समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाएं

23.10.1 संयुक्त पारिवारिक आय योजना– इस योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुखिया व्यक्ति की मृत्यु होने पर ₹ 20000 की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। जिसमें आयु सीमा 18 से 60 वर्ष रखी गई है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 3650 अनुमोदित लाभार्थियों को सहायता राशि दिये जाने हेतु ₹ 731.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। माह मार्च, 2022 तक योजना में ₹ 936.00 लाख की धनराशि व्यय कर 520 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

23.10.2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार उत्पीडन– वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह मार्च, 2022 तक योजना में ₹ 11.20 लाख की धनराशि व्यय कर 103 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

23.10.3 डॉ0 अम्बेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना– इसमें उत्तीर्ण छात्रों में पढने वाले आर्थिक रूप से अशक्त छात्र/छात्राओं को निम्न

अनिवार्यताओं की पूर्ति के लिए ₹ 1.00 लाख से अधिक नहीं है को सामग्रीयत दिए जाने हेतु भारत सरकार द्वारा रियायती दरों के सम्बन्ध में सामग्रीयत दिए जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में मार्च-मार्च 2022 तक ₹ 175.85 लाख की धनराशि जारी कर 1366 छात्र/छात्राओं को सामग्रीयत प्रदान की गई है।

23.10.4 मादक पदार्थ एवं नशीली दवाओं के सेवन से बचाव योजना (NAPDDR):- भारत सरकार द्वारा मादक द्रव्य और नशीली दवाओं के सेवन से बचाव हेतु NATIONAL ACTION PLAN FOR DRUG DEMAND REDUCTION (NAPDDR) योजना प्रारम्भ की गयी है। योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को द्रव्य के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित एवं जागरूक करना है, साथ ही चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और रोजगार के बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के शिकार व्यक्तियों और व्यक्तियों से जुड़ा मेडिकल को हल करना, पर्याप्त अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण और प्रशासनिक जानकारी देना है। योजना में प्रदेश के दो जनपदों प्रयागराज जिलेवार एवं देहरादून की योजना के क्रियान्वयन हेतु चयनित किया गया है। जिस हेतु ₹ 163.89 लाख की धनराशि राज्य द्वारा अवमुक्त की गयी है, जबकि उपरोक्त दो योजना के संचालन हेतु प्रयागराज देहरादून एवं नैनीताल को क्रमशः ₹ 15.00 एवं ₹ 7.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

23.11 समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ:

23.11.1 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु राज्य कार्ययोजना/प्रस्ताव (NAPS/C):-

भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित National Action Plan For Welfare of Senior Citizens (NAPS/C) के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य कल्याण के दृष्टिगत State Action Plan For Welfare of Senior Citizens (SAPS/C) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु राज्य कार्ययोजना संचालित की जा रही है। उत्तराखण्ड राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु राज्य कार्ययोजना/प्रस्ताव चलाए जाने हुए ₹ 94.24 लाख की धनराशि से वृद्धजनों के कल्याणार्थ निम्नलिखित 3 योजनाएँ/कार्यक्रम स्वीकृत किये गये हैं-

- Mobile Medicare Unit for Senior Citizens
- Physiotherapy Clinics for Senior Citizens
- Training to Geriatric Caregivers & Health Care and Capacity Building Programmes

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं/ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु चयनित संस्थाओं को 90 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त करते हुए वरिष्ठ नागरिकों को शिविरों लगाई प्रदान करने हेतु शासकीय कार्यवाही प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये गये हैं।

23.11.2 उत्तराखण्ड राज्य में वरिष्ठ नागरिकों हेतु "एल्डर हैल्पलाईन" (14567):-

वरिष्ठ नागरिकों की सहायता एवं समस्याओं के त्वरित निदान हेतु राज्य स्तर पर "एल्डर हैल्पलाईन" (14567) की स्थापना कार्यदायी संस्था एजवॉचहेल्पेज इण्डिया द्वारा ₹ 1 रोजाना में की गयी है। शासन के वृद्धजनों हेतु "एल्डर हैल्पलाईन" (14567) का निशुल्क फोन करने वाली हमारा ये अवगत कराया जाता है तथा टोली द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निशुल्क मौके अधिकार की सहायता से वृद्धजनों को चल्द करवाए द्वारा सम्बन्धित विभागों/उपखण्ड/मेडिकल/पुलिस मेडिकल के सम्बन्ध में देहरा, परेशु सिंह, स्वास्थ्य सम्बन्धी, निराश्रित वृद्धों को वृद्धजनों ने प्रवेश, अपने परिवार से बिछड़े लोगों को मिलाना, कानूनिलिंग सलाह, वृद्धजनों को अधिकारों के प्रति जागरूक करना, वरिष्ठ नागरिक एवं माता-पिता भरण पोषण संशोधन अधिनियम 2007 एवं उत्तराखण्ड वरिष्ठ नागरिक एवं माता पिता संरक्षण संबंध नियमावली 2011 की जानकारी आदि सम्बन्धित प्रदान की जा रही है। माह मार्च 2022 तक एल्डर हैल्पलाईन 14567 पर कुल 60378 शिकायतें दर्ज की गयी है, जिसमें सर्वाधिक 14377 शिकायतें आवश्यक कार्यवाही हेतु उपयुक्त

जई गई। सहित सार्वजनिक एवं बाल-शिक्षा भवन योजना अभियान 2017 एवं सिलक्यारी 2011 से अन्तर्गत आवश्यकता पैमाने हेतु 422 करोड़ नगरिकों द्वारा विकासों धर्म कार्यों गयी, जिसमें सर्वेक्षण बड़ा विकासों का निरन्तर किए गए साथ 26 योजनाओं के सम्बन्ध में कार्यवाही परिचयन है।

23.11.3 वृद्धजनों हेतु जनपद आश्रयकारी एवं देहरादून में वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य:– सामाजिक रक्षण में लिखित वृद्धजनों से दुर्घटनाओं, स्वास्थ्य सुरक्षा, खान-पान, खानपान एवं मनोरंजन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने वाले के दृष्टिगत जनपद-उत्तरकाशी में 24 वृद्धजनों की क्षमता का ₹ 165.97 लाख की धनराशि से आश्रयित वृद्धाश्रम का निर्माण कराया गया है। वृद्धाश्रम का संचालन वित्तीय वर्ष 2022-23 से कराया जाना प्रस्तावित है।

जनपद देहरादून में ₹ 899.55 लाख की धनराशि से वृद्धाश्रम का निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में ₹ 134.93 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को पहले का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

23.11.4 दिव्यांगजनों हेतु विशिष्ट पहचान पत्र (Unique Disability ID (UDID):– समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार मंत्रालयों के सभी दिव्यांगजनों की विशिष्ट पहचान को विहित किये जाने, दिव्यांगजनों हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरलता प्रदान किये जाने, एकरूपता एवं पारदर्शिता लाये जाने के उद्देश्य से दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यूडीआईडी) बनाये जाने है। यूडीआईडी कार्ड बनाये जाने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) आयोजन अथवा जनपद के जिला चिकित्सालय में सम्बन्धित जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (DDRC) में जिन्हें कार्डों की आवश्यकता है, आधार कार्ड, मोबाइल एवं पासपोर्ट साईज फोटो तथा एक सादे कागज में अपनी के हस्ताक्षर या पहचान चिन्ह (अंगूठा निशान आदि) को लगा के किसी भी अन्य माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। चिकित्सकीय परीक्षण तथा प्रदेश के अन्य चिकित्सकों को यूडीआईडीकार्ड बनाने गये है।

23.11.5 मानसिक रूप से अशक्तजनों का आवासीय पुनर्वास/मंदिताओं एवं बालक/बालिकाओं के लिए गृहों का निर्माण:– मानसिक रूपित तथा बहुविधअशक्त से बचित एवं दिव्यांगजन, जो निर्धारित एवं अशक्तित अवस्था में घुमन्तु प्रवृत्ति के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते/भटकते रहते हैं, की देखरेख करने वाला कोई नहीं होता है, को लिए किसी मानसिक एवं आर्थिक रूपसे से आवासहीन मानसिक चिकित्सालय, जो वर्तमान गतिविधियों में जीवन यापन कर रहे है, उनके लिए आवास, भोजन, वस्त्र, दैनिक दिनचर्या एवं देखभाल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास, रोजगार एक्टीविटी और डेली लिविंग (दैनिक कार्यों का उपयोग) आदि के विकास से अशिक्षित को शिक्षण कर उन्हें मानसिक एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ीकरण करने हेतु जनपद उधमसिंहनगर के काम-कुशलपुरा में 50 मानसिक रोगियों की क्षमता हेतु पुनर्वास गृह की स्थापना की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजनाअन्तर्गत प्रथम किस्त के रूप में ₹ 167.40 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी है। वित्त वित्तीय वर्ष 2022-24 में शेष धन विभाग को हस्तगत किया जाना प्रस्तावित है।

23.12 उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित एवं विकास निगम लि:

23.12.1 स्वत रोजगार योजना (अनुमुखित भाषि):– इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 835 में लगभग वर्ष मार्च, 2022 तक कुल 805 लाभार्थियों को लिए वांछित लक्ष्य हुए अनुदान

₹ 70.40 लाख मार्जिनकोष जमा ₹ 33.52 लाख एवं ₹ 580.00 लाख बैंक ऋण सम्मिलित किया गया है।

23.12.2 सहयोग द्वारा दुकान निर्माण योजना— वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के अंतर्गत भौतिक लक्ष्य 45 है, जिसमें सितंबर माह अंत, 2022 तक कुल 42 दुकानों के निर्माण हेतु ₹ 35.00 लाख की धनराशि जनपदों को आवंटित की गई है। दुकानों का कार्य निर्माणाधीन है।

23.12.3 अनुसूचित जनजाति जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना— इस योजना से अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह मार्च, 2022 तक कुल 100 लाभार्थियों को चिह्नित करते हुए ₹ 10.00 लाख अनुदान तथा ₹ 36.15 लाख बैंक ऋण वितरित किया गया है।

23.12.4 जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (प्रशिक्षण)— इस योजना के अन्तर्गत माह मार्च, 2022 तक अनुसूचित जाति के कुल 1100 अभिलाषी को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए ₹ 44.00 लाख की धनराशि तथा जनजाति के कुल 25 अभिलाषी को प्रशिक्षण पर ₹ 1.25 लाख की धनराशि मद की गई है।

23.12.5 कौशल वृद्धि योजना— वित्तीय वर्ष 2021-22 में वंचित वृद्धि योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के कुल 125 अभिलाषी को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए ₹ 4.06 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

23.12.6 शिल्पी कला योजना— इस योजना से अन्तर्गत माह मार्च, 2022 तक अनुसूचित जाति के 220 अभिलाषी को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए ₹ 16.19 लाख तथा अनुसूचित जनजाति के कुल 180 अभिलाषी को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए ₹ 9.79 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

23.13 उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम

23.13.1 अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना— इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 77 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए ₹ 97.55 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रुपये 1500 लाख निर्धारित किया गया है, जिसमें सम्बन्धित माह मार्च, 2022 तक भौतिकलक्ष्य ₹ 95.00 लाख अनुदान से 77 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

23.13.2 मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेंस कार्पोरेशन-1 योजना— इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 33 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए ₹ 35.35 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 36 लाख निर्धारित किया गया है, जिसके सम्बन्धित माह मार्च, 2022 तक भौतिकलक्ष्य ₹ 8.69 लाख अनुदान से 07 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

23.13.3 मुख्यमंत्री हुनर योजना— इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1017 लाभार्थियों को ऋण/ईंधन प्रदान करते हुए ₹ 72.30 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 2020 लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सम्बन्धित माह मार्च, 2022 तक भौतिकलक्ष्य ₹ 122.298 लाख अनुदान से 2247 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

23.14 उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, निशान-ए-कलिमर, देहरादून— वर्ष 2020-21 हेतु जून 2019 आवेदन प्राप्त हुये थे परन्तु वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण विगत दो वर्षों से हज यात्रा का संचालन नहीं हो पाया है। हज यात्रा माह जून-जुलाई, 2022 से प्रारम्भ होगी। इस संबन्धित की सूचित हेतु टैक्सकलर उन्हें व्यक्तीगत के माध्यमों जानकारी/भौतिक सम्पर्क/अखबार एवं समाचार पत्रों की जानकारी दिनांक वर्ष 2022-23 में हज यात्रा माह जून-जुलाई में प्रारम्भ होने की सम्भावना है तथा केन्द्रीय हज समिति द्वारा उत्तराखण्ड राज्य हेतु 400 हज यात्रियों का कोटा निर्धारित किया गया है।

23.15 उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून— उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में उक्त अधिनियम 1995 की धारा 109 के तहत राज्य सरकार द्वारा वक्फ राज्य

22-23 अगस्त्यमुनि जिले में जिला जेल की बजाय सीमा के करीब उपजेल खोले में गठित की जाएगी। उत्तराखण्ड बजट सत्र में आवंटन हुआ। उत्तराखण्ड हरिद्वार एवं उत्तरकाशी जेल की बजाय में इन्हें सम्मिलित की जी.आई.एस. मैपिंग उपलब्धि करी है। उक्त मैपिंग होने से राज्यभर बजट की सम्मिलित का कार्य उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगी।

22.16 उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्— उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् में नवीन पैरामेडिकल पाठ्यक्रमानुसार संस्कृत, सामाजिक शिक्षा एवं कम्प्यूटर शिक्षकों का समायोजन किया गया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण राज्यभर उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षाएँ नहीं हो पायीं। उत्तराखण्ड मण्डलिक एवैतन परिषद की तर्ज पर ही छात्र/छात्राओं को एक जनित मूल्यांकन के आधार पर परीक्षाफल घोषित किया गया। दिसंबर वर्ष 2021 22 की मुंशी, मौलवी, आलिम, फाजिल की परीक्षाएँ मार्च में, 2022 से प्रारंभ होने है तथा उक्त परीक्षाओं में 3127 छात्र/छात्राएँ सम्मिलित होंगे।

कोविड-19 संक्रमण अवधि के दौरान विभाग द्वारा किये गये विशेष प्रयास

- वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान 'उत्तराखण्ड ग्रामीण सशक्तीकरण पैकेज' के अन्तर्गत मे सरकार ने 2.16 लाख BPL परिवारों को ₹ 1000 प्रति पेंशनर की दर अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की गयी साथ ही राज्य सरकार द्वारा पेंशनार्थियों को प्रदत्त तिमाही 'बिना किए अग्रिम' मे जून, 2020 जो माह जून मे दो बार की गई, को माह अक्टूबर, 2020 में डिलीवर की गयी। कार्यकाल में विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में 73382 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।
- राज्य सरकार/विभाग द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान की गयी राज्य/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए कार्य/विभागाधीन रुपये 238 विभिन्न का आवंटन किया गया, जिसमें 2112 मशीन वेंटिलेटर को पेंशन स्वीकृति, 2855 दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत, 3361 पुलिस आरी का वितरण, 2851 आधार कार्ड, 4252 बैंक खाते एवं 8619 यूडीआईडी हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये गये। इसके साथ ही विभाग द्वारा सी0 सी0डी0 से माध्यम से उत्तरीय जनपद में संचालित किया दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र एवं स्थाना विभाग के सहयोग से 15622 दिव्यांगजनों को वर्चुअल दीक्षा आयोजन किया गया है।

अध्याय–24
खेल
Sports

सभी वर्गों को सस्ता/निःशुल्क सुविधाएँ दी जाएँ और अधिकाधिक खेलों तथा खिलाड़ियों को व्यावसायिक व संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। (Good health & well being) को प्राप्त करने हेतु खेल विकास से संबंध खेल संस्थाओं व आधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। खेलों के प्रदर्शन में उत्तराखंड देश के अग्रणीराज्यों में शामिल होने की दिशा में अग्रसर है। सदस्यसाक्षरता दर के संबंध में वर्ष 2021 में टोक्यो पैरा ओलम्पिक में भी राज्य सरकार द्वारा पैराएथलीट्स को करोना संकट काल में भी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किये गये प्रयासों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिला, जो राज्य की उपलब्धि है। खेल विकास के उद्देश्यों वर्ष, 2022 तक राज्यस्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं में 2350 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। आगामी वर्ष के लिये 45000 खिलाड़ियों की प्रतिभागिता का लक्ष्य है। वर्ष 2030 तक 1.60 लाख बालक व 1.60 लाख बालिका खिलाड़ियों को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराने का लक्ष्य प्रस्तावित है। राज्य में क्रीड़ा स्थलों का विकास/स्थापना कराते हुए व्यावसायी खेल संस्थाओं व आधिकारों का भी सहयोग लिया जाना प्रस्तावित है।

खेल(Sports)

24.1 खेल अवस्थापना सुविधाएं– राज्य में खेल विभाग की स्थापित अवस्थापना सुविधाओं का विवरण निम्न तालिका 24.1 में प्रस्तुत है–

तालिका 24.1

क्र. सं.	खेल अवस्थापना का नाम	खेल संस्थानों की संख्या
1	2	3
1	अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम	02
2	राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम	20
3	बहुउद्देशीय क्रीड़ांगन	08
4	इनडोर स्टेडियम	13

राज्य सभी में सूचित आवश्यकता सुविधाओं के अतिरिक्त 04 बहुउद्देशीय क्रीड़ांगन अल्मोड़ा, रुद्रपुर, हल्द्वानी एवं ऊधमसिंह नगर तथा 02 इनडोर हॉल एवं स्वामविवेकानन्द नगर एवं देहरादून में सृजित किये जा रहे हैं।

24.1.2 खिला सैक्टर की योजनायें

24.1.2.1 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन– योजनान्तर्गत वर्ष वार, 2022 तक 2350 बालक एवं बालिकाएं लाभान्वित हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु ₹ 33.10 लाख का बजट प्रावधान के सापेक्ष वर्ष वार, 2022 तक ₹ 32.14 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.1.2.2 खेल प्रशिक्षण शिविर योजना– वर्ष वार, 2022 तक लाभान्वित 1726 बालक एवं बालिकाएं लाभान्वित हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु ₹ 140.65 लाख प्रावधानित के सापेक्ष वर्ष वार, 2022 तक ₹ 126.02 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.1.2.3 आवासीय क्रीड़ा छात्रावास योजना– खेल विभाग द्वारा प्रत्येक उत्कृष्ट में आवासीय क्रीड़ा छात्रावास खोले गये हैं। छात्रावासों के संचालन हेतु योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹ 1255.65 लाख का बजट प्रावधान किया गया, जिसके सापेक्ष वर्ष वार, 2022 तक ₹ 1100.60 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। खेल विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों एवं छात्रों तथा उनमें प्रशिक्षणरत खेलों की संख्या निम्न तालिका 24.2 में प्रस्तुत है–

तालिका 24.2
आवासीय खेल छात्रावास

क्र. सं.	आवासीय क्रीड़ा छात्रावास	खेल	वर्ग	स्वीकृत सीट	भरी गयी सीट
1.	पंचकूला	बैडमिंटन	बालक	20	11
2.	जोहड़ान (हिसार)	बास्केटबॉल	बालक	25	25
3.	रोहतक	क्रिकेट	बालक	20	20
4.	फरीदाबाद	फुटबॉल	बालक	25	25
5.	हिसार	हॉकी	बालिका	25	25
6.	रिवाड़ी	क्रिकेट	बालक	20	20
7.	अम्बाला	फुटबॉल	बालिका	20	20
8.	कुरुक्षेत्र	एथलेटिक्स	बालिका	25	25
9.	नैनीताल	फुटबॉल	बालक	25	25
10.	जगाधरी	हॉकी	बालिका	20	—
11.	रोहतक	बास्केटबॉल	बालक	20	20
12.	कलायत	हैंडबॉल	बालिका	20	20
13.	सिरसा	बास्केटबॉल	बालिका	20	20
14.	अम्बाला नगर	एथलेटिक्स	बालक	25	25
	कुल योग			310	289

24.1.3 राज्य सैक्टर योजनाएँ

24.1.3.1 एकल पुरस्कार योजना– इस योजना के तहत खिलाड़ियों के अन्तर्राष्ट्रीय तथा भविष्य में होने वाले प्रतियोगिताओं के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में एकल इवेंट/ प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रावधानित ₹ 500.00 लाख के सापेक्ष ₹ 215.51 लाख की धनराशि नकद पुरस्कार स्वरूप 220 खिलाड़ियों एवं 66 प्रशिक्षकों को प्रदान की गयी है।

24.1.3.2 खेल किट योजना– राज्य की टीम द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को ट्रैकसूट, जूते, मौजे तथा ब्लैकिट प्रदान किये जाते हैं। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रावधानित बजट ₹ 60.00 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक ₹ 11.49 लाख की धनराशि का उपयोग कर राज्य के 252 खिलाड़ियों को लाभान्वित किया गया।

24.1.3.3 खेल संघों आदि को प्रतियोगिता आयोजन हेतु अनुदान योजना– इस योजनान्तर्गत खेल संघों, क्लबों एवं अन्य खेल संघों को जिला/ राज्य/ राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन करने वाले एवं खेलकूद उपकरण क्रय हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹ 23.65 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक ₹ 11.46 लाख की धनराशि खेल संघ/ प्रतियोगिता के आयोजन एवं खेलकूद उपकरण क्रय हेतु अनुदान प्रदान किया गया है।

24.1.3.4 विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए देवभूमि खेल रत्न व द्रोणाचार्य अवार्ड योजना– इस योजनान्तर्गत राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ी को देवभूमि पंचकूला खेल रत्न पुरस्कार तथा प्रशिक्षक को देवभूमि गुरुदक्षिणा द्रोण पात्र पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त खेल किट में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं खेलों के प्रति दिये गये योगदान हेतु लाईफटाईम अचीवमैंट अवार्ड भी प्रदान किया जाता

है। शहरी विशेष क्षेत्र में उत्तम पुरस्कारों हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना हेतु ₹ 03.50 लाख का बजट प्रावधित किया गया है।

24.1.3.5 पेशल पर्यावरण संस्थान की अनुदान योजना– उत्तराखण्ड में स्थित पेशल पर्यावरण संस्थान में वैश्विक एवं एशियाई पर्यावरण, इकोलॉजी लॉज, एप्लाइड इकोलॉजी, क्लाइमेट एवं इकोसिस्टम डायनेमिक्स विषयों पर शोध किया जाता है, जिसमें वर्ष 2021–22 में 542 प्रतिशोध द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुका है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु ₹ 1371.17 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें संशोधित मद मार्च, 2022 तक ₹ 1211.17 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.1.3.6 स्पोर्ट्स कॉलेज की अनुदान योजना– उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा में स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित हैं, जिसमें जिलाधिकारियों का अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय हॉकीखिलाड़ी हेतु तैयार करने के साथ-साथ 300 प्रशिक्षणरत खिलाड़ियों के लिए क्लास 06 से 12 तक की व्यवस्था संचालित हैं। इन बालकों को भोजन, खेल प्रशिक्षण, शिक्षा, मेडिसिन एवं खेल उपकरण आदि की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु ₹ 642.66 लाख का बजट प्रावधित किया गया, जिसमें संशोधित मद मार्च, 2022 तक ₹ 403.00 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.1.3.7 खेल प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु योजना– इस योजनान्तर्गत राज्य स्तर की प्रतियोगिता तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने से पूर्व विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाया किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु ₹ 16.00 लाख का बजट प्रावधित किया गया है जिसके सापेक्ष ₹ 15.30 लाख का उपयोग किया गया है। प्रशिक्षण सत्र क्रॉसकंट्री एवं पैराक्रीय खेल की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित कर 220 बालक/ बालिकाएं लाभान्वित हुए हैं।

24.1.3.8 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पर्वतारोहण प्रशिक्षण योजना– विद्यालयों के पुनरावृत्ति में पर्वतारोहण, स्कीईंग, स्नोबोर्डिंग तथा अन्य साहसिक क्रियाकलापों के प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु पं0 दीनदयाल उपाध्याय पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹ 63.00 लाख की धनराशि का प्रावधान के सापेक्ष ₹ 15.40 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है। वर्ष, 2022 तक विभिन्न स्की कोर्सों में 30 प्रशिक्षु लाभान्वित हो चुके हैं।

24.1.3.9 स्टेडियम एवं इंडोरहॉल निर्माण योजना– वर्तमान में 02 अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम, 20 राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम, 09 मल्टीपर्पज जिमखाना तथा 10 इंडोर हॉलहॉल संचालित है, जिनमें प्रतिवर्ष लगभग 30000 बालक एवं बालिकाएं खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु खेल अवस्थापना सुविधाओं के नवीन निर्माण कार्यों हेतु ₹ 1100.00 लाख बजट के सापेक्ष ₹ 7008.30 लाख की धनराशि निर्माण कार्यों हेतु व्यय की जा चुकी है।

24.1.3.10 36वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु योजना– राज्य में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु तैयारियों तथा अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है। योजना के प्रारम्भ होने से अभिप्राय वित्त निम्न कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है–

1. 36वें राष्ट्रीय खेलों से सुविधा बहादराबाद स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देहरादून में प्रस्तावित 200 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण।

2. 36वें राष्ट्रीय खेलों से सुविधा बहादराबाद स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देहरादून में इंडोर जिमनास्टिक मल्टीपर्पज का निर्माण पूर्ण।

3. आवास देहरादून के अन्तर्गत परेड ग्राउण्ड में इंडोर हॉलहॉल के मल्टीपर्पज का कार्य।

4. आवास हरिद्वार के अन्तर्गत रोशनाबाद में इंडोर हॉलहॉल के मल्टीपर्पज तथा 200 मिलीमीटर क्षमता के ओवरहेड टैंक का निर्माण पूर्ण।

5. आवास हरिद्वार के अन्तर्गत रोशनाबाद स्पोर्ट्स

स्टेडियम में 3डी सिंथेटिक खेलों हेतु सतहनीकरण का निर्माण कार्य।

6. महाराजा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के फिल्ड हॉकी मैदान में सिंथेटिक घास का निर्माण कार्य।

7. 3डी राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत महाराजा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून में नवनिर्मित एक्वाटिक्स सिंथेटिक ट्रैक में 3000 क्षमता का दर्शकदीर्घा का निर्माण।

8. महाराजा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून की परिसम्पत्ति विद्युत की भूमिगतिकरण का निर्माण कार्य।

9. पोलो ग्राउण्ड हरिद्वार के होकी मैदान में एस्ट्रोटर्फ बिछाने जाने का कार्य।

10. उत्तराखण्ड देहरादून स्थित खेल परिसर में इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य।

11. खेल परिसर देहरादून में निर्मित की गई खेल अवसंरचना सुविधाओं में खिलाड़ियों तथा दर्शकों की सुविधा हेतु अतिरिक्त कार्य। गणना में ₹ 23246.12 लाख की धनराशि से निम्न निर्माण कार्य कराये जाने हैं–

1. 3डी राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत देहरादून में क्रिकेट पिच का निर्माण कार्य।

2. देहरादून, हरिद्वार एवं ऋषिकेश में 01–01 बहुउद्देशीय क्रीड़ांगन का निर्माण।

3. महाराजा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून के पोल इनडोर सभागार, बहुउद्देशिय एवं क्रिकेट के कार्य।

4. देहरादून में बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन खेल उपकरण के अभिवृद्धित कार्य।

5. महाराजा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के फायरफाईटिंग के उपकरणवार का कार्य।

6. महाराजा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के वैकल्पिक ऊर्जा के अनुप्रयोग कार्य।

7. महाराजा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के वैडमिंटन हॉल का सौन्दीकरण के कार्य।

8. महाराजा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक के उन्नीकरण के कार्य।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना हेतु ₹ 2000.01 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया, जिसके सापेक्ष ₹ 2446.90 लाख की धनराशि निर्गत करायी हेतु प्राप्त की जा चुकी है।

24.1.4 केन्द्र पोषित योजनायें

24.1.4.1 3डी राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु योजना– राज्य में आयोजित 3डी राष्ट्रीय खेलों के आयोजन तथा अवसंरचना सुविधाओं का गठित तकनीक के आधार पर निरूपण किया गया है।

खेलों इंडिया योजना– इस योजना हेतु वर्तमान में खेल छात्रावास, देहरादून में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल तथा हरिद्वार के शैलानवाला होकी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ बिछाये जाने का कार्य किया जा रहा है।

मुख्य उपलब्धियां

(Major Achievements)

श्री मनोज सरकार द्वारा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन में कांस्य पदक प्राप्त किया। श्री सरकार को राज्य सरकार द्वारा ₹ 50.00 लाख की नकद धनराशि एवं देहरादून जनपदस्थ खेल गांव पुरस्कार प्रदान किया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम, देहरादून का नामकरण **श्री मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम** किया गया।

सुश्री वन्दना कटारिया द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रतियोगिता करने के उपलक्ष्य विभाग द्वारा नकद पुरस्कार स्वरूप ₹ 5.00 लाख की धनराशि प्रदान की गयी। साथ ही स्पोर्ट्स स्टेडियम, हरिद्वार का नाम सुश्री वन्दना कटारिया स्पोर्ट्स स्टेडियम किया गया। टोक्यो ओलंपिक में सुश्री वन्दना कटारिया द्वारा होकी खेल में सेमी फाईनल तक पहुंचने तथा सुश्री कटारिया को बेस्ट डिफेंडर का चयनी द्वारा हुआ।

3. कोविड-19 संक्रमण के संदर्भ में खेलों के लिए विभाग द्वारा कोरोना वॉरियर्स खेलकूद प्रतियोगिता का सुझाव दिया गया, जिसमें संबंधित अभ्यर्थी से लगभग 2000 कोरोना वॉरियर्स द्वारा विभिन्न खेलों में प्रतिभाग किया गया।

तालिका 24.3 खेल विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में
प्रदान किये गये पुरस्कारों का विवरण

क्र सं	पुरस्कार का नाम	पदकों की संख्या	खेल का नाम	धन राशि (₹ में)
1	2	3	4	5
1	अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार	08 पदक	एथलेटिक्स	22,61,666.00
		01 पदक	बास्केटबॉल	2,08,333.00
		02 पदक	बॉक्सिंग	3,60,000.00
		04 पदक	क्रिकेट	26,25,000.00
		02 पदक	जूडो	1,73,000.00
		03 पदक	रोइंग एंड कैनोइंग	6,95,264.00
		02 पदक	शूटर	4,50,000
2	राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त पदक	33 पदक	एथलेटिक्स	11,00,000.00
		16 पदक	बैडमिंटन	3,27,248.00
		24 पदक	बॉक्सिंग	4,08,300.00
		23 पदक	बेसबॉल	1,32,372.00
		11 पदक	बास्केटबॉल	2,67,469.00
		20 पदक	साईक्लिंग	4,00,300.00
		15 पदक	हॉकी	7,98,898.00
		68 पदक	रोइंग एंड कैनोइंग	27,39,868.00
		04 पदक	फेंसरशिप	1,33,700.00
		01 पदक	आईस हॉकी	10,000.00
		13 पदक	स्केटिंग	3,09,997.00
		08 पदक	स्कीइंग	2,79,300.00
		02 पदक	वुशू	55,500.00
		08 पदक	पैरा एथलेटिक्स	4,13,300.00
		02 पदक	पॉवरलिफ्टिंग	77,000.00
		03 पदक	साईक्लिंग	2,34,750.00
		03 पदक	भारोत्तोलन	1,42,350.00

4. विभाग द्वारा खेल नीति-2021 का प्रकाशन किया गया, जिसमें निम्नानुसार नीतियां प्रस्तावित हैं

Policy Decision	Outcome
उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन अनुसार नकद खेल पुरस्कारों की धनराशि में वृद्धि।	इससे खिलाड़ियों का मनोबल और अधिक बढ़ेगा एवं उनमें से अधिक खिलाड़ी उच्च प्रदर्शन हेतु अभिप्रेरित होंगे।
खिलाड़ियों को राज्यहित खेलों में नियोजन हेतु स्पष्टीकृत एवं विस्तृत नीति।	खिलाड़ियों के चयनित की नियोजन आशंकाओं से दूर कर उनको अपने खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु प्रेरित करना।
मुख्यमंत्री खिलाड़ी सम्मान खाद्यवृत्ति देने एवं दायित्व उपबंधन।	08 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को खाद्यवृत्ति देने से उनमें खेलों के प्रति रुचि विकसित होगी साथ ही 14 वर्ष से बड़े खिलाड़ियों को खेल उपकरण एवं अन्य खेल सम्बन्धी आवश्यकता पूरी होने से उनके खेलों में परिष्कृत विकास होगा।
खिलाड़ियों को खेल इंजरी व आकस्मिकता के दुर्घटनात्मक बीमा/आर्थिक सहायता।	खिलाड़ियों की सुरक्षित एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी।
किसी क्षेत्र खेल अधिसूचित प्रोत्साहन करना।	किसी क्षेत्र को खेल क्षेत्र में प्रोत्साहित करने हेतु उनके उपबन्धकरण विकास हेतु अनुदान उपलब्ध कराने से प्रदेश में खेल अवस्थापनाओं में विकास को पूर्ण करने में मदद प्राप्त होगी।

खेल योजनाएं

राज्य में महिला सशक्तिकरण खेलों।	महिला खिलाड़ियों को उनके खेलों में और अधिक आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण एवं खेल-संबंधी विभिन्न गतिविधियों को भी बढ़ाने हेतु उत्तराखंड अवस्थित नगर में महिला खेलों का आयोजन।
राज्य खेल विकास संस्थान एवं खेल विज्ञान केन्द्र की स्थापना।	केन्द्र की स्थापना से खिलाड़ियों को तकनीकी, टैक्निक, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा एवं इस केन्द्र से सभी खेलों से राज्य के खिलाड़ियों को उनके बेहतर विकास में सहायता प्राप्त होगी।
36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन	उत्तराखण्ड राज्य में पहली बार 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा किया जायेगा।
राष्ट्रीय खेलों में 34 खेलों में प्रतियोगिता।	राष्ट्रीय खेलों में 34 खेलों में प्रतियोगिताएं देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, मुनस्यारी, ऋषिकेश, पौड़ीखाल, रुद्रपुर में 14 दिनों तक आयोजित की जायेगी।
खेल गांव	देहरादून व हल्द्वानी में एक-एक खेल गांव बनाया जाना प्रस्तावित है।
राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण	राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु विदेशी प्रशिक्षक की अनुशंसा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा।

24.2 युवा कल्याण एवं प्रान्तीय खेल यत:– युवा कल्याण एवं प्रान्तीय खेल हेतु विभिन्न योजना के सृजन तार्किक एवं सही सोच तथा आधुनिक खेल एवं जनजाति क्षेत्रों में युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न आयोजनों कार्य कर रहा है। विभाग द्वारा युवाओं में जनजातीय, सांस्कृतिकपरक प्रशिक्षण, खेल गतिविधियों एवं खेल अवसंरचना सुविधाओं को विकसित करने, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधियों में युवाओं को प्रतिभाग करने का कार्य कर रहा है। इसी के तहत जिला सेक्टर एवं केन्द्र/राज्य सेक्टर के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

24.2.1 जिला सेक्टर योजनायें –

24.2.1.1 ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता– योजना के अंतर्गत ग्राम सभावार, विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें विजेताओं को राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराया जाता है। वित्तीयवर्ष कुल वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 10.00 लाख एमेन्ड्ड बजटहेड के सापेक्ष ₹ 82.69 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

24.2.1.2 युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन– योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में कुल ₹ 41.82 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 329 युवक एवं महिला मंगल दलों, महिला समितियों, क्षेत्र युवक समिति तथा जिला युवक समिति के प्रोत्साहन/पुरुस्कृतस्वरूप हेतु भुगतान तक ₹ 36.87 लाख का उपयोग किया गया है।

24.2.1.3 सामाजिक सेवा/सुरक्षा कार्य– ग्रामीण स्तर एवं स्वयंसेवकों से जनता-जनार्दन के बीच सहज पेयजल, शौचालय, रैनबैन आश्रयघरों, निर्माणकार्य दुर्घटनाएं एवं अन्य प्राकृतिक आपदों के दौरान आवश्यक सुरक्षा एवं सहायता हेतु सम्बन्धी कार्य सामाजिक कार्यों जाते है। इस हेतु योजना में अनुमत कुल ₹ 2664.03 लाख धनराशि से सापेक्ष विभिन्न स्वकार्य कार्यों के आयोजनों को तैनात कर ₹ 1937.06 लाख का उपयोग कर 366661 मानव दिवसों का सृजन किया गया है। जनजाति क्षेत्रों/सुरक्षा मद में एसडीएमए के अंतर्गत कुल ₹ 600.17 लाख का प्रावधान कर 110887 मानव दिवस तथा टीएसपीएफ के अंतर्गत ₹ 119.02 लाख का प्रावधान कर 22488 मानव दिवसों का सृजन किया गया है।

24.2.1.4 विवेकानन्द युवा अवार्ड– युवक/महिला मंगल दलों के द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर अलग-अलग तीन श्रेणियों में चयनित कर विवेकानन्द युवा अवार्ड के तहत मंगल युवकदल महिला को सम्मानित किया जाता है। योजना में अनुमत कुल ₹ 3.00 लाख के सापेक्ष 34 युवा दलों को पुरुस्कृत प्रदान कर वर्तमान तक ₹ 2.09 लाख का उपयोग किया गया है।

24.2.1.5 युवा केन्द्र की स्थापना/रख-रखाव– युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत खेल प्रशिक्षण स्थापित करने, जनपद में सामाजिक/सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, खेलकूद के प्रतियोगिक अधिकाधिक अवसरों की निरन्तर में भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपदों में युवा केन्द्र स्थापित किये जाते है। इस योजना में ₹ 6.00 लाख लघुपुंजा धनराशि के सापेक्ष ₹ 4.23 लाख का व्यय किया गया है।

24.2.1.6 ग्रामीण व्यायामशालाओं का संचालन– इस योजना के अन्तर्गत युवाओं में खेलोंमें प्रेमभाव एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन हेतु विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर व्यायामशालाओं का संचालन किया जा रहा है। इस हेतु स्वीकृति ₹ 20.05 लाख के सापेक्ष 20 व्यायामशालाओं पर ₹ 9.37 लाख का उपयोग किया गया है।

24.2.1.7 व्यायामिक प्रशिक्षण– इस योजना में युवकों, महिला मंगल दलों एवं अन्य लोगों को स्वरोजगार हेतु व्यायामिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। योजना में 20 सामान्य व 50 अनुसूचित जनजाति के युवाओं को व्यायामिक प्रशिक्षण प्रदान कर ₹ 0.00 लाख का उपयोग किया गया है।

24.2.1.8 युवा मार्गदर्शन– योजना के अन्तर्गत कुल ₹ 44.05 लाख की धनराशि का बजट प्रावधान है।

इसके निष्पादन एवं जनजाति स्तर पर 21 सार्वजनिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर ₹ 35.61 लाख का व्यय किया है। विभाग प्रतियोगिताओं का राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कराया जा रहा है।

24.2.2.2 राज्य/केन्द्र पोषित योजनायें:-

24.2.2.1 ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन– खेलों एवं खेलकूद देने के उद्देश्य से वर्ष 2017 से 'खेल महाकुम्भ' का आयोजन ग्राम पंचायत, विकास खण्ड व जनपद स्तर पर किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रत्येक वर्ष औसतन 2.25 लाख खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। योजनागत ₹ 300.33 लाख की धनराशि प्रावधानित थी। आवंटन रुपये ₹ 226.07 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। इससे युवाओं को खेल कौशल के उत्कृष्ट मंच से खेल प्राप्त हो रहा है।

24.2.2.2 बाण्टरबोर मीलड, इंडोर हॉल व मिनी स्टेडियम का निर्माण– राज्य के दुरस्थ क्षेत्रों में प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों के विकास हेतु खेल अवसंरचना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। जनपदीय मीलड, इंडोर हॉल निर्माण हेतु ₹ 400.00 लाख की धनराशि प्रावधानित है जिसमें सर्वेक्षण ऊर्जाकरीडोरनगर के डाकघरीय इण्डर स्टेडियम, सहारिया में 60 खिलाड़ियों के प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण प्रस्तावित है। इस योजना में कुल ₹ 175.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु ₹ 1100.00 लाख की धनराशि प्रावधानित है। कुल 42 मिनी स्टेडियम/खेल मैदान के सापेक्ष 38 मिनी स्टेडियम/खेल मैदान निर्माण हेतु ₹ 1100.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी।

24.2.2.3 राज्य एवं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन– राज्य में युवाओं की सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष विकासखण्ड, जनपद एवं राज्य स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। राज्य स्तर पर विभागी प्रतिभागियों एवं सांस्कृतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर पर युवा महोत्सव में प्रतिभाग कराया जाता है। इस हेतु ₹ 30.00 लाख की धनराशि अवमुक्त है, जिसका लक्ष्य-प्रशिक्षण लक्ष्य करते हुए आयोजन में 453 दलबद्धकलों एवं सांस्कृतिक दलों द्वारा प्रशिक्षण लिया जायेगा।

24.2.2.4 ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना– राज्य में विभिन्न खेल विधाएँ, जिसे एथलेटिक्स, आलअराउण्ड, बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल के रख-रखाव, ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं प्रतिभावती खिलाड़ियों को निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखण्ड में 02 खेल प्रशिक्षक नियुक्त किये जाने की योजना स्वीकृत की गई है। आवंटन वित्तीय वर्ष में प्रत्येक विकासखण्ड में 01 खेल प्रशिक्षक की नियुक्ति की गयी है। युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु 150 मुख्यमंत्री ग्रामीण युवा स्वास्थ्य संवर्द्धन केन्द्र खोलने के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत (कुल 7736) में जोनल जिम की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रथम चरण में उन्हीं ग्राम पंचायतों में जोनल जिम (लिवास एवं प्रशिक्षित कोच) की स्थापना हेतु ₹ 14.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत है, जिसमें ₹ 283.60 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 6810 स्थानों पर उपकरण स्थापित किये गये। योजना का लिंग-वयस्क युवक/महिला संचालन दलों के माध्यम से किया जायेगा, जिस हेतु प्रति संचालन दल ₹ 17000 की धनराशि उपलब्ध करायी गयी।

24.2.2.5 राज्य स्तरीय साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण– राज्य से युवाओं में साहसिक प्रशिक्षण हेतु उत्तराखण्ड तिलोनी के तिब्बुरी में ₹ 348.00 लाख की लागत से राज्य स्तरीय साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है, जिसका कार्य अन्तिम चरण में है। इसके माध्यम से वाईट वॉटर राफ्टिंग, स्नोर्कलिंग ट्रेकिंग प्रशिक्षण, ट्रामवा पर्वतारोहण, ट्रेकिंग, कमाऊ, ट्रेकिंग आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

24.2.2.6 पीआरटीसी स्वयंसेवकों को मानदेयिकों का प्रशिक्षण– राज्य के राज्य स्तरीय में कुल 426 प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को 15 दिवसीय आवश्यक पुनर्प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। प्रशिक्षण प्रक्रिया में मिशन प्रबन्धन कार्य, नियोजन कार्य, धार्मिक कार्य, राज्य

सौजन्य, मेला एवं आपदा अवसर आदि अवसरों में हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। इस योजना में वर्ष ₹ 25.00 लाख की धनराशि स्वीकृत है, जिसमें से शेष ₹ 14.804 लाख की धनराशि अब तक हुई प्रगति के अनुसार 2300 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

24.2.2.7 निर्बाध एवं कुशल पेंशन में पैठका-डाकीए स्वयंसेवकों की तैनाती– वित्त वर्ष 2022 में लुप्त मेला में समस्त जनपदों के लगभग 2250 पैठकाडाकीए स्वयंसेवकों को ड्यूटी पर तैनात किया गया, जिनकी सराही ड्यूटी भारी, लापता बच्चों एवं अन्य काम पर कुल ₹ 423.45 लाख की धनराशि मेला की गरिमा, निर्बाध संचालन तथा सुरक्षा के दृष्टिगत तैनात किये गये लगभग 4178 पैठकाडाकीए स्वयंसेवकों के लिए ₹ 284.661 लाख की धनराशि पारित की गयी।

24.2.2.8 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण– राज्य के चुनिन्दा क्षेत्रों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चयनित एवं व्यवस्थित तरह से विभिन्न खेल विधाओं में प्रशिक्षण दिये जाने हेतु योजना प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2020-21 में खेल गतिविधि में चयनित 1115 युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों (बालक-बालिकाओं) को विभिन्न खेल विधाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस वित्तीय वर्ष में 44 प्रोफेशनलों में 1080 तथा सक्षम मानवों में 429 इस प्रकार कुल 1509 खिलाड़ियों का प्रशिक्षण का नवीन जैसा गया। इस हेतु ₹ 80.00 लाख की धनराशि अनुमत है, जिसके सापेक्ष ₹ 34.056 लाख की धनराशि तक अवधि हुए 1282 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

24.2.2.9 युवा दलों को आर्थिक सहायता– युवा मंगल दल/महिला समूह दलों को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु सामाजिक गतिविधियों के तहत खेलकूद सम्बन्धी योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में कुल ₹ 36.00 लाख की धनराशि का बजट प्रावधान किया गया। इसके सापेक्ष जनपद बनेवेहड़ के 88 मंगल दल, जनपद के 47 मंगल दल व नैनीताल के 66 मंगल दल, हरिद्वार के 68 मंगल दल, पौड़ी के 12 मंगल दल व ऊधमसिंहनगर के 11 मंगल दलों को विभिन्न खेलों हेतु कुल ₹ 27.334 लाख की धनराशि प्रदान की गयी है।

24.2.2.10 महिला मंगल दल/युवक मंगल दलों का क्रियान्वयन– राज्य के सभी मंगल दलों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु रू० पुरुषमती पुरुष मंगल दल एवं महिला मंगल दल स्वावलम्बन खेलन प्रारम्भ की गयी। इस हेतु ₹ 22.25 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी। योजना के अन्तर्गत राज्य की ग्रामीण ग्राम पंचायत (मुख्य रोड़) से पुरुष मंगल दल एवं महिला मंगल दल को अलग-अलग उनकी देय खेलों में ₹ 14.200 की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है, जिसके सापेक्ष ₹ 1036.738 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 13587 दलों को धनराशि उपलब्ध करायी गयी।

24.2.2.11 अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में किसी स्टेडियम निर्माण– अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को खेल से जोड़ने के लिए किसी स्टेडियम निर्माण प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति योजना में ₹ 80.00 लाख की धनराशि से निर्धारित है, जिसमें उपनाम कार्यालय की राजकीय इंटर कॉलेज सिरकोट में किसी स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। अनुसूचित जनजाति योजना में 20.00 लाख की धनराशि प्रविधानित है, जिसमें उपनाम जिला-पिथौरागढ़ के क्षेत्रों में किसी स्टेडियम निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था को ₹ 20.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

24.2.2.12 खेली इण्डिया (खेल अवस्थापना)– भारत सरकार द्वारा संचालित खेलो इण्डिया योजना के अन्तर्गत 02 जनपद, जिसमें किसी स्टेडियम नवनिर्माण, जनपद देहरादून का राजीवगांधी मल्टी पर्पज फुटबाल मैदान निर्माण हेतु ₹ 582.00 लाख एवं ग्राम पंचायत गर्जियाडुंग, केदारखेड़ा जनपद उधमसिंह नगर में मल्टीपरपज हॉल एवं ट्रैक निर्माण हेतु ₹ 465.42 लाख की स्वीकृति प्रदान हुई है, जिसके सापेक्ष खेलो निर्माण कार्य हेतु ₹ 294.00 लाख की धनराशि प्रदान हुई है, जिसमें निर्माण कार्य प्रगति पर है।

24.2.2.13 राष्ट्रीय कौशल संवर्धन सामान्य शिविर विशेष कार्यक्रम – इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य को आवंटित 63100 कार्यशालाओं द्वारा 3 उम्मीदों के माध्यम से इस योजना को लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत सामान्य शिविरों तथा विशेष शिविरों के आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा एक पृथक मानदेय एकमुश्तदर्शन प्रदान की जाती है।

भावी योजनाएं

- इस परियोजना अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर युवाओं से सम्बन्धित समस्या जानकारी एवं समाधान पर आधारित एक मंच प्रदान करने एवं संगठन करने के उद्देश्यपूर्ण विकास केन्द्र (रिसोर्स सेन्टर) की आवश्यकता महसूस की जा रही है, अतः विकास के अन्तर्गत इस प्रकार के केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।
- उत्तराखण्ड में प्रतिवर्ष जल से प्रभावी आपदा की रोक तथा पीड़ित व्यक्ति के युवाओं का एक व्यापक संगठन एवं स्थापित करने की आवश्यकता है जो कि प्रत्येक जिला, तहसील एवं ग्रामों तथा क्षेत्रीय संगठनों का कार्य सम्पन्न तथा पूर्ण रूप से प्रशिक्षित एवं संगठन व्यवस्थाओं से परिपूर्ण होगा। वास्तविक रूप से प्रत्येक जनपद में इनकी 20–25 युवाओं की पूर्णित गठित की जायेगी।
- इसमें युवाओं को काम के विकास एवं संगठन में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए उन्हें संगठित एवं सशक्त रूप से प्रशिक्षित करना आवश्यक है, इस हेतु युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रशिक्षण एवं पुनर्प्रशिक्षण के विस्तृत कार्य योजना पर विकास द्वारा कार्य किया जा रहा है।
- संगठन में विकास के कार्यों के विस्तार एवं युवाओं के विकास हेतु बड़ी भूमिका के सम्बन्धित विकास को एक मजबूत संगठन की आवश्यकता रही है। प्रत्येक ब्लॉक में एक मजबूत क्षेत्रीय युवा आन्दोलन एवं प्रबल प्रतिक्रियाओं (सिस्टम) कार्यरत है। युवा कल्याण के कार्यों को समन्वयित एवं प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु पैकेजेज के सहायतार्थ एकमुश्त / युवा विंगों की रोजगारी का भी प्रयास है।
- युवाओं के व्यापक विकास हेतु नवीन युवा नीति एवं निर्माण किया जाना अपेक्षित।
- दृष्टिकोण के अनुसार नवीन में युवा आयोग के गठन हेतु प्रयास किया जायेगा।

अध्याय–25

सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी

Science and Information Technology

25 सामान्य विवरण– शासकीय कार्यप्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अर्थात् ई–शासन की अवधारणा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग में लायी जाने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं हेतु कुछ जरूरतों अवश्यकताओं में से एक बन गई है।

शासकीय कार्यों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा जहां एक ओर शासकीय कार्यों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, कार्य कुशलता एवं जनसेवा उन्मुखता में वृद्धि हुयी है वहीं दूसरी ओर कार्यालयों की उत्पादकताओं को भी बढ़ावा मिला है।

छत्तीसगढ़ राज्य में ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत कुछ अवश्यकता आधारित– क्षेत्रीय सिंगल पोर्टलों को व्यापक व्यापक सेवा केन्द्रों की स्थापना, विभागों की सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं प्रदान एवं नेटवर्क से जोड़ना, डाटा सेंटर की स्थापना जैसी महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित कर लिये गये हैं। इसके अतिरिक्त राजकीय सेवा सूचना प्रणाली, ई–ऑफिस, ई–नेटकाम, ई–डिस्ट्रिक्ट, नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का डिजिटाईजेशन एवं जारी तैयार से कर रहा है। राजकीय इकाइयों में इलेक्ट्रॉनिक खजानीय प्रणाली के आवेदन के अतिरिक्त में जोखिमों को कम करने से सूचना प्रौद्योगिकी माध्यम के तंत्र की महत्वपूर्ण सूचिका सुनिश्चित करने हेतु नियमित प्रयास जारी है। शासकीय इकाइयों द्वारा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी को प्रभावी बनाने हेतु प्रमुख शासकीयिक तंत्रण एवं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का समावेश करके साधनीय सेवाओं और डेटा की तैयारी और आदान–प्रदान को प्रावधान किया जा रहा है। अतः, अधिकांश राजकीय सेवाएं ई–शासन कार्यालयों को लागू करने के फलस्वरूप से वेबसाइटों के माध्यम से संचालित हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 में राज्य में ई–गवर्नेन्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों एवं अवसंरचना संरचना हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। राज्य में मंत्रिमंडल में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार अवश्यकता संरचना एवं राज्य के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नीतियां / दिशानिर्देश तैयार किये गये हैं।

25.1 सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नीतियां / दिशानिर्देश– राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित कर राज्य के युवाओं को आगे ही राज्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सभी राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 जारी की गयी थी।

राज्य के फाईबर एवं दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य की प्रथम Right of Way 2018 नीति जारी की गयी। इस नीति में राज्य में संचार हेतु ऑप्टिकल फाइबर बिछाये जाने, फाईबर टॉवर स्थापित किये जाने की प्रक्रिया हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

25.2 साईबर सुरक्षा (Cyber Security) – राज्य में आईटी (Information Technology) अवसंरचना के साईबर सुरक्षा हेतु राज्य की राज्य के नागरिकों को साईबर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से (Cyber Crisis Management Plan (CCMP) एवं साईबर सिक्योरिटी नीति तथा सीआईआई (Critical Information Infrastructure (CII) नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस हेतु सुरक्षा सर्वेक्षण की अवश्यकता से Sectoral CoIt एवं सर्वोच्च सूचना प्रौद्योगिकी की व्यवस्था में Cert-UTK संस्थापित गठित की गयी है।

साईबर घटनाओं से निपटने के लिये MeitY के दिशा-निर्देशों के अनुसार Adjudicating Office का गठन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत 5 करोड़ तक के साईबर सम्बन्धित मामलों को निपटाने में सक्षमता किया जायेगा। साईबर घटनाओं के निपटने के लिये Incident Response Mechanism व समन्वित Standard Operating Procedure (SOP) जारी की जायेगी।

25.3 ई–शासन (E-Governance)– राज्य में ई-शासन परियोजना के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखण्ड हेतु स्टेट डाटा सेन्टर, ई–डिस्ट्रिक्ट, एप्लाकेशनसिर्वर एवं स्टेट पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) स्थान परियोजनाएँ स्वीकृत की गयी थी। ई–शासन के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में निम्नलिखित परियोजनाएँ संचालित एवं क्रियान्वित हैं –

25.3.1 उत्तराखण्ड राज्य डाटा केन्द्र (Uttarakhand State Data Centre)– सूचनाप्रौद्योगिकी (Information Technology Development Authority) द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी भवन, आईटी पार्क, देहरादून में अत्याधुनिक एस.डी.सी.–एच.सी.आई (Hyper Convergent Infrastructure) युक्त स्टेट डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। वर्तमान में स्टेट डाटा सेंटर पर विभागों के लगभग 113 एप्लीकेशन्स संचालित हैं स्टेट डाटा सेंटर पर ई–डिस्ट्रिक्ट, ई–गवर्नेन्स विभाग, वीडियो वैब कॉन्फ्रेंस, ई–ऑफिस, सीसीटीएनएस पोर्टल आदि होस्ट कर उपलब्ध किये जा रहे हैं। भविष्य में राज्य के व्यवसाय विभागों के एप्लीकेशन्स इस सर्वर, डाटा सेंटर में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से डाटा सेंटर का विस्तारीकरण, नियर बैकअप हेतु कार्यवाही आरम्भ की जा रही है। आपातकालीन स्टेट डाटा सेन्टर की रेम (RAM) उपलब्धता की गयी है। डाटा सेन्टर में विभिन्न विभागों की एप्लीकेशन्स को सुचारित रखने हेतु आपातकालीन स्टेट डाटा सेन्टर हेतु विस्तारित विभागों सेन्टर की स्थापना की गयी है।

स्टेट डाटा सेंटर में वर्तमान में विभिन्न विभागों की निम्नलिखित एप्लीकेशन्स होस्ट की जा चुकी हैं तथा अन्य एप्लीकेशन्स को होस्ट करने का कार्य गतिमान है –

S. No	Application Name	Department Name	URL
1	ITDA (Ayaan Sarkar)	ITDA	https://asarkar.uk.gov.in/
2	ITDA (CM -Dashboard)	ITDA	https://cmdashboard.uk.gov.in/
3	ITDA (Hilltrac -Cak)	ITDA	https://hilltrac.net/
4	ITDA (Hilltrac -Cak)	ITDA	https://cak.hilltrac.net/
5	ITDA (e-Garapan)	ITDA	https://egarapan.uk.gov.in/
6	ITDA (CSR)	ITDA	https://csr.uk.gov.in/
7	CM Office (CM Helpdesk)	CM Office	https://cmhelpline.uk.gov.in/

8	Transport –Urban (VLT)	Urban Transport	https://vlt.uk.gov.in/
9	Uttarakhand Tourism Development Board (E-ticket)	UTDB	https://ticket.uttarakhandtourism.org/
10	UTDB (Hub - Kedarnath)	UTDB	https://helicopterservices.uk.gov.in/
11	Uttarakhand Tourism Department (Travel And Trade)	UTDB	https://uttarakhandtourism.gov.in/
12	Uttarakhand Board of School Education (UBSE)	UBSE	http://ubseuttarakhand.gov.in/UserOnline/
13	Directorate of Economics and Statistics	Directorate of Economics and Statistics	https://desuk.in/
14	Uttarakhand Power Corporation Ltd.	UPCL	https://energy.upcl.org/
15	Commercial Tax Department, Uttarakhand GST (COM tax)	Commercial Tax Department, Uttarakhand	https://gst.uk.gov.in/
16	High Court LEGAL AID INFORMATION SYSTEM (LAIS)	High Court LEGAL AID INFORMATION SYSTEM	https://ukhighcourt.uk.gov.in/
17	Uttarakhand Civil Aviation Development Agency (UCADA)	UCADA	https://ucada.uk.gov.in/
18	UTDB (Site) Kedarnath Urban Charitable trust)	UTDB	https://kedarnathcharitabletrust.uk.gov.in/
19	Uttarakhand State Rural livelihood Mission (USRLM)	USRLM	https://rajasvika-uerlm.uk.gov.in/
20	UTTARAKHAND AWAS AND VIKAS PARISHAD (URAVPBDN)	URAVPBDN	https://uhavp.org/

21	e-mantrimandal	Mantrimandal	https://emantrimandal.uk.gov.in/
22	UTDB (Jageshwar Temple Website)	UTDB	https://jageshwar-gyanbhagya.uk.gov.in/
23	Department of Rural Development	Department of Rural Development	https://ukdrd.uk.gov.in/
24	Uttarakhand Disaster Management Authority (COVID-19 Details)	UDMA	http://sedmo.uk.gov.in/
25	Department of Information, Science and Technology Fight Against Covid -19	Department of Information, Science and Technology	https://covid19isr.uk.gov.in/
26	Uttarakhand Chief Minister Relief fund	CM Office	https://cmf.uk.gov.in/
27	E-Office Dehradun	E-Office Dehradun	https://eoffice-dehradun.uk.gov.in
28	Gopan (E-mantrimandal)	Mantrimandal	https://gopan.uk.gov.in
29	E-Office Uttarakhand	E-Office Uttarakhand	https://eoffice.uk.gov.in
30	UKSDM (Skills) Punjabi Portal)	UKSDM	https://hope.uk.gov.in/
31	Dehradun Smart City E-Office	Dehradun Smart City E -Office	http://smartcity.eoffice.uk.gov.in/
32	E-Office Training Secretariat	Secretariat	https://eoffice-training.uk.gov.in/
33	UK Police (SSP Traffic Police Dehradun)	UK Police	https://dehradunstaffcpolice.uk.gov.in/
34	Directorate of Industries (MSY)	Directorate Of Industries	https://msy.uk.gov.in/frontend/web/index.php
35	Uttarakhand State Rural livelihood Mission (USRLM)	USRLM	https://ukrlm.uk.gov.in/
36	ITDA 5 office	ITDA 5 office	https://eoffice-itda.uk.gov.in

37	Veer Chandra Singh Garhwali Sikshan (UTDB)	UTDB	https://vcgsacharya.uk.gov.in/
38	Urban Development Directorate Uttarakhand	Urban Development Directorate Uttarakhand	http://nagarsewa-uttarakhand.gov.in/
39	Urban Development Directorate Uttarakhand	Urban Development Directorate Uttarakhand	https://nagarsewa.uk.gov.in/
40	Department of Water and Sanitation	Department of Water and Sanitation	http://www.uk.gov.in/
41	Department of Medical Health and Family Welfare, Uttarakhand COVID -19	Department of Medical Health and Family Welfare	http://covid19.uk.gov.in/
42	Department of Yuva Kalyan Parishad	Department of Yuva Kalyan Parishad	http://yuvakalyan.uk.gov.in/
43	Uttarakhand Primary Education Department	Uttarakhand Primary Education Department	https://education.uttarakhand.uk.gov.in/
44	Uttarakhand Renewable Energy Development Agency (UREDA)	UPCL	https://uredauk.gov.in/
45	Accountant General (A&E) Uttarakhand	Accountant General (A&E) Uttarakhand	http://gpfuttarakhand.gov.in/
46	Department of Corbet Tiger Reserve (Nainital)	Department of Corbet Tiger Reserve	https://corbettuttarakhand.gov.in/
47	Department of Women Empowerment And Child Development	Department of Women Empowerment And Child Development	https://wcduttarakhand.gov.in/

48	Directorate of Social Welfare Uttarakhand	Directorate of Social Welfare Uttarakhand	https://sw.uk.gov.in/
49	Geology & Mining Department	Geology & Mining Department	https://dgmuppl.uk.gov.in/
50	E-Office UK POLICE	E-Office UK POLICE	https://eoffice-police.uk.gov.in
51	E-Office UTTARAKHAND DIRECTORATE	E-Office UTTARAKHAND DIRECTORATE	https://eoffice-uttarakhand.uk.gov.in
52	E-Office NAINITAL	E-Office NAINITAL	https://eoffice-nainital.uk.gov.in
53	E-Office ALMORA	E-Office ALMORA	https://eoffice-almora.uk.gov.in
54	E-Office UTTARKASHI	E-Office UTTARKASHI	https://eoffice-uttarkashi.uk.gov.in
55	E-Office CHAMPAWAT	E-Office CHAMPAWAT	https://eoffice-champawat.uk.gov.in
56	E-Office TEHRI	E-Office TEHRI	https://eoffice-tehri.uk.gov.in
57	E-Office PITHORAGARH	E-Office PITHORAGARH	https://eoffice-pithoragarh.uk.gov.in
58	E-Office CHAMOLI	E-Office CHAMOLI	https://eoffice-chamoli.uk.gov.in
59	E-Office PAURI	E-Office PAURI	https://eoffice-pauri.uk.gov.in
60	E-Office BAGESHWAR	E-Office BAGESHWAR	https://eoffice-bageshwar.uk.gov.in
61	E-Office RAJBHAWAN	E-Office RAJBHAWAN	https://eoffice-rajbhawan.uk.gov.in
62	E-Office HARIDWAR	E-Office HARIDWAR	https://eoffice-haridwar.uk.gov.in
63	E-Office RUDRAPRAYAG	E-Office RUDRAPRAYAG	https://eoffice-rudraprayag.uk.gov.in

64	E-Office UDHAM SINGH NAGAR	E-Office UDHAM SINGH NAGAR	https://eoffice-uttarakhand.gov.in
65	Stamp and Registration	Stamp and Registration	http://registration.uk.gov.in/
66	Uttarakhand Police	Uttarakhand Police	https://uttarakhandpolice.uk.gov.in/
67	UTTARAKHAND BOARD OF TECHNICAL EDUCATION	UTTARAKHAND BOARD OF TECHNICAL EDUCATION	https://sbtet.uk.gov.in/
68	Election commission	Election Commission	http://election.uk.gov.in/
69	Irrigation Department	Irrigation Department	https://pwrs.uk.gov.in/
70	Board of revenue (Ruralchal)	Board of revenue	http://bhuvanbadhan.uk.gov.in/
71	Department of Industry (Growth centre)	Directorate Of Industries	http://growthcentres.uk.gov.in/
72	Board of revenue (Ruralchal)	Board of revenue	http://bhulekh.uk.gov.in/
73	ITDA website	ITDA	http://itda.uk.gov.in/
74	Atal Ayushman Uttarakhand Yojana	Atal Ayushman Uttarakhand Yojana	http://ahvuk.gov.in
75	Emerging	Secretariat	http://emerging.uk.gov.in
76	Food Safety & Drug Administration, Uttarakhand	Food Safety & Drug Administration, Uttarakhand	https://fda.uk.gov.in/
77	State Transport Department	State Transport Department	https://gsrtcuttarakhand.gov.in/
78	UK Police (Personnel & Vigilance Department)	UK Police	https://ppuk.gov.in/
79	Uttarakhand Skill Development Mission (UKSDM)	UKSDM	http://ukskdm.org

90	SIDCUL	SIDCUL	https://sidcul.com
91	TRANSPORT (OXYGEN MANAGEMENT)	State Transport Department	https://stateuttaraja rtha.uk.gov.in
92	UK Police (SP Traffic Dehradun)	UK Police	https://uttarakhandpo lice.uk.gov.in
93	Uttarakhand Renewable Energy Development Agency(UREDA)	UPCL	https://uredcuk.gov.in/
94	Excise Dept. Uttarakhand	Excise Dept. Uttarakhand	http://exhtarcuk.gov.in/
95	Animal Husbandry	Animal Husbandry	https://ahvp.uttarakhand.gov.in/ahvp/
96	CCTNS	UK Police	http://policelogin.uttarakhand.gov.in
97	Horticulture and food processing	Horticulture and food processing	https://dohfp.uk.gov.in/
98	UK Police (STF Special Task Force)	UK Police	http://cybercops.uk.gov.in
99	Centre For Public Policy & Good Governance	Centre For Public Policy & Good Governance	http://cppgg.uk.gov.in
100	Uttarakhand Skill Development Mission (UKSDM)	UKSDM	http://www.uksdm.org/
101	Department Of Skill Development & Employment (state project)	Department Of Skill Development & Employment	http://dsde.uk.gov.in/
102	Forest Dept. (Uttarakhand Mountain moving Permission System)	Forest Department, Uttarakhand	http://forestonline.uk.gov.in
103	Chief Development Office	Chief Development Office	https://ukanbhiyaand officehot.uk.gov.in

94	CM OFFICE (Letter Monitoring)	CM Office	https://cmofficeletter monitoring.uk.gov.in/
95	Kalagarh Tiger Reserve	Kalagarh Tiger Reserve	http://kalagarhtigerreserve.uk.gov.in/
96	Election Department	Election Department	http://uselection.uk.gov.in/
97	Rajaji Tiger reserve (Forest reserve)	Rajaji Tiger reserve (Forest reserve)	https://rajajitigerreserve.uk.gov.in/
98	Uttarakhand Gramya Vikas Samiti	Uttarakhand Gramya Vikas Samiti	https://ugvsdata.com/
99	Uttarakhand Health System Development Project (UKHSDP)	Uttarakhand Health System Development Project (UKHSDP)	https://ukhsdp.ukhd.uk.gov.in/
100	State Planning Commission	State Planning Commission	https://spc.uk.gov.in/
101	Procurement grievance mechanism portal	Procurement grievance mechanism portal	https://pgrm.uk.gov.in/
102	Directorate of Women Welfare-Bal-Sisu MIS	Directorate of Women Welfare And Child Development	https://wcd.uk.gov.in
103	Gstpstmc	Commercial Tax Department, Uttarakhand	http://gstpstmc.uk.gov.in/
104	Forensic Science Laboratory	Forensic Science Laboratory, uttarakhand	https://sfslutarakhand.uk.gov.in/
105	Uttarakhand Digital Information System (SHDCUL)	SHDCUL	https://gis.shdcul.com/
106	Policeinfoportal	UK Police	https://policeinfoportal.uk.gov.in/
107	UK Police Vigilance	UK Police Vigilance	https://vigilance.uk.gov.in/

108	Invest Uttarakhand	Directorate of Industries	https://investuttarakhand.uk.gov.in/
109	Registration and tourist cars	UTDB	https://registrationandtouristcar.uk.gov.in/
110	Rafting Management	UTDB	https://rafting.uttarakhandtourism.uk.gov.in/

25.3.2 ई-जिला (E-District)—जारी सरकार ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत मुख्यतः राजस्व, पंचायती राज, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एवं सेवायोजन, शहरी विकास, न्यायालय, वेलफेयर, श्रम, समाज कल्याण एवं अन्य विभागों से सम्बन्धित 55 सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। उत्तराखण्ड अधिनियम ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2.0 का मॉड्यूल संस्करण विकसित किया जा रहा है, जिसमें चुनाव का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत चयनित विभिन्न विभागों से नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 217 सेवाओं तथा अन्य नागरिक केन्द्रित सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

25.3.2.1 वर्तमान में ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से निम्न सेवायें प्रदान की जा रही हैं—

क्रमांक	विभाग का नाम	सेवा क्रमांक	सेवा का नाम
1	राजस्व विभाग	1	आय निवास प्रमाण पत्र
		2	चरित्र प्रमाणपत्र (पेंशनभोगी)
		3	चरित्र प्रमाणपत्र (सामान्य)
		4	डोमिसाइल प्रमाण पत्र
		5	स्थायी/अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र
		6	एकरूपता प्रमाण पत्र
		7	फायरवीपी प्रमाणपत्र
		8	जाति प्रमाण पत्र
		9	आय प्रमाण पत्र
		10	नया परिवार जोड़ें
		11	परिवार परिवर्तन प्रविष्टियाँ
2	पंचायती राज विभाग	12	परिवार पृथकरण
		13	परिवार संयोजन
		14	ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड) : वार्ड की पेंशन
		15	ग्राम पंचायत प्रधान (ग्राम) : वार्ड की वार्ड व : ग्राम की पेंशन
		16	ग्राम पंचायत वार्ड (ग्राम) : ग्राम की वार्ड
		17	मुख्य पंचायत सदस्य (वार्ड) : वार्ड की पेंशन
		18	मुख्य पंचायत प्रधान (ग्राम) : ग्राम की वार्ड
		19	मुख्य पंचायत वार्ड (ग्राम) : वार्ड की वार्ड व : ग्राम की पेंशन
		20	निवासी स्थान निर्धारण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र
		21	प्रतिकरण प्रमाण-पत्र
3	श्रमिक विकास एवं सेवायोजन विभाग	22	सेवायोजन पंजीकरण
		23	पंजीकरण नवीनतम नवीनीकरण
		24	सेवायोजन पंजीकरण नवीनीकरण
4	शहरी निकाय निदेशालय	25	1 वर्ष के भीतर जन्म प्रमाण पत्र
		26	1 वर्ष के बाद जन्म प्रमाण पत्र
		27	21 दिनों के भीतर जन्म प्रमाण पत्र
		28	30 दिनों के भीतर जन्म प्रमाण पत्र
		29	1 वर्ष के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र

5	समाज कल्याण विभाग	30	1 वर्ष से कम वृद्धि वाला ग्राम
		31	31 दिनों से भीतर पूरा होने वाला
		32	32 दिनों से भीतर पूरा होने वाला
		33	पुनर्वास पैकेज
		34	विस्थापन भत्ता
		35	किराया पैकेज
		36	निःशुल्क भोजन, पानी और आपूर्ति
		37	परिवहन पैकेज
		38	दिन/रात्रि पैकेज
		39	प्रशिक्षण पैकेज
		40	शौच पैकेज
		41	सहयोग आपूर्ति करेंगे
6	श्रम विभाग	42	कार्यस्थल पर्यवेक्षण अधिकारी के लिए आवेदन पत्र
		43	ठेकेदार नियोक्ता/अधिकारियों के उपस्थित और उपस्थिति
		44	ठेकेदार नियोक्ता के साथ हस्ताक्षर की आवश्यकता
		45	मजदूरी वेतन विवरण
		46	कार्यस्थल अवकाश विवरण
		47	कार्यस्थल पर्यवेक्षण के लिए ठेकेदार नियोक्ता के साथ हस्ताक्षर/मुहरांकन आवश्यकता
		48	रोजगारित
		49	उन्नति संबंधित/नियोक्ता कार्य से संबंधित अधिकारियों के साथ दो अधिकारियों के हस्ताक्षर आवश्यक
		50	50 एचएच, आयु से ऊपर पर्यवेक्षण
		51	51 एचएच, आयु से ऊपर पर्यवेक्षण
		52	52 एचएच, आयु से ऊपर पर्यवेक्षण
		53	53 एचएच, आयु से ऊपर पर्यवेक्षण

7	पेंशनर्स विभाग	54	54 या एचएच, आयु से ऊपर पर्यवेक्षण
		55	55 या एचएच, आयु से ऊपर पर्यवेक्षण
		56	उन्नति संबंधित कार्य के संबंध में नई नियुक्ति/पदोन्नति अधिकारियों से दो वरिष्ठ अधिकारियों के हस्ताक्षर आवश्यक
		57	नई उन्नतियों कार्य के संबंध में नई जिम्मेदारियों संबंधित अन्य किसी अधिकारी के साथ दो जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों के हस्ताक्षर आवश्यक
8	श्रम विभाग	58	दुर्घटना एवं व्यक्तिगत अधिकार अधिनियम संबंधित के अंतर्गत दुर्घटना संबंधित अधिकार का परिवहन
		59	मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम संबंधित के अंतर्गत परिवहन
		60	दुर्घटना खान अधिनियम संबंधित के अंतर्गत नियोक्ता एवं मुख्य नियोक्ता का परिवहन
		61	दुर्घटना खान अधिनियम संबंधित के अंतर्गत नियोक्ता एवं मुख्य नियोक्ता का नियोजनालय
		62	संबंधित एवं अन्य परिवर्तित कर्मचारी अधिनियम (नियोजनालय संबंधित एवं अन्य) अधिनियम संबंधित के अंतर्गत अधिकार एवं सेवाओं का परिवहन
		63	कर्मचारी अधिनियम संबंधित के अंतर्गत परिवहन एवं नियोक्ता, नियोक्ता संबंधित व्यवसायों के साथ दो प्रकार आवश्यक मुख्य अधिकारी
		64	कर्मचारी अधिनियम संबंधित के अंतर्गत अधिकारियों का परिवहन

		55	कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत अधिकारों का प्रमाणीकरण
		56	बॉयलर अधिनियम 1923 के अंतर्गत अधिकारों का प्रमाणीकरण
		57	बॉयलर अधिनियम 1923 के अंतर्गत अधिकारों का प्रमाणीकरण
		58	वर्कमेन्स कम्पेंसेशन अधिनियम के अंतर्गत प्रमाणीकरण
9	कार्मिक विभाग	59	आपूर्ति का रिजर्वेशन/पुनः संशोधन–(स्थायी विभाग)
		70	लोकायुक्त पुलिसस्टेशन– शिकायत (स्थायी विभाग)
		71	बिजली आपूर्ति विच्छेदन– (Up to 11 kV) (33kV या 66 kV) एक साथ)
		72	बिजली आपूर्ति से वंचित– (अधिक अंतर पूर्ति/पोल से नयी संयोजन आवश्)
		73	बिजली आपूर्ति विच्छेदन– (बिजली दुर्घटनाओं की शिकायत)
		74	बिजली आपूर्ति विच्छेदन– (वितरण ट्रांसफॉर्मर विफल/जला हुआ)
		75	अन्य W/SS शिकायतें

2.5.3.3 कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा देवभूमि सेवा केन्द्र (Common Service Centre, CSC)–आलोच्य वर्ष 2021–22 तक 18841 कॉमन सर्विस सेंटर पंजीकृत है, जिसमें से 11603 कॉमन सर्विस सेंटर ग्राम पंचायतों में स्थापित हैं। जनपदवार विवरण निम्नानुसार है–

क्रम संख्या	जनपद	पंजीकृत CSC	कार्यशील CSC
1.	अल्मोड़ा	1411	991
2.	बागेश्वर	906	353
3.	चमोली	986	934
4.	चम्पावत	577	380
5.	देहरादून	2634	1610
6.	हरिद्वार	2771	1831
7.	नैनीताल	1073	1347
8.	पौड़ी गढ़वाल	1526	893
9.	पिथौरागढ़	931	459
10.	रुद्रप्रयाग	626	298
11.	टिहरी गढ़वाल	960	509
12.	उधमसिंहनगर	2104	2000
13.	उत्तरकाशी	906	556
	कुल	18841	11603

राज्य सेवाओं को ई–डिलिवरी सेवाओं हेतु अधिकृत किये गये हैं, जिनमें प्रमुख सेंटर के माध्यम से नागरिकों को ई–डिलिवरी एवं अन्य तमाम केन्द्र की अन्य G2C सेवायें प्रदान की जा रही हैं। इन्हें अतिरिक्त पीएमजीडीसी के माध्यम से विभिन्न G2C सेवायें भी प्रदान की जा रही है।

सीएससी केन्द्रों के माध्यम से जनपद में निम्नलिखित विभिन्न प्रकार की सेवायें प्रदान की जा रही हैं–

1. **State G2C Services:-** Apuni Sahar -75 Services

A. Revenue Department:

- Income Certificate
- Cast Certificate
- Domicile Certificate
- Character Certificate
- Solvency Certificate
- Uttarjvi Certificate
- Freedom Fighter Dependant Certificate
- Hill Area Certificate

B. Medical Health & Family Welfare:

- Death Certificate
- Birth Certificate

C. Social Welfare Department:

- Widow Pension Certificate
- Handicapped Pension Certificate
- Old Age Pension Certificate

D. Employment Department:

- Employment Registration
- Change of Trade

- Renewal of Employment

E. Panchayati Raj Department:

- Parivar Register Copy
- Parivar Register Entry
- Parivar Register Amendment 75 Services

F. Uttarakhand Power Corporation Ltd. (UPCL)

- Collection of electricity Bill

G. Uttarakhand Jal Sansthan (UJS):

- Collection of water Bill

H. State Transport

- Alteration of Motor Vehicle
- Change of Address in RC
- Duplicate
- Fitness Inspection Certificate
- Fresh Permit, Hypothecation Addition
- Hypothecation Termination
- Issue of Duplicate RC
- Issue of NOC
- MV Tax
- RC Particulars Against Fee
- Renewal of Registration
- Transfer of Ownership

I- Treasury Department:

- Collection of all 384 kind of Different Department Challan

2. Central G2C Services:

- Jeevan Pramaan Certificate
- Soil Health Card
- Public Grievances
- Swachh Bharat
- National Pension System
- Passport
- UTITSL - PAN Card Service
- BBPS-Utility Bills

3. B2C Services:

- LED Kit and Raw Material Order
- PVC Card Order
- IRCTC
- CSC Travel (Air)
- Red Bus
- Videocon2h: Recharge and Set Top box
- Income Tax Services
- GST Returns
- Digital Sign Certificate
- Order Devices from CSC
- CBSE NEET Registration
- Kisan e-Store
- Mobile Recharge
- Mobile Bill Payments
- DTH Recharge
- Data Card Recharge
- e-Store

4. Banking:

- Bank Mitr: SBI, PNB, BOB, BOI, Nainital Bank & HDFC
- DIGI Pay
- Digital Financial Inclusion

5. Education Related Services:

- CSC NIELIT Centre
- Tally Certification Program
- Basic Computer Course (BCC)
- NIOS Courses
- NIELIT Courses
- Sarkari Pariksha (Govt. Job Exam preparation)
- Tally Kaushal Pramaan Patra Competitive Exam Prep- IIT/ PMT/ Banking (Emobie)

6. Health Services:

- CSC Telemedicine
- Health Harmoni
- Jan Aushadhi
- e-Pashu Chikitsha
- Diagnostic Service
- Shree Swakthiman

7. Insurance Services:

- RAP Registration
- Life Insurance Premium Payment
- General Insurance
- Life insurance

8. **Recruitment Services:**
- Indian Navy UKSSSC

9. **Skill Development Services**
- CAD Registration
- Person with Disability (PWD) scheme
- Self Paid Course
- Cyber Wellness Course

10. **Training Courses**
- Learn English: Certificate from British Council
- Cricket Strokes (Learn Cricket Online)
- Animation Course
- Online English Speeking Course

11. **Travel Services:**
- Bus India - Bus Ticket Booking

12. **PMJSYM (Pradhan Mantri Aarogya Yojna):**
- Generation of Golden Card

13. **PM-SYM (Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan):**
- Registration of unorganized workers

14. **PM-SYM (Pradhan Mantri Kisan Maandhan):**
- Registration of Farmers.
- English Learning Courses
- Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyaan (PMGDISHA)

15. **National Pension Scheme for Traders and self employed persons:**
- Registration of small Traders.

16. **PM Kisan Samman Nidhi:**
- Registration of Farmers

17. **Economic Censes: completed**
- Census Data collection

18. **e- Shram**

19. **PM SVANidhi**
- Registration of Street Vendors

'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (PMGDISHA)

कॉमन सर्विस सेंटर एजेंसियां (सीएससी एजेंसियां) के माध्यम से 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' के अन्तर्गत 6.06 लाख ग्रामीण व्यक्तियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है। डिजिटल साक्षरता अभियान के अन्तर्गत अभी तक 6926222 व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया, जिनमें लगभग 5421103 को प्रशिक्षित किया जा चुका है एवं 4323665 को प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं।

इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को बुनियादी एवं डिजिटल-एवंलेख साक्षरता से सशक्तित करने, ई-मेल संचालन, इण्टरनेट ब्राउजर, सेवाओं तक पहुंचने, डिजिटल भुगतान आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

23.3.4 उत्तराखण्ड स्वान (Uttarakhand SWAN)– स्वान का संचालन उत्तराखंड इन्फोटेक्नोलॉजी के रूप में (डी पब्लिक लिमिटेड कंपनी (PSPA) के माध्यम से किया जा रहा है। स्वान के अन्तर्गत राज्य मुख्यालय से जिला मुख्यालय तथा तहसील / ब्लॉक मुख्यालय तक बैंडविड्थ कनेक्टिविटी प्रदान की गयी है। स्वान को अन्यत्र स्थान तक नेटवर्क सोर्स नेटवर्क (एनओसी) से एकीकृत किया गया है, जिससे 01 गीगाबिटपरसेकण्ड तक बैंडविड्थ उपलब्ध हो रही है, तथा ब्लॉक/तहसील स्तर तक 10/34/155/103 एमबीपीएस बैंडविड्थ प्रदान की जा रही है। स्वान नेटवर्क के अन्तर्गत्त 100 से अधिक पूर्ण कर लिया गया है, स्वान संचालन केन्द्र (Network Operation Center) रुद्रपुरिया में सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर स्थान में स्थापित किया गया है तथा सम्बन्धित से सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर स्थान तक अधिकतम फाईबर बिछाया गया है। लॉकडाउन में स्वान नेटवर्क से जनहित कार्य के संचालन 13 जनपद के 1000 सरकारीय संस्थानिक किये गये है, एवं सभी स्वान केन्द्रों में रेडियो फ्रीक्वेंसी एवं सहायक की स्थापना कर ब्लॉक-तहसील स्तर तक अधिकतम

सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से आच्छादित किये जाने की आवश्यकता थी जो पूरी हो चुकी है। राज्य नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन (Connectivity) एवं आपदा के लिए Alternet ISP. जिला एवं ब्लॉक/ तहसील स्तर तक कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है।

25.4 डिजीलॉकर (Digi Locker)- डिजिटल लॉकर प्लेटफार्म डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम के तहत भारत सरकार की एक पहल है। डिजिटल लॉकर डिजिटल लोगों से दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को जारी करने और सत्यापन के लिए एक मंच प्रदान करता है, इस प्रकार पेपरलेस शासन को सक्षम बनाता है। डिजिटल लॉकर प्लेटफार्म जनरेटेड, अपलोडेड, सार्वजनिकजारी और रजिस्टर्ड दस्तावेजों को एक मंच पर लाता है और जारी किये दस्तावेजों की सर्टीफाइड और प्रमाणिकता सुनिश्चित करता है।

उत्तराखण्ड राज्य में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 07 लाख डिजिटल लॉकर निर्मित किये जा चुके हैं तथा ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के अन्तर्गत 25.03 लाख प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं।

25.5 स्मार्ट पार्क- आईटीडीसीएल द्वारा 47 वर्ग एकड़ जनपद के कुल दो पार्क देहरादून एवं हल्द्वानी में कनेक्टिविटी प्रदान कर स्मार्ट डिवेलप्ड करने की पहल की गयी है।

स्मार्ट डिवेलप्ड पार्क-हल्द्वानी में डिजिटल सेवाएं नागरिकों को प्रदान की जा रही है तथा ई-मेडिसन, ई-यात्रा, स्मार्ट क्लास, प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता एवं क्षमता अभियान (PMDISHA) एवं अन्य विभिन्न सेवायें प्रदान की जा रही है।

25.6 रिजनल डेवलपमेंट सेन्टर- मुख्य सेटलमेंट्स विकास द्वारा शोध सेटर परियोजना के अन्तर्गत राज्य में दो रिजनल डेवलपमेंट सेन्टर स्थापित किये जाने प्रस्तावित है। जिसमें से एक सेन्टर पहाड़ पर्वतीय में स्थापित होगा। दूसरा सुमधुर मण्डल में रोजगारपरक में स्थापित होगा। इन सेन्टरों में अर्बेनाईजेशन के वैश्विक एवं राज्य स्तरीय प्रवृत्तियों एवं अन्य विदेशी संगठनों-जानकारी उपलब्ध अर्बन सर्वे प्रशिक्षण की इकाई विकसित करेगा। यह केन्द्र पूर्व से स्थापित जापान इंडिया इंस्टीट्यूट सेन्टर' में स्थापित किये जायेंगे। केन्द्र सेन्टरों में आईएलआईटी सहयोगी के रूप में कार्यरत करने तथा युवक कोर्स को संचालित किये जाने हेतु विशेषज्ञ सलाह प्रदान की जायेगी।

25.7 सीएम हैल्प लाईन '1905' (CM Helpline '1905')- कार्यालय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनता से सीधा संपर्क स्थापित करने तथा जन शिकायतों/समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रारम्भ की गयी सीएमएच हेल्पलाइन-1905 के अन्तर्गत लगभग 3.38 लाख शिकायतें प्राप्त हो चुकी है, जिसमें से 1.83 लाख शिकायतों का सन्तुष्टिपूर्वक निस्तारण किया जा चुका है।

25.8 वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की स्थापना- वर्ष 2014 में राज्य में 13 जिलों में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की स्थापना किये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था, जो परीक्षण वर्ष में पूर्ण हो चुके है। इसके अन्तर्गत कुल 258 स्थानों में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की स्थापना की गयी है। इस परियोजना के अन्तर्गत मंत्रिमण्डल से सम्बन्ध समिति कार्यालय सहित सभी, पालपण मुख्यालयों जिला/तहसील कार्यालय/कैम्प कार्यालय, ब्लॉक एवं तहसील तक स्थापित 133 सहित केन्द्रों, पुलिस विभाग के चयनित 21 कार्यालयों-पुलिस मुख्यालय, इंटेलीजेंसी मुख्यालय तथा सभी एसएसपी/एसपी कार्यालयों, परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा हरीद्वार जनपद के 45 कुल पंचायतों को सम्मिलित किया गया है। द्वितीय चरण में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की व्यवस्था (सभी डीएम/एसडीएम एवं तिलवाड़ा) हेतु उपकरण प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी है।

25.9 ई-ऑफिस (E-Office)- कार्यालय में राज्य के विभिन्न कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन की प्रक्रिया गतिमान है। परियोजना की कार्यान्वयन एजेन्सी डिटिटाइजेशन मिशन जारी करने हेतु एनआईसीएसडीजी से एमओयू पर हस्ताक्षर किये जाने के उपरान्त 'E-Office' का प्रारम्भ किया गया है। इस क्रम में अधिकारी का स्मरण तथा तैयार किया जा चुका है। 80 प्रतिशत कार्मिकों हेतु सम्बन्धित ई-मेल IDGC आईडीज

रिपोर्ट की जा चुकी है। ई-व्हीकिल के संचालन विनियमनों हेतु आईटीडीसीएल द्वारा परिवहन परीक्षण में सोफ्टवेयर एवं नेटवर्क का आपरेशनल किया जा चुका है। ई-व्हीकिल के संचालन हेतु आइटीडीसीएल ने सप्लिमेन्टल कमीशन को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

25.10 ट्रांस ऐप्लीकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र (DARC)– पूर्वान्त प्रौद्योगिकी चयन में नेशनल टेक्निकल रिसर्च संस्थान (NTRO), भारत सरकार के सहयोग से 'ट्रांस एप्लीकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र' की स्थापना वर्ष 2012 में की गयी थी। इस केन्द्र का उद्देश्य ट्रांस के लिए सटीक और ट्रांस एप्लीकेशन एवं अनुसंधान आधारित समाधान, ट्रांस उपयोगकर्ताओं हेतु उच्च तकनीकी युक्त प्रशिक्षण व्यवस्था एवं उन सभी पुलिस विभाग द्वारा भारत सहित कार्यकर्ता में ट्रांस उपयोग की क्षमता विकसित करने हेतु तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराना है। ट्रांस ऐप्लीकेशन रिसर्च सेन्टर द्वारा वित्त वर्ष 12 में लगभग 9000 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है जिसमें निम्नानुसार विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र के अधिकारी/कर्मचारी शामिल हैं।

- इन्टेलीजेन्स तथा अन्य ब्यूरो/संगठन, सीबीआई सहित एवं, रीजनल इन्टेलीजेन्स संगठन, आईटीबीपीएफ।
- राज्यवार विभाग जैसा कि: एसटीएफ/संगठन, पुलिस, अभियान एवं आपरेशनल सेल्स।
- राज्यवार फोरेन्सिक्स के क्षेत्र एवं साइबर्स को फोरेन्सार के आधार हेतु प्रशिक्षित किया गया।
- प्रोजेक्ट 'लर्निंग' के अन्तर्गत पार्क ऑफ इंडिया के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।
- कॉमिक 10 से टीएन्ट ट्रांस ऑपरेटर्स को ट्रांस एप्लीकेशन एवं ट्रांस की सुरक्षित उपयोग के प्रशिक्षण हेतु सेमिनार का आयोजन किया गया।

25.10.1– ट्रांस फ्लाइट परमिशन ऐप्लीकेशन(DARC) के माध्यम से यह ऐप्लीकेशन तैयार की गई है, जिसके माध्यम से आवेदनकर्ता ने ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा स्थानीय पुलिस से ट्रांस उड़ान की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। यह सेवा पुलिस के CCTNS प्रोजेक्ट से एकीकृत है।

25.10.2 कोविड 19 के अर्न्तगत कार्य– कोविड 19 के दौरान ट्रांस ऐप्लिकेशन रिसर्च सेन्टर द्वारा ट्रांस के माध्यम से शहर की निगरानी की गई जिसमें पैदलचलन में रखी जाकिंग इलाकों की निगरानी कर पुलिस विभाग द्वारा रोक की निगरानी का जानकारी के लिए सम्बन्धित टूरी बनाए गये थे मदद की गयी। ट्रांस ऐप्लिकेशन रिसर्च सेन्टर द्वारा अपनी इन-हाउस टीम से साथ 3डी विंडोज ट्रांस एवं उबन्तु ट्रांस तैयार किये गये हैं। उपयोगी अनुसंधान केन्द्र के माध्यम से विभिन्न विभागों के सहयोग कार्य भी पूर्ण किये गये हैं जैसे – नक्सल विरोध विभाग हेतु ट्रांस तकनीकों के उपयोग से ड्रोनोंपायलेटों द्वारा प्रशिक्षण एवं सहयोग किया गया,विभिन्न क्षेत्रों के मेडिसिन फुटप्रिन्ट तैयार किये गये।

उक्त केन्द्र के माध्यम से ट्रांस संचालन हेतु विभिन्न पायलट प्रशिक्षित प्रदान किये जाते हैं, जो C एवं 10 रेटिंग के होते हैं।

DARC की भविष्य की योजनायें–

- सिविलियन सेक्टर को आधार।
- इन्फोर्मेशनिंग ट्रांस रिसर्चिंग संगठन।
- आधुनिक ट्रांस सम्बन्धित तकनीक संगठन।
- उपयोगिता तकनीकियों विभिन्नताओं उपयोग विकसित करने के साथ साथ आधुनिक तकनीकियों को अनुसंधान में उपयोग तथा अनुसंधान के अनुदेश से आईआईटीज संस्थानों से साथ समन्वित प्रशासन तथासंचालित किया जाना।
- ट्रांस –सम्बन्धित सम्बन्धान।
- ट्रांस विज्ञापन एवं विकसित विभि रखने हेतु उपयुक्तता केन्द्र की स्थापना।
- ट्रांस परीक्षण एवं प्रमाणिकता केन्द्र की स्थापना।

25.11 ई–गेटपास (E-Gatepass)– कोविड प्रोटोकॉल द्वारा लिमिटेड क्षमता एवं उपलब्धता ई–गेटपास राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से यात्रियों को आवश्यक

कर्मचारी/अधिकारी से ऑनबोर्डिंग हेतु आवश्यक डिजिटल प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। इसके अन्तर्गत https://egatepass-uk.in पर आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध है। उत्तराखण्ड सचिवालय में ई-गेटपास सिस्टम का क्रियान्वयन किया जा चुका है। इस सिस्टम से लगभग से 50 हजार से अधिक ऑनबोर्डिंग पास पहले किये जा चुके हैं। ई गेटपास सिस्टम का क्रियान्वयन, कालसन, गुप्तकाशी सचिवालय एवं अन्य विभागों में भी क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

25.12 बाजार परिशोधन– आधार को लागत पद्धति के रूप में उपयोग किया जा रहा है। सन् से 2021 की अनुमोदित उपलब्धियों के सापेक्ष वर्ष 2021–22 में प्रगति निम्नवत् की गयी

S.No.	App. Name	Total Population (Projected 2021)	Total Ration Generated	Saturation %
1.	[illegible]	8,68,000	5,35,351	61.71%
2.	[illegible]	28,[illegible]2,154	23,61,429	83.93%
3.	[illegible]	53,40,174	43,81,303	82.07%
Total		1,13,08,928	1,73,06,167	84.57%

25.13 ई–कैबिनेट (E-Cabinet)– राज्य की समस्त योजनाओं से सम्बन्धित प्रस्तावित सभी गतिविधियों के सम्पूर्ण कार्य एवं परियोजनाओं हेतु डिजिटल माध्यम से उच्च गुणवत्ता परिवेश में संचालन करने की प्रक्रिया को डिजिटाईज्ड बनाने की कार्यवाही की जा रही है। ई–कैबिनेट रियल टाईम को 24 घण्टे की उपलब्धता एवं सभी हितधारक हेतु एवेट डाटा सेन्टर में होस्ट किया जा रहा है। इस हेतु सचिवालय में सभी विभागों के 240 अनुभाग अधिकारियों, 124 निजी सचिव, 55 अनुभाग एवं एक सचिव तथा 25 संयुक्त एवं अपर सचिव स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को आईटीआई(ए) से सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र से माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

राज्य के विकास तथा विभिन्न वैज्ञानिक कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से आधुनिक रायायनी, अन्वेषण, ज्ञान संचालन, कृषि विकास एवं जनसामान्य में वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु निम्न संस्थायें कार्य कर रही है–

- उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (Uttarakhand Space Application Centre, USAC)
- उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (Uttarakhand State Council for Science & Technology, UCOST)
- उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (Uttarakhand Science Education and Research Centre, USERC)
- उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद (Uttarakhand Council for Biotechnology)

विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नानुसार है–

25.14 उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (Uttarakhand Space Application Centre, USAC)– केन्द्र द्वारा सुदूर संवेदन एवं अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कार्यों को बढ़ावा, उनको आगे बढ़ाना, मार्गदर्शन प्रदान करना, सम्पर्क करना, अनुप्रयोग और विकास से सहयोग, अन्तरिक्ष तकनीक के उपयोग द्वारा समस्या प्रभावित संसाधनों के अनुप्रयोग और आकलन हेतु परीक्षण, अन्तरिक्ष तकनीक के उपयोग द्वारा भूमि उपयोग के तहियों बनाने पर्यावरण, विपदा प्रबन्धित, तहियों संसाधनों तथा कलाओं की डिमार्केशन को पार उपग्रह डाटाओं के अनुप्रयोग हेतु भूसूचनिक उपकरण तथा अन्तरिक्ष तकनीक से सम्बन्धित प्रशिक्षणों के प्रशिक्षण संचालन किये जा रहे हैं। वर्ष 2021–22 में संचालित परियोजनायें का विवरण निम्नानुसार है–

25.14.1 वेब जीआईएस प्लेटफॉर्म फॉर कोविड–19

यूसैक द्वारा विकसित, देहरादून के जल संसाधन का देहरादून जनपद के लिए कोविड–19 का

जियोस्पेशियल रेजोल्यूशन सुनिश्चित किया गया। इस जी०आई०एस० एप के तहत कोविड–19 महीनों का डायनेमिक डेटा का डाटा डाटाबेसिंग फैसे से जीएसडीए देख जा सकता है। इसके अलावा इसमें डिजिटल प्रसार की जीएसडीए एक्टिविटीज की जा सकती हैं– कॉन्टेक्टिविटी ट्रायलाइजेशन, कैप्चे वहीं एवं दो बिन्दुओं के बीच की दूरी का विश्लेषण आदि किया जा सकता है। इस ऐप की मदद से कंटेनमेंट जोन का डिलीनिएशन किया जा सकता है।

25.14.2 डिजिटल डेटाबेस क्रिएशन

परियोजना के मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड जियोस्पेशियल लाईवलीहुड प्रोफाइल तैयार करने जनपद/ब्लॉकवार विभिन्न सूचनाओं यथा– भू–उपयोग, सड़ी विलास, आधारभूत संरचनाओं, जल संरचनाएँ, भू–आकृति, वन पंचायत/ग्राम आदि का डिजिटल स्वरूपों पर सृजन किया जाना है। उत्तराखण्ड के संसाधनों के जीवनोपार्जन डाटा को विभिन्न द्वारा साथ UDISE 2020–21 के डाटा को सम्बन्धित करने का कार्य किया गया।

25.14.3 लैण्ड यूज एण्ड कवर / अर्बन प्लानिंग

परियोजना का मुख्य उद्देश्य हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा के उपयोग से उत्तराखण्ड नगर क्षेत्र का 1:1000 स्केल का डिजिटल मानचित्रीकरण। इस

जीआईएसएस सामर्थित तकनीकी के अन्तर्गत किये गये महत्वपूर्ण कार्य

- भू–लैंक द्वारा "मुख्य मेला क्षेत्र लक्षित का जीआईएसएस सामर्थितकरण" पुस्तक प्रकाशित की गई है।
- डिजटल के पुरालेखों एवं नीव लिखित अभिलेख व मुद्रण प्रणाली मेलार्ड मुद्रण परियोजना के अन्तर्गत कोविड–19 के दौरान कीट्स लाई को सम्पादित करने के लिए जीआईएसएसएस देहरादून के सहयोग से मेलहट एप का सृजन किया गया, जहां पहाड़ी क्षेत्र से चमोली उत्तरकाशी के सूचनाओं को रखा, हेमकुंड, केदारनाथ, यमुनोत्री एवं गंगोत्री व रुद्रप्रयाग जनपद की नन्दप्रयाग, पंचकेदार एवं द्वारहाट सूचनाओं को स्थानीय लोगों को दूसरे प्रयास पर उत्तर पैक–डिजिटल का अभिलेख किया गया।

- उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड संरचना को सहायता प्रदान करने के लिए परिषद कैलाश भू–क्षेत्र के गंगोत्रीधाम–विनोदनगर क्षेत्र में विभिन्न प्राकृतिक सूचनाओं की विस्तृत डिजिटल तैयार की गई।
- देहरादून के सहारी क्षेत्रों में धूपों में हुए अतिक्रमणों का डिजिटल करने हेतु एनआरएसएसी (National Remote Sensing Centre) हैदराबाद–इसरो से उच्च रिजॉ (0.3 मी. रिजॉल्यूशन) आंकड़ों को क्रय कर एनजीसीएसएस देहरादून को प्रदान किये गए।
- देहरादून जिला प्रशासन को डीआईएम्स लोड कार्यालय के सहयोग से देहरादून निर्माण क्षेत्र का नक्शा उपलब्ध कराया गया।
- परिषद कैलाश भू–क्षेत्र गंगोत्री में नैनो डिजिटल संसाधन केन्द्रित अवलोकित एवं स्थल डाकिनीधाराटिक क्षेत्र के लिए भू–सृजन परियोजना के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र कैलाश भू–क्षेत्र गंगोत्री में किये गए उपग्रह सूचनाओं को एकत्रित कर भौवल आकेडाटाबेसिंग मीसिस नेटवर्क (https://www.mbdc.kolkata.in) का सृजन किया गया। परियोजना के अन्तर्गत कार्यक्षेत्रीय उपग्रह नियोजन ने एक देवतीय कार्यालय सांस्कृतिक एवं जैव – विविधता का अध्ययन परियोजना के सहयोगी संस्थान जीबीपीए एच० एन० डिजिटल यूनिवर्सिटी श्रीनगर के एक संयुक्त दल के किया गया।
- उत्तराखण्ड के संसाधन जनपदों की आवश्यकता सूचियों व परिस्थितियों को संकलित कर उत्तराखण्ड जियोस्पेशियल एटलस तैयार की गई है।
- रहारी विलास निदेशालय के उपवन केप द्वारा प्रकाशित उत्तराखण्ड लोक विनिधि प्रबन्धन सूचीकरण जीपीएसएस –जीआईएसएस सेवल डेवलपी मैनेजर के द्वितीय चरण फेज–2 के अन्तर्गत तैयार की गई है। उत्तराखण्ड का

तकनीकी हस्तांतरण प्रदान किया गया।

• इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा जनपद केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के लिए Uttarakhand Conservation Assessment and Management Plan (CAMP) कार्यशाला में प्रतिभाग कर सुझाव प्रदान किये गए।

• हिमालयन फॉरेस्ट हेरिटेज (HKN) परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के स्कूल शिक्षकों के लिए हाइब्रिडेशन जहां शिक्षकों को वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रदर्शन करने के उद्देश्य से जनवरी वैज्ञानिक आयोजित किया गया। जिसमें उत्तराखण्ड राज्य से विभिन्न विभिन्न शोध संस्थानों के वैज्ञानिकों, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, विभिन्न रेंजर्स जिलों एवं गैर-सरकारी संस्थानों के अधिकारियों व प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। साथ ही आकार न उत्तराखण्ड स्कूलन के निर्देशानुसार 2 दिवसीय दिवसों (उत्तराखंड भ्रमण व 2) आपदा प्रबंधन को उत्तराखंडीकरण किया करने के लिए विशिष्ट किये गया।

• उत्तराखंड स्थानीय परिस्थितियों एवं पारम्परिकीकरण परिप्रेक्ष्यों के अंतर्गत राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों जिलाधिकारी ने जिला व विद्यालयस्तर प्रबंधन एवं आपदा कवायदों हुए दूसरा गैरिन दृष्टिकोणों को समाहित करने के लिए सम्बद्ध शोधों को विशिष्ट कर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

• इसके कोई राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून, एम एस स्वामीनाथन नेशनल, पहाड़ सरकार के सहयोग वन सेवा Probationers 2020-21 के Hill & Mountain Tracks Study Tour में IFS probationers को औली-गरसाली, चूड़ी की पट्टी, हेमकुंड साहिब वैली जैसे क्षेत्रों में ट्रेकिंग करना कर ट्रेक-डिस्टेंस व लंबाई-संबंधित जानकारी प्रदान की गई।

• इसके अतिरिक्त परिसर, उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के स्थापनाकाल साल (2010) के लिए सलाहकार — वनौषधि क्षेत्र में एक डिसर्टेशन सेल्फ ट्रू का आयोजन कर औषधीय एवं सगंध पौधों के विषय में जानकारी प्रदान की गई।

25.15 उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद-यूकोस्ट (Uttarakhand State Council for Science & Technology-UCOST)- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत कार्यरत उत्तराखण्ड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (UCOST) उत्तराखण्ड सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। वर्ष 2021-22 में परिषद द्वारा किये गये प्रमुख कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:

25.15.1 प्रौद्योगिकी विकास

• राज्य कार्यालय के अन्तर्गत डीएसटी द्वारा "Development and analysis of concealable biometric template generation for person identification", "A study of phytochemical profiles in the essential oils of Ginger (Zingiber officinale Rosc.) of various altitudes of Uttarakhand", "Value addition to the 'nil' cattle of Uttarakhand using biotechnological investigations" एवं "A comparative study of drug resistance in bacterial isolates from environmental sources & patients with special reference to critical care unit at AIIMS Rishikesh" नामक शोध एवं विकास परियोजनाएं संचालित की गयी हैं।

25.15.2 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन

• एसडीडीसी बनाम और एसडीसाइट बनाने एवं सम्बन्ध हेतु 02 प्रशिक्षण कार्यों का आयोजन किया गया, जिसमें 100 प्रौद्योगिकी ने भाग लिया।

25.15.3 विज्ञान लोकव्यापीकरण

वर्ष 2021 में उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा 80 कार्यशाला/ संगोष्ठी/ सेमिनार/

सेक्टर का आयोजन किया गया जिसमें कि 25 सेक्टरों परियोजनाओं के डिजिटल माध्यम से आयोजित किये गए।

25.15.4 प्रौद्योगिकी सशक्तन केंद्र (TRC) की स्थापना – परियोजना द्वारा देहरादून मुख्यालय में इंडस्ट्री 4.0 तथा की उन्नत टैक्नोलॉजीज की स्थापना की गयी, जिसमें विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण और बागवानी के लिए मशीन और उपकरण शामिल किए जाएंगे। कौशल प्रशिक्षण के द्वारा यहां टैक्नोलॉजीज को लागूकृत किया जा रहा है तथा 02 अन्य टैक्नोलॉजीज की स्थापना का कार्य गतिमान है जहां पॉलिटेक्निक (पुरुष एवं महिला) (देहरादून), कम्प्रेहेंसिव (अल्मोड़ा), पॉलिटेक्निक (रुद्रपुर), कालाढूंगी (नैनीताल), रानीखेत (अल्मोड़ा), नैनीताल, बाजपुर (उधमसिंह नगर), हल्द्वानी (नैनीताल) तथा टनकपुर (चम्पावत) में टैक्नोलॉजीज स्थापित किये जा चुके हैं।

25.15.5 इंटरनेशनल प्रोपर्टी राइट (आईपीआर)– उत्तराखण्ड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टैक्नोलॉजी, देहरादून ने पेटेंट सूचना केंद्र (पेटेन्ट-इन्फोनेट) बौद्धिक सम्पदा अधिकार के मुद्दों के बारे में जागरूकता को आवश्यक करने और आईपीआर/आई के संवर्धित कार्यों का निर्धारित रूप से संचालन करने एसटीए स्कूलों को सुविधा प्रदान करने में सक्षिय रूप से सहायित है। इस वर्ष भी कुल 32 पेटेंट आवेदन दायर हुए थे और उनकी के लिए फॉर्म सभी रिपोर्ट तैयार की गई थी। कुल 20 पेटेंट आवेदन जांचों हासिल करने हेतु प्रेषण। 01 ट्रेडमार्क और 08 कॉपीराइट आवेदन दायर हुए जिन्हें प्राप्ति करने के लिए सम्बंधित विभागों को प्रेषण। इन जांचों से वीजन कुल 20 पेटेंट, 01 ट्रेडमार्क और 01 कॉपीराइट आवेदन प्रदान किए गए तथा 01 पेटेंटों का प्रकाशन भी सम्पादित हुआ है।

25.15.6 साइंस सिटी देहरादून की स्थापना साइंस सिटी देहरादून में जलवायु परिवर्तन, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी, जलवायु वर्गीकरण, आपदा प्रबंधन विज्ञान उद्यानशास्त्र आदि पर विभिन्न दीर्घाओं के साथ साथ विशेष रूप से जियोडेसिक डिजाइन के डिजिटल प्लेनेटेरियम, इन्टरएक्टिव साइंस गैलरी, बच्चों के लिए विशेष खेल और आकर्षक साइंस पार्क, थीम पार्क, वाटर ड्रोम, जीवाश्म पार्क आदि होंगे, साथ ही साथ 11 अन्तर्राष्ट्रीय प्रेटर साथ सम्बन्धी प्रदर्शनी लोग सम्मिलित हैं। इसके अलावा, अल्मोड़ा में साथ जीवित विज्ञान केंद्र का निर्माण प्रगति पर है।

25.15.7 बाह्य वित्त पोषित परियोजना

1– **डीजीकैलैब स्किल विज्ञान प्रोग्राम परियोजना** – जीवन विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी (डीबीटी), भारत सरकार के "डीबीटी–कौशल विज्ञान साथ फैकल्टी सार्थकता" को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के साथ कार्य कर रही है। कौशल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य युवा साइंटिफिकली और साथ टैक्नोलॉजीज्ड को उद्योग, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, आदि एवम् डीए और डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं में नौकरी करने के लिए तैयार करना है तदिनिय सभी वर्ष कुल 60 परिषद् छात्रों के लिए 03 सत्र–सत्रवार प्रशिक्षण आयोजित करेगी। इस प्रशिक्षण की पूर्ति के लिए प्रदेश के चार संस्थानों में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं–

- कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल तथा एसएसजे परिसर अल्मोड़ा (बीटेक) बिल्डिंग्स्थान, सोनपर - गढ़ताल: बायोसिटी ऑफ इंडिया (बायोसाइंसेज़ी) (29 दिसम्बर 2021 से 08 अप्रैल 2022 तक)
- जीबीपी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (NIHE), अल्मोड़ा तीन उत्तराखंड / सतत्व (11 जनवरी 2022 से 04 अप्रैल 2022 तक)
- जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर : स्टार्टअप इन्क्यूबेशन एंड रैपिड एक्सेलरेशन का एलायन्स (1 दिसम्बर 2021 से 31 मार्च 2022 तक)

परियोजना अवधि – 03 वर्ष

कुल लागत – ₹ 1,42,50,000.00

स्वीकृत धनराशि – ₹ 31,20,000.00

2– प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट फॉर वाटर साइंटिफी मॉनीटरिंग एंड मॉडलिंग सेक्शन (पीएमयूवाई) परियोजना

यह परियोजना भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय "जल जीवन मिशन के अन्तर्गत" (हर घर जल) के माध्यम से देश के समस्त राज्यों में चल रही है। इस परियोजना के समस्त संचालन के लिए उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून तथा उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, देहरादून के संयुक्त तत्वावधान में परियोजना प्रबंधन इकाई (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) का निर्माण किया गया है। पैरामाउंट का मुख्य कार्य समस्त प्रयोगशालाओं (27) का प्रबंधन तथा कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित करना है, समस्त प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षित किये जा रहे सभी जल नमूनों को रियल टाईम की पूर्ण जानकारी देने के उद्देश्य उनकी समस्त सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया जायेगा। पैरामाउंट द्वारा सम्पूर्ण राज्य में 70,000 जल स्रोतों को परीक्षित करने के उपरान्त समस्त सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

परियोजना अवधि – वर्ष 2021–22

कुल लागत ₹ 2,75,83,610.00

स्वीकृत धनराशि – ₹ 1,30,83,483.00

3 "प्रोस्पैक्टिंग एण्ड एसेसमेंट ऑफ सरटेन इन्डिजिनियस रेसोर्सिज ऑफ बदी तुलसी फ्लोरा उत्तराखण्ड हाईलैंड्स"

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा दिए गए वित्तीय सहयोग (SERB) के तहत "Prospecting and Assessment of certain Indigenous resipes of Basil Tulsi" दिनांक 16.10.2020 से प्रारम्भ हुई। परियोजना के स्वीकृत उद्देश्य निम्नलिखित है–

• बदी तुलसी के पारम्परिक ज्ञानियों का दस्तावेजीकरण और उत्तराखण्ड से विभिन्न लक्षणों से इनका मूल्यांकन।

• सभी संबंधित लक्षणों का सापेक्षण आर्थिक रोलमार्कर्स और एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि और इसकी जातवार्तिक संभावनाओं का विश्लेषण।

• सभी स्थानीय जेनोटाईप के इन–विट्रो और इन–विवो विकासात्मक अवलोकन का आकलन करने के लिए।

परियोजना के तहत रुद्रप्रयाग और चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थानीय एकत्रण किए गए और आईडेन्टीफाई किये गये नमूनों के सहयोग से प्रयोगशाला कार्य किया जा रहा है।

परियोजना अवधि – 03 वर्ष (2020–23)

कुल लागत ₹ 45,75,744.00

स्वीकृत धनराशि – ₹ 10,33,248.00

4 वाटर टैक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स के तहत– "वाटर एण्ड्री फूड पैसाद्य फू सोलर–पीव हायब्रिड बेसड् हाईड्रोपोनिक सोल्यूशन विद एन्हांड्स पोषाइल ऐविलेबल ऑफ मैक्रोटैक्स वार्कैट ऑर अरली फ्लोरसेंस एण्ड अर्ली मूल्यर्स"

एक परियोजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार (नई दिल्ली) द्वारा वित्तपोषित है तथा उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (देहरादून, उत्तराखण्ड), देवी अहिल्या और एडवांस एडवेंस (नई दिल्ली), हेमवती, गैहरोली कॉलेज (देहरादून) और जैनिमेड पेट यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर (उत्तराखण्ड) के संयुक्त तत्वावधान के क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना के मुख्य उद्देश्य देहरादून घाटी में स्थित एक हाईड्रोपोनिक संयंत्र के साथ वाटर एनर्जी और फूड नेक्सस (EFN) को जोड़ना और स्मार्ट हाई तकनीकी हाईड्रोपोनिक प्रणाली का विकास करना सम्मिलित करना है। प्रौद्योगिकी का प्रचार–प्रसार करने के लिए और उत्तराखण्ड के उद्देश्य से हिमालयी क्षेत्र समुदाय के लिए दून घाटी उत्तराखण्ड में हाईड्रोपोनिक उत्पादन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जैव–बल सोलर

की स्थापना स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत सौर पैनल की स्थापना की गई जाएगी है।

परियोजना अवधि – 02 वर्ष (2021–23)

कुल लागत – ₹ 3,02,42,280.00

अनुमत धनराशि – ₹ 2,62,62,280.00

5 उत्तराखण्ड राज्य अभियान के अन्तर्गत शैक्षणिक क्षेत्र के संकुलों के उन्नत विकास के लिए प्रोकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन

परियोजना अवधि – 02 वर्ष (2021–23)

कुल लागत – ₹ 2,95,28,288.00

अनुमत धनराशि – ₹ 15,85,117.00

6–इन्टरनेशनिसर्वेट ऑफ सिद्धपुल्स कॉस्ट (एसएसी) / सिद्धपुल्स टाइम (एसएटी) सीस इन उत्तराखण्ड स्टेट कालीसेस फार कांइड एण्ड टैक्नोलॉजी, देहरादून

परियोजना अवधि – 02 वर्ष (2021–23)

कुल लागत – ₹ 1,18,21,819.00

अनुमत धनराशि – ₹ 59,84,000.00

25.16–उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र– यूसर्क (Uttarakhand Science Education & Research Centre-USERC) — यह केन्द्र उत्तराखण्ड में विज्ञान शिक्षा, अनुसंधान तथा वैज्ञानिक चेतना को समृद्ध करने के उद्देश्य से स्थापित गया है। इसके लिए यह केन्द्र विज्ञान शिक्षा को टैक्नोलॉजी के माध्यम से अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा विज्ञान और टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में नवीनता की सम्भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए सदन प्रयास कर रहा है। केन्द्र द्वारा किये गये प्रमुख कार्य का विवरण निम्नानुसार है–

• वैज्ञानिकों के विभिन्न अनुसंधानों पर आधारित विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा के अधिक सुदृढ़ीकरण तथा प्रदेश में रोजगार उन्मुखी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित कर विज्ञान एवं टैक्नोलॉजी के विभिन्न अनुसंधानों द्वारा प्रदेश का सर्वांगीण विकास।

• विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिरुचि के दृष्टिकोण हेतु प्रयास करने में सहयोग के तौर उत्तराखण्ड ज्ञानविज्ञानसमिति द्वारा प्रदेश भर में कार्यशालाओं, सिम्पोजियम्, राज्यस्तरीय तथा जनपदीय प्रदर्शनी, सम्मेलनों, सिम्पोजियम् व उत्तराखण्डी(राज्यीय भाषा द्वारा प्रदेश भर में, खासकर, गढ़वाली) में तीन STEM (Science,Technology,Engineering and Mathematics) विशेषित आयोजनाओं की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

• राज्य के छात्रों, अध्यापकों एवं शोधकर्ताओं हेतु वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के माध्यम से वैज्ञानिक अभिवृत्ति की वृद्धि एवं कौशल विकास हेतु विज्ञान साम्मेलन का आयोजन किया गया।

• वर्तमान में प्रदेश के लगभग 12 जनपदों में 93 खगोलीय विद्यालयों में लगाई इंसी उन्नत खगोलीय यंत्र उपकरण संस्थान सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन किया गया।

• प्रदेशभर में विभिन्न विद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्रों के लिए गतिशील प्रशिक्षण विज्ञान हेतु समय–समय पर Orientation Workshop कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

• पुरस्कृत में स्थापित नई पुनर्जीवन योग (आयोजनाओं) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों में विभिन्न प्रायोजनों के पुनर्जीविकरण, उन्नत संचालन, प्रायोजन संबंधित तथा उन्नत केन्द्रों की व्यवस्थापन आयोजन विभाग होय से साथ ही पुरस्कारों को उपयुक्त विभागों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

• महिला वैज्ञानिक सशक्तिकरण व उपयुक्त महिला सम्मान सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत वैज्ञानिक अभिरुचि विकसित करने की दिशा में 06 युवा महिला वैज्ञानिकों को प्रदान Young women Scientist Excellence Award, व Young Women Scientist Achievement Award से सम्मानित किया गया।

• उत्तराखण्ड के समस्त विज्ञान अध्यापकों एवं विज्ञान सम्बन्धित विषयों को विषयों के आदान प्रदान

एवं विज्ञान में हो रहे विकासों से अवगत कराने हेतु व्याख्यान, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

• राज्य के पुराविदों से रोजगार परक पर्यटन, वैदिक भूमि, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण विषयक पर व्याख्यानों का ऑनलाइन आयोजन एवं विषय विशेषज्ञों से मार्गदर्शन हेतु संवाद।

• पुरातत्व परिसर में वैदिक खेतड़ हेतु भूगर्भजलीय अन्वेषण एवं पुनर्भरण एवं संरक्षण।

• उत्तराखण्ड के प्राकृतिक जल स्रोतों की गहन जानकारी उपलब्ध हेतु Water Quality Laboratory का संचालन।

कोविड–19 के अन्तर्गत विगतीय कार्यों में विशेष प्रयास का विवरण–

• विज्ञान पत्रिका, उत्तराखण्ड नॉलेज बैंक के पुनर्दीकरण का कार्य प्रगति पर है। मेटाडेटा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारूप–जानकारी को मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। पुरातत्व की पू. एच. पैनल में लगभग 200 नामावली जानकारी लिये जा चुके हैं।

• माह दिसम्बर 2021 में स्थानीय एवं स्थानीयतर छात्र के विद्यार्थियों के लिये पुरातत्व उत्खनन से तीन दिवसीय "जल विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम" का आयोजन किया गया। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में वेसट वाटर ट्रीटमेंट की विभिन्न विधियों, जल गुणवत्ता आकलन हेतु टैस्टिंगकिट्स, टर्बिडिटी, डिसोल्वड ऑक्सीजन, पैरामीटर, कॉलीफार्म बैक्टीरिया, टाईमिंग वाटर पैरामीटर्स पर तकनीकी पक्ष तथा विज्ञान संस्थानों के 25 प्रतिभागियों को प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन कार्यक्रमों के साथ ही देखभाल और ट्रेनिंग प्रदान की गयी।

• **'कोविड–19 महामारी के पानी, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव एवं पुनर्चक्रण विषय'** पर एक दिवसीय ऑनलाइन वर्चुअल वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मानव जीवन और संस्कृति पर हो रहे **कोविड–19** के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। इस सेमिनार में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग लिया तथा इसमें कनाडा फ्रेजरवैली यूनी से 12 से अधिक विशेषज्ञों ने अपने वीडियो एवं प्रस्तुत किए।

• दिनांक 09 नवम्बर 2021 को उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पुरातत्व संग्रहालय में व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय "उत्तराखण्ड राज्य : दशा एवं दिशा" था।

• पुरातत्व द्वारा जल वैज्ञानिकों के सहयोग से जिला खण्ड उत्खनन, सिंगोलीखाल अवेक्षण, टिहरी गढ़वाल में **'प्राकृतिक एवं परम्परागत जल स्रोतों (धारे, नौले) के संवर्द्धन व संरक्षण'** विषय पर एक दिवसीय जागरूकता व्याख्यान का आयोजन किया गया।

• जल विज्ञ व्यवस्थापकों सूचना (वाटर एडमिनिस्ट्रेशन नेवीगेटर) की आवश्यक जल स्रोत संरक्षण के संरक्षण सम्बन्ध, जल स्रोत संवर्धन के संरक्षण सम्बन्ध एक – सूचना (वाटर वैल्यूएशन इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, कार्ड एक – वाटर मैनेजमेंट) 'वाटर रिसोर्स रिसर्वायर इन रिवर बेसिन एण्ड वॉटरशेड्स मैनेजमेंट' 'वेस्ट वैल्यूएशन इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट' 'वाटर वाटर' इन वैरीएबल एडमिनिस्ट्रेशन इन वॉटर सप्लिमेंट एन्ड्रिमेंटिस' जिस पर ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

• "हिमालय दिवस" के अवसर पर दिनांक 09 सितम्बर 2021 को स्थानीय पेशा एवं संगठनों का अवलोक टूर–हिमालय" विषय पर व्याख्यान के अनुसार पर्यावरण के विद्यार्थी अवेक्षण" की सूचना में एक दिवसीय ऑनलाईन व्याख्यान आयोजित किया गया। इसी क्रम में पुरातत्व द्वारा राजकीय ऐतिहासिक विश्वविद्यालय, मेहलचौरी के सहयोग से हिमालय दिवस" के अवसर पर "जड़ से हिमालय व पेड़ टू सर्वाइवल" विषय पर एक दिवसीय ऑनलाईन व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों हेतु चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया।

• माह जनवरी 2021 में 'वेस्ट टैक्नोलॉजी और

प्रयोगशाला उपकरण निर्माण एवं रखरखाव विषय पर सात दिवसीय ऑनलाइन कौशलोन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 225 प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण लिया गया।

• दिनांक 18 जुलाई 2021 को पुलकर्ष द्वारा राज्य के 13 जनपदों के राजकीय एवं स्ववित्तपोषित शिक्षकों में स्थापित 25 स्मार्ट इनोवेशन लैब्स के उपकरणों में "मशीनों से खुशहाली" कार्यक्रम का ऑनलाइन आयोजन किया गया। राज्य के समस्त स्मार्ट इनोवेशन लैब्स में 1200 से अधिक पौधों को रोपित किया गया। 13 जनपदों में कार्यक्रम एक वृक्षारोपण किया गया।

• पुलकर्ष द्वारा वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 21 जून 2021 को जनजागरूकता वेबिनार का ऑनलाइन माध्यम से आयोजन किया गया।

• शिक्षा मंत्रालय, दिनांक 2021 के आदेश एवं ऑनलाइन माध्यम से संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस वर्ष निर्धारित की गई थीम "इंक्लूसिविटी टेक्नोलॉजी" के अंतर्गत पुलकर्ष द्वारा प्रदेश केन्द्रित थीम "उत्तराखण्ड में जल सुरक्षा एवं उपलब्धता एवं केंद्रित स्वयंसेवक समावेश" विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में "जनरेशन ऑफ विजन एण्ड रिजुविनेशन ऑफ स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन उत्तराखण्ड" विषय पर पैनल डिस्कशन तथा वेबिनार के छात्रों के लगभग 1400 केंद्रित स्वयंसेवक समावेश विषय एवं संबंधित निर्माण प्रतियोगिता एवं जल सेंद्रित स्वयंसेवक समावेश हेतु भाषण समावेश विषयक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

• पुलकर्ष द्वारा उत्तराखण्ड खान विज्ञान अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुल 425 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

• पुलकर्ष द्वारा बुन्देलखण्ड यूनिवर्सिटी झांसी के सहयोग से रायपुरा उत्तराखण्ड में Research Methodology, Publication and Ethics (RMPE-2022) विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उत्तराखण्ड राज्य के समस्त सरकारी एवं प्राइवेट विश्वविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक कालेजों के कुल 150 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

• उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद (पुलकर्ष) द्वारा दिनांक 30 मार्च 2022 को अधिक पवन करने हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें उत्तराखण्ड राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में व्यवसाय, शिक्षा एवं प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 विभूतियों को प्रथम उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा रत्न सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 500 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

• पुलकर्ष द्वारा सेकण्डरि इंटरनेशिप कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित विद्यार्थियों का विभिन्न संस्थानों में परिनियोजन व प्रशिक्षण एवं साथ साथ के मूल्यांकन सुरक्षित विज्ञान के उपलब्धि पुस्तकों, पोस्टरों, प्रोजेक्टिव उपकरणों के द्वारा संदिग्ध पुस्तकों को कुशिकल, प्रोजेक्टिव व पैकेजिंग में प्रशिक्षण दिया गया। 210 संदिग्धों को रोजगार से जोड़ा गया, जिसमें आय में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हुयी। प्रशिक्षण से अन्तर्गत संदिग्ध पुस्तकों को जोड़ का आकर्षणीय उपाय का प्रयास किया गया है।

• पुलकर्ष द्वारा हिमालयन उत्तराखण्ड मिशन परियोजना के अन्तर्गत दौरा के संरक्षण को सामाजार्थ की आजीविका का पुनर्मूल्यांकन करने हेतु इसमें नये उत्पाद लाने, बाजारीकरण, संरक्षण एवं पुनर्मूल्य विकास पर कार्य किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत गांव आधार बनाने हेतु 30 सामाजार्थों को प्रशिक्षित किया गया, जो सामाजार्थों की कार्यशैली में सहायक सिद्ध होगी। इसके अतिरिक्त बांस एवं रिंगाल के संवर्धन हेतु तीन पनपर्थों देहरादून, चमोली तथा टिहरी गढ़वाल में स्थापित किया गया है। सामाजार्थों हेतु 02

कॉर्पोरेशन को स्वयं सहायता ऋण का निर्वहन, 12 लाख बांस सिंचाई उत्पादों का निर्माण किया गया है।

26.17—उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी परिषद्—यू.सी.बी. (Uttarakhand Council for Biotechnology-UCB)

• कृषि विकास, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन प्रदेश स्थित गैर सरकारी उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद् (UBTAPC) राज्य की एक स्वायत्तशासी संस्था है, जिसके प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए तथा योगदान देने हेतु स्थापित किया गया है। वर्तमान में परिषद् जैव विविधता संरक्षित करने, वानस्पतिक जानकारी अथवा के उत्पादन, शैक्षिक, अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं को प्रोत्साहित करने, कार्यक्रम उपलब्धि एवं व्यवसाय को प्रेरित करने, कुशल मानव संसाधन विकसित करने, जैव सूचना प्रदर्शित करने, जागरूकता विकसित करने और विकास जैव संपदा का वैज्ञानिक विधि द्वारा अनुप्रयोग में लाने आदि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये समर्पित है। परिषद् उत्तराखण्ड में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और विकास के नये सिरों तक ले जाने के लिए अग्रसित है। परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नवत् है—

• परिषद् द्वारा हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की प्रणाली (तकनीकों) का सफल संचालन किया गया।

• हाइ-टेक कार्यक्रम के अन्तर्गत सत्र 2021-22 में स्नातकोत्तर स्तर के 12 छात्र-छात्राओं में परिषद् में जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्रदान किया।

• बीटी फसल के उत्पादन तथा उससे सम्बन्धित तकनीकी मार्गदर्शन हेतु बीटी नियम-2021 का सफल आयोजन हल्दी मुख्यालय में किया गया। प्रदेश के 120 विभिन्न किसानों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

• परिषद् द्वारा कोविड-19 जागरूकता अभियान के अन्तर्गत जागरूकता का आयोजन किया गया। अभियान में कोविड-19 में लक्षण एवं रैलियों के माध्यम से जागरूकता स्थापित किया गया। इस दौरान 50 युवकों को आर्थिक गतिविधियों से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

• परिषद् से वैज्ञानिक डा० मनिन्द मोहन को प्रथम पेशागत अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मान-2020 द्वारा आयोजित "युवा विज्ञान सम्मेलन" में उत्कृष्ट शोध पत्र प्रस्तुत करने पर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

• परिषद् ने दिवस पर्व दिवस-2021 के अवसर पर ऑनलाईन लोकप्रिय आयोजन के माध्यम से स्कूली/विद्यालयी स्तर के 120 छात्र-छात्राओं को जैव प्रौद्योगिकी विषय व रोचक कार्यों के लिये जागरूक किया गया।

• परिषद् द्वारा उद्यान विभाग, देवलसारी में उद्यान अवयव अवधि प्रशिक्षणार्थियों के स्थल निरीक्षण हेतु उद्यान विभाग के छह जनपदों यथा उत्तरकाशी से लेकर ऊधम सिंह नगर के दस दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में प्रशिक्षणियों को व्यावसायिक एवं प्रयोगशाला में टेक्निक और ट्रेनिंग प्रदान की गयी।

• परिषद् द्वारा आयोजित जीवप्रौद्योगिकी और अनुसूचित जनियाविटी तकनीकों पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश के सम्मिलित 40 युवा वैज्ञानिकों इस प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर आर्थिक जीव विज्ञान की बहुमूल्य तकनीकों की शिक्षा विधि से लाभान्वित हुए।

• उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (यूकोस्ट) एवं उत्तराखण्ड राज्य संस्थान, देहरादून तथा उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद् हल्दी के संयुक्त तत्वावधान में परिषद् मुख्यालय, हल्दी में दूध दिवसीय खाद्य सुरक्षता एवं खाद्य पुलिस पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के 150 युवा छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया तथा उपकृत्त अतिथि द्वारा सीलड़ प्रशिक्षण किट की जानकारी दी गयी।

• परिषद् के उत्तराखण्ड, वैज्ञानिक परिषद् में

उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (यूकॉस्ट) एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में तथा निदेशक, यूकॉस्ट/डी के मार्गदर्शन में एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के 150 छात्र-छात्राएं सम्मिलित हुए एवं नवाचार के क्षेत्र में दो दर्जन से अधिक प्रस्तुतियां से अवगत हुए।

• परिषद् मुख्यालय, देहरादून में तीन दिवसीय इनक्यूबेशन कार्यक्रम उत्तराखण्ड राज्यस्तरीय जैव प्रौद्योगिकी एवं आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रयोगशालाओं में शोध व विकास कार्यों का सफल संचालन किया जा रहा है।

• परिषद् के उत्तराखण्ड परिसर में स्थापित उत्तराखण्ड सेंसिंग द्वारा आपदा पूर्वसूचनी का सूचीकरण व उसकी समीक्षा करना-बताना का कार्य गतिमान है।

• परिषद् द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर आयोजित कार्यशाला/प्रशिक्षण/विचार गोष्ठी/ कला/औद्योगिक गतिविधियों द्वारा लगभग 3000 प्रतिभागियों व विद्यार्थी को लाभान्वित किया गया है।

• परिषद् में जैव प्रौद्योगिकी उद्यमिकता कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपाल एवं दिल्ली सहित लखनऊ, मथुरा से 25 छात्र-छात्राओं का समूह शिक्षार्थ पहुँचा जैव प्रौद्योगिकी की गतिविधियों से अवगत कराते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

• आईसीएआरएसी, आसिया एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्र प्रतिनिधि-दलमल, गुजरात से आई छात्र-छात्राओं व शिक्षकों को जैव प्रौद्योगिकी की गतिविधियों की जानकारी दी गयी। लगभग 40 छात्र-छात्राएं एवं शिक्षक इससे लाभान्वित हुए।

अध्याय–26
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन
Revenue and Disaster Management

26.1 राजस्व– राजस्व विभाग, भूमि एवं उसका भूमिधर, सीलिंग व शत्रु सम्पत्ति से संबंधित विभागों व न्यायालयों सम्बन्धी से कराया धन्यादियों का वसूली करते हुए राजस्व के उपबन्ध प्रदेश के राजस्व में वृद्धि करता है। राजस्व प्रशासन एवं भू-अभिलेखों जिसका खतौनियों का कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत पोर्टलइट पैकइट वैब की उपलब्धि एवं डिजिटाइजेशन सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यों को भी निष्पादित कराया है, जिससे लिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। निम्नलिखित कार्यालय/कार्यालयों के राजस्व भूमि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण का अभिलेखीकरण कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से किया जा रहा है।

डिजिटल इण्डिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाईजेशन प्रोग्राम (DILRMP) (राष्ट्र प्रतिशत केन्द्र पोषित) योजना का प्रारम्भ से वर्तमान वर्ष तक की अद्यतनिक स्थिति –

26.1.1 जनपद अम्बेडकर एवं पीडी नगर के वैकइट वैब डिजिटाईज किये जा चुके हैं तथा Record of Rights (जमाबंदी/खतौनी) से लिंक करने की प्रक्रिया भू-नक्शा सॉफ्टवेयर http://bhunaksha.nic.in के माध्यम से प्रारम्भ किये जा चुके हैं।

जनपद अम्बेडकर एवं पीडी नगर की 10–10 तहसीलों में गाटा विवरण फील्ड की एकत्रता का अन्तर्गत जनपद पीडी में 08 तथा जनपद अम्बेडकर में 04 अर्थात कुल 12 तहसीलों में गाटावार विवरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष तहसीलों में पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।

भारत सरकार द्वारा दो जनपद पीडी नगर एवं अम्बेडकर में ग्रामीण भूमि का सर्वेक्षण तथा पुनः सर्वे हेतु वर्ष 2014–15 में संशोधित दर ₹ 18000 प्रति वर्ग किमी की वर्ष 2015–16 में ₹ 45400 प्रति वर्ग किमी पुनरीक्षित होने के उपरान्त पुनरीक्षित दरों पर कार्य की अनुमति प्रतीक्षित है। परिषद् से सम्पूर्ण प्रदेश की भूमि का वर्ष ₹ 45400 प्रति वर्ग किमी की दर से सर्वेक्षण कराने हेतु ₹ 800.00 करोड़ की सर्वेक्षण की धनराशि सरकार के संज्ञानार्थ प्रेषित की गयी है।

सम्पूर्ण प्रदेश की भूमि का (रेलवे विभाग की भूमि छोड़कर) वास्तविक सर्वेक्षण विभाग के माध्यम से अनुमानित किये गये सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण कराये जाने के संबंध में ₹ 150.00 करोड़ की कार्योत्तर तैयार कर शासन को प्रेषित की गयी है, जिसमें DILRMP की कार्योत्तर भी सम्मिलित है।

प्रदेश की तहसीलों/परगनों के भू-लेख केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है।

प्रदेश के समस्त उप पंजिकृत कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण सम्बन्धी कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

प्रदेश की गैर जनपदीय जिला सहकारी बैंकों का कम्प्यूटरीकरण/डिजिटाईजेशन सम्बन्धी कार्य पूर्ण किया जा चुका है, प्रदेश की शीर्ष सोसाइटी को उपलब्धता आधारित के उपलब्धता अभिलेख जिले वाले की व्यवस्था स्थिति है।

जिलाधीय राज्य सहित द्वारा सेन्टर की स्थापना राजस्व परिषद् कार्यालय में की जा चुकी है, जिसमें जिलाधीय वेब एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर संचालित किये जा रहे हैं।

प्रदेश की 136 तहसीलों के सापेक्ष 68 तहसीलों में पहले जिलाई रूप से जमाबन्दी एवं खतौनी अभिलेख पत्रक में परिवर्तन हो चुका है। अवशेष तहसीलों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के जनपदों में जनपदों की वैकइट वैब डिजिटाईजेशन एवं लगभग 136 तहसीलों के भू-अभिलेख रिकार्ड का कम्प्यूटर कार्य की व्यवस्था सम्मिलित है।

कैडस्ट्रल मैप्स डिजिटाईजेशन एवं लैंडरिकॉर्ड के समस्त महत्वपूर्ण अभिलेखों का डिजिटाईजेशन सम्बन्धी कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्रदेश के समस्त भू–अभिलेख ऑनलाईन आवेदन के उपयोगार्थ उपलब्ध रहेंगे।

पड़ोसी राज्यों से विशेषकर मध्य प्रदेश के सभी भू अभिलेखों को Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) जारीकर लिंक कर दिया गया है, अतएव इस्त अभिलेख अभिलेखागार स्तर से डिजिटेशन उपरान्त जनरेट कर दिये जायेंगे।

28.1.2–ई ऑफिस यूनिट विभागीय एवं राज्य स्तरीय वैकर्स समिति के अन्तर्गत संकेतक कार्य:–

• **डिजिटाईजेशन ऑफ रिकार्ड:–** डिजिटाईजेशन लॉक रिकार्डस में खतौनियां डिजिटाईज की जा चुकी हैं।

• **कैडस्ट्रल मैप्स का डिजिटाईजेशन:–** पीपाडा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत जनपद पौड़ी एवं उत्तरकाशी के मैप्स डिजिटाईज किये जा चुके हैं तथा भू–स्तर सर्वेयर्स के माध्यम से चरिक्त संशोधन में भी उपलब्ध हैं, अवशेष 11 जनपदों के मैप्स को डिजिटाईज कराये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

28.1.3–ऑनलाईन म्यूटेशन:– नियमन विभाग की एप्लीकेशन के माध्यम से म्यूटेशन हेतु ऑनलाईन सिंगल्टी सार्वजनिक सेवा द्वारा होने वाली सम्बन्धी प्रक्रिया प्रदेश में लागू की जा चुकी है।

28.1.4 धारा 41 के प्रकरण डीबंकिंग/ डिमार्केशन हेतु ऑनलाईन एप्लीकेशन एवं विभागीकरण:– पत्रिम स्तर पर Revenue Court Management System (आरसीएमएस) सॉफ्टवेयर में उपलब्ध की जा चुकी है, जिसका क्रियान्वयन तहसीलों द्वारा किया जा रहा है। ऑनलाईन पोर्टल में भूमि की नैमाईश हेतु ऑनलाईन शुल्क लिये जाने की व्यवस्था संचालित है।

28.1.5–राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटीकरण:– राजस्व न्यायालयों के कम्प्यूटीकरण हेतु विकसित ऑनलाईन एप्लीकेशन http://lcms.uk.gov.in पर पक्षकार भी वादों की स्थिति जान सकते हैं प्रदेश की 611 राजस्व न्यायालय ऑनलाईन किये जा चुके हैं। राजस्व शुल्क ऑनलाईन लिये जाने की व्यवस्था भी पोर्टल में विद्यमान है। प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों को पूर्णत: ऑनलाईन कराये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

28.1.6– भूमि भूमि को अकृषि करने हेतु उत्तराखण्ड(उपबन्ध) अधिनियम की धारा–143 एवं 144 तथा भूमि भूमि रूप करने हेतु धारा–(143–154) के पोर्टल https://landuse.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन संचालित है।

28.1.7–पॉन जेड्यएड खतौनियों का डैजीनेशन:– प्रदेश की समस्त पॉन जेड्यएड खतौनियां कम्प्यूटरीकृत की जा चुकी हैं, कम्प्यूटरीकृत खतौनियों को ऑनलाईन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्थापन प्रक्रिया अंतिम स्तर पर गतिमान है।

28.1.8–गैर कृषि भूमि सम्बन्धी प्रकाश पत्र:– https://landuse.uk.gov.in पोर्टल पर गैर कृषि भूमि सम्बन्धी प्रकाश पत्र हेतु आवेदन की व्यवस्था उपलब्ध करा दी गयी है। प्रदेश के राजस्व उपजिलाधिकारी को ऑनलाईन लाईसिंग http://lms.uk.gov.in पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में की जा रही है। भू–अभिलेखों पर कृषि से सम्बन्धित रहेजिस्टियों का इतिहास ऑनलाईन दर्ज/मुक्त किये जाने हेतु वेब पोर्टल http://scanen kyut.gov.in प्रदेश में संचालित है।

28.2–स्वामित्व योजना की इमारि का अंकित विवरण:– राजस्व ग्रामवार पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशिलगत एवं हरिद्वार को पीपाडा प्रकाशों के रूप में विन्दित किया गया, तदोपरान्त अन्य जनपदों को सम्मिलित किया गया। प्रदेश में आबादी क्षेत्रों के सर्वेक्षण हेतु "उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संहिता नियमावली, 2023" संस्वीकृत की गयी।

भू–राजस्व अधिनियम की धारा–48 के अन्तर्गत आबादी क्षेत्रों में भूमि सर्वेक्षण कराये जाने हेतु अधिसूचना प्रकाशन संबंधित कार्य को प्रारम्भ किया गया।

सर्वेक्षण कार्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु कर्मचारी एवं वाहन विभाग एवं समस्त परियोजना उपखण्डस्तर द्वारा आवश्यक मानवीय संसाधनों को समय आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया गया।

प्रदेश के समस्त 13 जनपदों के सर्वेक्षण हेतु चिन्हित 2210 ब्लॉकों (सर्किल / कार्य क्षेत्रों) का तैयार कर सिंचाईमित्रों को प्रेषित की गयी, तथा प्रदेश स्तर पर तैयार एसओपी के अनुसार फील्ड स्तर पर आईडेन्टीफाई की कार्यवाही हेतु एसडीएम एवं सिंचाई को भेजकर सिंचाई भवित्व सिंचाई गहन तथा पूल पार्टियों हेतु एसडीएम एवं सिंचाई विभाग की संयुक्त टीमें गठित की गयी, सर्वेक्षण कार्यवाही कार्य उपखण्ड विभाग द्वारा सर्वेक्षण निर्देशावली के अनुसार की गयी।

फील्ड स्तरीय टीमों को उपखण्ड परिषद् एवं कर्मचारी सर्वेक्षण विभाग द्वारा आवश्यक ट्रेनिंग दी गयी। साथ में आईडेन्टीफाई एवं पूल पार्टियों की जानकारी उपखण्ड मुख्यालय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ग्रुप ग्लाईड कार्यालयों सम्पर्कित की जा रही है।

उपखण्ड जयसिंहपुर नगर में सम्पन्न फीडबैक की कार्यशाला पूर्ण हो चुकी है, तथा अवशेष उपखण्ड मुख्यालयों में कार्यशालाएं प्रक्रियाधीन है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) विधेयक, 2020 के द्वारा भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 54 की उपधारा (2) में अधिनेय अधिकारी द्वारा प्रतिदिवों सम्बन्धी विवादों का निपटारा के संबंध में संशोधन लाकर होने से उपखण्ड अधिकारी हेतु निर्धारित 21 दिनों की समय-सीमा में संशोधन करते हुए अधिकतम 10 दिन तक बढ़ाया जाना है।

प्रदेश के 13 जनपदों के 13826 ग्रामीण क्षेत्रों के राजस्व ग्रामों में भू-राजस्व अधिनियम, 1900 की धारा 48 के अन्तर्गत सर्वेक्षण की अधिसूचनाएं निर्गत की गयी तथा उपखण्ड अधिकारी के 488 ग्रामों को अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, इस प्रकार कुल 14343 ग्राम अधिसूचित होंगे।

कुल 14343 अधिसूचित ग्रामों के सापेक्ष अभिलेख तथा से 7827 ग्राम आकारी सर्वेक्षण हेतु चयनित हुये, जिसमें खरीफ 2020 तक्की में ड्रोन फ्लाईंग की कार्यवाही पूर्ण करने उपरान्त 3243 ग्रामों में अन्तिम रूप से आकारी सर्वेक्षण सम्बन्धित आपत्तियां हेतु फाईनल निर्णय किये गये। 2004 ग्रामों में 13875 व्यक्तियों अभिलेख पैमाइश तथा 118258 व्यक्तियों को सम्बन्धित आपत्तियों के विरुद्ध किये जा चुके है तथा सम्पत्ति विवाद की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

26.3– आपदा प्रबन्धन–

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण तथा पर्यावरण विज्ञान निकाय द्वारा आपदाओं को आने से पूर्व तथा होने वाली क्षति के अनुमान को कम करने के उद्देश्य से उपलब्ध करने तथा आपदाओं से आत्मरक्षण तथा बचाव, न्यूनीकरण को प्रभावी बनाने जाने तथा कार्य किया जाता है। आपदा के समय बेहतर रिस्पान्स प्रदान करने तथा पर्यावरण में आपदा के परिप्रेक्ष्य में प्रतिक्रिया देने संबंधित जनसमुदाय के लिए Incident Response System (IRS) को मजबूत बनाते हुए Real Time Data संग्रह जाना आवश्यक है।

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के लिया कलाग (2021 22)

26.3.1–आपदा शोधन एवं न्यूनीकरण–

1. राज्य में भौतिक सम्भावित पुर्नपुनरण तंत्र के पुनर्मूल्यांकन हेतु तुलनात्मक (रिमोट सेंसरिंग, लेन्डसेंसर (सैटेलाइट) एवं ड्रोनसेंसर (रिमोट) से डाटा की स्थापना हेतु सीसमो विज्ञान निकाय, पहाड़ जलवायु द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण समन्वयन का कार्य कर रहा है, मुख्यालय में डाटा एकत्र की स्थापना का कार्य दिसम्बर, 2021 में पूर्ण हो चुका है तथा जिलों द्वारा आँकड़ों का विश्लेषण भारतीय भौतिक विज्ञान निकाय द्वारा भौतिक पुर्नपुनरण को बेहतर बनाने के

लिये किया जा रहा है ताकि मौसम की वास्तविक जानकारी के साथ आपदा से सम्बन्धित सूचनाओं को भेजा जा सके।

2. उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की द्वारा भूकम्प पूर्व चेतावनी प्रदान किये जाने के उद्देश्य से भूकम्प पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की गयी है। राज्य के संवेदनशील स्थानों पर 167 भूकम्प जानकारी जमीनों तथा आम जनमानस को चेतावनी प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड भूकम्प अर्ली वार्निंग सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन को विकसित किया गया है। उक्त एप्लिकेशन के माध्यम से राज्य में 5 रिक्टर से अधिक के भूकम्प आने पर उसकी सूचना के मोबाइल पर स्थान की तीव्रता प्रदर्शन तथा 5 रिक्टर पैमाने के भूकम्प में Flash Message के माध्यम से चेतावनी प्रदान की जायेगी। परियोजना के संचालन एवं रख-रखाव हेतु लगभग ₹ 01.20 करोड़ व्यवेक्षित है।

3. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सहयोग से राज्य में आपदा की स्थिति में आकस्मिक प्रतिक्रिया में समुदाय की प्रमुख भूमिका के दृष्टिगत् समुदाय स्तर पर आपदा उपलब्ध संसाधन एवं सक्षम सम्बन्धित प्रक्रियाओं के संचालन हेतु आपदा मित्र फेज-2 परियोजना का संचालन किया जा रहा है। उक्त परियोजना में लगभग ₹ 07 करोड़ का व्यय होना प्रस्तावित है। 11 जनपदों में समुदाय को स्किल सेलसू के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के आपदा बचाव से सम्बन्धित तकनीकों से प्रशिक्षित किया जायेगा।

4. आपदा मित्र परियोजना के अन्तर्गत जन समुदाय की सक्षम एवं बचाव रज्जुकौशल, प्राथमिक चिकित्सा, सर्पदंश चिकित्सा एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा आपदा प्रतिक्रिया बल के सहयोग से विभिन्न में सम्बन्धित कराया जा रहा है।

5. अन्तरालवीय समिति से तकनीकी परिचालन एवं भूकम्पों के अवलोकन-प्रभाव हेतु प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा राज्य के आपदा संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक से अधिक सामुदायिक हेलिपेड संचालन को सक्षम होने हेतु उपयोगित सामुदायिक हेलिपेड गोपित जाने की गयी है। पूर्व में सामुदायिक हेलिपेड अपग्रेड किये जाने हेतु ₹ 10 लाख प्रत्येक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी जिसे बढ़ाकर ₹ 20 लाख कर दिया गया है। नये सामुदायिक हेलिपेड स्थापना वर्ष 03 वर्षों तक ₹ 04 लाख प्रतिवर्ष परिरक्षण हेतु सहायता प्रदान की जायेगी।

6. मौसम विभाग विभाग तथा अन्य के द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले पूर्वानुमानों तथा चेतावनियों को जनमानस तक पहुँचाने के लिये Bulk SMS सेवा का उपयोग किया जा रहा है। प्रशिक्षण द्वारा विगत माह जनवरी, 2021 में सीमित पूर्व चेतावनी हेतु स्मार्ट की Bulk SMS के माध्यम से जनमानस को तत्काल उपलब्ध कराकर पहले सहायकता आपदा प्रभावित क्षेत्र स्थल किया जा सका। परिवहन में Bulk SMS सेवा का उपयोग कोविड-19/Omicron वायरस के बचाव हेतु जागरूकता के लिए किया जा रहा है।

26.3.2-पवन निर्वहन तकनीकी- राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार के सहयोग से राज्य के ग्रामीण की मिट्टी द्वारा बनाये मकानों को भूकम्प प्रतिरोधी बनाने जाने के उद्देश्य से "Pilot Project to Improve Earthquake Masonry Lifeline Building" परियोजना संचालित है। उक्त परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा ₹ 3.03 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गयी है, जिसमें से लगभग ₹ 2.02 करोड़ रुपये का व्यय कर 25 ग्रामीण मकानों का रेट्रोफिटिंग की जायेगी। ₹ 25 लाख की लागत से उत्तरकाशी में अतिरिक्त प्रशिक्षण संस्थान केन्द्र, संचालन में रेट्रोफिटिंग का कार्य अन्तिम चरण में है। उक्त के अतिरिक्त 10 भूकम्प संवेदनशील जनपदों में आम जनमानस को भवन निर्माण तकनीकी एवं जागरूक करने के उद्देश्य से पार्थिव निर्माण विभाग द्वारा प्रदर्शन इकाईयों का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए राज्य के विभिन्न जिलों में 49 संस्थाओं/व्यक्तियों को भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण तकनीक पर प्रशिक्षण/कार्यशाला, रुड़की के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है

तथा कार्यभार में 15 हेक्टेयर क्षेत्र को Structural Safety Audit तकनीक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

25.3.3 जलसंरचनाओं में आपदा न्यूनीकरण की गतिविधियाँ-

1. राज्य में जलविद्युत योजनों के साथ जलाशयों तथा इनके द्वारा जोड़े जाने वाले जलों के बाद (Dam Authority, Center Water Commission, Irrigation Dept.) की स्थिति के नियंत्रण हेतु एकत्रित प्रक्रियाओं के साथ सामंजस्य हेतु एक एकीकृत अधिनियम का पालन किया जाता है तथा एकत्रित प्रक्रियाओं का नियंत्रित किया जा रहा है।

2. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार के सहयोग से सामंजित LRMS के अन्तर्गत उत्तराखंड जिलों Pilot के जिलों-चमोली, रुद्रप्रयाग के संवेदी भू-स्खलन क्षेत्र का चिन्हीकरण कार्य ₹ 6.000 लाख की लागत से सम्पन्नकार्यान्वित पूर्ण कर लिया गया है।

3. उत्तराखंड विद्युतनिगम में चमोली-पुलनाकी परियोजनों पर स्थित संवेदनशील भू-स्खलन क्षेत्रों का नियंत्रीकरण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इस कार्य में ₹ 9.25 करोड़ की राशि प्रस्तावित है, यह योजनों की भू-स्खलन एवंसार क्षेत्र निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे हैं।

4. विश्व बैंक पोषितोत्तर परियोजना-उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत आपदा नियंत्रणकाल इकाई स्तरीय लिए इकाई के अन्तर्गत कुल 23 पुलों का निर्माण कार्य एवं 05 सुरक्षात्मक नदी तट कार्य किये जा रहे हैं। आपदा नियंत्रणकाल इकाई देहरा के अन्तर्गत 142 एम्बुलेंस एवं अन्य उपकरणों का क्रय किया गया है।

5. उत्तराखण्ड राज्य में Decision Support System (DSS) की स्थापना किये जाने के उद्देश्य से Integrated Geospatial Platform, Database and Application for Disaster Risk Management in Uttarakhand को विश्व बैंक की सहायता से विकसित किया गया है। इस प्रणाली का विकास AIT, Thailand द्वारा किया गया है। उक्त प्रणाली से राज्य में घटित होने वाली आपदाओं की सिलसिलेवार जानकारी के साथ-साथ आपदा लोकेशन की सिलसिलेवार, पूर्व चेतावनी के साथ प्रतिक्रियाओं में सहायता प्राप्त होती है।

6. राज्य में संभावित भार पर विभिन्न प्रकार की आपदाओं जैसे- भूकम्प, बाढ़, भू-स्खलन, जंगलों में आग लगने का विस्तृत Hazard and Disaster Risk Assessment (DRA) जिला वार की गयी सम्भावना से किया गया है। इस जानकारी को किये जाने में Modeling के द्वारा संवेदी क्षेत्र तक Hazard Vulnerability व Exposure को ध्यान में रखा गया Risk Assessment किया गया है।

7. उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ने आपदा की स्थिति में संचित प्रतिक्रियाओं के लिये एक आपदा लोकेशन को चुन करने के लिये इसे एनवीरोमेन्ट एण्ड डिजास्टर मैनेजमेन्ट (आई.टी.डी.एम.) के साथ सम्बन्धित प्रशासन के अन्तर्गत कुए हैं, सभी समस्त राज्य इस सेवित गया। जिसकी लागत लगभग ₹ 1.50 करोड़ है।

8. वर्ष 2021 के मार्च महीने में आई भीषण आपदा के तत्काल राहतकार्यों की समीक्षा विभागों / संगठनों हेतु राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं भारतीय दूरसंचार संगठन सेवाओं के बीच सम्बन्धित प्रशासन मुख्य, जिसमें भारतीय दूरसंचार संगठन सेवाओं की सिक्रिय प्रकार की सर्वेक्षण तकनीक सम्बन्धित प्रक्रियाओं को सुचारु किया जा सके।

9. चमोली, प्रदेश में देवी धाम में आयी बाढ़ में प्रभावित हुआ आपदा विभागों एवं सेना / अर्द्धसैनिक बलों के सहयोग से प्रभावित क्षेत्र में लापता प्रतिभागियों करते हुये रेस्क्यू जनसमाज को सहायता पहुँचायी गयी। राज्य आपदा प्रतिभागियों द्वारा लगभग 50 दिन का Tunnel Rescue Operation चलाया गया, साथ ही आपातकालीन स्थिति के दौरान एवम विभिन्न लगाये गये, मोटरमार्ग दुर्घटनाओं, विद्युत, जल आपूर्ति की गयी। पास पहुँचाने हेतु हेली रेस्क्यू के किया गया।

10. कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रबंधित आवश्यकताओं के कठिनाई को सुलझाने और पहुँचाने हेतु उत्तराखण्ड के विभिन्न समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी किये गये। कोविड-19 के रोकथाम से संबंध हेतु उत्तराखण्ड राज्य अपना प्रबन्धन प्रतिक्रिया द्वारा जनजागरूकता लाने जिन्हें का विभिन्न विधाएँ जैसे सामाजिक दूरी, होम आइसोलेशन, मास्क का उपयोग, कोरोना वारियर्स आदि का विशेष किया गया। कोविड-19 से संबंध को प्रभावित स्तर पर सुधारने के लिये सहयुद्धितिय रेडियो के माध्यम से विज्ञापन का प्रसार प्रसार किया गया। राज्य के 13 जनपदों में कोविड स्थान संबंधित हेल्पलाइन स्थापित किये गये। आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा 8 से 10 कंपनी को जानकारी सूचना किया, उत्तराखण्ड सरकार कोविड संबंध से सम्बन्धित प्रसार प्रसार हेतु आवंटित

माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में बेहतर तैयारी, क्षमता विकास, जन सहयोग प्रशिक्षण, आपदा पुनर्वास, खोज एवं बचाव, राहत कार्य में सहयोग संचालन हेतु उत्तराखण्ड राज्य को जेआरडी सुशासन उच्च क्षेत्र आपदा प्रबन्धन पुरस्कार प्रदान किया गया।

परिशिष्ट

Socio Economic Indicators
Comparison Statement of Uttarakhand with India

Sr. No.	Item	Unit	Year	Uttarakhand	India
1	2	3	4	5	6
1	**Administrative Set-up**				
I)	No. of Districts	No	2011	13	640
II)	No. of Tehsil	No	2011	110	5924
III)	Census Towns	No	2011	116	4041
IV)	No. of Villages	No	2011	16793	597608
2	**Population**				
I)	Total Population	Lakh	2011	100.86	12100.35
II)	Rural Population	Lakh	2011	70.37	8337.69
III)	Urban Population	Lakh	2011	30.5	3771.66
IV)	Child Population in the Age-group 0-6	Lakh	2011	13.58	1645.15
V)	% of rural population to total population	%	2011	69.76	68.86
VI)	% of Urban population to total population	%	2011	30.24	31.14
VII)	% of child population to total population	%	2011	13.46	13.59
3	**Density of population (Population per Sq. Km.)**	No	2011	189	382
4	**Decadal Growth Rate**	%	2001-2011	18.81	17.7
5	**Scheduled Castes Population**				
I)	Persons	Lakh	2011	18.93	2013.78
II)	Rural	Lakh	2011	14.97	1528.51
III)	Urban	Lakh	2011	3.96	475.28
IV)	% age of S.C. population to total population	%	2011	18.76	16.63
6	**Scheduled Tribes Population**				
I)	Persons	Lakh	2011	2.92	1045.66
II)	Rural	Lakh	2011	2.65	940.01
III)	Urban	Lakh	2011	0.27	104.62
IV)	% age of S.T. population to total population	%	2011	2.89	8.63
7	**Sex Ratio (Females per 1000 males)**				
I)	Total	No	2011	963	943
II)	Rural	No	2011	1000	949
III)	Urban	No	2011	894	929
IV)	Child sex Ratio in Age-group 0-6	No	2011	890	918
8	**Literate Population**	**Lakh**	**2011**	**68.01**	**7036.39**

Sr. No.	Item	Unit	Year	Uttarakhand	India
1	2	3	4	5	6
9	Literacy Rate				
I)	Total	%	2011	70.02	73
II)	Males	%	2011	87.4	80.9
III)	Females	%	2011	70.01	64.6
IV)	Rural	%	2011	76.31	67.8
V)	Urban	%	2011	86.45	84.1
VI)	Total Literacy Rate among Scheduled Caste	%	2011	70.41	66.07
VII)	Total Literacy Rate among Scheduled Tribes	%	2011	75.98	58.96
10	Workers				
10.1	Total Workers				
I)	Persons	'000	2011	3872	481869
II)	Males	'000	2011	2552	331960
III)	Females	'000	2011	1320	149949
IV)	Rural	'000	2011	2896	368745
V)	Urban	'000	2011	976	133166
10.2	Main workers	'000	2011	2871	362556
I)	% of main workers to total workers	%	2011	74.15	75.2
10.3	Marginal Workers	'000	2011	1001	119323
I)	% of marginal workers to total workers	%	2011	25.85	24.8
10.4	work participation Rate				
I)	Total	%	2011	38.39	39.8
II)	Male	%	2011	49.07	51.9
III)	Female	%	2011	26.68	25.5
IV)	Rural	%	2011	41.01	41.8
V)	Urban	%	2011	32.33	34.9
10.5	Distribution to Total Workers				
I)	Cultivators	'000	2011	1046	118809
II)	% to total Workers	%	2011	27.01	24.7
III)	Agricultural Labourers	'000	2011	247	144334
IV)	% to total Workers	%	2011	6.39	30
V)	Household Industry Workers	'000	2011	77	18008
VI)	% to total Workers	%	2011	1.98	3.8
VII)	Other workers	'000	2011	1501	200488
VIII)	% to total Workers	%	2011	38.76	41.6
(IX)	Non-workers	lakh	2011	62.14	7209.66
(X)	% of non-workers to total population	%	2011	61.61	60.2

Sr. No.	Item	Unit	Year	Uttarakhand	India
1	2	3	4	5	6
11	**Disabled Population**	'000	2011	190	26810.6
I)	% of disabled population to total population	%	2011	1.84	2.21
11.1	**Proportion of Disabled of Population by Type of Disability**				
I)	In seeing	%	2011	15.71	18.8
II)	In Hearing	%	2011	20.34	18.9
III)	In Speech	%	2011	6.66	7.5
IV)	In movement	%	2011	19.97	20.2
V)	Mental Retardation	%	2011	6.18	5.6
VI)	Mental Illness	%	2011	3.40	2.7
VII)	Any other	%	2011	16.58	16.4
VIII)	Multiple Disability	%	2011	11.00	7.9
12	**Homeless population**				
I)	Homeless Households	No	2011	3273	449761
II)	Homeless Population	'000	2011	11.024	1772.9
III)	% of Homeless Population to total population	%	2011	0.12	0.15
13	**Slum Population**				
I)	Towns Reporting Slums	No	2011	31	2613
II)	Total Number of Slums Households	No	2011	93911	13020191
III)	**Total Slum Population**				
IV)	Persons	'000	2011	487.781	65494.604
V)	Male	'000	2011	257.624	33960.202
VI)	Female	'000	2011	230.157	31526.401
VII)	% of total Slum Population to urban population	%	2011	15.99	17.4
14	**Proportion of Population by Age Groups**				
I)	0-14 years	%	2011	31.02	30.8
II)	15-59 Years	%	2011	59.80	60.3
III)	60 and above years	%	2011	9.18	8.6
15	**Religion wise Population**				
I)	Hindu	No	2011	8398654	96257353
II)	% to total Population	%	2011	82.97	79.8
III)	Muslim	No	2011	1466022.5	172245150
IV)	% to total Population	%	2011	13.95	14.23
V)	Christian	No	2011	37781	27819588
VI)	% to total Population	%	2011	0.37	2.3
VII)	Sikhs	No	2011	23e340	20833116

Sr. No.	Item	Unit	Year	Uttarakhand	India
1	2	3	4	5	6
VIII	% to total Population	%	2011	2.34	1.72
(IX)	Buddhists	No	2011	14026	8442972
(X)	% to total Population	%	2011	0.13	0.7
(XI)	Jains	No	2011	9303	4451753
(XII)	% to total Population	%	2011	0.09	0.37
(XIII)	Others	No	2011	13681	10085037
(XIV)	% to total Population	%	2011	0.12	85
Source: Office of the Registrar General of India, Ministry of Home Affairs					
16	**STATE INCOME**				
16.1	Gross State Domestic Product				
I)	At Current Prices	Rs.Crore	2020-21(Q)	327421	19860914
II)	At Constant (2011-12) Prices	Rs.Crore	2020-21(Q)	175910	13558472
16.2	Net State Domestic Product				
I)	At Current Prices	Rs.Crore	2020-21(Q)	300534	17460845
II)	At Constant (2011-12) Prices	Rs.Crore	2020-21(Q)	156180	11726198
16.3	**Per Capita Net State Domestic Product**				
I)	At Current Prices	Rs.	2020-21(Q)	276744	126355
II)	At Constant (2011-12) Prices	Rs.	2020-21(Q)	138819	85119
16.4	Per Capita Revenue Receipts of the State	Rs	2020-21	30.620	30.568
16.5	Share of States net Tax Revenue Receipts	%	2020-21	29.29	44.5
16.6	Per Capita Share in Central Taxes	Rs	2020-21	5352	NA
16.7	Per Capita grants from Centre	RS	2020-21	14.761	NA
16.8	Share of Development Expenditure in Total Expenditure	%	2020-21	54.2	63.1
16.9	Percentage of Revenue Deficit (+), Surplus (-) to GSDP	-	2020-21	1.3	2.8
16.10	Percentage of Fiscal Deficit (+)/Surplus (-) to GSDP	-	2020-21	4.4	4.7
16.11	Percentage of Outstanding Liabilities to GSDP	-	31.03.2021	31.0	31.3
Source: (1) Directorate of Economics & Statistics, Uttarakhand State, Dehradun. Q: Quick Estimates **Source:** (2) In India includes all Union territories					
17	**MONTHLY PER CAPITA CONSUMER EXPENDITURE 68th Round NSS(July 2011-June 2012)***				
I)	Rural	Rs.	2011-12	1365	1430
II)	Urban	Rs.	2011-12	2330	2630
* *MMRP- Modified Mixed Reference Period Source: NSSO, GoI, MOSPI*					

Sr. No.	Item	Unit	Year	Uttarakhand	India
1	2	3	4	5	6
18	AGRICULTURE				
1	**Area Under Principal Crops**				
I)	Rice	'000 Hect.	2019-20	247.0	43662.3
II)	Jowar	'000 Hect.	2019-20	-	4823.76
III)	Bajra	'000 Hect.	2019-20	-	7562.68
IV)	Wheat	'000 Hect.	2019-20	315.8	31357.02
V)	Total Cereals	'000 Hect.	2019-20	745.6	99807.21
VI)	Total Pulses	'000 Hect.	2019-20	39.3	27307.31
VII)	Total Foodgrain	'000 Hect.	2019-20	306.3	126994.53
VIII)	Groundnut	'000 Hect.	2019-20	8.53	4825.2
(IX)	Total Oilseeds	'000 Hect.	2019-20	25.1	27139.25
(X)	total Coar Cereals	'000 Hect.	2019-20	-	23987.9
(XI)	Sugarcane	'000 Hect.	2019-20	91.6	4602.68
(XII)	Cotton	'000 Hect.	2019-20	-	13477
19	**Production of Principal Crops**				
I)	Rice	'000 Tonnes	2019-20	698.5	118870.32
II)	Jowar	'000 Tonnes	2019-20	-	4772.1
III)	Bajra	'000 Tonnes	2019-20	-	10362.6
IV)	Wheat	'000 Tonnes	2019-20	903.5	107590.51
V)	Total Cereals	'000 Tonnes	2019-20	1829.84	274479.27
VI)	Total Pulses	'000 Tonnes	2019-20	56.77	25925.35
VII)	Total Foodgrain	'000 Tonnes	2019-20	1885.61	297504.44
VIII)	Groundnut	'000 Tonnes	2019-20	8.59	9957.02
(IX)	Total Oilseeds	'000 Tonnes	2019-20	24.08	30219.22
(X)	total Coar Cereals	'000 Tonnes	2019-20	-	47740.44
(XI)	Sugarcane	'000 Tonnes	2019-20	4498.28	470498.3
(XII)	Cotton	'000 bales*	2019-20	-	36065
20	**Area of Principal Horticulture Crops**				
I)	Fruits	'000 Hect.	2019-20	181.49	6702.37
II)	vegetables	'000 Hect.		77.07	10316.39
III)	Plantation crops	'000 Hect.		24.77	4071.22
IV)	Total*	'000 Hect.		280.33	26219.44
21	**Production of Principal Horticulture Crops**				
I)	Fruits	'000 Tonne	2019-20	677.37	100447.70
II)	vegetables	'000 Tonne	2019-20	772.07	189464.97

Sr. No.	Item	Unit	Year	Uttarakhand	India
1	2	3	4	5	6
III)	Plantation crops	'000 Tonne		388.64	16031.14
IV)	Total*	'000 Tonne		818.08	319567.25
* Including Flowers, Aromatic, Medicinal Spices & Honey.					
22	**LIVESTOCK**				
I)	Total Livestock *	No.	2019	4427009	536761343
II)	Cattle	No.	2019	1852123	193462071
III)	Buffaloes	No.	2019	966219	109851678
IV)	total Sheep 7 goats	No.	2019	1656506	223145981
V)	Other Livestock	No.	2019	52062	10081393
* Total Livestock covers Cattel, Buffaloes, Yaks, Mithuns, Sheep, Goat, Pig, Horses & Ponies, Mules, Donkeys, Camels.					
2	Poultry	No.	2019	5018604	851009931
3	**Livestock Products**				
I)	Milk Production	'000 Tonne	2019-20	1045	198430.57
II)	Eggs Production	Lakh Nos.	2019-20	4706	1143031.81
III)	Wool Production	'000 Kgs	2019-20	407	36760.57
4	**Fish Production**				
I)	Marine	Lakh Tonne	2019-20	0.80	37.27
II)	Inland	Lakh Tonne	2019-20	0.85	104.37
III)	Total	Lakh Tonne	2019-20	0.85	141.64
Source: Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture, GoI.					
23	**ENERGY**				
I)	Installed Capacity	MW	As on Dec	1318.56	393386.47
II)	Installed Capacity of Electricity Per Lakh Population	MW	2021 31.3.2021	29.47	28.16
III)	Per Capita Generation of Electricity	kwh	2021-21	925.25	1011.94
IV)	Transmission and Distribution Losses	%	2019-20	22.42	20.46
Source: Central Electricity Authority of India, GoI **Relates to utility & non-utility					
24	**INDUSTRY**				
	Results of Annual Survey of Industries				
I)	No of Factories	No.	2018(9-19)P	3002	242395
II)	Total Persons Engaged	'000	2018(9-19)P	411.89	16297
III)	Value of Output	Rs. Crore	2018(9-19)P	25569.24	9283461.9
IV)	Net Value Added	Rs. Crore	2018(9-19)P	5085.08	1275e94.20
Source: RSO, Ministry of Statistical Programme and Implementation, GoI					
25	**Performance of Employment Exchanges**				
I)	Employment Exchanges*	No.	2018	23	997.0
II)	Registrations	'000 No.	2018	127.61	4851.8
III)	Placements	'000 No.	2018	0.027	404.7
IV)	Live Register*	'000 No.	2018	778.08	42122.3
Source: Ministry of Labour and Employment, GoI *At the end of the year. Note: Total may not tally due to rounding off figures.					

Sr. No.	Item	Unit	Year	Uttarakhand	India
1	2	3	4	5	6
26	SUMMARY RESULTS OF 6th ECONOMIC CENSUS-2013				
A	Total Number of Establishment*				
1	Rural				
I)	Outside Households(III) with fixed structure	No.	2013	137029	12723866
II)	Outside Households(III) without fixed structure	No.	2013	23852	6666084
III)	Inside III	No.	2013	71089	15409884
IV)	All	No.	2013	231970	34799754
2	Urban				
I)	Outside Households(III) with fixed structure	No.	2013	116630	13813912
II)	Outside Households(III) without fixed structure	No.	2013	17416	4121697
III)	Inside III	No.	2013	29168	5766996
IV)	All	No.	2013	163209	23699605
3	Combined				
I)	Outside Households(III) with fixed structure	No.	2013	252662	26536778
II)	Outside Households(III) without fixed structure	No.	2013	41268	10787781
III)	Inside III	No.	2013	100249	21173880
IV)	All	No.	2013	394179	58493559
B	No. of persons Employed on Last Working Day				
1	Rural (Hired)				
I)	Male	No.	2013	289559	19983401
II)	Female	No.	2013	84864	6612480
III)	All	No.	2013	294422	67895421
2	Urban (Hired)				
I)	Male	No.	2013	269158	27436091
II)	Female	No.	2013	95714	7134490
III)	All	No.	2013	324868	63399447
3	Combined (Hired)				
I)	Male	No.	2013	478714	44420292
II)	Female	No.	2013	140377	13726850
III)	All	No.	2013	619091	131295868
C	No. of Handicraft/Handloom				
I)	Combined	No.	2013	9248	1873624

Source: All India Report on Sixth Economic Census, CSO, New Delhi.* Excluding Crop Production, Plantation, Public Administration, Defence & Compulsory social Security services activities.

Sr. No.	Item	Unit	Year	Uttarakhand	India
1	2	3	4	5	6
27	**BANKING**				
I)	All Scheduled Commercial Banks				
II)	Offices	Number	As on	2392	151157
III)	Deposits	Rs. In crore	September	166428	15983446
IV)	Credit	Rs. In crore		75867	11159792
V)	Credit Deposit Ratio	%		46	70.01
VI)	No. of Banking Offices Per Lakh Population**		As on 31st March 2021	10.8	11.8
28	**Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna**				
I)	Total Account Holders	000'	2021-22	2080	446398
II)	Total Rupay Cards Holders	000'	2021-22	2041	434,200
III)	Aarogyi Credit Plus	Rs crore	2021-22	12,299	10,11,548
Source: Reserve Bank of India, GoI					
28.1	***Road Length by surface****		As on		
I)	Total Length	Kms.	31/03/2018	52863	5315797
II)	Surfaced	Kms.	31/03/2018	37930	3748292
III)	Unsurfaced	Kms.	31/03/2018	14922	1567505
	***Excluding JRY Roads**				
28.2	**Total Road Length by Category**				
I)	National highway	Kms.	As on	2940	126858
II)	State highway	Kms.	31/03/2018	4387	186908
III)	District roads	Kms.	31/03/2018	4966	611268
IV)	Rural Roads	Kms.	31/03/2018	23809	3509587
V)	Urban roads	Kms.	31/03/2018	5514	534142
VI)	Project Roads	Kms.	31/03/2018	5247	347547
28.3	**Vehicle Registration**				
I)	Total Registered Motor Vehicles	No	As on 31/03/2018	2752685	295771600
II)	Total Transport Motor Vehicles	No	31/03/2018	181515	25891404
III)	Total Non- Transport Motor Vehicles	No	31/03/2018	2571170	269880204
28.4	**Incidence of Road Accidents**	No	2019	1232	449002
28.5	**Total Railway Route Length**	Kms.	2019-20		67956
28.6	Broad Gauge	Kms.	2019-20	343.76	63550
28.7	Narrow Gauge	Kms.	2019-20	61.15	1634

Source: 1) Ministry of Road Transport & Highways, GoI 2) Ministry of Railways, GoI

Sr. No.	Item	Unit	Year	Uttarakhand	India
1	2	3	4	5	6
29	**Communication**				
I)	Post offices	No	As on March 2019-20	2744	156721
II)	Telephone Connections	In Million	2019-20	92747	1191.05
30	**Teledensity**				
I)	Wire Line			1.51	1.69
II)	wireless			113.00	85.2
Source: Department of Post, Ministry of Communications, GoI (2) Telecom Authority of India, GoI					
31	**Education**				
I)	Number of Universities	No	2019-20	36	1043
II)	Number of Colleges	No	2019-20	616	42343
III)	No. of colleges per lakh Population		2019-20	30	30
IV)	Average Enrollment per college		2019-20	630	680
31.1	**Number of Education Institutions**				
I)	Higher Secondary School	No	2020-21	2543	128528
II)	Secondary School	No	2020-21	3389	151946
III)	Upper Primary School	No	2020-21	5483	44228
IV)	Primary School	No	2020-21	14256	774792
31.2	**No. of Enrollment in School**				
I)	Higher Secondary School	No	2020-21	331505	20922396
II)	Secondary School	No	2020-21	378668	29066375
III)	Upper Primary School	No	2020-21	594301	69854199
IV)	Primary School	No	2020-21	1049611	122021241
31.3	**Enrollment Ratio (GER)**				
I)	Primary	No	2020-21	116.6	103.3
II)	Uper primary	No	2020-21	108.2	92.2
III)	Secondary	No	2020-21	91.5	79.6
IV)	Higher Secondary	No	2020-21	72.7	53.8
31.4	**Net Enrollment Ratio (NER)**				
I)	Primary	No	2020-21	99.8	92.7
II)	Uper primary	No	2020-21	74.9	74.1
III)	Second	No	2020-21	56.1	52.6
IV)	Higher Secondary	No	2020-21	44.0	34.7
31.5	**Gender Parity Index**				
I)	Primary	No	2020-21	1.03	1.02
II)	Uper primary	No	2020-21	1.02	1.01
III)	Second	No	2020-21	1.00	0.99
IV)	Higher Secondary	No	2020-21	1.09	1.03

Sr. No.	Item	Unit	Year	Uttarakhand	India
1	2	3	4	5	6
31.6	**Dropout Rate**				
I)	Primary	No	2020-21	1.7	0.8
II)	Upper primary	No	2020-21	1.4	1.9
III)	Secondary	No	2020-21	9.1	14.6
Source: Ministry of Education, GoI, AISHE 2019-20 and UDISE 2020-21					
32	**Health & vital Statistics**				
32.1	**Expectation of Life at Birth**				
I)	Male	Year	2014-18	67.9	69.2
II)	Female	Year	2014-18	74.1	72.2
32.2	**Birth Rate (Per '000 Population)**				
I)	Rural	No	2019	17.8	21.9
II)	Urban	No	2019	16.1	16.4
III)	Total	No	2019	17.1	19.7
32.3	**Death Rate (Per '000 Population)**				
I)	Rural	No	2019	6.4	6.7
II)	Urban	No	2019	5.1	5.0
III)	Total	No	2019	6.0	6.3
32.4	**Natural Growth Rate (Per '000 Population)**				
I)	Rural	No	2019	11.1	14.9
II)	Urban	No	2019	10.9	11.4
III)	Total	No	2019	11.0	13.0
32.5	**Infant Mortality rate (Per '000 Population)**				
I)	Rural	No	2019	28	31
II)	Urban	No	2019	26	28
III)	Total	No	2019	27	30
IV)	Male	No	2019	27	30
V)	Female	No	2019	28	31
32.6	**Under-Five Mortality rates (Per '000 Population)**				
I)	Total	No	2019	30	36
II)	Male	No	2019	29	36
III)	Female	No	2019	31	37
32.7	**Total Fertility rate (TFR)***				
I)	Total	No	2019-20	1.9	2.0
II)	Rural	No	2019-20	1.9	2.1
III)	Urban	No	2019-20	1.8	1.6
32.8	Maternal Mortality Ratio (Per 1 Lakh live births)	No	2016-18	99	113
32.9	Primary Health Centre	No	2020	259	24918
32.1	Community Health Centre	No	2020	86	5183

Source:- (1) Ministry of Health & Family Welfare, GoI, (2) * National Family Health Survey 5 (3) Registrar General India Ministry of Home Affairs (4) SRS 2019

Sr. No.	Item	Unit	Year	Uttarakhand	India
1	2	3	4	5	6
33	**Forest**				
I)	Forest Cover Area	sq. Km	2019	24305	713789
II)	Very Dense Forest	sq. Km	2019	5855	99779
III)	Moderate Dense Forest	sq. Km	2019	12768	306890
IV)	Open Forest	sq. Km	2019	6402	307120
V)	% of Geographical area	%	2019	45.44	21.71
VI)	Tree Cover	sq. Km	2019	841	95027
VII)	Scrub	sq. Km	2019	372	46539
33.1	**National Park**				
I)	No. of National Park	No	As on March 31/03/2021	6	104
II)	Area	sq. Km		5081.36	43716.15
33.2	**Wildlife Sanctuaries**				
I)	No. of Wildlife Sanctuaries	No	As on March 31/03/2021	7	566
II)	Area	sq. Km		2683.88	122626.06
Source: (1) Forest Survey of India, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, GoI (2) Ministry of Statistics and Programme Implementation, GoI					
34	**Crimes**				
I)	Crimes against Women	No.	2021	2846	372503
II)	Crimes against Children	No.	2021	1066	128531
Reference-					
1	Economic Survey of Uttarakhand year 2020-21				
2	Economic Survey of Maharashtra year 2021-22				
3	Economic Survey of Tripura year 2021-22				

STATISTICAL STATEMENTS

1.2 STATEWISE AREA, POPULATION, SEX RATIO, CHILD SEX RATIO, DECADAL GROWTH RATE, POPULATION DENSITY AND SHARE OF URBAN POPULATION, CENSUS-2011

Sr. No.	India/State/UT	Sex Ratio	Child Sex Ratio	% of Child Population	Decadal Growth Rate	Population Density	% share of Urban	Area (in Sq. Km.)	Population		
									Rural	Urban	Total
	INDIA	943	918	13.6	17.7	382	31.1	3287469	833748865.2	377106125	1210854977
1	Andhra Pradesh	994	939	11.8	11	308	33.4	275069	56361703	28219075	84580777
2	Arunachal Pradesh	938	972	15.5	26	17	22.9	83743	1066358	317369	1383727
3	Assam	958	962	14.9	17.1	398	14.1	78438	26807094	4398542	31205576
4	Bihar	918	935	18.4	25.4	1106	11.3	94163	92341436	11758683	104099452
5	Chhattisgarh	991	969	16.3	22.6	189	23.2	135192	19007851	5937237	25565198
6	Goa	973	942	9.9	8.3	394	62.2	3702	551751	968814	1456565
7	Gujarat	919	890	12.9	19.3	308	42.6	196244	34698939	25145083	59844682
8	Haryana	879	834	13.5	19.9	573	34.9	44212	16509359	8842103	25353462
9	Himachal Pradesh	972	909	11.5	12.9	123	10	55673	6170650	688552	6864602
10	Jammu & Kashmir	889	862	16.1	23.6	124	27.8	222236	9108860	3433742	12541302
11	Jharkhand	948	948	16.3	22.4	414	24	79716	25055373	7933061	32988134
12	Karnataka	973	948	11.7	15.6	319	38.7	191791	37469935	23625962	61095297
13	Kerala	1084	964	10.4	4.9	860	47.7	38852	17471131	15934926	33406061
14	Madhya Pradesh	931	918	14.9	20.3	236	27.6	308252	52557904	20169459	72626809
15	Maharashtra	929	894	11.9	16	365	45.2	307713	61556074	50818022	112374333
16	Manipur	985	933	13.1	24.5	115	29.2	22327	2031860	834154	2855799
17	Meghalaya	989	970	19.2	27.9	132	20.1	22429	2371330	555450	2966889
18	Mizoram	976	970	15.6	33.9	52	52.1	21081	526546	971771	1097206
19	Nagaland	931	943	16.7	-0.6	119	28.9	16579	1207546	570966	1978602
20	Odisha	979	941	12.6	14	270	16.7	155707	34970563	7009656	41974218
21	Punjab	895	846	11.1	13.9	551	37.5	50362	17944142	10399146	27343288
22	Rajasthan	928	888	15.5	21.3	200	24.9	342239	51500352	17048093	68548437
23	Sikkim	890	957	13.5	12.9	86	25.2	7096	456093	133578	610577
24	Tamil Nadu	996	943	11.1	15.6	555	48.4	130060	37229948	34917480	72162038
25	Tripura	960	957	12.5	14.8	350	26.2	10486	2712464	961453	3673917
26	Uttar Pradesh	912	902	15.4	20.2	829	22.3	240928	155317278	44495063	199812341

27	Uttarakhand	963	890	13.4	18.8	189	30.2	53483	7036854	3049038	10085292
28	West Bengal	950	934	11.6	13.8	1028	31.9	88752	62183113	29093082	91276115
Union Territory											
1	Andaman & Nicobar Islands	876	968	10.7	6.5	46	37.7	8249	237053	143488	380581
2	Chandigarh	916	880	11.3	17.2	9258	97.3	114	28991	1026469	1055460
3	Dadra & Nagar Haveli	774	926	14.9	55.9	700	46.7	491	182114	160595	342709
4	Daman & Diu	618	904	11.3	58.8	2191	75.2	111	60496	182851	243287
5	Lakshadweep	946	915	11.3	6.1	2149	78.1	30	14141	50552	64473
6	NCT of Delhi	868	871	12.0	21.2	11320	97.4	1484	1390432	16568899	16787941
7	Puducherry	1037	967	10.6	28.1	2547	88.3	490	345200	852753	1197953

Different Type of Index and Rank

Sr. No.	Name of Index	Reference year	Uttarakhand		Best State		
			Score	Rank	State	Score	Rank
1	Health Index	2019-20	39.61	16	Kerala	74.05	1
2	SDG Index India	2020-21	72.00	3	Kerala	75.00	1
3	Export Preparedness Index	2021	48.11	13	Gujrat	75.19	1
4	School Education Quality Index	2016-17	48.10	14	Kerala	82.20	1
5	Ease of Doing Business	2019	-	11	Andhra Pradesh	-	1
6	Human Development Index	2019	0.68	18	Kerala	0.78	1
7	Multy Dimensional Poverty Index	2021	17.72	15	Bihar	51.91	1
8	Composite water mgt. Index	2020-21	85	-	-	-	-
9	Good Governance Index	2021	4.66	-	Gujrat	5.66	-
10	India Innovation Index	2020	23.50	13	Karnataka	42.50	-
11	DBT Performance Index	2020	74.30	5	Haryana	88.8	1

Source:- NITI Aayog Website

अर्थ एवं सख्या निदेशालय

[illegible]

[illegible] पौड़ी, पौड़ीपुर (उत्तराखण्ड) 246001

दूरभाष/फैक्स: 01368-271804

ई-मेल: dirdes.uk@gmail.com, dir-des-uk@nic.in

वेबसाईट: www.des.uk.gov.in